राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] ग्यारहवीं विधान सभा के सप्तम् सत्र का तीसरा दिवस [संख्या : 3

शुक्रवार

9 नवम्बर, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचंद सुराना एवं श्री राजेन्द्र राठौड़।

राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच

65.श्री मानिकचंद सुराना (लूणकरणसर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आर. ए. पोद्दार प्रबन्ध संस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में प्रवेश से सम्बन्धित मामले की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, राजस्थान द्वारा की गयी जांच में संस्थान की निदेशिका डा. (श्रीमती) अंजिली सक्सेना को दोषी पाया गया और उनके विरुद्ध दिनांक 6 जनवरी, 2000 को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा चालान प्रस्तुत कर दिया गया? यदि हां, तो चालान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चालान जनवरी, 2000 में करने को सितम्बर, 1999 की किसी तारीख में कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय ने डा. (श्रीमती) अंजिली सक्सेना, निदेशिका, आर. ए. पोद्दार प्रबन्ध संस्थान, जयपुर के विरुद्ध धारा 13 (1) डी (2) पी. सी. एक्ट, 1980 व 420, 467, 471 सपठित धारा 120 (बी) भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोजन के तहत स्वीकृति प्रदान की गयी है?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर की सिंडीकेट ने अपनी बैठक दिनांक 20/22 मई, 2000 को चालान पेश हो जाने के बावजूद चालान पेश किये जाने की अनुमति जो पूर्व में प्राप्त हुई थी, पर पुनः विचार किया और चालान पेश करने की स्वीकृति की मांग के मामले को लम्बित रखा?

(4) क्या यह भी सही है कि दिनांक 23 जनवरी, 2001 को कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय की स्वीकृति से डा. (श्रीमती) अंजिली सक्सेना के विरुद्ध क्रमांक 170/97 भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को अभियोजन प्रस्तुत करने की सहमति प्रदान कर दी है?

(5) क्या यह सही है कि दिनांक 23 जनवरी, 2001 को दी गयी अभियोजन की स्वीकृति रजिस्ट्रार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा

(श्री मानिकचंद सुराना)

दिनांक 25 जनवरी, 2001 को विथड्रा कर ली गयी?

(6) क्या यह भी सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जैसी उच्च शिक्षा संस्थान के कुलपति द्वारा एक बार अभियोजन की स्वीकृति सितम्बर, 1999 में प्रदान करने के पश्चात् न तो सिंडीकेट की बैठक में उक्त विषय पर पुन: दिनांक 20/22 मई, 2001 को चर्चा आवश्यक थी और न दिनांक 23 जनवरी, 2001 को अभियोजन की पुन: स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता थी, ना ही प्रदान की गयी अभियोजन स्वीकृति को पुन: दिनांक 25 जनवरी, 2001 को विथड्रा करना आवश्यक था?

(7) क्या उक्त आदेश से कुलपति के पद की गरिमा को गिराने का व मनमानी व विवेकहीन आदेश पारित करने का एक अत्यधिक गलत उदाहरण प्रस्तुत किया गया है? क्या उक्त कार्यवाही किसी भी प्रकार से उचित नहीं है?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री सी. पी. जोशी) : (1) जी, हां। चालान की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

श्री मानिकचंद सुराना : चालान की प्रति नहीं है इसमें, एक पेज है खाली, देखो आप।

श्री सी. पी. जोशी : एफ. आई. आर. की कापी ?

श्री मानिकचंद सुराना : माननीय मंत्री महोदय, चालान की प्रति में एक पेज दिया है आपने, जबकि चालान की प्रति में तो सब कुछ होता है, 8-10 पेज होते हैं लेकिन इसमें एक ही पेज है। आप विभाग से मंगवा लें।

श्री सी.पी. जोशी : (2) विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने 28.9.99 को डा. अंजिली सक्सैना के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की थी। लेकिन अभियोजन की स्वीकृति देने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम नहीं होने के कारण कुलपति महोदय के द्वारा दी गई स्वीकृति पर विश्वविद्यालय ने अपने पत्र दिनांक 6.1.2000 के द्वारा अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी थी।

(3) यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की सिंडीकेट ने अपनी बैठक दिनांक 20/22 मई, 2000 में डा.अंजिली सक्सेना के प्रकरण में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया, तथा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के उप महानिरीक्षक को विश्वविद्यालय ने अपने पत्र दिनांक 12.7.2001 के द्वारा उपरोक्त सिंडीकेट के निर्णय से सूचित भी किया।

(4) जी, हां।

(5) यह सही है कि 23.1.2001 को दी गई स्वीकृति कुलपति महोदय के द्वारा वापस ले ली गयी। कुलसचिव ने अपने पत्र दिनांक 25.1.2001 के द्वारा इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक (शहर-II), भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, जयपुर को दे दी।

(6) राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों एवं अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार सिंडीकेट में निहित है तथा उनके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति भी केवल

(श्री सी. पी. जोशी)

नियुक्ति अधिकारी अर्थात सिंडीकेट के द्वारा ही प्रदान की जा सकती है। अत: नियमानुसार कुलपति महोदय के द्वारा 28.9.99 को अपने स्तर पर जारी की गयी स्वीकृति बिना सिंडीकेट के अनुमोदन के प्रदान नहीं की जानी चाहिए थी। यदि उनके विचार में यह आवश्यक था तो भी इसका अनुमोदन सिंडीकेट की आगामी बैठक में करवा लेना चाहिए था। एक बार सिंडीकेट के स्तर पर अभियोजन की स्वीकृति नहीं देने का निर्णय लेने के पश्चात् कुलपति महोदय को अपने स्तर पर अभियोजन की स्वीकृति जारी करने अथवा नहीं करने का निर्णय नहीं लेना चाहिए था।

(7) उपरोक्त प्रकरण माननीय कुलाधिपति महोदय के अवलोकनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

(चालान की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री मानिकचंद सुराना : माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये, एक स्वीकृति सन् 1999 में जारी की गयी, क्या आप यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान एक्ट का कोई प्रावधान बता सकते हैं कि जिसमें वाइस चांसलर द्वारा प्रदत्त की गयी स्वीकृति अवैधानिक या गैरकानूनी है?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 9 जून, 1999 को सिंडीकेट में आइटम नम्बर 3 के अन्तर्गत द दैन वाइस चांसलर मिसेज कांता आहूजा ने यह सिंडीकेट को अवगत कराया कि इस तरह के केसेज के सम्बन्ध में एंटीकरप्शन से हमें प्रोसीक्यूशन करने का निर्णय लेना था। इस डिस्कशन के बाद यह रिजोल्व किया गया :-

"Permission of the University for prosecution of Dr. N. C. Paharia in case no. 134/97 be granted to the Anti-Corruption Bureau;

(2) As regards according permission for prosecution of the person mentioned in A. C. B. case no. 122/97, the following committee may look into the entire facts of the case and take a decision about granting permission for prosecution :

(i) Vice Chancellor,

(ii) Shri Taquiddin Ahmad,

(iii) Prof. Pawan Surana, and

(iv) Dr. Lal Bahadur."

यह 7 जून, 99 को निर्णय किया गया।

श्री मानिकचंद सुराना : 7 जून, 99 को?

श्री सी. पी. जोशी : हां, 7 जून, 99 को। 7 जून, 99 को निर्णय करने के बाद 27 सितम्बर, 1999 को इस कमेटी की मीटिंग हुई। इस कमेटी की मीटिंग होने के बाद में द दैन वाइस चांसलर ने सिंडीकेट में रिपोर्ट किये बगैर ए. सी. डी. को परमिशन दे दी। जब यह मैटर सिंडीकेट की मीटिंग के बाद में 26.12.99 को सिंडीकेट की मीटिंग में आया तब तक वाइस चांसलर बदल चुके थे, तब तक वाइस चांसलर प्रोफेसर कमल बन गये थे। उस सिंडीकेट की मीटिंग में यह पाइंट आउट किया गया I will read it, उसका आइटम नम्बर दो...

श्री मानिकचंद सुराना : माननीय मंत्रीजी, मेरा सवाल यह है कि आप क्या कोई प्रावधान यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान एक्ट का बताने में सक्षम हैं कि जिसके कारण उनके द्वारा दी गयी स्वीकृति अवैधानिक या गैरकानूनी है? आपका वाइस चांसलर परमिशन देता है, एंटीकरप्शन के केस चालान में परमिशन देता है और परमिशन हो गयी, चालान हो गया। आपने इस बात की हां की है कि चालान प्रस्तुत हो चुका, 6.1.2000 को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा चालान प्रस्तुत कर दिया गया। 6.1.2000 को चालान पेश हो गया, अब आप उस पर विचार कर रहे हैं 2000 के जून और जुलाई में। कभी कह रहे हैं कि अभी इसको लम्बित रखा है। चालान हो चुका है 6.1.2000 को, अब आप क्या लम्बित रख रहे हैं? आपके उस लम्बित रखने के कारण क्या वाइस चांसलर ने जो परमिशन दी और जिस पर एंटीकरप्शन एक्ट कर चुका और चालान पेश कर दिया डा. अंजिली सक्सेना का, रामनाथ पोद्दार मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के एडमीशंस में भ्रष्टाचार, मिसकंडक्ट और मिसयूज आफ पावर में जिनका चालान हो गया तो अब क्या सिंडीकेट में विचार होने से और उसको रोके रखने से, यह रोके रखा गया है। माननीय मंत्री महोदय, सन् 2000 में भी आपने यही कहा जब मैंने यह पूछा कि 20/22 मई, 2000 को वह सिर्फ लम्बित रखा। यह नहीं कहा कि हम नहीं देंगे, उसको पैंडिंग रखा तो पैंडिंग जब रखा 20/22 मई, 2000 को तो, माननीय उसके बाद तो 23 जनवरी को कमल साहब ने स्वीकृति दे दी, प्रजेंट वाइस चांसलर। श्रीमती कांता आहूजा पहले की वाइस चांसलर ने स्वीकृति दी, प्रोफेसर कमल ने 23.1.2001 को स्वीकृति दे दी। उन्होंने 99 में दी, इन्होंने 2001 में दी। अब वह स्वीकृति दो दिन बाद आपका रजिस्ट्रार विथड्रा कर रहा है, यह आपको कैसा लगता है? एक वाइस चांसलर की स्वीकृति दूसरी की स्वीकृति और दो दिन बाद रजिस्ट्रार द्वारा स्वीकृति को विथड्रा करना आपको कैसा लगता है? उच्च शिक्षा के मामले में यह सारी व्यवस्था है एक्ट की, आर्डिनेंस की और आटोनामस बाडीज की? मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है इसमें, कि ये दो स्वीकृतियां दी गयीं, उसके बाद वापस 2001 में विथड्रा कर ली गयीं? आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस सम्बन्ध में? आपको अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा? आपको यह पब्लिक इंटरेस्ट में लगा या पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं लगा, यह मैं पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। मुझे वह प्रावधान बताइये कि वाइस चांसलर को कोई पावर नहीं है जबकि सिंडीकेट का हैड वाइस चांसलर है, सिंडीकेट को जो चेयर करता है वह वाइस चांसलर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, मैं एक चीज लगे हाथ ही आपसे पूछ लूं, आपने अभी यह कहा कि 28.9.99 को तत्कालीन कुलपति कांता आहूजा ने जो स्वीकृति दी, यह सिंडीकेट में रखे बिना सिंडीकेट के निर्देशानुसार नहीं की। मैं पढ़ कर सुना रहा हूं। सिंडीकेट, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर उक्त डाक्टर अंजिली सक्सेना, निदेशक, पोद्दार संस्थान, जयपुर को सेवा से पृथक करने में सक्षम है। अत: सिंडीकेट के निर्देशानुसार मैं कांता आहूजा, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

डाक्टर अंजिली सक्सेना, निदेशक, पोद्दार प्रबन्ध संस्थान, जयपुर के विरुद्ध धारा 13 (1) (डी) पी. सी. एक्ट 1988 एवं 420, 467, 468, 471 सपठित 120 बी व उक्त तथ्यों के आधार पर अन्य कोई अपराध बनता हो तो इसके एतद् सक्षम न्यायालय में चालान पेश करने की अभियोजन को स्वीकृति दे रही हूं। इसका मतलब कोई न कोई ऐसे महानुभाव हैं जो इस पूरे प्रकरण में डाक्टर अंज़िली सक्सेना को बचाना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्रीजी, यह एक बार पहले भी सवाल लगा था, सवाल फ्लोर पर आया नहीं इसलिये शायद आपके पास उत्तर आया कि नहीं, आपने देखा कि नहीं। उसमें भी यही मामला था। सवाल मेरा और धर्मपालजी का था और उसमें भी आपने इन सारे तथ्यों को स्वीकार किया था। उसमें हमने पूछा था कि क्या विश्वविद्यालय और राज्य सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त निदेशिका को पद पर बनाये रखने का विचार रखती है? आपने उत्तर में कहा है कि 16.1.2000 के पूर्व में निदेशिका के पद पर कार्यरत डाक्टर अंजिली सक्सेना के स्थान पर डाक्टर गीतिका कपूर की नियुक्ति निदेशक पद पर कर दी गयी है। मतलब 16.1.2000 को आप उनको हटाते हैं क्योंकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, सक्षम न्यायालय में चालान हो गया। और उसके बाद आप रिअपाइंट कर देते हैं 12 मई, 2000 को।

श्री मानिकचंद सुराना : अभी उसको छोड़ो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह सारा कुछ क्यों हुआ? एक निदेशक के पद पर बैठी हुई , उच्च पद पर बैठी हुई ऐसे संस्थान की निदेशिका जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उसके बाद आपका पुन: उनको उसी पद पर बनाये रखने का क्या कारण है? मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आपने अपने उत्तर में कहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की सिंडीकेट ने अपनी बैठक दिनांक 20/22 मई, 2000 में अंजिली सक्सेना के प्रकरण में अभियोजन की स्वीकृति प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया। अब यह बैठक तो हुई 22 मई, 2000 को और फिर क्या लिखते हैं? तथा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के उप महानिरीक्षक को विश्वविद्यालय ने अपने पत्र 12.7.2001 में उपरोक्त सिंडीकेट के निर्णय की सूचना दे दी। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? एक साल दो-दो महीने यह सारी चीज लम्बित रहे, मेरी समझ के परे की बात है। जिसका चालान हो गया, एंटीकरप्शन विभाग ने सक्षम न्यायालन में चालान कर दिया, अब आपके हाथ में थोड़े ही है, चाहे सिंडीकेट रिजोल्व करे, चाहे दैन वाइस चांसलर ने अपनी पावर को एक्सरसाइज किया हो? मैंने जो आपको तथ्य रखे हैं, सिंडीकेट की अनुमति से किया है, जो मैंने पढ़ कर सुनाया। अब क्या आप उस चालान को वापस लेना चाहते हैं। उसमें चालान तो वापस आप ले नहीं सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का भ्रष्टाचार जब बिलकुल सामने आ गया, जिसकी पहुंच कहां से कहां होगी, आप जैसे व्यक्ति को जो उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इस सवाल को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, खड़े होकर तत्काल कहना चाहिए कि इसके अन्दर जो भी दोषी हैं, चाहे इसके अन्दर कोई भी, किसी भी स्तर का आदमी हो, अंजिली

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सक्सेना को तो आप बर्खास्त करें ही, सस्पैंड करें ही, फिर जो भी दोषी हो उसके खिलाफ भी कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन आवर है यह, स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूछ रहे हैं स्पेसिफिक। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी आप इनका जवाब देने दीजिये, उसके बाद में आपको अवसर मिलेगा।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य खुद कानूनविज्ञ हैं, मुझे पूछ रहे हैं कि आप वह कानून बताएं जिस कानून के अन्तर्गत वाइस चांसलर ने परमिशन दी। जैसा कि मैं समझता हूं, एक्ट के प्रोविजन बहुत क्लियर हैं, Syndicate is the appointing authority. सिंडीकेट ने, वाइस चांसलर ने जो निर्णय लिया जिसको रिपोर्टिंग आइटम के रूप में वहां प्रस्तुत किया तब सिंडीकेट के मैम्बर ने यह कहा कि वाइस चांसलर का जो यह आर्डर है, जो रिपोर्टिंग आइटम के रूप में आया है उसमें यह कमी है कि Vice Chancellor is not...

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई इसमें कारण नहीं है, बहुत बड़ी धनराशि का घालमेल हो गया इसमें...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिये। यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान) आप एक–एक घंटे तक बोलते रहते हैं, हर वक्त बीच में खड़े होते हैं। आपको सदन के अन्दर थोड़ी-सी मर्यादा रखनी चाहिये। आप सीनियर मैम्बर हैं हाउस के। (व्यवधान) और बी. जे. पी. में मिनिस्टर रहे हुए हैं। गोपीचन्दजी के और आपके मित्रता थी अच्छी।

श्री सी. पी. जोशी : मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि जब सिंडीकेट में यह रिपोर्टिंग आइटम आया कि वाइस चांसलर ने परमिशन दी, तब सिंडीकेट के मैम्बर्स ने यह पाइंट आउट किया कि एक्ट के प्रोविजन के अन्तर्गत वाइस चांसलर काम्पीटेंट नहीं हैं। सिंडीकेट के कन्फर्मेशन करने के बाद सिंडीकेट के निर्णय को कम्युनिकेट करने का अधिकार वाइस चांसलर को है। सुओ मोटो वाइस चांसलर को अधिकार नहीं है। काम्पीटेंट अथारिटी, अपाइंटिंग अथारिटी सिंडीकेट है। इसलिए सिंडीकेट से कन्फर्म किये बगैर वाइस चांसलर ने जो यह अपाइंटमेंट लिखा जिसको राठौड़ साहब ने कोट किया, उसमें लिखा है कि कांता आहूजा ने सिंडीकेट के निर्देशानुसार, वह जो लैटर लिखा तब तक सिंडीकेट ने कन्फर्मेशन नहीं किया। उसी लैटर को सिंडीकेट ने यह कहा कि वाइस चांसलर ने जो मेंशन किया है कि सिंडीकेट के निर्देशानुसार हमने परमिशन दी है, वह गलत है और हम सिंडीकेट इस पर रिव्यू करने के लिए निर्णय लेते हैं। (व्यवधान) इसलिए पहले तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिंडीकेट ही काम्पीटेंट अथारिटी है अपाइंटिंग अथारिटी और जो अपाइंटिंग अथारिटी है उसी को प्रोसीक्यूशन की परमिशन देने की कानून में व्यवस्था है। इस केस में कांता आहूजा वाइस चांसलर ने जो लैटर लिखकर भेजा, सिंडीकेट से उन्होंने कन्फर्मेशन नहीं कराया। इसी आधार

(श्री सी. पी. जोशी)

पर सिंडीकेट ने इस इश्यू को रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद जो निर्णय किया वह मैंने आपको बताया।

श्री मानिकचंद सुराना : माननीय मंत्रीजी, यह बहुत स्पष्ट है, सिंडीकेट, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर उक्त डाक्टर अंजिली सक्सेना, निदेशक, पोद्दार संस्थान, जयपुर को सेवा से पृथक करने में सक्षम है, अत: सिंडीकेट के निर्देशानुसार मैं डाक्टर कांता आहूजा, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त यह इजाजत देती हूं।

श्री सी. पी. जोशी : यह आप अपना कोट कर रहे हैं, मेरा नहीं है।

श्री मानिकचंद सुराना : नहीं, मेरा नहीं है, यह प्रोसीडिंग्स में है...

श्री सी. पी. जोशी : उसको कौन मना कर रहा है? Who is denying it? उसको डिनाई कौन कर रहा है?

श्री मानिकचंद सुराना : अध्यक्ष महोदय, 3.7.99 को प्रोसीडिंग्स में है सिंडीकेट की। सिंडीकेट यदि...

श्री सी. पी. जोशी : प्लीज आप, सुराना साहब, quote the Syndicate proceedings. Please do not quote the letter of Ms. Kanta Ahuja.

श्री मानिकचंद सुराना : कांता आहूजा का नहीं कोट कर रहा हूं मैं, सिंडीकेट का ही कोट कर रहा हूं।

श्री सी. पी. जोशी : हां, कोट बताइये। सिंडीकेट का मत बताइये। बताइये आप। I do have the papers. प्लीज आप कोट करिये सिंडीकेट के रिजोल्यूशन को।

श्री मानिकचंद सुराना : डाक्टर कांता आहूजा ने जो स्वीकृति जारी की उस स्वीकृति इटसैल्फ में ये वर्डिंग्स हैं कि सिंडीकेट के निर्देशानुसार...

श्री सी. पी. जोशी : उससे क्या सम्बन्ध है?

श्री मानिकचंद सुराना : मैं डाक्टर कांता आहूजा, यह 28.9 का लैटर है उनका, 28.9.99 का।

श्री सी. पी. जोशी : The letter may be a faulty letter, what is the relevance with this? जो लैटर लिखा है, फाल्टी लैटर है। यह सिंडीकेट ने पाइंट आउट किया है, आप उस लैटर को ही पाइंट आउट कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, सिंडीकेट का उल्लेख आया पत्र में। जिस पत्र को मैंने उद्धृत किया है, मानिकजी सुराना ने किया है उसमें सिंडीकेट का उल्लेख है।

श्री सी. पी. जोशी : राठौड़ साहब, उल्लेख अलग है। सिंडीकेट को कोट करिये रिजोल्यूशन को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसका मतलब तत्कालीन कुलपति ने सिंडीकेट की बात को कहकर बिना सिंडीकेट में जाये स्वीकृति दी।

श्री सी. पी. जोशी : यही इश्यू है। मेन इश्यू यही है कि तत्कालीन वाइस चांसलर महोदय ने सिंडीकेट के निर्देश की बात लिख दी। यह तथ्य से परे है। यह सिंडीकेट की प्रोसीडिंग्स की सही बात बता रहा हूं मैं। आप जो कह रहे हैं, एक चीज को कोट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : अध्यक्ष महोदय, सिंडीकेट का यह आदेश जिसका रेफरेंस कांता आहूजा ने दिया, वह इस तारीख से स्पष्ट हो जायेगा कि इसके बीच में कोई आदेश था।

श्री सी. पी. जोशी : कटारिया साहब, सारी, सिंडीकेट का आदेश बताये आप। आप लैटर कोट कर रहे हैं। सिंडीकेट का निर्णय है, उस रिजोल्यूशन को कोट करिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरी बात को आप सुन लें और उसके बाद जो आपको ठीक लगे वह जवाब दीजिये। पहले चालान जब पेश किया यह 6 जनवरी, 2001 को किया था और सिंडीकेट की जो बैठक आप बता रहे हैं वह 20/22 मई की है, मतलब उसके चार महीने बाद सिंडीकेट की बैठक हुई। इसके पहले कुलपति ने जो अपनी स्वीकृति दी थी वह 28.9.99 में दी। 28.9.99 से लेकर सिंडीकेट की पहली बैठक जो आपका रिकार्ड बता रहा है वह मई, 2000 की है। मेरा प्रश्न यह है कि जब आपकी सिंडीकेट की बैठक ही 20/22 मई, 2000 को हुई तो फिर 6.1.2000 को जिस दिन चालान पेश किया था उसी दिन इस पर रोक लगाने का सवाल कहां से पैदा हुआ? सेम डे, मतलब इधर तो चालान पेश किया उसी 6 तारीख को और उसी 6 तारीख को आपने रोक लगाई जबकि सिंडीकेट की जो बैठक है वह 20/22 मई को हुई, उसके ठीक चार महीने बाद हुई। तो यह रोक इस जनवरी के सेम दिन कैसे लगी? यह बताये।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय कटारिया साहब, फिर मैं आपको कोट करके बता रहा हूं कि कांता आहूजाजी की चेयरमैनशिप में मीटिंग हुई उसकी डेट है 9 जून, 1999। 9 जून, 1999 के बाद में जो मीटिंग हुई है सिंडीकेट की वह मीटिंग हुई है, "...Minutes of the meeting of the Syndicate held on 26.12.99..."

श्री मानिकचंद सुराना : ट्वन्थी सिक्सथ?

श्री सी. पी. जोशी : 26.12। आप उसके आगे जा रहे हैं। 26.12.99की जो सिंडीकेट है उसको पहले समझना आवश्यक है, आप आगे जा रहे हैं। 26.12.99 की जो सिंडीकेट है उसके आइटम को मैं पढ़ दूंगा तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। 9 जून को सिंडीकेट की जो मीटिंग हुई, कांता आहूजाजी जो चेयरमैन थीं जिन्होंने परमिशन दी, उसके बाद जो अरलियेस्ट मीटिंग हुई है वो मीटिंग है 26.12.99 की। उस मीटिंग में जो आइटम है उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं मैं। उसमें आइटम नम्बर दो पर यह लिखा हुआ है-

"With reference to its Resolution 13 dated 9.6.99 r/w its subsequent

(श्री सी. पी. जोशी)

Resolution 17 dated 5.12.99, the Syndicate considered the Recommendation dated 27.9.99 of the committee appointed by it under the chairmanship ot the Vice-Chancellor regarding grant of permission for prosecution to the Anti-Corruption Bureau in some cases of University teachers..."

यह आइटम है 26.12.99 का। उसका जो पार्ट है, उसको पढ़ना चाहूंगा-

" In this connection it was reported to the Syndicate that the permission of the University to the Anti-Corruption Bureau for the prosecution of Some of the University teachers had already been conveyed in the following cases : Case Nos. 122/97, 134/97, 170/97, 159/97, 114/97.

" It was pointed out by the Syndicate that the action taken by the Vice-Chancellor in according permission to the Bureau in the above cases...."

जो लैटर आप कोट कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में-

"...in the above case was not in accordance with the Syndicate' s Resolution 12 dated 9.6.99 as well as provisions of the University Act as the appointing authority in this case of teachers is the Syndicate and only the Syndicate was empowered to accord such permission."

"After a good deal of deliberation, the Syndicate resolves as under :

(a) A retired Supreme Court of High Court Judge, to be appointed by the Vice-Chancellor, may examine thoroughly all the cases of the University teachers in which the Anti-Corruption Bureau had sought permissions for prosecution keeping in view the provisions of the Anti-Corruption Act and give its report at the earliest for the consideration of the Syndicate. The proposed committee may also give personal hearing to the teachers concernes ;

(b) Meanwhile, Bureau authorised be informed not to proceed further on the acceptance letter for prosecution sent to them vide letter dated 28.9.99 as the same are not in accordance with the provisions of the University Act."

यह आप जो कह रहे हैं यह कांता आहूजा जी की परमिशन के बाद जो पहली मीटिंग हुई है, 26.12.99 का यह सिंडीकेट का प्रस्ताव है। इसलिए आप जो कोट कर रहे हैं वो कोट कर रहे हैं कांता आहूजा जी के लैटर को। कांता आहूजा जी के लैटर का जो एक्शन है उसे वाइस चांसलर को सिंडीकेट की अरलियेस्ट मीटिंग में कन्फर्म करना था। कन्फर्म करने के ऊपर सिंडीकेट ने यह निर्णय लिया। इस निर्णय से बहुत साफ है कि 26.12.99 को ही विश्वविद्यालय की सिंडीकेट ने उनको प्रोसीक्यूट नहीं करने के लिए फैसला कर लिया और हाई कोर्ट के एक जज को अपाइंट करके उसकी पर्सनल हियरिंग का

(श्री सी. पी. जोशी)

काम किया। ये 26.12.99 का है। आप जो कोट कर रहे हैं 20 अप्रैल का वो बाद की स्थिति है।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हम मूल प्रश्नकर्ता हैं, हम मूल प्रश्नकर्ता हैं।

श्री मानिकचंद सुराना : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सिंडीकेट की मीटिंग का रेफरेंस कांता आहूजा जी ने दिया है वो मीटिंग तो हुई थी? वो मीटिंग तो हुई है न?

श्री अध्यक्ष : At the most, you can ask two supplementaries. पार्लियामेंट में मैं देख रहा हूं कि स्पीकर प्रश्नकर्ता से दो सप्लीमेंट्री कहता है-फर्स्ट सप्लीमेंट्री, सैकिण्ड सप्लीमेंट्री देट्स आल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कर दो, अध्यक्ष महोदय, अगर यह रहेगी तो हम भी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे।

श्री अध्यक्ष : आपको तो मैं चार सप्लीमेंट्री पूछने का अवसर दे चुका हूं, एक और दे दूंगा।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी पूछ लेने दो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अलाउ किया है, आसन ने मुझे परमिशन दी है। मैं अध्यक्षजी की इजाजत से सवाल पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरीजी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन। इसी विधान सभा में एक बार बहुत-से विधायकों की रिक्वेस्ट के ऊपर तत्कालीन अध्यक्ष ने मिस्टर आर. एन. सिंह, वाइस चांसलर का डिस्कशन हुआ था और उस डिस्कशन के वक्त में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने पूरी बहस सुन कर कुछ भी कमेंट नहीं किया और यह कहा कि यह यूनिवर्सिटी का इन्टरनल मामला है और इन्टरनल मामले में विधान सभा और राजस्थान सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो हमने यह कहा कि फिर आपने यह बहस क्यों खड़ी करवायी है? तो वे बोले कि बहस का अध्यक्षजी का आदेश था, बहस हो गयी। तो निर्णय यह हुआ, मान्यवर, सारी बहस जो हुई, तमाम कागजात प्रोसीडिंग्स चूंकि यूनिवर्सिटी के मालिक राज्यपाल महोदय हैं हम उनके पास भेज देंगे, जो कुछ करना होगा वो करेंगे। यहां भी हमारे प्रश्नकर्ता माननीय चूरू से आने वाले सदस्य महोदय ने कहा कि यहां भी एक अदृश्य शक्ति है जिसकी वजह से ये सब हस्तक्षेप होकर सैंक्शन दे दी गयी। वो विथड्रा हुई, सस्पैंड हुई और फिर वापस ली गयी। तो कहते हैं कि अदृश्य शक्ति है वो शक्ति बिहाइंड दी करटेन काम कर रही है। यूनिवर्सिटी की कौनसी शक्ति है वो आपको मालूम है, सबको मालूम है। उस शक्ति को हम यहां डिस्कस नहीं कर सकते, वो तो हमारे से ऊपर है, सर्वोपरि है। उनका कंडक्ट आ जायेगा, उसमें विधान सभा में यहां कोई कमेंट नहीं हो सकता। तो मैं, मान्यवर, आपसे यह चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी एक आटोनामस बाडी है,

(श्री रामनारायण चौधरी)

तत्कालीन स्पीकर महोदय श्री रामनिवासजी मिर्धा के जमाने में भी ऐसा पाइंट आया है और उन्होंने व्यवस्थाएं दीं कि यूनिवर्सिटी एक आटोनामस बाडी है। वह क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, उनके इन्टरनल मामलों में हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम कोई डिस्कस नहीं कर सकते।

मोहम्मद माहिर आजाद : लेकिन भ्रष्टाचार की छूट भी नहीं दे सकते, अनियमितताओं की छूट भी नहीं दे सकते। हाउस सुप्रीम है।

श्री रामनारायण चौधरी : भ्रष्टाचार हो या चाहे कुछ भी हो, एक कानून बना हुआ है कि आटोनामस है। उसके मालिक राज्यपाल महोदय हैं और इसकी अलग व्यवस्था है। आज हमारे यहां डिस्कशन कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, इस डिस्कशन का सार क्या निकलेगा? शिक्षा मंत्री कोई आदेश नहीं दे सकेंगे। असेम्बली कुछ कर नहीं सकेगी। पहले व्यवस्था ऐसी हुई है उसमें हमारे सारे डिस्कशन को राज्यपाल महोदय के पास भेज दिया गया था, यह यहां की व्यवस्था है तो इसके अन्दर क्या होगा? यह तो प्योरली लीगल मैटर है, इस लीगल मैटर पर यहां पर क्या अर्थ निकलेगा? लीगल इश्यू है, हमारी व्यवस्थाएं भी हैं यहां इसमें भी है कि कोई लीगल इश्यू डिस्कस नहीं हो। तो लीगल इश्यू के अन्दर ओपीनियन क्या होगी वो तो एडवोकेट जनरल देगा। तो यह ऐसा मामला है। वो तो यूनिवर्सिटी का काम है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एडवोकेट जनरल को बुला लेंगे, उनकी ओपीनियन ले लेंगे। शिक्षा मंत्री और राजस्थान सरकार इसमें कहां बीच में आएगी? एन्टीकरप्शन हो या कैसा भी हो या दूसरा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हो, इसमें राजस्थान सरकार कहीं नहीं आती। इसमें विधान सभा कुछ नहीं कर सकती और विधान सभा में इसको डिस्कस नहीं किया जाना चाहिये।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण प्रश्न मेरा है। जैसा आपने बताया बहुत इम्पार्टेण्ट बात है कि विधान सभा इसको डिस्कस नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश से हमें अजमेर विश्व-विद्यालय के बोर्ड आफ मैनेजमेंट में नियुक्त किया गया। आपके आदेश से, विधान सभा के आदेश से। बोर्ड आफ मैनेजमेंट की एक्ट में है कि हर तीन महीने में एक मीटिंग बुलाये, लेकिन साल भर में वाइस चांसलर ने एक भी मीटिंग नहीं बुलायी ऐसे में यह सदन कुछ नहीं करे?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप एग्जाम्पल मत दीजिये। उदाहरण आप मत दीजिये बोर्ड का और उसका। यह यूनिवर्सिटी जयपुर से सम्बन्ध रखने वाला प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, स्टेट्यूटरी पोजीशन यह है कि सिंडीकेट सक्षम है उस हद तक तो सैंक्शन सिंडीकेट को देनी चाहिये थी। करप्शन के केस में वाइस चांसलर ने सैंक्शन दी, रिपोर्टिंग आइटम था तो भी सिंडीकेट को यह चाहिये था कि उसको सैंक्शन देती। सिंडीकेट ने सैंक्शन नहीं दी और केस विथड्रावल के लिए लिख दिया। उस

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सिंडीकेट के अन्दर आपके नामिनी बैठते हैं as an Education Minister, was it not a call of duty for you, कि ऐसी सिंडीकेट को आप डिजोल्व करते, आर्डिनेंस लाते? सिंडीकेट जो करप्शन को प्रोटेक्ट करती है और क्षीण रहती है, उस सिंडीकेट को आपने चलने दिया तो मैं तो, माननीय जोशीजी, पूरी गलती आपकी मानता हूं। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मैं आपकी बात से सहमत हूं। I am very happy. मुझे बहुत खुशी है। मैं सदन को यह अवगत कराना चाहता हूं कि आप मुझे आथोराइज करें कि किसने सपोर्ट किया, किसने नहीं किया, वो बता देता हूं आपको, स्थिति क्लियर हो जायेगी।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय मंत्रीजी, एक सवाल मेरा भी पूछ लूं, साथ ही जवाब दे देना।

श्री सी. पी. जोशी : एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी हुई कि मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि सरकार को इसमें कांशस होना चाहिये। मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं गम्भीरता से कि जब अंजिली सक्सेना के प्रोसीक्यूशन के सम्बन्ध में सिंडीकेट में निर्णय करने की स्थिति आयी तो किन लोगों ने पक्ष में वोट दिया और किन ने विपक्ष में वोट दिया, वो भी जानकारी ले लें। सरकार के जो नामिनी हैं... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : वो मत बताइये आप।

श्री सी. पी. जोशी : जब सरकार कोई निर्णय करेगी तो क्यों नहीं बतायेंगे? कल हम करेंगे तो कहोगे कि इन्टरफियर कर रहे हैं। कल आप कहेंगे कि इन्टरफियर कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : बिलकुल बताना चाहिये। बताइये आप इस बात को। आप कैसे रोक सकते हैं बताने से उनको? बिलकुल बताना चाहिये इस बात को, बताइये आप।

श्री सी. पी. जोशी : बताना पड़ेगा। हम बताना चाहते हैं। हमारी मोरल ड्यूटी है, हम बताना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ...(व्यवधान) किसको बचाना चाहते हैं आप?

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से...(व्यवधान) वो उस बात को बतायें।

श्री सी. पी. जोशी : सुनिये आप। यह खाली प्रश्न करने से सम्बन्ध नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किसको बचाना चाहते हैं आप? ...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो सुनिये फिर। आपको भ्रष्टाचार रोकने में फिर तकलीफ क्या है? आप भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि 9 जून, 99 को ...

श्री रामस्वरूप : बताने दीजिये, आप क्यों रोकते हो बताने से? बताइये। आप इस तरह नहीं रोक सकते बताने से। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को बताने दो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंडीकेट का डिसीजन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप अंजिली के बारे में दे रहे हैं क्या?

श्री सी. पी. जोशी : जी, हां।

श्री अध्यक्ष : वह कैसे दे सकते हैं आप?

श्री सी. पी. जोशी : आप कह रहे हैं कि सिंडीकेट को सरकार ने भंग क्यों नहीं किया। हम भंग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमको मैनडेट दो। हम भंग करना चाहते हैं। किन लोगों ने भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट करने की बात की है उनके नाम सामने आने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। आधा घंटा हो गया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पुकारा था, मुझे इजाजत दी थी एक सवाल पूछने की। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक सवाल पूछने के लिए अलाउ किया था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : शिक्षा मंत्रीजी, आपकी कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है यदि यह सिंडीकेट का डिसीजन था।

श्री अध्यक्ष : मैं चाहता हूं कि आप कोआपरेट करें, एक घंटे में दो क्वेश्चन ही होंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इम्पार्टेण्ट क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : हर एम. एल. ए. जिसने प्रश्न पूछा है, वह अपने प्रश्न को इम्पार्टेण्ट मानता है।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : हर प्रश्न महत्वपूर्ण है, कोई कम नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, बात सिर्फ इतनी सी है। सिंडीकेट को किसने एप्रोच किया, किसने नहीं किया, यह प्रश्न नहीं है। सिंडीकेट का डिसीजन है तो बाई मैजोरिटी है।

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सिंडीकेट ने परमिशन दी या नहीं दी, इस विवाद में नहीं फंसें। कुलपति ने परमिशन दी, अपने अधिकार से दी या नहीं दी, इसके विवाद में नहीं पड़ें। लेकिन आपने अभी तक इस बात का खंडन नहीं किया कि जो आरोप लगे हैं वे आरोप ग़लत हैं। आपने इस बात का खंडन नहीं किया कि जो चालान किया गया वह गलत है। मैं आपसे केवल एक ही जानकारी करना चाहूंगा, क्या यूनिवर्सिटी एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है कि इस प्रकार के अपराध के मामले में यदि यूनिवर्सिटी की सारी व्यवस्था में कोई कमी रही है तो उस कमी की पूर्ति की जाए या चालान होने को वापस लेने की व्यवस्था की जाए?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि विपक्ष के नेता ने इस प्रश्न को उठाया है। मैंने इसके जवाब में कहा है, एक्ट के प्रोविजन के अन्तर्गत इन सब चीजों पर ध्यानआकर्षित करने के लिए हमने कहा है कि उपरोक्त प्रकरण माननीय कुलाधिपति के अवलोकनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु हमने भेज दिया है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के एक्ट में

(श्री सी. पी. जोशी)

इन्टरफियर करने का स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्रोविजन ही नहीं है। इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूं कि इस तरह की स्थितियां बनती हैं तो यूनिवर्सिटी के एक्ट में परिवर्तन किया जाना चाहिये। मैं आपका सहयोग चाहता हूं। आप इस बात के लिए एग्री करें कि यूनिवर्सिटी एक्ट में हम अमेंड कर सकें जिससे ऐसी स्थिति भविष्य में नहीं बने और भ्रष्टाचार के नाम पर सिंडीकेट अपना निर्णय कर ले, यह व्यवस्था नहीं बने। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बात से सहमत हैं तो आपकी पार्टी की तरफ से यह कहिये कि राजस्थान सरकार जो अमेंडमेंट लाये उस अमेंडमेंट को आप वैलकम करते हैं। हम सबसे पहले इस भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रोसीक्यूट करेंगे, हम इसको रोकने वाले आदमी नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका मतलब यह है कि आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है यूनिवर्सिटी एक्ट के अनुसार जिसमें आप चालान नहीं होने दें और गवर्नमेंट अपनी तरफ से इस भ्रष्टाचार के मामले को रोकने की कोशिश करे?

श्री सी. पी. जोशी : बिलकुल सही है। जब आप मुख्य मंत्री थे, जैसा अभी रामनारायणजी चौधरी ने कहा, आर. एन. सिंह जी का इश्यू पूरा डिबेट हुआ। वह स्थिति आपको खुद को मालूम है।

श्री अध्यक्ष : आप विवेचन मत कीजिये यहां, कमेंट्री नहीं। नैक्स्ट क्वेश्चन।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश को मानकर चारों बार बैठ गया तो इसका मतलब मैं रह गया?

श्री अध्यक्ष : अब कभी प्रश्न आएगा तो आपको अवसर मिलेगा। अब मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर दिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपने मुझे इजाजत दी मैं खड़ा हुआ, आपने फिर दूसरे को पुकारा मैं बैठ गया। आपने मुझे इजाजत दी थी, आपने ही मेरा नाम पहले पुकारा था। बाद में आपने कहा इनको बोल लेने दो तो इसके बाद मुझे सवाल पूछने की इजाजत देनी चाहिये थी आपको। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, आपने मुझे पहले अलाउ किया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप डा. अंजिली सक्सेना को उसके पद से हटाना चाहते हो या नहीं चाहते हो, यह तो बता दो?

खेल परिषद् के गठन में मानदण्ड की अनुपालना

66. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में खेल परिषद् का गठन किया जा चुका है ? यदि हां, तो इसके कौन-कौन सदस्य हैं? नामों की सूची मय पदाधिकारियों के सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य खेल परिषद् में जो सदस्य मनोनीत किये जाते हैं उनका क्या मानदण्ड है और किस योग्यता के आधार पर किया जाता है? प्रत्येक सदस्य की योग्यता दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में जो सदस्य मनोनीत किये हैं उन्होंने खेल जगत में किस-किस स्तर पर अपना योगदान दिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री दिग्विजय सिंह)

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान खेल परिषद् का गठन सदस्यों के पिछले खेल अनुभव के आधार पर नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(5) उक्त सदस्यों में से ऐसे कितने सदस्य हैं जो खेलों के प्रति रुचि रखते हैं और अपने शैक्षणिक या इसके बाद भी शैक्षणिक, राज्य स्तर, राष्ट्र स्तर, अन्तरराष्ट्रीय खेलों में भाग लिया हो? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा एवं खेलकूद (मास्टर भंवरलाल मेघवाल) : (1) जी, हां। क्रीड़ा परिषद् के पदाधिकारियों/सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट-क)

(2) क्रीड़ा परिषद् में सदस्यों को मनोनीत करने के कोई मानदण्ड/योग्यता निर्धारित नहीं है किन्तु परिषद् में मनोनयन के समय खेल जगत में दिये गये उनके योगदान तथा भविष्य में उनके द्वारा दिये जाने वाले योगदान की सम्भावनाओं को ध्यान में रखा जाता है। वर्तमान में गठित परिषद् के मनोनीत गैर-सरकारी सदस्यों की योग्यता दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट-ख)

(3) परिषद् के मनोनीत गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा खेल जगत में दिये गये योगदान का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-ख)

(4) जी, नहीं।

(5) क्रीड़ा परिषद् में मनोनीत सभी गैर-सरकारी सदस्य एवं पदाधिकारी खेलों में रुचि रखते हैं। परिषद् के सदस्यों द्वारा अर्जित शैक्षणिक योग्यता तथा राज्य स्तर, राष्ट्र स्तर एवं अन्तरराष्ट्रीय खेलों में भाग लेने का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-ख)

(सूची व विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा, आपने जो यह स्वीकार कर लिया कि आप क्रीड़ा परिषद् में जो सदस्य मनोनीत करते हैं उनके कोई मापदण्ड नहीं हैं, तो क्रीड़ा परिषद् का गठन आप करते हो उसका आधार क्या है? उसमें खेल जगत वाले का कोई योगदान है या नहीं? किसी ने पैसे दे दिये तो आपने उसको मैम्बर बना दिया। वह खिलाड़ी है या नहीं है, खेल जगत में भी कुछ काम करता है या नहीं करता है? आपने कहा कि कोई मापदण्ड ही नहीं है तो फिर किस आधार पर किया जाता है?

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानना चाहूंगा, आपने यह कहा कि जी, नहीं तो फिर किस प्रकार किया गया? आप सब जगह कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। उक्त सदस्यों को जिनको आपने मनोनीत किया है, जो अनुभव आपने उनका बताया है जहां तक इस सूची में है आपके 15 में से केवल 2 को ही इस प्रकार का अनुभव है जो खेल जगत में रुचि रखते हैं। 13 मैम्बर ऐसे हैं जिनको कोई अनुभव नहीं है। किसी के लिए तो आपने कहा कि घुड़सवारी में उसने प्रदर्शन किया है इसलिए उसको मैम्बर बना दिया, सचिव बना दिया। किसी ने खेल का आयोजन किया इस वजह से उसको अनुभव है और किसी ने रैफरी की परीक्षा पास कर ली इसलिए अनुभव है। मेरा सीधा प्रश्न है कि खेल परिषद् का जो आप

(श्री दिग्विजय सिंह)

गठन करते हो, आखिर उसके पीछे उद्देश्य क्या है? अगर खेलों में भी आप राजनीति करोगे तो आज जो खेल जगत में खेलों का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है उसका मुख्य कारण ही यह है कि खेलों में भी राजनीतिकरण हो रहा है। मंत्री महोदय, जब कभी भी इसका पुनर्गठन हो या आप करने जायें तो यह तो मापदण्ड रखें कि खेल परिषद् में अनुभवी व्यक्ति ही हों। मुझे मालूम है आज के 10-15 साल पहले जब खेल परिषद् थी उसमें उन लोगों का चयन किया गया था जो खेल जगत में किसी स्तर तक पहुंचे हुये थे, या तो वे स्टेट लेवल पर चैम्पियन रहे हों या राष्ट्रीय स्तर पर रहे हों। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं देख लें इस सूची को तो आपको खुद को मालूम पड़ जायेगा कि किस प्रकार का चयन है और किस प्रकार का गठन है। जिनका खेलों से कोई सम्बन्ध ही नहीं है किसी स्तर पर। क्या, मंत्री महोदय, यह बतायेंगे, जो आपने कहा कि खेल परिषद् में कोई मापदण्ड नहीं है तो क्या भविष्य में इस खेल परिषद् का गठन करते समय मापदण्ड रखने का कोई विचार सरकार रखती है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान क्रीड़ा परिषद् का गठन 1957 में हुआ था और उस समय से अभी तक इस परिषद् का कोई एक्ट नहीं बना, केवल मैमोरेण्डम बना हुआ है। इसलिए आपने जो प्रश्न किया है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि इसमें राजनीति की कोई बात हमने नहीं रखी है। जब से इसका गठन हुआ है इसमें 15 सदस्यों की नियुक्ति होती आई है। अभी इसमें जिन 15 सदस्यों का चयन किया गया है मैंने परिशिष्ट "क" और "ख" में लिखा है। आपने कहा कि योग्यता ही नहीं रख रहे हैं। तब मैंने लिख कर दिया है कि कोई राज्य स्तर पर खेला है, कोई राष्ट्रीय स्तर पर खेला है। उसमें 1-2 मैम्बर ऐसे हो सकते हैं जो राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खेले हैं। लेकिन मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान का खेल विभाग, राजस्थान की सरकार अब सम्बन्ध में नया एक्ट और नये इसके नियम और अधिनियम बनाने जा रही है भविष्य के लिए। जैसा आप कह रहे हैं मापदण्ड ही नहीं हैं, पहले भी ऐसी परम्परा रही है कि मापदण्ड ही नहीं थे। इसलिए उस परम्परा के आधार पर ही हमने खेल परिषद् का गठन किया है। अगर राजस्थान में एक्ट बन जायेगा, नियम और अधिनियम बन जाएगा तो उसके मुताबिक फिर खेल परिषद् का गठन किया जायेगा।

श्री रामस्वरूप : नाम बताइये 15 आदमी कौन हैं। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय मंत्री महोदय का मैं इस सोच के लिए स्वागत करता हूं। यह बता दें कि आप ये मापदण्ड और नियम कब तक बना देंगे? आपका जो बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होगा उसके पहले बना देंगे या फिर चलता रहेगा, फिर आप दुबारा गठन कर दोगे? (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी जो क्रीड़ा परिषद् का गठन किया गया है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति को करीब सवा दो साल हुए हैं और बाकी सदस्यों की

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

नियुक्ति को करीब छह महीने हुए हैं। तीन साल का इसका कार्यकाल होता है, अध्यक्ष की नियुक्ति तीन साल के लिए होती है, परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति भी तीन साल के लिए होती है। तीन साल पूरे होने के बाद जब नयी परिषद् का गठन किया जाएगा तो निश्चित तौर से उसके पहले कुछ न कुछ कार्यवाही करने की चेष्टा की जाएगी। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय मंत्रीजी... (व्यवधान) आप चतुराई से बात को मत टालिए। आप चतुराई से बात को टाल रहे हैं। मेरा तो स्पेसिफिक साफ क्वेश्चन है कि आपकी अवधि दिसम्बर में, 6 महीने... (व्यवधान) खतम हो रही है, मैं चाहता हूं, क्या समाप्त होने से पहले आप नियम और मापदण्डों का कुछ न कुछ निर्णय कर लेंगे? या उसको भी आप... (व्यवधान) रोक देंगे और बाद में कह देंगे कि नियुक्ति कर दी?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा निवेदन किया अभी राजस्थान क्रीड़ा परिषद् के गठन को सवा दो साल हुए हैं, 9 माह का समय अभी इस परिषद् का बकाया है। इस 9 माह के समय में राजस्थान की क्रीड़ा परिषद्, क्योंकि इसका अलग प्रकार से मैमोरेण्डम है और इसका सोसायटी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें इस प्रावधान को डालकर नया एक्ट और नया नियम बनाने के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं क्योंकि यह सारा का सारा उस मैमोरेण्डम के मुताबिक उन्हीं को करना पड़ता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 9 महीने में इसको करने की चेष्टा की जाएगी।

श्री दिग्विजय सिंह : नया जो गठन करोगे वह तो पहले कर दोगे। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) **:** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, अभी क्रीड़ा परिषद् के गठन के लिए कोई मापदण्ड भी नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, क्या राज्य सरकार ने राजस्थान में खिलाड़ियों को और खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए, उसके प्रमोशन के लिए कोई खेल नीति भी बना रखी है? अगर है, तो उस खेल नीति के हिसाब से क्या राजस्थान में खेलों के विकास की तरफ काम हो रहा है? यदि नहीं तो क्या खेल नीति भी बनाने का कोई इरादा रखते हैं या नहीं रखते?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में खेल के विकास के लिए, खेल नीति बनाने के लिए खेल विभाग ने और सरकार ने 8 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया हुआ है। उस कमेटी की रिपोर्ट अभी हमारे विभाग में आई है। उस खेल नीति को शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग और खेल विभाग तीनों मिलकर देखेंगे। उसके बाद तब खेल नीति तैयार हो जाएगी तब केबिनेट के सामने रखकर राजस्थान में खेल नीति पेश कर देंगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) **:** तब तक आपका खेल खतम हो जाएगा। आपका राज चला जाएगा, तब तक आपका खेल खतम हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : एक भी खिलाड़ी न तो राष्ट्रीय स्तर का और न अन्तरराष्ट्रीय स्तर का पैदा कर सके। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : मंत्रीजी, एक भी खिलाड़ी राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का गया है क्या, बताइये?

श्री ललित भाटी : एशियाड-82 के बाद में राजस्थान ने ऐसा कोई खिलाड़ी पैदा नहीं किया जिसके ऊपर राजस्थान को गौरव हो। राजस्थान सरकार तब से लेकर क्रीड़ा परिषदों... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : इन्होंने तो नामीनेशन में रहकर ही सीमित खिलाड़ी पैदा किये हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से निवेदन है, यह बताएं कि कितने मैम्बर हैं? इसके अन्दर कौन-कौन मैम्बर हैं, उनके नाम बताइये? हमने भी नाम भिजवाये थे, क्यों नहीं आये उनके नाम? इतने अच्छे खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है, उनके नाम इसमें क्यों नहीं हैं? नाम बताइये कि कौन-कौन इसमें मैम्बर हैं? और आगे आप गलत मैम्बर हैं उनको हटाने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं? कृपया मेहरबानी करके बताइये। (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राजस्थान में खेलों का विकास कम हुआ है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि खेल नीति का प्रारूप तैयार हो रहा है, ज्योंही खेल नीति का प्रारूप तैयार हो जाएगा, राजस्थान में खेलों का अच्छा वातावरण बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कृपया आप नाम बताइये, किस-किस को ले रखा है? सदन के सामने रखिये किस-किसके नाम हैं? आप नाम क्यों छिपा रहे हैं? इसके अन्दर किस-किसके नाम हैं, मेहरबानी करके बताइये? जो गलत नाम हैं उनको आप कब तक हटा रहे हैं? हमने हमारे नाम दिये वे क्यों नहीं आये?(व्यवधान)

श्री ललित भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, खेल मंत्री महोदय सदन को यह बताएं कि कब तक खेल नीति बना दी जाएगी? (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बात कही है कि हम दूसरा जब लाएंगे उसके अन्दर इस बात का मापदण्ड भी रखेंगे, मुझे यह विश्वास है कि अगले गठन के पहले आप सभी प्रक्रिया पूरी करके उसके अनुसार ही उनका नामीनेशन करेंगे। इसमें मेरे खयाल से कई तो यही नहीं जानते होंगे कि कौनसे खेल में पोपिंग क्रीज होती है। आप बता दें कौनसे खेल में पोपिंग क्रीज होती है? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप पूरे सदन के सामने मैम्बर्स के नाम रखें, आप नामों को क्यों छिपा रहे हैं? (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : आपने गठन के सम्बन्ध में कहा कि अगला गठन जो 9 महीने बाद होने जाएगा उससे पहले क्या इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, मैं सदन को आश्वस्त करता

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

चाहता हूं। चूंकि राजस्थान क्रीड़ा परिषद् 1957 में बनी थी और 1962 के अन्दर इसका रजिस्ट्रेशन सोसायटी एक्ट के तहत हुआ था, उसके बाद में उसी के आधार पर कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपको बीच में टोक रहा हूं... (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : मैं उसी पर आ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : सोसायटी एक्ट आपके कहीं भी रोक नहीं लगाता, आप उसके अन्दर मापदण्ड... (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : मैं आपके क्वेश्चन पर आ रहा हूं। उसी के आधार पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले गठन से पहले कौंसिल के नियम और अधिनियम बनाने की कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : मंत्री महोदय, इसके साथ–साथ ही आप सदन के अन्दर आश्वासन दे देवें कि कब तलक खेल नीति राजस्थान प्रदेश को दे देंगे? (व्यवधान)

मास्टर भंवरलाल मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि खेल नीति का प्रारूप तैयार हो चुका है और हमारे पांच सदस्य जो कमेटी में हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उस रिपोर्ट को शिक्षा विभाग और खेल विभाग दोनों मिलकर जब तक फाइनल नहीं करेंगे तब तक उसको फाइनालाइज नहीं किया जा सकता। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत जल्दी खेल नीति... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय, आप टाइम बाउण्ड तो कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, कौन-कौन मैम्बर हैं, नाम तो बताइये? सदन के सामने मैम्बर्स के नाम क्यों नहीं रखना चाहते? सदन को तो पता लगे कि कौन-कौन मैम्बर हैं? हमारे नाम क्यों नहीं जोड़े गये? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : प्रश्न संख्या 67.

श्री रामस्वरूप : राजनीति का खेल खेलते हैं। (व्यवधान) बिलकुल हम राजनीति का खेल खेलते हैं। सारे खेल हम खेलते हैं। हमारे पास अच्छे-अच्छे सर्टिफिकेट हैं। (व्यवधान) इस तरह सर्टिफिकेट को नहीं देखा जाता, न योग्यता देखी जाती है। आप ईमानदार मंत्री हैं, आप योग्यता के आधार पर लीजिए, उसमें हमारा नाम भी निश्चित है। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल में पालिटिक्स नाम की कोई गेम नहीं है इसलिए आपका नाम नहीं आया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। प्रो. सांवर लाल।

विधान सभा क्षेत्र भिनाय में प्रशासन गांवों के संग अभियान में निस्तारण प्रकरण

67. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सांवर लाल)

(1) क्या राज्य सरकार ने प्रशासन गांवों के संग अभियान वर्ष 2001 चालू किया है? यदि हां, तो कब से कब तक?

(2) क्या पंचायत मुख्यालयों पर जाकर अधिकारी/कर्मचारी समस्याओं का समाधान करेंगे? यदि हां, तो किस-किस प्रकार की समस्याओं का मौके पर निपटारा किया जाएगा?

(3) क्या उक्त अभियान में वही कार्य हाथ में लिये हैं जो सामान्यतः प्रशासन को रोजमर्रा में करने हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौनसे कार्य हैं जो उक्त अभियान के अलावा प्रशासन अपने स्तर पर कार्यालयों में नहीं कर सकते?

(4) क्या उक्त कारण से राज्य सरकार के खर्चे में बढ़ोतरी हुई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी?

(5) क्या विधान सभा क्षेत्र भिनाय में भी अभियान चालू है? यदि हां, तो कब तक कहां-कहां उक्त अभियान चला कर कौन-कौनसी शिकायतें/प्रकरण निपटारे हेतु प्रस्तुत किये गये और क्या-क्या कार्य हुआ?

राजस्व मंत्री (डा.(श्रीमती) कमला) : (1) जी हां, प्रशासन गांव के संग अभियान की अवधि 2.10.2001 से 31.12.2001 तक निर्धारित की है। लोक सभा उप चुनाव के कारण जिला कलक्टर, टौंक की अभिशंसानुसार अभियान अवधि 1.11.2001 से 31.1.2001 निर्धारित की है। विधान सभा सत्र को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 5.11.2001 से 24.11.2001 तक पंचायत स्तरीय शिविरों का आयोजन स्थगित किया जाकर अभियान अवधि को 31 दिसम्बर, 2001 के पश्चात् 1 जनवरी, 2002 से 10 जनवरी, 2002 तक के लिए बढ़ाया गया है।

(2) जी हां, अभियान अवधि में सम्पन्न किये जाने वाले मुख्य-मुख्य कार्यों का विवरण (परिशिष्ट-1) सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी हां, राजस्व विभाग एवं अन्य 16 विभाग जिन्हें अभियान में सम्मिलित किया गया है, के द्वारा सामान्यतया शिविरों में सम्पन्न किये जाने वाले कार्य नियमित रूप से सम्पादित किये जाते हैं। कृषि भूमि के आबंटन एवं नियमन का कार्य जिस ग्राम में भूमि स्थित है, उसी ग्राम में आबंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जाकर मौके पर ही कार्य किया जाता है, जिसे विशेष रूप से प्रशासन गांव के संग अभियान में शामिल किया गया है। आम नागरिकगण की सुविधा के लिए प्रशासन उनके बीच जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहा है।

(4) जी हां, राज्य सरकार द्वारा राजस्व मण्डल को फिलहाल अतिरिक्त रूप से 90 लाख रुपये का बजट प्रावधान अभियान सम्पादन हेतु किया गया है।

(5) जी हां। दिनांक 31.10.2001 तक धातोल, लामगरा, केबानिया, छछुन्दरा, नान्दसी, सातोलव, करांटी, डबरेला, सोबडी, टाटोटी, कुम्हारिया, चापानेरी, शौकलिया, सिंधावल एवं खीरिया ग्राम पंचायतों के शिविरों में किये गये कार्यों का विवरण (परिशिष्ट-2) सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विववण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने एक अभियान चलाया, प्रशासन गांवों के संग। माननीय मंत्री महोदया, आपने यह चालू नहीं किया उससे पहले आपका प्रशासन किसके संग था? पहला सवाल तो यह है मेरा।

नम्बर दो, आपने यह लम्बा-चौड़ा प्रोग्राम दिया कि हम यह करेंगे और वह करेंगे। राजस्व विभाग ने एक परिपत्र पहले भी जारी किया था कि यहां पर नामान्तरण इतने दिन में खुल जाएगा, यह काम इतने दिन में हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा जो कार्य हुए, नामान्तरण के हुए, अब इसमें से आप मुझे यह बताइये कि जो नियमित रूप से नियम के अनुसार, आपके कानून-कायदे के हिसाब से नामान्तरण हो जाने चाहिए थे वे कितने नहीं हुए जिनको शिविर में करना पड़ा? जो काम आपको नियमित रूप से करने हैं, प्रशासनिक अधिकारियों पर पैसा लगाकर, सारे गाड़ी-घोड़ों को भेजकर तेल जलाते हो और वहां से करवाते हो, इसका मतलब आपकी सरकार का नियंत्रण अधिकारियों पर नहीं है और वहां गांव वाले दुःख पाते हैं। इन शिविरों में आप फिजूलखर्ची करते हैं, मेरा यह आरोप है। अब 90 लाख रुपये आपने दिये हैं, इन 90 लाख रुपये का राजस्व विभाग किस प्रकार खर्च करेगा?

दूसरा, आपने कहा 16 डिपार्टमेंट इसके साथ हैं, तो 16 डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, इसकी जानकारी आप ही देंगे या दूसरे मंत्री देंगे, यह भी हमको बता दीजिएगा? मैं भी गया हूं कई शिविरों में, नामान्तरण के अलावा कोई काम नहीं होता है। पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी विराजमान होंगे, वहां कहते हैं सड़कों पर खड्डे हो रहे हैं, वहां पर अधिकारी कहते हैं कि एक रुपया हमारे पास नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हैण्ड पम्प की बात करते हैं तो ठीक कर देंगे, आज नहीं तो कल कर देंगे। इसी प्रकार इर्रिगेशन डिपार्टमेंट के तालाब टूटे हुए हैं, उनके बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि बजट नहीं है। तो मेरा आपसे यह निवेदन है कि ये 16 डिपार्टमेंट नियमित रूप से जो काम करने वाले हैं वे कार्य नहीं करके राजस्थान की जनता के ऊपर भार डाल रहे हैं। आज कोई भी आदमी जाता है तो कार्यालय में अधिकारी नहीं मिलते हैं। कहते हैं, साहब प्रशासन गांवों के संग, और वहां जाकर देखते हैं, बैठते हैं तो कोई काम नहीं होता है। रुटीन के वर्क नहीं हुए, उनकी जिम्मेदारी आपने तय की या नहीं की? मेरा सीधा-सा सवाल यह है कि जो काम नियमानुसार निश्चित अवधि में उनको करना है, वह काम अगर शिविर में हो रहा है तो अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी इसमें कोई निर्देश नहीं दिया। अगर ऐसा कोई कार्य जो कर रहा होता है, करना चाहिए था और नहीं किया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे। इन सबका जवाब आप दीजिएगा।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को जिन 16 विभागों का विवरण दिया गया है उनकी उपलब्धियां भी हैं और सभी विभागों के किसी के कम, किसी के ज्यादा काम इन शिविरों में सम्पादित हुए हैं। आपने जो बात उठाई कि नियमित रूप से जो काम करना चाहिए था वह इन्होंने नहीं किया, यह बात सही है कि शिविर की या अभियान की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्रशासन को नित्य प्रति, साल-दर-साल अपने उन सब कामों को निष्पादित करते रहने चाहिए जो उनके द्वारा

(डा. (श्रीमती) कमला)

किये जाने हैं। लेकिन फिर भी कभी-कभी किन्हीं कारणों से अगर कोई काम नहीं हो पाते हैं तो आम आदमी को काफी समस्याएं हो जाती हैं, तकलीफ हो जाती है। काफी लम्बे समय से हमारे राज्य में एक यह परम्परा बनी हुई है कि हम कभी-कभी बीच में शिविर रखते हैं। आपके शासनकाल में भी रखा गया था, समस्या समाधान शिविर, उससे पहले भी रखा गया था और अब भी रखा गया है, क्योंकि नित्य प्रति काम होते रहते हैं फिर भी बहुत से काम छूट जाते हैं, लोगों को समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए इन कामों के लिए शिविर आयोजित किया गया है। यह बात सही है, मैंने खुद ने अपने अधिकारियों को भी कहा है और लिखित में भी उन्हें निर्देश दिया है कि जो कार्य आपको रोजना करने चाहिए थे वे चूंकि आपने नहीं किये इसलिए इतने मामले लम्बित हुए, तो आप अभी शिविरों में काम करके ज्यादा से ज्यादा मामले निपटाएं। इसके लिए तो हम उनको जरूरी तौर पर धन्यवाद देंगे, लेकिन यह भी उन्हें अपने आप में सोचने की जरूरत है कि इतने काम लम्बित क्यों हुए। क्योंकि अधीनस्थ अधिकारियों ने या उन्होंने अपने कामों के निष्पादन में किसी न किसी कारण से सुस्ती बरती, लापरवाही बरती। वह भी उन्हें अपने ध्यान में रखने की जरूरत है। अब इस तरह के अभियान की आवश्यकता नहीं पड़े, इस तरह से इस अभियान में वे काम करें और इसके बाद निरन्तर प्रतिदिन अपने इन कामों के प्रति गंभीरता से लगें, जनता को आश्वासन दें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न का लाभ उठाते हुए सभी माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहूंगी। मैं पत्र भी लिख रही हूं कि आपने अभी तक अभियान के दौरान जो अपने अनुभव पाये हैं, उसमें जो आपको कार्यों के निष्पादन में कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई नियमों में विसंगति है या कानून में कोई परिवर्तन की आवश्यकता है या परिपत्र जारी किये हुये हैं उनसे पूरा समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप हमें आवश्यक रूप से बताएंगे, लिखकर भेजेंगे जिससे कि यह 2 महीने का और कार्यकाल इन शिविरों का है उसको हम सचमुच में उपयोगी बना सकें। बहुत सारे सर्कुलर्स हमने इस दौरान जारी किये हैं जहां कलक्टर्स ने या जनप्रतिनिधियों ने कोई अपनी आशंकाएं प्रकट की हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदया, मैं माफी चाहूंगा, सर्कूलर तो आपने बहुत जारी किये हैं परन्तु सर्कूलर के साथ बजट जारी नहीं किया आपने 16 विभागों में पी.एच.ई.डी. और आर.एस.ई.बी. इन दोनों विभागों के बहुत-से काम लिखे हैं कि पाइप लाइन बदलेंगे, जी.एल. आर. से जोड़ेंगे। (व्यवधान) पैसा कहां दिया आपने?

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप बिना अनुमति के नहीं बोल सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा सवाल यह है कि आपने इसमें बजट कहां दिया है?

श्री अध्यक्ष : नहीं, अभी आपको टाइम मिल जाएगा, आप ठहरिये। (व्यवधान) श्री रामस्वरूप मीणा।

डा. (श्रीमती) कमला : वर्तमान बजट प्रावधानों के अन्तर्गत जो विभाग जितना कार्य कर सकेगा उसके लिए ही निर्धारित है यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अलग से कोई बजट नहीं है ना?

श्री सांवर लाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया की मंशा ठीक है कि समस्याओं के निपटारे के लिए और जो काम पैंडिंग हैं उन्हें करवाने के लिए आपने शिविर रखे हैं। मेरी जो मंशा है, मैं यह चाहता हूं कि आप किसानों की हितैषी रही हैं, आप कम से कम इस प्रकार का आश्वासन तो दें कि जो काम जिनको करना चाहिए था, उन्होंने अगर नहीं किया और वे काम शिविर में हो रहे हैं तो ऐसे एक-दो अधिकारियों और कर्मचारियों को राजस्थान में सबक सिखाएं तो आगे तो व्यवस्था ठीक हो। आपके विभाग के अलावा वे डाक्टर साहब बैठे हैं, ये कह रहे हैं ढीले तारों को हम ठीक करेंगे। अब आप बताइये कि ढीले तारों को भी अगर अभियान में ठीक करेंगे और इस दौरान अलग लोग-बाग मर गये तो, डाक्टर साहब, उसके लिए क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है मंत्री महोदयाजी से कि आप इस अभियान को पुन: कब चालू कर रही हैं? (व्यवधान) इस अभियान से सबसे ज्यादा फायदा छात्रों को हुआ है। छात्रों के सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, चार-चार सौ प्रमाण-पत्र एक-एक जगह मिले हैं। मैं विधायक हूं, मैं सब जगह शिविरों में गया हूं और जहां विधायक शिविर में जाता है तो सबसे ज्यादा काम होते हैं। दूसरे हमारे यहां बिजली के ट्रांसफार्मर दिये गये हैं। (व्यवधान)

मोहम्मंद माहिर आजाद : एक में भी नहीं गये हैं, एक में भी नहीं गये हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सरकार की तरफ से, अध्यक्ष महोदय, जवाब ये दे दें फिर। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, जो विधायक नहीं गये उनके काम नहीं हुए। जो गया है उसके काम हुये हैं। (व्यवधान) सब जगह यह हाल है। सब जगह अभियान की तारीफ हो रही है, इसलिए, मंत्री महोदया, आप इस अभियान को पुन: चालू करें। यह अभियान बहुत अच्छा अभियान है, इससे हमारी सरकार की छवि बनी है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। (व्यवधान) प्रशासन गांवों के संग में और लोग गये... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, बैठिये, रामस्वरूपजी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उन्होंने जो गलत काम किये हैं... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : इससे छात्रों को फायदा हुआ है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपने कहा कि राजस्व विभाग में 90 लाख रुपये दिये। (व्यवधान) आपने अपने विभाग को इस शिविर के लिए 90 लाख रुपये दिये उसका उपयोग वे क्या करेंगे? इसके अलावा ये जो 16 विभाग हैं जिसमें ऊर्जा विभाग भी है... (व्यवधान) इर्रिगेशन है... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक भी काम नहीं हो रहा है, एक भी... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बहुत अच्छे काम हो रहे हैं... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : प्रशासन गांवों के संग में कोई काम नहीं हो रहा है... (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : प्रशासन गांवों के संग में गांवों में पहुंचकर गांवों के अन्दर रिश्वत ले रहे हैं और... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप क्यों बैठे थे वहां? (व्यवधान) आप वहां बैठे थे, रिश्वत दे दी। हमारे यहां कोई रिश्वत नहीं ली... (व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह कटु सत्य कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कोई कार्यवाही नहीं कर रही है सरकार। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह कह रहे हैं कि गांवों में काम नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : पाली जिले में महत्वपूर्ण काम रुके हुए हैं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। पाली में भी काम हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जवाब तो दिलवाइये आप।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय राजस्व मंत्री महोदय, पाली जिले में... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : प्रशासन गांवों के संग है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : प्रशासन गांवों के संग बहुत अच्छा अभियान है। सारे राजस्थान में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। प्रश्नकाल समाप्त।

श्री रामस्वरूप : सारे राजस्थान में आबंटन हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पुन: चालू कराएं आप इस अभियान को। जल्दी से जल्दी चालू करवाओ, बहुत अच्छा अभियान है। (व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : बोलो, साहब, बोलो।

श्री हीरासिंह चौहान : पाली जिले में न तो भूमि का आबंटन हुआ है...

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंहजी, श्री रामस्वरूप जी।

श्री हीरासिंह चौहान : पाली जिले में न तो भूमि का आबंटन हुआ है और न भूमि का रेगुलराइजेशन हुआ है और पंचायतों की आबादी बढ़ाई गयी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप बीच में... (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : न किसी प्रकार से बच्चों को कोई नौकरी दी गयी है और आप... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऐसे कैसे बरदाश्त करेंगे? प्रश्नकाल ओवर।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सवाल से... (व्यवधान) मेरा निवेदन है कि पाली जिले में भूमि के आबंटन, भूमि के रेगुलराइजेशन में कोई... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था दे रहा हूं मैं। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री हीरासिंह चौहान : और भूमि सम्बन्धी कोई काम पाली जिले में इन शिविरों में नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : Please take your seat.

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी कहा था, प्रशासन गांवों के संग और... (व्यवधान) काम हो गया भंग, बजाय यह चंग और हो गये मंद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Doctorate conferred on you. मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि... (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : प्रशासन गांवों के संग, पैसे लिये जा रहे हैं और लूटा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर।

श्री केसाराम चौधरी : प्रशासन गांवों के संग जाकर गरीब जनता को लूट रहे हैं। उसकी शिकायत भी हुई थी। देसूरी तहसीलदार ने पैसे लिये हैं, साहब, फार्मों के, प्रशासन गांवों के संग में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : केसारामजी, आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप : पैसे ले लिये +++ क्यों बैठे थे फिर आप वहां पर? जब आपकी मौजूदगी में पैसे ले लिये तो क्या काम था आपका वहां पर? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : (व्यवधान) प्रशासन को इसलिए बैठाया गांवों में कि आप लूटो जनता को? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कोई पैसा नहीं लिया। नहीं लूटा।

श्री केसाराम चौधरी : वहां पर शिकायत हुई है। (व्यवधान) एस. पी. और डीवाई. एस. पी. के सामने... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमारा इतिहास नहीं है लूटने का। एक भी इतिहास नहीं है लूटने का। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : मैं भी वहां रहा हूं, बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है। केवल वदनाम करने की मंशा है इनकी।

श्री केसाराम चौधरी : देसूरी तहसील के तहसीलदार के खिलाफ शिकायत हुई है या नहीं हुई है?

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है।

श्री रामस्वरूप : आपने दिये हैं क्या वहां जाकर? ईमानदारी से काम हुआ है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : आकंठ डूबा हुआ था प्रशासन, पूरा प्रशासन। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह बहुत अच्छा अभियान है।

श्री केसाराम चौधरी : विद्यार्थियों से तीन-तीन रुपये लिये गये हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैं रहा हूं पूरे अभियान के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप : दो-दो तहसीलों में रहा हूं, ईमानदारी से काम हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। अगर आप नहीं बैठेंगे तो मुझे... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वैरी गुड, शाबाश, साहब।

श्री अध्यक्ष : मुझे एक-दो को, किसी न किसी को काल जरूर करना पड़ेगा। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम भी आपके साथ रहेंगे।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर के सिनेमाघरों से प्राप्त मनोरंजन कर

125. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर के सिनेमाघरों से प्रतिवर्ष मनोरंजन कर की कितनी राशि प्राप्त होती है? गत पांच वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में सरकार द्वारा मनोरंजन कर की कितनी राशि जयपुर नगर निगम को दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने मनोरंजन कर की हिस्सा राशि देने की कोई नीति बना रखी है? यदि हां, तो उक्त नीति कब बनाई गयी थी? क्या सरकार इसका पुनर्निर्धारण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार द्वारा समय-समय पर सिनेमाघरों का निरीक्षण कर दर्शकों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी की जाती है? यदि हां, तो जयपुर शहर में गत तीन वर्षों में कितने सिनेमाघरों का निरीक्षण किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर के सिनेमाघरों से गत पांच वर्षों में प्राप्त मनोरंजन कर की राशि निम्न प्रकार है :-

वर्ष	राशि (लाख में)
1995-96	783.69
1996-97	852.41

(वित्त मंत्री)

1997-98	949.53
1998-99	1001.55
1999-2000	1129.57
2000-2001	1024.20

(2) विभाग द्वारा गत पांच वर्षों में निम्न विवरण अनुसार मनोरंजन कर की एवज में क्षतिपूर्ति राशि नगर निगम को हस्तान्तरित की गयी है :-

वर्ष	हस्ता. राशि
1996-97	609328
1997-98	1827984
1998-99	42620499
1999-2000	शून्य
2000-2001	शून्य

(3) वर्ष 96-97 तक मनोरंजन की हिस्सा राशि प्रतिवर्ष रुपये 17.78 लाख स्थानीय निकायों को दी जाती थी। बजट अभिभाषण 97-98 की क्रियान्विति में वर्ष 97-98 में हिस्सा राशि पूर्व में मनोरंजन कर प्राप्त कर रही स्थानीय निकायों को तीन गुणा एवं शेष को उनके क्षेत्र से प्राप्त मनोरंजन कर राशि का 25 प्रतिशत हस्तान्तरित किया गया है। वर्ष 1998-99 में स्थानीय निकायों को मनोरंजन कर की 50 प्रतिशत हिस्सा राशि हस्तान्तरित की गयी है।

(4) जी, हां। गत तीन वर्षों में जयपुर शहर में 18 सिनेमाघरों का निरीक्षण किया गया है। विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

स्टेट गेस्ट हाउस चाणक्यपुरी, दिल्ली का आय-व्यय

126. श्री अमराराम (धोद) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

स्टेट गेस्ट हाउस चाणक्यपुरी, दिल्ली में उद्घाटन के बाद अब तक कितना व्यय हुआ तथा आमदनी क्या रही? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

इस गेस्ट हाउस में उद्घाटन के बाद अब तक कुल 9,40,091 रुपये का व्यय हुआ तथा 6,88,103 रुपये की आमदनी राजकोष में जमा करवायी जा चुकी है व उक्त अवधि की सार्वजनिक उपक्रमों को स्थायी रूप से आबंटित कमरों के पेटे 2,56,000 रुपये की आय प्राप्त होना अपेक्षित है।

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से सार्वजनिक स्थलों का नामकरण

127. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी, शहीद सैनिकों व महापुरुषों के नाम सार्वजनिक सड़क, चौराहे, विद्यालय, चिकित्सालय का नामकरण करने के प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों से अपने पत्र क्र. अ. शा.प. 4(6) रा.प्र./6/99 दिनांक 2 अगस्त, 2000 के माध्यम से मांगे थे? यदि हां, तो कितने प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए व प्रस्ताव अनुसार कितने चौराहों, सार्वजनिक

(श्री जसवन्त सिंह)

सड़कों, विद्यालय व चिकित्सालय का नाम स्वतंत्रता सेनानी व शहीदों के नाम से किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला धौलपुर के विधान सभा क्षेत्र बाड़ी अन्तर्गत स्वतंत्रता सेनानी श्री तुलाराम पुत्र श्री जगराम, श्री चंदन सिंह पुत्र श्री वेताल सिंह, श्री मजबूत सिंह उर्फ मंगल सिंह के नाम से सड़क, चौराहा व विद्यालय, चिकित्सालय के प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकार को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी?

(3) उक्त जिले में सरकारी रिकार्ड के अनुसार कितने स्वतंत्रता सेनानी व सैनिक शहीद हुए? सूची गांववार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा केवल स्वतंत्रता सेनानियों के नाम सार्वजनिक सड़क, चौराहे, विद्यालय, चिकित्सालय के नामकरण करने के प्रस्ताव जनप्रतिनिधियों से मांगे थे। कुल 44 प्रस्ताव प्राप्त हुए। 14 प्रस्ताव स्वीकृत किये गये, जिनकी सूची (क) संलग्न है।

(2) जिला कलक्टर, धौलपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री मजबूत सिंह के नाम से मजबूत सिंह चौराहा (चौराहा बाड़ी बाईपास) के नामकरण की स्वीकृति जारी की गयी।

(3) 1. रिकार्ड के अनुसार सम्मान पेंशन स्वीकृत कुल 21 स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनकी सूची (ख) संलग्न है।

2. सचिव, सैनिक कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार शहीद हुए सैनिकों की सूची (ग) संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें।)

अनुसूचित जाति/ जन जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण

128. डा. करणसिंह यादव (बहरोड) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अनुसूचित जाति/जन जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नौकरियों में आरक्षण सम्बन्धी क्या प्रावधान हैं?

(2) उक्त वर्गों के आरक्षण को पूरा करने हेतु सरकार ने क्या प्रयास किये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय नौकरियों में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 16 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन जाति के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। यह प्रावधान सीधी भर्ती एवं पदोन्नति दोनों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों पर लागू है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केवल सीधी भर्ती में 21 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।

(2) उक्त वर्गों के आरक्षण को पूरा करने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र क्रमांक 15 (24) कार्मिक/क-2/75 दिनांक 9.10.2000, 14.12.2000 तथा दिनांक 23.10.2001 द्वारा सभी विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों तथा विभागाध्यक्षों को आरक्षण अवशेष (बैकलाग) की रिक्तियों को शीघ्र भरने

(कार्मिक मंत्री)

के लिए निर्देशित कर दिया गया है। उक्त तीनों पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं। रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारियों द्वारा की जानी है।

(प्रतियों के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

राजस्थान राज्य खेल परिषद् द्वारा व्यय की जा रही राशि की उपयोगिता

129. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में खेलों के उत्थान के लिए राजस्थान राज्य खेल परिषद् का गठन किया गया था? यदि हां, तो कब तथा उक्त परिषद् अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहां तक सफल हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रति वर्ष करोड़ों की राशि खेलों के विकास के नाम पर राज्य सरकार व्यय करती है तथा राज्य खेल परिषद् में विभिन्न खेलों के 110 खेल प्रशिक्षक कार्यरत होने के उपरान्त भी विगत दस वर्षों में राष्ट्र स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में राजस्थान का निरन्तर निराशाजनक प्रदर्शन रहा है? यदि नहीं, तो गत दस वर्षों में राजस्थान के किसी भी खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल पुरस्कार तथा द्रोणाचार्य पुरस्कार क्यों नहीं प्राप्त हुआ?

(3) प्रदेश में खेलों के विकास हेतु कौन-कौनसी योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना आवश्यक समझते हैं? वर्तमान में परिषद् में नियुक्त प्रशिक्षकों के कार्य का सही आकलन करने हेतु क्या कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्या सरकार उक्त दिशा में कोई कदम उठाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रति वर्ष राज्य सरकार द्वारा खेल प्रतिभाओं के विकास हेतु कितनी-कितनी राशि किन-किन खेलों के विकास पर व्यय की जा रही है? गत पांच वर्षों का खेलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में खेलों के विकास हेतु वर्ष 1957 में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् का गठन किया गया था एवं परिषद् अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल रही है।

(2) गत 10 वर्षों में राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। गत 10 वर्षों में राजस्थान के खिलाड़ियों द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्राप्त किये गये पदकों की वर्षवार सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

गत 10 वर्षों में राज्य के श्री लिम्बाराम को तीरंदाजी एवं श्रीचन्द को एथलेटिक्स खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार एवं श्री करण सिंह को एथलेटिक्स खेल में प्रशिक्षण हेतु द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

(3) प्रदेश में खेलों के विकास हेतु निम्न-लिखित योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना

(राज्य मंत्री, युवा एवं खेलकूद)

आवश्यक है :-

1. नि:शुल्क खेल प्रशिक्षण।

2. खेल छात्रावास योजना।

3. प्रशिक्षण शिविरों को आयोजन।

4. खिलाड़ियों को रोजगार उपलब्ध कराना।

5. खिलाड़ियों को पौष्टिक आहार हेतु खुराक भत्ता।

6. पदकों की प्राप्ति पर खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार राशि।

7. खिलाड़ियों को सामाजिक संरक्षण।

उक्त योजनाओं की क्रियान्वित की जा रही है। परिषद् में नियुक्त प्रशिक्षकों के कार्यों के आकलन हेतु प्रशिक्षकों द्वारा दैनिक डायरी, मासिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं, जिसका निरीक्षण जिले के खेल अधिकारी एवं अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता है, परिषद् मुख्यालय पर भी इनका निरीक्षण सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाता है।

(4) गत पांच वर्षों में खेलों के विकास पर व्यय की गयी राशि का योजनावार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है। परिषद् द्वारा खेलवार व्यय की राशि का विवरण नहीं रखा जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

चौगान स्टेडियम, जयपुर में कक्षों के संधारण पर व्यय

130. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या युवा एवं खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में चौगान स्टेडियम, जयपुर में कक्षों के संधारण एवं साज-सज्जा आदि पर कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या कक्षों की साज-सज्जा पर हुए व्यय का अंकेक्षण करवाया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या व्यय की गयी राशि के लिए नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं? यदि हां, तो कितनी निविदाएं प्राप्त हुईं और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में सम्पूर्ण चौगान स्टेडियम, जयपुर स्थित 42 कक्षों (खिलाड़ियों के आवास हेतु कमरों सहित) मुख्य पैवेलियन, तरणताल, बास्केटबाल एवं वालीबाल कोर्ट व चारदीवारी आदि के संधारण एवं साज-सज्जा पर रुपये 2,09,177.50 का व्यय किया गया है।

(2) चौगान स्टेडियम के समस्त व्ययों का अंकेक्षण कार्य प्रगति पर है।

(3) निर्माण व रखरखाव कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से रुपये 1,73,000

(राज्य मंत्री, युवा एवं खेलकूद)

के करवाये गये हैं। तुरन्त आवश्यकता से सम्बन्धित मरम्मत व रखरखाव के कार्य रुपये 36,177.50 का नियमानुसार सीमित निविदाएं प्राप्त कर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमानुसार ही करवाये हैं। जिसमें सभी कार्यों की तीन-तीन निविदाएं प्राप्त की गयी हैं।

नहरी क्षेत्र में जलग्रहण विकास योजनाओं की उपयोगिता

131. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भू-संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त कर राज्य सरकार जलग्रहण योजना चला रही है? अब तक की संशोधित योजना के प्रारूप, निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के तहत सिंचित नहरी क्षेत्र में जलग्रहण योजनाओं को स्वीकृति दी गयी है? यदि हां, तो सम्भावित जल प्लावन क्षेत्र में किस आधार व उद्देश्य के लिए? जिला बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी की वर्ष 1999 से जुलाई, 2001 तक की ग्राम पंचायत, तहसील कार्यवार स्वीकृत राशि का विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार भू-संरक्षण के लिए केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त कर जलग्रहण योजना राज्य में चला रही है। जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा क्रियान्वित बारानी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। सिंचित नहरी क्षेत्र में जलग्रहण परियोजनाएं स्वीकृत नहीं की गयी हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

वैदिक सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र में खोदे गये नलकूप

132. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में वैदिक सरस्वती नदी के बहाव क्षेत्र में मीठा पानी उपलब्ध है? यदि हां, तो कौन-कौनसे क्षेत्र में कितनी गहराई में कितनी मात्रा में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जानकारी के आधार पर विभाग द्वारा नलकूप खोदे हैं या खोदे जा रहे हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर?

(3) क्या यह सही है कि उक्त नदी का बहाव क्षेत्र चूरू, जसवन्तगढ़, जायल, मेड़ता, जोधपुर भी है? यदि हां, तो यहां पर नलकूप कब खोदे जाएंगे और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में वैदिक सरस्वती नदी नाम से कोई परियोजना क्रियान्वित नहीं है। अपितु राज्य

(भू-जल मंत्री)

में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन जल मार्गों की खोज हेतु विभाग ने विस्तृत अन्वेक्षण का कार्य वर्ष 1998 से प्रारम्भ किया है। यह कार्य जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़ तथा श्रीगंगानगर जिलों के आठ क्षेत्र में किया जाना है।

परियोजना के अन्तर्गत प्रथमत: जैसलमेर जिले में विस्तृत अध्ययन का कार्य प्रारम्भ किया गया, परिणामस्वरूप जैसलमेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में पीने योग्य जल पाया गया है। ये क्षेत्र हैं :- धर्मीखू, कुड़ियाबेरी, रनाऊ, घंटीयाली, किशनगढ़, लोंगेवाला, दोस्त मोहम्मद तथा घोटारू। यहां पर भू-जल 30 से 52 मीटर की गहराई पर उपलब्ध है तथा जल क्षमता 20,000 से 30,000 लीटर प्रति घंटा है।

(2) जी हां। उक्त जानकारी के आधार पर विभाग द्वारा निम्न स्थानों पर परीक्षणात्मक नलकूप खोदे गये हैं:-

जिला-जैसलमेर

1. तनोट- घटियाली मंदिर से तनोट मार्ग के वामहस्त की तरफ 3.5 कि.मी. की दूरी पर।
2. घोटारू-1-घोटारू से लोंगेवाला मार्ग के वामहस्त की तरफ (एल.एच.एस.) 12.5 कि.मी. की दूरी पर।
3. घोटारू-2-घोटारू से लोंगेवाला मार्ग के वामहस्त की तरफ (एल.एच.एस.) 14.5 कि.मी. की दूरी पर।
4. घोटारू-3-घोटारू से लोंगेवाला मार्ग के वामहस्त की तरफ (एल.एच.एस.) 10.5 कि.मी. की दूरी पर।
5. घोटारू-4-घोटारू से लोंगेवाला मार्ग के वामहस्त की तरफ (एल.एच.एस.) 3 कि.मी. की दूरी पर।
6. घोटारू-5-घोटारू किले से उत्तर-पूर्व दिशा में लगभग 150 मीटर की दूरी पर।
7. घोटारू-6-घोटारू से आसुतार मार्ग के दाहिनी ओर 1.5 कि.मी. की दूरी पर।
8. धर्मीखू- किशनगढ़ से धर्मीखू मार्ग पर 3 कि.मी. की दूरी पर।

निम्न स्थानों पर वर्तमान में परीक्षणात्मक नलकूप निर्माण कार्य प्रगति पर हैं :-

1. जूड़िया (जिला जोधपुर) - बालेसर से जोधपुर मार्ग पर 10 कि.मी. स्टोन से वामहस्त (एल.एच.एस.) की ओर 6 कि.मी. की दूरी पर।
2. डोली (जिला बाड़मेर) - जोधपुर से बाड़मेर मार्ग पर 62 कि.मी. दूरी पर।

(3) उपरोक्त योजना के तहत केवल जोधपुर जिले के आगोलाई-कल्याणपुरा क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य किया जा चुका है तथा परीक्षण नलकूप बनाने का कार्य प्रगति पर है। प्रश्न में वर्णित शेष क्षेत्र चूरू, जसवन्तगढ़, जायल, मेड़ता इस परियोजना के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं है।

जिला जैसलमेर व बाड़मेर में सिवाय चक भूमि का भूमिहीन कृषकों को नियमन

133. श्री अमीन खान (शिव) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जैसलमेर व बाड़मेर में सिवाय चक भूमि कितनी है? तहसीलवार व पटवार मण्डलवार रकबे की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिलों की सिवाय चक भूमि पर भूमिहीन स्थानीय कितने किसानों के कब्जे हैं और नियमन के पात्र हैं? तहसील व पटवार मण्डलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिलों में ऐसे कितने अतिक्रमी हैं जो भूमिहीन नहीं हैं मगर सरकारी भूमि पर कब्जे करते आ रहे हैं? तहसील व पटवार मण्डलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त जिलों में अनुसूचित जाति/जन जाति के कितने किसान भूमिहीन हैं? पटवार मण्डल व तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर में राजस्व ग्रामों में सिवाय चक भूमि 68,96,682 बीघा अर्थात् 27,58,673 एकड़ है। तहसील व पटवार मण्डलवार सूची संलग्न परिशिष्ट ''ए'' संलग्न है।

जिला बाड़मेर में सिवाय चक भूमि 8,41,675 बीघा 12 बिस्वा है। तहसील व पटवार मण्डलवार रकबे की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-बी)

(2) जिला जैसलमेर की सिवाय चक भूमि पर 2983 भूमिहीन स्थानीय किसानों के कब्जे हैं और नियमन के प्रथम दृष्टया पात्र हैं। तहसील व पटवार मण्डलवार सूची परिशिष्ट-ए में है। नियमन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु आबंटन सलाहकार समिति ही सक्षम है।

जिला बाड़मेर में सिवाय चक भूमि पर 3119 भूमिहीन किसानों के कब्जे हैं, जो प्रथम दृष्टया नियमन के पात्र हैं। तहसील व पटवार मण्डलवार सूची परिशिष्ट-सी संलग्न है।

(3) जैसलमेर जिले में 2698 अतिक्रमी हैं, जो भूमिहीन नहीं हैं, मगर सरकारी भूमि पर कब्जे करते आ रहे हैं। तहसील व पटवार मण्डलवार सूची परिशिष्ट-ए में है।

बाड़मेर जिले में 3318 अतिक्रमी ऐसे हैं जो भूमिहीन नहीं हैं, मगर सरकारी भूमि पर कब्जे करते आ रहे हैं। तहसील व पटवार मण्डलवार सूची परिशिष्ट-डी संलग्न है।

(4) जैसलमेर जिले में 2300 अनुसूचित जाति व जन जाति के किसान भूमिहीन हैं, तहसील व पटवार मण्डलवार सूचना परिशिष्ट-ए में है।

बाड़मेर जिले में अनुसूचित जाति व जन जाति के 6027 किसान भूमिहीन हैं। तहसील व पटवार मण्डलवार सूची परिशिष्ट-ई संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

ग्राम पालड़ी (जयपुर) में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

134. श्री मदन दिलावर (अटरू) एवं **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पालड़ी, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर में चरागाह एवं आम रास्तों की सम्वत् 2012 के राजस्व रिकार्ड के अनुसार क्या स्थिति थी? तत्कालीन भूमि का विवरण मय नक्शे के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ग्राम में वर्तमान में आबंटन/अतिक्रमण द्वारा चरागाह भूमि कम हुई? क्या सरकार पुन: मापन कर उक्त भूमि से आबंटन/अतिक्रमण हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त ग्राम में एक ही व्यक्ति विशेष को चरागाह से चार आबंटन एवं उक्त व्यक्ति का ही चरागाह पर तीन व सिवाय चक पर एक अतिक्रमण है? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(4) क्या नियमानुसार चरागाह आम रास्ते में आबंटन एवं अतिक्रमण किया जा सकता है? यदि नहीं, तो उक्त ग्राम में चरागाह एवं आम रास्तों पर हुए आबंटन व अतिक्रमण का विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त नियम विरुद्ध आबंटन व अतिक्रमण में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम पालड़ी, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर में सम्वत् 2012 के राजस्व रिकार्ड अनुसार कुल चरागाह भूमि 163 बीघा 04 बिस्वा व आम रास्तों की कुल भूमि 12 बीघा 04 बिस्वा थी। तत्कालीन समय की चरागाह एवं रास्ते की भूमि का नक्शा व खसरा नम्बरों का विवरण संलग्न है।

(2) उक्त ग्राम में सम्वत् 2012 के बाद में चरागाह भूमि में से 5 बीघा 09 बिस्वा परिवर्तित रकबा 1.33 हैक्टेयर भूमि नियमन से व 1.52 हैक्टेयर भूमि न्यायालय द्वारा खातेदारी दिये जाने से कम हुई है। उक्त नियमन एवं डिक्री द्वारा खातेदारी दिये जाने के विरुद्ध रेफरेन्स की कार्यवाही की गयी है, जो विचाराधीन है तथा वर्तमान में उक्त ग्राम की चरागाह व आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं है।

(3) ग्राम पालड़ी के गत ख. नं. 514 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा चरागाह भूमि से दिनांक 14.10.77 द्वारा आबंटन कमेटी ने 5 बीघा 09 बिस्वा भूमि का नियमन सुण्डा पुत्र धूडा मीणा निवासी पालड़ी मीणा को हुआ था। इसके अलावा न्यायालय की डिक्री से उक्त व्यक्ति को ही उक्त ग्राम के नवीन ख. नं. 541 रकबा 0.26 हैक्टेयर, 542 रकबा 0.37 हैक्टेयर, 544 रकबा 0.65 हैक्टेयर, 779/545 रकबा 0.24 हैक्टेयर कुल रकबा 1.52 हैक्टेयर भूमि की खातेदारी दी गयी है। इस प्रकार उक्त व्यक्ति को एक प्रकरण में नियमन एवं एक प्रकरण में डिक्री से खातेदारी चरागाह भूमि में से दी गयी है। उक्त व्यक्ति का वर्तमान में इस ग्राम में चरागाह/सिवाय चक पर अतिक्रमण नहीं है।

(राजस्व मंत्री)

नियमन की गई व डिक्री द्वारा खातेदारी दी गई भूमि को वापस राज हक में दर्ज करवाने बाबत रेफरेन्स की कार्यवाही की गयी है, जो जैरकार है।

(4) राजस्व नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार चरागाह एवं आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किये जा सकते।

उक्त ग्राम के गत ख. नं. 514 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा चरागाह भूमि से दिनांक 14.10.77 को आबंटन कमेटी द्वारा 5 बीघा 09 बिस्वा भूमि का नियमन व न्यायालय की डिक्री से चरागाह भूमि जिसके नवीन ख. नं. 541, 542, 544, 779/545 कुल रकबा 1.52 हैक्टेयर जिसके गत ख. नं. 514 है, की खातेदारी सुण्डा पुत्र धूडा जाति मीणा को दी गयी है। इसके अलावा उक्त ग्राम में चरागाह व आम रास्ते की भूमि में से किसी को आबंटन/ नियमन/डिक्री से खातेदारी नहीं दी गयी है। उक्त नियमन व डिक्री से चरागाह भूमि में दी गयी खातेदारी के विरुद्ध रेफरेन्स की कार्यवाही की गयी है, जो जैरकार है। इस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, कोटपूतली से दोषी कर्मचारी/ अधिकारियों के बाबत जांच करायी जा रही है। जांच उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जिला अजमेर की खातेदारी भूमि में खोदे गये कुएं

135. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला अजमेर में गैर मुमकिन कुओं के बारे में कोई प्रक्रिया आदेशों में नहीं है? क्या जिन काश्तकारों ने भू-संशोधन के दौरान खातेदारी भूमि में कुएं खोद लिए हैं, उन्हें खातेदारी दी जाएगी? यदि हां, तो क्या कोई कीमत ली जाएगी तथा किस कारण? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अस्थायी पेटाकाश्त आबंटन में वर्ष 1971-72 में जिन काश्तकारों को गैर खातेदारी दी गयी है, उन्हें अस्थायी गैर खातेदारी के लिए निरन्तर कब्जे की बात क्यों कही जा रही है? क्या स्थायी खातेदारी के लिए निरन्तर कब्जे की बात नहीं की गयी है?

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने और पम्प लगाने के लिए भूमि का आबंटन) नियम,1979 के उप नियम 12-क के तहत राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर निर्मित किये गये कुएं की अधिकतम 5 बिस्वा भूमि तक अतिक्रमी को आबंटन/नियमन करने का प्रावधान है। अतिक्रमी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने या तहसीलदार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की दिनांक को प्रचलित भूमि की बाजार कीमत वसूल करने के पश्चात् भूमि का आबंटन/ नियमन किये जाने का प्रावधान है। यह आबंटन गैर खातेदारी आधार पर किया जाता है। जिसे दस वर्ष पश्चात् खातेदारी अधिकार दिये जाने का नियमों में प्रावधान है। उक्त प्रावधान राजस्थान के सभी जिलों में प्रभावी है।

(2) राजस्थान भू-राजस्व (अलाटमेंट आफ टैंक बैड लैण्ड फार कल्टीवेशन) रूल्स, 1961

(राजस्व मंत्री)

के अन्तर्गत तालाब पेटाकाश्त/नदी खातली भूमि को अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए गैर खातेदारी आधार पर अस्थायी आबंटन किये जाने का प्रावधान है। ऐसी भूमि पर स्थायी गैर खातेदारी या खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अजमेर जिले में वर्ष 1970-72 की अवधि में भू-संशोधन के दौरान इन नियमों के विपरीत तालाब पेटाकाश्त की भूमि पर कृषकों को खातेदारी अधिकार दे दिये गये थे तथा बाद में उनकी ऐसी भूमि को सिवाय चक घोषित कर दिया गया था। ऐसे प्रकरणों में काश्तकारों को राहत देने के उद्देश्य से उपरोक्त नियम, 1961 में नया नियम 6 बी जोड़ा गया है। जिसके तहत उपरोक्त प्रकार की भूमि पर 1972 से निरन्तर कब्जा होने पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिना किसी लिमिट के गैर खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान किया गया है। इन प्रकरणों में खातेदारी दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

पंचायत समिति बामनवास के ग्रामों के आम रास्ते पर अतिक्रमण

136. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति बामनवास के ग्राम रिवाली कुआगांव एवं बिचपुरी के आम रास्ते पर अतिक्रमण को हटाये जाने के निर्देश मुख्य मंत्री सचिवालय एवं जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर के पत्रांक 2290 दिनांक 21.9.2001 के द्वारा दिये गये थे? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक उक्त अतिक्रमण को नहीं हटाये जाने के क्या कारण हैं?

(3) उक्त अतिक्रमण हटाने में जिन-जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

(4) अब उक्त अतिक्रमण को कब तक हटा दिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) तहसीलदार, बामनवास से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि ख. नं. 2165 से 2169 सर्वश्री छाजू, सेडूराम, प्रभूलाल पुत्रान लक्ष्मीनारायण वगैरह की खातेदारी में दर्ज अभिलेख है। उक्त भूमियां राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में दर्ज नहीं हैं एवं मौके पर फसल खड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त सरपंच ग्राम पंचायत रिवाली द्वारा लिखे गये पत्र संख्या-9 दिनांक 7.7.01 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनानुसार ग्राम पंचायत ने दिनांक 25.8.2000 को मौका देखना बताया है। जिसके अनुसार ख. न. 2166 से 2169 में कोई रास्ता पूर्व से नहीं होना और न ही वर्तमान में रास्ता होना अंकित किया है। प्रश्नगत भूमि खेती की बतायी गयी है। इसी मामले को लेकर न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर के पत्र क्रमांक 3444-48/राजस्व दिनांक 19.7.2001 के अन्तर्गत न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण न्यायालय द्वारा रास्ते के मामले में कोई कार्यवाही नहीं करने बाबत निर्देश विकास अधिकारी पंचायत समिति बामनवास को दिये हुए हैं और प्रतिलिपि ग्राम पंचायत रिवाली को भी पृष्ठांकित की है।

(राजस्व मंत्री)

(3) प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण किसी अधिकारी की लापरवाही निश्चित नहीं की जा सकती।

(4) न्यायाल के निर्णयोपरान्त कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

तहसील राजगढ़ (अलवर) में भूमि पंजीयन में अनियमितताएं

137. श्री जौहरी लाल मीणा (राजगढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील राजगढ़ (अलवर) में खेती योग्य भूमि की प्रति बीघा कीमत क्या है?

(2) उक्त तहसील की जिस भूमि में चिनाई व कीमती मूल्य का पत्थर निकलता है उसकी प्रति बीघा क्या कीमत है?

(3) उक्त जिले की जिस भूमि में मार्बल निकलता है उसकी कीमत प्रति बीघा क्या है?

(4) उक्त तहसील में खेती करने वाली भूमि की अधिक कीमत है या मार्बल/संगमरमर निकलने वाली भूमि की कीमत अधिक है?

(5) क्या उक्त दर निर्धारित करने का अधिकार उप पंजीयन व पंजीयन व रजिस्ट्रेशन करने वाले अधिकारी को है? यदि नहीं, तो उक्त अधिकार किसे है?

(6) क्या उक्त तहसील में रजिस्ट्रेशन में भारी अनियमितताएं हो रही हैं? यदि हां, तो उसकी रोकथाम हेतु क्या प्रयास किये जाएंगे?

उत्तर

(1) तहसील राजगढ़ (अलवर) में 156 राजस्व ग्राम हैं उनकी कृषि भूमि की दरें जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित की गयी हैं। (सूची संलग्न है।)

(2) तहसील राजगढ़ में चिनाई तथा कीमती मूल्य के पत्थर निकलने के आधार पर भूमि की दरें अलग से निर्धारित नहीं की गयी है।

(3) तहसील राजगढ़ में जिस भूमि में मार्बल पत्थर निकलता है उस भूमि की दरें अलग से जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित नहीं की गयी हैं।

(4) तहसील राजगढ़ में किसी भी ग्राम की भूमि की दर कीमती पत्थर, मार्बल संगमरमर के खनन की दृष्टि से जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित नहीं की गयी है। कृषि करने की दृष्टि से जिला स्तरीय समिति द्वारा दरें निर्धारित की गयी हैं।

(5) कीमती पत्थरों के खनन की दृष्टि से जिले में किसी भी प्रकार की भूमि की दर का निर्धारण करने का अधिकार जिला स्तरीय समिति को है।

(6) जी नहीं। विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन में भारी अनियमितता की रोकथाम के लिए निम्न प्रयास किये जाते हैं :-

1. पंजीयन कार्यालयों का समय-समय पर आन्तरिक लेखा जांच दल द्वारा प्रतिवर्ष कार्यालय के सम्पूर्ण अभिलेख का विस्तृत अंकेक्षण करवाया जाता है।

(वित्त मंत्री)

2. उप महानिरीक्षक एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा भी कार्यालयों का निरीक्षण करवाया जाता है।

3. शिकायत प्राप्त होने पर उनकी त्वरित जांच करने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के उप महानिरीक्षक को प्रेषित की जाती है तथा प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभाग के स्तर पर परीक्षण कर त्वरित कार्यवाही की जाती है।

विभागीय स्तर पर तहसील राजगढ़ में पंजीयन में किसी भी प्रकार की भारी अनियमितता की जानकारी नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

ग्राम कैथूदा (बूंदी) में भूमि आबंटन में अनियमितता

138. **श्री घासीलाल मेघवाल** (पाटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 9 जुलाई, 1999 को मुकाम कैथूदा तहसील नैनवां, जिला बूंदी में भू-आबंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा भूमि खसरा संख्या-732 का आबंटन किया गया है? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को किस आधार पर? व्यक्तिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आबंटियों में से एक आबंटी के पिता के नाम पर कृषि भूमि होने तथा आबंटी विद्यार्थी होते हुए भी हल्का पटवारी द्वारा की गयी रिपोर्ट में सही तथ्य अंकित नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बारे में वस्तुस्थिति की जानकारी कराने का विचार रखती है?

(3) क्या उक्त आबंटन के बारे में आबंटी की आयु सहित समस्त तथ्यों की जांच करवायी जाएगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बूंदी जिले की तहसील नैनवां में दिनांक 9.7.99 को मुकाम कैथूदा में भू-आबंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा भूमि खसरा संख्या-732 का किसी व्यक्ति को आबंटन नहीं किया गया है।

(2) ख. नं. 732 का आबंटन नहीं किये जाने से अन्य कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(3) उपरोक्तानुसार।

रेगिस्तानी क्षेत्र में उन्नत बीजों की व्यवस्था

139. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कृषि के लिए उन्नत बीजों की क्या व्यवस्था की गयी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) रेगिस्तानी क्षेत्रों में मोठ, मूंग, तिल, ग्वार, बाजरा के कितने बीजों का सरकार द्वारा इन्तजाम किया गया? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) खरीफ 2001-2002 के लिए विभाग द्वारा विभिन्न फसलों के प्रमाणित/उन्नत किस्मों के बीजों की व्यवस्था किसानों को उपलब्ध कराने के लिए सार्वजनिक बीज उत्पादक संस्थाएं एवं निजी बीज उत्पादक संस्थाओं के माध्यम से की गयी जिसकी कुल मात्रा 193889 क्विंटल थी।

(2) खरीफ 2001 में राजस्थान राज्य बीज निगम, जयपुर, राष्ट्रीय बीज निगम एवं निजी बीज उत्पादक संस्थाओं के माध्यम से जिलेवार निम्नानुसार बीजों की व्यवस्था की गयी :-

नाम जिला	मोठ	मूंग	तिल	ग्वार	बाजरा (मात्रा क्विं. में)
जोधपुर	210	1601	306	327	10035
नागौर	222	2373	104	96	7047
जैसलमेर	18	84	07	15	53
बाड़मेर	310	72	35	194	2216
पाली	21	553	238	362	1477
बीकानेर	200	110	15	---	90
जालौर	61	696	187	300	6061
सिरोही	10	39	25	300	274
सीकर	92	274	11	540	4726
चूरू	400	525	45	655	4930
झुंझुनूं	30	330	---	370	3160

उप निदेशक कृषि (प्रशासन) जयपुर के समक्ष विचाराधीन जांच रिपोर्ट

140. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2000 में उप निदेशक कृषि (शस्य) जयपुर को कितने प्रकरण गत सरपंच के चुनाव में काउंटिंग एजेन्ट बनने सम्बन्धी जांच के लिए जांच अधिकारी बनाया था?

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरणों में उक्त उप निदेशक ने एजेन्ट बनने सम्बन्धी प्रकरणों में जिला कलक्टर (चुनाव) से प्राप्त फार्म-10 अभिलेखों की गहनता से जांच की है? क्या उक्त जांच अधिकारी ने फार्म-10 की

(कृषि मंत्री)

जांच के दौरान कर्मियों द्वारा किये गये हस्ताक्षर एवं दोषियों द्वारा वेतन बिलों पर प्राप्त भुगतान सम्बन्धी हस्ताक्षर आदि का भी मिलान किया? यदि हां, तो परिणामत: क्या निष्कर्ष निकला? जांच रिपोर्ट की प्रति तथा उक्त पर की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रकरणों की जांच रिपोर्ट उप निदेशक कृषि (प्रशासन) जयपुर को प्राप्त हो चुकी है? यदि हां, तो कब और अब तक उक्त प्रकरणों में उप निदेशक कृषि (प्रशासन) जयपुर ने क्या-क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि आश्वासन संख्या-12/2000 के उत्तर में सरकार ने उक्त प्रपत्र पर तत्कालीन सहायक कृषि अधिकारी, हरमाड़ा (जयपुर) के हस्ताक्षर होना माना है?

(5) अब उक्त प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी?

(6) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में लिप्त कर्मी आदतन अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसके विरुद्ध कई मुकदमे न्यायालयों में चल रहे हैं?

(7) क्या सरकार ऐसे अपराधी प्रवृत्ति वाले कर्मी को तत्काल राज्य सेवा से पृथक करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2000 में उप निदेशक कृषि (शस्य), जयपुर को केवल एक प्रकरण में सरपंच के चुनाव काउंटिंग एजेन्ट बनने सम्बन्धी प्राथमिक जांच के लिए जांच अधिकारी बनाया था।

(2) जी हां। जांच अधिकारी अनुसार फार्म-10 पर श्री रामकिशोर मीणा, सहायक कृषि अधिकारी के हस्ताक्षर प्रतीत होते हैं। प्राथमिक जांच रिपोर्ट दिनांक 6.2.2001 संलग्न है। इस प्राथमिक जांच के आधार पर कृषि विभाग ने आदेश संख्या 1726-31, दिनांक 24.3.2001 के द्वारा सी.सी.ए नियम-16 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रसारित किये गये तथा आरोपी ने इस आरोपपत्र का जवाब 7.6.2001 को दिया। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कृषि निदेशालय के आदेश संख्या 3716-24, दिनांक 26.6.2001 के द्वारा उप निदेशक कृषि (वि.), जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय जांच की कार्यवाही प्रगति पर है।

(3) जी हां। कार्यवाही उपरोक्त अनुसार की गयी है।

(4) प्राथमिक जांच अधिकारी ने तत्कालीन सहायक कृषि अधिकारी के हस्ताक्षर प्रतीत होना बताया है।

(5) जांच अधिकारी से जांच रिपोर्ट आने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(6) विभाग की जानकारी में नहीं है।

(7) प्रश्न ही नहीं उठता।

(रिपोर्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

पूर्व सहायक कृषि अधिकारी, हरमाड़ा (जयपुर) के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के तहत कार्यवाही

141. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि विभाग में कार्यरत कर्मियों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के तहत विचाराधीन कार्यवाही के मामलों की सूची कार्मिक विभाग द्वारा तीन दिवस में चाही गयी थी? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

(2) क्या यह भी सही है कि तत्कालीन सहायक कृषि अधिकारी, हरमाड़ा (जयपुर) के विरुद्ध भी सी.सी.ए. नियम 16 के तहत कार्यवाही चल रही है? यदि हां, तो कब से और उक्त प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा आगे अब क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?

(3) क्या कार्मिक विभाग की सूची में उक्त व्यक्ति का नाम भी भिजवा दिया गया है? यदि हां, तो कब? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कृषि विभाग ने कार्मिक विभाग के चाहेनुसार उक्त व्यक्ति के आदेश पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में कर उसी जिले (झालावाड़) में रखकर अग्रेत्तर कार्यवाही शुरू कर दी है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों तथा अब उक्त कार्यवाही कब तक की जाएगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। तत्कालीन सहायक कृषि अधिकारी, श्री रामकिशोर मीणा, हरमाड़ा (जयपुर) के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के तहत कार्यवाही चल रही है। उन्हें दिनांक 24.03.2001 को सी.सी.ए. नियम 16 में ज्ञापन, आरोप पत्र एवं विवरण पत्र देकर जांच अधिकारी दिनांक 26.06.2001 को नियुक्त किया जा चुका है। जांच कार्य पूर्ण होने व जांच अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर निर्णायक कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। परिपत्र के परिप्रेक्ष्य में श्री रामकिशोर मीणा वित्तीय अनियमितता व आर्थिक हानि पहुंचाने के आरोपी नहीं हैं। परिपत्र के अनुसार पदस्थापन आदेश में रखने की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

राज्य सेवा में कार्यरत कर्मियों द्वारा राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कार्यवाही

142. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह भी सही है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा - 134 "क" में यह प्रावधान है कि सरकारी सेवा में कार्यरत कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा तो वह कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान

(श्री ललित भाटी)

पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार उक्त प्रावधान पंचायत चुनावों के लिए भी है?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2000 में गत पंचायत चुनावों में तत्कालीन सहायक कृषि अधिकारी मुख्यालय हरमाड़ा (जयपुर) हाल सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक (कृषि) विस्तार झालावाड़ ने सरपंच/पंच का चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी का एजेन्ट अथवा काउंटिंग एजेन्ट बनकर कार्य किया था? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध उक्त नियमों के तहत अब तक क्या कार्यवाही की गयी और अब आगे क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सहायक कृषि अधिकारी ने काउंटिंग एजेन्ट बनकर सक्रिय राजनीति में भाग लिया था? यदि हां, तो उक्त के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि विभाग के कतिपय उच्चाधिकारी उक्त अधिकारी के समर्थन में नियमों के विपरीत कार्य कर उक्त प्रकरण को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? यदि हां, तो कौन व क्यों?

(6) क्या उक्त प्रकरण में उप निदेशक कृषि (शस्य) ने उक्त दोषी के द्वारा भरे गये चुनाव सम्बन्धी फार्म-10 अभिलेखों की गहनता से जांच की है? क्या फार्म-10 की जांच के दौरान उक्त कर्मी द्वारा किये गये हस्ताक्षर एवं कर्मी द्वारा वेतन बिलों पर प्राप्त भुगतान सम्बन्धी हस्ताक्षरों आदि से भी मिलान किया गया? क्या उक्त जांच में जांच अधिकारी ने तत्कालीन सहायक कृषि अधिकारी मुख्यालय हरमाड़ा (जयपुर) द्वारा राजनीति में भाग लिया गया माना गया है? क्या उप निदेशक कृषि (शस्य) जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक प./स.नि.कृ./शस्य/जांच/-2000-01/99/37 द्वारा जांच रिपोर्ट उप निदेशक कृषि (प्रशासन) जयपुर को भेज दी है? यदि हां, तो उक्त में जांच निष्कर्ष क्या रहा तथा उसके अनुसार अब तक क्या कार्यवाही की गयी और अब क्या प्रस्तावित है जो कब तक पूर्ण कर दी जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले और एजेन्ट बनकर राजनैतिक कृत्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध शीघ्र कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(8) अब उक्त प्रकरण में दोषियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही कर उसे नियमानुसार उक्त दण्डों से दण्डित किया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) आरोपी के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है।

(4) इस बारे में विभागीय जांच चल रही है। आरोप पत्रादि जारी किये जा चुके हैं। उक्त

(कृषि मंत्री)

कर्मी का स्थानान्तरण जिले के बाहर तत्काल कर दिया गया था।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां। सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है। इसे शीघ्र निर्णीत कर लिया जायेगा।

(7) जांच में दोषी पाये जाने पर सरकार द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(8) आरोपी अधिकारी के विरुद्ध जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर एवं दोषी पाये जाने पर नियमानुसार दोषी अधिकारी को दण्डित किया जायेगा। जांच शीघ्र कराने की कार्यवाही की जा रही है।

सलूम्बर एवं सराड़ा (उदयपुर) क्षेत्र में फड़का से फसलों को क्षति

143. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर के सलूम्बर एवं सराड़ा क्षेत्र में गत दो माह पूर्व फड़का लग जाने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है? यदि हां, तो कितने क्षेत्र में एवं कितने प्रतिशत फसल नष्ट हुई? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सत्तारूढ़ दल ने अपने घोषणा पत्र में किसान को फसलों से होने वाली बीमारियों एवं नुकसान की क्षतिपूर्ति का वादा किया गया? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र के कितने किसानों को कितनी-कितनी सहायता राशि प्रदान की गयी?

(3) क्या विभाग ने फड़कों से फसल बचाने का प्रयास किया? यदि हां, तो किस दिनांक से एवं कितनी फसल को बचाने में समर्थ हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उदयपुर जिले की सलूम्बर एवं सराड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में मक्का की फसल में फड़का कीट से नुकसान हुआ है। दोनों पंचायत समितियों में कुल 32,550 हैक्टेयर जिसमें मक्का की बुवाई हुई थी, में से 4,758 हैक्टेयर क्षेत्र फड़का से प्रभावित रहा। इस क्षेत्र में से 1,656 हैक्टेयर क्षेत्र में 10 प्रतिशत से कम, 1,876 हैक्टेयर क्षेत्र में 10-50 प्रतिशत तक, 818 हैक्टेयर क्षेत्र में 51 से 80 प्रतिशत तथा 408 हैक्टेयर क्षेत्र में शत प्रतिशत तक नुकसान का आकलन किया गया है। जिला कलक्टर उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) घोषणा पत्र में फसल बीमा को प्रोत्साहन दिया जाएगा और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, की घोषणा की गयी थी। चूंकि फड़का कीट प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में खरीफ फसलों में कम अथवा अधिक हर वर्ष लगता है तथा समय रहते नियंत्रण कर लिया जाता है, अत: इस कीट को प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत नहीं माना गया।

(3) जी हां। विभाग ने दिनांक 21.07.2001 से 24.9.2001 तक फसल

(कृषि मंत्री)

को फड़का कीट से बचाने के लिए अन्य स्थानों से अतिरिक्त अधिकारी/कर्मचारी लगाकर कृषक गोष्ठियां/रात्रि गोष्ठियां आयोजित कर, पेम्फलेट्स का वितरण कर, प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्तियां जारी कर तथा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क कर कीट नियंत्रण की जानकारी दी गयी। क्षेत्र में मोबाइल तकनीकी दलों ने भ्रमण कर लाइट-ट्रेप, आग जला कर, टायर जला कर तथा कीटनाशक रसायन प्रयोग कर कीट नियंत्रण करने की जानकारी का प्रचार-प्रसार किया जिससे आशातीत परिणाम मिले। प्रभावित क्षेत्र में 364 हैक्टेयर में 9850 किलोग्राम मिथाइल पेरोथियान, 2 प्रतिशत डस्ट, 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरण कर 1,182 कृषकों को लाभान्वित कर कीट नियंत्रण कराया। इस प्रकार कुल 2,742 हैक्टेयर क्षेत्र में फड़का का नियंत्रण कार्य कराया गया।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें।)

गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में नरमा व कपास के प्रमाणित बीजों की उपलब्धता

144. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वर्ष 2001-2002 की खरीफ की फसल के लिए जिला गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में नरमा व कपास का प्रमाणित बीज कितनी-कितनी मात्रा में बीज निगम व अन्य फर्मों द्वारा तैयार किया गया एवं कितनी-कितनी मात्रा में उक्त से किसानों द्वारा खरीदा गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 2001-2002 में जिला गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में बीज निगम एवं सार्वजनिक बीज उत्पादक संस्थाओं तथा अन्य फर्मों द्वारा निम्नानुसार कपास एवं नरमा का प्रमाणित बीज तैयार किया गया :-

श्रीगंगानगर जिला	**कपास**	**नरमा (क्विं. में)**
1. राजस्थान राज्य बीज निगम, जयपुर	2778.40	1845.44
2. भारतीय राज्य फार्म निगम, सूरतगढ़	343.00	10188.00
3. निजी बीज उत्पादकों द्वारा	9594.70	6604.40
हनुमानगढ़ जिला		
1. राजस्थान राज्य बीज निगम, जयपुर	1949.00	1653.00
2. निजी बीज उत्पादकों द्वारा	4597.00	16674.92

श्री गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में राजस्थान राज्य बीज निगम, जयपुर एवं अन्य फर्मों द्वारा कपास एवं नरमा का प्रमाणित बीज निम्नानुसार वितरण किया गया :-

(कृषि मंत्री)

श्रीगंगानगर जिला	कपास	नरमा (क्विं. में)
1. राजस्थान राज्य बीज निगम, जयपुर	2899.40	2774.00
2. भारतीय राज्य फार्म निगम, सूरतगढ़	1103.33	322.60
3. निजी बीज उत्पादकों द्वारा	2354.10	5078.55
हनुमानगढ़ जिला		
1. राजस्थान राज्य बीज निगम, जयपुर	1949.00	1653.00
3. निजी बीज उत्पादकों द्वारा	2354.10	8245.35

पंचायत समिति केकड़ी की यूजर्स कमेटियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

145. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पंचायत समिति केकड़ी की ग्राम पंचायतों का चयन गांधी ग्राम योजना में किया गया है? यदि हां, तो किस-किस का?

(2) क्या भू-संरक्षण विभाग द्वारा उक्त में यूजर्स कमेटियों का गठन किया गया है? क्या किसी समिति के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो किस-किसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हां, ग्राम पंचायत सलारी के एक ग्राम सलारी का चयन गांधी ग्राम योजना में किया गया है।

(2) जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा उक्त जलग्रहण क्षेत्र में जलग्रहण समिति का गठन किया गया है। समिति के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

आइसक्रीम का मूल्य तरल पदार्थ के रूप में लेने वाले दुकानदारों के विरुद्ध कार्यवाही

146. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बाजार में बिकने वाली विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियों पर नियंत्रण रखा जाता है? यदि हां, तो किस प्रकार एवं किस-किस स्तर के अधिकारी द्वारा उक्त वस्तुओं का निरीक्षण किया जाता है? गत दो वर्षों में उक्त अधिकारियों द्वारा किस-किस वस्तु के नमूने कब-कब लिये एवं जांच में क्या पाया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि ठोस एवं तरल पदार्थों की माप की इकाई अलग-अलग होती है? यदि हां, तो इकाई का नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हेमन्त कुमार)

(3) बाजार में बिकने वाली आइसक्रीम को सरकार ठोस पदार्थ मानती है या तरल पदार्थ के रूप में इसकी बिक्री होनी चाहिए?

(4) क्या यह सही है कि आइसक्रीम तरल पदार्थ के रूप में न होकर ठोस पदार्थ के रूप में बेची जाती है लेकिन उसका मूल्य तरल पदार्थ के रूप में लीटर की इकाई में लिया जाता है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा किसी के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार अब उक्त सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। खाद्य वस्तुओं का निरीक्षण विभाग के खाद्य निरीक्षकों द्वारा किया जाता है। गत दो वर्षों में खाद्य पदार्थों के लिये गये एवं मिलावटी पाये गये नमूनों के विवरण की सूची संलग्न है।

(2) जी हां। ठोस इकाई की किलोग्राम तथा तरल पदार्थों की लीटर है।

(3) फ्रोजन उत्पादन आइसक्रीम की बिक्री ठोस एवं सेमी सोलिड रूप में होनी चाहिए।

(4) फ्रोजन के रूप में आइसक्रीम ठोस/सेमी सोलिड उत्पादन है। भारत सरकार द्वारा प्रसारित माप एवं तौल के मैनुअल दी स्टेण्डर्ड आफ वेट एण्ड मैजर्स, पी.सी. नियम, 1977 के शिड्यूल (4) नियम 11 (4) के आइटम नं. 14 में आइसक्रीम पर वेट या वोल्यूम में बेची जा सकती है।

(5) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

अन्य पिछड़ा वर्ग के परीक्षार्थियों का प्रशिक्षण में आरक्षण

147. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य के मेडिकल कालेजों व अस्पतालों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के चयन तथा पी. एम. टी. परीक्षा/ट्रेनिंग में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू है? यदि हां, तो कब से व कितने-कितने प्रतिशत है?

(2) अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण होने के प्रावधान के बाद वर्षवार चयनित व्यक्तियों के नाम, पिता के नाम, जाति, स्थायी पता, पदनाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पी.एम.टी. परीक्षा एवं नर्सिंग ट्रेनिंग के चयन हेतु 21 प्रतिशत आरक्षण है जो क्रमशः वर्ष 1999 एवं 1996 से लागू है।

(2) पी.एम.टी. परीक्षा एवं नर्सिंग ट्रेनिंग में चयनित व्यक्तियों के नाम की सूची वर्षवार संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जिला पाली के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए. एन. एम. के रिक्त पद

148. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला पाली में ए. एन. एम. के पद किस-किस ग्रामीण अंचलों के उप स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त हैं? उक्त रिक्त पद किस-किस तिथि से कौन-कौनसे उप स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अब उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी? प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपलिया कलां के अधीनस्थ उप स्वास्थ्य केन्द्र मालनी भेरूं का नाका बगड़ी व उक्त केन्द्र के अधीनस्थ अन्य केन्द्रों में ए. एन. एम. के कितने पद रिक्त हैं और उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला पाली के ग्रामीण अंचलों में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में संस्थावार ए. एन. एम. के रिक्त पदों की सूची मय रिक्ती दिनांक के परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) रिक्त पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिपलिया कलां के अधीनस्थ उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए. एन. एम. के 7 रिक्त पदों का विवरण मय रिक्ती दिनांक के परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें।)

रेफरल हास्पिटल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पदों की समाप्ति

149. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1989 से 30 सितम्बर, 2001 के बीच कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल हास्पिटल में क्रमोन्नत किया गया? सूची वर्षवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्रमोन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/रेफरल हास्पिटल में क्रमोन्नति से लेकर अब तक कितने पद स्वीकृत किये गये? विवरण प्रत्येक सामुदायिक/रेफरल हास्पिटल अनुसार सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत पदों पर कब-कब व किस-किस व्यक्ति को लगाकर पदों को भरा गया? विवरण रेफरल/सामुदायिक हास्पिटलवार सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त सामुदायिक/रेफरल हास्पिटल के स्वीकृत पदों में कटौती की गयी? यदि हां, तो किस-किस सामुदायिक/रेफरल हास्पिटल में से? रेफरल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रवार सूची नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त सामुदायिक/रेफरल हास्पिटल पर पद कम करने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1989 से 30 सितम्बर, 2001

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

के बीच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, डिस्पेंसरियों से क्रमोन्नत किये गये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/रेफरल हास्पिटलों की वर्षवार सूची परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(2) उक्त क्रमोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/रेफरल हास्पिटल में अब तक स्वीकृत किये गये पदों का संस्थावार विवरण परिशिष्ट-ख पर उपलब्ध है।

(3) उक्त रेफरल/सामुदायिक हास्पिटलों में स्वीकृत पदों पर वर्तमान में पदस्थापित कर्मचारियों का नाम सहित विवरण परिशिष्ट-ख पर उपलब्ध है।

(4) यू. एन. एफ. पी. ए. परियोजना समाप्त होने के कारण नौ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वीकृत पदों में से कुल 156 पदों की कटौती की गयी जिसकी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रवार सूची परिशिष्ट-ग पर उपलब्ध है।

उक्त योजनान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर समाप्त किये गये पदों में से विभाग द्वारा अधिकतर पदों का सृजन कर दिया गया है तथा शेष रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी पदों के सृजन किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त आदेश दिनांक 5.12.2000 के द्वारा समानीकरण योजना के अन्तर्गत चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के स्वीकृत पदों में से पद समाप्त कर अन्य चिकित्सा संस्थानों में परिवर्तित एवं सृजन कर स्वीकृत किये गये जिनका विवरण परिशिष्ट-घ पर उपलब्ध है।

(5) यू. एन. एफ. पी. ए. परियोजना समाप्त किये गये पद उक्त परियोजना के समाप्त हो जाने के कारण किये गये एवं समानीकरण योजनान्तर्गत समाप्त किये गये पद अन्य चिकित्सा संस्थानों में स्वीकृत कर दिये गये।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान

150. श्री मानिकचंद सुराना (लूणकरणसर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर चिकित्सक एवं अन्य कर्मचारी नियुक्त किये हैं? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार स्थायी प्रकृति के अनेक कार्य ठेका पद्धति से करा रही है? यदि हां, तो स्थायी प्रकृति के क्या-क्या कार्य ठेका पद्धति से कराये जा रहे हैं? प्रत्येक जिलावार दिये गये ठेका कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त ठेका कार्यों पर नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम दर पर भुगतान किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त बाबत अब तक क्या कार्यवाही किस-किस जिले में की है?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा चिकित्सक, नर्स श्रेणी द्वितीय, लेब टेक्नीशियन एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पूर्व के वर्षों में संविदा के आधार पर नियुक्त किये हैं, की जिलेवार संख्या-सूची परिशिष्ट-क पर उपलब्ध है।

(2) सरकार द्वारा 100 शैयाओं तक के चिकित्सालयों में सफाई कार्य ठेका पद्धति के द्वारा कराया जाता है, जिलेवार सूची परिशिष्ट–ख पर उपलब्ध है।

(3) सफाई कार्य जो ठेका पद्धति द्वारा कराया जा रहा है, में नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों को ठेकेदार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम दर पर भुगतान किये जाने की शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

पंचायत सिकरोरी (भरतपुर) के नवनिर्मित चिकित्सा भवन में रिक्त पद

151. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत सिकरोरी, तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर के ग्राम में करीब दो वर्ष पूर्व ही ग्राम के सरपंच द्वारा चिकित्सालय भवन का निर्माण करा दिये जाने के बाद भी अब तक उक्त ग्राम में मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामवासियों द्वारा प्रशासन व चिकित्सा मंत्री को लिखित व मौखिक रूप से अवगत करा दिया गया है? उक्त में अब तक स्टाफ नहीं लगाने के क्या कारण रहे?

(3) क्या अब सरकार उक्त नवनिर्मित चिकित्सा भवन में मेडिकल स्टाफ लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत सिकरोरी, तहसील कुम्हेर के उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कार्य राज्य योजनान्तर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से पूर्ण करवाया जाकर विभाग द्वारा दिनांक 10.2.2000 को अधिग्रहण कर लिया गया।

जी नहीं। उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसाविका एवं बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता (पुरूष) का पद स्वीकृत है, जिस पर प्रसाविका वर्ष 1996 से एवं बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता (पुरूष) 1984 से कार्यरत है।

(2) उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रसाविका वर्ष 1996 से एवं बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता (पुरूष) 1984 से कार्यरत है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

152. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर के

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

मुख्यालयों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य चिकित्सालयों में डाक्टरों, कनिष्ठ एवं वरिष्ठ विशेषज्ञों के कितने-कितने पद रिक्त हैं? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर के चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सक संवर्ग के रिक्त पदों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-अ)।

(2) पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर एवं सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) प्रश्न के भाग दो के अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

जिला पाली में दानदाताओं द्वारा निर्मित चिकित्सा भवनों का अधिग्रहण

153. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दानदाताओं द्वारा बनाये गये चिकित्सा भवन राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहण किये जाने का क्या प्रावधान है? प्रावधानों/आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला पाली में ऐसे कितने चिकित्सा भवन हैं जो दानदाताओं द्वारा निर्मित हुए परन्तु चिकित्सा विभाग ने अभी तक अधिगृहीत नहीं किये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त निर्मित भवनों का अधिग्रहण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा दानदाताओं द्वारा बनाये गये भवनों को अधिग्रहण करने के प्रावधानों/आदेशों की प्रति एनेक्सचर-क पर उपलब्ध है।

(2) 18 भवन हैं जिनकी सूची एनेक्सचर-ख पर संलग्न है।

(3) जी हां। निर्मित भवनों को अधिग्रहण करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भवन दानदाताओं के राजस्थान से बाहर प्रवास करने के कारण निर्धारित प्रकिया सम्पादन करने में विलम्ब हो रहा है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

जोधपुर जोन में समर्पित अवकाश का दो बार भुगतान

154. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री केसाराम चौधरी)

करेंगे :-

(1) वर्ष 1984 से 1994 तक विभाग के जोधपुर जोन में किन-किन अधिकारी/कर्मचारियों के समर्पित अवकाश प्रकरण स्वीकृत किये गये? वर्षवार संख्या-सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में समर्पित अवकाश का सेवा रिकार्ड में इन्द्राज न करके दो बार भुगतान किया गया? यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(3) क्या अब भी उक्त के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1984 से 1994 तक जोधपुर जोन में समर्पित अवकाश स्वीकृत किये गये अधिकारी/कर्मचारियों का वर्षवार संख्या विवरण निम्नांकित प्रकार है:-

ब्लाक वर्ष	अधिकारी	कर्मचारी
वर्ष 1984-86	191	1523
वर्ष 1986-88	236	1798
वर्ष 1988-90	175	1908
वर्ष 1990-92	278	2249
वर्ष 1992-94	241	2492

(2) जी हां। प्राथमिक जांच पर दोषी अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने/प्रस्तावित करने हेतु सक्षम अधिकारी को निदेशित किया गया है।

(3) प्राथमिक जांच में दोषी पाये गये कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के चिकित्सालयों में रिक्त पद

155. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में चिकित्सा की कहां-कहां क्या-क्या व्यवस्था है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र के किन-किन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मातृ शिशु कल्याण केन्द्र व सब सेण्टरों में कौन-कौनसे पद कब से रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों का विवरण संलग्न है। (एनेक्सचर-अ पर)।

(2) उक्त क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों का विवरण संलग्न है। (एनेक्सचर-ब पर)।

(3) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर नर्स श्रेणी द्वितीय, लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों को

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्वीपर का रिक्त पद राज्य सरकार द्वारा लगे प्रतिबंध पर शिथिलता दिये जाने के उपरान्त ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा। कनिष्ठ लेखाकार का रिक्त पद निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग एवं संगणक का रिक्त पद निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के द्वारा भरा जाना है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र घाटोल के चिकित्सालयों में रिक्त पद

156. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल में भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है? यदि हां, तो कितने और कहां-कहां पर?

(2) क्या सरकार उक्त जन जाति क्षेत्र के उक्त भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों/उप स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल कितने स्वीकृत पदों में से कितने रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र घाटोल में 14 उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन रहित संचालित हैं। सूची संलग्न है। (एनेक्सचर-अ पर)।

(2) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर राज्य के अन्य भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र घाटोल के स्वीकृत चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के कुल 198 स्वीकृत पदों में से 10 पद रिक्त हैं।

जी हां, सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर एवं पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें।)

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के वेतनमान में भिन्नता

157. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विभाग में महिला एवं पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यरत हैं? यदि हां, तो दोनों की कुल पृथक-पृथक संख्या कितनी है?

(2) क्या उक्त दोनों की भर्ती हेतु शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता समान है? यदि नहीं, तो किसकी कम या ज्यादा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कन्हैया लाल)

(3) क्या उक्त दोनों की भर्ती प्रक्रिया समान है? यदि नहीं, तो दोनों में क्या अन्तर है।

(4) क्या उक्त दोनों के समान कार्य एवं समान नियुक्ति/तैनाती स्थान सब-सेंटर/चिकित्सालय हैं? यदि नही, तो क्या अन्तर है?

(5) क्या महिला एवं पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का वेतनमान, पदोन्नतियां तथा 9, 18, 27 चयनित वेतनमान समान हैं? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलाभ दोनों स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को एक समान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। महिला एवं पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या निम्न प्रकार है :-

क्र.सं. पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद
1. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	12271	11693
2. पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	4301	3324

(2) जी हां। शैक्षणिक योग्यता समान है। तकनीकी योग्यता में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की प्रशिक्षण अवधि 18 माह एवं पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष की है।

(3) जी हां।

(4) महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैनाती स्थान मुख्यतया उप केन्द्र है। पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तैनाती स्थान आवश्यकतानुसार उप केन्द्र, डिस्पेंसरी, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र व चिकित्सालय निर्धारित किया जाता है।

(5) जी नहीं। वेतनमान एवं 9, 18, 27 चयनित वेतनमान का विवरण निम्न प्रकार है:-

वेतनमान	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता
	4000-6000	3050-4590
9 वर्ष पश्चात्	4500-7000	3200-4900
18 वर्ष पश्चात्	5000-8000	3200-4900
27 वर्ष पश्चात्	5500-9000	4000-6000

पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद के समान वेतन श्रृंखला स्वीकृत करने सम्बन्धित प्रकरण राज्य सरकार विभागीय समिति के स्तर पर विचाराधीन है।

पत्थर उद्योग के श्रमिकों के कल्याण हेतु योजना का प्रस्ताव

158. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में पत्थर उद्योग पर सबसे अधिक श्रमिक कार्यरत हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उद्योग में शारीरिक श्रम अधिक होने से श्रमिक थोड़े समय

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

में कुपोषण के कारण कमजोर होकर बीमार पड़ जाते हैं?

(3) क्या यह सही है कि बीड़ी कामगारों की तरह पत्थर उद्योग श्रमिकों के हितों हेतु केन्द्र सरकार की कल्याणकारी योजना है?

(4) क्या सरकार पत्थर उद्योग के श्रमिकों के कल्याण हेतु केन्द्र को योजना भेजने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। यह सही है कि पत्थर उद्योग में तुलनात्मक रूप से अधिक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है और इससे स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है, परन्तु इस तरह का कोई सर्वे श्रम विभाग के स्तर पर नहीं किया गया।

(3) जी हां।

(4) चूंकि पत्थर उद्योग (खदान श्रमिकों) के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संधारण/संचालन केन्द्र सरकार के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है, राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

जिला नागौर के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पद

159. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला नागौर के विभिन्न माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं एवं वरिष्ठ अध्यापकों के पद काफी समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने? सूची शालावार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि थावला (नागौर) उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ष 1994 में क्रमोन्नत हुआ था? यदि हां, तो क्या उक्त विद्यालय में अभी तक केवल दो संकाय विज्ञान एवं कला ही कार्यरत हैं? क्या उक्त विद्यालय में वाणिज्य संकाय अभी तक नहीं खोला गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में वाणिज्य संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थावला (नागौर) में व्याख्याताओं एवं वरिष्ठ अध्यापकों के कई पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने और कौन-कौनसे विषयों के? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नागौर जिले की विभिन्न माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्याख्याताओं एवं वरिष्ठ अध्यापकों के स्वीकृत/रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय थावला (नागौर) में वर्तमान में उक्त विद्यालय में वाणिज्य संकाय खोलने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं तथा न ही वर्तमान में विचाराधीन है।

(शिक्षा मंत्री)

(3) रा. उ. मा. वि. थावला (नागौर) में व्याख्याता एवं वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से है :-

क्र.सं.	पदनाम	विषय
1.	व्याख्याता	हिन्दी - 1
		र. शा. - 1
2.	व. अध्यापक	अंग्रेजी - 1
		सामा. - 1

(4) व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थनाएं प्रेषित की जा चुकी हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग से तथा पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

व्याख्याताओं की पदोन्नति में अनियमितताएं

160. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1992-93 से 1997-98 की अवधि के दौरान कितने स्कूली व्याख्याताओं एवं उप प्रधानाचार्य की सेवानिवृत्ति हुई तथा इससे कितनी रिक्तियां घोषित हुईं?

(2) प्रश्न के भाग-1 के अनुक्रम में उक्तावधि के दौरान विभाग द्वारा कब-कब पदोन्नति समिति की बैठकें हुईं एवं वर्षवार कितने व किन-किन को उप प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नति की अभिशंसा की गयी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि निदेशालय प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा दिनांक 28 अक्टूबर, 1997 को जारी पदोन्नति आदेश में राज्य वरिष्ठता सूची के क्रमांक 1094 पर उल्लिखित स्कूली व्याख्याता पर विचार न कर उनसे कनिष्ठ व्याख्याता क्रमांक 1095 से 1110 व्याख्याताओं को उप प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नति दे दी गयी? यदि हां, तो क्यों? विवरण मय तथ्यात्मक स्थिति के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि प्रश्न के भाग-3 में उल्लिखित व्याख्याताओं को सेवानिवृत्ति के पूर्व पदोन्नति आदेश जारी किये जाते तो इन्हें सेवानिवृत्ति से पूर्व उप प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति मिल जाती?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर सम्बन्धित व्यक्ति को नोशनल पदोन्नति का लाभ पूर्व तिथि से आदेश जारी करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) वर्ष 1992 से अक्टूबर, 1997-98 की अवधि के 2022 व्याख्याताओं तथा 278 उप प्राचार्य राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं तथा इतने ही पदों की रिक्तियां घोषित हुईं।

(शिक्षा मंत्री)

(2) उक्त अवधि में उप प्रधानाचार्य के पदों हेतु पदोन्नति समिति की आयोजित बैठकों एवं चयन किये गये उप प्रधानाचार्यों का विवरण इस प्रकार से है :-

क्र.सं.	वर्ष	बैठक आयोजित होने की तिथि	मूल सूची में चयनित उप प्राचार्य की संख्या
1.	92-93	3.11.93	271
2.	93-94	27.6.94	389
3.	94-95	23.6.95	340
4.	95-96	23.6.95	431
5.	96-97	31.10.96	445
6.	97-98	3.5.97	529

(3) वर्ष 1997-98 की रिक्तियों के विरुद्ध 529 उप प्रधानाचार्य का चयन विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा किया गया, जिसमें से 276 व्याख्याता कोटे से तथा 253 प्रधानाध्यापक (मावि) कोटे से राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के प्रावधानानुसार किया गया। राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची वर्ष 1971 से 1981 की सूची के वरिष्ठता क्रमांक 826 तक व्याख्याताओं का चयन मूल सूची में उप प्रधानाचार्य के पद पर किया गया। पदोन्नति समिति में राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के उप नियम 24(3) के अनुसार आरक्षित सूची में वरिष्ठता क्रमांक 827 से 1945 तक के व्याख्याताओं के नाम रखने की अभिशंसा की गयी। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के उप नियम 24(3) के अनुसार आरक्षित सूची के वरिष्ठता क्रमांक 1110 तक के व्याख्याताओं को आदेश दिनांक 28.10.1997 के द्वारा 1.11.97 से होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध अस्थायी (तदर्थ) पदोन्नति प्रदान की गयी।

पदोन्नति आदेश प्रसारित किये जाने की तिथि को विद्यालयों में मध्यावधि अवकाश (दीपावली अवकाश) होने तथा कार्यालयों में दो दिन का दीपावली अवकाश होने के कारण 31.10.97 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के नाम निदेशालय, बीकानेर के आदेश दिनांक 28.10.97 में तदर्थ पदोन्नति हेतु सम्मिलित नहीं किये गये क्योंकि यह तदर्थ पदोन्नति दिनांक 1.11.97 को होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध की गयी थी, वरिष्ठता क्रमांक 1094 पर उल्लिखित श्री विजय कृष्ण कल्ला का नाम समिति की अभिशंसा के आधार पर आरक्षित सूची में रखा गया था तथा श्री कल्ला दिनांक 31.10.97 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे थे तथा विद्यालयों में मध्यावधि (दीपावली अवकाश) अवकाश होने तथा 1.11.97 को होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध तदर्थ पदोन्नति देने के कारण श्री कल्ला को तदर्थ पदोन्नति नहीं दी गयी।

(4) जी नहीं। क्योंकि विद्यालयों में मध्यावधि अवकाश था। सेवानिवृत्त होने वाले लोक सेवकों को यथासमय पदोन्नति आदेश मिलने की सम्भावना नगण्य थी तथा पदोन्नति दिनांक 1.11.97 की रिक्तियों के विरुद्ध ही की गयी थी, परिणामस्वरूप श्री कल्ला इस पदोन्नति के पात्र नहीं थे।

(शिक्षा मंत्री)

(5) जी नहीं। नोशनल पे (काल्पनिक वेतन) पूर्व वर्षों की डी. पी. सी. में चयन होने पर दिये जाने का नियमों में प्रावधान है। श्री विजय कृष्ण कल्ला का चयन वर्ष 1997-98 की डी.पी.सी. में मूल सूची में नहीं होकर आरक्षित सूची में हुआ था, अत: श्री कल्ला नियमानुसार नोशनल पे (काल्पनिक वेतन) पाने के हकदार नहीं हैं।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय बालानन्दजी का रास्ता, जयपुर में कार्यरत अध्यापक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

161. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत जयसिंहपुरा, तहसील आमेर व कतिपय कृषक ग्राम टाडावास, तहसील आमेर, जिला जयपुर के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय बालानन्दजी जयपुर शहर के अध्यापक द्वारा उन्हें नाजायज परेशान करने एवं ड्यूटी पर नहीं जाने व मुख्यालय पर नहीं रहने की एक शिकायत सम्भागीय आयुक्त जयपुर व शिक्षा सचिव एवं मुख्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्री को की गयी है? यदि हां, तो शिकायती पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायती पत्रों पर उक्त अध्यापक के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण मय जांच रिपोर्ट की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अध्यापक के विरुद्ध पूर्व में आपराधिक प्रकरण भी थाना श्याम नगर जयपुर अथवा जिले के अन्य किसी थाने में दर्ज है? यदि हां, तो उक्त प्रकरणों की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक ने राज्य से बाहर की डिग्री ले रखी है? यदि हां, तो क्या उक्त संस्था की डिग्रियां सही पायी गयी हैं? उक्त अध्यापक की नियुक्ति के समय उसके द्वारा प्रस्तुत सम्पूर्ण प्रमाण-पत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त अध्यापक का दूरस्थ जिले में स्थानान्तरण करके उक्त अध्यापक के विरुद्ध की गयी शिकायतों एवं आपराधिक प्रकरणों एवं शिक्षा सम्बन्धित ली गयी राज्य के बाहर की डिग्रियों की जांच करवा कर अध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) सरकार अब उक्त अध्यापक का दूरस्थ जिले में स्थानान्तरण करके कब तक इसके विरुद्ध आरोपों की जांच के आदेश जारी कर देगी?

उत्तर

(1) जी हां। संभागीय आयुक्त, जयपुर को की गयी शिकायत, जो विभाग में प्राप्त हुई है, की प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) संभागीय आयुक्त, जयपुर से प्राप्त शिकायत की जांच करवायी गयी तथा दोषी अध्यापक के विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के तहत आरोप पत्र दिया गया है। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-ख संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(शिक्षा मंत्री)

(4) जी नहीं। अध्यापक द्वारा नियुक्ति के समय पर प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां परिशिष्ट-ग, घ, च, छ संलग्न हैं।

(5) जी नहीं। अध्यापक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच की जाकर तदनुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

(6) जांच करवायी जाकर तदनुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

जयपुर शहर के निजी विद्यालयों में अध्यापकों की योग्यताएं

162. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) निजी क्षेत्र में उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित करने की मान्यता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या शर्तें एवं नियम बनाये हुए हैं? नियमों एवं शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर शहर सीमा क्षेत्र में उक्त नियमों एवं शर्तों की पालना किस-किस विद्यालय द्वारा की जा रही है और किस-किस विद्यालय द्वारा नहीं की जा रही है? विद्यालय के नाम एवं क्षेत्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य के लिए शिक्षक की निर्धारित योग्यता कितनी होनी चाहिए? क्या उक्त क्षेत्र के उक्त विद्यालयों में उक्त योग्यता वाले अध्यापक कार्य कर रहे हैं? उक्त की पालना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है और दोषी संस्था के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा सकती है? उक्त कार्यवाही करने के लिए किस स्तर का अधिकारी सक्षम होता है और गत पांच वर्षों में किस-किस विद्यालय के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

(4) शास्त्री नगर एवं विद्याधर नगर क्षेत्र में उक्त स्तर के किस-किस विद्यालय में कौन-कौन अध्यापक अध्यापन कार्य कर रहा है? विद्यालय के नाम, अध्यापक के नाम एवं योग्यता सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त क्षेत्र के विद्यालयों में छात्रों के शारीरिक विकास एवं खेल प्रतिभा के विकास हेतु क्या खेल मैदान भी उपलब्ध हैं? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय में उपलब्ध हैं और किस-किस विद्यालय में उपलब्ध नहीं हैं? क्या सरकार ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) निजी क्षेत्र में सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय संचालित करने की मान्यता हेतु नियम व शर्तों का उल्लेख राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम, 1989 एवं इसके तहत बनाये हुए नियम, 1993 में विस्तार से प्रावधित है जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी है। अत: श्रम एवं व्यय साध्य होने की वजह से प्रति सदन की मेज पर रखा जाना उपयुक्त नहीं है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जयपुर शहर की सीमा क्षेत्र में उक्त नियमों एवं शर्तों की पालना करने वाले और नहीं करने वाले विद्यालयों का नाम एवं क्षेत्र सहित विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है। (परिशिष्ट-क, भाग-अ एवं ब)

(3) हायर सैकण्डरी विद्यालय में अध्यापन कार्य के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर एवं बी. एड. है।

जी हां। उक्त क्षेत्र के विद्यालयों में निर्धारित योग्यता वाले अध्यापक कार्य कर रहे हैं।

उक्त पालना सुनिश्चित करने के लिए संस्थाओं का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है और दोषी पाये जाने पर नोटिस देकर अधिकतम मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकती है।

उक्त कार्यवाही करने के लिए निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी सक्षम होता है और गत पांच वर्षों में किसी विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गयी।

(4) शास्त्री नगर एवं विद्याधर नगर क्षेत्र के उक्त स्तर के किस-किस विद्यालय में कौन-कौन अध्यापक कार्य कर रहा है उनके नाम व योग्यता का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है। (परिशिष्ट-ख)।

(5) उक्त क्षेत्र के विद्यालयों में छात्रों के शारीरिक विकास एवं खेल प्रतिभा के विकास हेतु जिन विद्यालयों में खेल मैदान उपलब्ध हैं और जिनमें खेल मैदान उपलब्ध नहीं हैं उसका विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-ग)।

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता अनुदान सहायता और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के परिशिष्ट-2 के आइटम संख्या–3 में भूमि (खेलकूद मैदान) सम्बन्धी प्रावधान में विभागीय परिपत्र दिनांक 19.3.1994 द्वारा शिथिलता देते हुए विद्यालयों में शारीरिक विकास हेतु उपयुक्त व्यवस्था होना आवश्यक माना गया है। अत: कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

जयपुर शहर के अनुदानित विद्यालय

163. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निजी स्कूलों को मान्यता एवं अनुदान प्रदान किया जाता है? यदि हां, तो जयपुर जिले में कितने-कितने, किन–किन निजी स्कूलों को मान्यता एवं अनुदान दिया जाता है? सूची मय पते के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जयपुर जिले में 2294 मान्यता एवं 132 अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय हैं। सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है। (परिशिष्ट-क)।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सैकण्डरी कक्षा पास करने हेतु निर्धारित आयु

164. श्री निर्भयलाल (रूपवास) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित हाई स्कूल परीक्षा, 1962 में अभ्यर्थी के प्रविष्ट होने की आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित थी? यदि हां, तो वर्ष 1962 के प्रभावी नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजकीय हाई स्कूल कांवट, नीमकाथाना एवं श्रीमाधोपुर जिला सीकर, राजकीय हाई स्कूल, मालपुरा जिला टौंक एवं शिक्षा समिति स्कूल जाट के कुएं का रास्ता, जयपुर के हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 1961 एवं 1962 में प्रविष्ट अभ्यर्थियों में 15 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थी सम्मिलित थे? यदि हां, तो उक्त छात्रों की सूची मय स्कूल नाम, रोल नम्बर, नाम अभ्यर्थी एवं जन्म तिथि के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सैकण्डरी स्कूल परीक्षा पद्धति में अभ्यर्थी के परीक्षा में बैठने की आयु प्रथम बार 15 वर्ष निर्धारित हुई थी? यदि हां, तो उक्त प्रावधान नियमों में किस वर्ष प्रारम्भ किया गया एवं किस वर्ष उक्त प्रावधान समाप्त किया गया? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। बोर्ड बैठक दिनांक 29.4.63 के निर्णय संख्या 6 के अनुसार उसी वर्ष से सैकण्डरी स्कूल परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष निर्धारित की गयी। यह आयु सीमा प्रतिबंध बोर्ड बैठक दिनांक 11.3.76 के निर्णय संख्या-4 (2) के अनुसार वर्ष 1977 की सभी परीक्षाओं से हटा दिया गया। निर्णयों की प्रतियां संलग्न है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें।)

उप निदेशक शिक्षा चूरू द्वारा अनियमित स्थानान्तरण

165. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला झुंझुनूं में जून, 2001 से अगस्त, 2001 तक की अवधि में उप निदेशक शिक्षा विभाग चूरू के द्वारा किस-किस श्रेणी के कितने-कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये?

(2) उक्त में से कितने स्थानान्तरण जिले के अन्दर किये गये तथा कितने बाहर के जिलों से झुंझुनूं जिले में किये गये? उक्त स्थानान्तरण किन मानदण्डों के आधार पर किये गये?

(3) क्या यह सही है कि स्थानान्तरण निर्धारित मानदण्ड ठहराव काल, रिक्त स्थान व प्राथमिकता आदि का कोई ध्यान नहीं रखा गया तथा मनमर्जी से किये गये हैं?

(4) उक्त स्थानान्तरित अध्यापकों में कितने ऐसे हैं जिनका ठहराव दो साल की अवधि से

(श्री शिवनाथ सिंह)

कम था फिर भी स्थानान्तरण किये गये हैं।

उत्तर

(1) जिला झुंझुनूं में जून, 2001 से अगस्त, 2001 के मध्य उप निदेशक (माध्यमिक) चूरू द्वारा 121 वरिष्ठ अध्यापकों, 17 वरिष्ठ शा. शिक्षकों, 02 वरिष्ठ पुस्तकालयाध्यक्षों, 01 अध्यापक (III ग्रेड), 04 शा. शिक्षक (III ग्रेड) तथा 02 पुस्तकालयाध्यक्ष (III ग्रेड) कुल 147 स्थानान्तरण किये गये।

(2) उक्त में से जिले का जिले के अन्दर 78 तथा 69 अन्य जिलों से झुंझुनूं जिले में स्थानान्तरण किया गया है। उक्त स्थानान्तरण राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश पत्र क्रमांक: एफ-5 (11) शिक्षा-2/94 पार्ट दिनांक 17.5.2001 द्वारा वर्ष 2001-2002 हेतु शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु जारी निर्देशों एवं निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक : शिविरा-मा/संस्थापन/एफ-1/12191/2001 दिनांक 25.7.2001 के द्वारा जारी निर्देश के आधार पर किये गये।

(3) उक्त स्थानान्तरण निर्धारित मानदण्ड, ठहराव काल व रिक्त स्थान आदि की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर ही स्थानान्तरण किये गये हैं। मनमर्जी से कोई स्थानान्तरण नहीं किये गये हैं।

(4) उक्त में 13 अध्यापक ऐसे हैं जिनका ठहराव दो वर्ष से कम अवधि में स्थानान्तरण निदेशालय के पत्र दिनांक 26.7.2001 से प्राप्त निर्देशों की पालना में किये गये।

विधान सभा क्षेत्र मण्डावर के विद्यालयों में रिक्त पद

166. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं? क्या उक्त में अध्यापकों की संख्या पूरी नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या पूरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में कितने राजकीय उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत वर्तमान तक किसी भी विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं किया गया है। अत: अध्यापकों की संख्या कम होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(2) प्रश्न के भाग संख्या-1 के अनुसार।

(3) विधान सभा क्षेत्र मण्डावर में राजकीय माध्यमिक तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 15 व्याख्याताओं, 19 वरिष्ठ अध्यापकों तथा 29 अध्यापकों के पद वर्तमान में रिक्त हैं। व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थनाएं

(शिक्षा मंत्री)

प्रेषित की जा चुकी हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा। वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अध्यापकों के रिक्त पद प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा चयनित अध्यापक उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी के विद्यालयों में रिक्त पद

167. श्रीमती मधु दाधीच (निम्बाहेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्राचार्य/उपाचार्य/व्याख्याताओं एवं अन्य विषयों के शिक्षकों के कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य/व्याख्याताओं एवं अन्य विषय अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण इस प्रकार से है :-

क्र.सं.	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	प्रधानाचार्य	02
2.	उप प्रधानाचार्य	---
3.	व्याख्याता	12
4.	व. अध्यापक	17
5.	अध्यापक - तृतीय श्रेणी	13

(2) जी हां। प्रधानाचार्य के पद विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर भरा जाना संभव हो सकेगा। व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थनाएं प्रेषित की जा चुकी हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा विभागीय पदोन्नति समिति के द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जाना सम्भव हो सकेगा। वरिष्ठ अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

168. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा हेतु निजी कम्पनी कम्प्यूकाम को अनुमति प्रदान की गयी है? यदि हां, तो किन शर्तों पर? सहमति-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि इतने बड़े स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षण का ढांचा सम्बन्धित कम्पनी के पास उपलब्ध है? यदि हां, तो उक्त किस स्तर पर कैसे सुनिश्चित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(3) ग्यारहवें वित्त आयोग से पोषित प्रत्येक जिले में खुले कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र का क्या प्रारूप प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) जी हां। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा राज्य के 624 उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिनमें विज्ञान या वाणिज्य अथवा दोनों संकाय संचालित हैं, में कम्प्यूटर शिक्षा लागू की गयी है, में से 552 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा का कार्य मैसर्स कम्प्यूकाम साफ्टवेयर लि., जयपुर को सौंपा गया है। फर्म को दिये गये कार्यादेश, अनुबंध-पत्र एवं निविदा की शर्तें परिशिष्ट-क सदन के पटल पर रख दी हैं।

(2) जी हां। कम्प्यूटर शिक्षा हेतु बोर्ड की निविदा संख्या- एसीए/कम्प्यूटर एजूकेशन-1/ दिनांक 7.8.2000 के द्वारा खुली निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं। निविदाएं दो भागों में थीं। भाग (अ) टेक्निकल बिड तथा भाग (ब) कामर्शियल बिड। टेक्निकल बिड क्वालिफाई करने के बाद ही कामर्शियल बिड खोली जानी थी। निविदा प्रपत्र की शिड्यूल संख्या-4 के भाग "सी" के बिन्दू संख्या-1 में तकनीकी बिड को क्वालिफाई करने की योग्यता मानदण्ड (Eligibility Criteria) दिये हुए थे। मैसर्स कम्प्यूकाम साफ्टवेयर लिमिटेड, जयपुर ने इस योग्यता मानदण्ड में दिये गये मानदण्डों को न केवल क्वालिफाई किया बल्कि उनकी दरें भी न्यूनतम रही हैं। अत: योग्यता मानदण्डों पर खरा उतरने एवं न्यूनतम दरों के कारण इन्हें कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कार्यादेश दिया गया।

(3) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जा चुका है। राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन उपरान्त योजना का क्रियान्वयन किया जा सकेगा।

(परिशिष्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के विद्यालयों में रिक्त पद

169. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कितने माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कितने पद स्वीकृत हैं और श्रेणीवार उक्त में कितने पद कब से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्र में बालकों की संख्या की तुलना में स्वीकृत पद कम हैं और उक्त में से भी कुछ पद रिक्त हैं? यदि हां, तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण शिक्षा का स्तर कैसे सुधारा जा सकेगा?

(4) उक्त क्षेत्र में रिक्त पदों को भरे जाने एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न संकाय में नये विषय खोलने बाबत वर्ष

(श्री कन्हैया लाल)

1998 से सितम्बर, 2001 तक कितने पत्र सरकार को कहां-कहां से प्राप्त हुए? प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त पर सकारात्मक कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 06 उच्च माध्यमिक एवं 15 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट-क सदन के पटल पर रख दिया है।

(2) उक्त विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट-ख सदन के पटल पर रख दिया है।

(3) जी नहीं। विद्यालयों में स्वीकृत पदों की तुलना में रिक्त पदों का प्रतिशत बहुत कम है। वरिष्ठ अध्यापक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कर 496 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। शेष पदों को मा. उच्च न्यायालय के स्थगन के कारण नहीं भरा जा सका है। व्याख्याताओं के पदों पर सीधी भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को निदेशालय, बीकानेर द्वारा दिनांक 20.12.2000 एवं दिनांक 25.10.2001 को संशोधित अर्थनाएं भेजी गयी हैं। भर्ती की प्रक्रिया जारी है। पदोन्नति के रिक्त पदों को भरने के प्रयास किये जा रहे हैं। विद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को 125 रुपये प्रति दिन या 40 रुपये प्रति कालांश मानदेय पर रखने की भी व्यवस्था की गयी है ताकि विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान न हो।

(4) विषय/संकाय खोलने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों की प्रति परिशिष्ट-ग अनुसार सदन के पटल पर रख दी है।

(5) रिक्त पदों की पूति के लिए वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से पदस्थापन किया गया तथा द्वितीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों को उनकी स्वयं की वेतन श्रृंखला में पाते वेतन में व्याख्याता के रिक्त पदों पर तथा योग्यताधारी तृतीय श्रेणी के अध्यापकों को पाते वेतन में द्वितीय वेतन श्रृंखला के पद विरुद्ध पदस्थापित कर पदों को भरने के प्रयास किये गये। इसके साथ ही जिन विद्यालयों में अधिकांश पद भरे हुए हैं , में से एक-एक वरिष्ठ अध्यापक/व्याख्याता को निकट के विद्यालय जिनमें पद रिक्त हैं, में अध्यापन व्यवस्था के लिए अस्थायी आधार पर लगाया गया है। विषय/संकाय खोलने के लिए बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं है। फलस्वरूप विषय/संकाय नहीं खोले जा सके हैं। आगामी वर्षों में बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ क्षेत्र की मांग, छात्रों की संख्या व गुणावगुण के आधार पर विचारार्थ रखा जा सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें।)

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलवर में पिछड़ी जाति के चयनित अभ्यर्थी

170. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क) एवं **श्री अशोक** (खण्डार) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री उदयसिंह राठौड़)

(1) वर्ष 2000 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलवर में पिछड़ी जाति कोटे में किन-किन दसवीं उत्तीर्ण आशार्थियों/उम्मीद्वारों का किस-किस हैड में चयन किया गया?

(2) उक्त चयनित उम्मीद्वार/आशार्थियों की सूची मय वल्दियत उनके बोर्ड सर्टिफिकेट, अंक तालिकाओं की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पिछड़ी जाति के जिन-जिन आशार्थियों/उम्मीद्वारों को प्रवेश दिया गया है, उसकी सूची (व्यवसाय सहित) संलग्न है। परिशिष्ट-'अ'।

(2) आई. टी. आई. अलवर में चयनित उम्मीद्वारों/आशार्थियों के बोर्ड सर्टिफिकेट, अंक तालिकाओं की प्रमाणित फोटो प्रतियां संलग्न हैं। परिशिष्ट-'ब'।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जवाहर कला केन्द्र जयपुर हेतु आबंटित राशि

171. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर स्थित जवाहर कला केन्द्र के लिए वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया?

(2) उक्त राशि में किन-किन कार्यकलापों तथा अन्य प्रकार के आइटम्स पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी?

(3) उक्त संस्था के लिए क्या स्टाफ पैटर्न है, किस-किस श्रेणी के किस-किस वेतनमान के कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त हैं तथा प्रावधान राशि में से उक्त वर्षों में कितनी-कितनी राशि वेतन, भत्तों आदि पर व्यय की गयी?

(4) उक्त अवधि में उक्त कला केन्द्र में कला संस्कृति की दृष्टि से कौन-कौनसे कार्यक्रम आयोजित किये गये तथा उक्त पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी?

उत्तर

(1) जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के लिए निम्नानुसार राशि का प्रावधान किया गया है :-

(रुपये लाखों में)

वर्ष	आयोजना भिन्न	आयोजना
1999-2000	32.35	70.00
2000-2001	30.80	50.74
2001-2002	30.80	40.00

(2) उक्त राशि में किये गये कार्यकलापों का एवं अन्य प्रकार के आइटम्स पर व्यय की गयी राशि का विवरण अनुसूची प्रथम (अ), (बी) संलग्न है।

(3) स्टाफ पैटर्न अनुसूची द्वितीय पर एवं अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण मय

(राज्य मंत्री, कला एवं संस्कृति)

वेतनमान की सूची अनुसूची तृतीय पर संलग्न है। व्यय की राशि का विवरण अनुसूची प्रथम ''स'' ''द'' संलग्न है।

(4) केन्द्र में उक्त अवधि में किये गये कार्यक्रमों का विवरण संलग्न कर दिया गया है। (अनुसूची चतुर्थ)। इन कार्यक्रमों पर व्यय की गयी राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

1999-2000	37.83 लाख
2000-2001	21.20 लाख
2001-2002	2.65 लाख (सितम्बर तक)

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 172

(स्थगित)

राजियावास तालाब अजमेर की भराव क्षमता में वृद्धि

173. श्री के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के अन्तर्गत कितने तालाब हैं और उक्त का रख रखाव सरकार किस प्रकार से कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पंचायत समिति जवाजा के ग्राम राजियावास में विभाग के तालाब की जल आवक क्षमता बढ़ाने हेतु सूरा घाटा फीडर नाम की कोई अपूर्ण योजना है? यदि हां, तो उक्त कार्य का कितना भाग पूर्ण हो चुका है? उक्त अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराने की सरकार की क्या योजना है?

(3) क्या ब्यावर शहर में विभाग का कोई कार्यालय है? यदि हां, तो किस स्तर का व कब से कार्यरत है?

(4) उक्त कार्यालय का कार्य क्षेत्र क्या है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के अन्तर्गत सिंचाई विभाग में कुल 19 तालाब हैं। उक्त तालाबों के रखरखाव सहायक अभियन्ता सिंचाई उप खण्ड ब्यावर के अन्तर्गत दो कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा एम. एण्ड आर. मद में आबंटित बजट से किया जाता है।

(2) जी हां। इस फीडर का 85 प्रतिशत कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत पूर्ण हो चुका है। शेष अपूर्ण कार्य को वित्तीय संसाधन की उपलब्धतानुसार पूर्ण किया जाना सम्भव होगा।

(3) जी हां। यह कार्यालय सहायक अभियन्ता स्तर का है व लगभग 40 वर्षों से कार्यरत है।

(4) उक्त कार्यालय के कार्य क्षेत्र में पंचायत समिति पीसांगन व पंचायत समिति जवाजा के कुल 41 तालाब हैं।

चांदन बुलमदर फार्म (जैसलमेर) का कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर को स्थानान्तरण

174. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर का चांदन बुलमदर फार्म थारपारकर नस्ल सुधार का सरकार का उपक्रम था?

(2) क्या यह भी सही है कि गत कुछ वर्षों से चांदन फार्म को कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर को दे रखा है?

(3) उक्त फार्म को कृषि विश्वविद्यालय को किन शर्तों पर सुपुर्द किया है? एग्रीमेंट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) चांदन फार्म पर राजकीय कोष से कितनी पूंजी लगा रखी है तथा केन्द्र से कितनी राशि प्राप्त हुई है?

(5) क्या यह सही है कि चांदन थारपारकर फार्म जिले में नस्ल सुधार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है?

(6) क्या यह भी सही है कि चांदन फार्म के पास भादरीया संस्था में सात हजार अन्य नस्ल के बैल हैं जो कि थारपारकर नस्ल को बिगाड़ रहे हैं?

(7) क्या सरकार भादरीया ट्रस्ट के बैलों का बधियाकरण करने तथा थारपारकर बैलों को ही पंचायतों में रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला जैसलमेर का चांदन बुलमदर फार्म थारपारकर नस्ल सुधार हेतु फार्म था। जिसकी स्थापना वर्ष 1964 में प्रजनन फार्म के रूप में राजस्थान पशुपालन विभाग के अधीन की गयी थी।

(2) वर्ष 1984 में डी. आर. डी. ए. जैसलमेर ने चांदन फार्म को राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान (तत्कालीन सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर) को स्थानान्तरित कर दिया, अत: दिसम्बर, 1984 से यह फार्म विश्वविद्यालय के अधीन प. अ. केन्द्र के रूप में कार्यरत है।

(3) पशुधन अनु. केन्द्र चांदन (जैसलमेर) का मूल उद्देश्य थारपारकर गायों का मूल्यांकन संरक्षण एवं उन्नति करना है। शर्तों एवं करार (एग्रीमेंट) की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) वर्ष 1964 से आज तक यह फार्म विभिन्न विभागों के अधीन रहा है एवं इस अवधि के लेखा अभिलेख यहां उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 2000-2001 में राज्य योजना मद में व्यय रुपये 29.06 लाख व गैर योजना मद में रुपये 16.37 लाख व्यय एवं कुल व्यय 45.43 लाख रुपये का हुआ है।

(5) जी नहीं। थारपारकर नस्ल पर अनुसंधान से अच्छे परिणाम सामने आये हैं। चांदन फार्म ने थारपारकर गायों से एक ब्यात में लगभग 3000 लीटर तक दुग्ध उत्पादन किया है। इन गायों के दो ब्यात का अन्तर औसतन 392 दिन एवं दूध न देने की शुष्क अवधि 123 दिन तक घटा ली गयी है। विषम परिस्थितियों को देखते हुए राज्य के पश्चिमी भाग में थारपारकर गायों की उपलब्धि विदेशी नस्ल की गायों से कम नहीं है। दिनांक 15.2.2000 से 21.2.2000 तक जयपुर में आयोजित 47वीं

(कृषि मंत्री)

अखिल भारतीय पशुधन एवं कुक्कुट प्रदर्शनी में केन्द्र की गायों ने अधिकतम दुग्ध उत्पादन के लिए दो श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, साथ ही नस्ल के गुणों की श्रेणी में केन्द्र के सांडों एवं गायों ने क्रमश: द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 1984 से 2000 तक फार्म द्वारा पशुपालकों, सरकारी संस्थाओं व गैर सरकारी संस्थाओं को कुल 987 उच्च गुणवत्ता के पशु उपलब्ध कराये हैं।

(6) जी नहीं। भादरीय गौशाला में कुल 1432 साण्ड उपलब्ध हैं। इन सांडों को बधिया कर थारपारकर नस्ल के ह्रास से रोका जा रहा है।

(7) जी हां।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें।)

पंचायत समिति गढ़ी (बांसवाड़ा) के अरगढ़ा विहीन पशु चिकित्सालय

175. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति गढ़ी (बांसवाड़ा) के किन-किन पशु चिकित्सालय/पशु चिकित्सा उप केन्द्रों पर ट्रेवीस (अरगढ़ा) की सुविधा है एवं किन-किन केन्द्रों पर उक्त सुविधा नहीं है?

(2) क्या उक्त अभाव में पशु चिकित्सा कर्मियों व पशुपालकों को किसी प्रकार की समस्या आ रही है?

(3) क्या सरकार ट्रेवीस सुविधा से रहित चिकित्सालय/उप केन्द्रों पर उक्त सुविधा स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति गढ़ी (बांसवाड़ा) में जिन-जिन पशु चिकित्सालय/पशु चिकित्सा उप केन्द्रों पर ट्रेवीस (अरगढ़ा) की सुविधा उपलब्ध है एवं जिनमें उक्त सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनकी सूची संलग्न है।

(2) ट्रेवीस (अरगढ़ा) के अभाव में पशु को नियंत्रित करने में कुछ समस्या आती है, किन्तु यह नहीं होने पर भी किसी पेड़ से पशु को बांध कर पशु नियंत्रित किया जा सकता है।

(3) बजट की उपलब्धता पर उक्त सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-19 देखें।)

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा अनियमितता

176. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर द्वारा निर्माण कार्यों पर जयपुर एवं दौसा जिले में कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों के

(श्री भंवरलाल शर्मा)

लिए निम्नतम निविदा के स्थान पर उच्चतम निविदा स्वीकृत की गयी? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा जयपुर एवं दौसा जिलों में निर्माण कार्यों पर कुल 47.43 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी। विवरण परिशिष्ट-'क' पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। उक्त कार्यों में से केवल दो कार्यों में ही न्यूनतम निविदा दर से अधिक दर की दरें स्वीकृत की गयी हैं। इन दरों की स्वीकृति लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के चैप्टर-7 के नियम संख्या-21/3-VII एवं 23 तथा 24 के तहत निहित प्रावधानानुसार की गयी है। इस सम्बन्ध में शासन सचिव, डेयरी को पुनर्विचार कर यथोचित कार्यवाही हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-20 देखें।)

जिला बाड़मेर व जैसलमेर की राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में अप्रशिक्षित शिक्षा सहयोगी

177. श्री अमीन खान (शिव) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1999 से अगस्त, 2001 तक राज्य में कितनी राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं स्वीकृत की गयीं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में वर्ष 1999 से अगस्त, 2001 तक कुल कितनी राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं स्वीकृत की गयीं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में शिक्षा सहयोगी स्थानीय जिलों के कितने हैं और बाहर के कितने हैं?

(4) उक्त जिलों की जिन शालाओं में बिना ट्रेनिंग या 8वीं पास शिक्षा सहयोगी हैं और उन्होंने दो साल में अच्छी पाठशालाएं चलायी हैं उनके भविष्य पर सरकार क्या कोई विचार कर रही है?

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से अगस्त, 2001 तक राज्य में स्वीकृत राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं की जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट-'क' संलग्न है।

(2) वर्ष 1999 से अगस्त, 2001 तक जिला बाड़मेर में 2159 तथा जैसलमेर में 645 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं स्वीकृत की गयी हैं। पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(3) जिला बाड़मेर में 1509 शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं वे सभी बाड़मेर जिले के हैं। जैसलमेर जिले में 342 शिक्षा सहयोगी कार्यरत हैं उनमें से 337 जैसलमेर के हैं तथा 5 बाहर के हैं।

(पंचायती राज मंत्री)

(4) नीतिगत विषय है, राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय चूरू द्वारा किये गये स्थानान्तरणों में अनियमितता

178. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला चूरू की विभिन्न पंचायत समितियों में दिनांक 30 जून, 2001 को किस-किस पंचायत समिति में कितने-कितने अध्यापकों के पद रिक्त थे और कितने अध्यापक पदस्थापित थे? पंचायत समितिवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले की किस-किस पंचायत समिति में वर्तमान में किस-किस जिले से कितने-कितने अध्यापकों को किस-किस आधार पर पदस्थापित किया गया? स्थानान्तरित अध्यापकों की जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में स्थानान्तरण के लिए किस-किस अध्यापक ने किस-किस जिले से स्थानान्तरण के लिए आवेदन किया था? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गृह जिले से बाहर पदस्थापित महिला अध्यापकों को अपने गृह जिले में स्थानान्तरण हेतु कोई वरीयता दी जाती है? यदि हां, तो किस आधार पर और नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अब उक्त सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा अध्यापकों के स्थानान्तरण (अन्तर जिला स्थानान्तरण) सम्बन्धी कोई नीति बना रखी है? यदि हां, तो क्या? क्या उक्त नीति में महिलाकर्मियों को कोई छूट दी गयी है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों? स्थानान्तरित नीति की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) अन्तर जिला स्थानान्तरण के लिए महिला अध्यापकों को अपने प्रथम नियुक्ति स्थल पर कितने वर्ष की सेवा अवधि होना आवश्यक है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 30 जून, 2001 को चूरू जिले की विभिन्न पंचायत समितियों में अध्यापकों के स्वीकृत एवं पदस्थापित पदों का पंचायत समितिवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-'क' संलग्न है।

(2) जिला चूरू की विभिन्न पंचायत समितियों में अन्तर जिला स्थानान्तरण से आये अध्यापकों की जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट-'ख' संलग्न है।

(3) जिला चूरू में अन्य जिलो से स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन का नामवार विवरण परिशिष्ट-'ग' पर संलग्न है।

(पंचायती राज मंत्री)

(4) जी हां। अध्यापकों के स्थानान्तरण हेतु जारी दिशा-निर्देशों की प्रतियां परिशिष्ट (घ–ड.–च) पर संलग्न है।

(5) जी हां। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट- 'घ–ड़' पर संलग्न है।

(6) अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु अध्यापकों को अपने पदस्थापित स्थान पर दो वर्ष की सेवा आवश्यक है, निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-'च' पर संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

कोटा में तृतीय श्रेणी अध्यापकों का स्थानान्तरण/पदस्थापन

179. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा कोटा जिले में अन्तर जिला से तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये हैं? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार के आदेश के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा कोटा व ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी इटावा के द्वारा उक्त अध्यापकों का पंचायत समिति में रिक्त पदों के बाद भी पदस्थापन नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है?

(3) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने व स्थानान्तरित अध्यापकों का पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। स्थानान्तरित अध्यापकों का विवरण परिशिष्ट-क संलग्न है।

(2) जिला कोटा की पंचायत समिति सुल्तानपुर में अध्यापकों के 2 पद रिक्त थे जिनमें स्थानान्तरित 9 अध्यापकों में से 2 अध्यापकों का पदस्थापन कर दिया गया है। शेष जिले की पंचायत समितियों में ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने के कारण पदस्थापन नहीं किया गया है।

(3) राज्य सरकार के आदेशानुसार रिक्त पदों पर 2 अध्यापकों का पदस्थापन कर दिया गया है। शेष पद रिक्त नहीं होने के कारण पदस्थापन नहीं किया गया है। इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अत: कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-21 देखें।)

ग्राम पंचायत करवर (कोटा) द्वारा कराये गये कार्यों में अनियमितता

180. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत करवर, पंचायत समिति नैनवां, जिला बूंदी में

(श्री रामगोपाल बैरवा)

कोरम की बैठकें नियमानुसार नहीं बुलाई जाती हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या उक्त ग्राम पंचायत में स्वर्ण जयन्ती योजना में दुकानों का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ है? यदि हां, तो कितनी दुकानें स्वीकृत की गयीं तथा उक्त के निर्माण में कितनी राशि स्वीकृत हुई है तथा कितनी राशि निर्माण के उपयोग में ली गयी एवं कितनी दुकानें निर्मित हुईं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत में सरपंच व सचिव द्वारा तालाब की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत में विधायक कोष से एवं अन्य योजनाओं से स्वीकृत राशि के कार्यों के निर्माण में अनियमितता की गयी है? क्या निर्माण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। बैठकें नियमानुसार बुलाई जाती हैं।

(2) जी हां। पांच दुकानें स्वीकृत की गयीं। इनके निर्माण हेतु 50,000 रुपये स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना, रुपये 15,000 आश्वासित रोजगार योजना से तथा 35,000 रुपये ग्राम पंचायत करवर की निजी आय द्वारा स्वीकृत किये गये थे। इस प्रकार इन दुकानों के निर्माण हेतु कुल एक लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी, जिसके विरुद्ध 1,00,691 रुपये का व्यय किया जाकर 5 दुकानों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

(3) जी हां। सरपंच ग्राम पंचायत करवर एवं सचिव द्वारा तालाब की भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की जांच विकास अधिकारी, पंचायत समिति नैनवां द्वारा करवायी जा रही है।

(4) विधायक कोष एवं अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की विकास अधिकारी से जांच करवायी जा रही है। अनियमितता बरतने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही की जावेगी।

पंचायत समिति पाली में शिक्षा प्रसार अधिकारी के रिक्त पद

181. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति रायपुर जिला पाली में शिक्षा प्रसार अधिकारी के स्वीकृत दोनों पद किस वर्ष से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त रिक्त पदों पर पदस्थापन करने के लिए क्षेत्रीय विधायक द्वारा निदेशक प्राथमिक शिक्षा बीकानेर को दो माह पूर्व लिखित में दिया था? यदि हां, तो अब तक पदस्थापन नहीं करने के क्या कारण हैं?

(3) उक्त दोनों रिक्त पद अब कब तक भर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति, रायपुर (पाली) में स्वीकृत अतिरिक्त ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों के तीन पद माह जनवरी, 2001, फरवरी,2001 एवं अगस्त, 2001 से रिक्त हैं।

(2) जी हां। अतिरिक्त ब्लाक शिक्षा अधिकारी विभाग में उपलब्ध नहीं होने तथा माननीय विधायक द्वारा पत्र में उल्लिखित अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरण हेतु आवेदन नहीं करने के कारण पदस्थापन नहीं किया जा सका है। वर्तमान में स्थानान्तरण पर प्रतिबंध है।

(3) स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्राप्त होने अथवा पदोन्नति या राजस्थान लोक सेवा आयोग के चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पद भरने पर विचार किया जा सकेगा।

विकास अधिकारी अटरू (बारां) के समक्ष विचाराधीन जांचें

182. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) फरवरी, 2000 से सितम्बर, 2001 तक पंचायत समिति अटरू (बारां) के विकास अधिकारी को जिला कलक्टर बारां व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् बारां द्वारा किस-किस जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है? उक्त शिकायतों तथा जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त की गयी जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये तथा जिला कलक्टर ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) फरवरी, 2000 से सितम्बर, 2001 की अवधि में विकास अधिकारी पंचायत समिति अटरू को जिला कलक्टर बारां द्वारा 3 शिकायतें एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बारां द्वारा 8 शिकायतों की जांच करने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। शिकायतों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। केवल एक शिकायत की जांच विकास अधिकारी अटरू द्वारा जिला कलक्टर को प्रेषित की गयी है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(2) उक्त शिकायतों में से एक जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच में पंच, कवाई को दो सन्तानों से अधिक होने का दोषी पाया गया है। सुनवाई का अवसर देने हेतु दिनांक 12.11.2001 नियत है। व्यक्तिगत सुनवाई के पश्चात् ही प्रकरण में निर्णय लिया जावेगा।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जिला जयपुर के प्राथमिक विद्यालय गोविन्दपुरा प्रथम (दौलतपुरा) के खेल मैदान पर अतिक्रमण

183. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोविन्दपुरा-प्रथम (दौलतपुरा) तहसील आमेर, जिला जयपुर के खेल मैदान पर अतिक्रमण कर लिया गया है? यदि हां, तो किसने? सरकार ने उक्त अतिक्रमण

(श्री भंवरलाल शर्मा)

को हटाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त मैदान की पंचायत सरपंच के समक्ष तथा तहसीलदार की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कर विभाग को सुपुर्द कर दिया गया था? यदि हां, तो कब और नहीं, तो पत्थरगढ़ी कब तक करा दी जाएगी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 15 वर्ष पूर्व भवन बना था? क्या उक्त कारण उक्त भवन अब तक भी बालकों के बैठने के काम नहीं आ रहा है? उक्त भवन पर किसने अतिक्रमण कर रखा है? क्या सरकार ने उक्त अतिक्रमण को हटाने हेतु कोई कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त भवन निर्माण में हुए गबन की जांच में कौन दोषी था और जांच में कितनी राशि का गबन पाया गया तथा राजकोष में गबन की कितनी राशि जमा हुई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। खेल मैदान की भूमि का कब्जा विभाग को सुपुर्द नहीं किया गया है। भूमि का कब्जा विभाग को दिये जाने पर पत्थरगढ़ी करवायी जा सकेगी। खेल मैदान का कब्जा प्राप्त करने हेतु तहसीलदार तथा सरपंच ग्राम पंचायत को लिखा गया है।

(2) जी हां। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, गोविन्दपुरा-प्रथम (दौलतपुरा) तहसील आमेर, जिला जयपुर के लिए निर्मित भवन के दो कमरे विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु काम में लिये जा रहे हैं। विद्यालय के एक कमरे में आंगनबाड़ी केन्द्र तथा एक कमरे में ए.एन.एम. केन्द्र चला रही है, जिसे खाली करने के लिए सम्बन्धितों को लिखा जा चुका है।

विकास अधिकारी, आमेर के अनुसार 15 वर्ष पूर्व में निर्मित भवन के निर्माण कार्य में किसी प्रकार का गबन व अनियमितता नहीं पायी गयी है।

ग्राम बसई (झुंझुनूं) के आम रास्तों पर अतिक्रमण

184. श्री रेवन्तराम पंवार (नोखा) एवं **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बसई, तहसील खेतड़ी (झुंझुनूं) में नदी के बहाव को बस्ती से दूर करने के लिए मिट्टी के अर्दन स्ट्रक्चर का निर्माण कर पत्थर की पिचिंग की गयी है? यदि हां, तो उक्त कार्य पर कितना व्यय हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्तमान में उक्त मिट्टी के अर्दन स्ट्रक्चर का बंध क्षतिग्रस्त होकर टूटने के कगार पर है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के पुन: निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम बसई, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनूं में पंचायत की निष्क्रियता के कारण डा. अम्बेडकर मौहल्ले के रास्तों में असामाजिक तत्वों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त

(श्री रेवन्तराम पंवार)

अतिक्रमणों को हटाकर पक्की सड़क का निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्राम रास्तों को चौड़ा करने हेतु अतिक्रमणकारियों को चिह्नित कर सीमेंट की सड़क के निर्माण का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट चिह्नित सूची एवं तकनीकी तकमीना का विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उपलब्ध सूचना के अनुसार जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा ग्राम टीबा बसई में इस प्रकार का कोई कार्य सम्पादित नहीं कराया गया है।

(2) उपरोक्तानुसार

(3) डा. अम्बेडकर बस्ती बसई तहसील खेतड़ी में किसी तरह का रास्तों पर अतिक्रमण नहीं है। ग्राम पंचायत की कोई निष्क्रियता नहीं है। अतिक्रमण पूर्व में हटाकर सीमेंट सड़क का निर्माण कराया जा चुका है।

(4) डा. अम्बेडकर बस्ती ग्राम बसई में अभी प्रशासन गांव के संग अभियान नहीं लगा है। डा. अम्बेडकर बस्ती में रास्तों पर कोई अतिक्रमण नहीं है। रास्ते में सीमेंट सड़क बनी हुई है। केवल 40 गज जमीन सती मंदिर के पास सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। इस स्थान पर रास्ते में सीमेंट सड़क बनाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत ने ले लिया है। इस पर लगभग 30,000 रुपये खर्च होंगे।

ग्राम रोजवाड़ी (जयपुर) में शौचालय पर व्यय

185. श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की तहसील बस्सी के ग्राम रोजवाड़ी में मिनी चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र भवन तथा दस शौचालय ग्राम पंचायत की भूमि पर नहीं बना कर खातेदारी भूमि में बनाये गये हैं? यदि हां, तो कब और उक्त पर कितनी राशि व्यय की गयी?

(2) क्या उक्त खातेदारी भूमि पर निर्माण के बदले खातेदारों को मुआवजा दिया जा चुका है? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला जयपुर की तहसील बस्सी के ग्राम रोजवाड़ी में मिनी चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र भवन तथा दस शौचालय ग्राम पंचायत की भूमि पर नहीं बना कर खातेदारी भूमि में बनाये गये हैं। मिनी चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य केन्द्र भवन (एक भवन) सन् 1987 में बनाया गया है, जिस पर 49,995 रुपये व्यय हुए हैं। दस शौचालयों का निर्माण 1989 में किया गया है तथा इस पर 10,020 रुपये खर्च किये गये।

(2) जी नहीं। उक्त खातेदारी भूमि पर निर्माण के बदले खातेदारों को अकाल राहत

(पंचायती राज मंत्री)

मद में मिनी चिकित्सालय (वेद विद्यालय) बनाया है तथा दस शौचालयों का निर्माण स्वच्छ शौचालय योजना में किया गया है। खातेदारों को मुआवजा नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत भूडला के रिकार्ड के अनुसार यह प्रकरण ग्राम पंचायत स्तर पर विचाराधीन है।

पंचायत समितियों में प्रगति प्रसार अधिकारी का प्रतिनियुक्ति प्रकरण

186. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में प्रगति प्रसार अधिकारियों के पद पर नियुक्ति के लिए सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकारी भेजे गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी किस-किस स्तर के कब-कब से पंचायती राज विभाग में भेजे गये? नामों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायती राज विभाग ने और कितने-कितने अधिकारी उक्त पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने के लिए विभाग से मांगे जिनके विरुद्ध कितने-कितने भेजे गये? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक भेज दिये जाएंगे?

उत्तर

(1) जी हां। विभागीय अभिलेख के आधार पर सूचना संलग्न है।

(2) पंचायती राज विभाग ने अपने अ.शा. पत्रांक : 577 दिनांक 23.1.2001 के द्वारा 61 पदों पर प्रगति प्रसार अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति हेतु प्रस्ताव मांगे थे। इसके विरुद्ध विभाग ने आदेश दिनांक 22.9.2001 के द्वारा एक सांख्यिकी सहायक को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर प्रगति प्रसार अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति दी जाने हेतु आदेश जारी किये। इस क्रम में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार पंचायती राज विभाग द्वारा उक्त कर्मचारी के पदस्थापन आदेश जारी नहीं हुए हैं। विभाग में सांख्यिकी सहायकों की रिक्तियों की अधिकता को ध्यान में रखते हुए प्रगति प्रसार अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु भेजा जाना वांछनीय नहीं समझा गया। इन रिक्तियों को पदोन्नति/सीधी भर्ती से समुचित स्तर तक भरे जाने के उपरान्त ही ऐसे प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें।)

जयपुर के हवामहल बाजार में पर्यटन पुलिस चौकी की स्थापना

187. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पर्यटन पुलिस का गठन किन उद्देश्यों को लेकर किया गया है? जयपुर शहर में कहां-कहां इसकी चौकियां स्थापित कर रखी हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में विशेषकर हवामहल बाजार में पर्यटन पुलिस की चौकी स्थापित नहीं किये जाने से अवैध रूप से

(श्री जगमाल सिंह यादव)

लपकों एवं समाजकंटकों द्वारा पर्यटकों को परेशान किये जाने की शिकायतें समय-समय पर पुलिस एवं विभाग को मिलती रही हैं? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कारगर कार्यवाही की गयी?

(3) क्या सरकार इसकी रोकथाम के लिए हवामहल बाजार जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से विश्व विख्यात है, देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटन पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पर्यटक सहायता बल का गठन पर्यटकों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं का समाधान करने तथा पर्यटकों की असामाजिक तत्वों एवं लपकों से सुरक्षा करते हुए राज्य में उनके प्रवास को सुखमय अनुभव के रूप में सुनिश्चित करना है। जयपुर शहर (उत्तर) में पर्यटन पुलिस की एक चौकी सिटी पैलेस पर स्थापित है जहां 1 उप निरीक्षक व 4 कांस्टेबल लगे हुए हैं। 1 उप निरीक्षक व 2 कांस्टेबल सिटी पैलेस तथा 2 कांस्टेबल हवामहल बाजार में ड्यूटी पर रहते हैं। इसी प्रकार आमेर किले पर भी पर्यटन पुलिस का जाप्ता लगाया हुआ है।

(2) जी नहीं। हवामहल बाजार में पर्यटन पुलिस की चौकी स्थापित नहीं किये जाने से अवैध रूप से लपकों एवं समाजकंटकों द्वारा पर्यटकों को परेशान किये जाने की शिकायतें पर्यटन विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। हवामहल बाजार में सिटी पैलेस पर्यटक पुलिस के जाप्ते द्वारा नियमित गश्त की जाती है तथा थाना माणक चौक भी हवामहल के बिलकुल पास है जहां से भी हवामहल बाजार में गश्त की माकूल व्यवस्था रहती है। फिर भी समाजकंटकों द्वारा अगर कोई हरकत पर्यटकों के साथ की जाती है तो तत्परता से सख्त कार्यवाही की जाती है।

(3) हवामहल बाजार में फिलहाल पर्यटन पुलिस चौकी खोलने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गयी है क्योंकि सिटी पैलेस पर्यटन पुलिस चौकी का जाप्ता तथा थाने का जाप्ता निरन्तर गश्त करते रहते हैं तथा साथ ही थाना माणक चौक भी हवामहल के बिलकुल सामने ही स्थित है। अत: वर्तमान में स्वतंत्र पुलिस चौकी की आवश्यकता हवामहल में प्रतीत नहीं होती है। पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर में करीब 35 एक्स सर्विसमैन तथा 2 पर्यटक वाहन तैनात करने की योजना विचाराधीन है जो नियमित पर्यटन पुलिस के संरक्षण में कार्य करेंगे। जयपुर के अतिरिक्त उक्त पर्यटन पुलिस जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, अजमेर (पुष्कर) तथा माउंट आबू में भी तैनात करने की योजना है।

जिला बांसवाड़ा में अरथूना मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत राशि

188. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा के अरथूना मंदिर के जीर्णोद्धार व पर्यटकीय दृष्टि से उसे विकसित करने के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गयी है?

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

(2) उक्त मंदिर परिसर को विकसित करने के लिए बनाये गये मास्टर प्लान के मुख्य कार्य बिन्दू क्या हैं?

(3) उक्त योजना व स्वीकृत राशि के मुताबिक कार्य कब तक शुरू करा दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) अरथूना के मंदिर केन्द्र सरकार द्वारा संरक्षित घोषित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस वित्तीय वर्ष में यहां मरम्मत व रखरखाव हेतु 4.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग ने पर्यटन विभाग, भारत सरकार की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-2002 में मंदिर परिसर को विकसित करने के लिए विभिन्न कार्यों हेतु राशि रुपये 20.00 लाख की सिद्धान्ततः स्वीकृति प्राप्त की है।

(2) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हर वर्ष निरीक्षण करके आवश्यकतानुसार मंदिरों की विशेष मरम्मत, समुचित रखरखाव व विकास हेतु कार्य का सम्पादन किया जाता है। इस परिसर के लिए अलग से कोई मास्टर प्लान नहीं है।

(3) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इस वित्तीय वर्ष की स्वीकृत राशि रुपये 4.50 लाख के अनुसार कार्य प्रगति पर है तथा पर्यटन विभाग, भारत सरकार की केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सम्भावित राशि के कार्यों की भारत सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त विकास कार्य सम्पन्न करवाये जाएंगे।

विधान सभा क्षेत्र अटरू में विधायक कोष/सांसद कोष से व्यय राशि

189. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू में स्थानीय क्षेत्रीय विधायक कोष व सांसद कोष योजना आरम्भ से अगस्त, 2001 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बारां व कोटा द्वारा किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी लागत की स्वीकृतियां जारी हुई हैं तथा कौन-कौनसा कार्य कितना-कितना खर्चा होने के बाद पूर्ण हो गया तथा कौन-कौनसा कार्य किस-किस कारण से अभी तक अपूर्ण रहा और उक्त कार्यों पर कितनी राशि तक व्यय हो चुकी है?

(2) उक्त कार्यों के अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं तथा अब कब तक पूर्ण करा लिए जावेंगे? उक्त अब तक हुए विलम्ब का क्या कारण है?

(3) क्या कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो अभी तक प्रारम्भ नहीं किये गये?

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त योजनाओं में रहे अपूर्ण कार्यों को एक निश्चित तिथि बताकर पूर्ण कराने की जानकारी दी गयी थी? यदि हां, तो क्या उक्त सभी कार्य नियत तिथि तक पूर्ण करा लिए गये और नहीं, तो क्यों? उक्त के लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है? अब उक्त कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा?

(5) क्या सरकार द्वारा निर्माण कार्यस्थल पर नाम पट्टिका लगाने के निर्देश दिये हुए हैं?

(श्री मदन दिलावर)

यदि हां, तो अब तक कौन-कौनसे कार्य पर कब-कब नाम पट्टिका लगाई गयी तथा शेष कार्यों पर नाम पट्टिका नहीं लगाने के क्या कारण रहे हैं और अब कब तक नाम पट्टिका लगा दी जावेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अटरू में विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना आरम्भ से अगस्त, 2001 तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बारां व कोटा द्वारा जिन-जिन कार्यों हेतु जितनी-जितनी राशि की स्वीकृतियां जारी की गयीं उनका विवरण संलग्न परिशिष्ट-1, 2 व 3 के कालम संख्या-4 पर अंकित है तथा पूर्ण हुए कार्यों पर कार्यवार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-1 के कालम संख्या-5 पर अंकित है तथा अपूर्ण रहे कार्यों पर हुए व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट-2 के कालम संख्या 5 पर तथा अपूर्ण रहने का कारण संलग्न परिशिष्ट-2 के कालम संख्या-7 पर अंकित है।

(2) कार्यों के अपूर्ण रहने के कारण संलग्न परिशिष्ट-2 के कालम संख्या 7 पर अंकित हैं तथा इन कार्यों को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने का प्रयास किया जावेगा।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। कार्यों के पूर्ण कराने की निश्चित तिथि देने का गाइड लाइन्स में प्रावधान नहीं है तथा निश्चित समय देना भी सम्भव नहीं है।

(5) जी हां। सभी पूर्ण एवं चालू कार्यों पर नाम पट्टिका लगा दी गयी है। शेष जो कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं उन पर नाम पट्टिका नहीं लगायी है। कार्य होने पर नाम पट्टिका लगा दी जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-23 देखें।)

राजस्थान विश्वविद्यालय में शिक्षिकों हेतु निर्धारित मानदण्ड

190. डा. करणसिंह यादव (बहरोड़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य, सह आचार्य व आचार्य के विभागवार स्वीकृत पद कितने-कितने हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत पदों पर विभागवार, पदवार कितने-कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं?

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुसार शिक्षकों को कितने-कितने कालांश लेने पड़ते हैं और ऐसे कौनसे विभाग हैं जहां पर वर्तमान में कार्यरत सभी शिक्षकों को निर्धारित मानदण्ड से कम कालांश दिये जा रहे हैं तथा ऐसे कौनसे विभाग हैं जहां कालांश खाली हैं? लेखा एवं सांख्यिकी, व्यावसायिक प्रशासन, आर्थिक प्रशासन व वित्तीय प्रबन्ध, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान व संस्कृत विभागों की शिक्षकवार समय सारिणी सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जिन विभागों में पहले से ही कार्यभार नहीं है वहां आरक्षित वर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति कैसे की जाएगी?

उत्तर

(1) विभागवार सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य के स्वीकृत पदों की श्रेणीवार सूची संलग्न है।

(2) इसका उत्तर बिन्दू संख्या-1 के उत्तर में निहित है।

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुसार शिक्षकों के लिए निर्धारित कालांश प्रति सप्ताह निम्नानुसार निर्धारित हैं :-

1. प्रोफेसर	14 घंटा
2. एसो. प्रोफेसर	14 घंटा
3. सहायक प्रोफेसर	16 घंटा

विश्वविद्यालय के सभी शैक्षणिक विभागों में निर्धारित मानदण्डानुसार कालांश आबंटित हैं।

(4) विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में नियुक्तियां स्वीकृत पदों की रिक्तियों के आधार पर की जाएंगी, न कि अमुक वर्ष के विद्यमान कार्यभार के आधार पर। जहां तक आरक्षित वर्ग के शिक्षकों की नियुक्ति का प्रश्न है, यह मामला केवल सम्बन्धित विभाग में चयन प्रक्रिया के समय उपलब्ध रिक्त स्थानों पर रोस्टर के अनुसार अभ्यर्थियों की उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-24 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र घाटोल के औषधालयों में रिक्त पद

191. श्री नानालाल नीनामा (घाटोल): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र घाटोल में कई आयुर्वेदिक औषधालय भवन रहित हैं? यदि हां, तो कितने एवं कहां-कहां पर?

(2) क्या सरकार उक्त भवन रहित आयुर्वेदिक औषधालय के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के आयुर्वेदिक औषधालयों में वैद्य, उप वैद्य एवं परिचारक के काफी पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने एवं किस-किस औषधालय में?

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल राजकीय आयुर्वेद औषधालय घाटोल का भवन पर्याप्त नहीं है।

(2) दसवीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र घाटोल में वर्तमान में संचालित 27 विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में से 9 औषधालयों में चिकित्सक के पद रिक्त

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट-क में सदन की मेज पर रख दी गयी है।

इस विधान सभा क्षेत्र में नर्स/कम्पाउंडर एवं परिचारक के कोई भी पद रिक्त नहीं हैं।

(4) पर्याप्त संख्या में नियमानुसार चयनित आशार्थियों के उपलब्ध होने पर उक्त रिक्त पदों की पूति करना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-25 देखें।)

प्रधानाध्यापक प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय के वेतनमान में भिन्नता

192. श्री हरीशचन्द कुमावत (नावां) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1996 में प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय व प्रधानाध्यापक प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय का वेतनमान नं. 12 (6500-10500) समान रूप से था?

(2) क्या जुलाई, 1998 में प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय का वेतनमान नं. 12 ए (7500-12000) निर्धारित किया गया? यदि हां, तो उक्त वेतनमान प्रधानाध्यापक प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय के लिए लागू क्यों नहीं किया जबकि वर्ष 1996 में उक्त दोनों पदों का वेतनमान समान रूप से ही निर्धारित रहा है?

(3) क्या यह सही है कि 8 वर्ष के सेवाकाल पर प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के वेतनमान नं. 13 (8000-13000) लागू हो जाता है जबकि प्रधानाध्यापक प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय के लिए उक्त प्रकार का वेतनमान लागू नहीं है? यदि हां, तो ऐसी भिन्नता क्यों है?

(4) क्या यह भी सही है कि प्राचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय का वेतनमान नं. 14 (9000-14000) वर्ष 1996-97 से निर्धारित है और वही वेतनमान वर्ष 1996-97 में प्राचार्य वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत शिक्षा के लिए लागू है? यदि हां, तो प्राचार्य वरिष्ठ उपाध्याय पद पर कार्यरत अधिकारियों को उक्त निर्धारित वेतनमान क्यों नहीं दिया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.16(5)एफ. डी./रूल्स/98 दिनांक 07.08.98 द्वारा माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का वेतनमान 7500-12000 कर दिया गया है किन्तु प्रवेशिका प्रधानाध्यापक का वेतनमान 6500-10500 ही रहा। प्रवेशिका प्रधानाध्यापक का वेतनमान 7500-12000 (12 ए) करने हेतु राज्य सरकार के स्तर पर गठित वेतन विसंगति निराकरण समिति को प्रस्ताव भेजे गये हैं। प्रकरण वित्त विभाग के अन्तर्गत उक्त समिति में विचाराधीन है।

(3) जी हां। संस्कृत शिक्षा के प्रवेशिका प्रधानाध्यापक के लिए वेतनमान 7500-12000 (12 ए) स्वीकृत नहीं किये जाने से इनका वेतन विसंगति का प्रकरण वेतन विसंगति समिति के विचाराधीन है।

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

(4) जी हां। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्राचार्य वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत शिक्षा विभाग के वेतनमान 6500-10500 ही निर्धारित किये गये हैं। वेतनमान की विसंगति को लेकर यह प्रकरण अभी वित्त विभाग द्वारा गठित वेतनमान विसंगति समिति के विचाराधीन चल रहा है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री प्रताप सिंह सिंघवी एवं दस अन्य सदस्यों की ओर से ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद के सरपंच के पद का चार्ज आदेशों के अनुरूप नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री सांवर लाल, सदस्य की ओर से जिला अजमेर के गांवों में अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में।

कल कोई बाजरा लेने वाला नहीं था।

(3) श्री अमराराम (धोद), सदस्य की ओर से श्री कल्याण कालेज, सीकर के विद्यार्थियों पर हुए लाठीचार्ज के सम्बन्ध में।

(4) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा भ्रष्टाचार कर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले में बाजरा कम पैदा करते हैं। आप बाजरे की बात कर रहे हो, कल और आज की बात में बहुत फर्क है इसमें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं तो बाजरे के बीच में ही रहता हूं, बाजरे के सबसे... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अजमेर जिले के लिए निवेदन कर रहा हूं, अजमेर में बाजरे की फसल नहीं बोते हैं, कम बोते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मारवाड़ का बाजरा सबसे मशहूर है और मारवाड़ में मेरे गांव का बाजरा चाड़ी का सबसे मशहूर है। आप भी इस बात को जानते होंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, दस-दस किलो सबको भिजवा दो, आपके गांव का चाड़ी का बाजरा। (व्यवधान)

(12.04 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामस्वरूप : आज बाजरा और बी.जे.पी. की एक ही हालत है। (व्यवधान)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री संजीव बेनीवाल, सदस्य की ओर से तहसील भादरा के गांव व चकों की बकाया चकबंदी का कार्य पूरा करवाने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(2) श्री अमीन खान, सदस्य की ओर से रेगिस्तानी जिलों में क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु अस्थायी मजदूरों की स्वीकृति प्रदान करने हेतु।

(3) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में विद्युत वितरण व्यवस्था अत्यन्त खराब होने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हेमन्त कुमार, सदस्य की ओर से जिला कोटा की तहसील दीगोद में चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में सैटलमेंट व कैचमेंट कार्यों से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में।

(5) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य की ओरसे जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को वाणिज्यिक दरों से कृषि दरों में बदलने के सम्बन्ध में।

(6) प्रो. सांवर लाल, सदस्य की ओर से पंचायत समिति भिनाय एवं अराई के कई पद लम्बे समय से खाली पड़े रहने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य, आसन पैरों पर।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या परम्परा हो रही है? आसन पैरों पर रहता है और आप सारे खड़े होकर घूमते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री रामस्वरूप : आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। आप तो नीचे बैठो पहले, आप तो बैठो।

श्री उपाध्यक्ष : आसन इधर पैरों पर हो तो इधर ध्यान रखा करो।

श्री सांवरलाल : अध्यक्ष महोदय, यह हालत है, विधान सभा में पीछा नहीं छोड़ते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : (7) श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य की ओर से ईसरदा बांध परियोजना को शीघ्र पूरा कराने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को बजट उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य की ओर से जिला डूंगरगढ़ की डामरीकृत सड़कों की हालत खराब होने के सम्बन्ध में।

(9) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से जिला अलवर के मुण्डावर क्षेत्र में पथ परिवहन निगम की बसें चलाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से राजकीय रेफरल हास्पिटल, चौमूं में बेहोशी चिकित्सक नहीं होने से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(11) श्री रामस्वरूप, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के माचड़ो सब स्टेशन पर 33 के. वी. ट्रांसफार्मर लगाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री जीतमल खांट, सदस्य की ओर से जिला बाड़मेर के थाना आनन्दपुरी क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी होने के सम्बन्ध में।

(13) श्री शिवनारायण, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बारां की ग्राम पंचायत फतेहपुर

(श्री उपाध्यक्ष)

की दो किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा करवाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री रमेश खींची, सदस्य की ओर से कठूमर पंचायत समिति मुख्यालय के चिकित्सालय को रेफरल चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(15) श्री भरोसी लाल, सदस्य की ओर से सुरोट थाने के कतिपय गांवों को हिण्डौन थाने के अन्तर्गत लाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री संजीव बेनीवाल।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 131 के अन्तर्गत हमारे चार मैम्बर्स का नोटिस दिया हुआ है राजस्व मण्डल के विघटन को लेकर।

श्री उपाध्यक्ष : काहे का नोटिस?

डा. के. सी. चौधरी : अजमेर रेवेन्यू बोर्ड के विघटन के बारे में।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को गृह जिलों में न लगाने के बारे में सरकार का एक नियम बना हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अभी सुना नहीं है क्या, अध्यक्षजी ने क्या कहा है आज?

श्री रामस्वरूप : हां, वही है। उसके बावजूद भी मतलब उनको लगाया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप।

श्री रामस्वरूप : इनका बाद में जवाब दिलवा देना, साहब।

श्री संजीव कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राजस्व मंत्रीजी का ध्यान... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने यहां पर ही दफ्तर खोल लिया है, आप इनको तो प्रताड़ित करो। स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने देख लिया है कि यह इनका दफ्तर है। यह सदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय धारीवालजी साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी को कोई सदन की गरिमा का ध्यान नहीं। यह कोई पहली बार नहीं है, आप इनको डांटिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये, इस तरह किस तरह यह आचरण कर रहे है। यह क्या कर रहे हैं, पर्यटन मंत्रीजी और यह, उपाध्यक्ष महोदय, देखिये तो सही।

श्री सांवर लाल : राजस्थान के मंत्री को देख रही है राजस्थान की जनता।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए न। बैठ जाइये, सुनिये। माननीय श्री... (व्यवधान) बेनीवाल जी, आप बोलिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि इन्होंने सदन को भी अपना निजी कार्यालय बना लिया है।

श्री सांवर लाल : सदन की गरिमा रखिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कम से कम आप इनको कहिये तो सही कि अगर इनको कोई रोजमर्रा का काम निपटाना हो तो अपने चैम्बर में जाएं।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, बात तो यह मानेंगे नहीं, आपका थोड़ा बहुत तो... (व्यवधान) यह स्वायत्त शासन मंत्रीजी तो हद कर देते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी बता दूंगा मैं। आप बिराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि सदन की गरिमा बनी रहे, उपाध्यक्ष महोदय, आप मंत्री परिषद् के लोगों को कुछ तो प्रताड़ित करो।

एक माननीय सदस्य : सीमा बनी रहेगी, आप बिराजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब आप देखिये, आयुर्वेद मंत्रीजी ने वहां पर खड़े-खड़े ही दफ्तर खोल लिया।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, आसन को लोग पीठ करके खड़े हो जाते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खड़े-खड़े दफ्तर चला लिया आयुर्वेद मंत्रीजी ने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ट्रेजरी बैंच के लोगों को यह बताइये कि सदन की कोई गरिमा है।

श्री मदन दिलावर : आसन का सम्मान का मामला है। आसन की तरफ पीठ करके खड़े हो जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, बैठो।

श्री रामस्वरूप : आप भी जब मंत्री थे, ऐसा ही होता था या नहीं? आप भी जब मंत्री थे तब ऐसा होता था, तब तो नहीं बोले आप? मंत्री थे तब। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : सदन में तो गरिमा बनाये रखें। (व्यवधान) बैठ जाओ आराम से। चलने दो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बेनीवालजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह सबसे ज्यादा नियमों का उल्लंघन है इसलिए हमको खड़ा होना पड़ता है। इनको रोकिये, बाहर करिये, साहब, इनको।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप : आप कौन होते हैं बाहर करने वाले? क्या करेंगे बाहर?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप जी।

श्री रामस्वरूप : यह कह रहे हैं बाहर कर दो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सारा सदन कह रहा है। +++

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : आपकी आज्ञा से करेंगे बाहर।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संजीव बेनीवाल।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

भादरा तहसील के गांव व चकों की बकाया चकबंदी

श्री संजीव कुमार (भादरा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत मैं राजस्व मंत्रीजी का ध्यान तहसील भादरा के गांव व चकों की बकाया चकबंदी (एकीकरण) को पूरा करवाने हेतु आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा की राजस्व तहसील भादरा के 24 राजस्व गांवों का कुल 15572.068 हैक्टेयर रकबा चकबंदी (एकीकरण) की कार्यवाही से बचा हुआ है। उपरोक्त गांवों के काश्तकारों की छोटी जोतों को बड़ी जोतों के साथ शामिल करके उनके खेत चौकोर बन सकें तथा छोटे-छोटे टुकड़ों में काश्त हेतु इधर-उधर भागना नहीं पड़े, इसके लिए ये ग्राम राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट, 1954 के तहत घोषित किये गये तथा इसके अन्तर्गत किलाबंदी, मुरब्बाबंदी एवं चकबंदी की गयी तथा इन गांवों को सिंचित क्षेत्र प्रस्तावित होना राज्य सरकार ने घोषित कर दिया। इसके बाद इन गांवों में भूमि एकीकरण अधिनियम लागू कर दिया गया। पुरानी परम्परागत सीव डोल समाप्त कर दी गयी तथा पुराने टेढ़े-मेढ़े रास्ते भी समाप्त कर दिये गये और सीधे-चौड़े रास्ते कायम कर दिये गये। पानी के खाले आदि के लिए भूमि सुनिश्चित कर दी गयी। किन्तु कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही सरकार ने 1960 में एक अधिसूचना जारी करके एकीकरण का कार्य बंद कर दिया, जिसके कारण इन गांवों के रकबों में किलाबंदी व मुरब्बाबंदी पूरी कर लेने और एकीकरण विभाग के अपना रिकार्ड तैयार कर लेने के पश्चात् भी रिकार्ड के अनुसार लोगों को काबिज बनाना बाकी रह गया। इस कारण जो लोग खातेदार थे अपनी अपनी सीवों के अन्दर ही काबिज बने हुए हैं और वही पीढ़ियों पुरानी सीव एक खेत से दूसरे खेत के बीच कायम है जो खसरों में है, जबकि रिकार्ड में उनका खातेदारी हकूक किलाबंदी में दर्ज है। इस बात से प्रोत्साहित होकर चालाक व ताकतवर लोग रिकार्ड में दर्ज होने का नाजायज लाभ उठाकर कमजोर व भोले-भाले लोगों को पीछे धकेल देते हैं जिससे आये दिय यहां पर झगड़े-फसाद होते रहते हैं। इसके अलावा प्रत्येक चकवाइज व गांववाइज कोलोनाइजेशन विभाग ने व एकीकरण विभाग ने जो आराजीयात रकबा छंटनी किया था, जिसका कब्जा बरकरार था, जो पहले के कानून के मुताबिक चार साला काश्त कहलाती थी, को चालांक लोगों ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपने नाम दर्ज करवा लिया है, जो कई हजार बीघा है।

अत: आपसे निवेदन है कि यह इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या है तथा इसके समाधान हेतु इन गांवों/चकों का अधूरा पड़ा एकीकरण कार्य पूरा करवाने के आदेश प्रदान करें जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व की वसूली भी होगी और यहां के किसानों के आपसी लड़ाई-झगड़े भी समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमीन खान।

रेगिस्तानी जिलों में क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु अस्थायी मजदूरों की स्वीकृति

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत मैं रेगिस्तानी क्षेत्रों में पेयजल योजनाएं मजदूरों के अभाव में सुचारू रूप से न चलने बाबत विशेष उल्लेख के जरिये जलदाय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि जलदाय विभाग ने पिछले दस वर्षों से स्थायी व अस्थायी तौर पर मजदूर रखना बंद कर दिया है। क्षेत्रीय जलदाय योजनाएं दस वर्षों में दस गुणा बढ़ी हैं और जरूरत के अनुसार स्वीकृतियां दिनोंदिन जारी हैं जिससे पेयजल योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च करने के उपरान्त भी योजनाएं सुचारू रूप से नहीं चल पाती हैं और करोड़ों रुपयों की योजनाओं की आम लोगों को जानकारी नहीं मिलती है, जो एक गम्भीर समस्या है। लिहाजा अदब से इस सदन की मार्फत सरकार से पुरजोर शब्दों में गुजारिश है कि रेगिस्तानी जिलों में अस्थायी मजदूरों की स्वीकृति दी जाए और सहायक अभियन्ता को व कनिष्ठ अभियन्ता को गाड़ियों का इन्तजाम किया जाए।

फिलहाल सुना है कि सरकार ने माह में 8000 रुपयों तक गाड़ी की स्वीकृति दी है जो उचित नहीं है। क्योंकि एक सब-डिविजन में 300 से अधिक गांव हैं। कुछेक रेगिस्तानी क्षेत्रों में गांवों की एक दूसरे के बीच में ज्यादा दूरी है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

रामगढ़ (अलवर) विधान सभा क्षेत्र में विद्युत वितरण की अव्यवस्था

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि बिजली पर आज बहस होने वाली है लेकिन मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की बिजली की जो ज्वलंत समस्या है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं नियम 295 के अन्तर्गत। मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) में विद्युत वितरण व्यवस्था अत्यन्त जर्जर अवस्था में चल रही है। मैं इस सम्बन्ध में पूर्व में भी दो बार निवेदन कर चुका हूं परन्तु कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्षेत्र में औसतन तीन या चार घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है। पांच हजार से ज्यादा आबादी वाले कस्बों में पूरा समय बिजली देने की बात कही गयी थी किन्तु वहां भी घरेलू बिजली आठ या दस घंटे से ज्यादा नहीं मिल रही है। क्षेत्र में किसान उपभोक्ता तो बहुत ही परेशान हो रहा है। पूर्व फसल तो खराब हो चुकी, अब आने वाली फसल की यही स्थिति रही तो अत्यन्त दयनीय स्थिति हो जाएगी।

श्रीमान्, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो स्थानों से जी.एस.एस. से विद्युत सप्लाई होती है। गोविन्दगढ़ क्षेत्र में जी.एस.एस. नगर, जिला भरतपुर से बाकी क्षेत्र में रामगढ़, नौगांवा, मुबारिक, बगड़, तिराहा क्षेत्र में मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया जी.एस.एस. से। मेरा निवेदन है कि दोनों जी.एस.एस. सप्लाई में भारी गड़बड़ एवं अनियमितताएं बरती जा रही हैं। जहां भरतपुर जिले में सप्लाई में अवरोध पैदा किया जाता है। वहां मत्स्य इंडस्ट्रियल एरिया से भी अधिकारियों

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

की उद्योगपतियों से मिलीभगत एवं भ्रष्टाचार के कारण क्षेत्र में सप्लाई में अवरोध पैदा किया जाता है। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस व्यवस्था को सुधारा जाए।

साथ ही सुझाव भी है कि रामगढ़ 132 के.वी. जी.एस.एस. का आदेश फरमाया जाए। जब तक 132 का निर्माण नहीं होता तब तक गोविन्दगढ़ एरिया को लक्ष्मणगढ़ एरिया जी.एस.एस. से जोड़ा जाए। पूर्व में आदेश हो भी गया था किन्तु उसे रोक दिया गया। इसके क्या कारण हैं, कृपा कर बताया जाए? इस आदेश को क्रियान्वित किया जाए एवं मत्स्य इण्डस्ट्रियल एरिया की सप्लाई को भी सुधारा जाए।

अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्पूर्ण व्यवस्था को सुधारने का कष्ट करें। साथ ही ढीले पड़े तारों को भी कसा जाए। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमन्त कुमार।

दीगोद तहसील में चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में सैटलमेंट एवं कैचमेंट कार्यों से उत्पन्न समस्या

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य संचालन प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत तहसील दीगोद जिला कोटा चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में सैटलमेंट व कैचमेंट कार्यों से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण हेतु आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोटा जिले की दीगोद तहसील जो कि चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में आती है, पूर्व वर्षों में इस तहसील क्षेत्र में कैचमेंट व सैटलमेंट का कार्य सम्पन्न हुआ था जिसमें काफी अनियमितताएं हुई हैं। कैचमेंट व सैटलमेंट कार्य समाप्ति के पश्चात् किसानों को भूमि नाप कर मौके पर नहीं सम्भलाई गयी। प्रभावशाली व्यक्तियों को रिकार्ड में दर्ज भूमि से भी ज्यादा भूमि मौके पर दे रखी है तथा अन्यों को मौके पर रिकार्ड में दर्ज भूमि से भी कम भूमि दी गयी है। कैचमेंट, सैटलमेंट व वर्तमान में रेवेन्यू रिकार्ड का आपस में कोई मिलान नहीं बैठता है। यह मालूम करना मुश्किल है कि ज्यादा भूमि किस किसान के पास है, जब तक कि पूरे क्षेत्र के किसानों की भूमि का माप नहीं हो। कम भूमि प्राप्त किसान दर-दर मारा-मारा फिर रहा है। रेवेन्यू रिकार्ड में भारी गलतियां हैं। किसानों के नाम भी सही ढंग से दर्ज नहीं हैं। सवाई भूमि का एक रकबा है जिससे यह मालूम नहीं होता कि यह भूमि कैसे अधिक हुई व किस किसान को कम भूमि मिली। इससे इस क्षेत्र के किसानों में भारी रोष है।

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार द्वारा कैचमेंट व सैटलमेंट से ग्रसित किसानों हेतु रेवेन्यू कैम्प आयोजित किये जाएं जिससे इस प्रकार की समस्याओं का निराकरण हो सके तो किसानों को राहत प्राप्त होगी, उनके रेवेन्यू रिकार्ड का मौके पर प्राप्त भूमि से तालमेल होगा व भविष्य में परेशान होने से बच सकेंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री श्रवणकुमार जी।

(अनुपस्थित)

श्री रतनलाल ताम्बी।

जलोत्थान सिंचाई योजनाओं की वाणिज्यिक दरों का कृषि दरों में परिवर्तन

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जलोत्थान सिंचाई योजना पर वाणिज्यिक दरें एवं मिनिमम चार्ज के कारण बंद होने पर विशेष उल्लेख द्वारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान एवं विशेष तौर से भीलवाड़ा जिले में अनेक जलोत्थान सिंचाई योजनाएं जो कृषकों एवं कृषि उत्पादन के लिए संचालित हैं, कृषि दरों के स्थान पर वाणिज्यिक दर लगाने एवं मिनिमम चार्जेज के कारण जर्जर होकर बंद होने के कगार पर हैं। अनेक बंद भी हो गयी हैं। इस गम्भीर स्थिति से किसानों में भारी असन्तोष व्याप्त है। वे बड़े-बड़े मांग पत्रों का, बिलों का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं। उनकी जमीनें बिक जाएंगी।

अत: मैं राज्य सरकार एवं विद्युत मंत्री महोदय से विशेष उल्लेख के जरिये अनुरोध करना चाहूंगा कि जलोत्थान सिंचाई योजनाओं को वाणिज्यिक दरों से कृषि दरों में बदला जाए और उन पर मिनिमम चार्जेज हटाकर पुन: जलोत्थान सिंचाई योजनाओं के माध्यम से प्रभावित किसानों को बर्बादी से बचाकर हरित क्रांति को तथा उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाए ताकि रोजी-रोटी के संकट से राहत मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट और बोलना चाहता हूं जो इसमें लिखा है उसके अलावा। साहब, मैं विशेष इजाजत मांग रहा हूं।

निवेदन यह है कि बीसलपुर सिंचाई परियोजना में भीलवाड़ा जिले के लगभग 250 किलोमीटर का सारा पानी आता है और आने के बाद...

श्री उपाध्यक्ष : यह ईर्रलेवेंट हो गयी बात।

श्री रतनलाल ताम्बी : लिफ्ट पर बोल रहा हूं, मैं लिफ्ट पर बात कर रहा हूं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 295 नहीं लगाया, मैं बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, मैं उनको बैठा रहा हूं, आप काहे को बीच में बोल रहे हो?

श्री रतनलाल ताम्बी : उसके बाद सारी लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीसलपुर का आप इससे मत जोड़ो।

श्री रतनलाल ताम्बी : नहीं, लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम जोड़ रहा हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, तो आप लिखते इसमें।

श्री रतनलाल ताम्बी : विशेष अनुरोध मैंने इसीलिए किया है।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें?

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि हम उस कैचमेंट से, बांधों से प्रभावित हो रहे हैं, लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम से

(श्री रतनलाल ताम्बी)

प्रभावित हो रहे हैं। समूचा जिला यों ही बहुत बर्बादी के कगार पर है इसलिए मैं चाहूंगा कि आज डिमाण्ड भी है, इस पर चर्चा भी है और, मंत्री महोदय, आपके सामने हमेशा यह मुद्दा आ रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : अब डिमाण्ड पर बोल लेना।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : सर, वैसे तो आज ऊर्जा की स्थिति पर विचार होगा तो इस सम्बन्ध में भी मैं मेरी बात रख दूंगा। वैसे माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। हमारे यहां लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिए अभी भी दो तरह की दरें हैं। एक जो ट्राइबल एरिया है उसकी दरें तो थोड़ी कम हैं लेकिन दूसरे क्षेत्रों में ज्यादा हैं। लेकिन फिलहाल यह सरकार के कार्य क्षेत्र में नहीं है चूंकि रेगूलेटरी कमीशन बन गया है और टैरिफ का मसला है। तो इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ किसानों से वहां पर एक एप्लीकेशन फाइल करायें और फिर सरकार भी इस सम्बन्ध में रेगूलेटरी कमीशन से कोई आग्रह कर सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : किसान क्या करे?

डा. चन्द्रभान : किसान इसमें यह आग्रह कर सकते हैं रेगूलेटरी कमीशन से कि ये दरें वाणिज्यिक हैं। वाणिज्यिक मीन्स नान डोमेस्टिक हैं और हम एग्रीकल्चर परपज के लिए पानी लेते हैं इसलिए हमारी दर कृषि की होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : यह केवल एग्रीकल्चर में ही आता है और नहीं आता।

डा. चन्द्रभान : हां, तो इसलिए रेगूलेटरी कमीशन आजकल इस सम्बन्ध में फैसला करता है। वे एक एप्लीकेशन फाइल कर देंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे, फिर सरकार भी रेगूलेटरी कमीशन से आग्रह करेगी।

श्री सांवर लाल : सरकार उनको आग्रह करेगी कि आदेश देगी, मंत्री महोदय, यह भी स्पष्ट कर दें?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप तो एक सूची बना कर दे दो कि इस विभाग की कौन-कौनसी बातें यहां नहीं लानी हैं। आप कम से कम एक सूची दे दो कि विभाग की कौन-कौनसी बातें यहां डिस्कस ही नहीं करनी हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार आग्रह करती नियामक आयोग से फिर यहां पर सरकार को जवाब देने की जरूरत कहां पड़ रही है?

श्री उपाध्यक्ष : आज बिजली पर बहस है, माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री सांवर लाल : सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आज बिजली पर बहस है, आप लोग विस्तार से इस पर बोल लें। फिर जवाब ले लेंगे मंत्रीजी से।

श्री सांवर लाल।

भिनाय एवं अराई पंचायत समितियों में रिक्त पदों की पूर्ति

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत

(श्री सांवर लाल)

विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की पंचायत समिति भिनाय, पंचायत समिति अराई में विभिन्न पद लम्बे समय से खाली पड़े हैं, इस कारण सारी व्यवस्था ही चौपट हो रही है। लोगों का भुगतान अटक रहा है, लोग परेशान हैं। अत: आपके माध्यम से अनुरोध है कि रिक्त पद अविलम्ब भरे जाकर रुके हुए भुगतान शीघ्र कराने की व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह। माननीय सदस्य। माननीय धारीवाल साहब, इस एक्टिविटी को डिसकरेज करिये, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कर ही नहीं सकते। इनको कितना ही प्रताड़ित कीजिये, यह नहीं सुधरेंगे। हम नहीं सुधरेंगे यह तय कर रखा है इन्होंने।

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : मुख्य सचेतकजी तो सुधरेंगे ही नहीं, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो गरिमा रहनी चाहिए। हमने कई बार आपसे निवदेन कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको प्रताड़ित करो।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो।

डा. किरोड़ी लाल : यह घूम रहे हैं, देखो, यह कैसे घूम रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके सदस्यों को कहो कि ठिकाने आवें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : भेजते भी तो यही हैं। आपके आदमी हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह व्यवस्था देनी चाहिए। माननीय धारीवालजी का सवाल नहीं है, आपको व्यवस्था देनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कोशिश कर रहा हूं। आदत बहुत बिगड़ी हुई है, धीरे-धीरे सुधरेगी, एक साथ नहीं सुधर सकती। कोशिश कर रहा हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : जीरो अवर खतम होते ही जो अफरा-तफरी होती है, मंत्रियों पर हमला होता है, ऐसे होता है जैसे कोई किसी जेल में से छूटे हों।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा समय लगेगा, ठीक हो जाएंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, आपको महामहिम राष्ट्रपतिजी ने जो भाषण दिया था उसकी हिन्दी में एक प्रति सारे माननीय सदस्यों को दिलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप को भी बता दूंगा कभी उधर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले इन मंत्री महोदय को भेजो।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं तो सभी की कह रहा हूं, साहब, सभी जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

ईसरदा बांध परियोजना के काफर डैम हेतु बजट की व्यवस्था

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत विशेष

(श्री दिग्विजय सिंह)

उल्लेख के माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बनास नदी पर निर्मित बीसलपुर बहुद्देश्यीय परियोजना से जयपुर शहर के पीने का पानी देने की योजना काफी समय से चली आ रही है जिसकी भराव क्षमता 315 मीटर है। इस बांध की जो जल आवक है वह काफी अधिक है जिससे इसका अधिशेष पानी निकल जाता है जो फ़िजूल बह कर इसी बनास नदी के माध्यम से चम्बल नदी में चला जाता है। राज्य सरकार ने अभी जयपुर शहर को पानी देने के लिए जो योजना बनायी है वह करीब 1100 करोड़ रुपये की है और ईसरदा बांध योजना की लागत वर्ष 1992 में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मात्र 129 करोड़ रुपये की थी। अब हम इसे महंगाई के हिसाब से भी जोड़ें तो 350 करोड़ हो सकती है। जयपुर शहर को पानी देने के लिए इसकी लम्बाई मात्र 92 किलोमीटर है जबकि बीसलपुर से 128 किलोमीटर पड़ती है, कुल खर्च करीब आधा ही आएगा। जो पानी अभी बेकार बहकर जा रहा है उसका उपयोग तो होगा ही, वरन टौंक जिले के ग्रामों को सिंचाई हेतु पानी के स्रोतों के ऊपर आने में भी मददगार होगा। अभी जो डाउन स्ट्रीम गर्मी के दिनों में सूख जाती है, वह हरी-भरी व सरस जलीय हो सकेगी।

जानकारी के अनुसार सिंचाई विभाग, राजस्थान द्वारा इस योजना की निर्माण लागत का सम्पूर्ण ब्यौरा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को भेज दिया गया है। साथ ही यह भी ज्ञात हुआ है कि इस ईसरदा बांध की उपयोगिता के बारे में जल संसाधन मंत्रालय ने भी पुष्टि कर दी है और अब यह योजना क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। यह योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं सिंचाई विभाग द्वारा जयपुर को पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु बीसलपुर के विकल्प के रूप में बनवायी जा रही है जिसके लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व सिंचाई विभाग को अपने-अपने अनुपात में खर्च करना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान समय-समय पर इस ओर दिलाता रहा हूं कि ईसरदा बांध के काफर डैम हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 13 करोड़ की राशि सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित कर दे तो सिंचाई विभाग इस काफर डैम को इसी वर्ष 2002 तक पूरा कर सकता है। इस काफर डैम के पूर्ण होने से कम से कम जयपुर शहर को पीने का पानी वर्ष 2003 तक उपलब्ध हो सकेगा और बाकी बांध का निर्माण कार्य विभागीय स्तर पर चलता रहेगा।

चूंकि यह परियोजना दो विभागों से सम्बन्धित है, मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से हस्तक्षेप करने का आग्रह करूंगा। इस ईसरदा बांध परियोजना को शीघ्र पूरा कराने के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के बजट में से वर्ष 2001-2002 में 13 करोड़ रुपये उपलब्ध करा दिये जाते हैं तो सिंचाई विभाग राज्य की अगले वर्ष की वार्षिक योजना में इसे सम्मिलित कर इसे पूर्ण करवाने में सहायक होगा।

अत: प्रक्रिया एवं राजस्थान विधान सभा के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्रीजी का इस विशेष उल्लेख के माध्यम से ध्यान आकर्षित करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल अहारी।

डूंगरपुर जिले की डामरीकृत सड़कों की खराब स्थिति

श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले में सड़कों की हालत खराब होने पर आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि वर्तमान में डूंगरपुर जिले की डामरीकृत सड़कों की हालत अत्यधिक खराब हो रही है। आये दिन इन सड़कों पर दुर्घटना घटती जा रही है। अत: जिले की सड़कों को जल्दी से जल्दी ठीक कराने के आदेश प्रदान कर जनता को लाभान्वित करें।

<u>क्र.सं.</u> <u>नाम सड़क</u>

1. डूंगरपुर से सरथूना वाया पीठ रोड।
2. पीठ से पुनावाड़ा रोड।
3. पीठ से डूका रोड।
4. सोमलवाड़ा से माण्डली रोड।
5. करावाड़ा से रास्ता नीलकंठ रोड।
6. धम्बोला से बैडसा रोड।
7. धम्बोला से जोगपुर रोड।
8. झोथरी से सुराता रोड।
9. सासरपुर से महुड़ी रोड।
10. गैजी से डाकण मारिया रोड।
11. गन्धवा से बलवानिया रोड।
12. थाना से मेवाड़ा सीमा रोड।
13. बीछीवाड़ा से डूगरफ रोड।
14. बीछीवाड़ा से तलैया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

मुण्डावर क्षेत्र (जिला अलवर) में पथ परिवहन निगम की बसों का संचालन

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन है कि मैंने तीन बार लगातार विधान सभा सत्र में तारांकित प्रश्न लगा कर पूछा कि मुण्डावर क्षेत्र में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा नेशनलाइज रूट पर बसें नहीं चलायी जा रही हैं। पिछले सत्र में जवाब अलग था और इस सत्र में मेरे तारांकित प्रश्न 390 में मैंने परिवहन मंत्रीजी से जो प्रश्न पूछे उनमें मंत्री महोदय का जवाब बहुत ही अलग व निराशाजनक आया। मेरा पहला प्रश्न था कि मुण्डावर से अलवर के लिए सायंकालीन बस सेवा नहीं है, मुण्डावर तहसील हैडक्वार्टर है। बिलकुल गलत जवाब आया कि सायंकाल में पर्याप्त मात्रा में सीधा यात्री भार नहीं है। इसी प्रकार मुण्डावर से अलवर व देहली व जयपुर के लिए सीधी बसें चलाने के बारे में यातायात मंत्री के जवाब में भी बिलकुल गलत बताया गया कि पर्याप्त यात्री भार न मिलने के कारण बसें नहीं चलायीं। इसी प्रकार पेहल से खैरथल (अलवर) के लिए बस चलती थी जिसमें दैनिक मजदूरी करने मजदूर एवं विद्यार्थी खैरथल व अलवर में पढ़ने जाते थे। उस बस को भी बंद कर दिया गया। उसमें जवाब मंत्री महोदय का यह है कि संचालित बस सेवा में 38 प्रतिशत यात्री भार एवं 6.76 रुपये औसत आय ही प्राप्त हुई। आगार की आय संचालन लागत से भी कम होने के कारण इसका संचालन बंद करना पड़ा। अन्त में मैंने मंत्री महोदय से पूछा कि क्या इन

(श्री धर्मपाल चौधरी)

रूटों पर बस संचालित करने का विचार रखती है, तो जवाब में मंत्री महोदय ने बताया कि वित्तीय स्थिति और संसाधनों को देखते हुए बस संचालन सम्भव नहीं है।

मुण्डावर क्षेत्र में सभी रूट नेशनलाइज्ड हैं जिसकी वजह से प्राइवेट बसों को परमिट मिल नहीं सकता और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बस चलाना नहीं चाहता, तो ऐसे में मुण्डावर क्षेत्र में यह पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन की सरकार जनता को क्या संदेश देना चाहती है? मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि या तो जल्दी से जल्दी इस रूट पर बसें संचालित करें या इन रूटों को डीनेशनलाइज कर प्राइवेट बसों को परमिट प्रदान करें जिससे मुण्डावर क्षेत्र की जनता को न्याय मिल सके। अगर इसमें जल्दी कोई कार्यवाही नहीं की तो मुण्डावर क्षेत्र की जनता चक्का जाम कर मुण्डवार-खैरथल-बहरोड़ और अन्य बसों को रोक कर अपनी मांग को मनवाने के लिए संघर्ष करेगी। इसलिए मेरा आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसमें तुरन्त कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि इसका जवाब गलत दिया है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। गलत जवाब नहीं दिया है, बिलकुल सही दिया गया है। लोड फैक्टर आपका 36 प्रतिशत था और दूसरे में 40 प्रतिशत है और आपके वहां पर 72 परिचक्र चल रहे हैं। इसलिए मुण्डावर के लिए विशेष जो बातें बतायी हैं, तथ्यात्मक आपने जो कहा है कि गलत है, यह गलत नहीं है, आपको सत्य जवाब दिया है।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप यह बताओ कि पेहल से, आपने यह गलत कर दिया, आप बस चलाओगे नहीं, क्योंकि आपके तो लोड फैक्टर कम हो गया? आपने तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक चीज कर रखी है कि रोडवेज को प्राफिट में लाना है। रोडवेज नफे में रहे या नुकसान में, जिस क्षेत्र में आपने नेशनलाइज रूट कर दिया वहां की जनता ने क्या कसूर किया है? यदि बस नहीं चलाना चाहते तो डीनेशनलाइज कर दो, प्राइवेट बसों को परमिट दे दो। इसमें क्या जिद है? इस तरह का जवाब देना, तीन बार आपसे लगातार पूछा है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सदस्य, आपके यहां पर 72 परिचक्र चल रहे हैं। आपका पेहल गांव तो डेढ़ किलोमीटर दूर है और वह गांव रोड से हटकर है, ऐसी स्थिति में पेहल गांव को उसमें जोड़ा गया या नहीं जोड़ा गया, वह तो गलत बात है। लेकिन मुण्डावर से जो बसें चलाने का है, बहरोड़ से वहां से होते हुए बसें चल रही हैं, इधर जयपुर से होकर मुण्डावर तक निकलती हैं। हर 15-20 मिनट और आधे घंटे के अन्दर बसें निकलती हैं। उसके बाद यदि वहां पर सीधी सेवा चालू की जाती है तो 36 प्रतिशत लोड फैक्टर आता है, इसलिए रोडवेज इस स्थिति में नहीं है कि बसें चला सके। फिर भी आप प्राइवेट बसों की मांग रखवा दीजिए, उसको मैं एक्जामिन करवा कर दिखवा लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री धर्मपाल चौधरी : एक मिनट, साहब।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

मंत्री महोदय, जब तक डीनेशनलाइज नहीं होगा तब तक उस रूट को आप प्राइवेट बसों को नहीं दे सकते। अगर आप नहीं चलाना चाहते, अगर आपकी रोडवेज को आप प्राफिट में चाहते हैं, आपका कोई कण्डक्टर चोरी करे तो जनता क्यों भुगतेगी उसको?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको जानकारी नहीं है। रूट को नेशनलाइज कर दिया तो परमिट कैसे देंगे? (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप मांग तो कीजिए, मैं एक्जामिन करवा लूंगा। मुझे क्या कहना है, डीनेशनलाइज करना है या नहीं, आप अपनी मांग रखिए। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : हमारी आपसे यही मांग है कि अगर घाटे का रूट है, बस नहीं चलाना चाहते तो, मंत्री महोदय, आप डीनेशनलाइज कर दीजिए और प्राइवेट गाड़ियों को परमिट दे दीजिए जिससे वहां की जनता को सेवा मिल सके। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज। श्री भगवान सहाय।

चौमूं राजकीय रैफरल हास्पिटल में बेहोशी चिकित्सक का अभाव

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत राजकीय रैफरल हास्पिटल, चौमूं में बेहोशी चिकित्सक नहीं होने से जनता को होने वाली असुविधा के सम्बन्ध में निवेदन है कि राजकीय रैफरल चिकित्सालय, चौमूं में प्रतिदिन लगभग 400-500 मरीजों का आउटडोर है जिनमें अनेक मरीज भर्ती भी किये जाते हैं लेकिन चिकित्सालय में बेहोशी चिकित्सक नहीं होने से किसी भी प्रकार की शल्य चिकित्सा के लिए जयपुर आना पड़ता है, जो जनता के लिए महंगा और असुविधाजनक होने के साथ राजधानी जयपुर के चिकित्सालयों में भी दबाव बढ़ाता है। यहां तक कि चौमूं तहसील का परिवार नियोजन कार्यक्रम में जिले में पहला स्थान है, लेकिन अनेक बार कैम्प में बेहोशी चिकित्सक नहीं आने के कारण परिवार नियोजन कैम्प भी स्थगित करने पड़ते हैं।

अत: चिकित्सा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि चौमूं व इसके आसपास के क्षेत्र की आबादी को मद्देनजर रखते हुए चौमूं में बेहोशी चिकित्सक की व्यवस्था की जाए जिससे जनता को तो लाभ मिलेगा ही, साथ में जयपुर के चिकित्सालयों में भी दबाव कम पड़ेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

टोडाभीम के माचड़ी सब-स्टेशन पर 33 के.वी. ट्रांसफार्मर की व्यवस्था

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत टोडाभीम के माचड़ी में नवीन सब स्टेशन पर 33 के.वी. ट्रांसफार्मर लगाने बाबत निवेदन है कि मैंने भाजपा शासनकाल में अपने टोडाभीम क्षेत्र की बिजली की समस्या के समाधान हेतु यहां पर 132 एवं 33 के.वी. सब स्टेशन की मांग की थी, पर उस सरकार ने मेरी समस्या की और ध्यान नहीं दिया बल्कि इस समस्या पर मेरे पर विधान सभा में प्रहार भी किया और टांग को

(श्री रामस्वरूप)

तोड़ दिया जिसके लिए मेरे क्षेत्र की जनता ने इनकी टांग तोड़ी और जमानत जब्त कराई। मेरी सरकार के सामने मैंने यह मांग सदन में रखी, माननीय विद्युत मंत्रीजी ने मेरी मांग को गम्भीर माना और सदन में ही घोषणा कर दी कि टोडाभीम में पाड़ला खालसा एवं माचड़ी में सब स्टेशन लगा दिये जाएंगे। आपकी मेहरबानी से पाड़ला खालसा का उद्घाटन हो गया, पाड़ला में ही 132 के.वी. के सब स्टेशन का शिलान्यास भी कर दिया, जिसके लिए टोडाभीम की जनता आपकी बहुत आभारी है। लेकिन, माननीय मंत्रीजी, आपने माचड़ी का काम पूरा करा दिया, एक वर्ष से विभाग का खर्चा कर दिया, 150 सरे गड़ा दिये, तार खिंचवा दिए, अगर ट्रांसफार्मर नहीं रखा हो तो तार चोरी भी हो सकते हैं। पहले चार लाख रुपये के तार इस क्षेत्र में चोरी हो चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, मेरे पास भी आपकी यह कापी है।

श्री रामस्वरूप : हां, वही बात कह रहा हूं, साहब। कृपया आपसे निवेदन है कि माचड़ी के सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर इस सीजन में आप लगाने का कष्ट करें। आपने अधिकारियों को आदेश दे रखे हैं। आज मैं इस प्रक्रिया के माध्यम से सदन का ध्यान किसानों से संबंधित इस समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि 15 तारीख तक अवश्य ट्रांसफार्मर को रखा देंगे जैसा आपका वायदा है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल खांट।

श्री धर्मपाल चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, रामस्वरूपजी की सांकरवाड़ा की दीवार जो बनायी है उसका उद्घाटन कराकर मंत्री महोदय से... (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : आप हमारे और मंत्री के बीच में दीवार क्यों बना रहे हो?

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, 3.15 एम.वी.ए. के ट्रांसफार्मर्स का अब एक लाट आने वाला है। ज्यों ही आ जाएगा त्यों ही इनके यहां लगवा देंगे, मैं इतना यकीन दिलाता हूं कि नवम्बर महीने के अन्दर ट्रांसफार्मर इनके यहां लग जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल जी।

बाड़मेर के आनन्दपुरी थाना क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की खराब स्थिति

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थीया श्रीमती दुबली पत्नी नानूलाल निवासी पोछीया वाड़ा, थाना आनन्दपुरी जिला बासंवाड़ा की रहने वाली थी। प्रार्थीया का विवाह जाति रिवाज अनुसार करवाया गया था। पति नानूलाल आये दिन उसके साथ बेवजह मारपीट करता रहता था। उक्त प्रार्थीया के तीन बच्चे भी हैं जिनकी उम्र क्रमश: 2,6 व 10 वर्ष की है। पति द्वारा बार-बार मारपीट व प्रताड़ित करने पर प्रार्थीया अपने माता-पिता के यहां चली आयी। तीन माह से अपने पिता के यहां रह रही थी कि उसका पति नानूलाल व दो अन्य लोगों ने आकर प्रार्थीया के पिता श्री होमजी पिता श्री जोमनिया निवासी बोरवनिया थाना आनन्दपुरी को समझाया कि अब आपकी बेटी के साथ मारपीट नहीं की

(श्री जीतमल खांट)

जाएगी। आपसी समझाइश कर पति नानूलाल अपनी पत्नी के साथ घर आये। सप्ताह भर का समय भी नहीं बीता था कि पीहर पक्ष को दिनांक 27 मई, 2001 को सूचना दी गयी कि आपकी लड़की ने आत्महत्या कर ली है। यह समाचार सुनते ही पीहर पक्ष के लोग दंग रह गये, साथ ही सभी परिवारजन अपनी बेटी की लाश को देखने के लिए ग्राम पोछीयावाड़ा पहुंचे जहां मृतका की लाश घर के पास दोनों पहाड़ियों के बीच डाल रखी थी। मृतका के शरीर पर चोटें थीं व घास-फूस, केरोसीन डालकर अधजली हालत में लाश पड़ी थी। पीहर पक्ष के पहुंचने के साथ ही पुलिस भी आ गयी। पीहर पक्ष ने अपना आक्रोश बताते हुए कहा कि हमारी बेटी को मृतका के पति नानूलाल ने मार दिया है एवं उसके शरीर पर चोटों के निशान इस बात के पुख्ता सबूत हैं। परन्तु पुलिस ने पीहर पक्ष की एक बात नहीं सुनी।

मात्र इतना ही नहीं, यदि आत्महत्या कर भी ली थी तो पीहर पक्ष ने कहा कि इसका मेडिकल बोर्ड बैठा कर पोस्टमार्टम करा दिया जाए, परन्तु पुलिस प्रशासन ने सभी अनपढ़ आदिवासी लोगों को डरा-धमका कर कहा कि पोस्टमार्टम करने से जिन्दा होने वाली नहीं है, उसे लकड़ी इकट्ठा करके जला दो। इस बात पर पीहर पक्ष ने आक्रोश व्यक्त किया, तब पुलिस के जवानों व ग्राम पोछीयावाड़ा के असामाजिक तत्वों ने मिलकर लकड़ियां इकट्ठी कर थाना प्रभारी की मौजूदगी में लाश जला दी। इसके बाद थाना प्रभारी वहां से हटे और पीहर पक्ष के लोगों को कहा कि कोई लड़ाई-झगड़ा किया तो सभी को बंद कर दूंगा। क्या पुलिस की यह जिम्मेदारी नहीं थी, मृतका दुबली का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया? पुलिस ने हत्या या आत्महत्या का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? पुलिस ने मृतका के पति नानूलाल से क्यों नहीं पूछताछ की? पुलिस प्रशासन ने प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर मामले को रफा-दफा कर दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र के थाना आनन्दपुरी में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से बिगड़ चुकी है। उक्त हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनारायण।

बारां की ग्राम पंचायत फतहपुर की दो किलोमीटर सड़क का अधूरा निर्माण कार्य

श्री शिवनारायण (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बारां के ग्राम पंचायत फतहपुर, पंचायत समिति बारां को दो किलोमीटर का माह फरवरी, 2001 में कार्य शुरू कर मार्च, 2001 के बाद स्वीकृत बजट नहीं दिये जाने से ग्राम पंचायत-वासियों को असुविधा होने बाबत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

निवेदन है कि ग्राम पंचायत फतहपुर को दो किलोमीटर सड़क का कार्य 5058/एस.एम. एण्ड आर मद में जोन सं. 835 वर्ष 1999-2000 में रुपये आठ लाख का स्वीकृत किया गया था। कार्य की आमंत्रित की गयी निविदा के कार्यादेश के अनुसार 22.10.2000 को कार्य प्रारम्भ होकर तथा 29.2.2000 तक पूर्ण करना था।

(श्री शिवनारायण)

श्रीमान मुख्य अभियन्ता (सड़क) राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 1495 दिनांक 13.10.2000 से सड़क प्लान मद के नवीन कार्यों पर रोक लगाने के कारण कार्य शुरू नहीं करवाया गया। श्रीमान् मुख्य अभियन्ता द्वारा 7.20 लाख का बजट आबंटित किया गया था जिसकी सूचना 18.1.2001 को प्राप्त हुई। मार्च, 2000 में डामर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण कार्य सम्पन्न नहीं हो सका था, केवल कुटाई का कार्य शुरू हो पाया था। वर्ष 2001-2002 में प्लान मद में राशि आबंटन नहीं हो पाने के कारण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। अत: ग्राम पंचायत फतहपुर की छह हजार जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसी वर्ष में 6 लाख 20 हजार की राशि की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें ताकि ट्रेक्टर, मोटर साइकिल, जीप, साइकिल, पैदल लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमेश खींची।

कठूमर पंचायत समिति चिकित्सालय की रेफरल चिकित्सालय में क्रमोन्नति तथा वहां कार्यरत चिकित्सक द्वारा अभद्र व्यवहार

श्री रमेश खींची (कठूमर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र कठूमर के पंचायत समिति मुख्यालय पर चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सक द्वारा आम जनता से अभद्र व्यवहार किया जाता है। उक्त चिकित्सक दिमागी रूप से बीमार होने की बात कहकर अभद्र व्यवहार करता है जिसके कारण उक्त क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। अत: उक्त चिकित्सा अधिकारी की डाक्टरी जांच करवाये जाने की व्यवस्था करायी जाए। साथ ही उक्त चिकित्सा अधिकारी का स्थानान्तरण उक्त चिकित्सालय से कहीं अन्यत्र किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

उक्त पंचायत समिति मुख्यालय पर रेफरल चिकित्सालय नहीं होने के कारण करीब 20 किलोमीटर की ग्रामीण जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से आये दिन मौतें होती रहती हैं। अत: उक्त चिकित्सालय को रेफरल चिकित्सालय बनाये जाने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। जिससे ग्रामीण जनता को चिकित्सा का लाभ मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भरोसीलाल।

हिण्डौन तहसील के सुरोढ़ थाने व हिण्डौन थाने के क्षेत्राधिकार में आने वाले गांव

श्री भरोसीलाल (हिण्डौन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमान् जी से निवेदन है कि तहसील हिण्डौन के ग्राम झिरना, पोछठी, खरेटा, आरेनोगुर्जर, भंगो, राजापुरा, जेवर, वाढ अटक, छत्रों का पुरा आदि ग्राम वर्ष 1991 से पूर्व थाना हिण्डौन के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते थे, लेकिन सन् 1991 के बाद उपरोक्त सभी ग्रामों को हिण्डौन थाने से हटा कर सरोढ थाने के अधिकार के अन्तर्गत लगा दिया गया, जबकि इन ग्रामों की लगभग दूरी हिण्डौन थाने से 15 किलोमीटर है।

(श्रीभरोसीलाल)

ये सभी ग्राम, डांग एवं खनन क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं जबकि सूरोढ थाना इन ग्रामों से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि चोरी-डकैती हो जाती है तो सूरोढ थाने पर पहुंचने में करीब तीन-चार घंटे लगते हैं। मैंने पूर्व में भी पुलिस अधीक्षक करौली एवं महानिदेशक पुलिस, राजस्थान को भी लिखित में निवेदन किया है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। अतः गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि सूरोढ थाने के अन्तर्गत लगने वाले ग्राम झिरना, पोछडी, खरैटा, आरनी गुर्जर, हरिरामपुरा, भंगो, राजापुरा, जेवर वाढ अटक, छतीपुरा आदि ग्रामों को हिण्डौन थाने के अन्तर्गत लगाये जाने की कृपा करें जिससे ग्राम वालों को सुविधा मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे ग्रामीण शिक्षा के प्रति सरकार की नीति व व्यवहार

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में पिछले तीन साल से लगातार दो विद्यालय हैं। न केवल विद्यालय, आज तो महाविद्यालय तक जिस तरह से अध्यापक और प्राध्यापकों की कमी है, तमाम के तमाम विद्यालयों की अध्ययन व्यवस्था चौपट हो चुकी है। ऐसी हालत में उनको किस तरह से हम आगे ले जाना चाहते हैं? सम्पूर्ण राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में जहां सैकण्डरी स्कूल हैं वहां दो टीचर हैं, और जहां हायर सैकण्डरी सीनियर स्कूल हैं वहां तीन टीचर है, तमाम की तमाम ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था को तहस नहस करने का काम राजस्थान की सरकार ने किया है। राजस्थान ने ग्रामीण इलाके की शिक्षा के साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार कर सरकार न केवल जनकल्याणकारी शिक्षा के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उससे छुटकारा पा लिया है, बल्कि उन विद्यार्थियों को प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में जाने के लिए मजबूर करने की नीयत और नीति सरकार ने बनायी है। मैं समझता हूं इसीलिए राजस्थान की सरकार ने सैकड़ों विद्यालय अनार्थिक का नाम देकर समाप्त किये हैं। राजस्थान के 37 हजार गांवों के प्रति सरकार ने जो यह नीति लागू की है, निश्चित रुप से आज वह बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। आज सत्र का आधा भाग खतम होने आया लेकिन पूरे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में, स्कूल में पढ़ने के लिए आने वाले विद्यार्थी के लिए कहीं भी शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है। सरकार ने "प्रशासन गांव के संग" अभियान पहले घोषणा की थी कि हम 2 अक्टूबर से पहले तमाम पद रिक्त भर देंगे। कितनी विडम्बना है कि आज वह स्थिति नहीं है। जहां एक तरफ हजारों विद्यालयों में पद रिक्त हैं वहीं दूसरी तरफ बी.एड. और एस.टी.सी. प्रशिक्षित नौजवान 50 और 60 हजार की संख्या के बीच में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। विद्यार्थी अध्यापक के लिए उत्सुक हैं लेकिन सरकार इसकी कोई योजना लागू नहीं करके उन विद्यार्थियों को इस बात के लिए मजबूर कर रही है कि वे तमाम विद्यार्थी जो सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेते हैं, आने वाले समय में सरकारी विद्यालय छोड़कर प्राइवेट विद्यालयों में पहुंच जाएं, जहां आज शिक्षा को

(श्री अमराराम)

पूर्ण रूप से व्यवसाय में बदल दिया गया है। वहां तमाम सक्षम लोग हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वे लोग जो समाज में खाते-पीते लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, निश्चित रूप से आज सरकारी स्कूल में वो कोई भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जो किसान है, मजदूर है, गरीब है, दलित है, वह अपने बच्चे को इन प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में नहीं पढ़ा सकता, इसलिए आज इस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। पिछले सालों में भी शिक्षा मंत्री जी ने आदेश दिये कि जिन विद्यालयों में रिक्त पद हैं उनमें रिटायर अध्यापकों को सौ रुपये रोज के हिसाब से ले लिया जाएगा। लेकिन एक भी अध्यापक मैं कह सकता हूं, एक्सैप्शन केस अगल हो सकता है, लेकिन कोई भी रिटायर अध्यापक सौ रुपये रोजाना में या 3 हजार मंथली में नहीं जाएगा। उसकी केवल आपके कागजों में ही व्यवस्था होती है।

यही सवाल नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां विद्यार्थी और शिक्षक का रेशो 40:1 था, उसको आपने 60 कर दिया। उसको और बढ़ाते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मिडल स्कूल हैं वहां 8 क्लास और 5 अध्यापक होंगे। किस तहर के तुगलकी आदेश हमारे शिक्षा मंत्रीजी और पूरा शिक्षा विभाग क्या बसरत करने जा रहा है, समझ में नहीं आता। ग्रामीण इलाकों की शिक्षा व्यवस्था को एक तरह से तहस-नहस करने की व्यवस्था की गई है, मैं समझता हूं कि तमाम शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, विद्यार्थी को शिक्षा मिल सकती है। लेकिन एक सोची-समझी चाल के तहत अपना बजट बचाने के लिए बार-बार घोषणाएं करते हैं। कौन-सी ऐसी परेशानी है? आज इतनी इन्फार्मेशन टैक्नोलोजी है कि कितने कब रिटायर होंगे, कब भरनी है, लेकिन केवल एक बहाना कि यह प्रक्रिया चल रही है। मैं पूछता हूं यह प्रक्रिया कब तक चलेगी? दो साल और बचे हैं, वे पूरे होने तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो इस स्थिति को अभिभावक और राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दोहरा व्यवहार करके राजस्थान की ग्रामीण जनता को शिक्षा से वंचित करने का, जो प्रयास राजस्थान की सरकार कर रही है, इसको राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द जी कटारिया।

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के प्रदर्शनरत शिक्षकों पर लाठीचार्ज

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता था कि जिस विषय को मैं रख रहा हूं उस समय माननीय शिक्षा मंत्री होते तो अच्छा होता। सदन के सभी माननीय सदस्यों से बहुत विनम्रतापूर्वक आग्रह कर रहा हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष : आज पोस्टपोन कर दो, जब हों तब बोल लेना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो विषय है, हम सब लोग जो राजनीति में काम करते हैं उन सब को अच्छी प्रकार से मालूम है कि राजस्थान की शिक्षा में सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सोचता हूं कि कई गांव तो ऐसे हैं, तहसीलें ऐसी हैं जहां पहले कोई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

राजकीय विद्यालय नहीं था, तब उन लोगों ने शिक्षा की व्यवस्था की, शिक्षा के इस सेवा के काम में कई संस्थाएं सम्मिलित हुईं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारा सोचने का नजरिया यह है कि सारी शिक्षण संस्थाएं शोषण की दुकानें हैं। लेकिन जो शिक्षण संस्थाएं केवल सेवा के आधार पर पिछले 50 साल, 60 साल और 70 साल से चल रही हैं, जिनको राज्य सरकार ने अनुदान पर लेकर उनकी शिक्षण व्यवस्था में मदद करने का प्रयास किया, उन शिक्षण संस्थाओं की अलग स्थिति है। जो शिक्षण संस्थाएं अनुदान लेना नहीं चाहती या अनुदान की सूची पर नहीं हैं, वे अपनी मर्जी चाहे जिस प्रकार के शोषण करें, या कुछ भी करें, तो वह कुछ बात समझ में आ सकती है। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार उन शिक्षण संस्थाओं को समाप्त करने का मन क्यों बना रही है जो पिछले लम्बे वर्षों से अनुदानित संस्थाओं के रूप में काम कर रही हैं?

आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि राजस्थान की प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में 1/3 बच्चे पढ़ते हैं। हो सकता है इन दो-तीन सालों के आंकड़े मेरे को बराबर फिक्स नहीं हों। कुल 2/3 एजुकेशन हम् अपने सरकारी विद्यालयों में कराते हैं और एक तिहाई बच्चे प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में पढ़ते हैं। इन एक तिहाई शिक्षण संस्थाओं में हमारा खर्चा 106 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में होता है और मात्र 1223 विद्यालय इस अनुदान को प्राप्त करते हैं। यह अनुदान अभी 90 परसेंट भी नहीं है, 50 परसेंट से लेकर 90 परसेंट ये संस्थाएं प्राप्त करती हैं। हम जो पैसा देते हैं इसका कहीं दुरुपयोग ये संस्थाएं नहीं करें, इस पर कंट्रोल रखने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि 4 जुलाई, 1992 को राजस्थान गैर-सरकारी शिक्षण संस्था अधिनियम, 89 हमने पास किया। उसमें हमने यह सब व्यवस्था की है कि इन अनुदानित संस्थाओं को कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर इनमें किसी प्रकार की अनियमितताएं या गड़बड़ है तो हम उनका अनुदान रोक सकते हैं, अनुदान कम कर सकते हैं। लेकिन हमने तो केवल एक ही मापदण्ड से यह तय कर लिया कि हर वर्ष हम 10 परसेंट अनुदान कम करेंगे और आने वाले 10 वर्षों में विद्यालयों को जीरो अनुदान पर लेकर आ जाएंगे। मैं सोचता हूं कि यह किस दृष्टि से उचित होगा? अगर हम यह सोचते हैं कि इन संस्थाओं में कमी है तो उन कमियों के आधार पर आप उनका अनुदान कम करें, अनुदान काट दें, अनुदान से संस्था को हटा दें। कोई ऐसा मापदण्ड तय करें कि जिस मापदण्ड में अगर वह संस्था खरी नहीं उतरती है, परीक्षा परिणाम में नहीं उतरती है तो उसमें आप उसको काट सकते हैं, हटा सकते हैं। नियम आपको अधिकृत करते हैं, इसमें आपको कहीं तकलीफ नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से इन केवल 1223 संस्थाओं को 106 करोड़ रुपये का जो अनुदान हम देते हैं उस अनुदान को भी हम समाप्त करना चाहते हैं। उसको समाप्त ही नहीं करना चाहते हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी की मीटिंग में यह निर्णय हो गया कि हम अगले वर्ष से हर वर्ष 10 प्रतिशत अनुदान कम करते-करते 10 वर्षों में अनुदानित संस्थाओं को बिलकुल जीरो अनुदान पर लेकर आ जाएंगे।

इसके साथ ही उन्होंने एक शब्द और जोड़ा।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मुझे आश्चर्य इस बात का है कि क्या हमारी सरकार इतनी असक्षम हो चुकी है कि निजी शिक्षण संस्थाओं को बिलकुल मदद नहीं करना चाहती है। उसी के नीचे एक बात कही गई है कि हम नई संस्थाओं को अनुदान पर लेना चाहते हैं। यह दुबारा क्यों काम कर रहे हैं जब अनुदान देना है? हम में से कई लोगों ने प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में अपनी सेवाएं प्रारम्भ कीं और अपनी जिन्दगी वहां निकाली है, हम अगर 15 साल तक, 20 साल तक वहां नौकरी करें और नौकरी करने के बाद में आप यहां से एक आदेश जारी कर दो कि हर साल 10 प्रतिशत अनुदान हम कम करेंगे और 10 साल में जीरो पर ले आएंगे, तो जो 35-40 हजार शिक्षक इन अनुदानित संस्थाओं में 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? हम आदेश निकालें तो कम से कम कोई न्यायोचित आदेश निकालें। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि नहीं, हम तो बिलकुल दिवालिया ही हो रहे हैं, इस शिक्षा को इस तरह से चला ही नहीं सकते तो आप एक काम तो कर सकते हैं कि जो जो रिटायरमेंट की पोस्ट खाली होती हैं उन रिटायरमेंट की पोस्टों को आप फिर से मत भरिये, उसे अनुदान मत दीजिये। तो आपकी 5-10 सालों में अपने आप ही शिक्षकों की कमी के कारण उसमें जो कटौती होनी है, हो जाएगी। यह भी तो विचार करो आखिर कई लोगों ने प्राइवेट संस्थाओं में या कालेजों में नौकरी प्रारम्भ की है। इस अनुदान के सिस्टम के आधार पर तो निश्चित रूप से उनकी नौकरी बीच में खड़ी हो जाएगी, एक तरह से उनके सामने संकट आ जाएगा।

इस संकट को बचाने की दृष्टि से आपने देखा होगा कि लगातार प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं की तरफ से इसके मांग पत्र आ रहे हैं और कल सारे शिक्षकों ने यहां प्रदर्शन किया। अपनी वाजिब बात के लिए, जनता के हक के लिए हम सब लोग जब आन्दोलन करते हैं, जुलूस और जलसे निकालते हैं, रोड जाम करते हैं, तो अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए अगर शिक्षकों ने हजारों की तादाद में यहां इकट्ठे होकर अपनी बात कहनी चाही तो क्या गुनाह किया? लेकिन सरकार का रवैया इस तरह से है कि कोई भी न्यायोचित बात के लिए भी सरकार के सामने नहीं आ सके। सरकार ने जिस प्रकार का बर्ताव किया और जिस प्रकार से शिक्षकों के साथ लाठी-चार्ज किया, शिक्षक समुदाय के साथ भी हम ठीक तरह से ट्रीट नहीं कर सकते? केवल हमारा एक अंहकार है कि हमारे खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, हमारे खिलाफ कोई नहीं आ सकता। आपने जो बैरीकेड लगाया, यह तो आपकी भलमनसाहत है कि आपने स्टेच्यू सर्कल पर लगाया। अगर आप इसको 50 किलोमीटर दूर कहीं सड़क पर भी लगा देते तो आपका तुगलकी आदेश लागू होता कि कोई जनता की मांग को लेकर इन जनप्रतिनिधियों के द्वार पर नहीं आ सके। आप ऐसी भी व्यवस्था कर सकते हैं, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं यह सोचता हूं कि हमको अपनी बात कहने के लिए आपके सामने, आने का अधिकार है, आपको आपनी बात कहने का, मैमोरेंडम देने का अधिकार है, आपके साथ बातचीत करने का अधिकार है। लेकिन उन अधिकारों का तो आप उपयोग नहीं होने देंगे। उनके ऊपर कुछ नहीं था, केवल यह कि उनको रास्ता बताया गया कि आप सचिवालय के पीछे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से होकर आइये। आने के बाद उन्होंने अपना गुस्सा इस बात का जाहिर किया कि हमें सुना जाए, हमारी बात को पहुंचाया जाए। इसमें जद्दोजहद हुई और जद्दोजहद में लाठी चार्ज-लाठी चार्ज करके आपने 12-13 अध्यापकों का सिर फोड़कर उनका खून-खराबा कर दिया। मैं यह समझना चाहता हूं कि क्या उनकी न्यायोचित मांग के लिए आना, इनसे बात करना गुनाह हो गया? जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में 20-20, 25- 25 साल तक अपनी सेवाएं देकर राजस्थान में शिक्षा के अन्दर हमारी मदद की, हम देते क्या हैं उन्हें? अनुदान? हम जो कहते हैं कि वास्तव में 60 परसेंट देते हैं या 80 परसेंट देते हैं,

(13.00 बजे)

अगर उसका हिसाब निकाला जाए तो निश्चित रूप से 30 परसेंट भी नहीं पड़ता है, क्योंकि विद्यालय में अध्यापक तो 42 हैं और अनुदानित पोस्ट 16 हैं। आपका यह जो कानून है, यह कानून कहता है कि संस्था अगर अनुदानित संस्था है तो उस अनुदानित संस्था को सारे अध्यापकों को पूरा वेतन देना ही पड़ेगा। अब आप कल्पना कर सकते हो कि इतना अधिक वेतन केवल आपकी 12 और 14 पोस्टों के आधार पर देकर वे विद्यालय को जैसे-तैसे करके चला रहे हैं। और जिस तरह से भी हो, वे अपना काम तो निकाल रहे हैं? उस बात को भी आपने नजरन्दाज किया।

नजरन्दाज करके आपने जिस प्रकार का बर्ताव किया, आपने कहा कि हम नई संस्थाओं को अनुदान देंगे, नई संस्थाओं को अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मत दीजिए। होना तो यह चाहिए था कि इन प्राइवेट स्कूलों के परीक्षा परिणामों का आप विश्लेषण करने कि इनकी और हमारे सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति है। सरकारी विद्यालयों में हम 24 सौ करोड़ रुपये साल के खर्च करते हैं इस शिक्षा के ऊपर और मैरिट में जब लिस्ट देखने लगते हैं तो सारे के सारे 18 की सूची में मुश्किल से 3 या 4 नाम ही आ पाते है, बाकी सारे के सारे प्राइवेट स्कूलों के हैं। प्राइवेट स्कूलों में वे अनुदानित शिक्षण संस्थाएं भी हैं जो आज भी अपनी शिक्षा की छाप लेकर बैठी हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि झाड़ोल में कभी कोई स्कूल चला सकता है? जब सरकार का केवल प्राइमरी स्कूल था तब जन्नूभाई ने, जनार्दन धर नागर ने स्कूल खोला झाड़ोल में जहां कोई नहीं जाता था। घोड़े पर बैठकर आदमी जाता था तब से उसने वहां स्कूल प्रारम्भ करके गांव-गांव में स्कूल पहुंचाया। आप उन संस्थाओं के समाप्त करना चहाते हो, आप विद्या भवन को समाप्त करना चाहते हो। ऐसी संस्थाएं चाहे हमारे गेलड़ा जी ने स्थापित की हों, चाहे शास्त्री जी ने स्थापित की हों। अपने खून-पसीने से इस शिक्षा के मंदिर को बनाने का उन्होंने प्रयास किया। केवल 106 करोड़ रुपये बचाने के लिए हम बुलडोजर लेकर इस शिक्षा पर काम करने के लिए जा रहे है। मेरी प्रार्थना है सदन से भी और आपसे भी कि कोई बहुत बड़ा अमांउट नहीं है, जिसके कारण से हम इन अनुदानित शिक्षण संस्थाओं को यूं छोड़ दें। आप नई नहीं ले सकते तो मत लीजिए। कह दीजिए कि अब हम कोई नई शिक्षण संस्था को अनुदानित नहीं करेंगे, अगर आप चला सकते हो तो अपने बूते पर चलाइये, नहीं चला सकते तो मत चलाओ।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मुझे बहुत दुःख और अफसोस है कि सरकार प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं के लिए तो कहती है कि आपको ट्रेंड टीचर रखना पड़ेगा, आपको मान्यता तभी देंगे जब आप यह सर्टिफिकेट लगवाओगे कि आपके पास सब ट्रेंड टीचर हैं और आप अपने स्कूल में आठवीं और दसवीं पढ़ाने वालों के लिए आदेश निकालते हो। वह तो कोर्ट की गनीमत है जिसने रोककर आपको यह कहा कि नहीं, आप को पहले ट्रेंड टीचर को लेना पड़ेगा। बाकी आपकी मंशा तो यह थी कि कचरा भर दिया जाए। सरकारी स्कूलों में कचरा भरा जा सकता है लेकिन प्राइवेट स्कूल में आप पाबंदी लगाते हो कि नहीं, ट्रेंड टीचर होना आवश्यक है। वह ट्रेंड टीचर भी रखेगा, आपका अनुदान, भी उसे नहीं मिलेगा। कभी किसी ने हिसाब लगाने की कोशिश की कि अगर कोई विद्यालय सौ रुपये भी ट्यूशन फीस लेगा तो 20-25 बच्चों से कितना पैसा आएगा? तीन हजार रुपये आएंगे। वह तीन हजार रुपये में अध्यापक रख सकता है? अध्यापक की तनख्वाह 8 हजार, 6 हजार और 12 हजार रुपये है। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि कोई विद्यालय चला सकता है? विद्यालय चलाना असम्भव है। जितनी क्लास होंगी उसका कम से कम डेढ़ा टीचर चलेगा तब तो चलेगा, आप जैसा नहीं चलेगा कि क्लास तो 8 और मास्टर 3, लड़कों के साथ जिस प्रकार का अन्याय आप लोग कर रहे हो, आने वाले पीढ़िया आपको याद करेंगी। आपको भले ही कैसा भी अभिमान हो लेकिन जिस बच्चे को टीचर नहीं मिलेगा, जिसका परसेंटेज ठीक नहीं बनेगा, जो थर्ड डिवीज़न पास हो जाएगा वह जिंदगी भर तक अपनी डिग्री लटकाकर रोता फिरेगा सड़क पर। उसको उस समय कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। आपने पैसे के हिसाब-किताब में सारी शिक्षा का बंटाधार करने की कोशिश की है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं जानना चाहता हूं कि कल का लाठीचार्ज क्यों हुआ, किसके कारण से हुआ? ऐसा कौनसा गुनाह कर दिया कि आपने इन अध्यापकों का सिर फोड़ दिया, 12 लोगों का? अफसोस तो यह है कि महिलाएं लाठियों से घायल होकर सड़क पर गिर गयीं। उनको रोक नहीं सकते, यह कौन-सा राज है? रावण राज में भी शायद इतना अन्याय नहीं हुआ होगा। आप पुलिस फोर्स रखते, अगर महिलाएं थीं तो उनको पकड़कर गिरफ्तार करके ले जाते। लेकिन आपने सड़क पर उनको गिराकर लाठियां मारकर, उनके कपड़े फाड़कर उनको निर्वस्त्र करने का काम किया। इतना घिनौना काम किया जिसके लिए सरकार को कभी कोई माफ नहीं कर सकता। मेरी आपसे प्रार्थना है, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो ईमानदारी से जन सेवी का काम कर रही हैं उनको आइडेंटिफाई करिये। आपको मौजूदा कानून आपको सब प्रकार के अधिकार देता है लेकिन आपकी मंशा यह है कि नया कानून लाकर आप ग्रांट दें। जो आपको रामा-श्यामा करे, उसको तो आप दो, कानून यह नहीं कहता है। कानून में अगर आपको अनुदान कम करना है तो रीजन देना पड़ेगा कि उसका अनुदान कम क्यों हुआ। अगर आप बढ़ाते हो तो भी आपको उसका

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कारण देना पड़ेगा कि आप क्यों बढ़ाते हो। अपनी मनमर्जी से तुगलकी फरमान जारी करके इन सारी निजी शिक्षण संस्थओं को जिनको 70-70, 80-80 साल हो गये, उन पर बुलडोजर चलाने का प्रयास नहीं किया जाए और उन शिक्षकों पर जो लाठी चार्ज किया है उसकी जांच की जाए कि किसने चलाई, क्यों चलाई, लाठी चलाने की आवश्कता थी या नहीं थी। शिक्षकों को अगर पीटा जाएगा सड़क पर, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य का दिन इस राजस्थान की सरकार और हम लोगों के लिए नहीं होगा। यही आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, यह कह चुके है। और क्या रिपीट कर रहे हो? यह कह चुके हैं। बहुत विस्तार से उनको कहने का मौका दे दिया। कह चुके, उसके बाद क्या कह रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल। कोई जरूरी नहीं है इस वक्त वक्तव्य, बिराजो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन पर बिराजे हुए हैं, इतना गम्भीर मसला सदन के अन्दर लाया जाता है और गवर्नमेंट रिएक्ट नहीं करती है। यह कहां तक एक प्रजातांत्रिक पद्धति का तरीका सरकार ने अपनाया हुआ है?

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा है, जिस माध्यम से यह प्रश्न उठाया गया है, आप जानते हैं यह कम्पलसरी नहीं है कि सरकार इसका यहां जवाब दे।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाएं। बिराज जाएं, माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय प्रजातंत्र के अन्दर यह प्रैक्टिस है कि बिना किसी मोशन के अगर

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

इन्फार्मेशन भी इस हाउस के अन्दर आती है, सवाल यह है कि आसन को, सदन को यह तय करना पड़ता है कि उस विषय का कितना महत्व है। यह जो मसला यहां पर उठाया गया है, रैगुलर अगर रूल्स में मसला उठाएंगे तो यह आएगा 19 तारीख के बाद में और तब तक इसका महत्व खतम हो जाएगा आज समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है इतनी निर्दयतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ है शिक्षकों के ऊपर। सदन के अन्दर मसला है, सरकार को पता नहीं है इस बात का? वरिष्ठ मंत्रीजी बैठे हैं, प्रद्युम्न सिंहजी को रिएक्ट करना चाहिए। रेसपास आना चाहिये, होम मिनिस्टर को बुलाना चाहिये। यह कोई मामूली मसला नहीं है। पर्ची का है, यह मनमर्जी का नहीं है। इससे आप पूरे रूल्स को डाइल्यूट कर रहे हैं, पूरे डैमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, इसका मतलब यह है कि पर्ची के अन्दर कुछ बोल जाए, गवर्नमेंट रिएक्ट करे नहीं? आप क्या मैसेज देना चाहते हैं राजस्थान की पब्लिक को? इतना गम्भीर मसला है, क्या गवर्नमेंट का रिएक्शन है? स्टेटमेंट तो आना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम आसन निर्देश उनको दे सकता है कि स्टेटमेंट आ जाए होम मिनिस्टर का 3 बजे आ जाए, 4 बजे आ जाए। पर्ची के माध्यम से सब कुछ होता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप टाइम तय कर दें। वक्तव्य का टाइम तय कर दो, कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाए। पर्ची के माध्यम से जो प्रश्न उठते हैं, मंत्री महोदय अथवा सरकार को मालूम नहीं होता है कि पर्ची में किस प्रश्न पर बोलेंगे...

श्री सांवर लाल : घटना भी मालूम है

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए सरकार यह जरूरी नहीं है कि तैयारी से आए। उनको मालूम नहीं है कि किस बात को आप यहां पर हाउस में उठा रहे हैं। इसलिए आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते कि यहां स्टेटमेंट दे। सरकार को यदि बाध्य करना है तो उस तरह से लाओ, करा लेंगे स्टेटमेंट।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुबह अखबार पढ़ा है सबने।

श्री सांवर लाल : (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, अध्यापकों पर लाठियां पड़ रही हैं, किशनगढ़ में मजदूरों पर पड़ रही हैं, सरकार को बोल तो दो

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कमाने के अलावा और कोई काम नहीं करती है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सारे राजस्थान की जनता ने पढ़ लिया, सारे राजस्थान के लोगों ने पढ़ लिया कि शिक्षकों के साथ यह घटना हो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गयी। हममें से प्रत्येक ने अखबार के माध्यम से जानकारी कर ली, क्या सरकार को जानकारी नहीं थी? सरकार को चला कर इस बारे में आना चाहिये था कि अगर यह हुआ तो क्या हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : वह अलग बात है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह अपनी बात कहती। हम लोग क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं, जनता की बात को आपके माध्यम से सदन में रखने का प्रयास करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह कर दिया न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सरकार की भी तो जिम्मेदारी है कि अगर लाठीचार्ज हुआ तो क्यों हुआ, उनकी क्या डिमांड थी, क्या सरकार के सामने समस्या है। राजस्थान की इन संस्थाओं के बारे में सरकार अपनी कुछ बात कहती तो इससे सरकार का कोई हल्कापन नहीं लगता। इसमें तो सरकार की प्रशंसा ही होती।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्य सचेतक कुछ कह रहे हैं। वह शायद वायदा कर रहे हैं कोई स्टेटमेंट लाने का।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालय के नियम में पर्ची की व्यवस्था पहले नहीं थी, माननीय भाभड़ाजी ने अध्यक्षीय आसन से यह व्यवस्था कायम की। उस समय जो व्यवस्था कायम की उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने यह उल्लेख किया कि पर्ची के माध्यम से जो मुद्दे उठाये जाएंगे उनमें सरकार को तुरंत जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता...(व्यवधान) यह एक व्यवस्था है, आसन द्वारा निर्धारित व्यवस्था है और इस व्यवस्था को मैं समझता हूं...(व्यवधान) चेंज करने की...(व्यवधान) उसमें इस सरकार को करने दें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको सुनिये न आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बाध्यता का प्रश्न थोड़े ही है, जिम्मेदारी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बाध्यता का प्रश्न नहीं है। आपको इसमें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनको सुनिये न आप। आपकी बात इन्होंने सुनी है, आप इनको सुनना ही नहीं चाहते हो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : नियम स्थापित हैं, यह सदन यहां निर्धारित व्यवस्थाओं के आधार पर चलता है। किसी माननीय सदस्य की मर्जी से इस सदन को नहीं चलाया जा सकता। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जनता का राज है, जनता के हिसाब से यह सदन चलना चाहिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : स्थापित व्यवस्थाओं को हम तोड़ेंगे तो सदन का चलना बड़ा मुश्किल होगा। यह आसन ने ही पूर्व में व्यवस्था कायम की हुई है कि पर्ची के माध्यम से मुद्दे उठाये जा सकते हैं जो तुरंत प्रभाव के हैं, जिनको और किसी माध्यम से उठाने में हम ढिले हो जाएंगे जैसा कि आप लोगों ने कहा। (व्यवस्था)

श्री सुरेन्द्र व्यास : पारदर्शी सरकार से यह अपेक्षा की जाती है, संवेदनशील सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि खुद स्टेटमेंट दे। आपको खुद को स्टेटमेंट देना चाहिये, आप मसला उठाने की बात कह रहे हैं? आपको खुद को स्टेटमेंट देना चाहिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह आसन की व्यवस्था है। सरकार हमेशा संवदेनशील होती है।

श्री सांवर लाल : आप तो लाठियां पटकवाना चाहते हैं, मजदूरों पर पटकवाना चाहते हैं...(व्यवधान) किशनगढ़ में लाठीचार्ज हुआ। किसान पर लाठीचार्ज हुआ है, शिक्षकों पर हुआ है...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं अनुरोध कर रहा हूं, कि आप निमयों के तहत आइये, मुद्दे उठाइये। अभी सदन लम्बा चलेगा, आपको गुंजाइश है। आप नियमों के तहत आइये, मुद्दे उठाइये, सरकार ज़वाब देगी। लेकिन...(व्यवधान) पर्ची के माध्यम से अगर सरकार को जवाब देने के लिए...(व्यवधान) मेरा आसन से अनुरोध है कि इस पर पूर्व में जो निर्धारित व्यवस्था है उसको ही...(व्यवाधन)

श्री सांवर लाल : अंग्रेजों की सरकार है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अंग्रेजों की चुनी हुई सरकार है...(व्यवधान) लाठीचार्ज हुआ है...(व्यवधान) बाद में उन पर लाठीचार्ज हुआ। चार महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही राजीव पाठशाला के अध्यपकों को, बंधुआ मजदूर बना रखे हैं। 1200 रुपये दे कर। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था, उसके अलावा ऐसा कौनसा माध्यम है? या तो ध्यानाकर्षण है या स्थगन प्रस्ताव है, वह देते हैं तो आप भेज देते हो सरकार की जानकारी के लिएएएएए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं आपसे संबंधित मान रहा हूं...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह सरकार की जानकरी के लिए चला जाता है। केवल यही माध्यम बचता है ऐसे करंट इश्यू के लिए जो आज का आज हुआ। अगर इस पर आज ही चर्चा नहीं होगी तो इसका कोई अर्थ नहीं रहता है। लगातार आठ दिन की छुट्टियों के बाद 19 तारीख को आ कर इसकी बात करते हैं, यह लाठीचार्ज कल हुआ। यह घटना भी अगर इस सरकार के लिए, मंत्री के लिए और विभाग चलाने वाले के लिए सिर दर्द नहीं है, शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज का भी उनको दर्द नहीं है, सरकार को दर्द नहीं है, इससे ज्यादा अफसोस क्या होग। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपने कहा वह...(व्यवधान) नहीं कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं यह नहीं कह रहा हूं। आपको कम से कम मौजूद होना चाहिये। यह कोई बात नहीं हुई...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपके लिए बहुत-

(श्री हरिसिंह (महुवा))

बहुत धन्यवाद। आपने यह बात कही है, सरकार की जानकरी में आप लाये हैं जो अखबार के माध्यम से आपके पास है, अखबार के माध्यम से माननीय मंत्रीजी के पास भी पहुंच गयी। (व्यवधान) अब आप कह रहे हैं...(व्यवधान) इसकी ग्रेविटी क्या है...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सरकार चला रहे हो, सरकार कोई अखबारों से नहीं चलती है। सरकार डिपार्टमेंट से चलती है। यहां का पुलिस डिपार्टमेंट नहीं जानता लाठीचार्ज क्यों हुआ, कैसे हुआ? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको उसकी ग्रेविटी का पता है? (व्यवधान) आपको ग्रेविटी का पता नहीं...(व्यवधान) अखबार के माध्यम से आपको जानकारी प्राप्त हुई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या वित्त मंत्री नहीं जानते? क्या गृह मंत्री यह नहीं जानते कि 12 लोगों को...(व्यवधान) क्या यह नहीं जानते...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप बोलों और सरकार जवाब देती चली जाए, यह नियमों में कोई प्रावधान नहीं है, नियमों के प्रावधानों से अलग है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : प्रावधान तो जनता के लिए होता है। प्रावधान जनता के लिए होता है, प्रावधान और किसी के लिए नहीं होता। हम जनता के प्रतिनिधि जो करते हैं न, वह जनता का है। (व्यवधान) प्रावधान है किसके लिए? (व्यवधान) हम किसके लिए हैं? हम जनता के लिए नहीं हैं? हम तो आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि अगर आप इस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाली शिक्षण संस्थाओं और उनके लोगों को समाप्त करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। आपके भी मन में होगा, आखिर यह क्या हो रहा है। मैं सोचता हूं विषय की गम्भीरता को मान करके होना तो यह चाहिये था कि...(व्यवधान) जो भी हुआ, कम हुआ या ज्यादा...(व्यवधान) उसके बारे में सरकार क्या सोचती है, विषय स्पष्ट हो जाता। हम भी आपकी मदद करते हैं। हम कोई आपके काम में बाधा नहीं बनना चाहते थे। लेकिन आखिर कोई न्यायोचित रास्ता तो निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? घटना, दुर्घटना जो भी होनी थी, हो गयी, लेकिन उसमें कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, आगे सरकार क्या करेगी, क्या नहीं करेगी उन 40,000 शिक्षकों का भविष्य आज की घटना से जुड़ा हुआ है। आपने चाहे जैसी तलवार लटका दी। क्या अपने दुःखते हुए मन को लेकर आपके सामने आने का अधिकार भी नहीं? अपनी बात कहने का अधिकार भी नहीं ? ऐसा तो राक्षसी राज में भी नहीं हो सकता, फिर यह लोकतंत्र में कैसे होता है? फिर यह लोकतंत्र में कैसे होता है? हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने विषय ला कर रखते हैं, विषय की गम्भीरता को समझकर आपको निश्चित रूप से सरकार के नाते अपना जवाब जो भी आप के पास है वह दे करके कम से कम संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिये। वह नहीं करके...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जाएं। आप बैठिये। प्लीज बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, राजीव पाठशाला बड़े जोरों के साथ शुरू की...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हजारों शिक्षकों का अपमान किया, सैकड़ों शिक्षकों का...(व्यवधान) सैकड़ों शिक्षक महिलाओं को सड़क पर पटक पटक कर मारा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जो राजीव पाठशाला शुरू की इन्होंने, चार महीने से वेतन तक नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। जो भी माननीय सदस्य हाउस में प्रश्न उठाते हैं, वह उसको गम्भीर मान कर उठाते हैं और जितनी पर्चियां दी जाती हैं वे कोई वाकया होता है उसके आधार पर दी जाती हैं। यदि यह प्रैक्टिस शुरू हो गयी तो प्रत्येक माननीय सदस्य यह कहेगा कि पर्ची के आधार पर मुझे सरकार से जवाब दिलवाओ। यह अलाउ कर सकते हैं? यह अलाउ नहीं करेंगे तो नहीं है..(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह नहीं है, यह नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रैक्टिस कभी चालू नहीं की जा सकती। अदरवाइज रोज चार चार पर्चियां दे कर हर माननीय सदस्य यह कहेगा कि फलानां मंत्री से जवाब दिलाएं। यह परिपाटी नहीं है, आप इसे किसी दूसरे तरीके से लाइये। मैं मंत्रीजी को बाध्य नहीं कर सकता। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह मुद्दा बहुत गम्भीर है, राजस्थानी में घटित हुआ है...(व्यवधान) रात को किशनगढ़ के मजदूरों को पीटा है, अगर इस तरह से यह...(व्यवधान)

सूचना प्राप्ति प्रश्न

विधान सभा भवन के बाहर प्रदर्शकारियों हेतु व्यवस्था

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा के पुराने भवन में जब इस प्रकार के प्रदर्शन होते थे, प्रदर्शनकारियों को सरकार से सरकार के मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलता था और मिलने के बाद उनमें जिस प्रकार का आवेश होता था, रोष होता था, वह स्वत: ही बातचीत के बाद खतम हो जाता था। दुर्भाग्य से यहां इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

श्री सी.पी.जोशी : कल मिले हैं, डैलीगेशन आया है, बात हुई है। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट। (व्यवधान)

श्री सी.पी.जोशी : जो सदस्य हैं वे हमसे मिले हैं, उनसे बात हुई है। बातचीत करके हमसे आये हैं। हम कैसे वादा करेंगे,..(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात तो सुन लें, मैं उसकी नहीं कहता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहां से तीन किलोमीटर दूरी पर यदि किसी प्रकार का प्रदर्शन होता तो उसकी जानकारी इस सदन में तत्काल नहीं मिलती है। कोई न कोई व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए कि जनता के प्रतिनिधि विधान सभा के सदस्यों के सामने अपनी ग्रीवेंसेज रख सकें।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अंदर तो आने का उनको अधिकार नहीं है, लेकिन बाहर तो प्रोटेस्ट करने का उनका अधिकार है। इस विधान सभा में कोई जान-बूझकर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई है, लेकिन चौ-तरफ से रास्ते बंद कर दिये जाएं और तीन किलोमीटर की दूरी पर वे अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठाते रहें, उसका किसी भी प्रकार से महत्व नहीं रहता । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप पुलिस विभाग के साथ बैठें, विपक्ष को साथ लें, सत्ता पक्ष भी बैठे और बैठकर कोई स्थान नजदीक का इस तरह का तय करें जिस स्थान पर वे प्रदर्शन कर सकें। उस प्रदर्शन का एक लाभ होगा, मैं आपको बताता हूं पिछले भवन के सामने जितनी संख्या में तम्बू वगैरह लगते थे, लोग अपनी-अपनी मांगों को लेकर वहां बैठते थे। आज यहां बैठने का कोई स्थान नहीं है। यदि पब्लिक ग्रीवेंसेज को हाउस मीट नहीं कर सकता है, यह सही है कि सरकार कई मामलों में उसकी व्यवस्था नहीं कर सकती है लेकिन बोलने के अधिकार को, प्रोटेस्ट करने के अधिकार को नहीं रोका जा सकता है। आज की व्यवस्था में प्रोटेस्ट करने का अधिकार रूक गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस व्यवस्था को किसी न किसी प्रकार से बनाए ताकि जिस आधार पर लोग अपनी ग्रीवेंसेज को रख सकें। जो आदमी आए, जैसे कल टीचर्स के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, अब इस पर आप यह कहें कि पर्ची से मामला उठाया है। इस विधान सभा में हर व्यक्ति का अधिकार है, सदस्य का अधिकार है कि कोई पब्लिक ग्रीवेंसेज हो उनको वह सदन में उठाए। आप हमको तो पाबन्द कर सकते हैं कि जीरो आवर में यह होगा, या पर्ची से मैं यह व्यवस्था करूंगा। लेकिन आप मुझे बता दीजिये कि इस विधान सभा में सत्र आरम्भ होने के बाद आपने कभी 131 कर नोटिस मंजूर किया है, कभी आपने 127 का नोटिस मंजूर किया है, 50 का स्थगन प्रस्ताव मंजूर किया है। आप नियमों के अनुसार हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करते जाए और ऊपर से यह व्यवस्था दें कि पर्ची की व्यवस्था है, जो व्यवस्था भी लिखी हुई नहीं है लेकिन मानी हुई व्यवस्था है। अध्यक्ष की जिस पर रूलिंग हो गयी, परम्परा है। सदन की कार्यवाही केवल नियमों के आधार पर भी नहीं चलती, यह परम्परा के आधार पर भी चलती है। इस परम्परा के आधार पर पर्ची दी और आप यह समझते हो कि पर्ची देने का मतलब है कि एक आदमी उठा ले, पर मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार का भी कर्तव्य है कि पर्ची में यदि कोई गम्भीर मामला है तो सरकार को इस हाउस में रिएक्ट करना चाहिये। हाउस में रिएक्ट नहीं करना और हम बोल जाए तो आप कहेंगे कि सदन का समय जा रहा है। आज सदन का समय जा रहा है लेकिन उससे कई गम्भीर समस्याएं उत्पन्न होंगी। हो सकता है कि सत्ता पक्ष भी कोई मामला उठाए। मैं समझता हूं कि यह जनता का अधिकार है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का अधिकार है। यह अधिकार इस बात का है कि हम लोगों से आपस में मिल सकें और मिलकर उनकी ग्रीवेंसेज का हाउस में उठा सकें। इसलिए आपने पर्ची के संबंध में यह कह दिया कि मंत्री के लिए आवश्यक नहीं है, मंत्री यदि पब्लिक के प्रति रेस्पांसिबल है हाउस के प्रति रेस्पांसिबल है तो चाहे परम्परा में हो या नियमों में हो या नियमों में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ना हो, फिर भी मंत्री का वक्तव्य हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब गृह मंत्री जी बता देते कि टीचर्स पर लाठी चार्ज इस तरह से हुआ, कितने लोगों के चोटें आयीं। उन्होंने कानून और व्यवस्था की स्थिति को खराब किया। जो भी उनका वर्शन है इस हाउस में आता तो कम से कम पता लगता। आज इस हाउस में यह वर्शन नहीं उठेगा तो मैं आपको आज यह चेतावनी देता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप यह मानकर चलिये कि जो भी असेम्बली में आने वाला होगा, लाठीचार्ज उस पर हो गया तो उसकी ग्रीवेंसेज तो इस हाउस में सुनी ही नहीं जाएगी, क्योंकि जब तक हाउस खतम होता है उस समय तक लाठीचार्ज होकर लोग चले जाते हैं। इसलिए आप इस व्यवस्था पर ध्यान दीजिये। आप निश्चित रूप से मानकर चलिये कि हम हरेक मामले को नहीं उठाना चाहते। लेकिन जो मामला उठाए, सरकारी पक्ष से भी मैं कहना चाहूंगा कि वह उस मामले की गम्भीरता को देखे। अनुमान लगा लें कि इस मामले में रिएक्शन देना है या नहीं देना है, या इस मामले में चुपचाप बैठकर जो भी कहा जा रहा है उसको सुनकर उसकी उपेक्षा कर दें। ये दोनों चीजें खतरनाक हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि अभी नहीं थोड़ी-सी देर में आप गृह मंत्री जी को कह दें कि सदन की कार्यवाही स्थगित हो उसके पहले-पहले वह इस विषय पर वक्तव्य दे दें। मैं समझता हूं गृह मंत्री जी तैयार होंगे। तैयार होने भी चाहिए। मेरा विश्वास है वह तैयार होंगे। आपके आदेश की जरूरत नहीं थी, वह यहां होते तो मुझे लगता है वह वक्तव्य देने के लिए कह देते। इस मामले में वह काफी तत्पर रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको विश्वास है तो आप बात कर लेना, दिला देना।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बात करने का सवाल ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हैं मेरा विश्वास है, करा देंगे तो फिर आप करा देना वक्तव्य। मैं काहे को रोक रहा हूं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मेरा विश्वास है कि गृह मंत्री जी यहां होते तो वक्तव्य दे देते। अब आप इतना-सा समाचार उनके पास भेज दीजिये कि इस तरह की मांग उठ रही है।

श्री उपाध्यक्ष : यह समाचार भेज दूंगा। वह देना चाहेंगे तो वक्तव्य दिला देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आप समाचार भेजेंगे और वह आपका कहना नहीं मानेंगे?

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** अध्यक्ष महोदय, ये रूल्स...(व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता जिस ढंग से जो बात कह रहे हैं, यह जनरलाइज हो जाएगा, सरकार के लिए बड़ा मुश्किल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाए। मैं इतना ही कह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी तो वह काम करेंगे जिसको आप उचित समझते हैं। हां, यह बात दीजिये कि आप अनुचित समझते हैं कि हमें गृह मंत्री जी का इस मामले में वक्तव्य नहीं कराना है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने ऐसा कोई काम जो आपने कहा, अनुचित समझा ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने नहीं समझा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप रिक्वेस्ट कर देना उनको, मैं भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप रिक्वेस्ट करें उनसे, बात कर लीजिये। वह रिक्वेस्ट आपकी नहीं मानते तो हमको बता दीजिए, हम रिक्वेस्ट उनसे मनवा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वह बात अलग है। दूसरा सवाल जो आपने कहा विधान सभा के परिसर में प्रदर्शन वाला मामला, उस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष महोदय से बैठकर इस पर विचार करेंगे। कोई स्थान निश्चित कर सकें, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, निश्चित करा देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी गृह मंत्रीजी का करा दें।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी हाउस में नहीं हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हाउस में दूसरे मिनिस्टर्स हैं, प्रद्युम्न सिंहजी को रिएक्ट करना चाहिए, सबसे सीनियर मिनिस्टर हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जयपुर में ही नहीं हैं?

श्री उपाध्यक्ष : सैक्रेटेरिएट में हैं। बुलवा लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बुलवा लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : बात कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप टेलीफोन करके बुलवा लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह आएं तब तक कार्यवाही तो चले। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : कलैक्टिव रेस्पांसिबिलिटी है आपकी। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब आप मुख्य मंत्री थे उस समय पर्ची का कितने का जवाब दिया जाता था?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वाह-वाह, क्या कहना है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह क्या लाजिक हुआ? (व्यवधान) यह क्या लाजिक हुआ?

श्री सांवर लाल : आप तो उस समय सदस्य ही नहीं थे।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न बात। आप बिराजें।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ''विद्वान सर्वत्र पूज्यते'' क्या लोकतंत्र में निहत्थे, अहिंसक प्रदर्शन पर लाठीचार्ज और गोली चलाना उचित मानते हैं?

''विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मण गवहस्तिन,
शुनिचैव सुपातेन पंडित: समदर्शिन:।''

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल जी। बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप तो

(श्री उपाध्यक्ष)

बहुत अनुशासित सदस्य हैं, बिराजें प्लीज। डा. किरोड़ी लाल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अर्थ तो सुनें उसका, संस्कृत में बोले हैं। अर्थ तो बोलिये उसका।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पंडितजी नहीं बताएं, आप समझ गये हों तो आप बता दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, अर्थ तो बताएं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह संस्कृत भाषा का.....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, संस्कृत में इतना अच्छा श्लोक बोला, इतना सबका ज्ञानवर्धन हुआ.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें। उसको पढ़ लेना, सीखा लेना, बिराजें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उन्होंने यह कहा है,

''विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशाम परपीड़नाये खलस्य साधू विपरीत मेवे, ज्ञानाय, दानाय च रक्षणाये॥''

मैं जवाब देता हूं संस्कृत में ही इसका।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह नहीं कहा है उन्होंने....(व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : रामस्वरूप जी ने जो कहा है वह मैंने नहीं कहा है।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

राजस्थान में बढ़ती अन्तरराष्ट्रीय गतिविधियां

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार चूंकि प्रचंड बहुमत में है, प्रचंड बहुमत में +++ होकर कार्यवाही कर रही है। शिक्षकों पर कल जो प्रहार किया, महिलाओं तक को पीटा, उसका मामला आपके सामने आया है। खुद कांग्रेस के विधायक इन्दौरियाजी ने इस बात को ताईद किया है, सपोर्ट किया है कि निहत्थों पर लाठीचार्ज किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस राज्य में कानून व्यवस्था चौपट हो गयी है, जंगल राज चल रहा है। राज में आने से पहले कांग्रेस ने बड़े लुभावने नारे दिये थे कि हम कानून की व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, साम्प्रदायिक सद्भाव को बनाएंगे जो बी.जे.पी. के राज में, भैरोंसिंहजी के राज में जो खतम हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान इन मामलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब से कांग्रेस का राज आया है, इस राजस्थान प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ा है और इतनी बुरी तरह से बिगड़ा है कि पूरा राजस्थान आग के ढेर पर खड़ा है, अंगारों पर खड़ा है। साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की एक नहीं, अनेक घटनाएं हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आसीन्द की घटना, मलारना डूंगर, सवाईमाधोपुर में हनुमानजी की प्रतिमा पर मांस फेंक दिया, मलारना स्टेशन पर मूर्ति को खण्डित कर दिया, गंगापुर में छह गायों को काट डाला, गाजू का

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. किरोड़ी लाल)

थाना पहाड़ी, भरतपुर में 35 गायों को काट दिया, जुरेरा, भरतपुर में मूर्ति को खण्डित कर डाला, जहाजपुर कस्बे में हनुमानजी की प्रतिमा को खण्डित कर दिया और उसके साथ में तीन और मूर्तियों को तोड़ डाला, सरवाड़ में साम्प्रदायिक तनाव फैला दिया, रामसर, अजमेर में भी यही स्थिति हो गयी, ब्यावर में दंगे हो गये, गंगरार तहसील में खूंटियां गांव में एक गाय को जिंदा जला दिया, बांसवाड़ा में साम्प्रदायिक तनाव के बाद कर्फ्यू लगा दिया, पण्डेर में धार्मिक स्थल को तोड़ डाला और धर्मग्रंथ को आग लगा डाली, दौसा में तनाव हो गया, जोधपुर में साम्प्रदायिक तनाव फैला, जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ में तनाव फैला, भरतपुर जिले के कामां कस्बे में भी तनाव फैला, कपासन में तनाव फैला और मेवात तो पूरा का पूरा आग के अंगारों पर बैठा हुआ है, बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। अभी बनासकांठा, गुजरात में जो आर.डी.एक्स का ट्रक पकड़ा गया, उसमें मेवात इलाके के ड्राइवर का हाथ था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारी बातें इसलिए कहना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक तनाव को फैलाने में कांग्रेस सरकार का हाथ है, कांग्रेस के लोगों का हाथ है और कांग्रेस उसको किसी तरह से...

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : यह गलत है, यह गलत है। आपकी पार्टी का और आर.एस.एस. का हाथ है।

एक माननीय सदस्य : यह पर्ची पर जवाब आ गया?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ये पर्ची पर जवाब कैसे दे रहे हैं मंत्रीजी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब बहस ओपन कर दी, उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इतने सीनियर मंत्री होकर विधायक महोदय को बोलने नहीं दे रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अनुमति प्रदान करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह वरिष्ठ मंत्री हैं जिनको अवार्ड मिला है। राष्ट्रपति महोदय ने अवार्ड दिया है, वह बोल रहे हैं बीच में। आप सुनने का माद्दा रखिये, मंत्री महोदय, सुनने का माद्दा।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष चार जगह दंगे हुए और करीब चालीस स्थानों पर साम्प्रदायिक तनाव बना है। यह कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति के कारण हो रहा है। इनको वोटों का जबर्दस्त लोभ है कि मुसलमानों के वोट हमें नहीं मिले तो हम आगे कभी सत्ता में नहीं आने वाले हैं। इसीलिए आसीन्द की घटनाओं पर परदा डाला। उपाध्यक्ष महोदय, 26.7.2000 को आसीन्द में जो सवाईभोजजी का स्थान है, मुस्लिम समाज के लोगों ने वहां टैण्ट डाल कर कब्जा कर लिया। उससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, आसीन्द गुर्जर समाज का ऐतिहासिक धर्मस्थल है, भगवान देवनारायण का वहां पर जन्म हुआ, विक्रम संवत् 968 में इस स्थान के लिए मेवाड़ के महाराणा भोपालसिंह ने सात सौ बीघा जमीन ताम्रपत्र के जरिये दी थी। जब से सैटलमेंट चला...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या इस तरह की बातें...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह पहले उठ चुका है और इस पर सब चर्चा हो चुकी है।

डा. किरोड़ी लाल : आसीन्द पर नहीं गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने पर बात करिये जिस पर आपने पर्ची दी है। (व्यवधान) आप बिराजो।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब से सैटलमेंट की व्यवस्था चली है तब से राजस्व रिकार्ड में सवाईभोज के नाम से जमीन भी है, महन्त, पुजारी वहां पूजा करते हैं। एक दीवार वहां पर खड़ी की गयी 10 फुट लम्बी, ऊंची 7 फुट और 1 फुट चौड़ी । जोगीनाथजी की वहां पर धूनी थी, साधुओं की जमात आती थी। उसकी धुआं उठ कर वहां आती थी इस कारण वहां पर दीवार खड़ी कर दी। यह दीवार खड़ी हुई, इस दीवार को लेकर एक बार 1985 में झगड़े हुए। 1985 में एक सम्प्रदाय विशेष द्वारा जब मुकदमा दर्ज किया गया उसमें पुलिस ने एफ.आर. लगा दी। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में जो दीवार थी उसको कालिन्दी मस्जिद का नाम दे दिया। इस प्रकरण को तूल देने में मुख्य भूमिका रियाजुद्दीन शेख और रफीक अहमद शेख की रही जो दोनों आदतन अपराधी हैं। 1980 में महन्त प्रेमदास की हत्या में इनका हाथ बताया जाता है। विदेशों से अपार सम्पदा इनके पास आती है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ये लिप्त रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इण्डिविजुअल न कह कर जनरल बात कह कर समाप्त करिये।

श्री मदन दिलावर : अपराधियों का नाम ही न लें?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : अपराधियों का नाम ही न लें? उपाध्यक्ष महोदय, ये सही बात कह रहे हैं। मेरा निवेदन है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों का नाम लेना, उनको जड़-मूल से नष्ट करना हम सबका दायित्व बनता है, इसलिए माननीय सदस्य सही बात कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री मदन दिलावर : आप सही बात कह रहे हैं, इनको रोकना चाहते हैं? मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि इसकी वास्तविकता सदन के सामने आनी चाहिए, इस पर आप व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : ऐसे इम्पार्टेण्ट मामले पर एक चिट के ऊपर चर्चा करवाया जाना मेरे खयाल से परम्परा और साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए उचित नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, एक चिट के आधार पर इतना इम्पार्टेण्ट मामला उठा रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : राजस्थान में तालिबान जिन्दाबाद के नारे लगे हैं, ओसामा बिन लादेन के नारे लगे हैं और ये इस पर बहस

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

नहीं चाहते। आखिर कहां ले जाएंगे इस देश को? यह सरकार देश को कहां ले जाना चाहती है? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान के +++ तो आप हैं।

श्री मदन दिलावर : ओसामा बिन लादेन जिन्दाबाद के नारे साफ सुनते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरे क्षेत्र रामगढ़ में नारे लगे हैं ओसामा बिन लादेन के, उसके लिए प्रशासन कार्यवाही नहीं कर रहा है।

श्री मदन दिलावर : आप क्या चाहते हैं? देश को आतंकवादियों के हाथों गिरवी रख दिया जाए?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आतंकवादियों को बढ़ावा मिल रहा है।

श्री मदन दिलावर : देश को गिरवी रख दिया जाए? उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो सकता। यह राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है इसलिए माननीय सदस्य को बोलने दिया जाना चाहिए, प्रार्थना है आपसे।

श्री उपाध्यक्ष : मदन दिलावरजी, बिराजिये आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, गद्दारों को पुरस्कार और देशभक्तों को तिरस्कार, यह नहीं चलेगा। यह इस सरकार को तय करना पड़ेगा। नहीं तो जनता उनके साथ दो-दो हाथ करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय दिलावरजी, मैं आपसे फिर प्रार्थना कर रहा हूं कि आप बहुत लिबर्टी ले रहे हैं हाउस में। Please, do not compel me to take action against you. आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप उनका भी ध्यान नहीं रखना चाहते?

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्र की सुरक्षा का मामला आया है तो आप गुस्सा काहे को कर रहे हैं? इस राजस्थान की बरबादी का सौदा हो रहा है, बांग्लादेशी आतंकवादी यहां आ रहे हैं, हिन्दुस्तान मुर्दाबाद के नारे यहां लगाये जा रहे हैं और आप मुझे यह कह रहे हैं कि मैं लिबर्टी ले रहा हूं। इस राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पाकिस्तान के नारे लगाने वाले (व्यवधान) +++ (व्यवधान) उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : यह आपके दिल्ली की सरकार की कमजोरी है।

डा. महेश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने क्या माननीय मंत्री महोदय के खिलाफ कोई सूचना दी है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नाम नहीं लिया है, नाम नहीं लिया है।

डा. महेश जोशी : आपने कामां के लिए...

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नाम नहीं लिया।

डा. महेश जोशी : आपने नाम लेने के बराबर ही कर दिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पाकिस्तान जिन्दाबाद बोलने वालों को...(व्यवधान) तालिबान जिन्दाबाद कहने वालों को... (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह है कि सदन की कार्यवाही से इन शब्दों को निकाला जाए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपकी सरकार देशभक्तों का तिरस्कार करती है। मैंने नाम नहीं लिया किसी का। मैंने मंत्री महोदय का नाम नहीं लिया।

श्री मदन दिलावर : हिन्दुस्तान मुर्दाबाद कहने वालों को पुरस्कार, यह निकम्मी सरकार क्या चाहती है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कामां में पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने वालों को गिरफ्तार नहीं किया गया, यह मैं कह रहा हूं। कामां के, वहां के मंत्री बने हैं (व्यवधान)।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां मस्जिद बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। गुर्जर समाज के प्रतिष्ठित नेता एवं सदन के वरिष्ठ विधायक गुर्जर गोविन्द सिंहजी का कहना है कि सवाईभोज में कोई मस्जिद नहीं है, न ही यहां पर नमाज पढ़ी गयी। लेकिन न तो गुर्जर समाज की बात मानी जा रही है, न ही गुर्जर नेता की बात मानी जा रही है। सरकार सम्प्रदाय विशेष को या समुदाय विशेष को खुश करने के लिए यह तुष्टिकरण की नीति अपना कर साम्प्रदायिकता फैलाने पर तुली हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, मसूदा की घटना आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी। मसूदा में सरकारी जमीन पर मस्जिद बना डाली और पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार जब मौके पर गये तो उनको पीट दिया। कलक्टर भी जब पहुंचीं तो उनको भी वहां से वापस कर दिया। कलक्टर घबरा गयीं। जब अधिकारी पिटे तो ऊपर से दबाव आ गया। तहसीलदार पिट जाए, सरकारी जमीन पर मस्जिद बन जाए और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो तो यह कांग्रेस की सरकार इनको प्रश्रय दे रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सवाईमाधोपुर के मलारना डूंगर कस्बे में चमत्कारी हनुमानजी का मंदिर है, उस चमत्कारी हनुमानजी के मंदिर पर, उपाध्यक्ष महोदय, आपको अफसोस होगा कि अपराधियों का साहस कितना बढ़ गया, मांस के टुकड़े फेंके। मांस के टुकड़े फेंके सुबह पुजारी के यहां। मंदिर अपवित्र हो गया। मंदिर को पवित्र किया। अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग की, लोग सात दिन तक धरने पर बैठे रहे। हमने कहा, वो सिमी के लोग थे यहां। ये आई.एस.आई. से जुड़े हुए हैं, इनको गिरफ्तार करो। लेकिन आज तक सरकार ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार करना तो दूर की बात है उनके अवैध हथियारों तक को चैक नहीं किया गया। इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की। मलारना स्टेशन उसके पास में पड़ता है, वहां पर दूसरी घटना हो गयी। वहां पर मूर्ति को तोड़ डाला, आज तक प्रशासन ने कोई कार्यवाही

(डा. किरोड़ीलाल)

नहीं की। उपाध्यक्ष महोदय, वहां की दीवारों पर लिखा हुआ है, आप किसी को आज भी भेज सकते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद और लादेन जिंदाबाद। तो पुलिस ने क्या किया?

(13.40 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

मलारना डूंगर में गये। और उसकी पुताई करके इतिश्री कर डाली। लेकिन यह लिखा किस राष्ट्र विरोधी ने है उसके खिलाफ आज तक कार्यवाही नहीं की।

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सरकार सो रही है और राजस्थान का यह क्षेत्र सुलग रहा है। अब जयपुर की घटना तो, सभापति महोदय, आपने सुनी होगी, काफी तादाद में लोग जयपुर में इकट्ठा हुए थे। जब पेंटागन पर हमला हुआ तो तालिबान पर अफगानिस्तान में जो हमला किया, उस अमरीका के खिलाफ यहां इकट्ठे हुए। उस समय पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाये गये, तालिबान जिंदाबाद के नारे लगाये गये, उस समय लादेन जिंदाबाद के नारे लगाये गये, पैम्फलेट फेंके गये। आखिर क्या यह सरकार सो रही है? सरकार क्या कर रही है? मैं, शांति धारीवाल जी, आपसे पूछना चाहता हूं आज आप यहां पर बैठे हैं, गृह मंत्री तो हैं नहीं, क्या आप शांति को, राजस्थान की शांति को खतम करना चाहते हैं? इतनी बड़ी तादाद में यहां मुस्लिम समाज इकट्ठा हो और लादेन के नारे लगाए तो +++

डा. महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, एक पर्ची के माध्यम से जयपुर में साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कोई तालिबान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे उस दिन नहीं लगे। माननीय किरोड़ी लालजी गलतबयानी कर रहे हैं। (व्यवधान) आप गलतबयानी कर रहे हैं। (व्यवधान) आप जयपुर के साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप सही फरमा रहे हैं। राजस्थान को अशांत करने में...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : आप गलतबयानी कर रहे हो, जयपुर में कोई नारे नहीं लगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गद्दारों को पुरस्कार दे रहे हो। गलतबयानी आप कर रहे हो। देशद्रोही आप कर रहे हो, गद्दारों को संरक्षण दे रहे हो। देशद्रोहियों को पुरस्कार दे रहे हो। और +++

श्री सभापति : बिराजिए आप।

श्री मदन दिलावर : +++

श्री सभापति : बिराजिए आप, दिलावर जी।

श्री मदन दिलावर : आपके पिताजी की तो ध्यान में रखो, उन्होंने क्या-क्या किया था। आपके पिता के पदचिह्नों पर चलो, नहीं तो +++

श्री सभापति : आप बैठिए। बैठिए, बैठिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : औरंगजेबी संस्कृति नहीं चलेगी। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. महेश जोशी : ये माननीय मदन दिलावर जी किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, किसको डूब मरने की बात कर रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सचेतक हो...(व्यवधान)

डा. महेश जोशी : किसको डूब मरने की बात कर रहे हैं आप?

श्री मदन दिलावर : अपने पिताजी के पदचिह्नों पर चलो, नहीं तो +++।

डा. महेश जोशी : यह क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हैं?

श्री सभापति : इनको फिनिश करने दीजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : +++

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप क्यों खड़े हो गये? आप गद्दारों को पुरस्कार क्यों दे रहे हैं? आप तो सचेतक हैं, शांत होइए ना। आप तो सत्ता पक्ष के सचेतक हैं, शांत रहिए।

श्री सभापति : किरोड़ी लाल जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो सत्ता पक्ष के सचेतक हैं, गद्दारों को पुरस्कार मत दो, महेश जी जोशी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : ये तो घटना घटित विवरण पेश कर रहे हैं।

श्री सभापति : सांवर लाल जी। (व्यवधान) बिराजिए।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, इन दिलावर साहब ने सदन के अन्दर आतंकवाद फैला रखा है, सारे सदन को आतंकवाद से भर दिया है दिलावरजी ने। आपकी भी नहीं मानते हैं, हमारी भी नहीं मानते हैं। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, अब इनका तो इलाज करो। (व्यधान) आतंकवाद को दिल्ली सरकार तो नहीं रोक सकी, जाकर मिल रहे हैं। पाकिस्तान गये थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, वहां जाकर खाना खाया बैठकर। यहां लोग मर रहे थे और ये आतंकवाद की बात कर रहे हैं आज। इस सदन में भी आतंकवाद इन्होंने फैला रखा है। आप रोकिये, माननीय सभापतिजी, इनको। दिलावर साहब बार-बार इस तरह की घटनाओं का नाम लेते हैं जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द खराब होता है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गद्दारों को पुरस्कार देने वाले...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य साम्प्रदायिकता की बात करते हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय दिलावरजी, आपकी पार्टी के बोल रहे हैं। (व्यवधान) बिराजिए।

श्री अमराराम (धोद) : ये बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य जिस तरह की बात कर रहे हैं (व्यवधान) जयपुर में 50 हजार के करीब लोग इकट्ठा हुए। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ये गद्दारों को पुरस्कार और देशभक्तों का तिरस्कार नहीं चलेगा। (व्यवधान) देश के प्रधान मंत्री का नाम यहां लेना, ये साम्प्रदायिक दंगा करवा रहे हैं। ये दंगा करवाकर आप क्या चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जिस तरह से बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही है (व्यधान) आर.एस.एस. के 50 हजार लोग इकट्ठा होते हैं, जयपुर की राजधानी में 50 हजार लोग इकट्ठा होते हैं, मार्च करते हैं और साम्प्रदायिक सद्‌भाव को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है, वह इनको दिखायी नहीं देता। (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी, आर.एस.एस. के 50 हजार से ज्यादा लोग यहां आते हैं, मार्च करते हैं, साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं तो राजस्थान को प्रभावित करने का काम करते हैं। (व्यवधान) वे तालिबान जिंदाबाद के नारे की बात करने वाले...(व्यवधान) राजस्थान की साम्प्रदायिकता को बिगाड़ने का काम है, चाहे वो तालिबान जिंदाबाद करने वाला हो...(व्यवधान) सबके खिलाफ एक जैसी कार्यवाही होनी चाहिए, यह मेरा सुझाव है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इस सदन में गलतबयानी नहीं चलेगी। (व्यवधान) यह गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गद्दारों को पुरस्कार और देशभक्तों का तिरस्कार नहीं चलेगा। शांति की आराधना करने वाले अटलजी, देश के प्रधान मंत्री के नाम पर यहां पर बोलना कि ये साम्प्रदायिक दंगे करवा रहे हैं, ये दंगे करवाकर आप क्या चाहते हैं? (व्यवधान) +++ तालिबान जिंदाबाद के नारे लगाना, चारों तरफ मदरसे चलाये जा रहे हैं। मदरसों में एक ही तालीम दी जा रही है देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी। (व्यवधान) देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी तालिबान की पढ़ाई पढ़ायी जा रही है मदरसों में चारों तरफ राजस्थान में। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप लोग सदन में क्यों नाम लेते हो उनका? (व्यवधान) क्यों नाम लिया जा रहा है उनका यहां पर? (व्यवधान) ऐसे लोगों का नाम लिया जा रहा है सदन में, बताइए आप।

एक माननीय सदस्य : इनका इलाज करो, +++ यहां पर। (व्यवधान)

श्रीमती शांति पहाड़िया (वैर) : अटल बिहारी वाजपेयी जी से बोलो। क्या बोल रहे हैं यहां पर? (व्यवधान)

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की राजधानी में...

श्रीमती शांति पहाड़िया : उनसे बोलो आप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो अपने वहां सैनियों को बंद करवा चुकीं। (व्यवधान) +++

श्रीमती शांति पहाड़िया : क्यों देश का नाश कराना चाहते हो? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपके यहां पर तो सैनी बंद हो गये। सैनी की सरकार और सैनी ही बंद हो गये। +++ (व्यवधान) +++ कई गरीबों को बंद करवाया।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : राजस्थान में तालिबान और पाकिस्तान जिंदाबाद करे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले राष्ट्र विरोधी लोग हैं।

श्री यशवंत सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय, ये पर्चे छपवाये गये जिसमें कहा गया कि तालिबान के साथ अत्याचार हो रहा है, हम एक हों। जब कश्मीर में हमारे सैनिक मारे जा रहे थे तब ये कहां थे? आज तक एक को भी याद नहीं आयी। जेहाद की दुहाई देते हैं ये लोग और साम्प्रदायिक दंगा करवाते हैं। सरकार को +++ कि ऐसे मुद्दे पर सीरियस नहीं होती।

श्री रामस्वरूप : कारगिल का युद्ध जिस समय हो रहा था उस समय पहले ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी यह करके आये थे पाकिस्तान में। वहां खोज कर रहे थे उस समय? (व्यवधान) उस समय अटल बिहारी वाजपेयीजी युद्ध के बारे में क्यों नहीं बोले? (व्यवधान) समझौता किया था उन्होंने पाकिस्तान से।

श्री सभापति : माननीय रामस्वरूप जी। (व्यवधान)

श्री यशवंत सिंह (रामू) : माननीय सभापति महोदय, माननीय अटलजी तो गये... (व्यवधान) घुटनों का इलाज करवाने गये थे पाकिस्तान में, डा. साहब, वे।

श्री सभापति : आपने अपनी बात कह दी, बार-बार नहीं।

डा. के.सी. चौधरी : माननीय सभापति महोदय, तालिबान वाला तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का विषय है, अपन अन्तरराष्ट्रीय मामले में इस सदन में कहां डिस्कस कर रहे हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर पर डा. किरोड़ी लालजी ने जो बात उठायी है...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप हस्तक्षेप कर रहे हैं क्या बीच में? जवाब दे रहे हो इनका?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जी, हां। मेरा नाम लिया है उन्होंने इसलिए मुझे कुछ बोलना पड़ रहा है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : ये पर्ची पर जवाब देने लग गये। इनका जवाब ही नहीं चलता। अब पर्ची पर बार-बार खड़े होकर बोलने लग गये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप कहें तो नहीं बोलूं।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप मत बोलो, आप बैठ जाओ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं बोलूं?

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप डा. साहब...(व्यवधान) आप डा. साहब से पूछ लो।

श्री धर्मपाल चौधरी : डा. साहब ने कह दिया। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर ये नहीं चाहेंगे तो नहीं बोलूंगा मैं तो। (व्यवधान) सभापति महोदय, जो बात उठायी है डा. किरोड़ी लालजी ने जगह-जगह पर...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सीट से बोलेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्रीजी, अपनी सीट पर बोलें।

श्री मदन दिलावर : मंत्रीजी, अपनी सीट पर बोलें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्रीजी, अपनी सीट पर बोलें।

श्री मदन दिलावर : व्यवस्था का मामला है, माननीय सभापति महोदय, सीट से बुलाएं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप व्यवस्था, दें, मंत्रीजी अपनी सीट पर बोलें। आप गृह मंत्रीजी नहीं हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बैठ जाओ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप गृह मंत्रीजी हैं क्या?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अच्छा, बैठ जाओ आप। छोटी-छोटी बातों को काहे को उठाकर टाइम खराब करते हो बेकार ही? (व्यवधान) सभापति महोदय, यहां यह बात उठायी है कि जगह-जगह पर तालिबान जिंदाबाद के नारे लगाये जाते हैं, लादेन जिंदाबाद के नारे लगाये जाते हैं और सरकार सो रही है। यह कांग्रेस की सरकार है और यह वही कांग्रेस की सरकार है जिसने पाकिस्तान को सन् 65 में, सन् 71 में वो सबक सिखाया कि जो आज देश के प्रधान मंत्री हैं उनसे रहा नहीं गया और लोक सभा में उन्होंने उस इन्दिरा गांधी को जो तत्कालीन प्रधान मंत्री थीं, दुर्गा माता कहा था। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दुर्गा माता नहीं कहा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी बात तसल्ली से सुनी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पांच बार देश का बंटवारा करवाया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने आपकी बात तसल्ली से सुनी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पांच बार देश का बंटवारा करवाया, सभापति महादेय, यह वही कांग्रेस है।

श्री मदन दिलावर : दुर्गा माता के ऐसे निकम्मे बेटे पैदा हो जाएं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ठहर जाओ। यह वहीं कांग्रेस है जिसने पांच बार बंटवारा कराया 47 में कराया, 48 में कराया, बांग्लादेश बनाया तो भारत की जमीन गयी, तीन बीघा जमीन गयी। (व्यवधान) 5-5 बार बंटवारा करवाया।

श्री रामस्वरूप : खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा माना है इन्दिरा को, दुर्गा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमने तो कारगिल की जमीन ली है।

श्री रामस्वरूप : अटल बिहारी वाजपेयी ने दुर्गा इन्दिरा गांधी को कहा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इस राजस्थान में (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह वही कांग्रेस है जिसने जमीन दी। यह वही कांग्रेस है जिसने चीन को 14 हजार वर्ग गज जमीन दे दी। यह वही कांग्रेस है जिसने आजाद कश्मीर के नाम पर एक और कश्मीर बना दिया। (व्यवधान) यह वही कांग्रेस है जिसने 48 में जमीन गंवा दी। यह वही कांग्रेस है जिसने बांग्लादेश को तीन बीघा जमीन दे दी। (व्यवधान) यह वही कांग्रेस है जिसने देश का पांच बार बंटवारा करवाया। पांच-पांच बार बंटवारा कराने वाली कांग्रेस, नेहरू के समय, इन्दिराजी के समय, राजीव के समय देश का 5-5 बार बंटवारा करवाया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मुझे एक बार तो बोलने दो। मैं एक बार तो कुछ तो बोल दूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 14 हजार वर्ग गज जमीन चली गयी। आप कांग्रेस की दुहाई दे रहे हो। (व्यवधान) आप 67 की बात करो। (व्यवधान) शास्त्रीजी थे। (व्यवधान) शास्त्रीजी को खतम किया।

श्री रामस्वरूप : यह वही कांग्रेस है जिसने आजादी दिलायी। यह वही कांग्रेस है जिसने प्रीविपर्स खतम किये। यह वही कांग्रेस है जिसने...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 5-5 बार देश का बंटवारा करा दिया।

श्री मदन दिलावर : कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाये गये, गौ माता के दूध को लजा रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : बात सुन ली गयी है सब।

श्री मदन दिलावर : गौ माता के दूध को लजा रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपने अच्छी बात कही है।

श्री मदन दिलावर : उन इन्दिराजी के रास्ते पर चलते हो जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हो। (व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : सभापति महोदय, खण्डार में इन्हीं के लोग गये थे तोड़ने के लिए। (व्यवधान) आपके वो मेहमान कौन थे? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...हम लोगों ने एक-एक जमीन ले ली (व्यवधान) 5-5 बार बंटवारा कराया, जवाब दो। (व्यवधान) कारगिल में एक जमीन नहीं छुई, एक इंच जमीन नहीं छोड़ी कारगिल में। किस मुंह से...(व्यवधान) किस मुंह से जवाब देते हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सभापति महोदय, साम्प्रदायिक शक्तियों का चाहे वो...(व्यवधान) दिखाने वाली हो चाहे वो...(व्यवधान) दिखाने वाली हो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप देश का बंटवारा करवाने वाले...(व्यवधान) की बात करें। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : साम्प्रदायिक शक्तियों का कोई दीन-ईमान नहीं होता। आपको ध्यान होगा कि जब कभी रक्षा मंत्रालय से गुप्त दस्तावेज गायब हुए उनमें ज्यादातर 90 प्रतिशत गायब करने वाले, पाकिस्तान के हाथों में देने वाले लोग हिन्दू थे। सुनिये अब मेरी बात आप। यह हो सकता है कि क्रिकेट का मैच हो रहा हो और क्रिकेट के मैच में अगर हिन्दुस्तान हार जाता हो और पाकिस्तान जीत जाता हो तो पूरे शहर के किसी एक मोहल्ले में पटाखे छूट जाएं तो उसका अर्थ यह नहीं है कि सारे जितने भी मुसलमान इस देश में रहते हैं वो गद्दार हैं। उसका अर्थ यह नहीं लिया जाना चाहिए। दुनिया जानती है इस बात को कि बजरंग दल का क्या औचित्य है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम कह रहे हैं कि जितने गद्दार हैं उनको...(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...हम यही कह रहे हैं, आपकी बात कह रहे हैं कि जितने गद्दार हैं उनके खिलाफ तो कार्यवाही करो न। एक मौहल्ले में पटाखे चलाएं उसके खिलाफ कार्यवाही करो। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस तरह की बातें करना...(व्यवधान) आप ही लोगों का काम है इसके अलावा और...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...कोई गद्दारी करे...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ...बजरंग दल राष्ट्रभक्त लोगों का संगठन है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सारे मुसलमान गद्दारी नहीं कर रहे हैं लेकिन जो हैं...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हिन्दू-मुस्लिम भाई-भाई। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री किरोड़ी लाल जी, अपनी बात पूरी करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...उसके खिलाफ कार्यवाही करें जिसने पटाखे जलाये। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी पार्टी के आदमी बोल रहे हैं, आप इनको नहीं कहते हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सभापति महोदय, शांति धारीवालजी बड़े जोश में खड़े हुए और उन्होंने अटलजी की उस बात को यहां पर कोट किया जिससे इन्दिराजी को दुर्गा माता कहा है। हम उसमें मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि दुर्गा मां की संतान इतनी कमजोर हो गयी कि 40 हजार लोग यहां पर इकट्ठे हों, लादेन जिंदाबाद के नारे लगाये जाएं, जयपुर में पैम्फलेट फेंक दें, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दें और आप चूड़ी पहन कर जयपुर में बैठे रहें, उनके खिलाफ कर्यवाही नहीं करें। मुझे इस बात का अफसोस है। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि चित्तौड़गढ़ की दीवारों पर भी लादेन जिंदाबाद लिखा हुआ था, पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ था। जब दीवारों पर लिखा तो कलक्टर, एस.पी. को

(डा. किरोड़ी लाल)

सूचना दी। कलक्टर, एस.पी. जब मौके पर पहुंचे तो वहां पर समाजविरोधी लोग, राष्ट्र विरोधी लोग आ गये और उनका विरोध करने लगे कि हम इनको मिटाने नहीं देंगे, हम इनको पोतने नहीं देंगे। यह स्थिति इस राजस्थान में हो रही है, शांति धारीवालजी, वे आपके कलक्टर और एस.पी. का भी सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान में भी अन्तरराष्ट्रीय उग्रवाद के तार जुड़े हुए हैं किन्तु राजस्थान की सरकार को पता नहीं, राजस्थान की पुलिस को पता नहीं। दिल्ली की पुलिस एक दिन उदयपुर में आई, उदयापोल स्थित यूनिक मोटर्स से अब्बास शेख को 17 जून, 2001 को गिरफ्तार करके ले गयी। यह ओसामा बिन लादेन से जुड़ा हुआ था। इसके उग्रवादी गुट से सम्बन्ध थे, ओसामा बिन लादेन के सहयोगी सूडानी युवक अब्दुल रउफ हवास के लिए काम कर रहा था और यहां पर राज्य खुफिया एजेंसी को खबर नहीं थी। 1998 से उदयपुर में रह रहा था अब्बास और भारत स्थित अमरीकी दूतावास को उड़ाने वाला था। इसका जैसे ही दिल्ली पुलिस को पता लगा तो दिल्ली की पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले गयी। शांति धारीवालजी, मैं पूछना चाहता हूं कि आपका राज्य इंटेलीजेंस कहां सो रहा था कि ओसामा बिन लादेन का आदमी यहां पर अमरीकी दूतावास को उड़ाने के लिए साजिश रच रहा हो और आपकी सरकार सो रही हो? यह मैं आपको बता देना चाहता हूं।

डा. महेश जोशी : माननीय किरोड़ी लालजी, आप कह रहे हैं कि 1998 से रह रहा था तो 1998 में तो आपकी सरकार थी, आपने क्या कर लिया? आपने क्या किया, यह भी सदन को बता दें। (व्यवधान)

श्री रतना राम चौधरी : प्रधान मंत्रीजी पाकिस्तान यात्रा करके आये, युद्ध हुआ। (व्यवधान) हिन्दुस्तान की सीमा में घुस आये, आप क्या सो रहे थे? आप क्या कर रहे थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री रतना राम चौधरी : हिन्दुस्तान के शूरवीरों को मरवा दिया आप लोगों ने, आप क्या कर रहे थे? (व्यवधान) सरकार सो रही थी कारगिल युद्ध के वक्त में और जाकर मित्रता करके आये। हजारों सैनिकों को, हिन्दुस्तान के लाड़ले पुत्रों को आप लोगों ने मरवा दिया। आप सो रहे थे क्या?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अलवर का युवक कांग्रेस का प्रदेश महामंत्री बना रखा है मोहम्मद कासिम, उसके पिताजी सी.आई.डी. में पकड़कर जेल में बंद हैं। भारत के नक्शे देते हुए पकड़े गये। दिल्ली में फतेहपुरिया इमाम पकड़े गये। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपनी पार्टी के आदमी को नहीं बोलने देते। (व्यवधान) आप अपनी आप...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : गांधीजी के हत्यारों का सहयोग किसने किया था, इस बात को बताइये आप। क्या बातें करते हो आप? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : रामस्वरूप मीणा ने। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, हम बालाखेड़ा में जलाभिषेक करें, शंकर की प्रतिमा पर जल चढ़ाएं तो यह सरकार जल चढ़ाने नहीं दे। त्रिशूल दीक्षा करें तो उसको नहीं करने देती। सभापति महोदय, 15 अगस्त, 2000 को मेरे सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर गांव में एक कारगिल का नाटक था। कारगिल के शहीदों पर बना था और आतंकवादियों के खिलाफ जो उन्होंने कार्यवाही की उस पर यह नाटक रचा गया था। उसको कमेटी ने एप्रूव कर दिया। जब कारगिल नाटक के दौरान आतंकवादियों पर हमला हुआ नाटक में और उग्रवादियों के खिलाफ जब नाटक में बोला तो वहां पर मुसलमान समाज के लोग मंच पर चढ़ गये और राधेश्याम नाम के उस टीचर को पीटा। इस निकम्मी सरकार ने उनका वहां से ट्रांसफर करके दूर कर दिया। इस तरह की तुष्टिकरण की नीति यह राजस्थान की कांग्रेस की सरकार अपना रही है, साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है। साम्प्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ रही है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पूरा का पूरा राजस्थान आज बिलकुल विस्फोट के ऊपर खड़ा हुआ है। राजस्थान की सरकार की करतूतों के कारण खड़ा हुआ है। राजस्थान की पुलिस को पता नहीं है कि कहां-कहां ये आतंकवादी छिपे हुए हैं, कहां-कहां गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं, कहां पर पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लिखे जा रहे हैं। पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लिखे, लादेन जिन्दाबाद के नारे लिखे, उनके कारण कलक्टर और एस.पी. घबरा गये। जहां पर मस्जिदों के नाम पर कब्जे कर लिए जाएं और उनकी एफ.आई.आर. तक पुलिस और यह राजस्थान की सरकार दर्ज नहीं करने दे। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कोई साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ रहे हैं तो राजस्थान की सरकार बिगाड़ रही है, हम नहीं बिगाड़ रहे हैं।

श्री सभापति: विराजिये।

डा. किरोड़ी लाल : हम तो, सभापति महोदय, राजस्थान के जयपुर में आये थे, 57 हजार की तादार में आये थे। गणवेशधारी स्वयंसेवक आये थे और बिलकुल यहां पर पत्ता तक नहीं हिला था। हमको पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ी और अनुशासन में रहकर सरसंघ चालक का भाषण सुनकर गये। हम शांति के पुजारी हैं, शांति रखना चाहते हैं। लेकिन राष्ट्र विरोधी तत्वों ने यहां सिर उठाने की कोशिश की तो उसका परिणाम गम्भीर होगा। सरकार को भी भुगतना पड़ेगा, देश को भी भुगतना पड़ेगा। आप प्रचंड बहुमत में हैं, आप इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहते। इसलिए मैं, सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि अगर इन राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को आपने समय रहते चैक नहीं किया तो इसका गम्भीर परिणाम होंगे। आपको इसको चैक करना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय श्री दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन का ध्यान मैं बहुत गम्भीर मसले की ओर ले जा रहा हूं। पूरा विश्व...

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से व्यवस्था

(श्री दिग्विजय सिंह)

भी चाहता हूं कि यह चिट सिस्टम और इसके माध्यम से जो उल्लेख करके बात की जाती है तो उसकी कोई सीमा भी होनी चाहिए।

दूसरा, प्रश्न यह है कि आप चिट सिस्टम से कुछ आरोप सरकार पर लगा दें, कोई बात कह दें और सरकार की तरफ से वह बात अनआन्सर्ड जाती है। तो क्या पहले नोटिस देना आवश्यक नहीं है इन बातों का? कम से कम यह व्यवस्था तो रखी जाए चेयर की तरफ से कि इस प्रकार के जो आरोप लगा रहे हैं उनकी तो सूचना दें ताकि रिप्लाई हो। ये अनआन्सर्ड जाने से जो कुछ उन्होंने कह दिया, दैट इज ट्रुथ। ये घुस जाएं अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को वायोलेट करके, उसका जिक्र नहीं करें हम। दूसरी बात सब कह देंगे। तो मैं यह चाहता हूं चेयर से कि आप कम से कम इस चिट सिस्टम की व्यवस्था जो...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...नाम के व्यक्ति का...(व्यवधान)...यह रिपोर्ट...(व्यवधान) प्रेस रिपोर्ट है। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : यह चिट सिस्टम की जो व्यवस्था है...(व्यवधान) आरोप लगाएं तो इसकी पहले सूचना दें। (व्यवधान) ताकि सरकार की तरफ से रिप्लाई जा सके। अनआंन्सर्ड का कोई मतलब नहीं है। (व्यवधान) सभापति महोदय, आप यह व्यवस्था दें। आप जो उचित समझें बोलें, उसकी सीमा भी निर्धारित करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : अब यह समाप्त करें।

डा. किरोड़ी लाल : सभापति महोदय, दिग्विजय सिंहजी यह चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कौन तय करेगा? जो हिन्दू है वो तय करेंगे। (व्यवधान) कोई कोर्ट नहीं तय कर सकती, कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट...(व्यवधान)

(14.00 बजे)

डा. किरोड़ी लाल : माननीय सदस्य दिग्विजय सिंहजी चाहते हैं कि जो मैं बोला हूं और जो मैंने लांछन लगाया है कि मुख्य मंत्रीजी आसीन्द में मस्जिद बनाना चाहते हैं और गुर्जर गोविन्द सिंहजी कहते हैं कि वहां पर कभी कोई मस्जिद नहीं थी, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो सरकार जवाब दे सरकार यहां पर बैठी हुई है। सरकार बैठी है, जवाब दे, आप यह चाहते हैं।

श्री सभापति : आप दुबारा चर्चा नहीं करें, बिराजिये। बिराजिये, बिराजिये। (व्यवधान) प्लीज बैठिये, बैठिये। (व्यवधान) आप दुबारा चर्चा शुरू नहीं करें। माननीय दिलावरजी। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : आप वह दिन भी याद कर लो, जब आप बाबरी मस्जिद को ढहाये थे और मालपुरा में और जयपुर में क्या आपने ताण्डव किया था। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप गृह मंत्री नहीं हो, मुख्य मंत्री नहीं हो, दिग्विजय सिंहजी। आप गृह मंत्री नहीं हो। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : आप वह दिन भूल गये क्या? उस समय क्या हुआ, वह सब मालूम है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अभी आप गृह मंत्री नहीं हो, ठाकुर साहब, आप मुख्य मंत्री भी नहीं हो।

श्री दिग्विजय सिंह : बाबरी मस्जिद पर कागज बांटे थे तो मालपुरा में और जयपुर में क्या ताडंव किया था, आपको याद है कि नहीं? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आप उस समय सरकार में मंत्री थे। आप उस समय की सरकार में गृह मंत्री थे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : लेकिन अब आप न मुख्य मंत्री हो, न गृह मंत्री हो, माननीय दिग्विजय सिंह जी। हम आपका आदर करते हैं। आप खुद मंत्री थे उस समय।

श्री धर्मपाल सिंह : ये खुद मंत्री थे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आज आप न मंत्री हो, न गृह मंत्री हो। आपकी तो यह है कि आपको पीछे बैठा रखा है, बैंक बैंचर बनाकर पीछे बैठा रखा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य मदन दिलावरजी।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसी दुर्गति हो गयी है आपकी, पार्टी बदलकर बैठे हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य मदनजी दिलावर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप राम जन्मभूमि का हवाला देते हो। (व्यवधान) माननीय दिग्विजय सिंहजी, आप राम जन्मभूमि का हवाला क्यों दे रहे हो? (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : आप उसकी चिंता मत करो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : रामजी का जन्म आप तय नहीं करोगे, कोई कोर्ट तय नहीं करेगी, कोई सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करेगी कि राम का जन्म कहां हुआ। भगवान श्री राम का जन्म हम लोग हिन्दू तय करेंगे, जिनकी श्रद्धा है वे तय करेंगे। आप लोग कौन हैं उसके बारे में तय करने वाले कि उनका जन्म कहां हुआ? कौन सुप्रीम कोर्ट, कौन हाई कोर्ट? क्या बात करते हो। (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलने दीजिये आप उनको।

श्री दिग्विजय सिंह : वह मेरी वजह से है कि आप बच गये सब के सब। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अच्छा बहुत मेहरबानी, पीछे बैठिये। अब आप बैक बैंचर होकर बैठिये। आपकी इज्जत इन कांग्रेसियों ने यह की है कि बैक बैंचर होकर बैठे हो। (व्यवधान)

गुजरात भूकम्प पीड़ितों की सहायतार्थ एकत्र राशि का व्यय

श्री मदन दिलावर (अटरू) **:** माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत गम्भीर मसले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। आपको जानकारी है, माननीय सभापति महोदय, और पूरे सदन को ही नहीं, पूरे विश्व को जानकारी है कि गुजरात में कितना भयंकर भूकम्प आया था। उसमें हजारों लोग मर गये थे और लाखों लोग

(श्री मदन दिलावर)

बेघर हो गये थे। पूरे विश्व से कई देशों ने सहायता पहुंचाई, कई प्रदेशों ने गुजरात में सहायता पहुंचाई। राजस्थान के लोगों ने भी जो करुणा क्रंदन करते हुए लोगों को दूरदर्शन पर देखा, अखबारों में पढ़ा तो उन्होंने दिल खोलकर सहायता दी। मुख्य मंत्रीजी का आदेश रहा कि जो भी लोग सहायता दें, वे मुख्य मंत्री सहायता कोष में सहायता दें। जिला कलक्टर्स और अधिकारियों का भी यही जोर रहा। हमें पूरा भरोसा था कि राजस्थान की सरकार भूकम्प पीड़ितो के नाम पर इकट्ठे किये गये धन को भूकम्प पीड़ितों की सहायतार्थ तुरन्त पहुंचाएगी। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, माननीय सभापति महोदय, कि राजस्थान की जनता, गरीब से लेकर अमीर आदमी ने 9.25 करोड़ रुपये इकट्ठा करके मुख्य मंत्री सहायता कोष में दिये। राजस्थान के कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपना एक दिन का वेतन कटाकर लगभग 11.00 करोड़ रुपये मुख्य मंत्री सहायता कोष में देने का सरकार से निवेदन किया कि हमारा वेतन काट लें और वहां भेज दें। सरकार ने मार्च में ही सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन से पैसे काट लिये जो लगभग 11 करोड़ हुए। 11 करोड़ और 9.25 करोड़ यानी 20.25 करोड़ रुपये राजस्थान की जनता के इकट्ठे हुए। श्रीमान्, मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि कितना धन आपने भूकम्प पीड़ितों की सहायतार्थ गुजरात के मुख्य मंत्री को भेंट कर दिया या कितना पैसा आपने गुजरात के भूकम्प पीड़ितों की सहायतार्थ भेज दिया? मुझे जवाब मिला है कि 58 लाख रुपये की राहत सामग्री गुजरात के भूकम्प पीड़ितों की सहायतार्थ भेजी गयी और 10 लाख रुपये वहां जो प्रवासी राजस्थानी थे, राजस्थान रहने वाले लोग थे, जो हताहत हो गये थे या जो स्वर्गवासी गये थे, उन परिवारों को राहत के लिए दिये गये। शेष 19 करोड़ कुछ लाख रुपये यह सरकार दबाकर बैठी हुई है, अभी तक उस पैसे का कोई उपयोग नहीं करके दुरुपयोग किया जा रहा है। दुर्भाग्य हमारा कि राजस्थान की जनता ने जिस भावना के साथ पैसा दिया था कि वे पेट काटकर पैसा दे रहे हैं, उसके बच्चों को भूखा रखकर पैसा इसलिए दे रहे हैं कि वहां भाई तड़प रहे हैं, भूकम्प से लड़ रहे हैं, हताहत हो रहे हैं। भावनात्मक लगाव था लोगों का। गुजरात ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान के लोगों में जहां कष्ट होता है, राजस्थानी सहायता करने में अग्रणी रहते हैं। लेकिन यहां के +++ मुख्य मंत्री ने अभी तक भी 19 करोड़ कुछ लाख गुजरात में नहीं पहुंचाए और उस पैसे का दुरुपयोग करने का षड्यंत्र यह सरकार कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं... (व्यवधान)

डा. के.सी. चौधरी : मान्यवर, आप अपनी जानकारी पूरी करो, आपकी जानकारी एकदम अधूरी है।

श्री रामस्वरूप : माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कहा है, मुख्य मंत्रीजी ने +++ बात की है, यह बिलकुल गलत है। इस तरह का शब्द इसके अन्दर आया है, यह कैसे इन्होंने शब्द कह दिया? क्या +++ किया है। आप रिकार्ड पर बोलिये। आप इस तरह की बात कर रहे हैं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामस्वरूप)

आप इनसे पूछिये कि राम मंदिर की ईंटें कहां गयीं? उन ईंटों का कोई पता है क्या आज तक? वे कहां गयीं ईंटें राम मंदिर वाली? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : या तो सरकार यह कह दे कि आपका यह पैसा गुजरात के पीड़ितों को दिया, पूरा पैसा हमने गुजरात के भूकम्प के पीड़ितों को दे दिया। यदि यह सरकार...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मेरा निवेदन है कि इस तरह का लांछन आप लगाओ...

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदय, यह जो माननीय सदस्य ने मुख्य मंत्रीजी के लिए शब्द प्रयोग किया है...(व्यवधान) यह सन्दर्भ गलत प्रयोग किया है।

श्री मदन दिलावर : राजस्थान की विधान सभा में...

श्री रामस्वरूप : मुख्य मंत्रीजी के लिए जो शब्द इन्होंने प्रयोग किया है +++ उसको निकाला जाए कार्यवाही से। माननीय मुख्य मंत्रीजी को अपमानित किया है इन्होंने। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : मुख्य मंत्रीजी के लिए प्रयोग किये गये शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो शब्द इन्होंने काम में लिया है मुख्य मंत्रीजी के लिए, वह कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान) असंसदीय शब्द है। +++

श्री रामस्वरूप : आप +++ हो और दूसरे को +++ बताते हो।

श्री धर्मपाल चौधरी : वह असंसदीय होगा तो निकल जाएगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ शब्द असंसदीय नहीं है, माननीय सभापतिजी।

श्री रामस्वरूप : कहां गयीं ईंटें? माननीय सभापति महोदय, इस शब्द को निकाला जाए, जो शब्द माननीय मुख्य मंत्रीजी के लिए इन्होंने कहा है। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी श्री अशोक महान् जिन्होंने राजस्थान की तरक्की की है, उनके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग। सारे राजस्थान की काया पलट कर दी, जयपुर की काया पलट कर दी इन्होंने, आप उनके लिए +++ बता रहे हो?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++, +++। +++ शब्द असंसदीय नहीं है।

श्री रामस्वरूप : कहां गयीं इनकी ईंटें? राजस्थान के मुख्य मंत्री बारे में कह रहे हैं, +++ हैं।

श्री सभापति : बैठिये, रामस्वरूपजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति जी, +++ शब्द असंसदीय नहीं है। यह +++ शब्द तो अपने...

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामस्वरूप : राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक महान्।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने अपने कथन के दौरान मुख्य मंत्रीजी के बारे में जो +++ होने का शब्द का प्रयोग किया है, वह कार्यवाही से हटा दिया जाए।

श्री रामस्वरूप : धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य सदन में अधूरी जानकारी दे रहे हैं। प्रभारी मंत्री होने के नाते इनके इस प्रश्न का जवाब मैंने दिया था। यह बात सही है कि भूकम्प पीड़ितों की सहायतार्थ कुल 21 करोड़ की धनराशि इकट्ठी हुई है। वह बाकायदा मुख्य मंत्री सहायता कोष में जमा है, उसका कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : क्यों पड़ी है? वह क्यों पड़ी है।

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये, पहले सुनिये एक बार। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 58 लाख रुपये की धनराशि फिलहाल कुल खर्च की गयी है। इसके अलावा राजस्थान ने वहां पर कई गांवों में पुनरुद्धार का कार्यक्रम हाथ में लिया है, उन्हें गोद लिया है।

श्री धर्मपाल चौधरी : कहां का?

डा. चन्द्रभान : गुजरात का। आप बैठ जाइये। आपको जानकारी नहीं है कुछ भी।

श्री मदन दिलावर : एक साल तक कोई काम नहीं करवाया। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने पैसा भेजा क्यों नहीं? +++ (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आपका देश के संविधान में विश्वास नहीं है, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे थे थोड़ी देर पहले। आपके नेता कुछ बोलते हैं, और आप कुछ बोलते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई अपमान नहीं कर रहे हैं। राम का जन्म कहां हुआ था, यह कह रहे थे। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, अभी मेरा कथन पूरा नहीं हुआ है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : फिर वह पैसा भेजा क्यों नहीं? पैसा भेजा क्यों नहीं?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मदन दिलावर : मेरा कथन पूरा नहीं हुआ है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आप यदि कुछ कहना चाहते हैं तो उनके कथन के पश्चात् आपको कहने की अनुमति होगी।

श्री रामस्वरूप : लेकिन इस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं यहां सदन के अन्दर माननीय

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रामस्वरूप)

सभापति महोदय, इनको आप आगे के लिए तो पाबंद करो कि यह ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करें। खुली छूट दे रखी है सदन में इनको।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप भाषा के ऊपर काबू रखें, संयत भाषा में बोलें। असंसदीय-शब्दों का प्रयोग नहीं करें, आपत्तिजनक बात नहीं करें। आप बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, इस नये चुनाव में आने वाले नये विधायकों में से आप नहीं हैं।

श्री मदन दिलावर : आपका आदेश सर्वोपरि है।

श्री सभापति : आप बहुत गम्भीर आदमी हैं और गम्भीर सदस्य हैं, गम्भीर बात करें। यह आपका कथन है कि आप बहुत गम्भीर मसले उठाते हैं, आप गम्भीर हैं तो गम्भीर मसले उठाइये।

श्री मदन दिलावर : श्रीमान्, आपका आदेश शिरोधार्य है। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक अपनी बात कह रहा था परन्तु आगे बैठने वाले माननीय सदस्यों ने मेरे को थोड़ा-सा भावनात्मक भड़काने की कोशिश की। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था, बीच में ऊर्जा मंत्रीजी ने मेरे को टोका और कहा कि पैसे का दुरुपयोग नहीं हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं...

श्री सभापति : आप सौभाग्यशाली हैं कि ऊर्जा मंत्रीजी ने हस्तक्षेप करके आपकी बातों का उत्तर देना चाहा। मैंने तो उनसे यह कहा है कि आपके कथन के पश्चात् वह आपको उत्तर देंगे। तो अच्छा है, आप सौभाग्यशाली हैं कि गवर्नमेंट रिप्लाई दे रही है।

श्री मदन दिलावर : आपकी बहुत कृपा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं, मुझे याद है कि मेरे गांव के एक भीख मांगने वाले ने भी गुजरात पीड़ितों की सहायता के लिए मुख्य मंत्री सहायता कोष में तहसीलदार की डिबिया में पैसा डाला था।

श्री सभापति : अच्छा है तो।

श्री मदन दिलावर : वह मेरे से पूछता है कि, दिलावरजी, वह जो पैसा मैंने डाला था डिबिया में, वह क्या गुजरात पहुंच गया क्या? उसका मैं जवाब क्या दूं? (व्यवधान) क्या वह पैसा गुजरात पहुंचा या नहीं? (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : माननीय सभापति महोदय, गुजरात के लिए...(व्यवधान) एक सैकिण्ड...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इनको प्रताड़ित करिये।

डा. महेश जोशी : एक सैकिण्ड साहब, एक सैकिण्ड।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप इनको काबू में रखें।

डा. महेश जोशी : एक सैकिण्ड, आप सुनें तो सही। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आप इन को डांटिये, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इनको प्रताड़ित कीजिये। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : आन सुनें तो सही। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मेरे क्षेत्र के लोगों ने पूछा है कि कहां गयीं राम मंदिर की ईंट? यह मेरे क्षेत्र के लोगों ने पूछा है मुझसे। (व्यवधान) सभापति महोदय, भगवान राम के लिए जो ईंटें इकट्ठा की थीं वह मंदिर की ईंटें कहां गयीं, मेरे क्षेत्र वाले पूछ रहे हैं मेरे से, मैं क्या जवाब दूं?

श्री धर्मपाल चौधरी : वे सांकरवाड़ा की दीवार में लगा दीं आपने सारी। जो सांकरवाड़ा की दीवार आपने खींची है उसमें लगा दी। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप राम को धोखा देने वाले इन्सान को क्या समझेंगे?

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, बड़े विनम्र शब्दों में मैं यह कहना चाह रहा था...

श्री सभापति : विनम्र शब्दों में विनम्र बात ही कहिये।

श्री मदन दिलावर : हां, विनम्र ही कह रहा हूं मैं। मैं यह कहना चाह रहा था विनम्र शब्दों में कि इस देशवासियों के प्रेम होने के कारण मेरे गांव का एक व्यक्ति बहुत गरीब जो गांव से मांगकर भीख लाता था, जब टी.वी. पर उसने देखा कि वहां भूकम्प पीड़ितों की ऐसी हालत हो रही है तो उसने पूरे का पूरा एक दिन में जितना लाया था सब अनाज बेच-कर तहसीलदारजी की पेटी में डाला। वह मेरे से पूछता है कि, दिलावरजी, पूछ कर आना राजस्थान की विधान सभा में कि मेरा दिया हुआ पैसा गुजरात भूकम्प पीड़ितों की सहायतार्थ पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मैं जानना चाहता हूं कि मैं उसको क्या जवाब दूं? कई माताएं, बहनें भी मुझे इस प्रकार का पूछती हैं, कई लोग भी मुझे इस प्रकार का पूछते हैं। पर जो जानकारी मैंने विधान सभा प्रश्न के माध्यम से प्राप्त की थी उसमें मुझे बताया गया कि अभी केवल 68 लाख रुपये पहुंचे हैं। 20 करोड़ के लगभग, मंत्रीजी के हिसाब से, मेरे हिसाब से 19 करोड़ समथिंग, 20 करोड़ रुपये...

श्री सभापति : आप यहां थोड़ा-सा संतुष्ट हो जाइये।

श्री मदन दिलावर : 20 करोड़ रुपये।

श्री सभापति : आप सुनिये, दिलावर साहब। आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके यहां से जिस गरीब आदमी ने दस हजार रुपये अपनी कमाई में से दिये हैं वे उस आदमी के नाम से वहां जाएंगे। वह तो सामूहिक धन साथ जाकर जो 58 लाख खर्च हो रहा है, और जो खर्च हो रहा है उसमें से हो सकता है कि आप वाले रुपये हों उसमें। आप यह क्यों कह रहे हैं?

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, मैं यह जानना चाह रहा था कि अभी तो वित्त मंत्रीजी ने जो पैसा काटा था कर्मचारियों का, मुख्य मंत्री सहायता कोष में स्थानान्तरित भी नहीं किया, और मंत्रीजी कह रहे हैं कि दुरुपयोग नहीं हो रहा। यह सरकार उसको

(श्री मदन दिलावर)

कर्मचारियों के वेतन में बांट रही है, सरकार हवाई जहाज के उपयोग में ले रही है, यह सरकार मौज-मस्ती करने के लिए काम में ले रही है। अभी तो वित्त मंत्रीजी ने उस पैसे को मुख्य मंत्री सहायता कोष में स्थानान्तरित नहीं किया। आखिर इसमें क्या कारण रहा कि जनता का दिया हुआ पैसा मुख्य मंत्री सहातया कोष में जमा न हो और वित्त मंत्री उस पैसे को लेकर बैठे रहें? यह क्या इस राजस्थान के जिन लोगों ने पैसा दिया, उनका अपमान नहीं है? यह उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? मैं कहना चाहता हूं कि यह बहुत बड़ा अपराध है और इस अपराध की सजा इस सरकार को मिलनी चाहिए। फिर मेरे से कहते हैं कि मुख्य मंत्री को +++ मत कहो, मुख्य मंत्रीजी को +++ मत कहो, मुख्य मंत्री को +++ मत कहो। तो क्या कहें? मैं यह कहूं कि मुख्य मंत्री बहुत अच्छे हैं, यह +++ ईमानदार कहलाते रहें, यह +++ ईमानदार कहलाते रहें। आपके दबाव में मैं कह रहा हूं कि मुख्य मंत्रीजी +++ ईमानदार हैं...(व्यवधान)

श्री रतना राम चौधरी : जो पैसा हमारे गांव के लोगों ने दिया, हमको भी पूछते हैं हमारा एक रुपया...

श्री मदन दिलावर : मुख्य मंत्रीजी गरीबों की भावनाओं से खिलवाड़ करके भी ईमानदार हैं, यह तो आपके दबाव में कह रहा हूं।

श्री रतना राम चौधरी : उसका हिसाब लोग पूछते हैं। आपने उन पैसों का क्या किया, यह पहले जवाब दीजिये?

श्री मदन दिलावर : अन्यथा राजस्थान की जनता यह कहती है कि राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है, गुजरात के लोगों के साथ धोखा किया है, इस देश के साथ धोखा किया है भूकम्प पीड़ितों का पैसा यह सरकार खा गयी और 11 करोड़ रुपये वित्त मंत्री अभी दबा कर बैठे हैं। 11 करोड़ रुपये मुख्य मंत्री सहायता कोष में दिये नहीं। 20 करोड़ रुपये में से केवल 68 लाख रुपये दें, इसलिए मेरा निवेदन है...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय दिलावर साहब ने अपने भाषण में जो...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मैं चाहता हूं इस पर सरकार अपना वक्तव्य दे।

श्री सभापति : इसको हटवा दीजिये।

श्री रामस्वरूप : फिर लांछन लगा दिया खाने का इन्होंने सीधा ही। इस तरह के शब्द फिर कंट्रोल नहीं किये जा रहे। राजस्थान के इस पवित्र सदन में इस तरह के झूठे लांछन लग जाएं। एक दिन रात को भूकम्प आया उसमें सहायता दी मुख्य मंत्रीजी ने, सहायता तो छोड़िये, इस तरह के लांछन लग जाएं और सरकार सुनती रहे...

श्री मदन दिलावर : जो कुछ मैंने कहा... (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : यह बिलकुल गलत है, माननीय सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह सरकार जवाब दे, 20 करोड़ रुपया डिबिया में बंद करने के लिए क्या जनता ने दिया था क्या? क्या बीस करोड़ कर्मचारियों का वेतन बांटने के लिए जनता ने दिया था?

श्री सभापति : आपकी बात समाप्त हुई, माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं कुछ।

श्री मदन दिलावर : इसलिए मैं कहता हूं कि मंत्रीजी जवाब दें।

श्री सभापति : बैठ जाएं आप अब। खतम हुई आपकी बात।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपका क्या होगा, मदन दिलावर?

श्री मदन दिलावर : आपका क्या होगा +++?

डा. चन्द्रभान : माननीय सभापति महोदय, गुजरात के भूकम्प पीड़ितों की मदद के लिए राजस्थान की जनता और राजस्थान की सरकार सबसे पहले आई और उसे आना चाहिए था। राजस्थान के लोगों ने भी, कर्मचारियों-अधिकारियों ने भी, जन-प्रतिनिधियों ने भी काफी सहयोग दिया मुख्य मंत्री सहायता कोष में। यह बात सही है कि कुल मिलाकर करीब 21 करोड़ रुपये की धनराशि भूकम्प पीड़ितों की सहायता के लिए मुख्य मंत्री सहायता कोष में जमा हुई।

डा. महेश जोशी : मदन दिलावर ने कितने कराये?

डा. चन्द्रभान : उसमें से जैसा माननीय सदस्य ने बताया एक तो राजस्थानी प्रवासी जिनका निधन हो गया उनके लिए प्रभावी हुआ और एक वहां के भूकम्प पीड़ितों की तत्काल सहायता के लिए। वह धनराशि 70 लाख के आसपास थी। उसकी जानकारी तो अभी आपके सामने सदन को दी। लेकिन आगे की जानकारी जो इनके अतारांकित सवाल के जवाब में मैंने दी थी प्रभारी मंत्री होने के नाते, उसको इन्होंने यहां सदन को नहीं बता कर गुमराह किया है। इसके साथ में इन्हीं के सवाल के जवाब में हैं, तीन करोड़ रुपये की राशि और भेजी गयी है, वहां पर तीन तो गांव हमने गोद लिये हैं उनका पुनरुद्धार करेंगे। एक संस्था है वहां पर, उसके द्वारा करेंगे। और प्रोजेक्ट हाथ में लिये गये हैं, वहां पर काम प्रगति के ऊपर है। इसके अलावा करीब साढ़े सत्रह करोड़ रुपया बचा, सभापति महोदय, यह पैसा मुख्य मंत्री सहायता कोष में है। अलग से हैड में यह पैसा जमा है और यह पैसा गुजरात के भूकम्प पीड़ितों की मदद के ऊपर ही खर्च किया जाएगा, अन्य किस मद पर खर्च नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने गलत जानकारी दी है। मेरे पास लिखित में इनकी जानकारी है। तीन करोड़ रुपये का उल्लेख कहीं भी मेरे विधान सभा प्रश्न के जवाब में नहीं किया है, यह असत्य बयान कर रहे हैं।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : बिराजें, बिराजें।

श्री मदन दिलावर : यह असत्य बयान कर रहे हैं। यदि किया है उल्लेख तो मैं राजस्थान की विधान सभा से इस्तीफा दे सकता हूं। तीन करोड़ रुपये का उल्लेख नहीं किया।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, मैं उस प्रश्न का जवाब सदन की मेज के ऊपर रख दूंगा।

श्री मदन दिलावर : तीन करोड़ रुपये यदि उसमें लिखा हो तो मैं इस्तीफा दे सकता हूं राजस्थान की विधान सभा से। यह असत्य बयान कर रहे हैं, सभापति महोदय, यह सदन को गुमराह कर रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : हां, ठीक है। सभापति महोदय, लगता है...

श्री मदन दिलावर : और यह कह रहे हैं कि 10 करोड़ रुपये जमा हैं मुख्य मंत्री सहायता कोष में, यह असत्य बयान कर रहे हैं। वित्त मंत्रीजी ने अभी स्थानान्तरित नहीं किये हैं।

डा. चन्द्रभान : असत्य आप बयान कर रहे हैं। लगता है आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा।

श्री मदन दिलावर : हां, दे दूंगा।

श्री सभापति : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। डा. चन्द्रभान, उद्योग मंत्री।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, साढ़े सत्रह करोड़ रुपये जो अभी मुख्य मंत्री सहातया कोष में पड़े हैं, वह आप कब तक खर्च करने का इरादा रखते हैं? भूकम्प पीड़ितों को एक साल से अधिक हो रहा है, आप कब तक उसकी योजना बनाकर खर्च करेंगे?

श्री सभापति : नहीं, नहीं, इसका कोई जवाब नहीं है, इसका कोई उत्तर नहीं मिल सकता। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : नहीं, नहीं, उत्तर मिलेगा, सभापति महोदय, यह गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : यह भूकम्प पीड़ितों की राशि को रोकने का भी कोई औचित्य नहीं है। साढ़े सत्रह करोड़ रुपया आप रोक कर रखें और साढ़े तीन करोड़ ही खर्च करें, इसका भी कोई औचित्य नहीं है। आप भूकम्प पीड़ितों की मदद के लिए उनको रोक रहे हैं, और अपने कोष में डालकर उसको रोक रखा है, यह कौनसा सामाजिक न्याय है?

श्री सभापति : डा. चन्द्रभान, उद्योग मंत्री।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला था, राजस्थान की जनता और गुजरात की जनता से जुड़ा हुआ मामला था और यह उस बात का पूरा जवाब नहीं दे रहे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

उद्योग विभाग

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : सभापति महोदय, उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या आर एफ सी/एफ पीए-23(16) दिनांक

(डा. चन्द्रभान)

30 मई, 2001 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम एम्पलाइज पेंशन रैगुलेशन, 1990 के रैगुलेशन संख्या-22 से संशोधन किया गया है, मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

उपनिवेशन विभाग

श्री सभापति : डा. (श्रीमती) कमला, राजस्व मंत्री।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय, मैं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :-

1. अधिसूचना संख्या-4(16)उप/98 दिनांक 24.4.2001 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग कैनाल क्षेत्र में राजकीय भूमि का स्थाई आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या एफ 4(12)उप/98 दिनांक 24.4.2001 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या-4(3) उप/2001 दिनांक 24.4.2001 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन) नियम, 1968 में संशोधन किया गया है।

4. अधिसूचना संख्या एफ 4(19)उप/97 दिनांक 28.4.2001 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भांखरा परियोजना में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या एफ 4(4)उप/98 दिनांक 8.5.2001 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (माही परियोजना में सरकारी भूमि का आबंटन तथा विक्रय) नियम, 1984 में संशोधन किया गया है।

6. अधिसूचना संख्या एफ 4(10)उप/95 दिनांक 10.5.2001 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है।

7. अधिसूचना संख्या एफ 4(17)उप/97 दिनांक 12.7.2001 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है।

8. अधिसूचना संख्या एफ 4(4)उप/99 दिनांक 27.7.2001 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पोंग बांध विस्थापितों एवं उनके अंतरितियों को राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम 1972, में संशोधित किया गया है।

9. अधिसूचना संख्या एफ 4(11)उप/97 दिनांक 30.9.2001 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग कैनाल क्षेत्र में राजकीय भूमि का स्थाई आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

10. अधिसूचना संख्या एफ 20(9)उप/98 दिनांक 27.9.2001 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भांखरा परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

11. अधिसूचना संख्या एफ 4(11)उप/88 दिनांक 1.10.2001 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

12. अधिसूचना संख्या एफ 4(15)उप/88 दिनांक 12.7.2001 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आबंटन एवं विक्रय) नियम, 1968 में संशोधन किया गया है।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001

श्री सभापति : श्री भगराज चौधरी, वन राज्य मंत्री।

श्री भगराज चौधरी (वन राज्य मंत्री) : सभापति महोदय, मैं जल अधिनियम, 1974 की धारा 27(2) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 सदन की मेज पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विनियोग व वित्त लेखे वर्ष 2000-2001

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्न सिंह, वित्त मंत्री।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : सभापति महोदय, मैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वर्ष 2000-2001 के लिए विनियोग एवं वित्त लेखे सदन की मेज पर रखता हूं।

समिति का प्रतिवेदन

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक 2001 पर गठित

श्री सभापति : प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि। श्री शांति कुमार धारीवाल, सभापति, राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि का प्रस्ताव करेंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (सभापति, प्रवर समिति) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001 पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को दिनांक 19 नवम्बर, 2001 तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियम समय को

(श्री सभापति)

दिनांक 19 नवम्बर, 2001 तक के लिए बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में दिनांक 19 नवम्बर, 2001 तक वृद्धि की गयी।

नियम समिति, 2001-2002 का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (सदस्य, नियम समिति) : परम आदरणीय सभापति महोदय, मैं नियम समिति, 2001-02 द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर समिति का द्वितीय प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

प्राक्कलन समिति "क", 2001-2002 का 13वां, 14वां, 15वां एवं 16वां प्रतिवेदन

श्री सभापति : श्री वृद्धिचंद जैन।

श्री वृद्धिचंद जैन (सदस्य, प्राक्कलन समिति "क") : सभापति महोदय, मैं प्राक्कलन समिति "क" 2001-2002 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :-

1. वाणिज्यिक विभाग से संबंधित समिति का 13 वां प्रतिवेदन,

2. सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "क" 1999-2000 के चतुर्थ प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक् समिति का 14वां प्रतिवेदन,

3. कार्मिक एवं प्रशासन निम सुधार विभाग से संबंधित प्राक्क्लन समिति "क", 1999-2000 के चतुर्थ प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक् समिति का 15वां प्रतिवेदन, एवं

4. तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित समिति का 16वां प्रतिवेदन।

प्राक्कलन समिति "ख", 2001-2002 का आठवां एवं नवां प्रतिवेदन

श्री सभापति : डा. के.सी. चौधरी।

डा. के.सी. चौधरी (सदस्य समिति "ख") : सभापति महोदय, मैं प्राक्कलन समिति "ख" 2001-2002 के निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :-

1. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 1994-1995 के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक् समिति का अष्टम प्रतिवेदन, एवं

2. सहायता (अकाल राहत) विभाग से संबंधित समिति का नवां प्रतिवेदन।

श्री सभापति : सभी प्रतिवेदन उपस्थापित हुए।

(श्री सभापति)

अनुपूरक अनुदान की मांगों, वर्ष 2001-2002 (प्रथम संकलन) का उपस्थापन

वित्तीय कार्य, श्री प्रद्युम्न सिंह, वित्त मंत्री वर्ष 2001-2002 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं वर्ष 2001-2002 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) उपस्थापित करता हूं।

श्री सभापति : उपस्थापित हुईं।

डा. चन्द्रभान, प्रभारी मंत्री।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, मैं एक प्रारंभिक आपत्ति मंत्रीजी को इस बिल को पारित करने से पहले रखना चाहता हूं।

श्री सभापति : कौनसे मामले में?

डा. चन्द्रभान : इसको विचारार्थ तो ले लें फिर बाद में रख देना आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, विचारार्थ लेने से पहले ही। आपको यह पेश करना ही नहीं चाहिए। यह जो आप लैजिस्लेशन बना रहे हैं, सभापति महोदय,...

श्री सभापति : ये तो प्रस्ताव ही करेंगे अभी तो। आप वक्त बोल लेना। आपको अनुमति होगी बोलने की।

डा. चन्द्रभान : फिर विचार रख देना।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) विधेयक, 1999

श्री सभापति : डा. चन्द्रभान।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री मानिकचंद जी सुराना।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पहले फर्स्ट रीडिंग पर। माननीय मानिकचंदजी की अनुमति मैंने ले ली है इसकी, सभापति महोदय। Statement of objects and reasons.

RIICO has developed 274 industrial areas covering over 48, 341 acres of land. Several cases have been observed where prime industrial land is encroached upon and certain allottees of land violate the conditions of lease deed and under-

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

take unauthorised development in deviation of approved plans and ignore the directions of RIICO.

In order to speedily evict trespassers and to provide for demolition of unauthorised development, legal power is required to be vested in RIICO.

The bill seeks to a chieve the aforesaid objectives.

Hence the bill.

तो ये रीको में स्टेच्यूटरी पावर्स देना चाहते हैं। अब डेफीनिशन क्लाज के अन्दर...

श्री सभापति : अभी तो, मान्यवर, जनमत जानने का प्रस्ताव है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, जनमत जानने की जरूरत ही नहीं है। सभापति महोदय, मैं जिस पाइंट पर ध्यान आकर्षित करूंगा, सम्भवत: मैं आसन को इस बात के लिए संतुष्ट कर सकूं कि यह लैजिस्लेशन गलत लाया जा रहा है।

श्री सभापति : इसमें आप भी बोल सकेंगे। जब ये मूव कर देंगे तो आप भी बोल लेना। फिंलहाल तो मुझे...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपका आदेश सर्वोपरि है। सभापति महोदय, मेरी एक प्रारंभिक आपत्ति है कि एक प्राइवेट बाडी रीको को जमीन दे दी, उसका मैनेजमैंट पूरा उसके हाथ में है। आप उनको स्टेच्यूटरी पावर्स बाई लैजिस्लेशन अब देना चाहते हैं जबकि उनको अलाटमेंट, एक्सटेंशन और रैगुलराइजेशन सबके पावर्स रूल्स में मिले हुए हैं। वो स्टेच्यूटरी रूल्स ये हैं, सभापति महोदय,...

श्री सभापति : अभी तो प्रश्न यह है, माननीय सदस्य, कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। विचारार्थ लिया ही नहीं, जनमत जाना जाय।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, जनमत जानने का प्रश्न नहीं है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको विचारार्थ ही नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री सभापति : वो आगे आएगा। अभी तो जनमत जानने का सवाल हो रहा है, यह कहते हैं कि विचारार्थ नहीं लिया जाए, पूछें लोगों से राय पूछें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, आपका फरमाना सही है लेकिन मेरा अर्ज करना यह है कि मुझे आपने उस वक्त अनुमति नहीं दी That was the right stage because my basic objection is that the Bill should not have been piloted at the first stage.

क्योंकि ये स्टेच्यूटरी पावर्स एक ऐसी प्राइवेट बाडी को देना चाहते हैं जिसके मैनेजमैंट में कोई स्टेच्यूटरी रूल्स ही नहीं है।

श्री सभापति : यह तो कोई स्टेज नहीं है। माननीय सदस्य, आप तो बहुत अनुभवी हैं, कानून के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, संसदीय परम्पराओं से आप वाकिफ हैं। आपकी वरिष्ठता के लिहाज

(श्री सभापति)

से यह प्रश्न ऐसा है आप स्वयं ही देखें कि ऐसी कौनसी एप्रोप्रियेट स्टेज होगी। उस वक्त आप बालेंगे मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इस वक्त मानिकचंदजी सुराना का अवसर है, उसके बाद आप कहें क्योंकि आपका यह आब्जेक्शन इस समय फिट नहीं बैठ रहा है। आपने विदड्रा किया है। क्या? यू विदड्रा?

श्री मानिकचंद सुराना : नहीं, हमारा प्रस्ताव शामिल है इसलिए ये बोलेंगे पहले।

श्री सभापति : आप विदड्रा कर रहे हैं?

श्री मानिकचंद सुराना : नहीं, नहीं, विदड्रा नहीं कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) विधेयक, 1999 को जनमत हेतु परिचालित किया जाए। मेरा यह प्रस्ताव इसलिए है, सभापति महोदय, कि सरकार ऐसे समय यह विधेयक लेकर आ रही है जबकि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी है। इस आर्थिक मंदी में राजस्थान के औद्योगिक विकास की दर हमारी राष्ट्रीय औद्योगिक विकास दर से बहुत कम है। देश की औद्योगिक विकास दर 8.10 है और राजस्थान की औद्योगिक विकास दर 4.4 है। ऐसे समय में जबकि राजस्थान के एक-एक करके लघु और वृहत उद्योग बंद होते जा रहे हैं। ऐसे समय में रीको के अधिकारियों के हाथ में इस तरह की शक्ति देना मैं समझता हूं बिलकुल न्यायसंगत नहीं है।

सभापति महोदय, इन्होंने उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा कि 274 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया और 48341 एकड़ भूमि है और ऐसे मामले देखने में आये हैं कि इस भूमियों पर अधिक्रमण हुए हैं। अच्छा यह रहता कि ये इसमें यह स्पष्ट करते कि इनके पास इस तरह के कितने मामले आये। बिना किसी पूरी जानकारी के यह बिल लेकर आये हैं। मंत्री महोदय, आप जो बिल लेकर आये हैं उसमें आपका मुख्य उद्देश्य यह है कि रीको ने जिस परपज के लिए जिस इण्डस्ट्री को जमीन अलाट की, उस इण्डस्ट्री ने जिस परपज के लिए जिस नियम के अनुसार अपना प्लान सबमिट किया उस सबमिटेड प्लान के अलावा अगर कोई निर्माण करता है या उस भूमि से आगे बढता है तो आप उसको एनक्रोचमेंट मानेंगे उसको अब हटाएंगे। एक तरफ तो यह बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही सरकार का यू.डी.एच. विभाग लैंड यूज करने की बात करता है, रोज नियमन की बात करता है। रोज यह कहता है कि जहां पहले उद्योग के नाम पर भूमि आबंटित की गयी थी वहां आज की तारीख में उस भूमि का लैंड यूज़ करना चाहे कोई तो उसको अनुमति मिलेगी। मैं समझता हूं कि जिस परपज के लिये जमीन दी है, उसको रैस्ट्रिक्ट किया है आपने इस कानून के माध्यम से। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि पिछले ढाई वर्षों में आपको कितने उद्योगपतियों ने आपकी नीतियों के कारण अपनी चाबियां सौंपी। आप बिजली मंत्री भी हैं, आज पूरे हिन्दुस्तान में मध्यम श्रेणी के जो उद्योग से जो बिजली चार्ज आप कर रहे हैं वह सर्वाधिक कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल अपने आप में एक अस्पष्ट बिल है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब आपने यह तो कह दिया कि औद्योगिक क्षेत्रों का आपने विकास कर रखा है। रीको का जब आपने औद्योगिक विकास किया उसमें आपने जमीन को अवाप्त किया। सभापति महोदय, बहुत बड़ी संख्या में रीको ने पहले जमीन अवाप्त कर ली और अब उस अवाप्त भूमि को छोड़ती जा रही है। इन्फ्रास्ट्रक्चर देने का वादा जो आपने लोगों से किया था वह इन्फ्रास्ट्रक्चर आपने दिया नहीं। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस विधेयक को लेकर आये हैं इस पर थोड़ा सोचें।

विधेयक की धारा 3 में आपने यह प्रावधान किया कि अगर कोई उद्योगपति रीको के भू-आबंटन के समय प्रस्तुत अपने प्लान के अलावा या ज्यादा भू उपयोग करता है और जिस परपज के लिये उसे भू आबंटन किया गया है उसके अलावा कोई कार्य करता है तो 5000 रुपये तक का उसको दंड मिलेगा। रीको ने किसी एक उद्योग के लिये किसी उद्योगपति को भूमि आबंटित की, आज निरन्तर नई टैक्नोलोजी आ रही है और आर्थिक मंदी का शिकार भी उद्योग हो रहे हैं, अगर वह उद्योगपति उसी अपनी आबंटित भूमि में उसने पहले जो प्लान सबमिट किया था उस प्लान के अलावा अगर दूसरा कोई उद्योग लगाना चाहे या उद्योग में कोई तरमीम करना चाहता है तो इस कानून के आने के पश्चात् वह नहीं कर पाएगा। इसी तरह आपने सैक्शन (4) (4) में यहां तक कर दिया कि अगर कोई उद्योगपति किसी मार्ग से मिट्टी भी उठा लेता है तो उस पर 6 महीने की सजा या 10,000 तक जुर्माना होगा। सभापति महोदय, इस सारे में प्राकृतिक न्याय के विपरीत इन्होंने सैक्शन 13 में यह कह दिया कि कोई भी उद्योगपति इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् सिविल कोर्ट में नहीं जा पाएगा। यह किस तरह का बिल लेकर आये हैं? सैक्शन 15 बर्डन आफ प्रूफ भी उसी पर डाल दिया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को आप जनमत जानने हेतु परिचालित करें।

जिस तरह की स्थिति आपने पैदा कर दी, जब से आप उद्योग मंत्री के रूप में बिराजे हैं आपने घोषणाएं तो बड़ी-बड़ी कर दीं। ''एकल खिड़की'' योजना आप लेकर आये और उसमें आपने बड़े जोश से फोटो छपाकर घोषणा कर दी कि हमारे पास 19 प्रस्ताव आये हैं और 3330 करोड़ का निवेश होगा। ये आपकी आज की नहीं पुरानी घोषणाएं हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कम से कम आप यह तो देखें कि उस घोषणा के अनुसार कितने लोगों ने निवेश किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून के माध्यम से रीको के अधिकारियों को लूट-खसौट करने की छूट मिलेगी। रीको के अधिकारी जाएंगे और कहेंगे कि आपने यह प्लान सबमिट किया था, इस मैप के तहत आपको उद्योग लगाना था, आपने इसमें तरमीम की है इसलिए सैक्शन इस-इस के तहत हम आपके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। माननीय मंत्री जी, जिस दौर से राजस्थान का उद्योग गुजर रहा है, विशेष तौर पर आर्थिक मंदी का शिकार भी है और आपकी नीतियों का शिकार भी है, इस पर आप ज़रा सोचें।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक तरह तो आप कह रहे हो कि रीको के पास 274 औद्योगिक क्षेत्र हैं। अब 274 औद्योगिक क्षेत्रों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में आपने कभी सर्वे करवाया कि कितने औद्योगिक क्षेत्र ऐसे हैं जहां रीको ने जमीन का अधिक्रमण करते हुए कहा था कि हम यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम बिजली की व्यवस्था करेंगे, हम पानी की पूरी व्यवस्था करेंगे, सड़कों का जाल बिछाएंगे? आपने उसमें कुछ काम नहीं किया। आपके बड़ी संख्या में औद्योगिक क्षेत्र खाली पड़े हैं। और दूसरी तरफ आप यह कानून और लेकर आ रहे हैं। इसलिए इस पूरे मामले में आपको विचार करना चाहिये और जनमत जानने हेतु इसको परिचालित करना चाहिये।

श्री सभापति : डा. किरोड़ी लाल। श्री सांवर लाल। श्री रामनारायण विश्नोई। श्री मानिकचन्द सुराना।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय सभापति महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो बिल प्रस्तुत किया है, "रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) विधेयक, 1999 उसके क्लाजेज में लिखा है कि रीको एक कम्पनीज एक्ट में निगमित कम्पनी है। माननीय मंत्रीजी यह तो बताएं कि लैंड डिस्पोजल रूल्स जो हैं वे क्या राज्य सरकार ने बनाये हैं? माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि लैंड डिस्पोजल रूल्स सरकार ने नहीं बनाये। जब लैंड डिस्पोजल रूल्स राज्य सरकार द्वारा बनाये हुए नहीं हैं, उस कम्पनी के द्वारा बनाये हुए हैं तो एक कम्पनी जो कम्पनीज एक्ट में निगमित है उसके द्वारा कोई रूल्स बनाये गये, औद्योगिक क्षेत्र काटे गये और उन औद्योगिक क्षेत्रों में कोई अतिक्रमण हो गया, आपने इसको अधिक्रमण कहा है, खैर, अतिक्रमण, अधिक्रमण एक ही बात है, या कोई अवरोध किसी ने पैदा कर दिया, माननीय मंत्री जी, यह तो इस सदन को जानकारी चाहिये कि अपने जो 274 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं इसमें ऐसे मामले 200-300-400-500 कितने पैंडिंग हो गये? रीको के प्रयास के बावजूद कितनी ऐसी इकाइयां हैं जिनकी समस्या का अपन समाधान नहीं कर पाये? यदि समाधान नहीं कर पाये तो उस अधिक्रमण को हुए कितना अरसा हो गया? दो साल, चार साल हो गये, दस साल हो गये? आखिर तो रीको काफी पुरानी संस्था है और बीस साल से फंक्शन कर रही है। रीको के द्वारा जो औद्योगिक क्षेत्र बनाये गये, आज आप उस रीको को स्टेट बना देना चाहते हैं कि रीको को स्टेट की तरह ट्रीट कर लिया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसको स्टेट नहीं माना जा सकता। वह स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटी है। जो भी सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्याएं की हैं उनके अनुसार चूंकि सारा धन राज्य का लग रहा है रीको में और उसके द्वारा ऋण दिया जा रहा है इसलिए रीको स्टेट की इंस्ट्रूमेंटलिटी हैं, वह उसका एक हथियार है। लेकिन उसके द्वारा लैंड डिस्पोजल रूल्स में जो पेचीदगियां पैदा हुईं, इस विधान सभा में मैं समझता हूं कि हमारी अधिकारिता नहीं बनती कि हम किसी कम्पनी के द्वारा जो कुछ किया गया है उसमें किसी तरह की दखलन्दाजी करें। राज्य सरकार अपने नियम बनाए। लैंड डिस्पोजल रूल्स जिन्होंने बनाये, राज्य सरकार को उसमें जो करना है, वह करे। मैं जानना चाहूंगा कि इस बिल को लाने से पहले कितने मामले पैंडिंग हैं, कितने क्षेत्रों में पैंडिंग हैं? इस जानकारी चाहने के लिए ही हमने यह

(श्री मानिकचन्द सुराना)

कहा है, प्रस्ताव किया है कि इस बिल को जनमत जानने हेतु भेजा जाए ताकि जो प्रभावित पक्ष है वह प्रभावित पक्ष भी अपनी बात कह सके।

रीको की आपाधापियां कम नहीं हैं। मेरा निवेदन है माननीय मंत्रीजी से, जब वह इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि लैंड डिस्पोजल रूल्स राज्य के द्वारा पारित नहीं किये गये हैं, बनाये नहीं गये हैं तो किस अधिकारिता से वह इस सदन का उपयोग उस लैंड डिस्पोजल रूल्स में जो पेचीदगियां पैदा हुईं उनका समाधान करने के लिए करना चाहते हैं? यह जो वैधानिक पक्ष है, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी इसका स्पष्टीकरण करें कि क्या तथ्यात्मक पृष्ठभूमि है, कितने हैं, कितने मामले पैंडिंग हैं और क्या-क्या अवरोध आ गये, क्या अधिक्रमण हो गये। जहां तक सवाल यह है कि उन्होंने अपने नक्शे के विपरीत कोई निमार्ण कर लिया, माननीय सभापति महोदय, यदि कोई उद्योग 10 साल पहले बना और उसने जो भी नक्शा दिया उसके अनुरूप नहीं कर कुछ फेरबदल करके बना लिया, निर्माण कर लिया लेकिन अपनी सीमा में, मैं पूछना चाहता हूं मंत्रीजी से कि इसमें आपको क्या आपत्ति है? स्वायत्त शासन मंत्रीजी तो यह कह रहे हैं कि 400 गज के भीतर कोई नक्शा पारित कराना जरूरी ही नहीं है। वह सीमा भी 500 गज हो गई है। एक एकड़ में आधा एकड़ में किसी ने अपने औद्योगिक क्षेत्र को कोई नक्शा दिया था, उस नक्शे में कुछ फेरबदल हो गया और आप 10 साल सोते रहे। अब आप 10 साल बाद कहेंगे कि तेरे खिलाफ एक मुकदमा है। माननीय मंत्रीजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक महीने की सजा जो अधिक से अधिक एक साल तक हो सकती है, यह प्रावधान जो आप ला रहे हैं, इसमें जिन मामलों में दो वर्ष बीत चुके हैं, आज इस एक्ट के लाने के बावजूद पुराने मामलों में कोई कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। सीआर.पी.सी. में लिमिटेशन है। जहां एक महीने की सजा आप प्रस्तावित करते हैं और जो अधिक से अधिक एक साल है, ऐसे मामलों में, क्यों मालपुरा से पधारे व्यास जी...(व्यवधान) उसमें मियाद नहीं है। दो साल से अधिक की मियाद नहीं होती ऐसे मुकदमों में। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्ट को लाने से पहले... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : I regret your support very badly because this legislation is just not maintainable. Who has advised the Hon'ble Minister I don't know.

श्री सभापति : माननीय सुराना साहब, आप अपनी बात फिनिश कर चुके क्या? (व्यवधान)

श्री मानिकचंद सुराना : मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि जो सीमा से बाहर है, हम किसको दण्डित करना चाहते हैं? हम एक भय का वातावरण बनाना चाहते हैं कि आपने कुछ फेरबदल करके नक्शा बना लिया तो आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। आप किसको मजबूती देना चाहते हैं? लालफीताशाही को या ब्यूरोक्रेसी को? या आप राजस्थान के औद्योगिक वातावरण को सुधारना चाहते हैं? मंदी का वातावरण आपसे सुधर नहीं सकता। छोटे उद्योगों के लिए आज तक कोई ऋण की व्यवस्था नहीं।

(श्री मानिकचन्द सुराना)

जो उद्योग बंद पड़े हैं, बीमार हैं, जो छोटा-मोटा ऋण दिए बिना चल नहीं सकते, उनके लिए आज तक आपने कोई एक्सरसाइज नहीं की। विधान सभा में सवालों के जवाब में अनेक बातें कह दीं, लंबी-चौड़ी घोषणाएं कर दीं, प्रश्न के उत्तर में हमको 6 पेज का प्रारूप दे दिया कि हम यह करेंगे। आज तक न तो रीको ने किया, न वित्त निगम कर रहा है, न राज्य सरकार कर रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान का औद्योगिक विकास रुक रहा है। मैं रुग्ण इकाइयों की तरफ माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि यदि हमने विचार कर लिया कि हमें रुग्णता को बढ़ाना ही है तो यह एक साल का, एक महीने का, छह: महीने का जो भी प्रावधान आप ला रहे हैं, ले आइये। इससे वातावरण नहीं सुधरेगा और इससे जो हमारे क्षेत्र हैं उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसीलिए मेरा प्रस्ताव है कि इस बिल को आप जनमत जानने हेतु परिचालित करने की कृपा करें।

श्री सभापति : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापति जी, जिन लोगों ने पहले अपना प्रस्ताव दिया है उनको पहले सुन लिया जाए। उसके बाद कोई दूसरा माननीय सदस्य जिसने प्रस्ताव देने की चेष्टा नहीं की, उनको सुन लिया जाए। मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन पहले जिन लोगों के प्रस्ताव हैं उनको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपकी बात सही है। जनमत जानने वाला प्रस्ताव इस पर विचार इधर से समाप्त हो रहा है। यह लास्ट है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सभापतिजी, मैं आपसे निवेदन करूं, दो प्रस्ताव आते हैं, एक जनमत जानने के लिए, दूसरा...(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका प्रवर समिति के लिए है? (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : जी हां। दोनों प्रस्तावों का आज तक हमेशा ही एक साथ विचार होता है और एक साथ ही डिस्पोजल होता है।

श्री सभापति : एक साथ ही ले रहे हैं। (व्यवधान) आपके वाले के बाद में इनको टाइम दे देंगे। आपको अगर आपत्ति है, आप पहले बोलना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : परम्परा तो यह रही है कि पहले जनमत फिर सलैक्ट कमेटी। ऐसा होता है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : इसमें भी यही हुआ है। (व्यवधान)

श्री सभापति : जनमत जानने वाला आरग्यूमेंट, फिर तो जनरल बात एक है, आप वाला प्रवर समिति वाला आ जाएग। आप और हरजीरामजी बुरड़क। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जनमत वाले को पहले मौका मिलना चाहिए, सलैक्ट कमेटी वाले को बाद में। (व्यवधान)

श्री सभापति : कोई हैं ही नहीं बोलने वाले। (व्यवधान)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : मैडम, यही तो है, जनमत वाले पहले बोल लिये, अब सलैक्ट कमेटी वाले बोलेंगे। माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) विधेयक, 1999 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, रीको की स्थापना कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए की गई थी। प्रदेश में इण्डस्ट्रीज डवलप हों, अलग-अलग स्थानों पर, अलग-अलग शहरों में वे अपने क्षेत्र निर्धारित करें, वहां सहूलियत दें और उसके बाद में हमारी इण्डस्ट्रीज वहां पर डवलप हों, रीको को बनाने के पीछे यही सिद्धान्त था। आज हम यह सोचने को विवश हो रहे हैं कि जिन व्यवस्थाओं के लिए रीको का निर्माण किया गया था वह उसमें कितनी सफल हुई है। आज रीको ने एक व्यावसायिक संस्था के रूप में स्वयं काम करना शुरू कर दिया है और उद्योगों के विकास का इनका जो प्राइम आब्जैक्ट था वह इन्होंने पीछे छोड़ दिया। इन्होंने जगह-जगह इकाइयां स्थापति कीं, उसमें से मेरे खयाल से 10 प्रतिशत इकाइयां भी आज कार्यरत नहीं हैं। उनकी कितनी भी कठिनाइयां हों, कौनसी कठिनाइयां हैं वह दूसरी बात है लेकिन उन कठिनाइयों पर भी सोचने का आज समय आ गया है। इस बिल के माध्यम से, सीमित अधिकार रीको लेना चाहती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह कानून जो हम बनाने जा रहे हैं, माननीय मंत्रीजी प्रस्तावित कर रहे हैं कि यह अपने आपमें सैल्फ कन्टेन्ड ला है। एक संस्था जो कम्पनीज एक्ट के तहत रजिस्टर हुई है उस संस्था को हम जुडिशियल पावर देना चाहते हैं। जुडिशियल पावर भी ऐसी जो किसी भी कोर्ट के बंधन में नहीं हो। सब कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को छेदती हुई यह संस्था अपने जुडिशियल काम को करे, इस प्रकार की इसमें व्यवस्था निर्धारित की गई है।

मेरा निवेदन यह है कि कुछ क्लाजेज तो अस्पष्ट हैं और कुछ क्लाजेज भयंकर दुष्परिणाम लाने वाले हैं, बहुत ही कठिन हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज यह विचार करने का समय आ गया है कि रीको के सामने क्या कठिनाइयां हैं, क्या कमियां हैं और उनमें सम्पूर्ण रूप से किस प्रकार से सुधार किया जाना चाहिए। यदि यह बिल सलैक्ट कमेटी को जाता है तो वहां सब प्रकार के विचार सामने आएंगे और इसमें इम्प्रूवमैंट होने की गुजाइंश है। इसीलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं।

माननीय सभापतिजी, इनमें डैफीनेशन्स दी गई हैं, एक डैफीनेशन लैंड की भी है। आगे इसके जो प्रावधान हैं उनके संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लैण्ड वाला मामला, लैण्ड की डैफीनेशन बहुत अस्पष्ट है। कई जगह आया है एनी लैण्ड। क्लाज वन का चौथा हिस्सा है इसमें लिखा गया है "It shall apply to all the land transfered or otherwise held by the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited."

अदरवाइज हैल्ड है वह किस रूप का होगा?

(श्री शिवनाथ सिंह)

या तो सरकार देगी या परचेज करेगी यह सब तो इसमें दे दिया। अदरवाइज हैल्ड, यह ऐसा शब्द है जिसके लिए कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा सकता।

माननीय सभापतिजी इसी तरह से आपने इसमें जो एनक्रोचमैंट की बात कही है, आपने कहा है कि रीको की जमीन हो, गलियां हों उनमें कोई एनक्रोचमैंट करता है तो उसमें सजा का प्रावधान है। मैं बाद में निवेदन करना चाहूंगा। डवलप और डवलप होने वाली स्ट्रीट्स पर कोई एनक्रोचमैंट करता है तो वह सजा का भागीदार होगा, लेकिन जो स्ट्रीट्स न तो डवलप है और न डवलपमैंट की स्कीम में हैं, उनका क्या होगा? अधिकतर वही रास्ते हैं जो न तो डवलप हैं और आज तक न डवलपमेंट की स्कीम में हैं, उन पर यदि कोई एनक्रोचमैंट कर लेता है तो इस बिल में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

इसी तरह से, माननीय सभापतिजी, आपने एनक्रोचमैंट और आब्स्ट्रक्शन आन दी लैण्ड, यह जो क्लाज 4 का एक है :-

(1) Whoever makes any encroachment on any land, not being private property. यह जो शब्द है "नाट बीइंग प्राइवेट प्रापर्टी", इसका क्या तात्पर्य है? किस लिये ये इसमें रखना चाहते हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपने कहा है कि कारपोरेशन के आफिसर्स को एनक्रोचमैंट हटाने का, दण्ड करने का, प्रापर्टी को कन्फिस्केट करने का, ये सब अधिकार होंगे। आपने दोहरा प्रावधान यहां किया। एक कोई एनक्राचमैंट जिसने कर लिया है, अनआथोराइज्ड चेंज कर दिया है स्कीम में, उसके लिए आप प्रोसीक्यूट करेंगे क्रिमिनल कोर्ट में। वह कोर्ट डिसाइड करेगा और कोर्ट डिसाइड करने के बाद उसका फाइनल जजमैंट होगा। लेकिन वह केस चल रहा है, चलते-चलते ही रीको का कोई आफिसर उस पर आब्स्ट्रक्शन किया हुआ है, कोई प्रापर्टी है और भी कुछ है उसको वह सीज कर सकता है। उसको वह नीलाम कर सकता है। उसको अपने कब्जे में भी ले सकता है। डिस्पोज-आफ कर सकता है। ये प्रावधान, माननीय सभापतिजी, दोहरे हैं। मान लो उस प्रापर्टी को रीको के अधिकारी ने डिस्पोज-आफ कर दिया और कोर्ट ने जजमैंट उस ट्रेसपासर के पक्ष में दे दिया तो क्या स्थिति बनेगी उस वक्त? यह बहुत देखने की बात है।

माननीय सभापतिजी, इसी तरह के यह क्लाज 5 इसी का है। यह क्लाज जो चौथा है, वह इतना भयंकर है कि इसका हर सैंटेंस लोगों के लिए दुःखदायी है। यह आपने एक प्रोविजन किया है सब-क्लाज 13 में कि डिस्ट्रिक्ट जज को अपील पेश की जा सकती है और डिस्ट्रिक्ट जज अपील जो पैंडिंग है तब तक उस प्रापर्टी का डिस्पोजल, ट्रांसफर रोक सकता है। यह तो सब-क्लाज 13 में आपने अधिकार दे दिया। और आगे आपने अधिकार दे दिये कि रीको का आफिसर उसका डिस्पोजल कर सकता है। दोनों में क्या परिस्थितियां बनेंगी? कैसा सामंजस्य दोनों में बैठगा? एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी प्रोविजंस आपने इसमें रखे हैं।

माननीय सभापतिजी, दूसरे इसमें जो प्रोविजंस हैं वे सजा के हैं। आपने इसमें रखा है

(श्री शिवनाथ सिंह)

जो आफेंस करेगा, इन्यूमरेट हैं आफेंसेज। एक जगह 20 हजार की सजा, एक जगह 10 हजार की सजा। सजा अलग है और पैनल्टी और है। किसी ने अपने घर में पानी इक्ट्ठा हो गया, बरसात का मौसम आ गया और 4 गाड़ी मिट्टी उठाकर अपने घर में डाल दी ताकि वह मिट्टी पानी को सुखा सके, उसका पनिशमेंट होगा, सजा होगी। 20 हजार रुपये उसको जुर्माना देना पड़ेगा, 10 हजार रुपये उसका जुर्माना देना पड़ेगा। 5 हजार, 2 हजार का इसमें प्रोविजन है। इस प्रकार का हार्श इसे आप क्यों करना चाहते हैं?

आपकी प्रापर्टी है, आपने प्लाट्स काटे हैं, आपने स्कीम दी है, उस स्कीम को डवलप करने के लिए, जैसा माननीय सुराना साहब ने कहा, आज टैक्नोलोजी डवलप हो रही है, मैंने एक कारखाना स्थापति करने के लिए एक प्लाट लिया। वह कारखाना, वह मशीनरी आज ओब्सोलीट हो गयी, मैं उसमें दूसरे तरह से डवलप करना चाहता हूं, आपका उमसें कुछ लगता नहीं है, आप परमीशन दो, नहीं दो, दूसरी बात है। आम तौर से रीको का व्यवहार यह है कि लोगों को तंग करने वाली बात तो सब कर लेते हैं, सहूलियतें देने वाली बात एक भी नहीं करता है। जहां इनको फायदा होता है, आप देखेंगे, बहुत-से केसेज आते हैं, ए.जी. की रिपोर्ट है उसमें इतने केसेज दिये हुए हैं कि जमीन एक्वायर कर ली, डवलप कर ली और किसी चहेते को आवश्यकता पड़ गयी तो उसको रिलीज भी कर दी। अलाट कर दी प्राइवेट आदमी को। प्राइवेट आदमी के पक्ष में उसको रिलीज कर देते हैं। इस प्रकार की जब व्यवस्था हो और इस प्रकार की कार्यवाही जिस संस्था में चलती हो तो इस प्रकार के अधिकार उनको देना बहुत खतरनाक है।

इसलिये, माननीय सभापतिजी, मेरा यह निवेदन है कि इसको एक सलैक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाए ताकि सब तरह से इस पर सोच-विचार हो। रीको की डिफिकल्टीज को भी देखा जाए और जो अलाटीज हैं उनकी सहूलियत को, उनकी कठिनाई को भी देखा जाए। आज जो नये तरह से डवलपमैंट हुआ है, नई टैक्नोलोजी आ रही है और नये-नये एक्सपैरीमैंट्स हो रहे हैं उनकी भी व्यवस्था हो। यह सब सामंजस्य बैठाने की इसमें जरूरत है।

माननीय सभापतिजी, हमारे यहां सी.पी.सी. बना हुआ है, उसमें नोटिस का एक प्रावधान है। नोटिस किस तरह से सर्व होगा, उसमें प्रावधान है। लेकिन यहां इन्होंने अलग प्रावधान रखे हैं। एक प्रावधान इसमें यह और रखा है कि उस प्रापर्टी के ऊपर यदि कोई नोटिस चस्पा कर दिया तो वह भी पूरी सर्विस मानी जाएगी। सभापतिजी, अब यूनिट्स बंद हैं, कहां किसने कब क्या चिपका दिया, कोई सबूत नहीं है। किसके सामने चिपकाया गया, उस आदमी को पता लगे कि नहीं लगे। यदि उस नोटिस की सर्विसेज पूरी मान ली जाती है तो यह सब तरह से जो नैचुरल जस्टिस है, उसे काम में बाधा पहुंचाएगा। समय उसमें दिया गया है 15 दिन का। इसी तरह से जो पैनल प्रोविजंस हैं, ये किसी भी प्राइवेट कम्पनी को, पब्लिक कम्पनी को नहीं दिये जा सकते हैं। यह जैसा सुराना साहब ने कहा, स्टेट के अन्दर एक स्टेट बनायी जा रही है। जुरिस्डिक्शन

(श्री शिवनाथ सिंह)

उनको दिया जा रहा है। किसी समय में जुरिस्डिक्शन वाले ठिकाने हुआ करते थे जिनको सैकिण्ड क्लास, थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट के पावर्स होते थे। आज तो आपने उससे भी ऊंचा इस रीको को कर दिया। रीको को मजिस्ट्रेट के पावर्स आपने दे दिये। इस धरती पर कोई भी ऐसा कानून नहीं कि एक कम्पनी को आप इस प्रकार के पावर्स दें। इसलिए, माननीय सभापतिजी, मेरा निवेदन है कि इस बिल की सब प्रकार की कठिनाइयों को देखने के लिए, जांचने के लिए, क्या नये प्रोविजंस इसमें हों, किन प्रोविजंस को हटाया जाए, किन प्रोविजंस को सरल किया जाए, यह सब तभी सम्भव हो सकता है जब आप इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री हरजीरामजी।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : माननीय सभापति महोदय, जो हमारा प्रस्ताव इस बिल को सलैक्ट कमेटी को सौंपने के बारे में था, उस सम्बन्ध में माननीय शिवनाथ सिंहजी ने विस्तार से बताया है। मेरा इसमें इतना सा निवेदन है कि जो कम्पनी, जो संस्था किसी एक्ट से बनी हुई नहीं हो विधान सभा उनको पावर देने के लिए अलग से एक्ट बनाए, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। आज तक कहीं भी आप देख लें, किसी भी प्राइवेट संस्था के लिए अगर किसी सदन ने कानून बनाया हो तब तो आप भी बना सकते हैं। अलाट करने के, कैंसिल करने के, कब्जा हटाने के, सब पावर आलरेडी उस कम्पनी एक्ट के अनुसार उनके जो रूल्स बने हुए हैं उनमें हैं तो फिर यहां इस कानून को लाने की कहां जरूरत थी?

दूसरे, इसमें यह भी है कि सरकार को इस कानून को बनाने की इतनी जरूरत होती तो 2 साल तक यह बिल पैंडिंग नहीं रहता। यह सन् 99 में पेश हुआ, आज यह पास कराने की बात कर रहे हैं, तो हमने सलैक्ट कमेटी का जो प्रस्ताव दिया है इसमें महीने-दो महीने लग जाएं, उसमें कौनसा पहाड़ पड़ रहा है? जैसा कि सभी वक्ताओं ने कहा आज की परिस्थितियों के अनुसार यदि एक्ट बनाने की आवश्यकता हो, उसमें सारे प्रावधान हो जाएं तो सरकार को इसमें कौनसी जल्दी हो रही है? इनको एक सिर्फ एनक्रोचमैंट हटाने के लिए अधिकार देने के लिए एक्ट बनाने की गवर्नमेंट को जरूरत पड़ गयी, लेकिन इनके कार्यकलाप जो हैं उनको देखने के लिए किसी को फुरसत नहीं है। जैसा कि शिवनाथ सिंहजी ने कहा बाकी बात तो आप छोड़िये, सिर्फ सी.ए.जी. की रिपोर्ट भी देखने की फुर्सत नहीं है।

(15.00 बजे)

उसमें ऐसे-ऐसे आब्जेक्शन हैं, आपने प्रस्ताव दिया था यह जमीन हमको 15 दिन में चाहिए। कलक्टर ने एक्वायर का नोटिस जारी कराया, सारी कार्यवाही करा दी, उसके बाद भी दो-दो साल तक इन्होंने कब्जा नहीं लिया। जो जमीन एक्वायर करके छोड़ रखी है, उसमें से जो अच्छी जमीन लगी किसी पार्टी को तो वह डीएक्वायर करने की भी कार्यवाही इन्होंने की है। आज हजारों एकड़ जमीन ऐसी पड़ी है कि जिसे एक्वायर किये आज बीस-बीस साल हो

(श्री हरजीराम बुरड़क)

गये, उनका कोई काम नहीं आ रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन सारी परिस्थितियों को देखने के बाद अगर कानून बनाना जरूरी हो तो सारे प्रोविजन्स का समावेश हो जाए इसलिए इसको सलैक्ट कमेटी को सौंपना चाहिए। अन्त में दुबारा मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का कानून यह पहला है कि किसी कम्पनी के लिए विधान सभा अधिनियम बनाकर उनको पावर दे और जो कम्पनी खुद अधिनियम के तहत है नहीं। इसलिए मेरा तो यह भी निवेदन है कि इस एक्ट को नहीं बनाया जाए।

श्री सभापति : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपकी अनुमति हो तो।

श्री सभापति : पूरी अनुमति है आपको, इन दोनों प्रस्तावों पर।

संवैधानिक प्रश्न

कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत ''रीको'' द्वारा बनाये गये नियमों को कानूनी जामा पहनाये जाने हेतु विधेयक नहीं लाया जा सकता

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, पहला निवेदन तो मेरा यह है, एक्चुअली मेरा तो बेसिक जो लैजिस्लेशन है उसी पर आब्जैक्शन है कि यह लैजिस्लेशन बन नहीं सकता। क्योंकि जैसा लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी रजिस्टर्ड है और यह जो बिल आया है और एक्ट बनाया जा रहा है, यह लैंड डिस्पोजल रूल्स को इफैक्ट देने के लिए बनाया जा रहा है।

अब लैंड डिस्पोजल रूल्स क्या हैं? लैंड डिस्पोजल रूल्स मीन्स राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमैंट एण्ड इंवैस्टमैंट कारपोरेशन डिस्पोजल आप लैंड रूल्स, 1979। ये, सभापति महोदय, स्टेट्यूटरी रूल्स नहीं हैं। गजट नोटिफाई नहीं हुआ है यह। ये रूल्स इनके प्राइवेट रूल्स हैं "...made by the Corporation in exercise of the powers conferred by Articale 93 (XIV) of the Articale of Association of the said corporation..." आर्टिकल आफ एसोसिएशन है उसके तहत ये रूल्स बनाये गये हैं और उन रूल्स में इनकी प्रापर्टी मैनेज होती है। अब, सभापति महोदय, गजट में नोटिफिकेशन नहीं होने से आर.एल.बी. में ये रूल्स नहीं हैं, लोकल लाज में नहीं हैं। सब जगह मैं तलाश करके आया। मंत्रीजी से निवेदन करने पर इन्होंने मुझे एक प्रतिलिपि उपलब्ध कराई, उसमें कुछ नोट किया। मंत्रीजी पढ़ देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उन रूल्स को देखा है सबको। रूल्स की प्रतिलिपि पहले यहां पर सर्कुलेट होकर मैम्बर्स देख लेते तो शायद यहां कोई विचार भी नहीं करने देंगे इसको। आलरेडी उस रूल में रूल 12(बी) रेगुलराइजेशन है। अब यह एनक्रोचमैंट की बात करते हैं, इनके खुद के प्राइवेट रूल्स बने हुए हैं कि जो अलाटेड एरिया है उसका 10 परसेंट एक्सेस अगर वह कब्जा करता है तो उसको मार्केट रेट के ऊपर रेगुलराइज कर देंगे। उसके

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

बाद अनिलिमिटेड कब्जा करता है, 500 मीटर के प्लाट के ऊपर अगर वह 1500 पर कर लेता है तो 10 परसेंट। 50 मीटर का तो वह करेगा ओरिजिनल रेट के ऊपर और बाकी करेंगे मार्केट रेट पर। फिर सब लैटिंग का रूल 16 है, 17 है। ट्रांसफर आफ प्लाट्स का है। खैर, इन सब क्लाजेज से मतलब सिर्फ इतना-सा है, सभापति महोदय, आप यह जो लैजिस्लेशन विधान सभा से पास कराना चाहते हैं, खुले दिमाग से इस पर विचार कीजिए। आप, मंत्रीजी, बहुत इलएडवाइज्ड हैं, आपके चंद आई.ए.एस. अफसर अगर वहां जाकर बैठ जाते हैं रीको में तो वे फार द टाइम बिइंग डैपुटेशन पर हैं रीको में। अगर ईमानदारी से पूछते हो तो आई.ए.एस. की हेकड़ी जबरदस्ती उनके दिमाग में है, otherwise they are simple employees like any employees of Birla or Tata. कोई पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के नौकर की तरह से नौकर हैं। लेकिन वह बदबू उनके दिमाग से नहीं जाती अफसरी की। और वे आपको एडवाइज करके यह लैजिस्लेशन बनवाना चाहते हैं। यह आपके कोर्ट में एक दिन भी नहीं चलेगा। एक प्राइवेट प्रापर्टी के मैनेजमैंट में, आप आज यूनिवर्सिटी का तो बना दो। और इतनी सारी आटोनोमस कारपोरेशंस आपने दे रखी हैं, रोडवेज का बना दो। कहीं पर खुद उनके स्टेट्यूटरी रूल्स नहीं हैं। इसके ऊपर यह लैजिस्लेशन पास नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय, बहुत अधिक कहने से कुछ नहीं होगा, यह रास्ता खोला है, असली बात तो मैं स्पष्ट आरोप लगाना चाहता हूं कि दस परसेंट जो एक्सेस प्लाट है उसको रेगुलराइज तो कर ही रहे हैं, आलरेडी प्रोवाइडेड है रूल 12 में, दस परसेंट से ज्यादा भी कर सकते हैं, वह मार्केट रेट पर कर सकते हैं पर, सभापति महोदय, वह नहीं करें तो उनके पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे वह सख्ती से डील कर सकें, तो पैनल पावर्स लेना चाहते हैं आपके वहां जो रीको में काम करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स, ताकि जो रकम तय हो रेगुलराइजेशन के लिए, वह वसूली जा सके। उसका रास्ता निकाला है इन्होंने। "भय बिन प्रीत न होत गौसाई" वह यही है। लेकिन पैनल पावर्स, सभापति महोदय, बड़ा गम्भीर विषय है, आप प्राइवेट बाडी को पैनल पावर्स नहीं दे सकते हैं। एक कम्पनी के अन्दर आप यह ला एप्लाई करेंगे, यह क्वैश हो जाएगा। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इसको आप आज डैफर कर दीजिए, आज कोई मतलब नहीं है और एग्जामिन कर लीजिए। अगर आप विचार करना चाहते हैं तो ये रूल्स आफ डिस्पोजल जो आर्टिकल्स के तहत आपने बनाये हैं, इसकी कापी हमको सर्कुलेट करवाएं, उसकी बिना पढ़े तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और आप खुद भी एग्जामिन करिए, किसी ला लाइन के आदमी से जानिए, अफसरों से महरबानी करके मत पूछिये। वे आपको एडवाइज कर देंगे कि आपको यह लैजिस्लेशन कतई नहीं लाना चाहिए। बहुमत के बल पर आप लाना चाहेंगे तो वह तो आपके जंच गयी, थोड़ी जंच गयी, I hope, unless you are hand in glove with the bureaucrats of RIICO, you will withdraw this legislation.

व्यवस्था

किसी विधेयक की वैधानिकता का निर्णय अध्यक्ष पद से नहीं दिया जा सकता

श्री सभापति : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, किसी विधेयक की वैधानिकता का निर्णय अध्यक्ष पद से नहीं दिया जा सकता।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपसे निर्णय नहीं ले रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। आपसे निर्णय नहीं ले रहा हूं मैं।

श्री सभापति : नहीं, आपका वैधानिकता का प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी को मेरा निवेदन है, my entire suggestions and requests are directed to the minister.

श्री सभापति : जो आपका आर्ग्यूमैंट था कि मैं न तो प्रवर समिति पर बोल रहा हूं और न जनमत पर बोल रहा हूं, आप तो एक वैधानिकता का प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, एक वैधानिकता का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री सभापति : वैधानिकता का प्रश्न यह...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : वैधानिकता आप तय नहीं करेंगे। वैधानिकता आप पर नहीं, मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री सभापति : मंत्रीजी क्या करेंगे?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मंत्रीजी इसको विथड्रा कर लेंगे। मंत्रीजी को अगर सद्‌बुद्धि आ गयी तो विथड्रा कर लेंगे। क्यों नहीं कर लेंगे? मंत्रीजी सब कर सकते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सद्‌बुद्धि आनी मुश्किल है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह अलग बात है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : प्रवर समिति को दे सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : दे सकते हैं, क्यों नहीं? नहीं-नहीं, प्रवर समिति की एक पोजीशन है कि अगर वह लैजिस्लेशन लाना ही है तो, सभापति महोदय, कंकरीट सजेशन के साथ लाया जाए कि जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उनको आप रिपील करें और स्टेट्‌यूटरी रूल्स बनाएं। वह प्रवर समिति आपको सजैस्ट कर सकती है तो फिर इसकी कुछ वैलिडिटी हो सकती है। कुछ सजेशन दे सकती है तो प्रवर समिति को भेजने का बहुत अच्छा सुझाव है। यह बात सही कह रहे हैं, उस हिसाब से माननीय सदस्य देंगे, कुछ लीगल असिस्टेंस मिलेगी अपने ला डिपार्टमैंट की और कुछ निकल कर आ सकता है। लेकिन इन रूल्स के तहत अगर आप यह लैजिस्लेशन बनाते हैं तो सर्वथा अनुचित, अवैधानिक, अव्यावहारिक और अनैतिक भी होगा।

श्री सभापति : माननीय श्री हरिसिंहजी, मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

कार्य सलाहकार समिति का 17 वां प्रतिवेदन

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 17 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 9 नवम्बर, 2001 को मध्याह्न पश्चात् 1.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वैश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 19 नवम्बर, 2001 से दिनांक 23 नवम्बर, 2001 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए :-

सोमवार, 19 नवम्बर, 2001	1. राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 2001 पर विचार एवं पारण
	2. संविधान 91 वां संशोधन विधेयक, 2000 का अनुसमर्थन।
मंगलवार, 20 नवम्बर, 2001	1. राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2001 पर विचार एवं पारण।
	2. अनुपूरक अनुदान की मांगें, वर्ष 2001-2002 पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान, एवं
	3. अनुपूरक अनुदान संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं पारण।
बुधवार, 21 नवम्बर, 2001 एवं गुरुवार, 22 नवम्बर, 2001	प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सहकारी सोसायटी विधेयक, 2001 पर विचार एवं पारण
शुक्रवार, 23 नवम्बर, 2001	प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान किराया नियंत्रण विधेयक, 2001 पर विचार एवं पारण।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 17 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 17 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी। मंत्री महोदय।

विधेयक पर विचार

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, यह विधेयक जिसको अभी विचारार्थ लिया गया है, इसको लाने का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक विकास की गति को धीमा नहीं करना है बल्कि उसे बनाये रखना है, औद्योगिक वातावरण में सुधार करना है।

सभापति महोदय, गत कई वर्षों में रीको इंडस्ट्रियल एरिया में अतिक्रमण की घटनाओं में

(डा. चन्द्रभान)

वृद्धि हुई है। जिन उद्यमियों को प्लाट्स आबंटित किये गये हैं, उन्होंने अनआथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन कई स्थानों पर किये हैं, उससे रीको के गठन के पीछे जो उद्देश्य था उसमें ही असफलता दिखाई देने लगी। अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आर्थिक मंदी का युग है, मान लीजिये कोई अपनी जमीन का यूज यदि बदलना चाहे और उसके लिए प्रावधान भी है। यदि प्लान्ड-वे में कोई काम होता है या अनुमति लेकर होता है और सीमित होता है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन असीमित होना शुरू हो जाए, प्लान्ड-वे में नहीं हो और बिना किसी परमिशन के हो तो फिर दिक्कत खड़ी होती है। सभापति महोदय, रीको के गठन के पीछे उद्देश्य था। एक व्यवस्थित औद्योगिक विकास, और उसी में रुकावट आने लगी, अवरोध पैदा होने लगे। हमारे राज्य में रीको के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनकी कुल संख्या 277 है और रीको ने अभी तक जो लैण्ड एक्वायर की है वह करीब 46 हजार एकड़ है। विकसित भूमि करीब 29 हजार एकड़ है। कुल मिलाकर 32 हजार प्लाट्स आबंटित किये गये, उनमें 20 हजार के ऊपर 16 हजार से ज्यादा इकाइयां स्थापति हैं और कुछ पर निर्माण का काम चल रहा है। अब इस विधेयक को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अभी माननीय सदस्यों ने यह जानकारी चाही कि ऐसे कितने मसले हैं या कितनी शिकायतें हैं अतिक्रमण की और अनआथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन की। सभापति महोदय, गत वर्षों में अतिक्रमण के जो मामले हैं वे करीब 3250 हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ये कितने पुराने हैं?

डा. चन्द्रभान : अब तो यह कई सालों से ही चल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : कुल कितने पुराने हैं?

डा. चन्द्रभान : यह 1989 में बना है उसके बाद के ही हैं। और जो अन-आथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन के मसले हैं ये हैं 1650। उनकी संख्या कुछ मिलाकर पांच हजार के आस-पास बनती है। अभी रीको के अधिकारियों के पास इस तरह के अधिकार नहीं है जिससे कि हम इनको आसनी से हटा सकें, बेदखल कर सकें। रीको लैण्ड एक्वायर करता है, फिर उसको अलाट करता है और लीज देता है। अभी कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि प्राइवेट कम्पनी के लिए तो कोई एक्ट ही नहीं बना है, कानून ही नहीं है, इनको क्यों अधिकार दे रहे हैं। सभापति महोदय, मैं स्पष्ट कर दूं कि रीको एस.एफ.सी. एक्ट की धारा 29 के द्वारा रैगुलेट होती है। इसमें स्टेट की इक्विटी भी है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसले हैं जिसमें इसे सरकार का एक अंग भी माना गया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : न-न, वह रिट के लिए है। मंत्रीजी, कन्फ्यूज मत कीजिये। स्टेट की इंस्ट्रूमैंटलिटी। जिस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ रिट पिटीशन लाई करती है, उसके लिये माना जाता है।

डा. चन्द्रभान : मैंने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन की बात की है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज सुप्रीम कोर्ट के ये डायरेक्शन नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो चूंकि स्टेट की इक्विटी इसमें है, इसलिए रिट लाई कर दी।

श्री सभापति : मंत्री महोदय को अपनी बात कहने दीजिये, उसके बाद आप जो कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, रीको जो भी भूमि अधिगृहीत करता है या आबंटित करता है पहले उसका विकास करता है और फिर औद्योगिक इकाइयों को आबंटित करता है। इसमें स्टेट का इंटरेस्ट है और पब्लिक का भी इंटरेस्ट है। किसी प्राइवेट लैण्ड के एनक्रोचमैंट हटाने की बात यहां नहीं की जा रही है।

श्री सभापति : पारण के समय आपका नम्बर अच्छा रहेगा।

डा. चन्द्रभान : वर्तमान में लैण्ड डिस्पोजल रूल्स बने हुए हैं और...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ये रूल्स स्टेच्युटरी रूल्स नहीं हैं।

डा. चन्द्रभान : हां, ये बोर्ड के बनाये हुए हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप स्टेच्युटरी रूल्स बना दो।

डा. चन्द्रभान : सरकार से अनुमोदित नहीं हैं। अभी जो एक्ट बनेगा, जो विधेयक ला रहे हैं इसमें भी, सभापति महोदय, सजा का प्रावधान किया जा रहा है। ऐसे लोग जो अतिक्रमण करते हैं, अनआथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन करते हैं, उनकी संख्या हजारों में पहुंच गयी है और उनके लिए जुर्माने का प्रावधान भी है। इसलिए इस पवित्र सदन के सामने इस विधेयक को लेकर आये हैं। वह रीको का बोर्ड नहीं कर सकता। यह मैं माननीय सदस्यों की जानकारी में लाना चाहता हूं।

सभापति महोदय, यहां यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं उनके बारे में अभी जो व्यवस्था है, अभी भी रीको के अधिकारी एस्टेट आफिसर्स बने हुए हैं। लेकिन अभी कोई व्यक्ति जिसको रीको का प्लाट आबंटित किया गया है, उसकी यूनिट है, वह यदि अनआथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन करता है, मान लीजिये उसको जमीन दी एक औद्योगिक कारखाना लगाने के लिए और वह वहां पर शाप्स बनाकर, अपना एक मार्केट खड़ा कर देता है। अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है इसमें पहले तो उसकी लीज को कैंसिल करो और उसके बाद में उसके खिलाफ कोई कार्यवाही हो सकती है और उसमें कई तरह की कानूनी दिक्कते भी आ जाती हैं। एक सवाल यह भी है कि जितने लीजी हैं इन सबकी लीज यदि हम रद्द करना शुरू कर देंगे तो फिर इण्डस्ट्रियलाइजेशन को नुकसान पहुंचेगा। जो अतिक्रमण करके आते हैं, जिनको भूमि आबंटित नहीं है, उनके खिलाफ कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तो दी राजस्थान पब्लिक प्रीमिसेज एक्ट, 1964 हैं इविक्शन आफ अनआथोराइज्ड आक्यूपेंसीज के लिए।

एक बात यहां पर यह कही गयी है कि सब अधिकार रीको ने ले लिये। अभी रीको इन सब मामलों में प्रोसीक्यूशन करेगा, लेकिन जुडिशियरी पावर्स तो कोर्ट के पास ही रहेंगे। इसमें तो यह व्यवस्था भी की गयी है, सभापति महोदय, ये रीको के अधिकारियों की बात कह रहे हैं न कि

(डा. चन्द्रभान)

रीको के अधिकारियों को बहुत पावर्स दे दिये जाएंगे तो वे इनको दुरुपयोग भी कर सकते हैं। रीको के अधिकारी भी जाने-अनजाने में उनकी जानकारी में होगा यदि और जान-बूझकर यदि कहीं अतिक्रमण करवा रहे होंगे या उनके जानते-बूझते यह बात सिद्ध हो जाएगी कि वहां अतिक्रमण हो गया या अनआथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो गया तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान है, उनके लिए भी जुर्माने का प्रावधान है। उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी।

कुल मिलाकर, सभापति महोदय, मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो विधेयक सरकार लेकर आयी है इसके पीछे मकसद यही है कि रीको इंडस्ट्रियल एरियाज में जो अतिक्रमण की घटनाएं बढ़ रहीं हैं या जो अप्राधिकृत विकास हो रहा है, निर्माण हो रहा है उसको रोका जाए। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसके रुकने से यहां औद्योगिक वातावरण अच्छा बनेगा। अन्यथा तो, सभापति महोदय, आप देख रहे हो कि दिल्ली और आगरा में क्या हो रहा है। इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस, अनआथोराइज्ड डवलपमेंट वहां होते रहे और वहां कई तरह की एक्टिविटी साथ हो गयीं। इंडस्ट्री वहीं है, रेजीडेंशल भी वही बन गया वहां पर कामार्शियल काम्प्लेक्सेज भी खड़े हो गये, शापिंग मार्केट भी बन गये, पूरी अव्यवस्था हो गयी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर्यावरण के मुद्दे को लेकर उन सबको बैन किया। यहां भी ऐसी अव्यवस्था फैल सकती है। इंडस्ट्रियल एरियाज में रेजीडेंस के लिए व्यवस्था है, कामर्शियल काम्प्लेक्स के लिए व्यवस्था है, स्कूल और कालेज व अस्पताल की व्यवस्था है। वे सब व्यवस्थाएं हैं, उनके अनुरूप यदि वहां पर निर्माण होते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है।

सभापति महोदय, मैं यह मानकर चलता हूं कि इस सदन में जो सभी निर्वाचित माननीय सदस्य हैं, ये तो अतिक्रमण के खिलाफ ही होने चाहिए। अतिक्रमण को रोकना ही चाहिए, हर सूरत में रोकना ही चाहिए। अभी इसमें जनमत जानने की बात कही गयी, प्रवर समिति की बात कही गयी, मेरा यह मानना है और मेरा आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इसको जनमत जानने के लिए नहीं भिजवाया जाना चाहिए, प्रवर समिति को नहीं सौंपना चाहिए क्योंकि एक लिमिटेड इश्यू है। यह केवल उन लोगों को ही प्रभावित करेगा जो अनआथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंस करते हैं। इंडस्ट्रियल एरियाज में जिनको जिस परपज के लिए जमीन दी, बिना अनुमति के ही कंस्ट्रक्शन करना शुरू करते हैं, पूरे वातावरण को खराब करते हैं या वो लोग जिनका उस भूमि से काई मतलब ही नहीं है और आकर वहां पर अतिक्रमण करके कब्जा कर लेते हैं और पूरे वातावरण को खराब करते हैं।

सभापति महोदय, रीको की बहुत ही मूल्यवान सम्पत्ति और मूल्यवान जमीन, एक तरह के स्टेट की कहिये, राज्य की कहिये, जनता की कहिये, मैं कहना चाहूंगा कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। यह उसको रोकने के लिए है और एक लिमिटेड इश्यू है। इससे कौन प्रभावित होंगे? वे लोग होंगे जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं। 48 हजार एकड़ जमीन उसके ऊपर ही है और ये लिमिटेड लोग हैं।

सभापति महोदय, लाडनू से आने वाले माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि इतने दिनों से लम्बित हैं, इसका मुझे अफसोस है, लम्बित नहीं होना चाहिए। इसका भी मुझे अफसोस है

(डा. चन्द्रभान)

कि बीस-बाईस साल से अतिक्रमण हो रहे थे उस ओर ध्यान नहीं गया। लेकिन हमारी सरकार बनी दिसम्बर, 1998 में और जनवरी, 1999 में ही इस विधेयक को मंत्रिमण्डल के सामने लाया गया और इसकी अनुमति प्राप्त कर ली गयी और फिर सितम्बर, 1999 में इसको विधान सभा के सामने रखा गया। अब अफसोस है कि इस पर विचार नहीं हो पाया। पहले हो जाना चाहिए था तो निश्चित रूप से वातावरण पहले ही सुधरता। यह जो अतिक्रमण हो रहा है इसको हम रोक पाते। देरी हुई, इसके लिए तो मैं अफसोस व्यक्त करता हूं, लेकिन अब आपसे निवेदन है कि इसको जनमत जानने के लिए या प्रवर समिति में नहीं सौंपा जाना चाहिए और इसको पारित किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) विधेयक, 1999 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनतम जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इससे लालफीताशाही और तानाशाही बढ़ेगी।

श्री सभापति : यह दूसरे में तो मेरे खयाल से आप दोनों पेश नहीं कर रहे हो।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं अपने प्रस्ताव को विथड्रा करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि प्रस्ताव विथड्रा करने की अनुमति दे दी जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति दी गयी।

प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्य : नो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नो कहा है। हां में, साहब, कोई नहीं बोला।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं अपना प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव विथड्रा करता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नोज हैव इट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दोबारा पूछो।

श्री जगतसिंह दायमा : पहले ही पता था विथड्रा करना है फिर आपने समय क्यों बर्बाद किया इस सदन का?

श्री शिवनाथ सिंह : समय आप भी तो बर्बाद कर रहे हो अब।

श्री जगतसिंह दायमा : फिर किताबें निकालते हो बड़ी-बड़ी कि हम बिजली के खिलाफ नहीं, हम इसके खिलाफ नहीं, हम इसके खिलाफ नहीं।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बुरड़कजी भी वापस नहीं ले रहे।

अनेक माननीय सदस्य : ले लिया।

श्री सभापति : वह तो साथ ही हैं, वापस ले लिया।

श्री ज्ञानेदव आहूजा : तो नाटक क्यों खड़ा होता है फिर? विरोध में बोल कर यह नाटक क्यों खड़ा होता है सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से? +++ काहे को विधान सभा में चले, साहब? आप तो बुजुर्ग लोग हैं, आपका तो हम सम्मान करते हैं। ...(व्यवधान)...मैं तो पहली बार विधान सभा में चुनकर आया हूं, मैं आपसे प्रेरणा लेता हूं, शिवनाथ सिंहजी, बुरड़क साहब।

डा. के.सी. चौधरी : आप तो रामलीला में ठीक रहते हो।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि रीको औद्योगिक (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से दो-तीन क्वैरी करना चाहूंगा। ये जो आपने एनक्रोचमैंट के मामले बताये हैं...

श्री रामस्वरूप : जो आपके पीछे खड़े हैं, पहले इनको बैठाओ।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : थानागाजी, अलवर में जमीन को एक्वायर करके वापस कर दिया निहित स्वार्थों के कारण। इसलिए इस विधेयक को पास नहीं होने के लिए जिन लोगों ने बोला है, वे अपने वचन पर डटे रहें। सत्तारूढ़ पार्टी के जो माननीय बुजुर्ग सदस्य हैं, जिन्होंने विरोध में बोला है, यह विधेयक पास नहीं होना चाहिए। अधिकारियों का निहित स्वार्थ है। थानागाजी, अलवर में जमीन एक्वायर करके वापस कर ली गयी है। रीको के अधिकारी वहां पर औद्योगिक क्षेत्र में अव्यवस्था फैलाएंगे और स्वार्थ पूरे करेंगे।...(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति, एक मिनट। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय सदस्य, इसको मूंछों का सवाल न बनाएं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : खुद तो मूंछें रखते नहीं, दूसरों की मूंछों का सवाल बनाने मत दो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इसलिए आप बिराजें, मूंछों का सवाल मत बनाइये। (व्यवधान) यह नहीं है कि आप बड़ी मूंछ रखते हो इसलिए इसको बोलोगे ही जबरदस्ती। बुजुर्गों का सम्मान करिये। यह बुजुर्गों की देन है जो अपन यहां तक आये हैं, इन्हीं का आशीर्वाद है जो आप इतने बड़े हो गये और आज बुजुर्गों की बुराई करते हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उद्योग और उद्योगपति क्या होते हैं, आपके सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। आपको क्या पता, उद्योग और उद्योगपति क्या होते हैं।

श्री रामस्वरूप : जिस बात को सदन ने ने मान लिया उसको आप पुकार रहे हो। (व्यवधान) साहब, मैं तो बैठ गया।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि रीको औद्योगिक (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाये?

अनेक माननीय सदस्य : नो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हां पक्ष जीता।

श्री रामस्वरूप : हां पक्ष जीता।

एक माननीय सदस्य : काउंटिंग करो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मान्यवर, हां पक्ष जीता।

अनेक माननीय सदस्य : नो।

श्री रामस्वरूप : हां पक्ष जीता।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि रीको औद्योगिक (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री रामस्वरूप : जीत हो गयी हमारी, हार गये आप तो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से दो-तीन बातों का स्पष्टीकरण चाहूंगा। एक तो यह जो कानून आप बना रहे हैं यह उन सब पर लागू होगा। जिन्होंने दस साल पहले का अतिक्रमण किया या एक्सेशन किया है या कानून लागू होने के बाद ही लागू होगा?

श्री सभापति : हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य, आपसे प्रार्थना करूंगा कि तृतीय वाचन में मैं आपको टाइम दूंगा सबसे पहले।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, मैं फिर नहीं लूंगा। I have put the question and, please, let the answer come.

श्री सभापति : अभी तो विचारार्थ ले रहे हैं, पारण के समय आपको सबसे पहले मौका देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं बहुत ही महत्त्वपूर्ण बिन्दु रख रहा हूं, यह जो सारा आपका बिल है यही इधर-उधर हो सकता है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप तो बहुत अनुभवी हैं, कानून के ज्ञाता हैं, विचारार्थ ले लिया उसके बाद अब.....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं एक-दो क्वैरी कर लेता हूं।

श्री सभापति : विचारार्थ ले लिया गया, अब यह उसमें से रीओपन कैसे होगा?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने अनुमति दी है।

श्री सभापति : इसको विचारार्थ ले लिया गया, अब आप जो कुछ भी कहेंगे उसका कोई रेलेवेंस नहीं होगा, वह इर्रेलेवेंट होगा। थर्ड रीडिंग में आप आउट राइट अपनी बात कह सकते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** हो जाने दीजिये ईर्रेलेवेंट, मैं केवल ज्ञानवर्धन के लिये....

श्री सभापति : मान्यवर, यहां कोई अर्थ नहीं होगा। तो खण्डशः में आप विरोध कर सकते हैं, तृतीय वाचन में आप स्पष्ट कह सकते हैं कि इसको पारित नहीं किया जाये, रिजैक्ट किया जाये। उसमें आपको पूरा अधिकार होगा। अब जब विचारार्थ ले लिया तो खण्डशः आएगा...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह कानूनी बात बता रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** मैं पारित करने का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि यह जो कानून लागू होगा तो किन पर होगा?

श्री सभापति : कानून की बात कहां बतायेंगे? विचारार्थ ले लिया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** यह पुराने लोगों के लिये लागू होगा या नहीं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह लागू कब से होगा, इतनी ही बात है, साहब। माननीय भंवरलालजी शर्मा यही कह रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** पुराने मामलों में लागू होगा या नहीं होगा? चाहे कितने ही वर्ष पुराना हों?

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री सभापति : मंत्री महोदय को उत्तर देने की जरूरत नहीं है। खण्ड 2 और 3 में कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड 2 और 3 को स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 4, श्री मानिक चन्द सुराना। श्री राजेन्द्र राठौड़। श्री सांवर लाल।

संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर)**:** माननीय सभापतिजी, खण्ड 4 पर मैंने एक संशोधन दिया है। संशोधन इस प्रकार है, विधेयक के खण्ड 4 के उप खण्ड एक की चतुर्थ पंक्ति में विद्यमान अभिव्यक्ति "जो एक माह से कम का नहीं होगा, को जो एक वर्ष तक हो सकेगा और" के स्थान पर अभिव्यक्ति की जाये।

सभापतिजी, विधेयक के खण्ड 4(1) में मैंने संशोधन दिया है। अब यह पहला खण्ड है जो एक आफेंस को क्रीएट करता है जो किसी जुर्म को परिभाषित करता है। माननीय मंत्री महोदय जानते हैं कि आफेंस जिस दिन क्रीएट किया जाएगा कानून के द्वारा, उससे पूर्ववर्ती घटनाओं पर वह कानून लागू नहीं होगा। आपने करीब 1250 अतिक्रमण और करीब 3200 कुछ और बताइये, कुलमिलाकर यह कह दिया कि 4850 या 5000 के करीब अतिक्रमण या अवरोध रीको की भूमि में हो चुके हैं। माननीय सभापतिजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अवरोध हो चुके वे रीको कम्पनी के खिलाफ थे। वे अतिक्रमण उनकी भूमि पर हुए, वह राज्य की भूमि नहीं थी। राज्य ने वह भूमि रीको कम्पनी को सुपुर्द कर दी थी। अब रीको स्टेट का हथियार है वह कन्सैप्ट बहुत अलग है। आपका रुपया लग

(श्री मानिक चन्द सुराना)

रहा है, सेंट-परसेंट रुपया आपका लग रहा है और इसलिये उसको स्टेट का इन्स्ट्रूमेंटल ही माना जा सकता है पर वह आफेंस जिसने इनकी भूमि पर किया है अतिक्रमण करके अवरोध करके वह आफेंस था कि नहीं जब किया गया। माननीय मंत्रीजी ने कहा कि वर्षों से चल रहे हैं, वर्षों से जो चल रहे हैं, आप सजा कितनी देना चाहते हैं? एक माह कम से कम और एक वर्ष अधिक से अधिक। यदि आपने ऐसे आफेंस का एक साल में चालान नहीं किया तो कोर्ट तो आफेंस सजा देगा नहीं। आप कौनसी बीमारी का इलाज करना चाहते हैं? जो आफेंस उस वक्त नहीं था, आज आप आफेंस बना नहीं सकते उसको। रिट्रोस्पेक्टिवली कोई आफेंस क्रीएट कोई विधान सभा या लोक सभा नहीं कर सकती। यह सैटल्ड प्रिंसिपल है लॉ का और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित है। तो मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि इस गरिमामय सदन के समय का दुरुपयोग आप एक आफेंस क्रीएट करने के लिये करना चाहते हैं? 1250 अतिक्रमण और 3200 अवरोध वगैरह जो भी हुए, आपने कहा कि सन् 1979 से लैण्ड डिस्पोजल रूल्स लागू हो गये। 22 साल हो गये रीको को फंक्शन करते हुए, 22 साल में 8 साल भाजपा की सरकार रही, अभी तीन साल से आप बैठे हैं कुल ग्यारह और उसके दस साल पहले भी आप थे, 1980 से 1990 आप थे आपको भी नहीं दिखा। फिर भाजपा सरकार के लिये भी आपने कहा कि, वे आफेंसेज नहीं दिखे। मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि यदि आप सही मायने में कानून लाना चाहते हैं, आफेंस क्रीएट करना चाहते हैं तो जितने भी रीको इण्डस्ट्रियल एरियाज है— उन सबको लैण्ड रेवेन्यू के तहत इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित करिये। वापस डाइवेस्ट करिये रीको को कि रीको का अधिकार नहीं रहेगा। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत इण्डस्ट्रियल एरियाज के नये रूल्स बनाकर उनको इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित करिये, सब तरह की समस्याएं समाप्त हो जायेंगी। लेकिन आफेंस वह भी रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं बनेगा, इसको धयान में रखें। पर जब आपने उसको डाइवेस्ट कर दिया और वापस लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत राज्य की सम्पत्ति घोषित करके राज्य का औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया तो कम से कम आगे के लिए आप उसका इलाज कर सकेंगे। लेकिन अभी तो रीको के इण्डस्ट्रियल एरिया में आप जो आफेंस बना रहे हैं इस विधान सभा के माध्यम से धारा 4 के अन्दर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पांच हजार मुकदमे आप बना लीजिये, तीन महीने में बना लीजिये, छह महीने में बना लीजिये, उसके डिस्पोजल में समय नहीं लगेगा मजिस्ट्रेटों को क्योंकि रिट्रोस्पेक्टिवली कोई आफेंस कोई मजिस्ट्रेट मानने को तैयार नहीं होगा। वह आपका चालान या जो भी इस्तगासी है वह फौरन खारिज हो जायेगा। कौनसी बुद्धिमानी आप कर रहे हैं? कौनसे लॉ विभाग ने, कौनसे एडवोकेट जनरल ने आपको यह सलाह दे दी है? अभी आपके वरिष्ठ साथी माननीय शिवनाथ सिंह और लाडनूं से आने वाले माननीय बुरड़क साहब का जो प्रस्ताव था कि आप इसको प्रवर समिति को दे दीजिये....

श्री सभापति : उन्होंने वापस ले लिया।

श्री मानिक चन्द सुराना : उन्होंने तो ले लिया होगा पर वह सदन की सम्पत्ति बन चुका था। सदन में वह विद्ड्रा भी हो गया लेकिन एक समय आया था। उसको इन्होंने नहीं माना लेकिन इसका जिक्र किया जा सकता है, माननीय सभापतिजी।

श्री शिवनाथ सिंह : किन कारणों से विद्ड्रा किया है, यह भी जान लें।

अनेक माननीय सदस्य : वह दबाव है।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह तो जग-जाहिर है। वह पार्टी का डिसीप्लिन है और आप जैसे वरिष्ठ साथी ऐसी छोटी-मोटी बात पर कोई वायोलेट नहीं करेंगे, वह सब तो अन्तर्निहित है।

श्री सभापति : मंत्री महोदय आपसे भी कन्विंस होने वाले नहीं हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं चाहता भी नहीं कि कन्विंस हों। हम तो चाहते हैं कि यह बिजली के साथ-साथ राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र का जो भी कबाड़ा करना है और उसमें जो कुछ भी एक मत बनाना है इस राज्य के खिलाफ वह बनायें। वह मत हमको बरबाद करने पर तुला हुआ है, वह मत ये बनाने में माहिर हैं और बिजली के साथ इसका उद्योग का भी सम्पूर्ण रूप से ये इलाज करेंगे। फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि राज्य के औद्योगिक वातावरण को सही रखना है तो एक साल की सजा अतिक्रमण वाले को होगी, पर अतिक्रमण उसने कोई राज्य की जमीन पर किया होगा तो होगी। रीको की भूमि पर अतिक्रमण आज से लागू होगा, आज के बाद जो अतिक्रमण करेगा उस पर यह एक्ट लागू हो जायेगा। आज से पहले जो किया है वह यदि एक साल की परिधि में है तो शायद वह उस क्लच में आ जाये, पर जो सालभर से अधिक है वह क्लच में नहीं आयेगा। फिर भी यह मानकर कि आप जो भी कानून बना रहे हैं वह बिलकुल संवैधानिक होगा, मेरा सुझाव है कि औद्योगिक वातावरण को सही रखने के लिये आप पैनल्टीज पर जोर रखें और सजाओं पर जोर कम रखें। मैं यह जनरल बात कहना चाहता हूं इसलिये मैंने यह संशोधन दिया है कि इसकी अवधि को एक माह से तीन माह तक करें और पैनल्टी या दोनों अधिकार दें कोर्ट को कि चाहे तो वह पैनल्टी भी लगा दे या वह सिर्फ पैनल्टी लगा दें। कोई छोटा-मोटा मामला भी हो सकता है जिसका जिक्र माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी ने किया कि तेज बारिश आ गयी, किसी ने चार गाड़ी मिट्टी अपने घर में डाल ली। उसका और कुछ इंटेंशन नहीं है, उसने अपने बचाव के लिये कर ली। ऐसे मामले भी अवरोध की श्रेणी में आ जायेंगे। इसलिये मामले की प्रकृति को देखते हुये अदालतों को भी अधिकार इस बारे में दे दिया जाये कि वे एक माह से तीन माह या बीस हजार जुर्माना करके इन सारे प्रकरणों पर जो भी हमारा उद्देश्य है उसको पूरा करें, उसका निस्तारण करें।

सभापतिजी, यह एक्ट कम खतरनाक नहीं है। इसमें आप जो नीचे आयेगा, वह धारा 4 के ही उप खण्ड में आयेगा, आप पावर दे रहे हैं रीको के अधिकारियों को कुर्की करने

(श्री मानिक चन्द सुराना)

का तहसीलदार के पावर रीको के अधिकारियों को जा रहे हैं। जो तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है उसको नायब तहसीलदार बनाया जा रहा है और वह सरकारी नौकर भी है या नहीं है, वह भी एक प्रश्न है रीको का सीधा ही कोई कर्मचारी है तो सीधा कर्मचारी है, सीधा अधिकारी है, रिक्रूटमैंट रीको को हुआ है, कभी राज्य की सेवा में रहा नहीं है, डैपुटेशन पर नहीं है तो उसको आप तहसीलदार बना रहे हो, उसको कुर्की की पावर दे रहे हो। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारा बिल जो है यह न तो ठीक से सोचा गया है, न इसके इम्प्लीकेशंस सोचे गये हैं, इसलिये मैं, माननीय मंत्रीजी, इसको असंवैधानिक मानता हूं। पर यह भी मानकर चलता हूं कि हो सकता है मेरी राय गलत हो और यह संवैधानिक हो, यदि संवैधानिक हो तो यह संशोधन स्वीकार करने के लिये मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, धारा-4 के खण्ड-1 में लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य के साथ मेरा भी संशोधन है। मंत्री महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है कि धारा-4 के माध्यम से आप एक तरह का पेंडोरा बाक्स खोलेंगे जिससे न केवल औद्योगिक वातावरण दूषित होगा बल्कि रीको के अधिकारी जिनको आपने आगे परिभाषित नहीं किया कि किस श्रेणी का अधिकारी होगा, किसको सीज करने का अधिकार होगा, किसको कुर्की करने का अधिकार होगा, उनके हाथ में एक हथियार दे दोगे। पांच हजार के लगभग आपने खुद ने बताये कि 3250 अतिक्रमण पुराने और 1650 अनआथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन हैं और ये सारे हैं 1979 के बाद के। आप इस कानून को लागू करेंगें, अभी लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे थे कि यह रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट से लागू हो नहीं सकता और इसके अन्दर अगर अदालत में कोई मामला जायेगा तो अदालत इसको स्वीकार करेगी नहीं। परन्तु आपके अधिकारी क्या करेंगे? ज्योंही यह कानून बना, इन सभी लोगों को एक-एक नोटिस पकड़ा देंगे कि आपको जो भूमि आवंटित की गयी थी, आपने उसमें अतिक्रमण कर लिया, आपने उसमें अनआथोरइज्ड कंस्ट्रक्शन कर लिया। इसके साथ होगा क्या? सभापति महोदय, सैक्शन-4 की धारा 3 के अन्दर तो अतिक्रमण हटाने की शक्ति दे रहे हैं पर धारा 5 और 6 में कुर्की करने और उस जमीन में अगर कोई इस तरह की चीज है जिसको डिस्पोज आपको करना है, उसका भी अधिकार दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में भी अतिक्रमियों को हटाने का प्रावधान है, म्यूनिसिपल एक्ट में भी है पर उसमें बर्डन आफ प्रूफ उस व्यक्ति पर नहीं है। अब इस कानून के आने के बाद, मंत्री महोदय, आपके औद्योगिक क्षेत्र में एकछत्र राज हो जायेगा। इस रीको कम्पनी के अधिकारियों और कर्मचारियों का और उसका परिणाम यह निकलेगा कि लूट-खसौट का वातावरण बन जायेगा, क्योंकि सैक्शन-15 में बर्डन आफ प्रूफ उसी पर है कि मैंने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अतिक्रमण नहीं किया है वह प्रूव करें। उसमें आप सजा रख रहे हो जो एक महीने से कम की न हो, एक वर्ष से ज्यादा की नहीं हो और बीस हजार तक का जुर्माना। इस सजा से आप नये अतिक्रमण को तो रोक सकेंगे पर पुराने अतिक्रमण हैं, जिस तरह मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, दस परसेंट जिसने अपने नक्शे के अन्दर आगे बढ़कर काम किया, अतिक्रमण किया, उसको रैगुलराइज करने की बात है।

अच्छा यह रहेगा कि आप इसके साथ कोई न कोई इस तरह की योजना लेकर आयें कि पुराने जो मामले हैं वे इसके परव्यू में नहीं आयें। अदालत में लिमिटेशन एक्ट के अन्तर्गत मामला आयेगा कि नहीं आयेगा परन्तु निश्चित तौर पर लूट-खसौट और लालफीताशाही का वातारण बनेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप दुबारा सोचे और इसके अन्दर सजा का प्रावधान रखा है उसको कम करने के लिये मेरा जो संशोधन है उसको स्वीकार करें।

श्री सभापति : माननीय श्री सांवरलाल।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, मैंने इसमें दो प्रस्ताव दिये थे, पहले पर मैं बोल नहीं पाया कि जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाये। दूसरा खण्ड-4 के सम्बन्ध में है। सभापति महोदय, यह जनतंत्र है और कानून जनता के हित में बनने चाहिये। ये हित सही तरीके से देखने का काम जनप्रतिनिधियों का है। कानून बनाने वाले हम लोग हैं चाहे विधान सभा में बैठते हैं चाहे लोक सभा में। कोई भी कानून अगर बनता है और वह वहां पर पास होता है उससे पहले अगर हम उसको पढ़ते नहीं, देखते नहीं, आपने भी देखा होगा, आपका यहां बैठने का समय लम्बा रहा है। मैंने यह देखा कि सरकार जो बिल लेकर आती है सरकार की यही कोशिश रहती है कि जो इसमें आ गया उसको पास करना है। सभापति महोदय, आपके सामने अभी हवामहल से आने वाले सदस्य पूछ रहे थे कि यह कानून कब से लागू होगा। पहले से होगा या अभी से होगा या जिस दिन पास होगा तब से होगा तो मंत्री महोदय इधर-उधर देख रहे थे और वहां से स्लिप आ रही थी। कानून वह बना रहे हैं, कानून को बनाने वाले ने समझा नहीं और यहां बैठने वालों ने पढ़ा नहीं ऐसे कानून पास होने लग गये तो इस प्रदेश की जनता का क्या होगा? मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य महोदय से निवेदन चाहता हूं.....

श्री सभापति : अपने संशोधन पर आओ आप।

श्री सांवरलाल : संशोधन पर भी आ रहा हूं। कानून और संशोधन अलग-अलग नहीं है। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, अगर कानून ही ठीक बनता तो संशोधन की जरूरत कहां पड़ती? यह बता दीजिये आप मुझे....(व्यवधान) आज मंत्री महोदय संशोधन लेकर आये हैं कि नाली के अलावा कुछ नहीं बनेगा, बाधा आ जायेगी। बाधा क्या आ जायेगी, यह तो डिफाइन करके बता दीजिये

(श्री सांवरलाल)

मुझे? आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जिसका इंटरप्रिटेशन कोर्ट क्या करेगी, अब यहां पर आप स्पष्ट कुछ कह नहीं सकते, कर नहीं सकते? कल कोई कोर्ट यह कहेगा कि यह बाधा हो गयी, फलाना हो गयी तो आपका रीको का अधिकारी वहां पर क्या व्यवस्था करेगा, उसकी क्या जिम्मेदारी होगी, यह आपने कहीं पर भी नहीं किया। जयपुर में आपने सौ साल के जो मकान हैं उनको तोड़ा-फोड़ा पर किसी भी कर्मचारी-अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की कि ये वन किस कारण से गये।

जब आपके सारे कानून-कायदे हैं तो मेरा इतना निवेदन है कि यह जो सजा का एक महीना और बारह महीना है अब एक महीना और बारह महीने में तो बहुत अन्तर है। इसमें आपने कोई ऐसा निश्चित किया हो कि एक महीने की सजा तो ऐसे जो अवरोध खड़ा करेंगे उनके लिये होगी और बारह महीने की उनके लिये होगी, तब तो कोई बात समझ में आती। अब आपने एक महीने और बारह महीने का डिस्क्रिशन किसी मजिस्ट्रेट को दे दिया और आपके रीको के अधिकारी के खुंदक बैठ गयी, अगर दो ट्राली मिट्टी भी डाल दी तो कह दिया कि इसको तो बारह महीने के लिये टेक दो अन्दर। अब ऐसा कानून बनाने जा रहे हो तो मुझे तो शर्म आती है, किसलिये हम लोग यहां बैठे हैं और आप कैसे बैठे हो? आप कोई लाजिक बतलाइये मुझे कि एक महीने और बारह महीने का यह डिफरेंस रखा किसके लिये है? बीस हजार का जुर्माना कर सकता है, फलाना कर सकता है। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि जो भी कानून बने उसमें कम से कम निर्णय करने वाले के पास डिस्क्रिशन होना चाहिये। हम जनतंत्र में जनता के लिये यहां पर बैठे हुये हैं तो जनता कितना अपराध करती है उसकी कितनी-कितनी सजा होगी, यह निश्चित रूप से कानून में स्पष्ट होना चाहिये। यह इस तरह का कानून आप बना रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विवाद खण्ड-4 पर है।

श्री सांवरलाल : चार की तो बात कर रहा हूं....(व्यवधान) एक महीने की और बारह महीने की इन्होंने बात की है तो मैं ये ही निवेदन करना चाह रहा हूं कि एक महीना किसको करोगे और बारह महीने किसको करोगे आप? कौनसा अवरोध किया जिसको तो आप एक महीने के लिये मजिस्ट्रेट को पावर दे रहे हो कि छोड़ देगा? और किस प्रकार का अवरोध करने पर बारह महीने में छोड़ेगा? मान लीजिये किसी के बनी नहीं रीको के छोटे-से अधिकारी के उन्होंने कहा आज इसको ठीक करना है, उसको टेक दिया और बारह महीने अन्दर करवा दिया। आप लाजिक तो बताइये हमको, मंत्री महोदय, आप किसको बारह महीने रखना चाहते हैं और किसको एक महीना? Why do you like such type of discretion in law?

डा. चन्द्रभान : कोर्ट तय करेगा, रीको वाले आफिसर थोड़े ही तय करेंगे। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : फिर आप काहे के लिये बैठे हो जब कोर्ट तय करेगा? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, जब सारी चीजें कोर्ट में तय करनी हैं तो फिर हमको यहां पर क्यों बैठा रखा है? आपको ही पता नहीं है आप क्या कानून लाने जा रहे हो और इस अमैंडमैंट को आप पास कराने जा रहे हो। मेरा निवेदन है, राजस्थान की जनता के साथ अन्याय मत होने दो। अंग्रेजों ने बहुत कानून बनाये, अगर हम यहां पर अंग्रेजों की तर्ज पर उधर से स्लिप ले-लेकर समझेंगे कि यह लागू होगा और वह होगा... (व्यवधान) सभापति महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि हम जनप्रतिनिधि हैं, लोक कल्याणकारी सरकार है, कोई भी कानून, संशोधन अगर पास हो तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह जनता के लिये बन रहा है। जनप्रतिनिधियों की समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यह जनता के लिये लाभदायक होगा कि नहीं होगा। हम किसी को कोई अधिकार दे रहे हैं उस अधिकार का वह उपयोग किस सीमा से किस प्रकार कर सकेगा। अगर इस तरीके से करना है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। सभापति महोदय, अगर सरकार को कह दिया अधिकारियों ने कि आप तो इसको पास करवाइये, हमको जनता को ठीक करना है तो, माननीय मंत्री महोदय, बिजली विभाग में आपने ठीक कर ही दिया। जब हमने कहा आप कुछ नहीं करोगे, नियामक आयोग बन जायेगा, फैसला वह करेगा, तब आपने कहा था, मैं ऊर्जा मंत्री सब कुछ करूंगा और आज कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, नियामक आयोग करेगा। (व्यवधान) इसी तरीके से इस कानून में भी यही होगा....

श्री सभापति : इसके बाद आ रहा है नियामक आयोग।

श्री सांवरलाल : और हमारा तो सौभाग्य है कि इसी तरीके से कानून बनाते रहे तो फटा-फट निमट जाओगे। यह ठीक नहीं है संशोधन, इसलिये मंत्री महोदय, वापस ले लीजिये इन संशोधनों को।

श्री सभापति : मंत्री महोदय उत्तर देंगे। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : सभापति महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने एक जानकारी चाही, कोई भी कानून बनेगा उसका लागू होने का जहां तक सवाल है वह तो प्रोस्पैक्टिव ही होगा। जहां तक एनक्रोचमैंट का सवाल है यह कन्टीन्युअस प्रोसेस है, इसमें हम कोई यह कहें कि अभी तक जो अतिक्रमण हुये हैं उनको हम हटायेंगे नहीं तो फिर ये जो पांच हजार मसले हैं उनका क्या होगा? यह बात भी मैं यहां रखना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अतिक्रमण कर लिये हैं उनके रैगुलराइजेशन के लिये भी नियम बने हुये हैं। यदि ऐसे कोई मसले नियमों के अन्तर्गत आयेंगे तो उनका नियमितीकरण कर दिया जायेगा और नहीं आयेगा तो उनको हटाया जायेगा।

दूसरा, बार-बार एक बात कही जा रही है प्राइवेट लैण्ड की। मैं भारतीय संविधान

(डा. चन्द्रभान)

के आर्टिकल 12 को उद्घृत करना चाहूंगा जिसमें स्टेट के सम्बन्ध में डिफाइन किया गया है— "The following have been held to be 'states' :— any instrumen-tality or agency of the Government, be it an individual or private body or a company..." तो रीको की जो बात बार-बार कही जा रही है कि यह प्राइवेट लैण्ड है, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, सभी ने माना है और हमको भी समझ लेना चाहिये जो कानून के ज्ञाता लोग हैं, मानिकजी ज्यादा समझ सकते हैं कि इसमें हम जो अधिकार ले रहे हैं, वह भी एक तरह से पब्लिक प्रोपर्टी है। इसको हमें समझना चाहिये। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि रीको स्टेट का ही एक पार्ट है और पब्लिक प्रोपर्टी है, पब्लिक के यूज के लिये है। राज्य के औद्योगिक विकास के लिये है। इससे रोजगार मिलता है और वह कोई व्यक्ति विशेष के लिये नहीं है।

एक यहां आशंका व्यक्त की जा रही है कि रीको के अधिकारियों को ये सब अधिकार मिल जायेंगे तो वे जिसकी सजा चाहेंगे कम करा देंगे, जिसकी चाहेंगे ज्यादा करा देंगे। सजा कम या ज्यादा कराने का अधिकार इनको नहीं है, वह तो मैंने पहले भी निवेदन किया कि प्रोसीक्यूशन के पावर्स में है। जुडीशियल पावर्स इनके पास थोड़े ही हैं, जिस तरह का आफेंस होगा उसमें न्यायालय फैसला करेगा।

श्री सांवरलाल : आफेंस डिफाइन आप करिये।

डा. चन्द्रभान : वह तो कोर्ट में सब लोग जायेंगे अतिक्रमी जो भी प्रभावित होगा उसको भी जाने का अधिकार है। नोटिस दिया जाये, वह अपनी बात रख सकता है।

श्री सांवरलाल : मंत्री महोदय, हमारा निवेदन यह है कि जो आपने...(व्यवधान) अभी कहा कि इसमें एक महीने की सजा होगी, अगर आप यह डिफाइन नहीं करोगे तो फिर कोर्ट को दे दीजिये असीमित अधिकार। फिर मतलब क्या हमारे और आपके बैठने का?

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, इसमें जो कह रहे हैं कि स्पष्ट नहीं हैं, खण्ड चार में उप खण्ड एक में वह सब कुछ स्पष्ट है।

श्री सभापति : नहीं, खण्ड एक में तो...(व्यवधान) खण्ड चार में ही है।

डा. चन्द्रभान : इसमें एक महीने से लेकर बारह तक की सजा का प्रावधान है खण्ड चार में और बीस हजार रुपये तक के जुर्माने का भी है। अतिक्रमण के उसमें और भी सजा के प्रावधान हैं, पांच हजार रुपये तक के जुर्माने का है। फिर भी यदि कोई अनआथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं हटाता है तो सौ रुपये की पर-डे की पैनल्टी भी है। तो यह तो सब स्पष्ट है।

(डा. चन्द्रभान)

मैं इस सम्बन्ध में कोई बहुत ज्यादा मेरी बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन सभी सम्मानित सदस्यों से आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा। यह दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि बाकी छोटे-मोटे जो भी अपराध होते हैं उनमें तो सजा के कड़े प्रावधान हैं लेकिन जो ये आर्थिक अपराध करने वाले लोग हैं इनके लिये सजा के प्रावधान थोड़े सरल हैं। यह भी एक तरह से आर्थिक अपराध ही है, कि कोई व्यक्ति अतिक्रमण करके लाखों रुपयों की सरकारी भूमि कहिये, रीको की कहिये, किसी की भी भूमि कहिये, उस पर कब्जा कर लेता है। उसको एक इण्डस्ट्री के लिये, मान लीजिये, भूमि आबंटन की जाती है किन्हीं शर्तों के साथ और वहां पर कामर्शियल काम्पलैक्स और दुकानें बना लेता है। किसी जमाने में कोई इण्डस्ट्रियल एरिया डवलप हुआ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको जोधपुर का, जहां पुराना पावर हाउस है। उस समय उस भूमि का मूल्य बहुत कम था, आज उस भूमि का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ गया। हर आदमी उसका कामर्शियल यूज करना चाहेगा मुनाफा कमाने के लिये और यह बात भी मैं कहना चाहूंगा, खनिज विकास नियम तो 1969 में बने, 1979 में रीको का मकसद कोई जमीन आबंटित करना या किसी को लोन देना नहीं था, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों का समुचित विकास करने का था। इस कानून को लाने की जरूरत इसलिये भी पड़ी कि पहले तो अतिक्रमण वगैरह कम होते थे लेकिन पिछले सात-आठ साल में इनकी संख्या में निरन्तर और बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसलिये यह जरूरी हो गया। तो सभापति महोदय, मेरा तो यही आग्रह है कि इसमें किसी को अधिकार सम्पन्न बनाने का सवाल नहीं है, हमने तो खुद अधिकारियों के खिलाफ भी सजा की व्यवस्था की है। इसके अन्दर जो अतिक्रमण करवाने में सहयोगी होगा उसके खिलाफ भी सजा होगी।

श्री सभापति : अब आप सीधे कहिये, मंत्री महोदय, इसको आप स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं? मानने के लिये तैयार हैं कि नहीं संशोधन को?

श्री सांवरलाल : संशोधन स्वीकार कर रहे हैं मंत्री महोदय।

डा. चन्द्रभान : संशोधन तो अस्वीकार ही कर रहा हूं।

श्री सभापति : तो ठीक है, खतम हुई बात।

डा. चन्द्रभान : और माननीय सदस्यों से फिर आग्रह कर रहा हूं कि जनहित में इसको पारित करके....(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : मंत्री महोदय के कथन से एक नयी बात आ गयी। माननीय मंत्री महोदय, "It shall come into force on such date as the State Government may, by notification......." आपने कहा कि फ्यूचर डेट से यह लगेगा। अब आप क्लाज-सी को

(श्री शिवनाथ सिंह)

देखिये। आपने अभी कहा, पुराने जो एनक्रोचमैंट्स हैं यदि उन पर यह एक्ट लागू नहीं होता है तो फिर इसका कोई परपज नहीं होता है। मैं इसकी भाषा पढ़ता हूं "Any person who, whether at his own instance or at the instance of any other person commences, undertakes or carries out....." ये जो तीनों शब्द हैं वे डिनोट करते हैं कि इस एक्ट के लागू होने के बाद जो भी इस प्रकर की कार्यवाही होगी वही इस एक्ट के परव्यू में आएगी। इससे पहले जो कुछ हो चुका है वह एक्ट के परव्यू में इन शब्दों के होते हुए नहीं आएंगी, यह मेरा सब्मिशन है। इसलिये आप लॉ डिपार्टमैंट से अपने आफिस से पूछ लीजिये। ये जो शब्द हैं इन शब्दों के बजाय यदि पुराने कामों पर आप लाना चाहते हो तो आपको शब्द दूसरे लिखने पड़ेंगे। वरना यह तो बहुत स्पष्ट है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद जो एक्टिविटी करेगा यह उसी पर लागू होगा। यह मेरा सब्मिशन है।

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, ऐसा नहीं है। मैंने ऐसी बात कही भी नहीं। यह लागू तो तब होगा जब गजट में नोटिफाई होगा। लेकिन मैंने पहले कहा कि अतिक्रमण वगैरह यह कन्टीन्युअस प्रोसेस है, तो यह पहले जो हो रहा है और अभी प्रजेंट में जो हैं उन पर भी होगा। मैंने केवल इतना ही स्पष्ट किया कि नियमों के अन्तर्गत जिनका रैगुलराइजेशन हो सकता है उनका किया जा सकता है यदि कोई कराना चाहेगा तो अन्यथा उन पर तो लागू होगा ही।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री सांवरमल, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किये हैं....

श्री सांवरलाल : सांवरलाल है, सभापति महोदय, सांवरलाल जाट है।

श्री सभापति : जाट नहीं लिखा हुआ, मेरे सामने श्री सांवरमल है।

श्री सांवरलाल : सांवरलाल।

एक माननीय सदस्य : किसने लिखा, उसको सजा दें।

श्री सांवरलाल : मैंने थोड़े ही लिखा, माननीय सभापति महोदय?

श्री सभापति : श्री सांवरलाल जाट, जाट नहीं है लाल....

श्री सांवरलाल : सांवरलाल। सैक्रेटेरिएट नाम तो सही लिखें।

श्री सभापति : सांवरलाल, ओनली सांवरलाल।

श्री सांवरलाल : जाट नहीं है, किसी को पता नहीं है आप लोगों को।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 में जो संशोधन श्री मानिक चन्द सुराना, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री सांवरलाल, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाये? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अभी तो खण्ड 2 में संशोधन है न, खण्ड 2 में...

श्री सभापति : कहां संशोधन है? खण्ड 2 तो पास हो ही गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : कमाल कर रहे हैं आप, देखिये तो सही। खण्ड 4(2) में है, कहां पास हो गया।

श्री सभापति : 4 तो यह पड़ा है..

श्री मानिक चन्द सुराना : विधान सभा की कार्यवाही है, कोई सही तरीके से चलायेंगे या वैसे ही रोड रोलर है जो चला दोगे। ऐसे नहीं चलता रोड रोलर । मैं बैठा हूं, हमारा संशोधन है। ऐसे कैसे आप पास करा लेंगे? आप पढ़ेंगे ही नहीं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विधेयक के खण्ड 4 के उप खण्ड 2 की अन्तिम पंक्ति में प्रयुक्त अभिव्यक्ति या दोनों को ही विलोपित किया जाये, यह हमारा संशोधन है। आप देख लें। 4(2) में यह रहा। विधेयक के खण्ड 4 के उप खण्ड 2 की अन्तिम पंक्ति में प्रयुक्त अभिव्यक्ति या दोनों को विलोपित किया जाये, यह संशोधन है हमारा।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): खण्ड 2 की बात कर रहे हैं, खण्ड 2 तो पास हो गया...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हां-हां और माननीय सभापति महोदय भी हां-हां, +++ हां हां ही करवा रहे हैं। +++ कुछ पूछो तो सही, कुछ समझा भी है? ये कुछ रीको, उद्योगों को समझते भी हैं?

श्री सभापति : माननीय, खण्ड 4.... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सभापति महोदय, इनको कहो सब शेर हैं। कांग्रेस का एक एक विधायक शेर है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : शेर तो यहां है, शेर कहां है?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : बकरियां बैठी हुई हैं उधर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जंगल में कौन गया था?

(16.00 बजे)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : शेर के नाम से कहीं पायजामा न खराब हो जाये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : राजस्थान को डूबा...(व्यवधान) हम तो शेर हैं शेर (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : शेर के से कहीं पायजामा नहीं खराब हो जाये।

श्री रामस्वरूप : हम तो वास्तव में ही शेर हैं। शेर वही होता है जो विधान सभा में जो बात कहे उसमें वजन हो....(व्यवधान) +++ ......(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हां हां कहते हो। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : शेरों के सामने बोले वह गीदड़। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आज गीदड़ भी शेर के सामने बोल रहा है। बोलो ताज्जुब की बात है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : जो आपकी यह दुर्गति हुई है, आकर इतने-से बैठे हुये हो।

श्री मानिक चन्द सुराना : मिल गया न, सभापतिजी, संशोधन आपने देख लिया?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** हां, बोलिये, बोलिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं देखा?

श्री सभापति : संशोधन तो है ही नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना : संशोधन 4(2) है ना, आप पन्ना तो पलटें।

श्री सभापति : खण्ड 4 में आ गया ना संशोधन?

श्री मानिक चन्द सुराना : खण्ड 4 में थे ही, 4(1) पर संशोधन आया है। 4(2) पर अलग है, 4(15) पर अलग है।

श्री सभापति : खण्ड 4 में ही संशोधन है।

श्री मानिक चन्द सुराना : खण्ड 4 में है तो 4(2) पर तो अभी बोला ही नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** सर्कुलेट हुआ है।

श्री मानिक चन्द सुराना : सर्कुलेट हुआ ही है।

श्री सभापति : आपको मौका दिया गया था। तब आपको रोका थोड़े ही था किसी ने कि इस पर नहीं बोलें?

श्री मानिक चन्द सुराना : अलग-अलग हैं।

श्री सभापति : अलग-अलग थोड़े ही लिया जायेगा? खण्ड 4 अलग-अलग थोड़े ही लिया जायेगा खण्ड अ, ब के रूप में?

श्री मानिक चन्द सुराना : संशोधन अलग-अलग है।

श्री सभापति : यह नहीं हो सकता है।

श्री मानिक चन्द सुराना : इसमें कहां आपत्ति है?

श्री सभापति : आप उस समय बोल सकते थे, वह आप नहीं बोलें।

श्री सांवरलाल : सभापति महोदय, उनको बोलने तो दें।

श्री सभापति : वह तो कह दिया ना, अलग-अलग थोड़े ही होगा? वह तो आप पहले बोल सकते थे।

श्री मानिक चन्द सुराना : जब संशोधन ही अलग है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** बोले ना आपको अलाउ कर दिया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं अर्ज कर रहा हूं।

(16.01 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री सांवरलाल : हमको मालूम है सरकार मानेगी नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह माने या ना माने। उपाध्यक्ष महोदय, अब तक की चर्चा से और बहस से और माननीय शिवनाथ सिंहजी ने अभी जो कहा उससे यह बहुत स्पष्ट हो गया और उद्योग मंत्रीजी ने कहा कि यह कानून प्रोस्पैक्टिवली लागू होगा, आगे की तारीख से लागू होगा, जो अतिक्रमण हो चुके हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो पहले बोल चुके।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं बोल चुका हूं। लेकिन मेरा संशोधन है, संशोधन पर ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप संशोधन पर बोल चुके हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : 4(2) पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप संशोधन पर बोल चुके।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, 4(1) पर बोला हूं, 4(2) पर नहीं बोला हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप किस पर बोल रहे हैं?

श्री मानिक चन्द सुराना : क्लाज 4(1) पर बोला है और क्लाज 4(2) पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा 4(2) है? 4(2) कौनसा है? कहां है 4(2)?

श्री मानिक चन्द सुराना : अलग-अलग हैं? आप देखे संशोधन।

श्री उपाध्यक्ष : आप बताये कहां हैं?

श्री मानिक चन्द सुराना : यह मेरे पास है जो सर्कुलेट किया है विधान सभा ने, आप देखे।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड तो एक ही है।

श्री मानिक चन्द सुराना : खण्ड भले ही एक होगा, हमने संशोधन अलग-अलग दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आसन रिजैक्ट कर चुका है फिर आप क्यों बोल रहे हो?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** अलाउ कर दिया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : अलाउ कर दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं किया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : अलाउ कर चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं किया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : अलाउ कर चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं किया है, नहीं किया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : अलाउ कर चुके हैं, मुझे कह कर गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप फिर बोल लेना आगे आपको और मौका मिलेगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं बोलूंगा। मेरा निवेदन है कि....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाये?

श्री मानिक चन्द सुराना : 4 स्वीकार कहां से कर लेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हमने खण्डशः संशोधन दिये हैं....(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : इसे कैसे स्वीकार कर लेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : आप लोग बोल चुके हैं। आप बार-बार कैसे बोल सकते हैं?

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं ऐसे बोलने से थोड़े ही होगा? (व्यवधान) इसमें क्या आपत्ति है आपको, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री हीरासिंह चौहान : सब क्लाज 2 पर बोल रहे हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल चुके हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : खण्ड 4(1) पर बोले हैं। आपके हाथ में जो कागज है उसमें भी.....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको आपत्ति क्या है? कम से कम सुन तो लें, करना तो जो है वह करेंगे ही....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह कागज है.... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अभी सभापति महोदय ने अलाउ किया है कि आप बोल लें।

श्री उपाध्यक्ष : कहां अलाउ किया है?

श्री मानिक चन्द सुराना : आप आये हैं उससे पहले कह कर गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह मना कर रहे हैं कि नहीं किया है। (व्यवधान) क्या बात करते हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, आप सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खण्ड 5 से 18 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 से 18 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 से 18 स्वीकार किये गये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हो गया, जीता, जीता। सुनेंगे ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय। सुनें तो सही।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आसन पैरों पर है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सुनो तो सही कम से कम मानिक चन्दजी को।

श्री उपाध्यक्ष : खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र नाम आदि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड (1), अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड (1) अधिनियमन सूत्र नाम आदि स्वीकार किये गये।

डा. चन्द्रभान, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) विधेयक, 1999 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) विधेयक, 1999 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अब बोलें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बड़ा स्पष्ट किया है कि सन् 1979 से जो मामले पैंडिंग हैं या उसके बाद के भी हैं, इतने पुराने मामलों का भी ये चालान करेंगे और उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मेरा आपको यह निवेदन है कि यह जो प्रक्रिया है हिन्दुस्तान का सी.आर.पी.सी. जो कानून है उसके अन्दर ट्रायल होता है। सी.आर.पी.सी. का एक सैक्शन है 468, इसमें परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्जन इस संहिता में अन्यत्र जैसा उपबन्ध है इसके सिवाय कोई न्यायालय विनिर्दिष्ट किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा काल की समाप्ति के पश्चात् नहीं लेगा। इसमें लिमिटेशन है, नम्बर एक 6 माह के ऐसे अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय हैं। इसमें केवल आर्थिक दण्ड से सजा का प्रोविजन है। और यदि 6 महीने उसके निकल गये तो 6 महीने बाद यह कार्यवाही नहीं हो सकती है। एक वर्ष होगा, तो अपराध एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये कारावास से दण्डनीय है। आपने जो प्रोविजन किये हैं वर्तमान में, महीने से हैं, 6 महीने के हैं या साल भर से हैं। ये अपराध हैं ये जब कोर्ट में जायेंगे तो आउट आफ लिमिटेशन, बार्ड बाई लिमिटेशन होगा तो यह जो आपने कानून बनाया है, इसकी क्रियान्विति कैसे होगी? आप सी.आर.पी.सी. से तो ओवरराइड कर नहीं सकते । इसके जो प्रोविजंस हैं उनको तो ओवरराइड कर नहीं सकते। उसमें लिखा हुआ है कि जो जुर्माने से अपराध दण्डित हैं वे केवल 6 महीने के अन्दर पेश कर सकते हैं और सजा के एक साल तक पेश कर सकते हैं। अब यह पीरियड तो आप खुद ही कह रहे हैं कि बहुत पुराने मामले हैं। इनको आप कैसे दण्डित करायेंगे? मुझे तो आप बता दीजिये। सी.आर.पी.सी. को ओवरराइड करेंगे? कि कोई अलग कानून आ गया है कि यह

(श्री भंवरलाल शर्मा)

चन्द्रभान कानून है यह तो मानना ही पड़ेगा? आप बताएं इसमें, यह कानून की बात है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, हमारे महुवा से पधारे हैं, यह कानून तो साफ है, Do you agree with me or not? वह अलग बात है। उनके पास होगा पर कानून तो यही देगा ना? इसमें स्पष्ट मना है तो आप जो कह रहे हैं कि हम पुराने लोगों को सजा देंगे, वह देंगे, वह कैसे सम्भव हो पायेगा?

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह कहां कहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कानून तो यही लेकर आये हो न आप? पांच हजार कानून बनाने के बाद के हैं क्या?

श्री हरिसिंह (महुवा) : कानून इसलिये लाये हैं कि पहले एक प्रैक्टिस रही है और पुरने समय में बड़ा नुकसान रीको को हुआ है। इसलिये कानून लाये हैं। सजा के लिये कहा गया है क्योंकि एक हैबिट बन गयी है लोगों की।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हरिसिंह जी आप एडवोकेट हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : वह आगे कन्टीन्यूरी उसकी न बने।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कानून इसलिये लाये हैं कि डराकर उद्योगपतियों से अरबों रुपये चुनाव के लिये वसूल कर सके। यह कानून इसलिये लाये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठहरें आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मान्यवर, यह कानून का मसला है। अगर इन मूंछों से अक्ल आ जाये तो मथुरा में चार-चार आने में बिकती हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपके पास मूंछें हैं ना, मूंछों की बेइज्जती क्यों करते हो? (व्यवधान) खुद के पास मूंछें हैं, हरिसिंहजी, अपनी मूंछों की बेइज्जती कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इन जैसे +++ को तो मूंछें रखनी नहीं चाहिये। ये तो मर्दों की पहचान होती हैं। आप तो +++ हैं, आपने मूंछें क्यों रखी हैं?(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आपको कैसे पता लगा?(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : देखी +++ (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मुझे पता है +++ हैं, इस बात का। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको कैसे पता लगा? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इनके घर होकर आया हूं। जानकारी ले ली है इस बात की। इन्क्वायरी करके....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कब टैस्ट किया था? (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : आप +++ हैं.... (व्यवधान) आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है, दस बार बदलते हैं बात को। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको कैसे पता +++ हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने देखा +++ कैसे हैं? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको कैसे पता लगा? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपको कोई मानता तो है नहीं तो +++ ही हो और क्या हो? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ आप हैं। (व्यवधान) +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आजमाकर देखें मर्दानगी....(व्यवधान) बुलाकर मर्दानगी को आजमाकर देखें ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजें, सांवरलालजी, विराजें। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : एम.एल.ए. कोटे से निजी चारदीवारी बना ली, उसका क्या करें? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : बाउण्डरी वाल भी बना ली।

श्री रामस्वरूप : आप मन्दिर की ईंटों को खा गये, उसका बताइये। भगवान के नाम से तो डरते। राम को धोखा देने वालों, इन्सान को क्या बख्शोगे आप? राम मन्दिर के लिये ईंटें उगाईं गांव-गांव से, कहां गईं? आप बताइये, एक भी ईंट आपने आज तक लगाई हो तो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री मदन दिलावर : राम मन्दिर बनाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ वह दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैंने पूरा नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : इनको पूरा कर लेने दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह कोई डिस्कशन का या वाद-विवाद का विषय नहीं है, समझने की बात है। कानून बना रहे हैं आप, इस कानून का पालन कराना चाहते हैं। आपने कहा कि हम ईमानदारी से पालन करवाना चाहते हैं तो जो कानून बना रहे हैं, फ्यूटाइल है वो जो आप दण्डित करना चाहते हैं अपराध के लिये, उसकी सीमा तय है, उस सीमा के बाद उस सीमा के पहले के हैं तो आप

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

न्यायालय में जा ही नहीं सकते। अदालत जायेंगे तो फेल होंगे तो इसका परपज क्या निकलेगा, एक बात? दूसरा, आपने यह तय नहीं किया कि यह कोग्निजेबल है या नोन कोग्निजेबल, इस अपराध की क्या स्थिति रहेगी, कौन तो इसका कोग्निजेंस लेगा, अदालतों में आप जायेंगे कैसे, वह भी किसी को अधिकार नहीं दिया इसमें। कोग्निजेबल है नहीं, नोन कोग्निजेबल है, हमारे यहां सैशन जज स्तर के आदमी....

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** मान्यवर, थोड़ा इंटरप्शन कर दूं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** वैसे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** यह नोन पोलिटिकल इश्यू है, आप करिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** ऐसा है, जिन प्रोविजन्स को कोग्निजेबल बनाना होता है लैजिस्लेचर उसमें स्पष्टतः लिख देता है कि यह कोग्निजेबल है, अदरवाइज जहां नहीं लिखा हुआ है, वह नोन कोग्निजेबल है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** वही पूछता हूं। वह कोग्निजेबल भी नहीं है, How you will go to the Court? आप जायेंगे कैसे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमीन खां जी।

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** आप कोग्निजेबल और नोन कोग्निजेबल का डिफरेंस समझ लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : एक सैकण्ड आप नीचे बैठकर बात करें।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) **:** नीचे बैठकर बात कैसे करें?

श्री उपाध्यक्ष : कुछ तो समझाइये इनको।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** सैक्शन 3 है, उसमें सब सैक्शन 2 में आपने लिख दिया कि अगर कोई अपराध कंटीन्यू करता है, कंटीन्यू करेगा तो उसका एक्शन लेंगे। लेकिन आगे चलेंगे सैक्शन 4, एन्क्रोचमेंट, इसमें आपने कंटीन्यू को आगे नहीं बढ़ाया। उसमें तो क्लाज डाला है आपने सैक्शन 4 में, यहां क्लाज नहीं है तो जो एन्क्रोचमेंट हो जायेंगे पुराने उनको कौन से कानून से आप ठीक करेंगे, इसमें प्रोविजन नहीं है आपके। ऐसी स्थिति में यह कानून बना रहे हो, यह जन विरोधी तो है ही लेकिन इसकी कोई कानूनी सैंक्शन भी नहीं है और यह आपका कानून एक मिनट चलेगा नहीं कोर्ट्स में। मेरे खयाल से आपने इसको देखा नहीं, यह भूल से रह गया है तो इसको प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाइये, इसमें ऐसा तो करिये जो कम से कम हम जाकर कह सकें कि हमने विधान सभा में बैठकर बड़ी समझदारी से कोई कानून पास किया है। अपेरेंटली इस कानून की कोई वैल्यू नहीं है

(श्री भंवरलाल शर्मा)

जिससे आप कोई सजा दिला सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इस पर आप पुनर्विचार करें और कानूनी तरीके से इसको ठीक लाएं। नहीं तो It is all futile. कोई मतलब नहीं कि विधान सभा इसको पास करे। It will slam on the wisdom of all the Members and the Assembly. मैं समझता हूं कि इसको आपको समझना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्दजी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के विभिन्न पक्षों पर इस सदन के द्वारा जो चिन्ता व्यक्त की गई है उसका मूल कारण ही यही है कि इस बिल के पास होने के बाद, राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त होने के बाद और कानून बनने के बाद, एक्ट बनने के बाद पूर्णतः एक साल से अधिक के अतिक्रमण के मामलों में सम्पूर्ण रूप से निष्प्रभावी रहेगा। जहां एक साल की मियाद है एक माह से एक वर्ष, एक वर्ष की अवधि के जो अतिक्रमण हैं वे इसकी क्लच में आ सकते हैं। लेकिन जो पुराने मामले हैं 1979 से लेकर 2000 तक क्रास कर गये, वे इस एक्ट की परिधि में आज की तारीख में कोई दो-पांच-सात दिन हो सकते हैं राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त करने में लगे तो जिस डेट को अनुमति होगी, उससे एक वर्ष से पहले के सारे चालान निष्प्रभावी होंगे।

फिर जैसे कोग्निजेबल, नोन कोग्निजेबल के बारे में माननीय सचेतक महोदय, हां पक्ष ने स्पष्ट किया कि यह नोन कोग्निजेबल होगा क्योंकि इसमें हमने लिखा नहीं कि कोग्निजेबल है। नोन कोग्निजेबल होगा तो रीको को इस्तगासा करना पड़ेगा और इस्तगासे पांच हजार रीको करेगा, पर माननीय मंत्रीजी, मैं आंपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा कि हमारी बहुमूल्य भूमियों पर अतिक्रमण किया गया, आपके रीको ने कोई सिविल सूट किया? दस साल की अवधि में किया? आपके पिछले तीन साल से राज में आने के बाद किया? आप यहां तो हमें कह रहे हैं, सदन में कि अतिक्रमण हो गये करोड़ों रुपयों की जमीन पर, पर आपको चिन्ता कैसी थी? आप प्रभारी मंत्री थे उद्योग के. और रीको ने एक मुकदमा नहीं किया। किये होंगे तो दस-पांच कोई नाम मात्र के पांच हजार अतिक्रमण और अवरोध हो जायें और सिविल सूट न किये जायें, यह आपके और रीको के द्वारा किस तरह से इण्डस्ट्रियल एरिया की रक्षा की गई, इसका क्या प्रमाण है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई माननीय सदस्य नहीं चाहेगा कि रीको के प्लाटों पर अतिक्रमण हो लेकिन राज्य का दायित्व था, आपका दायित्व था कि आप उसमें सिविल एक्शन करते। सिविल एक्शन कहीं मना नहीं है। आपने अभी-अभी खण्ड चार की उप धाराओं में कहा है कि हम धारा 4(1) और 4(2) में जो भी कार्यवाही करेंगे अतिक्रमण और विरोध के लिये, इसके अलावा भी हमारे अधिकारी उस कार्यवाही के साथ कुर्क कर सकेंगे, अन्य कार्यवाही कर सकेंगे अन्य कार्यवाही, कुर्क करने का

(श्री मानिक चन्द सुराना)

अधिकार तो अब मिलेगा, आज तक आपको जो अधिकार थे उसमें आपने क्या किया? इण्डस्ट्रियल एरिया के प्रोटेक्शन के लिये? यदि नहीं किया तो उसके लिये कौन जिम्मेदार है? आपने बड़े-बड़े आई.ए.एस. आफिसर्स लगा रखे हैं रीको में, उनके नीचे भी बहुत उच्च सैलेरीज के अधिकारी हैं, इण्डस्ट्रियल एरिया के डिविजन का कोई प्रभारी होगा आपको यह चिन्ता नहीं है' उनकी सुरक्षा के लिये आज तक कुछ नहीं किया गया। चूंकि हमारे अधिकारीगण और रीको की संस्था फेल हो गई अपनी भूमियों की रक्षा के लिये तो हम क्रिमिनल कानून ले आये, उनके सारे लैप्सेज और ओमीशंस को ढकने के लिये यह एक ला ले आये। जिस दिन 10-20-50 फैसले हो जायेंगे एक साल की अवधि पार के कि कुछ नहीं कर सकते तो यह भी ध्यान रखें कि सिविल सूट की मियाद भी बारह वर्ष से अधिक नहीं है। आप किसी भूमि का पजेशन वापस चाहते हैं तो बारह वर्ष से अधिक हो जायेंगे तो लैप्स हो गये, बारह वर्ष के बाद में सिविल सूट से भी उसको प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है तो कुल मिलाकर जो फंक्शनिंग रीको की है.....

श्री रामनारायण चौधरी : बारह साल से पचास साल करने में कौन रोकता है?

श्री मानिक चन्द सुराना : इनके हाथ में हो तो कर भी दें, पर लिमिटेशन एक्ट इनके हाथ में नहीं है, वहां बारह साल की मियाद रखी हुई है। आप यदि किसी स्वत्व का अधिकार और कब्जा खो देते हैं तो उसकी मियाद बारह साल है। गवर्नमेंट के लिये तीस साल है। रीको गवर्नमेंट नहीं है, माननीय उद्योग मंत्रीजी कितना ही कह लें कि स्टेट है। स्टेट की इण्स्ट्रूमेंट्रूलिटी है। स्टेट की इण्स्ट्रूमेंट्रूलिटी, माननीय उद्योग मंत्रीजी, आर्टिकल 226 की निगाह से यह है कि रीको का कोई अधिकारी यदि इसके साथ कोई आर्बिट्रेरी काम होता है तो वह रीको के खिलाफ जा सकता है। रीको उस हद तक स्टेट इण्स्ट्रूमेंट्रूलिटी है अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये क्योंकि वह स्टेट फण्डेड है। में यदि कोई आपाधापी की जाये किसी अधिकारी के साथ या कर्मचारी के साथ तो हाई कोर्ट में उस 226 आर्टिकल में जा सकता है। इस लिमिटेड एक्सटेंट तक वह स्टेट है, इण्स्ट्रूमेंट्रूलिटी है, लेकिन वह पूर्ण रूप से राज्य नहीं है, स्टेट नहीं है।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह ला बिलकुल मिसकंसीव्ड ला रहे हैं, इससे मूल समस्या का समाधान नहीं होगा। एक वर्ष के जो भी कोई 100-200-250-300 अतिक्रमण हो गये, वे भले ही इसके क्लचेज में आ जाये अन्यथा इसके क्लचेज में कुछ भी आने वाला नहीं है। हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उसका समर्थन करते हुये जो भी केविएट्स हमने आपके सामने प्रस्तुत की हैं वे और रीको की सम्पत्ति की सुरक्षा करने के मामले में आप असमर्थ रहे हैं, टाइमली

(श्री मानिक चन्द सुराना)

एक्शन करने में असमर्थ रहे हैं, इसी कारण से हमने आपको आगाह किया है कि उसकी सुरक्षा के लिये अभी भी कुछ कारगर कदम उठाने के काम कीजिये। वह ला कारगर लाएं, यह ला बिलकुल निष्प्रभावी रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : बाकी रह गया कुछ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आप कानून लेकर आये उद्देश्य और कारण तो आपने पढ़े है उसमें लेकिन कानून के अन्दर कौनसी धारा के अन्दर क्या-क्या है और कानून वास्तव में किस तरह प्रभावी होगा, इसके बारे में शायद आपने पूरी जानकारी नहीं ली। उपाध्यक्ष महोदय, अभी हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने सीआर.पी.सी. के जिस सैक्शन 468 की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है, सीआर.पी.सी. का सैक्शन 468 जो लिमिटेशन के बारे में है कि कौनसा मामला, कौनसा प्रकरण, कौनसा वाद आप न्यायालय में कितनी सजा होने पर उसकी एक्सपायरी के बाद उसको पेश नहीं कर पाये, मैं समझता हूं कि इसके बारे में आप जानकारी ले लेते तो शायद इस तरह का लचर कानून न लेकर आते। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं समझता हूं ऐसे...

डा. चन्द्रभान : उम्मीद यही थी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आशा यही थी कि आप इसी तरह का लचर कानून लेकर आयेंगे, पर इतनी ज्यादा अनभिज्ञता आप में है, आपके नाम के आगे डाक्टर लिखा हुआ है...

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी तरफ देखकर बोलो। माननीय सदस्य, इधर देखो, उनकी तरफ क्या देखते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुझे तो खेद है कि आप इस तरह का कानून लेकर आये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून की परिधि में, उपाध्यक्ष महोदय, लेकर क्या आना चाहते हैं। 1979 यानी 25-30 साल पुराने सारे प्रकरण, वे पांच हजार प्रकरण और इसमें लिखा है इन्होंने "कतिपय आबंटियों को जो पट्टा विलेख की शर्तों पर अतिक्रमण करते हैं", मतलब कतिपय आबंटियों को पट्टा विलेख की शर्त। उस समय जो पट्टा दिया गया था, उपाध्यक्ष महोदय, 1979 में मैं कोई प्लाट लेता हूं, उस समय मेरे पट्टे में अंकित किया है उसमें मैंने एक प्लान सब्मिट किया है कि यहां तो मशीनरी लगाउंगा, इतनी लैण्ड यूज करूंगा, इतना बड़ा कंस्ट्रक्टेट एरिया होगा, यहां मैं कुआं बनाउंगा। जो मैंने प्लान सब्मिट किया है पट्टा विलेख के अनुसार, उसमें आज की तारीख में अगर मैं कोई तरमीम करता हूं तो मैं अतिक्रमी हो गया और अतिक्रमी होते ही आपने मुझे सैक्शन 4 के अन्दर सजा कर प्रावधान किया है। सैक्शन 15 में बर्डन आफ प्रूफ भी मेरे पर डाल दिया, तो यह एक लूट-खसोट का ऐसा हथियार दे देंगे जिसके लिये लोग कहेंगे,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपके होते ऐसा कानून बना? रीको के पहले के क्षेत्र जितने भी हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है, आपने खुद ने कहा कि जितने हमारे क्षेत्र हैं उनमें 32 हजार आपके पास प्लाट हैं और 16 हजार इकाई स्थापित हैं। हालत तो यह है, उपाध्यक्ष महोदय। जब से यह सरकार आयी है, बिजली के दाम मीडियम इण्डस्ट्रीज के बढ़ा दिये, सारे के सारे....

श्री उपाध्यक्ष : बिजली का आ रहा है, 10 मिनट बाद में आ जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सारे के सारे लोगों ने अपने ताले बन्द करके चाबी आपको सौंपी है। आपकी एकल खिड़की योजना फेल हो गयी, कोई इंवैस्टमेंट आपका है नहीं और इसी का दुष्परिणाम पड़ा कि आज अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मंत्री महोदय, औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर विकास की दृष्टि से आपने शून्यता पर लाकर राजस्थान को खड़ा कर दिया, अब इस कानून को लाकर आप क्या करना चाहते हैं? रीको के क्षेत्र में जो थोड़े-बहुत लोगों ने, पहली बात तो सारे के सारे बन्द पड़े हैं, सूने पड़े हैं, आपने पट्टा विलेख की शर्त का उल्लेख तो कर दिया, लेकिन आपने जब जमीन को आबंटित किया उस समय जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कही थी उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने की शर्त रखी थी कि हम इन-इन शर्तों पर आपको जमीन और प्लाट देते हैं, इतना रुपया लेंगे, यह इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी तरफ आपने कहीं ध्यान नहीं दिया। इसलिये कृपया सोचें। आप कानून के जानकार तो नहीं हैं, लेकिन आपके पास बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हैं, इसमें आप जिद मत करें। इस कानून को आज तो आप विथड्रा कर लें, बाद में इसको दुरुस्त करें, दुरुस्त करके आप लेकर आएं। इस कानून का कोई अर्थ नहीं है। लूला-लंगड़ा कानून क्यों लेकर आते हो? क्यों नौकरशाहों के हाथ के अन्दर ऐसा लूट-खसोट का हथियार देते हो? मैं समझता हूं आप इस पर विचार करेंगे और इसको विथड्रा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी बोल लो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर ऐसे गम्भीर विषय पर आ रहा हूं जो अब तक किसी चर्चा में नहीं आया है। अच्छा होता इस बिल में रीको के कर्मचारियों और श्रमिकों के जो औद्योगिक क्षेत्रों में काम करते हैं, वैलफेयर के लिये कुछ प्रावधान होता। उनके लिये अब तक कोई कालोनी या रहने के लिये कोई जगह नहीं बसाई गई है। असल में यह श्रमिक विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी है। उद्योगपतियों को जो उजाड़ा जायेगा या नहीं उजाड़ा जायेगा, धारा 498 का हवाला माननीय भंवरलालजी शर्मा ने दिया है, 1979 के बाद के लोगों को आप हटा नहीं पायेंगे, एक साल का पीरियड ज्यादा से ज्यादा है। लेकिन जो मजदूर वहां

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

कच्ची झोपड़ी बनाकर बैठा हुआ है उनको उजाड़ने का काम जरूर होगा। उनका घोंसला, उनका घर उजाड़ने का काम माननीय चन्द्रभानजी करना चाहते हैं इस बिल को लाकर।

मेरा निवेदन है कि जो अधिकारी आपके रीको में बैठे हुये हैं अलवर में मैंने दो बार तारांकित, अतारांकित क्वेश्चन भी लगाये हैं, वहां करोड़ों रुपये से ऐसी जगह सड़कें बनायी हैं जहां कोई प्लाट लेने वाला नहीं है। वहां करोड़ों रुपयें ऐसी जगह लगायें हैं जहां केमिकल जोन में कोई प्लाट लेने वाला नहीं है। अब उनकी बजाय अतिक्रमण की बात करके आप उस बात को डाइवर्ट करना चाहते हैं। असल में उसकी जांच होनी चाहिये। यह वैलफेयर स्टेट है, गरीब का, मजदूर का, श्रमिक का हित तो आप कर नहीं पा रहे हैं, उनको तो आप उजाड़ेंगे लेकिन इन उद्योगपतियों को डराकर, मैंने जैसा बताया कि इसमें कुछ निहित स्वार्थ है सत्तारूढ़ पार्टी का, वो निहित स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं और उनसे कुछ वसूली करना चाहते हैं। किस रूप में करना चाहते हैं, यह मेरा सीधा आरोप है।

मेरा निवेदन है कि इस बिल में कुछ संशोधन ऐसे करें कि रीको के कर्मचारी या जो श्रमिक हैं, रीको के 275 या 276 जो औद्योगिक क्षेत्र में गिनाये गये हैं इनमें उनके लिये कालोनी, हास्पिटल या उनके वैलफेयर के लिये कुछ काम हो जो अभी तक किसी रीको इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं है, चाहे वे अलवर के हो, भिवाड़ी के हो, चाहे उदयपुर के हो, सुकेर के हों, चित्तौड़गढ़ के या कहीं के भी हो। पूरे राजस्थान में श्रमिक और कर्मचारियों के हित के लिये इस बिल में कुछ ऐसा लाया जाए। जो अतिक्रमण हटाये जायेंगे उनमें श्रमिकों के हित में यह लाभ दिया जायेगा, यह मेरा आप लोगों से निवेदन है। इस पवित्र सदन में यह संशोधन मेरी ओर से है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संशोधन है इसके द्वारा श्रमिकों का लाभ किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, एक तो बार-बार यह कहा जा रहा है कि इसको लागू करने में दिक्कत आयेगी। यह कानून पूरी तरह से सक्षम है और इसको लागू करने में कोई दिक्कत नहीं आयेगी। मैंने कई बार निवेदन भी किया, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, यह कानून सीआर.पी.सी. के शिड्यूल-दो से गवर्न होगा और यह नोन कोग्निजेबल कानून है। रीको इसकी अपील करेगा, शिकायत करेगा और कोर्ट उसमें सजा देगा। जहां तक एनक्रोचमेंट का सवाल है यह कोई वन टाइम आफेंस नहीं है। यह मैंने कई बार कहा है, यह कंटीन्युअस आफेंस है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कट आफ डेट तय कर दो।

डा. चन्द्रभान : इसलिये आप यह जो लिमिटेशन की बार-बार बात कह रहे हैं....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कट आफ डेट है ही नहीं, फिर और क्या करेंगे?

डा. चन्द्रभान : यह इस पर लागू नहीं होगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्यों, कैसे नहीं होगा?

डा. चन्द्रभान : नहीं होगी। इसी के साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा, हमारा इसके पीछे जो मकसद है वह यह है कि एनक्रोचमेंट हो या अनआथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो या किसी और तरह का आब्सट्रक्शन हो, इन सबको प्रीवेंट करना है। यह प्रिवेंशन के लिये है। पहले वाले जितने लोग हैं, मैंने 1979 का तो एक नाम लिया था, क्योंकि 1979 में रीको बना, उसके बाद में हुए हैं आफेंस। कभी किसी साल के कम हुए, किसी में ज्यादा हुए । मैंने बाद में यह भी कहा कि पिछले 6-7 साल में यह संख्या ज्यादा बढ़ी है। अब उनमें से किसको हम सजा दिला पायेंगे या नहीं दिला पायेंगे, यह तो कोर्ट के ऊपर निर्भर करेगा, लेकिन आगे से कम से कम अतिक्रमण रुकेंगे, इसको तो आप मानते हो। आगे से कोई अनआथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, जो कि मैं कहना चाहूंगा, रीको के लिये बड़ी समस्या बन गयी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, फिर यह कह दो कि प्रोस्पैक्टिव रूप से लागू होगा या रिट्रोस्पैक्टिव लागू नहीं होगा। यह कह दो।

डा. चन्द्रभान : वह मैंने पहले ही कहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं कह दो, बात स्पष्ट हो जाये।

डा. चन्द्रभान : आपको मैंने पहले ही कह दिया, जब गजट में नोटिफाई होगा लागू तब ही होगा। मैंने पहले कह दिया। अब आप कहें कि आज तक जो अतिक्रमण हुए हैं उन पर यह लागू ही नहीं होगा, तो उन पर भी लागू होगा। यह भी मैंने साथ में कहा है कि नियमों के अन्तर्गत जिनका नियमितीकरण हो सकता है वे किये जायेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को बेवजह बेदखल किया जायेगा और जो नियमों के अन्तर्गत नहीं हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात यह कही कि अभी तक क्या किया, कि रीको की लाखों-करोड़ों की जो सम्पत्ति थी उसको आपने लूट-खसोट करने दिया। मैं कह रहा हूं कि पहले व्यवस्था कमजोर थी, हमारे पास कानूनी अधिकार नहीं थे। इसीलिये तो यह दिक्कत खड़ी हुई। इसीलिये तो इस विधेयक को लेकर आये हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रीको ने कुछ भी नहीं किया। रीको ने राजस्थान पब्लिक प्रिमिसेज (इविक्शन आफ अनआथोराइज्ड आकूपेंसी) एक्ट, 1964 के तहत एक हजार से भी अधिक मुकदमे किये और उसमें बहुत लम्बी प्रक्रिया है, आप जानते हैं। उसमें एक और दिक्कत है कि एक बार किसी को हटा दिया, एक बार हटा भी दिया, उसने दुबारा

(डा. चन्द्रभान)

भी कब्जा कर दिया, उसके लिये फिर उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। तो लचीला कानून या लचर की बात जो कह रहे हैं वह पहले था। अब यह सक्षम है। मैं तो यह कहना चाहूंगा, सरकार का जो मकसद है इस विधेयक को लाने के पीछे या जो उद्देश्य है वह यही है कि रीको की जमीन जो एक तरह से राज्य की जमीन है और जनता के हितों के लिये है, उसका औद्योगिक विकास के लिये उपयोग होना चाहिये। उसमें किसी तरह का अतिक्रमण या दुरुपयोग नहीं होना चाहिये। यह अतिक्रमियों को रोकने के लिये है। इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है। मैं तो यह मानकर चलता हूं कि इसमें किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। आप लोग भी अतिक्रमण को रोकने के पक्षधर हैं, यदि किसी को मान लीजिये कोई कंस्ट्रक्शन अपना करना है तो नियमों में प्रावधान है, वह रीको से परमीशन ले और उसके बाद में करे। उसके लिये कोई मनाही थोड़े ही है आगे के लिये? यह केवल मैं रीको की बात नहीं करता, यह पूरे राजस्थान में नियोजित औद्योगिक विकास के हित में है, इसलिये आपसे मेरा इतना ही आग्रह है कि जनहित में इसको आप पास करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** एक क्लेरीफिकेशन और करें आप। आपका सैक्शन 3 है, उसमें है— Penalty for unauthorised development or for use otherwise than in conformity with the plans. प्लान के खिलाफ यदि किसी ने कोई काम कर लिया उसकी आप कार्यवाही करेंगे। इसमें आब्स्ट्रक्शन नहीं आता है, एनक्रोचमेंट नहीं आता है। प्लान के खिलाफ जो काम किया है उसमें सजा का प्रावधान आपने दफा तीन में किया है। सैक्शन 4 है आपका— Encroachment or obstruction upon the land. यह जो सैक्शन 4 है, जिसको आप कहते हो कंटीन्यू आफेंस है यह कहां लिखा है? इसको कंटीन्यू आफेंस कहां बनाया आपने? सैक्शन 3 को तो बना दिया आपने, जो प्लान के खिलाफ है उसको तो बना दिया लेकिन सैक्शन 4 को कंटीन्यू आफेंस आप जो बार-बार कह रहे हो वह लाइन पढ़ दें आप, क्लीयर हो जायेगा। इससे हम मान लेंगे कि कंटीन्यू आफेंस है।

डा. चन्द्रभान : यह तो आप मान लीजिये कि किसी ने अतिक्रमण कर लिया तो वह तो कंटीन्युअस चल ही रहा है। वह कोई हट गया क्या? वह आफेंस तो डेली कर रहा है। वह आफेंस तो उसका कंटीन्युअस है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** मैं यही निवेदन करता हूं, सैक्शन 3 पढ़िये आप, सैक्शन 3 सब क्लाज (2) Any person who continues to use, तो या तो आपने कंटीन्यू कर दिया उसको, सैक्शन 3 में तो कर दिया।

डा. चन्द्रभान : पार्ट टू में।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कर दिया यहां तो पर यह किसके लिये है? It is only for penalty for unauthorised development or for use otherwise than in conformity with the plans. केवल उसके लिये किया आपने यह।

डा. चन्द्रभान : किनके लिये?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सैक्शन 3 के लिये जो प्लान के विरुद्ध काम कर लिया उसके लिये है यह। सैक्शन 4 इंडिपेंडेंट सैक्शन है, उसमें यह क्लाज कहीं नहीं है कि यह आफेंस कंटीन्यू माना जायेगा और यह कंटीन्यू नहीं माना जायेगा। तो जो पुराने अपराध हैं, एक साल से ज्यादा के हो गये या जब तक आप कोर्ट में जायेंगे तो एक साल निकल जायेगा, तो जैसा मैंने पढ़ा है 468 सीआर.पी.सी. का, वह मियाद के बाहर हो जायेगा। तो इसका परपज क्या निकलने वाला है? यह कंटीन्युअस नहीं है। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है, इसको कोई प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाइये, बातचीत करके कल फिर से ले आइये। इसको अमैंड कर लीजिये थोड़ा। सैक्शन 4 में बता दीजिये How it is a continuing offence?

डा. चन्द्रभान : अब इसमें आपने खुदने ही पढ़ दिया और यह स्पष्ट ही है इसमें क्या अस्पष्टता है, मुझे वह बताइये? आप कह रहे हैं कि प्लान के विरुद्ध में, तो जो अनआथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन होगा, वह प्लान के विरुद्ध ही होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह एन्क्रोचमेंट है। आप भी शायद क्लीयर नहीं हो रहे हो। यह है एनक्रोचमेंट और आब्स्ट्रक्शन। प्लान से मतलब ही नहीं था, प्लान के खिलाफ अलग विषय है। लेकिन किसी ने रीको की जमीन पर एन्क्रोचमेंट कर लिया, आब्स्ट्रक्शन खड़ा कर दिया उसका प्लान से क्या मतलब है? तो आपने इंडिपेंडेंट सैक्शन बनाया है इसके लिये उसमें कंटीन्युअस आफेंस नहीं है। How will you implement it.

श्री मानिक चन्द सुराना : कंटीन्युइंग आफेंस हो ही नहीं सकता। आफेंस आप क्रिएट करेंगे, कंटीन्युइंग कहां से होगा? आज आफेंस क्रिएट करेंगे, कर रहे हैं तो आफेंस कंटीन्युइंग बनेगा कैसे?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जैसे तीन में लिख दिया, वह बात अलग है।

श्री मानिक चन्द सुराना : तीन में लिख दिया वह बिलकुल डिफरेंट है।

डा. चन्द्रभान : ऐसा है, यह 3 में भी लिखा है और इसकी सैक्शन 4 में कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट्स ने भी कई निर्णय लिये हैं और उन निर्णयों में एन्क्रोचमेंट को कंटीन्युअस आफेंस माना है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : Then we feel pitty upon your suggestions.

डा. चन्द्रभान : कोर्ट्स के कई निर्णय हैं। आप तो वकील हैं, लीडिंग एडवोकेट हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** इसीलिये कहा रहा हूं।

डा. चन्द्रभान : और उन निर्णयों में एन्क्रोचमेंट को हमेशा कंटीन्युअस आफेंस माना है और उसमें कोई लिमिटेशन है नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** खैर, मैं समझता हूं, आपको मैं चुनौती तो नहीं देता लेकिन एक केस में भी इन मामलों में जो साल भर से ज्यादा हो गया। सजा दिलवा देना देखें आप। एक केस में भी। आप समझते क्यों नहीं इस बात को? जब कुछ करने का इरादा है तो इसको मजबूत बनाइये, लीगल बनाइये इसको।

श्री रामनारायण चौधरी : चलो कराइये पास।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** आप यही चाहते हो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) विधेयक, 1999 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) विधेयक, 1999 पारित किया गया।

माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, आपका स्टेटमेंट।

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) **:** उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर मैं मेरा वक्तव्य देना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माह दिसम्बर, 1998 में जब हमारी सरकार ने कार्यभार सम्भाला उस समय राज्य गम्भीर विद्युत संकट के दौर से गुजर रहा था। विद्युत की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति हेतु सरकार ने राज्य में नये विद्युत गृहों की स्थापना करने के कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। साथ ही विद्युत छीजत में कमी एवं विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रसारण एवं उप प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार का वृहत् कार्यक्रम हाथ में लिया। इन प्रयासों के फलस्वरूप विद्युत की मांग एवं आपूर्ति में अन्तर में अब कमी आ रही है। इसके साथ ही विद्युत तंत्र में सुधार से विद्युत की उपलब्धता व गुणवत्ता दोनों में सुधार हो रहा है। विद्युत के उत्पादन में वृद्धि करना एक कठिन कार्य है क्योंकि विद्युत परियोजना के लिये बड़ी धनराशि की आवश्यकता होती है तथा उसके पूर्ण होने में भी काफी समय लगता है। हमारी सरकार ने विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिये निजी क्षेत्र पर पूर्णतया निर्भर न रह कर राजकीय क्षेत्र में नये विद्युत गृह लगाने का निर्णय लिया जिसके अन्तर्गत मई, 1999 में ही 2057 करोड़ रुपये की लागत

(डा. चन्द्रभान)

से सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना (द्वितीय चरण) को शुरू करने का निर्णय लिया गया और उस पर कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया। इस विद्युत गृह की प्रथम चरण की द्वितीय इकाई का कार्य निर्धारित समय से 6 महीने पहले ही सम्पन्न करवाया गया और इसमें मार्च, 2000 से विद्युत का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया, जो इकाई पूरी क्षमता के साथ में आज विद्युत उत्पादन कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी विद्युत गृह के द्वितीय चरण में तीसरी इकाई 250 मेगावाट में भी निर्धारित समयावधि से 5 मांह पूर्व अक्टूबर, 2001 में उत्पादन प्रारम्भ हो गया है तथा चौथी इकाई 250 मेगावाट के भी अगले वर्ष मार्च, 2002 तक निर्धारित समयावधि से 6 माह पहले चालू होने की पूरी सम्भावना है। राज्य में विद्युत की कमी तथा आने वाले वर्षों में विद्युत की बढ़ती हुई मांग के मद्देनजर राज्य की वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद फरवरी, 2001 में 753 करोड़ रुपये की लागत से एस.टी.पी.एस. के तृतीय चरण में पांचवीं इकाई 250 मेगावाट के निर्माण का काम भी प्रारम्भ कर दिया गया है। चतुर्थ इकाई चालू होते ही सूरतगढ़ विद्युत गृह इसी वित्तीय वर्ष में राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनने का गौरव प्राप्त कर लेगा।

कोटा तापीय विद्युत गृह की छठी इकाई 195 मेगावाट की परियोजना जो कि पर्यावरण मंत्रालय में वर्ष 1995-96 से लम्बित पड़ी थी, की भी स्वीकृति प्राप्त की गई और इस इकाई का 24 जुलाई, 2001 से काम चालू कर दिया गया। इस इकाई को 25 माह के रिकार्ड समय में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान होगा। रामगढ़ गैस तापीय परियोजना की उत्पादन क्षमता और 76 मेगावाट बढ़ाने के लिये मई, 2001 में कार्य शुरू कर दिया गया है जिसे दिसम्बर, 2002 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है। राज्य में अब गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों यथा पवन एवं सौर ऊर्जा का दोहन कर विद्युत उत्पादन के लिये परियोजनाएं बनाई गई हैं जिनके अन्तर्गत पांच पवन ऊर्जा पर आधारित परियोजनाओं में 15 मेगावाट की उत्पादन क्षमता स्थापित कर ली गई है और उनमें से एक निजी क्षेत्र की भी परियोजना है। 30 मेगावाट विद्युत क्षमता की पवन ऊर्जा आधारित परियोजना पर कार्य चल रहा है तथा वर्ष 2003 तक 100 मेगावाट क्षमता के विद्युत गृहों के निर्माण...(व्यवधान)

चिपका दिया है इसको। चिपक गया, बिजली से नहीं चिपका है लेकिन, बिजली से नहीं। (व्यवधान)

.....प्रस्तावित है। नवनिर्मित विधान सभा एवं सचिवालय भवन पर 25-25 किलोवाट के सोलर फोटो वोल्टेक ग्रिड इंटर एक्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित कर विद्युत उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा मिश्रित चक्रीय 140

(डा. चन्द्रभान)

मेगावाट क्षमता की मथानिया परियोजना पर अगले वर्ष कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। यह परियोजना देश में अपने तरह की पहली होगी।

इस तरह हमारी सरकार के पांच वर्ष के कार्यकाल में राज्य में विद्युत उत्पादन की क्षमता में 1750 मेगावाट की वृद्धि होगी जो कि पिछले 50 वर्षों की राज्य में कुल अधिष्ठापित क्षमता का 50 प्रतिशत से भी ज्यादा होगा। इंस्टाल्ड कैपेसिटी जब हमारी सरकार बनी तो 3350 मेगावाट थी और हमारी सरकार के कार्यकाल में यह 5000 मेगावाट से ज्यादा हो जायेगी। हमारी सरकार के गत तीन वर्षों के कार्यकाल में जो कि बिजली की दृष्टि से कोई लम्बा कार्यकाल नहीं होता, राज्य की विद्युत की उत्पादन क्षमता में लगभग 900 मेगावाट की वृद्धि हुई है, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है। इतने बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के उपरान्त विद्युत आपूर्ति की समस्या का दीर्घकालीन समाधान हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने और 56 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति हेतु प्रदेश में विद्युत प्रसारण, उप प्रसारण एवं वितरण लाइनों का एक विशाल तंत्र है। प्रदेश में स्थापित छोटी-बड़ी लाइनों की कुल लम्बाई लगभग चार लाख किलोमीटर है जो पृथ्वी के नौ चक्करों के बराबर है। इतने विशाल तंत्र का सुधार एवं रखरखाव अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। विद्युत आपूर्ति एवं उसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने की भी आवश्यकता रहती है। हमारी सरकार ने विद्युत तंत्र में व्यापक सुधार का कार्यक्रम भी हाथ में लिया है। प्रयास यह है कि विद्युत की उपलब्धता में बढ़ोतरी के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता में सुधार हो और छीज़त में कमी आये। जहां प्रदेश में अभी तक 400 के.वी. का एक ही ग्रिड सब स्टेशन था, उनकी संख्या वर्ष 2001 में एक से बढ़कर तीन हो जायेगी तथा वर्ष 2003 में पांच हो जायेगी। इनमें से सूरतगढ़ 400 के.वी., जी.एस.एस. अक्टूबर माह में पूर्ण करके उसको चालू कर दिया गया है और चूरू जिले में रतनगढ़ में 400 के.वी., जी.एस.एस. को भी इसी महीने में चालू कर दिया जायेगा। इसी प्रकार 220 के.वी., जी.एस.एस. की संख्या को वर्ष 1999-2003 के दौरान 35 से बढ़ाकर 53, 132 के. वी., जी.एस.एस. की संख्या 164 से बढ़ाकर 244 तथा 33 के. वी., जी.एस.एस. की संख्या 1372 से बढ़ाकर 2054 हो जाये, इस हेतु हम प्रयासरत हैं। उपरोक्त तंत्र का जो स्वरूप 50 वर्षों की अवधि में, उपाध्यक्ष महोदय, उभरा है, वह पांच वर्ष की अवधि में ही लगभग डेढ़ गुना हो जायेगा।

वर्ष 2000-2001 में टी. एण्ड डी. लोसेज जो हर राज्य की बड़ी समस्या है, उसमें पहली बार दो प्रतिशत की कमी आई है और इसे मार्च, 2002 तक 5.4 प्रतिशत

(डा. चन्द्रभान)

करने का लक्ष्य है। हमारी सरकार ने गत तीन वर्षों में विभिन्न श्रेणियों के सवा छह लाख नये विद्युत कनेक्शन दिये हैं जिनमें 68,000 कृषि कनेक्शन भी शामिल हैं। बड़े शहरों की भांति अब 5000 से ज्यादा की आबादी वाले गांवों में भी घरेलू कार्य हेतु 24 घंटे विद्युत आपूर्ति का महत्त्वपूर्ण निर्णय माह जून, 2001 में लिया गया। इससे राज्य के लगभग 460 गांवों में घरेलू उपभोक्ता सीधे लाभान्वित होंगे। इनमें से 230 गांवों में उक्त व्यवस्था लागू की जा चुकी है, 230 गांवों में।

प्रदेश भर में गत छह महीनों में विद्युत चोरी रोकने के लिये सघन प्रयास किया जा रहा है जिसके तहत कुल 56,000 मामलों की जांच की गई और 38,804 विद्युत चोरी के मामले पकड़े गये और इन लोगों से करीब 15 करोड़ रुपये की वसूली की गई। 1750 लोगों के विरुद्ध चोरी के मामले दर्ज कराये गये। ये प्रयास आगे भी जारी रहेंगे।

बिजली की बकाया धनराशि को जमा कराने के लिये प्रदेश भर में उपभोक्ताओं के लिये विशेष छूट योजना के तहत 1,61,729 उपभोक्ताओं द्वारा 53 करोड़ 25 लाख रुपये की राशि जमा करवाई गई जबकि गत वर्ष इसी तरह की योजना के अन्तर्गत केवल दो करोड़ की बकाया राशि ही वसूल हो सकी थी।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में विद्युत आपूर्ति में भी निरन्तर सुधार हो रहा है। माह दिसम्बर, 2001 में औसतन 662 लाख यूनिट एवं माह अक्टूबर, 2001 में 672 लाख यूनिट की दैनिक आपूर्ति की गई जो कि गत वर्ष में इसी अवधि की तुलना में 30 से 40 लाख यूनिट की प्रतिदिन अधिक है। रबी की फसल की बुआई को देखते हुए नवम्बर के महीने से विद्युत की उपलब्धता में और बढ़ोतरी की जा रही है। इसके लिये दिल्ली विद्युत मण्डल से 25 लाख यूनिट प्रतिदिन की अतिरिक्त आपूर्ति हेतु एक समझौता कर लिया गया है और वह विद्युत मिलना प्रारम्भ हो गई है। नवम्बर के माह में एवरेज 710-715 लाख यूनिट बिजली की प्रतिदिन सप्लाई की जा रही है।

राजस्थान अणु विद्युत गृह की तीसरी एवं चौथी इकाई से विद्युत क्रय हेतु गत वर्ष अनुबंध किया गया था परन्तु इकाई में खराबी आने के कारण विगत वर्ष समुचित मात्रा में इनसे विद्युत की उपलब्धि नहीं हो सकी। इस वर्ष इस इकाई से लगभग 60 लाख यूनिट दैनिक उपलब्ध हो सकेगी। सूरतगढ़ विद्युत गृह की तीसरी इकाई के चालू होने से भी अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति उपलब्धि होगी।

कृषि कार्य हेतु अधिक से अधिक विद्युत उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जहां एक तरफ उपलब्धता

(डा. चन्द्रभान)

बढ़ाने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है, वहीं जरूरत पड़ने पर शहरी क्षेत्रों से भी विद्युत की कटौती की जायेगी और वह विद्युत कृषि कार्यों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि इस साल बरसात अपेक्षाकृत ठीक रही परन्तु दुर्भाग्य से पन विद्युत गृहों के जलाशयों में पानी के स्तर में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप इस वर्ष पन विद्युत का उत्पादन लगभग 350 करोड़ यूनिट रहने की संभावना है जो कि औसत वर्षों के उत्पादन से लगभग 20 प्रतिशत कम है। पन विद्युत की उत्पादन लागत लगभग न के बराबर होती है इसलिये पन विद्युत के उत्पादन में कमी की भरपाई करने हेतु राज्य को महंगी विद्युत क्रय करनी होगी। साथ ही पीक लोड के समय में विद्युत आपूर्ति में कठिनाई का सामना भी करना पड़ेगा। शाम को पीक लोड के समय ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू विद्युत की आपूर्ति सिंगल फेस के द्वारा की जा रही है लेकिन कुछ क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ताओं द्वारा फेस स्पैक्टिंग डिवाइस लगाकर कृषि कुएं चालू कर लिये जाते हैं। इससे लोड में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है और विद्युत व्यवस्था बिगड़ जाती है, जिससे उन क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं को खासी परेशानी हुई है। मैंने विद्युत कम्पनियों को इस समस्या से कड़ाई से निबटने के निर्देश दिये हैं। रबी की फसल के दौरान उपलब्ध विद्युत की आपूर्ति सुचारू रूप से किये जाने हेतु उप खण्ड अधिकारियों की अध्यक्षता में समितियां गठित की गई हैं जिसमें जन प्रतिनिधियों तथा सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य के विकास में विद्युत की एक अहम भूमिका है। विद्युत सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को समुचित मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध करना है। विद्युत सुधार का कार्य काफी चुनौतीपूर्ण व कठिनाइयों से भरा है। इस चुनौती का हमें मिलजुल कर मुकाबला करना होगा अन्यथा हम विकास की दौड़ में पिछड़ जायेंगे। मैं राज्य के सभी राजनीतिक दलों व जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे विद्युत सुधार के कठिन लेकिन अति आवश्यक कार्य में मतभेदों को भुलाकर अपना पूर्ण सहयोग दें। यहां मैं ऊर्जा के सम्बन्ध में 3 मार्च, 2001 को दिल्ली में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान माननीय प्रधानमंत्रीजी द्वारा दिये गये भाषण के कुछ अंश आपके ध्यान में लाना चाहूंगा जो आपसी सहयोग और सहमति की आवश्यकता को प्रतिपादित करते हैं, जो इस प्रकार है:, "यदि हम देश में विद्युत की स्थिति में सुधार चाहते हैं तो इसका एकमात्र विकल्प यह है कि केन्द्र व राज्य सरकारों को विद्युत क्षेत्र सुधारों हेतु आपसी

(डा. चन्द्रभान)

वचनबद्धता निभानी होगी। इस सन्दर्भ में विपक्षी दलों द्वारा अपने राज्य में उत्पन्न समस्याओं से आप किस प्रकार से सामना कर रहे हैं उससे मैं भली-भांति अवगत हूं। अक्सर एक राज्य में विपक्ष सुधारों का विरोध करता है जबकि दूसरे राज्य में उनकी ही सरकार सुधारों को क्रियान्वित करने की कोशिश कर रही है। मैं सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने सभी मतभेदों को भुलाकर इस विषय पर आम सहमति बनायें क्योंकि यह हमारे राष्ट्र व राज्य दोनों के लिये ही लाभकारी होगा" धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे और बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

विपक्ष में भी कोई है क्या? सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

श्री रामनारायणजी विश्नोई।

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

386-592

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा की स्थिति के बारे में अपना वक्तव्य दिया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन के सदस्यों द्वारा राज्य की जनता की भावनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। आपने बिजली की स्थिति, उपलब्धता और कठिनाइयों के बारे में तो निवेदन किया, पर हम अगर पिछले साल भर की स्थिति देखें तो जगह-जगह आन्दोलन हो रहे हैं, जगह-जगह रास्ते रोके जा रहे हैं, जगह-जगह मुकदमे बनाये जा रहे हैं और जगह-जगह काले झण्डे दिखाये गये हैं। ऊर्जा मंत्री, प्रदेश के मंत्रियों और मुख्य मंत्री तक की स्थिति यह है कि पहले पूछ कर इलाके में जाते हैं कि कहीं बिजली के बारे में कोई विरोध तो इस एरिया के अन्दर नहीं हो रहा है। इस स्थिति से उबरने के लिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने पिछले लगातार दो साल से इस बात का कभी विरोध नहीं किया है कि बिजली के सुधार का कार्यक्रम लागू नहीं हो। माननीय प्रधानमंत्रीजी ने बात कही है कि सबके सहयोग से बिजली का सुधार होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर जो विद्युत मण्डल था उसकी हिन्दुस्तान में एक विशेष छवि रही है उस विद्युत मण्डल के अन्दर आपको और हमको अच्छी तरह

(श्री रामनारायण विश्नोई)

से ज्ञान है कि मंगल बिहारीजी, नरेश चन्द्रजी, एस.एल. खुराना साहब, राजगोपालजी, पृथ्वीसिंहजी, दबे साहब, पी.एन. भण्डारी और सिसोदियाजी वगैरह बड़े-बड़े उच्चाधिकारी रहे और उन्होंने पूरे हिन्दुस्तान के विद्युत मण्डलों के अन्दर अपने राजस्थान के विद्युत मण्डल का नाम कमाया। सुधार के प्रति हमारा कोई विरोध नहीं है, पर विद्युत मण्डल की वर्तमान स्थिति को कायम रखते हुए सुधार किये जायें तो राजस्थान के अन्दर यह कोई असम्भव काम नहीं होगा। पर इन सब बातों के बावजूद भी राजस्थान की सरकार ने एक जिद्द में आकर और एक बड़ा भारी साहसपूर्ण कदम उठाने का ऐलान करके इस विद्युत मण्डल का जो अनबंडल किया है, उन अनबंडलिंग से आज राजस्थान की जनता बुरी तरह से त्रस्त है। मैं इस समय, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का और सदन का ध्यान दिलाऊंगा कि राजस्थान रिफार्म्स कमीशन के अध्यक्ष माननीय श्री शिवचरणजी माथुर ने भी अपनी रिपोर्ट के अन्दर यह स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि हमें सुधारों की तरफ बढ़ना चाहिये पर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का अनबंडलिंग जिस प्रकार से हो रहा है वह नहीं होना चाहिये। अभी आप देखेंगे तो जो रिजल्ट थोड़े समय के अन्दर आये हैं, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने बड़ी सफाई से इस बात को टाल दिया जो घोषणा की थी कि हम कम से कम छह घंटे बिजली देंगे, हम बराबर रेट के अन्दर आठ घंटे बिजली देंगे और हम किसी भी प्रकार से काश्तकारों को विशेष तौर से बिजली के अन्दर कमी नहीं आने देंगे, उद्योगों की बिजली बन्द करके भी काश्तकारों को बिजली देंगे, वर्तमान स्थिति आप और हम लोगों से छिपी नहीं है। आपने इस वायदे को पूरा नहीं किया और इसी कारण से आज कांग्रेस के भी वरिष्ठ नेतागण जगह-जगह सभाओं के अन्दर यह कह रहे हैं कि अगर इस स्थिति का सुधार नहीं हुआ और इसी तरह के थोथे नारे लगाये गये तो यह बाजा बज जायेगा, आगे चलने वाला नहीं है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद भी हमने जो यह नया प्रयोग किया है, विद्युत मण्डल को पांच विद्युत कम्पनियों के अन्दर बिखेर कर जो हमें अनुभव हुए हैं उनको अगर हम विशेष तौर से देखें तो आज की तारीख में ही इसके दुष्परिणाम आने शुरू हो गये और भविष्य के अन्दर और भी दुष्परिणाम आयेंगे। पहले एक चीफ इंजीनियर हुआ करते थे, एक सिविल इंजीनियर पूरे राज्य का कंस्ट्रक्शन वर्क देखा करते थे। आज पांचों कम्पनियों के अन्दर पांच सिविल इंजीनियर या सीनियर आफिसर्स की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से एक सैक्रेटरी पूरे विद्युत मण्डल को चलाया करते थे, आज पांच सैक्रेटरी इसके अन्दर नियुक्त

(श्री रामनारायण विश्नोई)

करने पड़ेंगे, नियुक्त किये जा रहे हैं। इसी प्रकार से विद्युत मण्डल का जो बोर्ड था उसके अन्दर कम से कम तीन टैक्निकल अधिकारी रहा करते थे, तीन टैक्निकल अधिकारियों की जगह आज क्या स्थिति हुई है? पांच विद्युत कम्पनियों के अन्दर केवल दो टैक्निकल इंजीनियर्स वितरण कम्पनियों के इंचार्ज हैं, बाकी चार्ज आई.ए.एस. अधिकारियों को सौंप दिया गया है। इसके पीछे क्या भावना है? हम यह हमेशा कहा करते थे कि विद्युत मण्डल के अन्दर टैक्निकल लोग ज्यादा से ज्यादा होने चाहिये, यह टैक्निकल लाइन है। इसमें लम्बे अरसे तक आर.सी. दबे और दूसरे इंजीनियर्स नहीं होते तो शायद राजस्थान विद्युत मण्डल की हालत भी आज यह नहीं होती।

मेरा अब निवेदन करना यह है कि अभी भी समय है, जिस स्थिति के अन्दर वितरण कम्पनियां चल रही हैं, ये वितरण कम्पनियां किसी भी तरह से राजस्थान में विद्युत का सुधार नहीं कर सकतीं। आज प्राइवेट सैक्टर में कोई भी कम्पनी न तो डिस्ट्रीब्यूशन के अन्दर सामने आ रही है, न ट्रांसमिशन के अन्दर आ रही है और न जनरेशन के अन्दर आ रही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान के अन्दर हम जो रवैया अपना रहे हैं कि काश्तकारों के ऊपर या उपभोक्ताओं के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टेरिफ बढ़ा कर इस घाटे की पूर्ति की जाये, यह हमारे लिये बहुत घातक होगा। जनतांत्रिक पद्धति के अन्दर राज्य सरकार और विद्युत मण्डल का यह ध्येय होना चाहिये कि हम मुनाफे की परवाह न करके आम उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराएं। राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां पर सिवाय दो-तीन जिलों गंगानगर, हनुमानगढ़ और कुछ एरिया कोटा के अलावा कहीं नहरी पानी मिलता नहीं है, पूरी कृषि विद्युत कनेक्शन के ऊपर आधारित है। पिछले तीन साल के अन्दर भगवान की हमारे ऊपर कृपा नहीं होने की वजह से बरसात कम हुई और अकाल के समय हमको राजस्थान के अन्दर चारा भी दूसरे प्रदेशों से मंगाना पड़ा। यह स्थिति इस वजह से हुई कि कृषि कनेक्शनों पर टाइम पर बिजली नहीं दी गई और टाइम के ऊपर नये कनेक्शन जारी नहीं किये गये। निरी थोथी घोषणाएं करके इसकी इतिश्री कर ली गइ

(17.00 बजे)

थीं। उपाध्यक्ष महोदय, अभी भी हम लोगों को मिल बैठ कर इस विद्युत स्थिति के सुधार के लिये ऐसी नीति अपनानी चाहिये कि टी. एण्ड डी. लासेज भी नहीं हो, थैफ्ट्स भी नहीं हो और काश्तकार को सस्ती दर पर बिजली मिले और कम से कम बराबर 8 घंटे बिजली मिले। ऐसी स्थिति अगर राजस्थान में पैदा नहीं हुई या पैदा नहीं की गयी तो आइंदा आने वाले समय में जिस प्रकार जनता आन्दोलित है जगह-जगह

(श्री रामनारायण विश्नोई)

हमको जिस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, हम बहुत ही कठिन परिस्थिति के अन्दर आ जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा, आज अलग-अलग कम्पनियों में किसी भी जगह सामान नहीं है सप्लाई करने को किसी भी चीज के सामान के लिये कहते हैं तो हमारे पास अभी तो फण्ड्स नहीं हैं। कई जगह इस वजह से पिछले साल-डेढ़ साल से एक भी नया कृषि कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। जो छोटे-मोटे काम-काज अटके पड़े थे, बार-बार यही जवाब मिल रहा है कि अभी सामान आने वाला है, अभी सामान आने वाला है। वितरण के लिये तीन वितरण कम्पनियां अलग-अलग बनायी गयी हैं, उनकी स्थिति भी आज की तारीख में अच्छी नहीं है और न ही भविष्य में इसके सुधरने की कोई सम्भावना नजर आ रही है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एकदम से इतनी जो वृद्धि की गयी है बिजली की दरों में, उस वृद्धि को देखते हुये जिस प्रकार से काश्तकारों और उपभोक्ताओं को सुविधा मिलनी चाहिये थी वह सुविधा नहीं मिल रही है और ऐसी स्थिति में भयंकर असंतोष राजस्थान में पैदा हो गया है। इस स्थिति से निपटने के लिये, उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों समाचार आया कि विद्युत मंत्रीजी एक फर्म को पब्लिसिटी करने के लिये कोई कांट्रेक्ट दे रहे हैं जिसमें कम से कम 10-20-50 करोड़ रुपये का खर्चा उसके ऊपर करेंगे कि प्रचार करो। प्रचार के अन्दर आ जायेगा कि बिजली के अन्दर बड़ा सुधार हो रहा है, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि इतना उत्पादन कर दिया, दो परसेंट टी. एण्ड डी. लासेज भी हमने सुधार लिये हैं। आइंदा आने वाले भविष्य में हम यह काम कर रहे हैं, यह काम कर रहे हैं। ये बिलकुल एक प्रचार के आधार पर इस बिजली बोर्ड को चलाना चाहते हैं। मैं ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की कोई पब्लिसिटी फर्म करने की आवश्यकता नहीं है। आपने पहले भी जगह-जगह अपनी फोटुएं दे कर इसका प्रचार करके यह बताने की कोशिश की कि राजस्थान में कोई भी बिजली उपभोक्ता आज बिजली विभाग से दुःखी नहीं है, पर जब आप मौके पर गये और आपने स्थिति देखी तो आप किसी भी स्टेज के ऊपर जनता को फेस नहीं कर पाये। इसलिये समय रहते जनता की भावनाओं को ध्यान देना पड़ेगा, जनता की भावनाओं के विपरीत हम किसी भी प्रकार से चल नहीं सकते। जहां दूसरी स्टेटों में यह सुधार प्रयोग में लिया गया है, आप उड़ीसा की हालत देखिये, हरियाणा की हालत देखिये, वहां आज गांव के गांव अंधेरे में डूबे हुये हैं। हमें आवश्यकता थी दूसरे सुधार करने की, हम ले दौड़े इसके ऊपर कि एकदम से बिजली की दरें बढ़ा कर इस घाटे की हम पूर्ति करेंगे।

इस प्रकार की जो स्थिति पैदा हो गयी है इस स्थिति से निपटने के लिये आज सारी वितरण कम्पनियां अलग-अलग हिसाब से

(श्री रामनारायण विश्नोई)

चल रही हैं। जैसा आपने देखा अभी कि सारी की सारी वितरण कम्पनियों के अन्दर जो इंजीनियर्स थे, उन्होंने उनसे आप्शन लेकर उनको अलग-अलग विभागों के अन्दर लगा दिया। उनके लगाने से उनकी सीनियरिटी के झगड़े अलग हो गये। जयपुर के अन्दर अच्छी जगह थी, जयपुर वितरण कम्पनी में ज्यादा लोगों ने आप्शन दिया, ज्यादा लोग आ गये। जोधपुर के अन्दर कुछ कम स्कोप दिख रहा था इंजीनियर्स को, वहां पर लोग कम गये। वहां प्रमोशन के चांसेज थे, पर यहां जयपुर के अन्दर कम हो गये। यहां पर अच्छे-अच्छे आदमियों को प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं। एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी में आने का कोई आधार नहीं रखा गया है। इस प्रकार से राजस्थान के अन्दर जो इंजीनियर्स शुरू से काम कर रहे थे और पूरे राजस्थान के बिजली तंत्र को व्यवस्थित रूप में लाये थे, उस स्थिति को बिलकुल बिगाड़ कर रख दिया गया है। यह स्थिति हर जगह, हर काम में हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सुधारों के प्रति हमारा कोई विरोध नहीं है, हम चाहते हैं कि सुधार हों, पर आज राजस्थान का गरीब काश्तकार जिसे हर एक-दो साल के अन्तराल में भीषण अकाल का सामना करना पड़ता है, उस काश्तकार के लिये आप यह रेट कम कीजिये। रैगुलेटरी कमीशन के अन्दर वितरण कम्पनियों से गलत रिपोर्ट करवा कर, कम टी. एण्ड डी. लासेज बता कर जानबूझ करके आपने यदि रेट बढ़ायी है तो ये रेटें राजस्थान का कृषि काश्तकार किसी भी तौर पर सहन करने के लिये तैयार नहीं है।

मैं इस बारे में आपको और भी उदाहरण देना चाहता हूं अलग-अलग कम्पनियों में आप जिस प्रकार कोई नीति लागू करना चाहते हैं' आपने कहा कि हमने बीच में एक हरे चारे की नीति लागू की। हरे चारे की योजना को बन्द करने के लिये आपके यहां से कभी कोई आदेश दिये जाते हैं तो उसकी अखबार के माध्यम से आसानी से सूचना नहीं मिलती। सूचना मिलती है दफ्तरों में जाकर एक-एक महीने के बाद में उस अर्से के बीच में बारह हजार रुपये जमा करवा कर हरे चारे के लिये कई लोगों ने एप्लीकेशन दे दी। वहां उन्होंने एप्लीकेशन दर्ज कर ली, रुपये जमा हो गये। अब जब वे कहते हैं कि हमें डिमाण्ड नोटिस दो तो आप कहते हैं कि हमारे बोर्ड से ऐसा आदेश आ गया कि एक तारीख के बाद में कोई भी हरे चारे की एप्लीकेशन नहीं ली जायेगी। न तो उपभोक्ता को इसका ज्ञान था, न आपके अधिकारियों को इसका ज्ञान था। मैं जब अभी गया तो दो लोगों ने कहा कि 12-12 हजार रुपये तो जमा करवा दिये। फलौदी सब-डिवीजन में दो केसेज आये, उन्होंने क्या किया कि 12 हजार रुपये ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय एक-एक, डेढ़-डेढ़ लाख रुपये उन्होंने इस आधार पर ट्यूबवैल, कुएं खुदवाने में लगा दिये। उन्होंने एप्लीकेशन दी है कि हमने डेढ़-डेढ़ लाख रुपये खर्च

(श्री रामनारायण विश्नोई)

करके ट्यूबवैल खुदवाये, हम हरे चारे का रेट देने के लिये तैयार हैं। आपके यहां से सूचना टाइम पर नहीं पहुंचने से यह स्थिति पैदा हो गयी है। इसी प्रकार से दूसरे भी कई उदाहरण हैं कि जहां पर बीच में कुछ ऐसा आया था कि दो साल के बाद में सामान्य श्रेणी के रेट लगा दिये जायेंगे। उस स्थिति में भी समय पर कहीं सर्क्यूलर नहीं पहुंचने की वजह से काश्तकारों से वसूल किया गया। दो-तीन महीने के अन्दर जैसा ऊर्जा मंत्रीजी को पता है, डूंगरगढ़ में कम से कम 40-50 ऐसे केसेज आये थे, यहां पर प्रश्न पूछा गया उसके बाद में बहुत मुश्किल से आया है।

ऊर्जा मंत्रीजी अगर बिजली की स्थिति के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं फलौदी सब-डिवीजन की बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। पिछले साल वहां के सब-डिवीजन एक्स.ईएन. की तरफ से एक नोटिस निकाला गया था कि इस साल 1994 मार्च से पहले जितनी भी एप्लीकेशन लगी हुई हैं उनके कनेक्शन दे दिये जायेंगे। 600 आदमियों की सूची वहां पर लगायी गयी। 600 आदमियों में से आपने जवाब यह दिया कि हम साल भर में तीन आदमियों को कनेक्शन दे सकते हैं और कारण ये क्या बता रहे हैं? कि वी.आर. नहीं है, साहब। राजस्थान के काश्तकारों का तमाम इंवेस्टमेंट हो चुका है, उन्होंने ट्यूबवैल खुदवा लिये और इस उम्मीद में बैठे थे कि हमें अब कनेक्शन मिलेगा। आपके यहां वी.आर. की यह पोजीशन थी तो आपको पहले यह सूची निकालनी नहीं चाहिये थी। जगह-जगह आपने पंचायत समितियों में, पंचायतों में सूची भेज दी कि इस साल हम इन लोगों को कनेक्शन देंगे। वी.आर. की आपकी जिस प्रकार की पोजिशन चल रही है और जी.एस.एस. आप जिस स्पीड से बना रहे हैं उस हिसाब से आइंदा आने वाले दो साल में भी उन लोगों को आप कनेक्शन दे नहीं सकेंगे। इसी प्रकार से फलौदी सब-डिवीजन के अन्दर आज करीब 25, राजस्व गांव अंधेरे में बैठे हैं। वहां पर भी 4-5 साल हो गये हैं, आर्डर होने के बावजूद गांवों का विद्युतीकरण हो नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमने यह जो प्रयोग किया है, अभी भी समय है कि इस प्रयोग से वापस हट सकें।

राजस्थान के उपभोक्ता के लिये आपने घरेलू कनेक्शन की जो नीति बनायी है, उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के अन्दर बैठे करीब 80 प्रतिशत गांव के आदमी हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले सौ साल के अन्दर भी गांव के गरीब झोपड़े के अन्दर आज की जो विद्युत नीति है घरेलू कनेक्शन देने की उसके मुताबिक कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। यह क्या नीति है कि एक पोल के लिये 10 हजार रुपये लगेंगे? गांव के अन्दर शहर की जैसी सुविधा नहीं है। गांवों में खेतों में रहते हैं, ढाणियों

(श्री रामनारायण विश्नोई)

में रहते हैं। वहां पर समूह बना कर पुरानी योजना के अनुसार कनेक्शन दिये जा रहे थे, पर आज की स्थिति यह है कि वहां कनेक्शन लेने की स्थिति नहीं है। जितने भी लोगों के फार्म भरे हुये थे वो रिजैक्ट करके आपके यहां डिस्पोजल बताया जा रहा है कि हमारे यहां पर कोई पैंडिंग नहीं है, सब एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति बनी हुई है, इसलिये आपको ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन की जो नीति है उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन करके पहले जो ग्रुप सिस्टम से या एक पोल के 900-950 रुपये लिये जा रहे थे, वैसा करना चाहिये। यही मेरा आपसे निवेदन है, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : 30 माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, बोलेंगे कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है और मंत्रीजी और जवाब देंगे, तो माननीय सदस्य समय का अगर ध्यान रखेंगे तो सबको ही अवसर मिल जायेगा। श्री रतन लाल ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य की जनता के विकास और उसकी खुशहाली के लिये बिजली की आवश्यकता और अनिवार्यता निश्चित रूप से है। आज बिजली सामाजिक जीवन के लिये बहुत बड़ी आवश्यकता के रूप में प्रसारित होती जा रही है। बिजली को कोई भी कल्याणकारी सरकार बहुत प्राथमिकता दे, यह बहुत आवश्यक है। आजादी के पहले राजस्थान में बिजली की स्थिति क्या थी, यह आप-हम से छिपा हुआ नहीं है। आजादी के बाद बिजली का प्रसारण पिछले 8-10 वर्षों पहले तक तो किसी न किसी रूप में योजनाबद्ध होता रहा और जब वर्तमान सरकार ने काम सम्भाला तब तक मात्र 3356 मेगावाट बिजली राजस्थान में कई स्थानों से प्राप्त की जाती थी। एक चुनौती के रूप में यह समस्या राजस्थान के सामने आई। बिना इच्छा शक्ति के कोई भी सरकार जिससे पूरे प्रदेश का भविष्य जुड़ा हुआ हो, वह काम पूरा नहीं कर सकती है। मैं आपके समक्ष 1997 में विद्युत के बजट और चर्चा पर तत्कालीन विद्युत मंत्रीजी के उन विचारों को रेखांकित करना चाहूंगा जिसमें सपने बहुत संजोये हुये थे। राजस्थान की जनता को 1998 के आने वाले चुनावों के परिप्रेक्ष्य में जो सपने दिखाये गये थे उनका भी कुछ वर्णन मैं करना चाहूंगा। तत्कालीन विद्युत मंत्री महोदय ने उस चर्चा के जवाब में यह बताया था कि राजस्थान का बिजली का मामला बहुत गम्भीर है और समय निकल रहा है। स्थाई रूप से इसका तभी हल होगा जब राजस्थान अपनी योजनाएं, अपने प्लांट्स लगायेगा और इसके लिये हमारे पास राजस्थान में बहुत साधन उपलब्ध है। जालीपा-कपूरड़ी के 1200 मेगावाट के दो कारखाने के लिये एक पार्टी का चयन कर लिया गया है। सूरतगढ़ का काम चल रहा है और 500 मेगावाट बिजली उसमें उत्पादन

(श्री रतन लाल ताम्बी)

होगीं। बरसिंहसर में 500 मेगावाट का पी.पी.ए. हमारा हो गया है। किन्तु लिग्नाइट वाले कारखाने आने में 4-5 साल लग जायेंगे, इसलिये शार्ट-कट एक ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं जिससे जैस्टेशन पीरियड कम हो और वह है नेफ्था। नेफ्था में जिन 15 कम्पनियों से बातचीत की उन 15 कम्पनियों से हमारा पी.पी.ए. हो गया है साढ़े तीन हजार मेगावाट के करीब और उससे भी हमको फ्यूल मिला केवल 1415 मेगावाट। यह 1415 मेगावाट भी आन्ध्र प्रदेश के बाद सबसे अधिक अलाटमेंट राजस्थान को ही हुआ है। यह जब चर्चा चल रही थी उसी समय माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी ने मंत्री महोदय से कहा कि आप जो बात कर रहे हैं कि ये पी.पी.ए. वगैरह सब कर लिये, जो फ्यूल अलाट हुआ है यह सब हो गया, अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा, घनश्यामजी को यह सुनकर प्रसन्नता होगी, केवल राजस्थान को ही यह फ्यूल अलाट किया गया है और किसी प्रदेश में अभी तक अलाटमेंट नहीं हुआ है और हमारी प्रगति इतनी है। कई कम्पनियों ने जमीन खरीद ली है, प्लाट खरीद लिये हैं और एक से डेढ़ साल के बीच में लगभग 1500 से 2000 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन हो जायेगा। इतने कम जैस्टेशन पीरियड में और कोई उत्पादन नहीं हो सकता, लिक्विड फ्यूल से ही होगा।

ये मैंने कुछ अंश उस समय के बताये डेढ़ वर्ष के बाद राजस्थान की तत्कालीन सरकार ने बिजली का एक मेगावाट भी उत्पादन नहीं किया, उससे राजस्थान में बिजली की समस्या पैदा हुई है। लगातार कनेक्शन देते रहना कोई भी कल्याणकारी सरकार करे, यह आवश्यक है, किन्तु जनरेशन के बारे में भी एक सुनिश्चित नीति और इच्छा शक्ति के अभाव के कारण राजस्थान में यह समस्या बहुत गम्भीर हो गई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की पिछली सरकार के 6 वर्ष के समय में भी बिजली की समस्या पैदा हुई थी और 1992-93 से 1997-98 के बीच में 5912 करोड़ रुपये की 52946 मिलियन यूनिट खरीदी गई थी, किन्तु ज्यों ही कांग्रेस राज 1998-99 में आया, 5236 करोड़ की 38186 मिलियन यूनिट खरीद कर राजस्थान के किसानों को दी गयी। बार-बार चर्चा आती है कि कांग्रेस सरकार ने एक घोषणा पत्र जारी किया और राजस्थान की जनता से कई वायदे किये। घोषणा पत्र को वर्तमान प्रशासन ने बहुत महत्त्व दिया और हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य भी उसकी बार-बार याद दिलाते हैं जो बहुत आवश्यक है। उससे किसी भी सरकार को आगे सोचने, समझने और कदम उठाने का अवसर मिलता है। 1998-99 से 2000-2001 के बीच में यह बिजली राजस्थान के किसानों को उपलब्ध होने के बाद, अब मैं आपके सामने वे आंकड़े देना

(श्री रतन लाल ताम्बी)

चाहता हूं कि जहां पिछली सरकार ने 1992-93 से लेकर 1997-98 के बीच में 2197 करोड़ रुपये बिजली की योजना के लिये निर्धारित किये थे, वहीं वर्तमान सरकार ने 1998-99 से 2000-2001 के बीच तीन वर्षों में ही 2112 करोड़ रुपया खर्च किया और करीब-करीब 750 मेगावाट बिजली राजस्थान में नये जनरेशन के रूप में आ जाये, इस बात का सार्थक प्रयत्न किया। इससे यह सिद्ध होता है कि राजस्थान की वर्तमान सरकार काफी प्रयास के बाद इस बिजली की समस्या का समाधान करने के लिये स्थाई तौर से काम करने का इरादा रखती है। राजस्थान में बिजली की समस्या को लेकर विपक्ष ने जनता को भड़काने और कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश की पर सारे तथ्य सामने आने के बाद जनता को यह एहसास हो गया कि वर्तमान सरकार संघर्ष के बीच में वित्तीय संकट के बीच में भी बिजली को कितनी प्राथमिकता दे रही है। उसके परिणामस्वरूप करीब-करीब 752 मेगावाट की कीर्तिमान वृद्धि इस वर्तमान सरकार ने की है। सूरतगढ़ की इकाई 6 महीने पहले बन कर सामने आ जाती है, यह इस सरकार की इच्छा शक्ति का द्योतक है।

मैं इस मौके पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है, ट्रांसमिशन लाइनें बहुत लम्बी हैं, बहुत पुरानी हैं, इस वर्तमान सरकार के सामने सुधार की बड़ी चुनौतियां हैं। उत्पादन के बारे में मंत्री महोदय ने बहुत विस्तार से अपने आंकड़े कि अगले दो-ढाई साल में क्या करेंगे, दे दिये। इस सरकार ने ढाई वर्षों में करीब 439151 घरेलू कनेक्शन, 61636 वाणिज्यिक कनेक्शन और 76636 कृषि, औद्योगिक, जलप्रदाय एवं अन्य प्रकार के कनेक्शन देकर सब व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयत्न किया है। इसलिये मैं समझता हूं कि विद्युत के मामले में यह सरकार जागरूक है। विद्युत मंत्रीजी का इस बारे में जो सोच और चिंतन है, निश्चित रूप से मैं इसके लिये उनको बधाई देना चाहूंगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने चुनाव घोषणा पत्र का अध्ययन करके जो वायदे किये हैं, कोई भी सरकार चुनाव घोषणा पत्र के सारे वायदे पूरे नहीं कर सकती है, मगर उसकी इच्छा शक्ति जनता के सामने आनी चाहिये। आपने जो कहा उस दिशा में आप कदम बढ़ा रहे हैं और मेरे इस बारे में कुछ सुझाव है, निवेदन है।

आज सुबह मैंने चर्चा के दौरान आपसे अनुरोध किया था कि 10-20 साल पहले की सरकार ने राजस्थान के लाखों किसानों की खुशहाली के लिये विभिन्न नदियों और नालों में जहां भी पानी उपलब्ध था चम्बल, बनास और माही वगैरह में काफी जलोत्थान सिंचाई योजनाएं सिंचाई विभाग के माध्यम से या जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के माध्यम से स्थापित कीं। उनमें

(श्री रतन लाल ताम्बी)

50,000 से अधिक परिवार जुड़े हैं। हमारे जिले में भी तीन-चार क्षेत्रों में बड़ी तादाद में लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम्स लगीं। किसानों में खुशहाली आयी और उत्पादन बढ़ा। हरित क्रांति की ओर आगे बढ़ने लगे। पिछली सरकार के समय हम लोगों ने तत्कालीन मंत्री महोदय को स्थिति से अवगत कराया था। डैपुटेशन भी मिले थे और मैं स्वयं भी मिला था कि हमारे इलाके में जलोत्थान सिंचाई विकास योजनाएं चरमरा रही हैं। सारी योजनाओं पर मिनिमम चार्ज और कृषि के बजाय वाणिज्यिक आधार पर जो रेट्स लगाई गई हैं, उससे स्कीमों की कमर टूट रही है। उस समय के मंत्री महोदय ने इसको काफी गम्भीरता से तो लिया, वायदा भी किया, घनश्याम तिवाड़ीजी ने भी किया, रघुवीर सिंह कौशलजी ने भी किया पर उसके बावजूद भी वे निर्णय नहीं कर पाये क्योंकि इच्छाशक्ति का अभाव था।

माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, लघु और सीमान्त कृषि से जुड़े हुये हैं उन पर बड़ी मात्रा में मिनिमम चार्ज और कृषि के बजाय वाणिज्यिक रेट्स लगाने से लाखों रुपया प्रत्येक समिति में बकाया है और बहुत सारी स्कीम्स बन्द पड़ी हैं। डिमाण्ड वे दे नहीं पा रहे हैं। जब हम वहां पूरी बिजली दे ही नहीं पा रहे हैं तो कृषि लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीमों पर मिनिमम चार्ज लगाना और साथ ही साथ रेट्स न लगाना किसानों के साथ ज्यादती होगी। सदन में इस समस्या को बार-बार हम लोगों ने उठाया है और ये सारी आम किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि जलोत्थान सिंचाई योजनाएं जो कृषि के काम आती हैं, जिनसे खेती में सिंचाई होती है, उनकी दरों को कृषि दरों के रूप में संशोधित करने की आप घोषणा करें। साथ ही मिनिमम चार्ज भी उन पर लगाया हुआ है वह बहुत ज्यादा है, उसको भी हटा दें तो बड़ी कृपा होगी। साथ ही बिलों की जो बकाया राशि है बड़ी तादाद में, वह किसान नहीं दे पायेंगे, उसकी सामान्य किस्तें कर दें ताकि किसान लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम में वापस चल सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : बन्द थोड़े ही किया है, सावधान किया है, आपको आगाह किया है।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं चाहूंगा कि आप इस सम्बन्ध में थोड़ा गम्भीरता से विचार करें।

दूसरा, मेरी आपसे शिकायत भी है और परेशानी भी है। परेशानी यह है कि 132 के.वी. जी.एस.एस. देवली, जहाजपुर वगैरह का शामिल बना हुआ है। जहाजपुर क्षेत्र की धरती पर हमने इसलिये जमीन दिलाई और बनाया कि हमको सुविधा होगी, पर सारा कंट्रोल देवली और बूंदी से कर रखा है। तो

(श्री रतन लाल ताम्बी)

हमारे क्षेत्र की जनता विद्युत प्रसारण की व्यवस्था से बहुत परेशान है। आंदोलन भी हुये हैं, आपसे हम लोग मिले भी हैं। देवली में जब आप आते हैं तो हमारे क्षेत्र के किसान सब जगह आपसे चर्चा करते हैं। जहाजपुर क्षेत्र में जहां 7-8 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है वहां हमको मात्र 2-3 मेगावाट मिलती है। बिजली देवली, बीसलपुर और आपके क्षेत्र में ज्यादा जाती है, ऐसी आम लोगों की शिकायत है और मेरा भी मानना है। जहाजपुर क्षेत्र में हिण्डौली से, देवली से और पारोली से, 3-3, 4-4 जगह से बिजली लेनी पड़ती है, हम चारों ओर से परेशान हैं। उसके लिये 132 के.वी. जी.एस.एस. का प्रस्ताव आपको मैंने दिया था, आपने शायद उसकी तकनीकी जांच भी करवा ली है, मैं चाहूंगा कि इस वित्तीय वर्ष में इसको स्वीकृति प्रदान करें। इसके अलावा भृगुनगर, रासेड़ और रूपा में 33 के.वी. के स्टेशनों की मांग भी काफी है और मैं समझता हूं कि इस बारे में भी आपका ध्यान जायेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में, तैयारी तो बहुत कर रखी थी लेकिन समय अभाव में....(व्यवधान) बिजली के मामले में आपको विरोध सहन करना पड़ रहा है। किन्तु मजबूती से आप काम कर रहे हैं। भविष्य में विद्युत क्षेत्र सुधार ठीक प्रकार से हों, इसके लिये आपने जो योजनाएं बनाई हैं उनको आप लागू करें। थोड़ा रेट्स के मामले में निवेदन है कि जो बिल आ रहे हैं वे भयंकर आते हैं। किसी महीने में दो हजार का बिल आ रहा है, दूसरे महीने में तीन हजार का बिल आ रहा है, कभी पांच हजार का आ जाता है। कोई पता ही नहीं लगता, कभी क्या और कभी क्या। तो इसकी भी आप सुनिश्चित व्यवस्था करें ताकि बिजली के बिल ठीक प्रकार से आये। लोगों में बहुत असंतोष है। इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रयत्नों और सरकार की इच्छाशक्ति के लिये मैं आभार प्रकट करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस दिशा में आपके कारगर प्रयत्नों से राजस्थान की जनता और किसान लाभान्वित होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : डा. के. सी. चौधरी।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) **:** माननीय उपाध्यक्ष जी, सदन में बिजली जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, मैं मेरी बात की शुरूआत करना चाहूंगा, इसी सदन की, राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त 1 नवम्बर, 1995 राज्य की विद्युत की स्थिति पर चर्चा और उस वक्त के मुख्य मंत्री और अभी के नेता प्रतिपक्ष माननीय भैरोंसिंहजी साहब का जो भाषण दिया हुआ था वह मैं यहां कोट करना चाहूंगा। "जहां पर ऊर्जा उत्पादन करने का प्रश्न आता है हमारे पास कोयला नहीं है हमारे पर गैस नहीं है। जो गैस जैसलमेर में मिली है तीन मेगावाट पावर हम जनरेट कर रहे हैं, 32 मेगावाट पावर जनरेट करने की हम कार्यवाही कर रहे हैं। उसमें निश्चित रूप से हमें जल्दी ही सफलता मिल जायेगी।

(डा. के. सी. चौधरी)

लेकिन आज हमारे पास गैस के कोई भण्डार नहीं है, हमारे पास हाइडल पावर जनरेट करने की गुंजाइश नहीं है। चम्बल का जितना टैप कर सकते थे उतना हमने टैप कर लिया। माही का जितना टैप कर सकते थे हमने टैप कर लिया। बाकी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि हम हाइडल पावर को टैप करने की कोई योजना बनायें और टैप कर सकते हों। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे पास कोयला नहीं है। दूसरे राज्यों में पावर स्टेशन लग रहे हैं वह आजकल पिट हैड पर लगने पर योजना बनी है। हमारे पास न तो पिट हैड है, न कोयला है।" मान्यवर, यह इसलिये कोट किया है कि राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसमें अभी कोई बदलाव नहीं आया। जैसाकि जहाजपुर से आने वाले सदस्य ने भी जिक्र किया, ऐसी वितरीत परिस्थितियों में भी राजस्थान ने इन तीन सालों में 900 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। राज्य सरकार, हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारे ऊर्जा मंत्रीजी इस बात के लिये बधाई के पात्र हैं हिन्दुस्तान में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जिसने तीन सालों में 900 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया हो। राज्य को यह गौरव प्राप्त हो रहा है कि जहां एक भी सुपर थर्मल पावर स्टेशन नहीं था वहां अब अगले साल ही दो सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित हो रहे हैं। यह राज्य के लिये गौरव की बात है।

बिजली के उत्पादन के क्षेत्र में माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 2500 मेगावाट के पी.पी.ए. उस वक्त दस्तखत किये थे और बहुत सारा प्रचार हुआ था कि एक महीने में आ जायेगा, नवम्बर में आ जायेगा, दिसम्बर में आ जायेगा। इनके कार्यकाल में एक भी मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ, यह एक तथ्य है। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। (व्यवधान) इसलिये वहां बैठे हुये हैं। अब जो भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम से राजस्थान की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। राजस्थान की जनता यह समझ रही है कि वर्तमान सरकार ने बिजली के क्षेत्र में असाधारण उत्पादन किया है, प्रसारण के क्षेत्र में सुधार हुआ है, वितरण के क्षेत्र में सुधार हुआ है। इसके बावजूद बेशक कुछ कमियां रही हैं, जिनकी तरफ अभी ताम्बी साहब ने जिक्र किया था।

माननीय मंत्रीजी, बिजली के बिलों की निरन्तर शिकायतें आती हैं। खास तौर से कम्प्यूटराइज मीटर लगने के बाद एक हवा-सी बह चली है कि ये तो तेज चाल वाले मीटर हैं। इस समस्या की तरफ आपका ध्यान देना बहुत आवश्यक है। किसानों को 7-8 घंटे बिजली मिलने की आपकी घोषणा के विषय में जो भ्रम विपक्ष फैला रहा है उसको आप क्लीयर करें कि किसानों को आप सब्सिडाइज्ड रेट पर बिजली देंगे। मेरा निवेदन है कि बिजली का उपभोक्ता... (व्यवधान) आधा घंटा देनी चाहिये... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : घोषणा करवाइये। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : घोषणा तो वह ही करेंगे, मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूं, जैसे आपने कहा है।

मेरा निवेदन यह है कि बिजली आम उपभोक्ताओं को चाहिये, किसान को चाहिये, मजदूर को चाहिये, उद्योगों को चाहिये, व्यापारियों को चाहिये। हरेक को चाहिये, हर क्षेत्र में बिजली की आवश्यकता है। मांग और पूर्ति का जो गैप था, मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा कि 90 के दशक में हर साल 8 प्रतिशत की बिजली की मांग तो बढ़ी मगर आपूर्ति का किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया। अचानक हमारे को जो क्राइसिस आई, उससे ही आई। मैं अभी जो हाइडल और थर्मल पावर जनरेशन की बात कर रहा था, उसमें मैं माननीय नेता, विपक्ष से यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान में सबसे सस्ती और इजी अवेलेबल अगर बिजली किसी सोर्स से अपन पैदा कर सकते हैं तो लिग्नाइट बेस बिजली है। लिग्नाइट के भण्डार राजस्थान में काफी है, लिग्नाइट की बिजली जनरेट करने पर कास्ट फैक्टर कम आयेगा। सबसे बड़ी बाधा है भारत सरकार को कंविंस करने की। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन की राजस्थान में 4 से 5 हजार मेगावाट बिजली पैदा होने की कैपेसिटी लिग्नाइट बेस पावर हाउस में है। मैं हमारे ऊर्जा मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सूरतगढ़ के थर्मल पावर स्टेशन में इन्होंने पहली बार एक एक्सपेरीमेंट किया है। रिलायंस पैट्रो केमिकल्स का जो लास्ट प्रोडक्ट है जिससे डामर बनना चाहिये था, उससे वे लोग सिंथेटिक कोयला बना रहे हैं। उस सिंथेटिक कोयले के यूज से सूरतगढ़ में राजस्थान सरकार 2 लाख रुपये रोज की बचत कर पा रही है। यह एक अच्छा कदम इस तरफ आया है। सारे प्राइवेट पावर हाउस में इस सिंथेटिक को इस्तेमाल करना लोगों ने शुरू किया है।

मान्यवर, मैं ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी वर्ल्ड एनर्जी कौंसिल की जिनेवा में मीटिंग हुई थी। सन् 2020 तक दुनिया भर में एनर्जी की रिक्वायरमैंट से सम्बन्धित पालिसी कैसे बनेगी, उस पर उन लोगों ने जिक्र किया है और 3 मोटे पाइंट निकाले हैं कि एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी हो in terms of continuity of supply and quality of service. राजस्थान में इस चीज पर आप ध्यान दे रहे हैं, लेकिन और ध्यान देने की जरूरत होगी। दूसरा पाइंट है— energy has to be accessible to all. तो एनर्जी अवेलेबल हो, एनर्जी एक्ससेबल हो और energy acceptable हो to social set up. हालांकि यूरोप में एन्वायर्नमेंट पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है लेकिन राजस्थान में अवेलेबल बिजली हो, एक्ससेबल बिजली हो, एक्सेप्टेबल बिजली हो, यह बहुत आवश्यक है।

(डा. के. सी. चौधरी)

अभी फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया राजस्थान राज्य इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की अनबंडलिंग का, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि देश भर में 15 से ज्यादा राज्य तो यह कर चुके हैं। राजस्थान अग्रणी राज्य इसमें रहा है तो अग्रणी होकर अच्छा ही काम किया है, जिसकी तारीफ आपके प्रधानमंत्रीजी ने की है। माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी ने एक बार नहीं, कोटा में भी तारीफ की है, दिल्ली में भी की है। उसके बाद कोटा में ही भारत सरकार के बिजली मंत्री सुरेश प्रभु ने राजस्थान सरकार के बिजली क्षेत्र में किये हुए कार्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। आवश्यकता है कि हम राज्य की जनता को भ्रमित न करें और जो सच्चाई है, वह बतायें कि राज्य में असाधारण प्रगति बिजली के जनरेशन में हुई है। ट्रांसमिशन सिस्टम को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाने के लिये सरकार प्रयासरत है और काफी कुछ कर लिया गया है। कितने के. वी. से एनर्जी आडिटिंग का सिस्टम चालू किया है, 11 हजार। एनर्जी आडिटिंग का सिस्टम अब शुरू कर रहे हैं। सारे कंजूमर्स की मीटरिंग हो रही है। अकाउंटबिलिटी तय की जा रही है एनर्जी के क्षेत्र में हर स्तर पर। राजस्थान में जैसा कि माननीय मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में बताया था, 400 के. वी. का जहां एक जी.एस.एस. था वहां हमारे कार्यकाल में एक से 5 जी.एस.एस. 400 के.वी. के होंगे। यह अपने आप में प्रसारण क्षमता की मजबूती का बहुत बड़ा उदाहरण है। (व्यवधान) काहे का, प्रसारण तंत्र?

श्री मदन दिलावर : नहीं, आप भी और प्रसारण तंत्र भी।

डा. के. सी. चौधरी : हमारा प्रसारण तंत्र तो मजबूत हो रहा है और ये मजबूती की सारी निशानियां हैं।

श्री मदन दिलावर : भांकरोटा में मंत्रीजी से क्या हुआ है, यह पूछ लें थोड़ा-सा, मोलासर की घटना।

डा. के. सी. चौधरी : यही तो आपकी भ्रम की समस्याएं हैं। राजस्थान की जनता को जहां जरूरत पड़ती है वहां भ्रमित करते हो। असलियत यह है कि आप अपने टाइम में यह सब कुछ क्यों नहीं कर पाये। अभी मैंने पढ़ कर बताया, माननीय भैरोंसिंहजी साहब की ही चीज थी, हमारी बोली हुई नहीं थी विधान सभा में उस वक्त से लेकर अब तक अगर हमने पावर जनरेशन में अच्छा काम किया है, ट्रांसमिशन में अच्छा काम किया है, डिस्ट्रीब्यूशन में हम अच्छा काम कर रहे हैं तो इसमें आपको तकलीफ नहीं आनी चाहिये। (व्यवधान) आपके टाइम पर यह क्यों नहीं हो पाया?

श्री मदन दिलावर : अच्छा काम उसे माना जाता है.....(व्यवधान) आप हार क्यों गये? (व्यवधान) किसान से पूछकर आओ। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपके टाइम पर यह क्यों नहीं हुआ? मेरा प्रश्न यह है कि आपके समय पर आप यह क्यों नहीं कर पाये? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बलराम जाखड़ के अनुसार आपका बाजा बजा देंगे। बलरामजी जाखड़ के अनुसार आपका बाजा बजा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान) वह बज जायेगा, आप तो बैठो। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : हम कितनी भी राजनीति करें लेकिन जो आंकड़े हैं वे तो कभी असत्य नहीं बोल सकते हैं कि 50 साल का एक तरफ है और इन 5 वर्षों का जनरेशन एक तरफ है।

डिबंडलिंग की आप अभी बात कर रहे थे, मुझे बताये, राजस्थान इस देश में एक ऐसा राज्य रहा है जहां बगैर हड़ताल के, बगैर किसी आन्दोलन के, बगैर किसी परेशानी के बिजली के सुधार कार्यक्रम आसानी से लागू कर दिये गये हैं। वही आप देख लें आन्ध्र प्रदेश में, कितना आन्दोलन हुआ था। बाकी सारे राज्यों में आन्दोलन हुआ। तो हमारे राज्य की जनता ने सुधार कार्यक्रमों को स्वीकार किया है और उसने अपना इस पर ठप्पा लगाया है। यह जो राजनीतिक कंफ्यूजन आप लोग पैदा कर रहे हैं इससे वोट मिलने वाला नहीं है। पब्लिक समझ जायेगी क्योंकि बिजली की स्थिति में बेशक सुधार होने जा रहा है। हर दिन हो रहा है और सुधार होने जा रहा है। यह कंफ्यूजन की स्थिति है जो जल्दी ही पूरी होगी।

श्री मदन दिलावर : यही बात बाहर खड़े होकर कहना, कहीं कपड़े उतरने से बच जायें तो मेरे से पूछ लेना।

श्री उपाध्यक्ष : दिलावरजी।

डा. के. सी. चौधरी : आप लोग बिजली की कीमत की बात करते हैं, आप केरोसीन की कीमत की बात क्यों नहीं करते? डीजल की कीमत की बात क्यों नहीं करते? रसोई गैस की कीमत की बात क्यों नहीं करते? वे सब कीमतें तो बढ़ रही हैं और बिजली की कीमत के लिये.....मैं एक मिनट और लूंगा। अपनी बात जहां से शुरू की, माननीय नेता, प्रतिपक्ष की बात से, वहीं खतम करना चाहूंगा।

कीमत की बात आ रही है। यह 8 जुलाई का सामान्य वाद-विवाद विधान सभा सन् 1996, माननीय भैरोंसिंहजी की बात। राजस्थान में पावर लानी है और पावर के प्रोड्यूसर को उसका पेमेंट करना है, तो

(डा. के. सी. चौधरी)

पेमेंट करने में सरकार किस सीमा तक सब्सिडी दे सकती है। सरकार का बजट कहां तक सब्सिडी के लिये हमें अलाउ करेगा, उस सब्सिडी के बारे में भी हमें जानना है। तो रेट्स के अन्दर हमें कोई न कोई सामंजस्य बनाना पड़ेगा। यह सन् 1996 के अन्दर माननीय भैरोंसिंहजी का स्टेटमेंट है यहां। रेट के अन्दर हमें कोई न कोई सामंजस्य बनाना पड़ेगा। सदन के विपक्ष के नेता और माननीय सदस्य जितने भी हों उन सबने कहा है कि अगर रेट्स बढ़ाई जायें तो हमें आपत्ति नहीं है। मैं सोचता हूं कि आपकी सलाह और सुझाव का मैं निश्चित रूप से लाभ उठाउंगा। यह मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं। यह सन् 1996 के अन्दर सदन में ही डिबेट हुई है। तो रेट भी बढ़ी है, रेटें बढ़ेंगी और जनता को गुमराह करोगे तो वोट नहीं मिलेगा। सच्चाई बतायेंगे तो शायद किसी जगह वोट मिल जायेंगे। तो बिजली की बात का इतना राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री सांवरलाल : मोटरें नहीं चलती हैं, जवाजा में ट्यूबवैल खुदे हुये नहीं है इसलिये आपको तकलीफ कम हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

डा. के. सी. चौधरी : आपका गलत खयाल है। जवाजा में बिजली बराबर मिल रही है। जैसा अभी बताया पांच हजार की आबादी के गांव में बिजली मिलना शुरू हो चुका है, 24 घंटे और हमारे वहां भी वही की वही बिजली है। मुझे बोलने के लिये, मान्यवर, आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंहजी।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने इस बिजली की चर्चा पर बोलने का समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त जल्दी करना, उसके लिये धन्यवाद।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : आप कहें तो बोलूं ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, बोलें।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : वैसे बोलने का कोई औचित्य तो है नहीं, बिजली तो वही 2 घंटे मिलनी है। बिजली के घोड़े 5 बना दिये इन्होंने, जिसमें एक घोड़ा बीच में खड़ा है और 4 अलग-अलग दिशाओं में हैं जिसकी कमान किसी के हाथ में नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो इलैक्ट्रोनिक मीटर खरीदे, जयपुर की कम्पनी हो, चाहे बैंगलोर की हो, चाहे दिल्ली की हो, इन्होंने कुछ मीटर तो ऐसे खरीदे जिनमें यदि अर्थ का तार हटा दिया जाये तो वे चलते रहेंगे। और कुछ मीटर ऐसे खरीदे जिनमें अर्थ का तार हटा दिया जाये तो चलेंगे ही नहीं। कम्पनी ने मीटर फेल कर दिये जिनमें 20 करोड़ रुपये इस राजस्थान की

(श्री यशवंत सिंह (रामू))

जनता के पसीने की गाढ़ी कमाई पानी की तरह बहा दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टीवी में एक एड आता है कि बिजली का झटका धीरे से लगे, लेकिन यहां तो उलटी ही बात है कि मीटर का झटका इतना जोर से लगे कि होश ही नहीं आये। जहां किसान का बिल सौ रुपये का आता था, आज उसका बिल 500 और 1000 रुपये का आता है और बिजली दी जाती है वही दो घंटे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब गांव में बात करते हैं, उधर से कह रहे थे, माननीय ताम्बीजी और हमारे ब्यावर से आने वाले सदस्य श्री के. सी. चौधरी साहब की बिजली इन्होंने तो बिलकुल उत्पादन की नहीं और हमने बहुत उत्पादन किया है। हम वहां से लाये हैं, यह किया, फलां किया। लेकिन वह सारी बिजली जा कहां रही है, मेरी समझ में आज तक नहीं आ रहा है।

एक माननीय सदस्य : फिर क्यों बोल रहे हो?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : बिजली पैदा तो खूब हो रही है पर गांवों में नहीं पहुंच रही है।

श्री धर्मपाल चौधरी : ताम्बीजी के फार्म हाउस में जा रही है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक किताब निकाली कि विद्युत तंत्र में सुधार किया जायेगा जिसमें 75 परसेंट सुधार हो चुका और 25 परसेंट सुधार हम करेंगे। बिजली के तार जो ढीले पड़े हैं उनको टाइट करेंगे। गांव प्रशासन के संग, तीन साल से पता नहीं किसके साथ था प्रशासन? आज ए.ईएन., जे.ईएन. को पूछें, कहां गये, तो कहेंगे कि प्रशासन गांव के साथ गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तारों की हालत वैसी की वैसी ही है, ढीले पड़े हैं। ट्रांसफार्मर फुक जाता है तो चिल्लाते रहो, कोई सुनने वाला धनी-धोरी नहीं है। दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान वैसे ही अकाल की मार झेल रहा है। किसानों ने दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल पहले फाइल भरी.....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप व्यर्थ में बोल रहे हैं। सुन तो नहीं रहे हैं आपकी बात, आप व्यर्थ में बोल रहे हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : वह तो मैंने पहले ही कह दिया था कि बोलने का कोई अर्थ नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर सुनने नहीं दे रहे हैं न।

एक माननीय सदस्य : तो रिकार्ड हो जायेगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर सुनने नहीं दे रहे हैं।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मैं इसलिये नहीं बोल रहा कि मेरी बात पर ध्यान दिया जायेगा और इसमें सुधार हो जायेगा। मैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय को यह संकेत कर रहा हूं कि गवर्नमैंट कितनी सजग है।

श्री उपाध्यक्ष : रिकार्ड हो रहा है, आप क्यों चिन्ता करते हो, पढ़ लेंगे वह।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों ने दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल पहले कृषि कनेक्शन के लिये फाइल भरी, दो-दो, तीन-तीन साल डिमाण्ड नोटिस जमा करते हुए हो गये लेकिन आज तक उनको कनेक्शंन नहीं मिला और कोई व्यापारी एक महीने पहले कनेक्शन की फाइल भरता है तो उसको एक महीने बाद कनेक्शन दे दिया जाता है। क्या किसान बिजली का बिल नहीं देता या व्यापारी अलग से बिल देता है जो व्यापारी को 24 घंटे लाइट दी जाती है और किसान को छह घंटे लाइट देने में सरकार में हड़बड़ी मच जाती है? सारी की सारी गवर्नमैंट हिल जाती है कि आठ घंटे बिजली देंगे। कोई दस घंटे देंगे, पांच हजार के गांव में 24 घंटे बिजली देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन थोथी घोषणाओं का क्या अर्थ निकलता है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्रीजी का ध्यान भरतपुर जिले की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा अगर समय हो तो, अगर बात सुन सकें, फुर्सत मिल जाये तो।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, आप फरमायें।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे यहां यह हाल है कि भरतपुर से ही लाइट आ रही है और वापस भरतपुर में ही जा रही है। मतलब हम छीजत रोकेंगे? भरतपुर से चली और घूमकर वापस भरतपुर में पहुंच गई।

एक माननीय सदस्य : नदबई नहीं पहुंची क्या?

श्री यशवन्त सिंह (रामू) : मात्र पांच हजार रुपये के लिये कि हमको रेलवे बोर्ड परमिशन नहीं दे रहा है, हम क्या करें? रेलवे बोर्ड परमिशन देगा जब हम इसको अलग कर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई 45 गांव ऐसे हैं भरतपुर कांस्टीट्यूएंसी के, दस गांव कुम्हेर के हैं और 40-42 गांव सेवर पंचायत समिति के लगते हैं। आप कैसे छीजत रोकने की बात करते हो? चार बार धरना दे लिया, हर बार आपके जो डी.सी. सामन्त साहब हैं उनका लैटर गया कि हमने ये कार्य पूरे कर दिये। मैं, माननीय मंत्री महोदय, आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि झूठी खबर देते हैं आपके अधिकारी। ये आपको भी गुमराह करते हैं और हमको भी गुमराह करते हैं। इन्होंने टिक करके भेज दिया कि ये काम हो गये, आपके ये काम हो गये, यह काम हो गये। आप किसी भी अधिकारी को भेजकर चैक करायें कि जिस-जिस बात पर चार बार धरना दिया गया था उनसे एक भी काम इन्होंने पूरा किया क्या?

एक माननीय सदस्य : निगम उनके नियंत्रण में नहीं है।

श्री मदन दिलावर : उनके नियंत्रण में यह नहीं है, परन्तु यह कह रहे हैं कि उनके बस की तो कोई भी बात नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** आप तो भगवान के नियंत्रण में भी नहीं हो। आप तो ईश्वर के नियंत्रण में भी नहीं हो।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को भी याद होगा, माननीय मंत्री महोदय, मंत्री बनते ही भरतपुर पधारे थे। भरतपुर से कुछ ज्यादा ही लगाव है इनका। जब भरतपुर पधारे तो इन्होंने मेरे ढहरा मोड़ से बरखेड़ा लाइन को अलग करने की घोषणा की थी जिसे चारों ओर पेपरों में छापा गया था। आज माननीय मंत्री महोदय की बात को तीन साल हो गये, मंत्री महोदय की उस बात पर ही ध्यान नहीं दिया गया और वह लाइन जैसी थी वैसी की वैसी चल रही है। (व्यवधान) वह तो है, डिनाई नहीं कर सकते। पर निहाल नहीं करते न, सबसे बड़ी बात यह है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक छोटा-सा निवेदन और है कि मेरे यहां ओ.सी.बी. फुकी पड़ी हैं तीनों की तीनों। जो कवाई सब-स्टेशन का आप उद्घाटन करने जा रहे हो कि हमने नई ओ.सी.बी. लगा दी, ओ.सी.बी. दो दिन नहीं चली और वह फुक गई। एक कटारा है सब-स्टेशन उसकी ओ.सी.बी. फुंक गई और व्यवस्था नहीं करा सके तो आप कम से कम इन ओ.सी.बी. की व्यवस्था करा दें। नहीं तो मैं आपको इस सदन के माध्यम से चेतावनी देता हूं कि आपकी रेलवे की जो लाइट जाती है वह मेरे नदबई 132 के.वी. पर होकर जाती है। आपकी रेल मैं खड़ी कर दूंगा, बयाना से आगे रेल नहीं बढ़ने दूंगा। (व्यवधान) इनको जवाब देना पड़ता है। मेरे नदबई 132 के.वी. पर होकर लाइट सप्लाई होती है और मेरे 132 के.वी. आप नहीं काट सकते, मैं चेतावनी देता हूं आपको।

डा. चन्द्रभान : वह तो मीटर गेज है।

श्री यशवन्त सिंह (रामू) **:** माननीय मंत्री महोदय, शायद आपको ज्ञात नहीं है कि जो आप बिजली देते हो रेलवे को जिससे रेलवे का पैसा एडवांस ले रखा है, वह नदबई होकर सप्लाई है आपकी बयाना की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय से पुनः आग्रह है कि ये मेरी छोटी-मोटी चीजें हैं, बिजली तो आप दो या नहीं दो, ओ.सी.बी. और जो सब-स्टेशनों के प्रस्ताव आये पड़े हैं थोड़े-बहुत... (व्यवधान) मंत्री रहें या नहीं रहें अगली बार, पता ही नहीं कुछ। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सम्माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान में इन दिनों चारों तरफ बिजली की कमी को लेकर उपभोक्ताओं में, औद्योगिक संस्थाओं में और किसान जो खेती के काम कर रहे हैं, उन सबमें एक बड़ी पीड़ा की स्थिति बनी हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष जिस समय राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग विधेयक सदन में पारित किया जा रहा था, उस समय इस आयोग को लागू करने, इसको पारित करने और इसकी कार्य-विधि राजस्थान में लागू करने के विषय में जबरदस्त विरोध माननीय सदस्यों द्वारा प्रकट किया गया था और साथ में यह भी बताया गया था कि अन्य राज्यों में जहां पर इस प्रकार के आयोग गठित हुए, उसके गम्भीर दुष्परिणाम वहां की जनता को और वहां की सरकारों को भुगतने पड़े हैं। बावजूद इसके आयोग लागू किया गया। आयोग लागू करने के बाद निरन्तर बिजली आपूर्ति में उपभोक्ताओं को जिस प्रकार संतोष होना चाहिये, उसके स्थान पर असंतोष लगातार बढ़ता गया। कितने मेगावाट बिजली कहां पैदा होती है और राजस्थान सरकार की क्या-क्या उपलब्धियां रहीं, इसके बारे में माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने अपना लम्बा-चौड़ा पर्चा यहां पर पढ़ा, मैं उस पर नहीं जाकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपभोक्ताओं के सामने आये दिन जो समस्याएं खड़ी होती हैं, जिसके कारण आम उपभोक्ता परेशान है, उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अभी श्री के. सी. चौधरी साहब ने कहा कि मीटर फास्ट चलता है उसके बारे में आम उपभोक्ता यूं ही चिल्लाता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सामान्य उपभोक्ता पंखा चलाता है, सामान्य उपभोक्ता दो लट्टू या एक लट्टू जलाता है। किसी के पंखा होगा, किसी के कूलर होगा या और भी आर्टिकल्स हो सकते हैं जिनके द्वारा बिजली ली जाती है। वह वर्षों से बिजली के उन्हीं यंत्रों का, उन्हीं फैसिलिटीज का कंजम्पशन करता आ रहा है, जिसके बिल सामान्य रूप से 700-800 रुपये प्रति माह या दो माह में आते हैं। आज वे बिल बढ़कर किसी उपभोक्ता के तीन हजार, किसी उपभोक्ता के चार हजार आ रहे हैं। एक लट्टू लगाने वाले उपभोक्ता के भी आठ-आठ, दस-दस हजार रुपये आते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विकराल स्थिति बनी हुई है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। फर्स्ट डिपोजिट द मनी, उसके बाद आपकी बात सुनी जायेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रोजमर्रा के जीवन में लोगों के सामने यह जो संकट खड़ा हो गया है, बहुत सारे ग्रामीण उपभोक्ताओं ने तय कर लिया है कि हमारे जो पुराने समय में लालटेन जलती थी या बत्ती जलाते थे, उसी के ऊपर हमको गुजारा करना पड़ेगा। यह स्थिति सामान्य रूप से...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष जी, ऊर्जा मंत्रीजी बहुत असत्य कहते हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : अब आप मानो नहीं मानो, लेकिन ग्रामीण जनता में यह आम धारणा बन गयी है कि यह जो बिजली का कनेक्शन हैं, बिजली का कनेक्शन दे दिया कुछ गांवों में तो मामूली बिजली देते हैं। जिस समय बच्चा पढ़ता है 6 बजे से या घरेलू धन्धा होता है 6 बजे से 10 बजे तक, बिजली का वोल्टेज इतना कम आता है कि उसमें न तो बच्चा पढ़ सकता है, न कोई दूसरा अच्छा काम कर सकते हैं। 10 बजे बाद बिजली मिलती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो मीटर फास्ट चलने के कारण से और दूसरे मीटर रीडर आपके आते नहीं हैं, न आपने मीटर रीडर जगह-जगह रखा है। एक कम्प्यूटर की व्यवस्था कर दी, कम्प्यूटर बिल दे दिया। उस बिल का आपको भुगतान करना पड़ेगा। इसलिये सबसे पहला मेरा सरकार पर आरोप है या आपका जो आयोग है इस पर आरोप है, जब आप गाड़ी में बैठे ही नहीं और पैसे वसूल कर रहे हो, यह कौनसा तरीका है? चीज तो दुकानदार से ली नहीं हमने, फिर भी उसके पैसे वसूल किये जा रहे हैं। इस प्रकार की लूट-खसोट और कोई एजेन्सी करे तो उसका इलाज कर सकते हैं लेकिन यदि गवर्नमेंट की एजेन्सी इस प्रकार का दुराचार करती है, लूट-खसोट करती है और उसको हम रोक नहीं पायें, तो यह किस प्रकार की सरकार है, क्या व्यवस्था है?

आज आम उपभोक्ता परेशान है। राजस्थान में चारों तरफ हाहाकार फैला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो यहां पर विपक्ष में बैठती है और राज्य में शासन करने वाली पार्टी रही है, उसके द्वारा आपको बार-बार चेतावनी देने के बावजूद लाखों-करोड़ों रुपयों की छीजत हो रही है, उस छीजत को आप रोक नहीं रहे हैं। विपक्ष के नेता महोदय ने हर बार आपको स्टेटमेंट देकर जागरूक करने की कोशिश की है कि इतनी आपके ट्रांसमिशन में छीजत हो रही है, इस छीजत को रोका जाये। लेकिन बार-बार कहने के बावजूद छीजत रोकने की सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोशिश नहीं की गयी है। जिस समय आप चुनाव में आये, चुनाव में कहा कि 37 पैसे प्रति यूनिट हम किसानों को बिजली देंगे, उपभोक्ताओं को बिजली देंगे। उसके बाद रेट कितनी बढ़ा दी एक यूनिट की? मैंने गत विधान सभा में सवाल किया था उसमें आपका उत्तर मिला, उस उत्तर को देखकर बड़ा संरप्राइज होता है। आपने प्रति यूनिट के लिये लिखा है जनवरी, 1999 के बाद विभिन्न श्रेणी की विद्युत दरों एवं अन्य मदों में निम्न प्रकार वृद्धि की गयी। विद्युत दरों में वृद्धि बिलिंग माह नवम्बर, 1999 से जिसका विवरण दिया गया, उसके अनुसार आपने दुनिया भर की वृद्धि कर दी। स्थाई सेवा शुल्क, मीटर किराया इत्यादि। मार्च, 1999 और मार्च, 2000 में की गयी। इसी प्रकार ईंधन अधिभार, विद्युत शुल्क में

(श्री हीरासिंह चौहान)

वृद्धि, विद्युत दरों में प्रतिमाह वृद्धि। इस प्रकार आपने एक-एक साल में चार-चार बार वृद्धि की। जब हमारी सरकार द्वारा कभी दो पैसे बढ़ाये जाते तो उसका आप विपक्ष में बैठते थे, उस समय जबरदस्त हो-हल्ला करते थे कि सरकार बिजली की दरें बढ़ा रही है। लेकिन एक साल में आपने विद्युत दरों में अनाप-शनाप वृद्धि करके इस राजस्थान के साथ ठगी की है। आपका घोषणा पत्र था कि आठ घंटे बिजली देंगे। आज प्रातः काल ही मेरे विधान सभा क्षेत्र के पीपल्या जहां पर 133 के.वी. का सब-स्टेशन है, वहां से फोन आया कि तारीख 3.11.2001 से 5.11.2001 तक तीन घंटे बिजली दी। दो बार दिन में दी जायेगी। उसके बाद तारीख 9.11.2001 से तीन घंटे दिन में और चार घंटे रात में और उसकी भी लाग बुक भरी जाती है। बिजली वितरण करने का जो रजिस्टर है उसको भी बताया नहीं जा रहा है। अभी रबी की फसल की बुवाई का समय चल रहा है, हम हमारे ट्रेडिशनल साधन काम में लेते, चाहे कुएं चलाते, चड़स चलाते, चाहे कुओं में इंजन वगैरह चलाते, हालांकि उससे हमको नुकसान होता लेकिन कम से कम हमारे साधन तो हमारे पास थे। उसके अनुसार हम उतनी बुवाई करते। उसके अनुसार इतना ही करते। लेकिन जब सरकार बिजली किसानों को दे चुकी, कुओं का कनेक्शन कर चुकी, कुओं के कनेक्शन करने के बावजूद भी आप समय पर बिजली न देकर किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। अब किसान किसके पास जायेगा?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है और इस स्थिति में किसी प्रकार का सुधार नहीं आ रहा है। आज हमारे किसानों को पीपल्या में बिजली ब्यावर से मिलती है। ब्यावर वाले बिलाड़ा को देते हैं, बिलाड़ा वाले मन चाहे जितना लोड देते हैं, नहीं देते हैं, उनकी मर्जी पर निर्भर है। इस स्थिति का अध्ययन करने के लिये हम बार-बार कहते हैं कि बिलाड़ा द्वारा हमारा जितना वोल्टेज आना चाहिये, हमको जितनी बिजली मिलनी चाहिये, उसमें कटौती होती है। उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इसलिये, उपाध्यक्षजी, यह जो स्थिति आज राज्य में बनी है, इस स्थिति से आम उपभोक्ता बड़ा परेशान है।

आपने कुओं के लिये कहा कि कुएं का 9 महीने तक कृषि कनेक्शन काट लेंगे और उसके बाद बिलिंग में हम इसका वापस कनेक्शन कर देंगे। वह व्यवस्था भी अभी तक लागू नहीं हुई है। किसानों के कुओं पर अभी तक जो औसतन बिजली आनी चाहिये, उसकी भी कोई व्यवस्था आज दिन तक नहीं की जा रही है।

इसी प्रकार आपने घोषणा की कि पांच हजार की आबादी के जो गांव हैं उनको

(श्री हीरासिंह चौहान)

हम विद्युत सप्लाई में लगातार बनाये रखेंगे। पिछले दिनों ''प्रशासन गांवों के संग'' का आपने एक अभियान चलाया, कई ऐसे पांच हजार की आबादी वाले गांव हैं मिसालपुर में मैं गया, रायपुर में मैं गया, बर की पांच हजार की आबादी है, गिरी की पांच जहार की आबादी है, लेकिन वहां बिजली हमेशा गुल। वहां पर बिजली मिलती ही नहीं, इस प्रकार की स्थिति है। आप घोषणा ही क्यों करते हो? अगर आप घोषणा करते हो तो घोषणा की पालना करनी चाहिये। अगर किसी घोषणा की हम पालना नहीं कर सकते तो इस प्रकार की घोषणा नहीं की जानी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष जी, ऊर्जा मंत्रीजी तो हैं नहीं, लेकिन सरकार के और प्रतिनिधि बैठे हैं, मंत्रिमण्डल के कैबिनेट स्तर के आप

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लिख रहे हैं इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह जो स्थिति बनी है, इस स्थिति को नहीं सुधारेंगे तो यह स्थिति आपके और हमारे सबके लिये बड़ी दुःखदायी रहेगी। आज पावर जनरेशन के द्वारा ही हर चीज का प्रोडक्शन होता है और इसको हमने हर फील्ड में फैला दिया तो इसका हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना चाहिये। इस पर जब तक सरकार मजबूती से नियंत्रण नहीं रखेगी तो यह आम उपभोक्ताओं के लिये एक बड़ा दुःख का विषय बन गया है। इसलिये, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली की व्यवस्था ठीक की जाये। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी की जगह माननीय गृह मंत्री नोट कर रहे हैं, मैं एक बहुत सीरियस पाइंट उठा रहा हूं। तारीख 28 सितम्बर से 30 नवम्बर तक रूणेचा के पास में बहुत बड़ा और प्रसिद्ध रामदेवजी बाबा का मेला हमारे रायपुर विधान सभा क्षेत्र में भरता है। मेले में व्यवस्था के लिये राज्य सरकार द्वारा उप खण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, हमने तीन जनरेटर अलग लिये। उसके बावजूद 1,27,920 रुपये का बिल दिया कि मेले की व्यवस्था के लिये बिजली चोरी से ले ली गयी जबकि हमने वहां बिजली ली ही नहीं। किसी प्रकार की बिजली नहीं ली। इसका हमने विधान सभा में भी सवाल पूछा है और जोधपुर, वितरण निगम से भी इस बात की जानकारी चाही है कि किस प्रकार से आया। वह मेला एक प्रसिद्ध मेला है, जहां पर तीन जनरेटर सैट अलग लगाये गये, विद्युत की किसी प्रकार की चोरी नहीं की गयी। यह एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत बड़ा उदाहरण है। साधारण किसानों के साथ क्या हो रहा होगा? उन्होंने 1,27,920 रुपये की रिकवरी निकाली। हमने इसके बारे में शिकायत की है। चोरी-छिपे जे.ईएन. आया। हमारा तहसीलदार तीनों ही दिन

(श्री हीरासिंह चौहान)

चौबीस घंटे वहां पर बैठा रहा, तीनों दिन बैठकर जांच करता रहा।

(18.00 बजे)

जब कभी भी आप इस प्रकार की चोरी पकड़ते हो, थैप्ट करने वालों को नोटिस देते हो, उसमें ले जाते हो कि यहां आप चोरी कर रहे हो? हमारा तहसीलदार रैगुलर वहां पर बना हुआ, उसको कोई सूचना नहीं, मेला कमेटी को कोई सूचना नहीं और चोरी-छिपे इस प्रकार की व्यवस्थाएं कर दीं। चोरियों के केस बनाकर जो भी रिकवरी के लिये अमाउंट दिया है, इस प्रकार करना चाहते हो? यह एक उदाहरण है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार किसानों के साथ लूट-खसोट नहीं करें। किसान गरीब होता है, तीन साल के अकाल के बाद इस साल कुओं में पानी हुआ है, वह कनेक्शन करवा कर कृषि का उत्पादन करना चाहता है लेकिन कनेक्शन मिल नहीं रहा है। आपने घोषणा की थी कि हम 2003 तक पांच वर्ष में जितने भी लोगों ने कृषि कनेक्शंस के लिये एप्लाई कर रखा है, 1998 तक, उनको हम कनेक्शन दे देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति यह आयी है कि 1994 तक ये कनेक्शन दे रहे हैं और 2001 निकल रहा है। जिस प्रकार 1998 तक, जिन-जिन लोगों ने एप्लाई कर रखा है कृषि कनेक्शन के लिये, उनको कनेक्शन देंगे? पहले की घोषित नीति के अनुसार जिस गांव में बिजली का कनेक्शन दिया जाता है उसमें एक या दो कुओं का कनेक्शन देने की नीति निर्धारित थी, आज बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां एक भी कुएं को कृषि कनेक्शन नहीं दिया। उदाहरण के तौर पर मैं कोटकिराणा बताता हूं, बगड़ी बताता हूं, कलावा बताता हूं, रायड़ा बताता हूं जहां पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत के कुओं के कनेक्शन के लिये एप्लाई कर रखा है लेकिन आज दिन तक कनेक्शन नहीं दे रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मेरे विधान सभा क्षेत्र में 3 पंचायतें हैं जिनमें सात गांव हैं जो बिलकुल ब्यावर से एडजोइनिंग पड़ते हैं। हमारे वहां से 40 किलोमीटर की लम्बी लाइन जंगल पार कर आती है। कई बार विभाग द्वारा हां भरी गयी कि हम इसको जवाजा से जोड़ देंगे, लेकिन हमारे बार-बार निवेदन के बावजूद भी आज दिन तक उनको जवाजा से नहीं जोड़ा गया इसलिये, गृह मंत्रीजी, वहां पर बिलकुल लाइट आती ही नहीं है। कुछ घंटे आती है। लाइन खराब है तो लाइनमैन नहीं है। इनके पास किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर रखी है। आपके पास लाइनमैन नहीं है, आपके पास मीटर रीडिंग करने वाला नहीं है, मनमाना बिल भेज रहे हो और एक तरह से लोगों के साथ लूट-खसोट का वातावरण

(श्री हीरासिंह चौहान)

बना रहे हो। यह एक बड़ी दुःखद स्थिति है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ये सामान्य बातें हैं, जिससे आम उपभोक्ता बड़ा दुःखी है, उससे उबारने की कोशिश की जाये। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्रजी पारीक। (अनुपस्थित) श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ऊर्जा राज्य मंत्रीजी ने जो स्टेटमेंट पढ़ा, जो हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ उसे मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना यह बात तो अवश्य है कि विद्युत का उत्पादन हुआ, विद्युत के उत्पादन के साथ में प्रसारण का कार्य हुआ है। लेकिन आठ वर्षों के अन्दर भारतीय जनता पार्टी का जो राज रहा, मैं चाहता हूं कि उनकी तरफ से जो भी भैरोंसिंहजी बयान दें, उप नेता बयान दें तो स्पष्ट करें कि उन्होंने किस प्रकार का उत्पादन इन आठ वर्षों में किया।

(18.04 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

मेरे शिव तहसील क्षेत्र में उन्होंने सौर ऊर्जा का शिलान्यास किया, जैसलमेर के अन्दर सौर ऊर्जा का शिलान्यास किया। बराबर वे भाषण देते थे कि हमारे सौर ऊर्जा की इतनी गुंजाइश है कि हम हमारी सौर ऊर्जा से राजस्थान में बिजली की पूरी तरह से व्यवस्था कर देंगे। एक भी कदम उनका सफल नहीं रहा। इसी प्रकार से कोई भी बिजली उत्पादन में प्रगति की हो नहीं लगता, नहीं के बराबर प्रगति रही।

प्रसारण की दृष्टि से दूसरी प्रगति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जिले में ही 132 के.वी. लाइन का कार्य स्वीकृत होकर तीव्र गति से चल रहा है। 33 के.वी. लाइन की भी प्रोग्रेस चल रही है। 11 के.वी. की भी प्रोग्रेस चल रही है पांच स्थानों पर 400 के.वी. की स्थापना हुई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब बाड़मेर जिले में 132 के.वी. लाइन, 33 के.वी. लाइन, 11 के.वी. लाइन का विस्तार हो रहा है तो बाड़मेर जिले के मुख्यालय में 220 के.वी. लाइन की आवश्यकता है, 220 के.वी. लाइन तुरन्त से तुरन्त स्वीकृत की जाये ताकि ये जितनी भी 33 के.वी., 11 के.वी. लाइन और 132 के.वी. लाइनें हैं उनका पूरा लाभ मिल सके और विद्युत में फ्लक्चुएशन नहीं हो। इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, यह मेरी प्रथम बात है।

दूसरी बात मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि आपने जितनी भी 132 के.वी. लाइन, 33 के.वी. लाइन और 11 के.वी. लाइन स्वीकृत की हैं, शिलान्यास कर दिये परन्तु शिलान्यास करने के बाद में उनकी

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

प्रगति बहुत धीमी है। धीमी प्रगति है इसलिये इस कार्य का पूरा प्रयास करें। एक शिव की जो 130 के.वी. लाइन स्वीकृत की है उसको युद्ध स्तर पर करें। इसका कारण क्या है कि ऊंडू से ट्यूबवैल से करीब 100 तो गांवों में और करीब 150 ढाणियों की पीने के पानी की व्यवस्था होती है। ऊंडू में ट्यूबवैल के द्वारा किसानों ने भी एग्रीकल्चर वैल्स स्थापित कर दिये हैं, तो उनकी भी मांग की पूर्ति करनी है और पीने के पानी का संकट भी हल करना है। दो वर्षों से मैं बराबर देख रहा हूं कि 132 के.वी. लाइन नहीं होने से पीने के पानी का संकट रहता है। इसलिये इस कार्य को युद्ध स्तर पर किया जाये ताकि दो महीने के अन्दर यह कम्पलीट होकर गर्मी आये उस वक्त पीने के पानी का संकट नहीं हो।

पीने के पानी की योजनाओं के लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जो पीने के पानी की योजनाएं बनी हैं, ट्यूबवैल बहुत कम स्थानों पर हैं और 50-50 किलोमीटर, कहीं 70-70 किलोमीटर, कहीं 100 किलोमीटर लाइन है, उनके कनेक्शंस दिये हुये हैं। ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हुये हैं, इसलिये जब तक 20 घंटे बिजली नहीं मिलती है, सुचारू रूप से पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो सकती। इस सम्बन्ध में भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे हमारे लिये पीने के पानी की व्यवस्था जो बिजली से सम्बन्धित है, वह हो सके।

उत्पादन की दृष्टि से मैं कह रहा था, अभी 752 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है और हमारी गवर्नमेंट की योजना है, निगम की योजना है कि 50 साल में हमें जो उपलब्धि हुई है पांच वर्षों में उसकी 50 परसेंट उपलब्धि कर लें। तो वास्तव में यह जो लक्ष्य बनाया गया है यह सराहनीय है और सफलता मिल रही है। सूरतगढ़ में दूसरा तापीय विद्युत गृह हुआ है और समय से भी पहले 6 महीने पहले हुआ है। इस रफ्तार से जिस प्रकार कार्य चल रहा है वह वास्तव में बहुत ही सराहनीय है।

हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्कोप है। लिग्नाइट का ज़िस के बारे में हमारे एक मित्र कह रहे थे। लिग्नाइट के बारे में मैंने अभी विधान सभा में एक प्रश्न पूछा था, शिव के अन्दर जो गिराल है और साथ-साथ में सुरोली के बारे में तो यह स्पष्ट बताया गया कि जिले में लिग्नाइट को अब तक लगभग 1546.94 मिलियन टन भण्डार शुद्ध हो चुका है और हमारे बाड़मेर जिले में लिग्नाइट का 8546.94 मिलियन टन भण्डार शुद्ध हो चुका है। 1995 से लेकर 2001 तक कुल 11.22 लाख टन लिग्नाइट का उत्पादन हो गया है गिराल में। इसी प्रकार

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

से सुमरी में भी वे कार्य कर रहे हैं। 132 मेगावाट का गिराल में आप पावर हाउस बना सकते हैं आपको पूरी लिग्नाइट अप-टू-डेट मिल सकती है। जालीया और कपूरड़ी में तीन सौ गुणा दो, इस प्रकार के दो पावर हाउस की योजना है और उन दोनों पावर हाउसेज में 1200 मेगावाट का स्कोप है। तो इस प्रकार बिजली की आप व्यवस्था करेंगे। मैं देख रहा हूं जालीया और कपूरड़ी का पन्द्रह वर्ष से प्रयास चल रहा है, लेकिन पन्द्रह वर्ष से प्रयास करने पर भी किसी कम्पनी से एग्रीमेंट करके इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं हुई है। यह व्यवस्था की जाये। हमारे जिले में लिग्नाइट इतना है, 600 मेगावाट की कैपेसिटी बता दी आपको जालीया में और 300 मेगावाट की कपूरड़ी में। इस प्रकार के लिग्नाइट बैल्ट हैं। इसके सिवाय लिग्नाइट और भी क्षेत्र में है। लिग्नाइट प्रोजेक्ट जैसे बरसिंहसर में है, वह अभी शुरू नहीं हुआ है। 20 वर्षों से काम चल रहा है, लेकिन वह व्यवस्था भी नहीं हो सकी। उत्पादन की जब पूरी गुंजाइश है तो उत्पादन करके हमारे यहां पावर हाउस स्थापित करने की बहुत ही जरूरत है। बताया गया है कि बाड़मेर जिले में 92.53 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण हो चुका है। यह रिपोर्ट मैं पढ़ता हूं। यह प्रगति प्रतिवेदन है, इसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि बाड़मेर जिले में 92.53 प्रतिशत है। यह प्रगति प्रतिवेदन में बिलकुल गलत दिया गया है। हमारे यहां अभी गांव हैं। 941 जिसमें 40 प्रतिशत ही ग्रामीण क्षेत्र कवर हुआ है, 60 प्रतिशत नहीं हुआ है। यानी 40 प्रतिशत ही विद्युतीकरण हुआ है। ये जो आप आंकड़े देते हो और रिपोर्ट प्रस्तुत करते हो, ये आंकड़े गुमराह करते हैं। पुराने गांव जो नये हो गये, उन नये गांवों का विद्युतीकरण कतई नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था विद्युतीकरण के सम्बन्ध में नहीं हुई। वहां कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगाये गये, कोई पोल्स नहीं, कोई वायर नहीं, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार जो आप कर रहे हो वह दरअसल उचित नहीं है। हमारे जिले में जो ग्रामीण क्षेत्र विद्युतीकरण नहीं हुआ। उसको प्राथमिकता से करवायें। दो साल के अन्दर 92.53 प्रतिशत जो बताया है, इसकी पूर्ति करिये ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके।

एक प्रश्न बार-बार उठाया जाता है। इलैक्ट्रिक मीटर्स के बारे में। वह भ्रांति बहुत ज्यादा फैल रही है, भारतीय जनता पार्टी वाले ज्यादा फैला रहे हैं। इस भ्रांति को आपको दूर कर देना चाहिये। आपका प्रशासन गांवों के साथ अभियान चला रहा है, कुछ समस्याएं हल हो रही हैं। यह अभियान वास्तव में बहुत सफल हो रहा है। उसमें यह भी बता दीजिये कि हमारा मीटर वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, उसमें कोई गलती नहीं है। पहले लोग मीटर्स में गड़बड़

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

करके विद्युत की चोरी कर लेते थे तो उनके दिमाग इस प्रकार के हो गये हैं कि वे उसी दृष्टिकोण से सोचते हैं तो यह बताने की बहुत आवश्यकता है कि हमारे मीटर्स में कोई गड़बड़ नहीं है।

दूसरी बात है पोल्स के बारे में। विद्युत कनेक्शन जो ग्रामीण क्षेत्रों में दिये जाते हैं, बहुत ही बड़े-बड़े गांव हैं, वहां पर एक-एक ढाणी दूर होती है और इस वजह से वहां पर पोल्स की राशि लगती है। वे पोल्स की राशि देने में कतई सक्षम नहीं है। किसी प्रकार से विद्युत कनेक्शन हो ही नहीं सकते।

श्री सभापति : बिराजिये, माननीय सदस्य, पन्द्रह मिनट हो गये।

श्री वृद्धिचन्द जैन : मैं अधिक नहीं कहकर यही कहना चाहता हूं कि हम उत्पादन की दृष्टि से सफल हो रहे हैं, प्रसारण की दृष्टि से सफल हो रहे हैं पर सभी किसानों की मांग है इसलिये अभी जो रेट्स बढ़ायी गयी हैं इसके बारे में अपने को चिन्तन करना चाहिये। भारतीय जनता पार्टी को बहुत मौका मिल रहा है और वह मिथ्या प्रचार कर रही है। उन्होंने कुछ कार्य किया नहीं, स्थिति इतनी खराब कर दी थी कि बिजली का उत्पादन, प्रसारण नहीं किया और चोरी को रोकने में कोई कदम नहीं उठाये।

श्री सभापति : बिराजिये। माननीय अमरारामजी धोद।

श्री वृद्धिचन्द जैन : सम अप कर रहा हूं। उन्होंने चोरी के मामले में कोई स्टैप नहीं उठाया। इस सम्बन्ध में हमारी सरकार को सोचना चाहिये। किसानों को सब्सिडाइज करके, हमारा डवलपमेंट भले ही दूसरी दृष्टि से कम हो, पर किसान अन्नदाता है इसलिये उसके लिये हमको थोड़ी-सी सिम्पैथी रखकर उनकी मांगों की पूर्ति करनी चाहिये और रेट कम करनी चाहिये। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय अमराराम जी धोद।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सभापति महोदय, आज एक महत्त्वपूर्ण विषय ऊर्जा की स्थिति पर सदन में चर्चा हो रही है और ऊर्जा मंत्रीजी गायब हैं। (व्यवधान) गायब नहीं होंगे तो हो जायेंगे, क्योंकि इस सदन का इतिहास रहा है कि जो भी विद्युत मंत्री रहा है दुबारा लौटकर नहीं आया। इसलिये उनको गायब तो होना ही है। बिजली जाती है वैसे ही मंत्री जाते हैं, चाहे वे कितने ही सक्षम मंत्री रहे हों। (व्यवधान) देखो, समय बतायेगा। सुमित्रा जी भी नहीं आयीं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुमित्राजी तो हैं। एक बार हार कर बैठी हूं यहां।

श्री अमराराम (धोद) : मैं यह नहीं कह रहा कि कभी नहीं आता, लेकिन विद्युत मंत्री रहने के बाद चुनाव में जब जनता के बीच

(श्री अमराराम)

में जाता है तो फिर लौटकर विधान सभा का मुंह नहीं देखता। यह रिकार्ड शायद अभी भी नहीं टूटेगा।

सभापति महोदय, विद्युत मंत्रीजी ने अभी वक्तव्य सदन के बीच में दिया। मुझे अफसोस है कि जिस चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से राजस्थान के किसान और ग्रामीण जनता से वोट लेकर आये थे आठ घंटे के वायदे पर, वह आठ घंटे का नाम लेना न मंत्रीजी को सुहाता है और न सरकार को सुहाता है। आज स्टेटमेंट से भी "आठ घंटे" गायब हैं और मैं समझता हूं कि उत्तर में भी वह गायब रहेगा। अब यह कोई एक दिन की बात नहीं है, आज सरकार के पूरे तीन साल होने जा रहे हैं, राजस्थान की जनता को यह बात कहकर झुठलाया नहीं जा सकता कि पिछली सरकार ने बिजली का उत्पादन नहीं किया इसलिये अब हम आठ घंटे का हमारा वायदा पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत कनेक्शन दे दिये, यह बात कहकर राजस्थान की जनता को धोखे में नहीं रखा जा सकता। जब आपने चुनाव घोषणा पत्र दिया था, राजस्थान में निवर्तमान सरकार थी, उसने कितनी बिजली उत्पादन की, आपके सामने था। कितने लोगों को कनेक्शन दिया, यह आपके सामने था। हमने इतने लाख मेगावाट बिजली पैदा कर दी है, पिछले साल से हम 10 प्रतिशत बिजली ज्यादा दे रहे हैं, वह कहां दे रहे हैं, यह मुझे नहीं मालूम। आपकी बिजली कहां जा रही है? राजस्थान का किसान अकाल के समय में इस वायदे के लिये लगातार संघर्ष में रहा है, मैदान में रहा है। इसी विधान सभा के पिछले सत्र में एक नवम्बर को राजस्थान की विधान सभा का लाखों किसानों ने इस बात के लिये घेराव किया था कि जो वायदा राजस्थान की सरकार करके आयी है उसको पूरा करे। मंत्रीजी ने बाहर जाकर आश्वासन दिया लेकिन वही हश्र हुआ कि जो मांग करते हो वह मांग पूरी नहीं होती। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार जिस रास्ते पर चल रही है.....

श्री परसादी लाल (राज्य मंत्री, सहकारिता) : माननीय सदस्य, आपके सीकर में सात घंटे बिजली दे रहे हैं। अब तो ठीक आ रही है। आ रही है उसको तो कहो। पहले का पुराना भाषण मत दो। यह तो आपका दो साल पुराना भाषण हो गया। सात घंटे आ रही है, मेरे पास है।

श्री अमराराम (धोद) : सात घंटे या आठ घंटे जो भी है, परसादी लालजी, मंत्रीजी जवाब दे दें कि आठ घंटे हमारे वायदे के अनुसार बिजली दे रहे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। राजस्थान की जनता बतायेगी कि कितनी बिजली दे रहे हो।

श्री परसादी लाल : सात घंटे सीकर में बिजली दे रहे हैं। आपके इलाके में सात

(श्री परसादी लाल)

घंटे आ रही है। आप कहो, सात घंटे आ रही है या नहीं?

श्री अमराराम (धोद) : नहीं आ रही है और सीकर में नहीं, राजस्थान में नहीं आ रही है।

श्री परसादी लाल : आप तो सीकर की बात करो...(व्यवधान) सीकर में आ रही है कि नहीं आ रही है, यह बताओ?

श्री सभापति : बिराजो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : सिर्फ लालसोट में आ रही है सात घंटे। (व्यवधान) सिर्फ लालसोट में आ रही है दौसा जिले में। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल : सीकर की बात कर रहा हूं मैं तो...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : ऊर्जा मंत्री जी आपसे घबराते हैं, आपको सात घंटे दे रहे हैं और दौसा में दो घंटे दे रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : अब आप कितनी बिजली दे रहे हैं यह मंत्रीजी तो नहीं बता रहे हैं, परसादी लालजी बता रहे हैं। बिजली मंत्री जी खड़े होकर बता दें कि हम आठ घंटे बिजली दे रहे हैं, कहां एतराज है।

श्री परसादी लाल : मैं सीकर का प्रभारी मंत्री हूं इसलिये कह रहा हूं कि सात घंटे बिजली दे रहे हैं सीकर में...(व्यवधान) आप चैलेंज करो।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप टोंक के भी प्रभारी मंत्री थे।

श्री परसादी लाल : टोंक में तो हम खूब दे रहे हैं बिजली और भी ज्यादा दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : परसादी लालजी, प्लीज डोंट इंटरवीन।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, सात घंटे दे रहे हो तो एक घंटा कम क्यों दे रहे हो? दो घंटे बिजली दी है। सभापति महोदय, यही सरकार है जिसने दो घंटे बिजली दी है। 24 घंटे की बात कर रहे हैं कि हम पांच हजार की आबादी के गांवों को 24 घंटे बिजली दे देंगे, ये जिला हैडक्वार्टर को तो चौबीस घंटे देकर देख लें। सीकर में आज की तारीख में जिला हैडक्वार्टर पर 24 घंटे में से पांच घंटे बिजली गायब रहती है। आप कम से कम जहां 33 के.वी.ए. के सब स्टेशन हैं वहां पर 24 घंटे रख लीजिये।

श्री परसादी लाल : सीकर में 22 घंटे बिजली दे रहे हैं...(व्यवधान) आप ऐसे ही भाषण दे रहे हो।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, यह बहस का विषय नहीं है।

श्री अमराराम (धोद) : सभापति महोदय, मंत्रीजी खुद मान रहे हैं कि सीकर में 22 घंटे रहती है तो पांच हजार की आबादी वाले को मंत्रीजी 24 घंटे कहां से देंगे? क्या ऊपर से अलग लाइन लगा रखी है चन्द्रभान जी ने?

अभी मंत्रीजी ने बयान दिया है कि सदन के सामने कि हमने जो बिजली का उत्पादन किया है, हम निजी कम्पनियों के आधार पर निर्भर नहीं रहे हैं, हमने सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से बिजली का उत्पादन बढ़ाया है। लेकिन मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, पूरे बिजली के तंत्र को निजी हाथों में सौंपने का प्रस्ताव इस सदन में आपने पास किया है। पूरे बिजली तंत्र को, पूरे सिस्टम को आप निजी हाथों में देना चाह रहे हो और एक तरफ यह कह रहे हो सदन के बीच में खड़े होकर कि हमें उस पर निर्भर नहीं रहना है। उत्पादन से लेकर वितरण तक पूरा बिजली का तंत्र अगर हम निजी हाथों में दे रहे हैं तो निश्चित रूप से हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों में जहां निजी हाथों में बिजली के तंत्र को दिया गया है, उनका अनुभव भी राजस्थान की जनता के सामने रख देना चाहिये। सबसे पहले इस देश में उड़ीसा में बिजली के तंत्र को निजी हाथों में सौंपा गया था, आज उड़ीसा की क्या हालत है? उसके बाद जनरेशन महाराष्ट्र की सरकार ने चाहे वह किसी भी पार्टी की सरकार हो....

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, वैस्ट बंगाल में निजी हाथों में है। माननीय सदस्य जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं वहां....(व्यवधान) निजी हाथों में रहते हुए भी वहां का आपको क्या अनुभव है?

श्री सभापति : पारीक साहब, आपका बोलने का नम्बर आयेगा तब कह लीजिये अपनी बात को।

श्री राजेन्द्र पारीक : नम्बर आयेगा तब तो बोलना ही बोलना है। बिना नम्बर के भी बोलने की कई बार कोशिश करनी पड़ती है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : बंगाल में आपकी पार्टी है जो कभी सरकार में थी, विपक्ष में थी, अब विपक्ष का दर्जा भी खो बैठी है। (व्यवधान) शायद यही हालत रही तो कोई मैम्बर नहीं रहेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : राजस्थान में तो सरकार में हैं ना और राजस्थान में सरकार में रहेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक ही रह गया है आपकी पार्टी का। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : एक बहुत है बात रखने के लिये। सभापति महोदय, मैं समझता हूं एक बहुत है, बहुतों को यहां समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

(श्री अमराराम)

राजस्थान पूरे देश का विकास का जो आधार है, कृषि हो, उद्योग हो, समाज का विकास हो, सब बिजली पर आधारित है। राजस्थान के विकास को विनाश में बदलने का जो काम गत आठ साल तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पायी वह राजस्थान की कांग्रेस पार्टी ने पिछले तीन साल में कर दिखाया है। आज विश्नोई साहब कह रहे थे कि हम बिजली के निजीकरण और सुधार का विरोध नहीं करते, निश्चित रूप से नहीं करते क्योंकि हमारे मंत्रीजी ने अभी कोट किया है कि हमारे प्रधानमंत्रीजी ने हमको इस बात के लिये शाबासी दी है। निश्चित रूप से देंगे क्योंकि उनकी भी नीयत और नीति निजीकरण की है। किसी राज्य में निजीकरण में डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, महाराष्ट्र में उत्पादन किया गया है। जिस एनरान के बारे में कहा गया था कि 2.10 रुपये में बिजली उत्पादन करके महाराष्ट्र की जनता को देंगे, 2.10 रुपये का सपना दिखाया गया था, आज आठ रुपये यूनिट में महाराष्ट्र की जनता उसको खरीदने के लिये तैयार नहीं है तो आप जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, वह रास्ता राजस्थान के विकास को विनाश में बदलने वाला होगा। बिजली का उत्पादन कितना ही कर लें लेकिन इन भावों में कोई भी इसको लेने के लिये मैं समझता हूं तैयार नहीं होगा और न ले सकता है।

यहां छह लाख उपभोक्ता हैं, आपने बिजली सुधार के नाम से यहां सदन में जो विधेयक रखा था, आपने बड़ी बात की थी कि हम विधेयक इस बात के लिये रख रहे हैं कि अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिलेगी, सस्ती बिजली मिलेगी, बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। क्या हालत हो गयी? गुणवत्ता गायब है। कहां गुणवत्ता रह गयी? चार घंटे बिजली आपको आठ दफा मिलती है। राजस्थान का कोई भी इंजीनियर इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि किस गांव में चार घंटे बिजली किस समय से किस समय तक आयेगी। अधिकारी तो क्या मंत्रीजी नहीं दे सकते कि सही समय जो चार घंटे भी आयेगी वह अनट्रिप्ड आ जायेगी, गुणवत्ता की आ जायेगी।

कह रहे हैं हमने बहुत ग्रिड बना दिये। इसमें कौनसा बड़ा काम कर दिया? निश्चित रूप से जो सरकार चलायेगा उसको ग्रिड भी बनानी पड़ेगी। यह बात जरूर है कि आपने पत्थर लगाने में और उद्घाटन करने में रिकार्ड बनाया है। वह तीन साल पहले से चल रहा है उसका भी आपने उद्घाटन किया है। तो जिस तरह की बदहाली बिजली की है और जिस रास्ते पर चले हैं यह विकास को विनाश में बदलने का काम होगा।

जहां तक रेटों का सवाल है, हमने कहा था कि जहां-जहां निजीकरण होगा वहां रेटें दुगुनी और तिगुनी होंगी। आप तमाम

(श्री अमराराम)

उपभोक्ता चाहे वह कृषि का उपभोक्ता है, चाहे वह घरेलू उपभोक्ता है, रेट का एक साल का आप तो रिकार्ड बता दीजिये। जो फ्लेट रेट 37 पैसे थी वह 85 पैसे पहुंचा दी, मीटर में दुगनी आपने कर दी। कोई उपभोक्ता इस स्थिति में बिल नहीं दे सकता। आज राजस्थान में बिजली की रेट दुगुनी है, डीजल की दुगुनी है और जो खेत में पैदा होगा उसको समर्थन मूल्य पर भी लेने के लिये कोई सरकार तैयार नहीं है। मेरा तो आपसे निवेदन है कि जिस रेट से आपने बिजली के दाम बढ़ाये हैं और जिस रेट से हिन्दुस्तान की सरकार ने डीजल, खाद और बीज के दाम बढ़ाये हैं उसी के हिसाब से, उतनी बढ़ी हुई रेट किसान के उत्पादन की देने के लिये सरकार तैयार हो जाये तो रेट देने में किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो उत्पादन होगा उसकी बढ़ी रेट देने के लिये तैयार नहीं हैं।

सभापति महोदय, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि जो भी चोरी करता है, निश्चित रूप से पकड़ा जाना चाहिये राजस्थान में जितने बड़े उपभोक्ता हैं चोरी करते हैं, इन कम्पनियों के अधिकारियों से मिलकर करते हैं। इनको जिस तरह का टार्गेट दिया जाता है वह दिन याद दिलाता है जब इमरजेंसी में फैमिली प्लानिंग का टार्गेट देने का काम किया था। इन बिजली की कम्पनियों ने विजिलेंस के नाम से वही टार्गेट देकर, वही इनीशियेटिव देकर, वही परसेंटेज देकर पूरी जनता को भयभीत करने का काम किया है। ऐसे-ऐसे उदाहरण आपके सामने, आपके अधिकारियों के सामने दिये हैं कि जब गांव में बिजली नहीं, आपकी ग्रिड में बिजली नहीं फिर भी आपने विजलेंस कर दिया, फिर भी आपने चोरी बता दी। जब बिजली ही नहीं है तो चोरी किस बात की कर रहा है? हवा से चोरी कर रहा है? लेकिन क्योंकि कमीशन है, टार्गेट दे रखे हैं, अगर टार्गेट पूरा नहीं करेगा तो उसकी तनख्वाह रुकेगी। इसलिये, सभापति महोदय, न ये रेट कोई दे सकता है, न ये कनेक्शन कोई रख सकता है।

जिस तरह की दुर्गति किसान की हो रही है, आज उसकी हालत क्या है? आप जो भी अच्छी चीज समझते हैं, आज कह रहे हैं आर.आर.सी. में जायेंगे। लिफ्ट की हमारे जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जो सिंचाई कर रहा है उसके लिये आप आर.आर.सी. में जाइये। आर.आर.सी. मैं समझता हूं, राजस्थान की सरकार के ऊपर नहीं है। इस सदन के माध्यम से उस आर.आर.सी. का एक्ट के द्वारा गठन हुआ है, वह उससे ऊपर नहीं है। सरकार क्या यह सोचती है कि आर.आर.सी. ने रेट बढ़ायी है? जो कनेक्शन लेने में गरीब को इस बिजली से दूर करने का काम किया है वह इस सरकार को वहन नहीं करना पड़ेगा?

श्री सभापति : वक्ताओं की संख्या ज्यादा है, कृपया सहयोग कीजिये। बिराजिये। माननीय राजेन्द्र जी पारीक।

श्री अमराराम (धोद) : जिस इलैक्ट्रानिक मीटर की बात कर रहे हैं, मैं मंत्रीजी से एक ही बात कहना चाहूंगा, एक तो यह बात बता दें कि 56 लाख उपभोक्ता हैं, फ्लैट रेट छोड़ दीजिये....(व्यवधान) क्या आज तक जो मीटर लगे हुये थे वे खराब थे? किन्होंने ये मीटर लगाये रखे? जो 56 लाख उपभोक्ता हैं.....

श्री सभापति : पन्द्रह मिनट हो गये, बिराजिये।

श्री अमराराम (धोद) : उनमें 52-53 लाख उपभोक्ताओं के मीटर उतारे जायेंगे, इलैक्ट्रानिक मीटर लगाये जायेंगे। बिल की दुगुनी रेट हो गयी। नया कनेक्शन कोई ले नहीं सकता। चार महीने किसी के घर का कनेक्शन कटा हुआ रह गया तो मीटर उतार कर ले गये जो उसका मीटर था, उसका पैसा लगेगा। जिसके चार महीने घरेलू कनेक्शन कटा हुआ रह गया और उसको वापस लेना चाहता है, तो गरीब उपभोक्ता को 2300 रुपये जमा कराने पड़ते हैं। जब आपसे कहते हैं तो नहीं, आप तो आर.आर.सी. में जाइये। आपने 1760 करोड़ रुपया बढ़ा दिया सालाना, उसके बाद भी आपका घाटा कम नहीं हो रहा क्योंकि लीकेज है।

आखिर में मेरा एक ही निवेदन है कि आप पूरी व्यवस्थाएं जिस तरह से कर रहे हैं, जितने भी आपके काम हो रहे हैं, राजनीतिक आधार पर हो रहे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में खूड़ 132 का जितना लोड है, मैं समझता हूं कि पूरे अजमेर डिवीजन में, अजमेर आपकी कम्पनी है उससे तीन गुणा लोड है। मुझे तो, मंत्रीजी, आप बता दें, अजमेर कम्पनी में जितना लोड खूड़ सब स्टेशन पर है। 132 बनाने में तीन गुना कैपेसिटी से लाइनें चल रही हैं, जो चलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आज तक सैंक्शन होकर वह चालू नहीं हुआ। बार-बार मंत्रीजी भी घोषणा करें....

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : सैंक्शन हो गया ना।

श्री अमराराम (धोद) : सैंक्शन हो जायेगा, बनेगा नहीं। मुझे तो आप बता दें, उस कम्पनी में उससे ज्यादा ओवर लोडेड कोई भी जी.एस.एस. होगा तो मैं मानने के लिये तैयार हूं। लेकिन इसलिये नहीं होगा कि अमराराम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक है, कांग्रेस का नहीं है....

श्री सभापति : अब बिराजिये। माननीय राजेन्द्रजी पारीक।

श्री अमराराम (धोद) : तो मेरा आपसे निवेदन है कि यह राजनीतिक भेदभाव करेंगे, बिजली का निजीकरण करेंगे तो राजस्थान के विकास को विनाश में बदलने का काम

(श्री अमराराम)

करेंगे अब तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के नेता खुद कहते हैं कि बिजली ठीक नहीं करेंगे तो कांग्रेस का बाजा बजा देंगे। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय पारीक साहब।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) **:** माननीय सभापति महोदय, यह सदन बिजली के मामले में कितना गम्भीर है, दो सौ माननीय सदस्यों के इस हाउस में माननीय सदस्यों की उपस्थिति साबित करती है इस बात को।

अनेक माननीय सदस्य : कांग्रेस वाले नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : वे जो भी हैं। सवाल किसी पार्टी विशेष का नहीं है। सवाल है मुद्दे का।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के विषय में जब भी चर्चा होती है तो एक अखाड़े के रूप में होती है। एक पक्ष इस बात को प्रस्तुत करता है कि सर्वनाश हो गया, दूसरा पक्ष इस बात को प्रस्तुत करता है कि विकास हो गया। मैं इन दोनों ही बातों से अलग हट करके इस सदन में इस विषय की गम्भीरता को देखते हुये कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, बढ़ती हुई आबादी के लावे ने जिस कदर हर क्षेत्र में दबाव बनाया है, उसका असर विद्युत मण्डल पर भी आया। आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में चाहे कृषि का हो, औद्योगिक उत्पादन का हो, या डोमेस्टिक यूज का हो, हमारे दैनन्दिन जीवन में जिस तरह का विद्युत का एक प्रभाव बना है, आज उसकी न्यूनता या उसका न उपलब्ध होना हमारे लिये परेशानी का सबब बनता है। जब से कांग्रेस ने इस राजस्थान की सरकार में अपनी भूमिका निभायी, मैं 1952 की बात कर रहा हूं, तब से लेकर उस दिन तक जब बी.जे.पी. ने इस राजस्थान की सरकार में अपनी भागीदारी निभायी, वे अहम फैसले लिये जिनसे विद्युत तंत्र को मजबूती मिली ताकि राजस्थान बाकी राज्यों की श्रेणी में विद्युत के मामले में अग्रणी हो। उन सारी बड़ी योजनाओं का स्वरूप आज हमारी आंखों के सामने है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जब हम वर्तमान सरकार की बात करते हैं, हमारे समक्ष दो स्थितियां उपस्थित की गयीं। तत्कालीन सरकार का जिक्र करते हुये मैं निवेदन करूं, यूं लगा जैसे किसी भागती हुई फौज ने उस क्षेत्र के राशन, पानी और सारे संशाधनों का विध्वंस कर दिया हो। उनको यह पता था कि पांच साल तक तो इस राज से कोई वास्ता नहीं है, जो कुछ भी इसमें बिखराव कर सकते हो, जो कुछ भी इसमें बिगाड़ सकते हो, सारा कुछ कर जाओ। यदि यह सोच नहीं होता, यदि उनके

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मन में राजस्थान के विकास की परिकल्पना होती, यदि उनके मन में राजस्थान के काश्तकार और राजस्थान के आम नागरिक के प्रति मन में किसी भी प्रकार का दर्द होता तो अपने शासनकाल के आठ वर्षों में वे झूठे पत्थर, पी.पी.ए. स्वीकृतियों की बात नहीं करते। हमने धौलपुर का पी.पी.ए. स्वीकृत करा दिया है, हमने नैवेली लिग्नाइट का पी.पी.ए. साइन कर दिया है। हम आर.पी.जी. बुला रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो नतीजा निकला वह सिर्फ । इनकी चर्चा कि हमें पर्यावरण से दिल्ली से स्वीकृति नहीं मिली और अंत-पंत तो यह तक कहने लगे हम गये हैं दिल्ली, हमने सारी स्वीकृतियां करवा दी हैं।

माननीय सभापति महोदय, कोई तो ऐसा सपूत होगा जो इन सारी परेशानियों को समझते हुये इन सारी बातों को महसूस करते हुये राजनीतिक सोच से अलग हट कर बात करेगा, काम करेगा, राजनीति में रहने वाला मात्र अपने फ़ायदे की बात करेगा लेकिन कांग्रेस में ऐसे सपूत हैं जिन्होंने इस बात को महसूस किया। उनके राजनीतिक अस्तित्व पर अंगुलियां उठीं, राजनीतिक व्यवस्था ने उनको बाध्य कर दिया, इन सबके बावजूद भी उन्होंने यह संकल्प लिया कि राजस्थान में बिजली का जो डैफिसिट चल रहा है, यह कैसे पूरा हो और संकल्प के साथ वे खड़े हुये। जिस गति से एक टिमटिमाते हुए दीपक की रोशनी के साथ चले थे, आज दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे मामला सूरतगढ़ तापीय क्षेत्र का हो, कोटा का सुपर थर्मल हो, सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, परम्परागत हो, अपरम्परागत हो, भाग्य पर तो भरोसा नहीं, प्रकृति हमारा कितना साथ देगी इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। पिछले तीन वर्षों के अकाल ने पन बिजली उत्पादकता पर जिस तरह का प्रश्नचिन्ह लगाया है वह हमारी आंखों के सामने है। उसके बाद बचा तो मात्र हमारे नये ऊर्जा के स्रोत। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके सूरतगढ़ तापीय क्षेत्रों में या अन्य विद्युत केन्द्रों के उन इंजीनियर्स को जिन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि वे दक्ष हैं, उनमें राजस्थान के प्रति लगन है। वे इस राजस्थान की आम जनता की पीड़ा को समझते हैं। उनको जो टारगेट दिया गया था उससे छह माह पूर्व उन योजनाओं की क्रियान्विति करके उन्होंने इस बात को साबित कर दिया कि वे इस राष्ट्र के सच्चे सपूत हैं, वे इस राजस्थान के सच्चे सपूत हैं। दो फायदे हुये, एक ओर जहां हमारा बिजली का उत्पादन बढ़ा, साथ ही हम पर बढ़ने वाला जो आर्थिक भार था, कहीं पचास करोड़ का, कहीं सौ करोड़ का, हम उस आर्थिक भार से भी बचे। यह जो संकल्प था यह संकल्प माननीय मुख्य मंत्रीजी का था। उन्होंने अपने अधिकारियों को इस बात के लिये सावचेत किया कि कैसे भी हो, मैं इन सारे उलाहनों को सह लूंगा, मैं मेरे विधायक साथियों के उलाहनों को सह लूंगा लेकिन आप किसी भी तरह से उत्पादन

(श्री राजेन्द्र पारीक)

बढ़ाओ। यदि उत्पादन नहीं बढ़ा, हम कर्ज लेकर कब तक इस परिवार का पेट भरते रहेंगे, कब तक परिवार के मुंह में निवाले देते रहेंगे? यही एक मात्र संकल्प था जिसने इस बात को साबित कर दिया कि इन पांच वर्षों में जो उत्पादन का हमारा टारगेट है, पिछले पचास वर्ष का एक तरफ और यह पांच साल का एक तरफ। यह हमारे सामने एक मील का पत्थर साबित होगा और इसको स्वर्णिम काल कहा जायेगा।

सभापति महोदय, हम जब इस सदन में बैठकर चर्चा करते हैं तो हमें कुछ बातों से अलग हट कर चर्चा करनी पड़ेगी। जब हम प्रतिपक्ष में बैठते थे तब हम इस बात की चर्चा किया करते थे कि आपने यह नहीं किया, आपने वह नहीं किया। आज जो नेता प्रतिपक्ष हैं तब सत्ता पक्ष में बैठकर वह यह कहा करते थे कि बिजली की कमी के लिये हमें संसाधन जुटाने होंगे, हमें आर्थिक आधार पैदा करना होगा और इसके लिये हमें यदि इसकी कीमतें बढ़ानी हैं तो कीमतें भी बढ़ानी होंगी। इसकी तह में हमें जाना पड़ेगा।

सभापति महोदय, जब से इस राष्ट्र का निर्माण हुआ, हम चूंकि कल्याणकारी राज्य हैं, हमारे मन में इस बात की पीड़ा थी कि हम जो कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं वह उत्पादन चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, या किसी अन्य बात का, उसके लिये सब्सिडी देने का मन में एक संकल्प था। लेकिन आजादी के पचास वर्षों बाद तक हमनें जो सब्सिडी दी, आज वह सब्सिडी नहीं रही, आज वह हमारा अधिकार बन गया। आज हम जब कभी भी पैसा बढ़ाने की बात करते हैं तो लोग हमसे यह प्रश्न करते हैं कि आपने इसकी कीमत कैसे बढ़ा दी। लेकिन फिर भी कीमतें बढ़ रही हैं। यदि आपको उत्पादन बढ़ाना है तो कीमतें माननीय ऊर्जा मंत्रीजी के लिये बढ़ाना लाजिमी हो गया। लेकिन इस सब बातों के अलावा जब हम बात करते हैं छीजत की तो... (व्यवधान) मैं न तो अनर्गल बात कहूंगा, न अपने सब्जैक्ट से अलग हट कर बात कहूंगा। दो-पांच मिनट आपके मैं लूंगा क्षमा चाहते हुए आपसे।

हम जब इस पर चर्चा करने के लिये इकट्ठे हुये हैं, इस पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इसकी मूल समस्याओं पर भी हमें नजर डालनी होगी। जब हम बात छीजत की करते हैं तो हमारे पास भी कोई जादुई डंडा और मंत्र तो है नहीं कि हमने डंडा घुमाया और छीजत रुक गयी। छीजत रोकने के लिये हमें एक तंत्र तैयार करना होगा। छीजत रोकने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। जब हमने इस विषय पर मनन किया, जब हमने इसको देखा कि हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इस बढ़े हुये उत्पादन की छीजत कम हो, काश्तकार के पास में, कंजूमर के पास में क्वालिटी की विद्युत हम कैसे पहुंचायेंगे तो 220, 400, 33 टारगेट लेकर हम चलें। यदि हम आंकड़ों को देखें, सभापति महोदय, तो 220 के जहां

(श्री राजेन्द्र पारीक)

1998 से 2001 तक 6 थे, 2003 तक 33 से बढ़कर 53 हो जायेंगे। 132 के जहां 18 थे, 166 से 244 हो जायेंगे। 33 के जो 296 थे, 2054 हो जायेंगे। यह सारा इस बात को साबित करता है कि हमारे मन में इस बात की पीड़ा है कि राजस्थान की जनता भले ही वह काश्तकार हो, भले ही वह व्यापारी हो या भले ही हमारे यहां का आम उपभोक्ता हो, हम उसको एक अच्छी क्वालिटी की बिजली दें। यही एक संकल्प था जिससे इस बात के लिये प्रेरणा मिली, जिसने इस बात के लिये हमें प्रेरित किया कि सारी तकलीफों के बावजूद भी इस सारे सिस्टम को स्ट्रेन्थन करना होगा और वह आपने किया भी।

माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि आपका काल स्वर्णिम काल रहा, आपने मील के पत्थर साबित कर दिये, लेकिन फिर भी इस सदन में जब हम बैठते हैं तो हमें दो बातें तय करनी होंगी कि हम राजनीति से ऊपर उठकर बात करें। इस सदन में बैठने वाला कोई साधु-संन्यासी तो है नहीं। राजनीति से ऊपर उठकर बात यदि हम करें तो सभी माननीय सदस्यों प्रतिपक्ष के नेता महोदय को साथ लेकर बैठें और इस पर एक विस्तृत चर्चा हो ताकि राजस्थान की जनता को हम यही मैसेज दे सकें। अन्यथा जो कुछ भी हमने किया, ये एक मिनट में गणेशजी को पूरी दुनिया में दूध पिलाने वाले लोग हैं। जिस तरह से गोयब्लस को पता था कि एक झूठ को हम सौ बार बोलेंगे तो वह सत्य साबित हो जायेगा, ये उसी का अनुसरण करने वाले लोग हैं। इन्होंने तय कर लिया कि आप जो कुछ भी करें, इनका असत्य बोलने का तंत्र इतना मजबूत है कि सब जगह जाकर इन्होंने इस बात को फैलाना शुरू कर दिया है। आप ठहरे भले आदमी, आप इनके षडयंत्र से बच नहीं पाये। उसका नतीजा है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं सीकर से, वहां भी बिजली की पीड़ा है, लेकिन आपको आम लोगों तक यह बात जिस द्रुतगति से पहुंचानी थी हम नहीं पहुंचा पाये और ये अपने मकसद में कामयाब हो गये। इन्होंने इस असत्य को चारों और फैला दिया कि जिस तरह से सरकार पांच सालों में जो कुछ भी विद्युत का सिस्टम इम्प्रूव कर रही है उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, आप दो घंटे भी बिजली नहीं लोगे। एक बात अमरारामजी ने अभी कह दी कि दो घंटे भी बिजली नहीं मिली, 132 का हमारा वहां नहीं हुआ। जब कभी भी ऊर्जा मंत्रीजी वहां पर जाते हैं, किसी भी सब स्टेशन पर जाते हैं, आप खड़े हो जाते हैं, झंडे दिखाते हैं, रास्ता रोकते हैं। आप इनको आमंत्रित करें इस बात के लिये कि सीकर में 132 का सब स्टेशन लगाने आ रहे हो, तो हम आपका स्वागत करते हैं, ऊर्जा मंत्रीजी, आप वहां पर आइये। बजाय स्वागत करने के आप इनको काले झंडे दिखाते हैं और इनका घेराव करते हैं। माननीय सभापति महोदय, समस्याएं तो हैं।

श्री अमराराम (धोद) : बिजली भी पूरी दी।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं सब बातें बोल दूंगा। मैं माउथ आर्गन तो हूं नहीं कि मुझे आप हवा दें और मैं बोलूं। मुझे जो कुछ बोलना है मैं बोल रहा हूं।

सभापति महोदय, मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि इस सारे सिस्टम को स्ट्रेन्थ करने के लिये जिन रिसोर्सेज से आप जो कुछ भी कर सकते थे, आपने किया। आपने वर्ल्ड बैंक से भी पैसा लिया, आपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिये प्राइवेट कम्पनीज को भी इनवाइट किया। लोगों की भागीदारी बढ़ी। सौर ऊर्जा में या पवन ऊर्जा में, जैसलमेर में, मथानिया में, हर क्षेत्र में आपने अग्रणी भूमिका निभायी। उसका नतीजा आज यह है कि हमारा उत्पादन बढ़ा। लेकिन यह महसूस करना होगा कि हम राजनीतिक दल हैं, हम राजनीतिक पार्टियां हैं। हमें आम आदमी को भी इस बात के लिये आश्वस्त करना होगा कि आज जो कुछ भी वे कर रहे हैं वह किन्हीं कारणों से हमारी मजबूरी है। हम आपको आठ घंटे बिजली नहीं दे पाये, आपको यह कहने में संकोच नहीं करना चाहिये। बार-बार कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर लहराते हुये सदन में ये जिस बात की चर्चा करते हैं, आप खुले मन से कहिये इस बात को कि हमने अपने दूसरे साल में आठ घंटे बिजली दी थी। आज हम विद्युत का उत्पादन बढ़ाने में लगे हुये हैं, लेकिन हर वर्ष 250 मेगावाट का कंजम्पशन बढ़ जाता है। आज जो डेफिसिट चल रहा है अगली बार बढ़कर 250 मेगावाट का एक्सट्रा बर्डन फिर आ जाता है। इन सारी बातों को मीट करने के लिये हमें वक्त लगेगा। लेकिन फिर भी जो कुछ हो रहा है उसके लिये मैं बधाई देना चाहूंगा ऊर्जा मंत्रीजी को लेकिन साथ ही, ऊर्जा मंत्रीजी....

श्री सभापति : पारीक साहब, 15 मिनट हो गये हैं, प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपसे भी डिमाण्ड करूंगा इन बातों की।

श्री सभापति : अच्छा तो सब बोलते हैं। आप चाहो तो रात के 12 बजे तक बैठे रहेंगे। यहां तो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन माननीय उपाध्यक्षजी करके गये हैं, मैं तो उसी को फालो कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : सीकर की दो-चार बातें कह कर समाप्त कर रहा हूं। सीकर चूंकि एक कृषि प्रधान जिला है और आज वहां आम काश्तकार के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं जिनमें कुछ तो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। इस सारी एडमिनिस्ट्रेटिव समस्याओं के समाधान के लिये आपके वहां के विभाग ने जिस तरह से अराजकता की स्थिति पैदा की हुई है, उस पर रोक लगाने

(श्री राजेन्द्र पारीक)

के लिये जब भी आप वहां पर पधारें, आप वहां मीटिंग लें ताकि इसके माध्यम से हम चर्चा करके लोगों की जो छोटी-मोटी प्राब्लम्स हैं उनको दूर कर सकें।

सभापति महोदय, मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि आठ घंटे हम भले ही बिजली नहीं दे पा रहे, फिर भी हम छह घंटे अच्छी क्वालिटी की बिजली दें। ग्रामीण क्षेत्र में जो जनता रहती है उसके सामने बहुत बड़ी समस्या है काश्तकार को पूरें आठ घंटे बिजली नहीं मिलेगी तो वह तो इस बात के लिये कटिबद्ध है कि जैसे ही उसको दो फेस की बिजली मिलेगी वह कैपेसीटर लगाकर उसको तीन फेस में कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन उसका आम आदमी से क्या लेना-देना? आम जो विद्यार्थी हैं उसको सात बजे से लेकर दस बजे तक बिजली नहीं मिलेगी तो वह बिना पढ़े रह जाता है। इसके लिये, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि किसी भी तरह से सायंकाल के समय में विद्यार्थियों की पढ़ाई का ध्यान रखते हुये हमको कोई न कोई व्यवस्था करनी होगी। यह व्यवस्था यदि हम नहीं कर पाये तो यह उन विद्यार्थियों के लिये जो आपके कंजूमर हैं, जो आपको समय पर अपना पैसा देते हैं, उनके साथ एक घोर अन्याय होगा। इसलिये आप कृपया इस व्यवस्था को सुधारने की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, मैं एक-दो बातें और कहूंगा। पिछले 20 वर्षों से हमारे यहां पर भर्ती पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। जो व्यक्ति रिटायर हो गये उनकी जगह नयी भर्ती पर प्रतिबन्ध है। आज जितने भी आपके सब-स्टेशन्स बन रहे हैं, 33 या 132 का या 220 के, उन सब पर जो मैन पावर हमें चाहिये वह नहीं होने की वजह से कई परेशानियां हो रही हैं। इसको आप एग्जामिन करायें, इस पर कुछ एक्सपटाइज कमैंट्स लें कि उन आदमियों की कमी के बावजूद आप कैसे उनका मेंटिनेंस कर सकते हैं। अदरवाइज आपने तो 33 का सब स्टेशन बना दिया लेकिन मैन पावर के अभाव में कंजूमर को सही लाभ जिस वक्त मिलना चाहिये वह उसको नहीं मिल पाता है। तब मन में पीड़ा होती है। इसमें भी जरूर कुछ न कुछ सुधार की गुंजाइश रखें। सभापति महोदय, सुरेश प्रभु जो इनके कैबिनेट के मंत्री हैं....

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज केन्द्र सरकार ने रसोई गैस के दाम बढ़ा दिये, पैट्रोल के दाम बढ़ा दिये, डीजल के दाम बढ़ा दिये क्या करना चाहते हो आप? क्या करना चाहते हो?

श्री सभापति : माननीय धारीवालजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनका दाम बढ़वा दिया, कैसे दाम बढ़वा दिया? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : बिजली के भी बढ़वाओगे....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बोलना नहीं आता है, बेकार की बात करते हो... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजें। बिजली पर बहस चल रही है। माननीय पारीक साहब ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : एक मिनट.... (व्यवधान) माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दाम बढ़ा दिये, दाम बढ़ा दिये...(व्यवधान) आज भी लोग देने को तैयार हैं...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : किसानों के हितों की बात करते हो, डीजल के भाव बढ़ाकर ...(व्यवधान) डीजल के भाव आपने चुनाव के बाद बढ़ाये, अगर पहले बढ़ाते तो परिणाम कुछ और ही होते। (व्यवधान) आपको पता लग जाता।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आज बढ़ा दिये।

श्री रामस्वरूप : पता लग जाता आपको, आपने तीन बार बढ़ाये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप क्या करती हो, आप तो दिन भर सोती रहती हो यहां पर। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): विज्ञप्ति निकल गयी, भाव बढ़ गये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मतलब ही नहीं इसका।

श्री सभापति : माननीय धारीवाल साहब, माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कह रहे हैं कि इसका मतलब ही नहीं है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझनूं): आप तो यह तय करें.....(व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : दो बजे वाली न्यूज में आ चुका है, आप पढ़ लेना, सुन लेना, टी.वी. भी देख लेना।

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप टैरिफ नहीं बढ़ायेंगे, यह बता दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बात कर रहे हैं यूं ही, बढ़ा दिये, बढ़ा दिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप यह घोषणा करें कि नहीं बढ़ायेंगे।

श्री रामस्वरूप : डीजल के भाव, तीन बार बढ़ा दिये। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल (भिनाय) : यह तो फैसला जनता कर चुकी है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हम बढ़ायेंगे अगली विधान सभा में, हमारी संख्या बढ़ायेंगे। बढ़ायेंगे, हमारी संख्या बढ़ायेंगे।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): सभापति महोदय, यह इनका कसूर नहीं है, दिन भर ये नहीं थे, अभी आये हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिये यह कहना जरूरी था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं यह समाचार लेकर आपको सुनाने आया हूं कि क्या कर रही है आपकी केन्द्रीय सरकार। (व्यवधान)

श्री सभापति : धारीवाल साहब। माननीय पारीक साहब, समाप्त कीजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आपकी कम्पनियों में सामंजस्य का कुछ अभाव है। सामंजस्य के अभाव का एक छोटा-सा उदाहरण आपको पेश करना चाहता हूं। सीकर में पिछले पांच माह से 220 के.वी. का सब स्टेशन है उसमें एक 20 मेगावाट का और एक 25 का, दो ट्रांसफार्मर जले हुये हैं। उसकी वजह से पूरा सीकर जिला प्रभावित हो रहा है। मेहरबानी करके इस तरीके से बात हो, इनमें अच्छा सामंजस्य हो, इस पर आप गौर फरमायें।

श्री सभापति : कितने घंटे बोलेंगे, माननीय सदस्य? माननीय मुख्य सचेतकजी, How long will he speak? एक सीमा होती है बोलने की।

श्री राजेन्द्र पारीक : साथ ही, माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा....

श्री सभापति : कोई सीमा होती बोलने की। कृपया सहयोग कीजिये आसन को।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं सहयोग कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, बहुत ज्यादा...

श्री सभापति : 10-10 मिनट बोलने..

श्री राजेन्द्र पारीक : वरना मुझे बीच-बीच में उठकर बोलना पड़ेगा अपनी बात को कहने के लिये। एक बात कर रहा हूं ऊर्जा मंत्रीजी को कि आप.....

श्री सभापति : आसन तो सबके लिये समान है।

श्री राजेन्द्र पारीक : पी.एच.ई.डी. की जितनी भी स्कीम्स हैं उन सारी स्कीम्स के अन्दर आर.एस.ई.बी. के अधिकारी यह मानकर कि यह तो सरकार का मामला है, इसमें जो मर्जी आये वह डिमाण्ड नोट भेज देते हैं। कृपया इसको आप एग्जामिन करायें। यहां से पी.एच.ई.डी. की स्कीम्स के लिये जो पैसा सैंक्शन होता है वह होता है दो-तीन लाख रुपये और वहां से डिमाण्ड नोट ही तीन लाख का आ जाता है, तो ट्यूबवैल लायें या आपका डिमाण्ड नोट भरें?

श्री सभापति : माननीय केसारामजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : इस तरह से जो समस्या है उसका निश्चित रूप से समाधान करवाइये।

श्री सभापति : प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, मैं यह एक सूचना आप तक पहुंचा दूं।

श्री सभापति : क्या घोषणा कर रहे हो?

श्री राजेन्द्र पारीक : नई दिल्ली, 9 नवम्बर, वार्ता। सरकार ने पैट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों में वृद्धि कर दी है। यह बढ़ोतरी आज रात 12 बजे से प्रभावी हो जायेगी। पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के यहां से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक पैट्रोल में 13.50.....

श्री सभापति : यह तो अखबारों में पढ़ लेंगे सभी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अखबार का पढ़ना और विधायक का बोलना....

श्री हरिसिंह (महुवा) : महत्वपूर्ण बात है।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय, एक विधायक का बोलना और अखबार का पढ़ना, कितना फर्क पड़ता है।

श्री सभापति : आप बढ़ा रहे हो तो बोलो, आप घटा रहे हो तो बोलो, दिल्ली सरकार का यहां क्या पढ़ना?

श्री राजेन्द्र पारीक : पैट्रोल में 13.50 प्रति लीटर और डीजल में 8.8, रिपीट 8.8 पैसे प्रति लीटर तथा रसोई गैस में 1 रुपया 2 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है।

श्री सांवरलाल : यह तो अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है, आपकी गाड़ियां बन्द हो जायेंगी, आप रेटों की क्या बात कर रहे हो? यह पूरे विश्व का खतरा है, पैट्रोल कोई भारत का नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह बढ़ोतरी डीलरों के कमीशन में बढ़ोतरी के कारण की गई है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : भारत सरकार की क्या जानकारी देंगे ये?

एक माननीय सदस्य : प्रधानमंत्रीजी को भी कितने किलोमीटर घूम कर जाना पड़ा रशिया जाने के लिये। यह जो सभी जगह पैट्रोल की रेटें बढ़ी हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के नेता जब सरकार में थे तब उन्होंने यह कहा था कि मुझे बिजली की नहीं राजस्थान के तीन लाख उन किसानों की भी चिन्ता है जिनके कुओं में डीजल सैट चल रहे हैं। उस समय साढ़े सात रुपये लीटर डीजल था और हम लोगों से कहा था कि आप केन्द्र सरकार से कहकर डीजल के भाव कम करायें और किसानों का हित करें। आज

(श्री हरिसिंह)

18 से 19 रुपये डीजल हो रहा है, उन किसानों की सोचिये जो अपने कुओं पर डीजल सैट लगाकर पानी खींच रहे हैं। उनकी चिन्ता करिये।

श्री सभापति : माननीय केसारामजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। (व्यवधान) आपने अपने उद्‌बोधन में फरमाया कि सरकार ने दो पैसे बढ़ाये, यह कर दिया, वह कर दिया, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने जो दो पैसे बढ़ाये थे तो झुंझनूं में बालूराम को आपने शहीद करवा दिया था। यह आपकी वह सरकार थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपको क्या हक है? किस हैसियत से बोल रहे हैं?

श्री राजेन्द्र पारीक : काश्तकारों को दिन में आठ घंटे आप बिजली नहीं दे पायें तो छह और सात घंटे बिजली देने के लिये आप आश्वस्त करें और जितने भी विद्यार्थी हैं उनको सायंकाल सात बजे से लेकर रात्रि के दस बजे तक हर हालत में उपलब्ध करवायें। इस बात को आप सुनिश्चित करें, धन्यवाद, जयहिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ाया दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

माननीय केसारामजी।

श्री सांवरलाल : कार्यवाही तक ही बढ़ा दो, बार-बार क्या घंटा-घंटा बढ़ा रहे हो?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय हरिसिंहजी, आप खुद अनुशासनहीनता को इतनी बड़ी मूंछें रख कर बढ़ावा दे रहे हो, बीच-बीच में बोलते हो। जब राजेन्द्र पारीक बोल रहे थे, आप बराबर बीच-बीच में अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे रहे थे। मूंछ वालों को तो शर्म आनी चाहिये, बीच में अनुशासनहीनता से बोलते हो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैंने आपकी मूंछों की नकल नहीं की है।

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

श्री केसाराम चौधरी (खारची) **:** सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार अपने आपको किसानों का हितैषी कहने में अपना फूला हुआ सीना दिखाने में सम्मान समझती है, मगर आज बिजली रूपी झूठ का जनरेटर का डण्डा लेकर किसानों और आम उपभोक्ताओं के पीछे लग गई है। यह तब तक पीछे पड़ी रहेगी जब तक किसान अपनी कृषि के व्यवसाय को न छोड़ दे। उपभोक्ताओं के घरों में भैरोंसिंह शेखावत ने कुटीर ज्योति के रूप में जो एक बल्ब निःशुल्क लगा कर दिया था, उसको भी बन्द करने की नौबत इस सरकार ने कर दी है। राजस्थान में सिंचाई का मुख्य साधन हैं ट्यूबवैल और कुएं। उन कुओं में सिंचाई करने के लिये बिजुल पर आधारित रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में राजस्थान की सरकार मात्र पांच और छह घंटे बिजली देकर कृषि से कैसा उत्पादन करवाना चाहती है? तीन साल से पड़ रहे अकाल में किसान की कमर पूरी तरह से टूट गई और बिजली की दरें बढ़ा कर समस्या ने कोढ़ में खाज का रूप धारण किया है जो किसान विरोधी सरकार का द्योतक है।

ऊर्जा मंत्रीजी के कौन सलाहकार हैं, समझ में नहीं आता, विद्युत विभाग को परिवर्तनों की प्रयोगशाला बनाकर सुविधा को संकट में डाल दिया है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि नियामक आयोग ने वितरण निगमों को, उपभोक्ताओं को लूटने की छूट दे रखी है। वितरण निगम मनमाने सर्क्यूलर निकाल रहा है, जब मर्जी आये रेटें बढ़ा देता है। ऐसे ही दिनांक 1.9.2001 को रेटें बढ़ाकर रीकनेक्शन की रेट डबल कर दी। सर्कुलर नम्बर हैं जे.सी.सी./1/2001/2002/एफ.डी./886/डेटेड 1.9.2001 यह नमूना है। नवीन टैरिफ एक अप्रैल 2001 से और भी कई सर्कुलर निकाल कर रेटें बढ़ा दी हैं जिससे किसान को लूटा जा रहा है। ये नियामक आयोग में याचिका लगाये बिना टैरिफ नहीं बढ़ा सकते, मगर वितरण निगम में बिना टैरिफ....

डा. चन्द्रभान : ऐसा नहीं है तो उसको वापस ले लेंगे।

श्री केसाराम चौधरी : वह तो वापस ले लिया, मंत्रीजी, आपको पता ही नहीं है। यह सर्कुलर भी वापस ले लिया 22 तारीख को 22 दिन चलाकर। इन 22 दिनों में जो पैसे वसूल किये वे पैसे किसानों को वापस देंगे या नहीं देंगे, यह कहिये आप? माननीय मंत्रीजी, आप इसकी कोई घोषणा कीजिये।

श्री सांवरलाल : बहुत बढ़िया सवाल है, जो पैसे ले लिये वे वापस देंगे कि नहीं?

श्री केसाराम चौधरी : ये पैसे वापस देगी सरकार अथवा नहीं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह यम आयोग भी वापस ले लो। नियामक नहीं यम आयोग कहिये, इस यम आयोग को भी वापस लेना पड़ेगा।

डा. चन्द्रभान : यदि ऐसा हुआ है तो जांच करायेंगे, वापस देंगे निश्चित रूप से रैगुलेटरी कमीशन के अधिकार क्षेत्र में हैं।

श्री केसाराम चौधरी : धन्यवाद, सर। विजिलेंस तो केस बनाती है किन्तु ए.ईएन., जे.ईएन., खारची द्वारा भी विजिलेंस के नाम पर शीटें भरी जाती हैं। खुली लूट मचा रखी है। पैसा नहीं देने पर झूठी विजिलेंस शीट भरी जाती है, एक नमूना मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसाराम पुत्र सूजाराम निवासी धनला, वी.सी.आर. नम्बर 14635/50 दिनांक 4.12.2000, इस किसान के 7500 रुपये की विजिलेंस ने शीट भरी और बताया गया कि आपके कुएं से 120 फीट की दूरी पर मोटर चल रही थी। उस कुएं से 500 मीटर की दूरी पर कोई कुआं नहीं है। 120 फीट की दूरी पर कहां मोटर चली होगी? न मालूम आपके जे.ईएन., ए.ईएन. को आपने किस

(19.00 बजे)

तरह से विजिलेंस के पावर दे दिये ? आपने उनको टार्गेट दे दिया कि पाली जिले में 10 लाख रुपया एक महीने का कलेक्शन करके देना है। एक-एक सब-डिवीजन पर एक-एक लाख रुपये का आपने टार्गेट दिया है इसलिये इस तरह की असत्य विजिलेंस शीटें भरी जा रही हैं। आप कहें तो आपको कापी बता सकता हूं जो विजिलेंस की असत्य कापी उन्होंने बनायी है। (व्यवधान) राडावास में तेजाराम पुत्र पन्नाजी ने 'प्रशासन गांवों के संग' में बताया कि दस महीने से बिल भेजा जा रहा है। 'प्रशासन गांवों के संग' कैम्प के अन्दर हम गये, किसान ने बिल बताया तो उससे पूछा कि कनेक्शन हुआ या नहीं? तो उसने कहा कि कनेक्शन छोड़कर कहीं मौके पर सर्विस लाइन ही नहीं है। तो एक जे.ईएन. को भेजा गया। जे.ईएन. मौके पर जाकर देखकर आया कि वास्तव में कनेक्शन तो नहीं हुआ है। फिर दस महीने से उस गरीब आदमी को क्यों बिल भेजा जा रहा है? यह किस बात का है? (व्यवधान) काटा हुआ कहां है, वह तो कनेक्शन दिया ही नहीं। बिना दिये ही वहां पर बिल आ रहा है।

खारची सब डिवीजन में कई लोगों के सामान्य श्रेणी के करीब एक वर्ष से डिमाण्ड जमा हैं, किन्तु अभी तक 28 कनेक्शन लम्बित पड़े हैं। कल के प्रश्न के उत्तर में केवल 28 डिमाण्ड के कनेक्शन होना बाकी बताया है। माननीय मंत्री महोदय, आपके अधिकारी लोग किस तरह की असत्य सूचना देते हैं और आप हमारे को प्रश्न के रूप में भेज देते हैं। ये आपके 28 कनेक्शन बाकी हैं। यह तो मैं विजिलेंट था, मुझे मालूम है कि ऐसी असत्य सूचना आपको देंगे। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि वहां पर 28 केस नहीं, 28 के अलावा हरे घास के 24 डिमाण्ड जमा हैं तथा कृषि स्पेशल योजना के तहत 7 डिमाण्ड जमा हैं तथा 35 लम्बित पत्रावलियां कट आफ वर्ष में जमा हैं। इस तरह से विभाग द्वारा असत्य उत्तर दिया गया है। वहां के ए.ईएन. द्वारा

(श्री केसाराम चौधरी)

ऐसा जवाब देना पूर्ण रूप से भ्रष्ट आचरण का उदाहरण है।

जोधपुर, वितरण निगम के मारवाड़ जंक्शन सब डिवीजन में बिजली, भीलवाड़ा से आती है और भीलवाड़ा अजमेर वितरण निगम के अण्डर में आता है। इस बात को मैंने आपको भी बताया था और लिखित में शिकायत भी दी थी और 295 के तहत भी पढ़ा था, कि भीलवाड़ा एक्स.ईएन. (एल.डी.) को ज्यों ही लोड कम करने के लिये कहा जाता है तो भीलवाड़ा सीधा मारवाड़ जंक्शन का लोड कम कर देता है और लोड कम करने पर मारवाड़ जंक्शन की सप्लाई ठप्प हो जाती है। यह तो ठीक है कि बिजली सप्लाई गड़बड़ हो गई, मगर इस बात की शिकायत किसको करें? हम सी.एम.डी., जोधपुर को टेलीफोन करते हैं तो वे कहते हैं, जयपुर हैं। जयपुर टेलीफोन करते हैं तो वे कहते हैं हमारे बस में नहीं है, एक्स.ईएन. (एल. डी.) को पूछो। एक्स.ईएन. (एल. डी.) को पूछते हैं तो वे कहते हैं कि मुझे तो लोड कम कराना है और भीलवाड़ा कम करता नहीं। वह अपना लोड कम नहीं करके मारवाड़ का कम करता है। इसको पहले भी उठाया था, लेकिन आज दिन तक आपने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की।

जोजावर में 1.32 लाख किलोवाट और कोलर में 33 व घेनड़ी में 33 भाजपा राज में स्वीकृत हुए थे। आप हमेशा नये-नये उद्घाटन करते रहते हैं, मगर तीन साल के जो पूरे हुए पड़े हैं, कोलर का जी.एस.एस. पूरा हो चुका है, बल्ब लग रहा है एक, उसको आप चालू नहीं करवा रहे हैं। मैं तीन बार इस हाउस में इस बात को उठा चुका हूं कि घेनड़ी, कोलर और जोजावर, जोजावर, में हाइटेंशन लाइन के अलावा कोई काम बाकी नहीं है, मात्र 26 खम्भे बाकी हैं।

नियामक आयोग द्वारा वितरण निगमों को दिये गये निर्देशों की पालना के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। राज्य में रुके हुये मीटरों का पता लगने पर दो माह में उसे बदलना जरूरी है। उपभोक्ता को दो से ज्यादा बिल औसत आधार पर जारी नहीं करेंगे, मगर तीसरा बिल या तदुपरांत जारी बिलों की पूर्ण राशि में जुलाई, 2001 से जब तक मीटर नहीं बदला जाता तब तक 5 परसेंट की छूट प्रदान की जाये। मगर आज दिन तक पूरे राज्य में कहीं भी छूट प्रदान की गयी हो तो बता दें। स्थिर शुल्क की दरें तय करने के बावजूद उपभोग के आधार पर स्थिर शुल्क लगाना उचित नहीं है। जो टैरिफ में कहीं नहीं बताया गया था कि इसकी टैरिफ में यह उपभोग के आधार पर स्थिर सेवा शुल्क लगाया जायेगा। स्थिर सेवा शुल्क और मीटर किराये को समाप्त कर इसका समायोजन स्थायी सेवा शुल्क में कर दिया गया है तो अब विद्युत वितरण निगम द्वारा मीटर की कोस्ट ली जा रही है। मीटर किराये और स्थाई सेवा शुल्क में समायोजन कर दिया गया तो अब मीटर कोस्ट किस बात

(श्री केसाराम चौधरी)

की ली जा रही है? अगर मीटर कोस्ट ली जा रही है तो उसमें से यह मीटर का किराया जितना कम होता है वह स्थाई सेवा शुल्क में कम किया जाना चाहिये।

आपूर्ति की सामान्य शर्तें। आपूर्ति हेतु टैरिफ एवं अन्य आदेश जिन सामान्य उपभोक्ताओं को प्रभावित होते हैं, हिन्दी में जारी करने के आयोग के दिशा-निर्देश के बावजूद भी निगम उसका पालन नहीं कर रहा है। नियामक आयोग ने इनके निर्देश दिये हैं, उसके बाद भी वितरण निगम उसका पालन नहीं कर रहा है।

जिन उपभोक्ताओं के कैपेसीटर हैं, नर्सरी में कनेक्शन के पैसे निगम के पास जमा हैं उनके कैपेसीटर लगायें। नर्सरी के पैसे जो बिलों में बाद देने थे, उन पर आपने रोक लगा दी है। वे किसानों को वापस दिलाये जायें। उनके बिलों में बाद में दिलाये जायें, यह व्यवस्था करनी चाहिये।

ऐसे घरेलू परिसर में जहां परिवार के सदस्य किसी व्यवसाय या उद्योग को बिना किसी व्यक्ति को नौकरी में रखे हुये चला रहे हैं, उनके घरेलू दर से बिल किये जायेंगे। आयोग के ऐसे निर्देशों के बावजूद भी ऐसे व्यक्तियों को वाणिज्यिक दर से बिल दिया जाता है, उसे अतिशीघ्र रोका जाये। यह नियामक आयोग का निर्देश है उसके बावजूद भी 'प्रशासन गांवों के संग' में मैं एक गांव में गया था वहां पर जो रंदा मशीन चलाकर अपना पेट गुजारा करता है उसको वाणिज्यिक टैरिफ के अनुसार बिल दिया जा रहा है। उसने कहा कि कम कर दो तो कहा, नहीं, यह तो नहीं आता, यह तो वाणिज्यिक है। छोटी-मोटी कोई किराने की दुकान करता है, अपना बैठा रहता है और उसी घर में रहता है तो उसको भी कहते हैं कि वाणिज्यिक है।

कृषि कनेक्शनों को उसी गांव या साथ वाले गांव में स्थानान्तरित किया जा सकता है। यदि दोनों जगह जमीन पांच वर्षों से अधिक समय से उसी उपभोक्ता की हो, यह आदेश जोधपुर वितरण निगम द्वारा 12.4.2001 को जारी किया गया है, किन्तु इसमें पांच वर्ष वाली शर्त को हटाया जाना चाहिये क्योंकि कुएं में पानी नहीं होने से किसान पानी वाली जगह पर अलाटमैंट या आधा बीघा जमीन खरीदकर ट्यूबवैल या कुआं खोदता है तो उस कनेक्शन की पांच वर्षों की शर्त को हटाकर उस जगह पर उस किसान का कनेक्शन स्थानान्तरित करना चाहिये। उसके खुद के कुएं में पानी नहीं है, इसलिये तो दूसरा ट्यूबवैल बनाया। नहीं तो दूसरा ट्यूबवैल वह किसलिये बनायेगा?

श्री सभापति : अब, केसारामजी, बैठिये।

श्री केसाराम चौधरी : एक मिनट। स्पेशल कैटेगरी में 30.10.2000 को एक

(श्री केसाराम चौधरी)

सर्कुलर निकालकर डी. 34 द्वारा रोक लगा दी गयी है। उसको तुरन्त हटाकर जिनकी डिमाण्ड के 12 हजार रुपये आप स्पेशल कैटेगरी के लेकर बैठे हैं, उनको अतिशीघ्र चालू करवाया जाये और जो रोक लगायी गयी है, खुली की जाये।

मैं ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक ऊर्जावान मंत्री हैं, एक किसान के बेटे हैं और इस ऊर्जा विभाग में हैं तो, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, आप किसान की भलाई सोचे, नहीं तो आपका आने वाले समय में क्या हाल होगा, वह तो समय बतायेगा। दूसरी स्टेटों की आपने कम्पेरेटिवली जो रेटें दी हैं, दूसरे स्टेट्स में सभी जगह डिमाण्ड की राशि कम है। एम.पी. में नो डिमाण्ड चार्ज, महाराष्ट्र में 10 हार्स पावर तक फार आफ आल मीटर्ड कनेक्शन नो डिमाण्ड चार्ज। यू.पी. में नो डिमाण्ड चार्ज, एम.पी. में नो डिमाण्ड चार्ज, गुजरात में 10 रुपये पर एच.पी. पर मंथ, हरियाणा में नो डिमाण्ड चार्ज। दूसरे स्टेटों में डिमाण्ड चार्ज नहीं लिया जाता और अपने राजस्थान के अन्दर 50-50 और 60-60 हजार के डिमाण्ड लेकर किसानों की कमर तोड़ रहे हैं। यह हम आपसे आशा नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद एक किसान के बेटे हो और किसान की दशा को जानते हो कि किसान के पास क्या है।

श्री सभापति : अब, बिराजिये। माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री केसाराम चौधरी : कौनसी, साहब? यह टैरिफ पर ही बात कर रहा हूं। दूसरे स्टेटों की कम्पेरेटिवली रेटें दी हैं और बताया है, उन रेटों को भी बता रहा हूं कि दूसरे स्टेटों में....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय केसारामजी, प्लीज समाप्त कीजिये।

श्री केसाराम चौधरी : टैरिफ में 90 पैसे और....

डा. चन्द्रभान : हम जो डिमाण्ड नोटिस देते हैं वह कनेक्शन लाइन की कोस्ट का है और डिमाण्ड चार्ज टैरिफ वाला है, वह अलग है।

श्री केसाराम चौधरी : अगर अब उन स्टेटों की तरह कर दें तो पांच हार्स पावर की मोटर का बिल जारी होता है किन्तु सरकार सब्सिडी देती है और खुद पैसा सरकार भरती है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : वह अलग बात है लेकिन एग्रीकल्चर में फिक्स चार्ज, डिमाण्ड चार्ज अपने यहां भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : ....आप यह जरूर कहते हो कि किसान को हम सस्ती बिजली दे रहे हैं इसलिये कहता हूं कि सब्सिडी....(व्यवधान) इसमें सब्सिडी क्या है? (व्यवधान)

श्री सभापति : मैंने अगला नाम पुकार लिया है, माननीय केसारामजी।

श्री केसाराम चौधरी : दो रुपये दस पैसे में आपके घर में बिजली पड़ती है और एक रुपया और समथिंग पैसे आप उससे चार्ज कर रहे हो, फिर क्या सब्सिडी दे रहे हो किसान को?

डा. चन्द्रभान : 90 पैसा।

श्री सभापति : अब, बिराजिये।

श्री केसाराम चौधरी : 90 पैसा नहीं है, सारे आप जोड़ दीजिये तो पता लग जायेगा। नीति और नीयत में भी फर्क है। जितनी भी यह टैरिफ आ रही है, जो सर्कुलर और किताबें निकाली हैं.....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय केसारामजी, बैठिये अब आप। माननीय शिवनाथ सिंहजी।

श्री केसाराम चौधरी : सभापति महोदय, यह जो टैरिफ की किताब है... (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : निजी कम्पनियां बन गईं, नियामक आयोग बन गया.... (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बना ली, आप और मैं क्या? (व्यवधान) कम्पनी बना ली, क्या बना ली, यह कितनी बार कहोगे? (व्यवधान) जो भी है वह सामने है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : इस बिजली के मामले में तो पूरी व्यवस्था चौपट कर दी। सरकार के हाथ में कुछ....(व्यवधान)

श्री सभापति : आपको मौका आयेगा जब बोल लेना। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : सभापति महोदय, यह जो टैरिफ की आपने किताब 10 रुपये में दी है वह मैंने खरीदी है 10 रुपये में। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : क्या समस्या चौपट कर दी आपकी? (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : टैरिफ की किताब है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपने तो डीजल की रेट बढ़ाई है, आपने समस्या चौपट कर दी। (व्यवधान)

श्री सभापति : रामस्वरूपजी, बैठिये। माननीय केसारामजी, बैठिये।

श्री रामस्वरूप : आप कौनसे बिजली देते थे पहले? (व्यवधान) आज मंत्रीजी ने किसानों के हित के लिये कितना उत्पादन बढ़ाया बिजली का? (व्यवधान)

श्री सभापति : एक मिनट

श्री केसाराम चौधरी : सभापति महोदय, एक बात। (व्यवधान) एक बात के अलावा दूसरी बात बोलूंगा ही नहीं। (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं अगला नाम पुकार चुका हूं। (व्यवधान) सारी बात आप कह चुके।

श्री केसाराम चौधरी : मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : मैं वरिष्ठ सदस्य को पुकार चुका हूं, वह दो बार खड़े हो गये हैं और आप बार-बार वो ही बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : सभापति महोदय, वो की वो बात नहीं कह रहा हूं, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : नहीं, अब आप आसन को सहयोग कीजिये। (व्यवधान) आसन को सहयोग कीजिये, बिराज जाइये आप। माननीय शिवनाथ सिंहजी। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय शिवनाथ सिंहजी। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : कभी-कभार तो बोलते हैं, साहब।

श्री सभापति : हां, बोले हैं। बहुत अच्छा बोला है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापतिजी, आज की चर्चा.....

श्री सांवरलाल : वास्तविक बातें बोली हैं पर मंत्रीजी के हाथ में कुछ नहीं हैं। वो भी कम्पनी वाले बतायेंगे वो हमें बता देंगे। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : कम्पनी भी जो मंत्रीजी ने ही बनाई है।

श्री शिवनाथ सिंह : ठीक है, बैठो।

श्री सांवरलाल : बनाने के बाद में इन्होंने अखबार में खुद कहा, मुख्य मंत्रीजी ने अखबार में कहा है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। रेटें बढ़ाने का, घटाने का सारा काम नियामक आयोग करेगा। फिर इस सदन का समय क्यों जाया किया जा रहा है? (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : श्रीमान् जाटजी, बिराजें। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : ....यह बता दें हमको। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सारा काम राजस्थान सरकार करेगी, राजस्थान सरकार करेगी सारा काम। एक व्यवस्था बनाई गई है और इस व्यवस्था से सुधार हुआ है बिजली में। (व्यवधान) सब स्टेशन बनाये गये हैं गांवों में। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : ....कोई नियंत्रण नहीं, रेट घटा सकते नहीं, कुछ कर नहीं सकते। हमने यह कर दिया, वो कर दिया। जबरदस्ती का वर्णन करने की जरूरत कहां पड़ रही है? (व्यवधान)

श्री सभापति : अब आप बिराजें।

श्री रामस्वरूप : आपने भी तो आज डीजल के भाव बढ़ा दिये। आज डीजल के भाव बढ़े हैं, पहले भी डीजल के भाव बढ़े हैं, लगातार बढ़ा रहे हो डीजल के भाव। (व्यवधान)

श्री सभापति : रामस्वरूप जी, सहयोग कीजिये। माननीय शिवनाथ सिंहजी।

डा. के. सी. चौधरी : सच सुनने में आपको तकलीफ हो रही है। हमारी एफीशिएंसी इन्हें पता रही है तो आपको तकलीफ हो रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, सांवरलालजी की नसें फड़फड़ा रही है, कम से कम उनको बांध करके तो रखो। (व्यवधान) हमें आपकी जरूरत है। सभापति महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि माननीय सदस्य सांवरलालजी ने आज यहां साफा बांध नहीं रखा है और बिजली के मामले में आप उद्वेलित हो रहे हो, नसें फड़फड़ा रही हैं आपकी। या तो इनको बांध कर रखो। हमें आपकी जरूरत है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : यह माननीय सीकर से आने वाले सदस्य क्या कह रहे हैं.... (व्यवधान) मेरी नसें तो ऐसी हैं कि आपकी फड़फड़ा दूंगा। इनकी चिंता मत करो, अपनी चिन्ता करो। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : आपके करंट कहां से आ रहा है? (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : ....और ऐसी बातें रखो जिससे सीकर में जाकर कदम रख लो। किसान मर रहा है, आपके मंत्री के पास, आपकी सरकार के पास में कोई अधिकार नहीं है, कुछ करने की स्थिति में नहीं है। कम्पनी के अधिकारी यहां से पर्चियां पकड़ा देंगे, जवाब दे देंगे। आप करने की स्थिति में क्या हैं, यह तो बता दो हमको। हम चाहते हैं रेटे घटे बिजली की। माननीय सभापति महोदय, फिर काहे के लिये बैठे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : रेटे घटनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो बायकाट करो। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : राजस्थान की जनता में हमने एजिटेशन किया है। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया आप शुरू कीजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : डीजल की रेट घटाओ। (व्यवधान) डीजल की रेट घटाइये आप। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : आप चर्चा किस बात की कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सरकार ने डीजल की रेट लगातार बढ़ाई है।

श्री सांवरलाल : हजारों लोगों ने जेले भर दीं, रास्ते रुके पड़े रहे।

श्री रामस्वरूप : लगातार डीजल की रेट बढ़ रही है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : यह किस बात की चर्चा हो रही है?(व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : ऐसे बता दो कि भूमिका काहे की बना रहे हो?

श्री सांवरलाल : ....कुछ तो हमको बताओ कि हम रेट घटा देंगे। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : यह तो बताओ कि भूमिका काहे की बना रहे हो? ये बाहर जाने की भूमिका बना रहे हैं। (व्यवधान) बाहर जाने की भूमि बना रहे हो क्या? जोर-शोर से भूमिका बन रही है बाहर जाने की। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ....यदि सदन का बहिष्कार करना है तो भूमिका क्यों बना रहे हो, जाओ। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : ....यह बता देंगे मुझे। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : चलो आप भी भिनाय चलो, हम भी ब्यावर चले। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ....डीजल पैट्रोल इसलिये बढ़ रहा है कि आप तालिबान के समर्थक हो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : सभापति महोदय, आपके प्रधानमंत्री रूस की शरण में गये हैं, अमरीका छोड़कर। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अब तालिबान का समर्थन बन्द कर दो। डीजल पैट्रोल का रेट गिर जायेगा। आप तालिबान का समर्थन बन्द कर दो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप कह रहे हो, तालिबान का समर्थन। (व्यवधान)

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप जी। माननीय शिवनाथ सिंहजी। पारीक साहब, Why are you intervening the debate?

श्री राजेन्द्र पारीक : राठौड़ साहब के इशारे पर सारा काम हो रहा है। उनको अपने घर जाना है, उनको जाना है तो बाकी सब को साथ ले जायें। सदन का माहौल क्यों बिगाड़ रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजो। नहीं बिगाड़ेंगे। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : माननीय सभापति महोदय, हम किसी के इशारे से नहीं चलते हैं। आप किसी के इशारे पर चलते हैं तो जनता के साथ आपने यह सबसे बड़ा धोखा किया है। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय प्रोफेसर साहब, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ....आने वाले माननीय सदस्य के इशारे पर चल रहे हो। उनको अपने घर जाना है और वे आपको उद्वेलित करके आपकी नसें फड़फड़वा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज।

श्री सांवरलाल : बिजली की रेटें घटा सकते हैं या नहीं घटा सकते हैं? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : डीजल की रेट घटाइये। (व्यवधान) दिल्ली की सरकार ने डीजल की रेट बढ़ा दी, उसका घटाओ। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : ....8 घंटे का लेते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सांवरलाल जी, आसन का सहयोग कीजिये प्लीज।

श्री सांवरलाल : ....सरकार को कितने पैसे दिये, जवाब तो दिया। (व्यवधान) लाइट से जुड़ गया, मंत्री महोदय, जांच करवा लीजिये। आपको जानकारी सही नहीं दे सकते तो दूसरी बात क्या मानेंगे, मुझे यह बता दीजिये। फिर काहे की यह चर्चा कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय शिवनाथ सिंहजी।

श्री रामस्वरूप : मंत्रीजी को सारी जानकारी है। डीजल की रेटें किसने बढ़ाई हैं? आप इस पर क्यों नहीं बोलते हो? लगातार तीन बार डीजल की रेटें बढ़ गयीं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तालिबान के समर्थक हो, अफगानिस्तान के युद्ध के समर्थक हो इसलिये डीजल की रेट बढ़ाई है। (व्यवधान) क्योंकि आप तालिबान के समर्थक हो इसलिये डीजल की रेट बढ़ाई है। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : ....इन्होंने खाता नहीं खोला है। राजस्थान की जनता जानती है। इन्होंने क्या किया तीन साल के अन्दर।

श्री सभापति : अब तो बिराजो आप। (व्यवधान) माननीय शिवनाथ सिंहजी।

श्री रामस्वरूप : आप करेंगे तो आप मरोगे, हम करेंगे तो हम मरेंगे। आप क्यों चिन्ता करते हो हमारी? दिल्ली की चिन्ता करो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय मंत्री महोदय, अब रेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी अप्रैल तक? आप यह बताइये कि रेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी अप्रैल तक?

श्री सभापति : माननीय शिवनाथ सिंहजी। माननीय केसारामजी, प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापति जी, आज की चर्चा शुरू होने के पहले ऊर्जा मंत्रीजी ने आज राजस्थान में ऊर्जा की क्या स्थिति है, एक पूरा विवरण

(श्री शिवनाथ सिंह)

दिया। हमारी यह सरकार बिजली के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है, क्या प्रयत्न

(19.18 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कर रहे हैं, इन सब के बारे में इन्होंने बहुत विस्तार से अपना स्टेटमैंट दिया। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उनके स्टेटमैंट के बाद यह साफ हो गया है कि यह सरकार बिजली के उत्पादन के लिये, बिजली के विस्तार के लिये, वितरण के लिये कितनी सक्रिय है, सजग है और कार्यवाही कर रही है। माननीय उपाध्यक्षजी, इस सुधार कार्यक्रम के पहले बिजली बोर्ड यहां कार्यरत था और बिजली बोर्ड पर सरकार का पूरा नियंत्रण था। समस्या सामने यह आई कि बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं और उनके लिये संसाधन जुटाने के लिये, उनको घाटे से उबारने के लिये हमको सुधार कार्यक्रम हाथ में लेने चाहिये। इसी के तहत चाहे वर्ल्ड बैंक का दबाव हो, चाहे केन्द्र सरकार का दबाव हो, हमको सुधार कार्यक्रम हाथ में लेने पड़े। मजबूरी थी हमारी। उसके बाद में नियामक आयोग बना, कम्पनियां बनीं। नियामक आयोग को इस विधान सभा ने अधिकार दिया टैरिफ तय करने का। उन्होंने उसमें कार्यवाही शुरू की। उपाध्यक्षजी, नियामक आयोग ने दो पक्ष लिये, टैरिफ में क्या सुधार हो और दूसरा, बिजली कंजूमर को मिले। वितरण में क्या सुधार हो और जो आज तक बिजली बोर्ड में खामियां रही हैं, उनको दुरुस्त किया जाये।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि एक पक्ष में तो इन बिजली कम्पनियों को नियामक आयोग पूरी क्षमता से और पूरी दिलचस्पी से काम ले। दूसरे के लिये नियामक आयोग ने इन कम्पनियों को कुछ सुझाव दिये थे, इन पर कुछ पाबंदियां लगाई गयी थीं। इनको कुछ कार्यक्रम हाथ में लेने थे, वे इन्होंने नहीं लिये। उपाध्यक्ष महोदय, यहां आकर पीड़ा शुरू होती है। यदि सुधार कार्यक्रम का वह हिस्सा भी साथ-साथ लिया जाता तो मेरे खयाल से आज कंजूमर इतना उद्वेलित नहीं होता जो आज के दिन है। जितनी बिजली हमारे पास है, उतनी ही मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कोई आठ घंटे या 10 घंटे या 15 घंटे की मांग करो, जो बिजली हमारे पास उपलब्ध है, हमारे साधनों से जितनी हम खर्च कर सकते हैं और खर्च करके ला सकते हैं, वह हम लेंगे। इसमें यह कहा जाये कि हमको 10 घंटे बिजली क्यों नहीं मिली या आठ घटे बिजली क्यों नहीं मिली। आज कंजूमर की पीड़ा यह नहीं है, कंजूमर की पीड़ा यह है कि हमसे पैसा लिया जा रहा है और हमको जो सर्विस दी जा रही है वह बहुत ही डिफैक्टिव है।

आज उपाध्यक्षजी, रेशनल व्यू लेना चाहिये था टैरिफ बढ़ाने में, वह नियामक

(श्री शिवनाथ सिंह)

आयोग ने नहीं लिया। मैं दो-तीन उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जो टैरिफ बढ़ा है उसमें यह घोषणा की गई थी कि 16.76 प्रतिशत हमने बिजली में बढ़ोतरी की है टैरिफ में। मैं अब भी निवेदन करना चाहता हूं और स्पष्ट रूप से राजस्थान के सुधी उपभोक्ताओं की तरफ से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि नियामक आयोग और ये कम्पनियां 16.76 प्रतिशत की इन्क्रीज पर कायम रहें। लेकिन आज स्थिति क्या है? 60 प्रतिशत और चालीस प्रतिशत और कहीं-कहीं पर 85 प्रतिशत इन्क्रीज उपभोक्ताओं से ली जा रही है और यह अव्यवहारिक है। इसमें कमी क्यां रही कि हमारी सरकार ने नियामक आयोग के सामने अपना केस नहीं रखा। नियामक आयोग के सामने जैसे इन कम्पनियों ने केस रखा अपना, यदि कोई हमारी सरकार भी उसमें भागीदार बनती और कंजूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिये अपनी बात कहती तो मेरे खयाल से जो इर्रेशनल इनक्रीज हुआ है, वह नहीं हो पाता। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। आज भी मेरा सरकार से पुरजोर शब्दों में अनुरोध है कि आप 50,000 रुपये की फीस दीजिये। नियामक आयोग के सामने एक रेशनल व्यू बढ़ोतरी का लिया जाये, वह आप कीजिये। नियामक आयोग ने फीस कर दी है, कोई भी उसके सामने आयेगा बिजली के टैरिफ के सम्बन्ध में, 50,000 रुपये की उसको फीस देनी पड़ेगी। राज्य सरकार को आज भी करना चाहिये। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, हमें भारत सरकार के प्रधानमंत्री वाजपेयी का सर्टिफिकेट कहीं मदद करने वाला नहीं है। भारत सरकार के मंत्री का स्टेटमैंट हमें कहीं मदद करने वाला नहीं है। हमको मदद करेगा हमारे गांव में बसने वाले मतदाताओं का सर्टिफिकेट जो गांवों में जनता बसती है, शहरों में बसती है, जो राजस्थान के कंजूमर हैं, उनका सर्टिफिकेट हमें चाहिये और वे आज बहुत ही उद्वेलित हैं, पीड़ित हैं। पीड़ित इसलिये हैं कि अव्यवस्था है। टैरिफ से कम दर्द है, अव्यवस्था से ज्यादा दर्द है। उस अव्यवस्था में सुधार के लिये हमको कारगर कदम उठाने चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक-दो बातें कहना चाहूंगा, नियामक आयोग में जिस समय यह टैरिफ का फैसला दिया था, इन कम्पनीज पर भी कुछ पाबंदी लगाई थी, इन्हें डाइरेक्शंस दिये थे कि टेल एण्ड के जो कंजूमर हैं उनकी बात को देखें। फील्ड स्टाफ क्या है, कितना होना चाहिये जो कि एफिशिएंट सर्विस दे सके, उसका पूरा इवैल्युशन करना चाहिये। फिर उसके बाद दूसरा जो आपने कुछ मीटर किराया वगैरह उसमें जोड़ा, ये सब बातें थीं। आज तक फील्ड स्टाफ की स्टडी नहीं की गई है। जहां तीन जे.ईएन. या दो इंजीनियर की पोस्ट थीं, उसको सबको काट दिया गया। एक ए.ईएन. एक सब-डिवीजन में और जो तीन जे.ईएन. हुआ करते थे आज उनकी जगह दो कर दिये गये हैं। फील्ड स्टाफ में भयंकर कमी है और उसी के कारण से हमारी लाइनें ठीक नहीं हो रही हैं, कंजूमर को सर्विस नहीं

(श्री शिवनाथ सिंह)

दी जा रही है। इसलिये जो डाइरेक्शन नियामक आयोग ने दिये थे, उसको पूरा करना चाहिये।

टी. एण्ड डी. लोसेज आपको इस साल के अन्त तक 5 प्रतिशत कम करने थे, अभी तक उसमें बहुत कुछ सुधार हुआ नहीं है। अभी जो फिगर्स आये हैं 3.27 प्रतिशत, आपने सुधार किया है। लेकिन वह सुधार आगे आप कितना कर सकोगे, यह बहुत बड़ी बात है।

उसके बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपने बोनस डिक्लेयर किया। बोनस उत्पादकता से कनैक्ट रहता है। आप बोनस देना चाहते हो लेकिन आपकी उत्पादकता क्या है? कितना आप लाभ कमा रहे हो? बिना सोचे-समझे आपने बोनस का डिक्लेरेशन कर दिया। उपभोक्ताओं को पीट रहे हैं, फायदा है नहीं और उसके बाद भी बोनस दे रहे हैं। मैं बोनस के खिलाफ नहीं हूं लेकिन पैदा होने के बाद में दीजिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि नियामक आयोग बनने के बाद, ये कम्पनीज बनने के बाद आपके पास तो हम रोज का डाटा रहता है, हर महीने का डाटा रहता है, कितने फायदे में आप रहे हो, कितने घाटे में आप रहे हो? बिजली बोर्ड पिछले साल इन महीनों में जितना फायदे में था या घाटे में था, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है घाटे में? या फायदा आपने कितना किया है? इस बात का एनेलिसिस आपको करना चाहिये। एनेलिसिस करने के बाद भी आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आज के हमारे कार्यक्रम, आज की हमारी प्रक्रिया अच्छी नहीं है तो इसमें आपको सुधार करना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बिलों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा, आज क्या हो रहा है आपके बिलों में, मुझे समझ में नहीं आया और माननीय मंत्री, महोदय भी शायद इसको समझा नहीं पायेंगे। स्थाई शुल्क आपने किया है मीटर किराया बदलकर, इसमें 22 रुपये लिये जाते थे, आज उसका आपने 50 और 75 रुपये कर दिया है। आपका यह क्लाज है दुरुपयोग राशि का, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुरुपयोग राशि हमसे वसूल की जाती है, कम से कम हमको बताओ तो सही कि यह दुरुपयोग राशि क्या है ताकि इसका दुरुपयोग हम करना बन्द कर दें। मैंने बहुत-से अधिकारियों से पूछा है कि दुरुपयोग राशि का आप बता दें ताकि हम इस दुरुपयोग को बन्द कर दें, एक भी अधिकारी मुझे नहीं बता सका कि दुरुपयोग राशि किस बात की हमसे ली जा रही है।

इसी तरह जो फ्लैट रेट आपने बन्द किया है, यह आर्गुमैंट दिया गया कि फ्लैट रेट बन्द करने से चोरी मिटेगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि टैक्निक बहुत बढ़ गई है। प्राइमाफेसी लोग चोरी नहीं करेंगे लेकिन आज ऐसी-ऐसी टैक्निक बढ़

(श्री शिवनाथ सिंह)

गई हैं, आपने कहा कि हमने मीटर लगा दिये हैं, मीटर आपने लगा दिये लेकिन आपके मीटर से कोई काश्तकार लेगा तब तो मीटर बतलायेगा। हमारे पास तो वह टैक्निक है जिससे हम मीटर के पास बिजली को जाने ही नहीं देंगे, हम तो सीधे लाइन से लेंगे। कैसे आप चोरी रोक पाओगे? इसलिये यह जो फ्लेट रेट का सिस्टम पहले था, एक एश्योर्ड इनकम आपके पास थी। वह आपको कायम रखनी चाहिये।

इसी तरह से मिनिमम चार्जेज वाली बात है, मिनिमम चार्जेज वाली बात भी कई बार उठी है। आप बिजली देते नहीं हो, मिनिमम चार्ज लेते हो। कहा यह गया कि हम बिल के साथ में एवरेज मिनिमम चार्जेज ले रहे हैं और साल के अन्त में आपको इसकी भरपाई कर देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो चला गया लकड़ी में मशानों में, कभी वापस नहीं आता है। इसलिये यह मिनिमम चार्ज आप एडजस्ट कर पाओगे, यह बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाओगे।

इसी तरह से आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जो समाधान के लिये हुआ करती थी, वह आपने बन्द कर दी। मैं अन्त में आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को नियामक आयोग के सामने जाना चाहिये कि टैरिफ में रेशनल व्यू लिया जाये और उसी हिसाब से टैरिफ को ठीक किया जाये। इसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कंज़ूमर आज बहुत पीड़ित है, चाहे वह डोमेस्टिक कंज़ूमर हो, एग्रीकल्चर कंज़ूमर हो। उसकी नाराजगी हम कितनी झेल पायेंगे वह हमें सोचने की बात है। आज बिजली का मुद्दा राजस्थान में भयंकर मुद्दा बनकर सामने आ गया है, इस मुद्दे को आंख मींचकर चलने से हमारी पार नहीं पड़ेगी। बिजली का मुद्दे को मुद्दा मानकर हमको चलना चाहिये और कंज़ूमर का सैटिस्फैक्शन होना चाहिये। प्राइम मिनिस्टर का सर्टिफिकेट हमें कभी काम नहीं देगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर)**:** उपाध्यक्ष महोदय, अभी शिवनाथ सिंहजी साहब ने यह बहुत सही कहा कि बिजली का मुद्दा राजस्थान के लिये अहम मुद्दा है। जिस चीज के 56 लाख उपभोक्ता हों, पांच करोड़ की आबादी में यदि 56 लाख उपभोक्ता हैं इसका मतलब यह है कि ढाई करोड़ से ऊपर लोग बिजली का उपयोग रोज कर रहे हैं। आपके विद्युत मण्डल, नियामक आयोग और विद्युत प्रसारण निगम एवं वितरण निगम, इन सब की नीतियों से लोग रोज प्रभावित हैं। मुख्य मुद्दा यह है, माननीय विद्युत मंत्रीजी, आपने यह तो कहा कि हम निजी कम्पनियों पर निर्भर नहीं रहे, आपने बहुत अच्छा काम

(श्री मानिक चन्द सुराना)

में प्रोजेक्ट लगाये। उसमें आपका धन नहीं लगेगा लेकिन राजस्थान का उत्पादन, 120-120 की दो, 240 मेगावाट का टोटल...

डा. चन्द्रभान : वैसे मैं जब रिप्लाई दूंगा तब इसको क्लीयर कर दूंगा, सरकार तैयार है नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन से यहां पर प्रोजेक्ट लगाने के लिये। आपका और प्रतिपक्ष के नेता महोदय का मैं इसमें सहयोग चाहूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): यह कह रहे हैं, क्या नाम है उसका....

श्री मानिक चन्द सुराना : हिन्दुस्तान डवलपमैंट कारपोरेशन।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हिन्दुस्तान डवलपमैंट कारपोरेशन का यह जो एग्रीमैंट है इसको आप खतम नहीं करेंगे तो नैवेली कहां से आयेगी?

डा. चन्द्रभान : उसका तो जो समय था वह समाप्त हो गया 30 सितम्बर को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : समाप्त हो गया होगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : तो फिर आप नैवेली को इन्वाइट करिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वहां जो इनवेस्टमैंट किया हुआ है वह इनवेस्टमैंट लेना चाहते हैं, मुकदमा कर रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो उसने इनवेस्टमैंट अब तक कर दिया उस इनवेस्टमैंट के लेने के लिये उसने विवाद खड़ा किया हुआ है, वह विवाद आप निबटायें बैठ कर।

डा. चन्द्रभान : नहीं, विवाद निबटाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। आपके समय में यह सब हुआ है। मैं आपको उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकारी देना चाहूंगा कि राज्य सरकार उसकी जो पावर परचेज करेगी, एक तो वह था उसका, जो आई.सी.बी. के थ्रू आया और दूसरा उसका एग्रीमैंट था, दोनों के लिये उसको बहुत समय दिया गया। अभी सुराना साहब ने तो आरोप भी लगाया कि आपको भी तीन साल हो गये। आपकी सरकार ने भी काफी समय दिया, हमारी सरकार ने भी काफी समय दिया, जो लीज उसको लेनी थी माइनिंग की। उसमें कोई राज्य सरकार की थोड़े ही जिम्मेदारी थी, उसको केन्द्र सरकार से लेनी थी तो केन्द्र सरकार से वे लेते। राज्य सरकार ने तो सहृदयता दिखाई, उन्हें पांच से छह साल का समय दिया, लेकिन पांच से छह साल के समय में भी वे केन्द्र सरकार से यदि माइनिंग की लीज नहीं ले पाये तो इसमें राज्य सरकार का कहां दोष है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राज्य सरकार कोशिश करे, दिलवाये आप उसको।

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं। कहीं कोई एग्रीमैंट ऐसा नहीं है कि हम दिलवायेंगे। हम उसके लिये मदद करेंगे.....

(श्री मानिक चन्द सुराना)

किया। पर आपके घोषणा पत्र में तो यह है कि आप सार्वजनिक इनवेस्टमैंट और निजी इनवेस्टमैंट दोनों को बराबर महत्त्व देंगे। चलिये, आप उस पर निर्भर नहीं रहे, यह बहुत ठीक किया। पर मैं यह पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि तीन साल में विद्युत मण्डल के निजीकरण विद्युत कम्पनियों का मतलब आप प्रसारण, वितरण सभी को समझें, आपने इसकी ओर क्या कदम उठाये? मैं बीकानेर जिले के बरसिंहसर की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक कम्पनी थी आर.पी. मोदी साहब की, हिन्दुस्तान डवलपमैंट कारपोरेशन, बरसिंहसर का सारा पावर परचेज एग्रीमैंट उससे हुआ था 1996, सितम्बर में, उन मोदी साहब का कहीं अता-पता नहीं है।

डा. चन्द्रभान : वह रवाना हो गये अब।

श्री मानिक चन्द सुराना : उसको आये हुये तीन साल हो रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी कम्पनियों के द्वारा उनका पावर परचेज एग्रीमैंट टर्मिनेट कर दिया गया या नहीं कर दिया गया? इस सम्बन्ध में षणमुगम जो भारत सरकार के विद्युत राज्य मंत्री हैं, वह खुद आपसे मिले हैं, आपके माननीय मुख्य मंत्रीजी से मिले हैं, नैवेली लिग्नाइट प्रोजेक्ट, बरसिंहसर को लेने को तैयार है। नैवेली लिग्नाइट प्रोजेक्ट जो उसको लेने को तैयार है, उसका मुनाफा प्रति वर्ष 1500 करोड़ है, वह एक सक्षम कम्पनी है। भारत सरकार का ही उद्योग है, वह भारत सरकार की पब्लिक अन्डरटेकिंग है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने इस सम्बन्ध में उनको ग्रीन सिग्नल दिया है या नहीं दिया है? ग्रीन सिग्नल दिया है तो आपने जो 1750 मेगावाट का उत्पादन आपके कार्यकाल में होना बताया, उसमें तो कहीं आपने बरसिंहसर का जिक्र नहीं किया। न आपने बाड़मेर के कपूरड़ी का जिक्र किया। आप बरसिंहसर, कपूरड़ी और बाड़मेर के अन्य भण्डार जो लिग्नाइट के हैं, नागौर के अन्य भण्डार जो हैं उनका दोहन करेंगे या नहीं करेंगे? यह दो साल में आपके लिये सम्भव होगा या नहीं होगा, हम यह जानना चाहते हैं? बरसिंहसर में इस नैवेली लिग्नाइट कम्पनी ने ग्यारह हजार बीघा जमीन उस प्रोजेक्ट के लिये एक्वायर की हुई है, उसका मुआवजा दिया हुआ है। 100 करोड़ का मुआवजा वह दे चुकी है। उसके 600 करोड़ का इनवेस्टमैंट बरसिंहसर में हो चुका है। यह तो 1994 के अन्दर इस कम्पनी की स्थिति कुछ खराब हुई उसके बाद में उन्होंने दक्षिण की तरफ वापस मुंह किया। पर 1996 में जो एग्रीमैंट हुआ, मैं समझता हूं कि आज तक आपने फाइनली आर.पी. मोदी का एग्रीमैंट टर्मिनेट भी नहीं किया, हिन्दुस्तान डवलपमैंट कारपोरेशन का एग्रीमैंट टर्मिनेट नहीं किया और नैवेली लिग्नाइट को अभी तक आमंत्रित नहीं किया कि आप बरसिंहसर

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एग्रीमैंट है या नहीं....

डा. चन्द्रभान : आपने भी मदद की है, हमने भी मदद की लेकिन नहीं हो पाया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मान लें एग्रीमैंट है या नहीं है, प्रश्न यह है कि उस बेसिस के ऊपर वहां पावर प्रोजेक्ट लग जाता तो वह पावर सस्ती होती और आपको पावर में पैसा लगाने की जरूरत नहीं थी।

डा. चन्द्रभान : वहां पर पावर प्रोजेक्ट लगेगा तो निश्चित रूप से पावर सस्ती मिलेगी। मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से इस सदन को आश्वस्त करूंगा और आप लोगों का सहयोग चाहूंगा, निश्चित रूप से हम इसी सरकार के कार्यकाल में बरसिंहसर में लिग्नाइट पावर प्रोजेक्ट चालू करेंगे। राज्य में एक लिग्नाइट की शुरूआत होनी चाहिये, इसके लिये हम हर सम्भव प्रयास करेंगे। माननीय सुरानाजी, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, सरकार इसके लिये तैयार है कि नैवेली लिग्नाइट दोबारा यहां आये और यहां पावर प्रोजेक्ट लगाये।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, ऊर्जा मंत्रीजी यह तो बतायें कि पहले कैसे भाग गये थे वो।

श्री मानिक चन्द सुराना : खैर, कोई भाग गया तो हमें उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि राज्य सरकार यह समझती है, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी यह समझते हैं कि अपन नैवेली को बुला सकते हैं तो मैं यह निवेदन करता हूं कि उसमें देर क्यों। जिसके पास पूंजी है, जिसके पास एक्सपटाइज है लिग्नाइट की, नैवेली लिग्नाइट ही है जिसके पास रेवेन्यू है और जो दो हजार मेगावाट बनाती है।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी जानकारी में लाना चाहूंगा कि सरकार ने एप्रोच किया है उनको। नैवेली लिग्नाइट का जो बोर्ड है उसने निर्णय कर लिया है और अब कोल मिनिस्ट्री में है, माननीय मंत्रीजी इस पर निर्णय करेंगे। उसमें हम भी प्रयास करेंगे, प्रतिपक्ष के नेता महोदय भी प्रयास करें, आप भी करें। रामविलास पासवानजी हैं आजकल मंत्री, उनसे आपके भी अच्छे सम्बन्ध हैं, मेरे भी थोड़े सम्बन्ध हैं विपक्ष के नेता महोदय के तो हैं, वे यहां पर लगाये, सरकार उसके लिये पूरी तरह से तैयार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सहयोग करूंगा। यदि आप पहले कहते तो मैं और पहले सहयोग करता।

डा. चन्द्रभान : वह अभी हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज बात उठाई है तब आप कह रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : यह जो हिन्दुस्तान विद्युत कारपोरेशन का जो समझौता था वह 30 सितम्बर को ही समाप्त हुआ है।

श्री मानिक चन्द सुराना : इस 30 सितम्बर, जो गई है?

डा. चन्द्रभान : हां, इसी 30 सितम्बर को।

श्री मानिक चन्द सुराना : तो ठीक है। तो हमने सही समय पर सही मुद्दा उठा दिया है, नैवेली को ही इनवाइट कीजिये। माननीय रामविलासजी पासवान साहब से विपक्ष के नेता भी आपको पूरा समर्थन करेंगे, हम भी समर्थन करेंगे। आप और हम तो पहले एक ही पार्टी में थे जिसमें रामविलास पासवान भी थे इसलिये उनकी आपसे भी कोई ज्यादा दूरियां नहीं है, इसलिये आप, हम और विपक्ष के नेता महोदय.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : सुरानाजी, उस पार्टी का तो बंटाढार कर दिया, अब लिग्नाइट का मत बंटाढार करना।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं। जहां तक लिग्नाइट का प्रश्न है, लिग्नाइट में आप उनको बुलायेंगे तो न सिर्फ बरसिंहसर बल्कि, मैं समझता हूं बीकानेर जिला, बाड़मेर जिला और नागौर जिला, इन तीनों के जो लिग्नाइट के भण्डार हैं उनकी भी सम्भावना बनेगी। 1800 लाख टन बीकानेर में है, तीन लाख तीन हजार टन बाड़मेर में है, 35 साल तक 240 मेगावाट चले बरसिंहसर में और बाड़मेर में 500 मेगावाट चले तो भी 35 साल तक लिग्नाइट समाप्त नहीं होगा। उसकी लेटेस्ट टेक्निक में वो उपयोग होगा तो निश्चित रूप से राजस्थान का बड़ा भारी कल्याण होगा।

इसके साथ ही माननीय मंत्रीजी, आपने अभी तीन वर्ष में 900 मेगावाट की उपलब्धि बताई। आपकी उपलब्धि के लिये आपको बहुत साधुवाद है, पर मैं यह जानना चाहूंगा, कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में फरवरी, 1999 से सूरतगढ़ चालू करने की जो बात कही, मेरे पास घोषणा-पत्र है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपके ध्यान में हैं। आप आ रहे हैं नवम्बर, 1998 में और आप कह रहे हैं कि तीन महीने के भीतर हम चालू कर देंगे सूरतगढ़ को, आपने मई, 1999 में चालू किया। आपके पास कोई जादू का डण्डा नहीं है वो सिंक्रोनाइज पहले हो चुका था। यह बात पहले आपके ध्यान में आयी हुई है। आप उस ढाई सौ मेगावाट का श्रेय क्यों ले रहे हैं?

डा. चन्द्रभान : इन 900 में वो ढाई सौ मेगावाट नहीं है, पहली यूनिट का नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : वो है, वो जुड़ा हुआ है।

डा. चन्द्रभान : सर, मैं आपको निवेदन करूं कि यह हमारा ओन जनरेशन नहीं है, यह हमारी टोटल इंस्टाल्ड कैपेसिटी है जिसमें आर.ए.पी.पी. की दोनों यूनिट का जो हमने पावर परचेज करने का एग्रीमैंट किया है.....

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने पहली और सैकण्ड नहीं जोड़ी है न।

डा. चन्द्रभान : पहली यूनिट नहीं जोड़ी है।

श्री मानिक चन्द सुराना : और सैकण्ड?

डा. चन्द्रभान : सैकण्ड तो है ही हमारी।

श्री मानिक चन्द सुराना : मार्च, 2001 में, एक मिनट कोई बात नहीं है, आप बैठो तो सही।

डा. चन्द्रभान : सैकण्ड तो हम ही ने किया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मार्च, 2000 में और आप आये नवम्बर, 1998 में 14 महीने में आज तक भी आपने ढाई सौ मेगावाट का प्रोजेक्ट कोई पूरा किया है? वो भी तीन चौथाई बन चुका था। खैर आंकड़े आपके ध्यान में हैं...(व्यवधान) आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं?

डा. के. सी. चौधरी : ...(व्यवधान) 13 सौ से 23 सौ करोड़ हो गये, फाइनेंशियल टाई-अब नहीं हो पाया था आपके टाइम में।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलने दो इनको।

श्री मानिक चन्द सुराना : ऊर्जा मंत्रीजी ने स्वीकार कर लिया कि पहली इकाई में ढाई सौ मेगावाट हमने नहीं जोड़े और आज तक आप कह रहे हैं कि एक मेगावाट पावर नहीं बनायी बी.जे.पी. ने। ढाई सौ तो आपसे एडमिट करवा लिये और छठी इकाई कोटा तापीय की, वो बी.जे.पी. ने बनायी। 510 मेगावाट 8 साल में बनाने का श्रेय बी.जे.पी. की सरकार को है। 22 सौ मेगावाट के जो पावर परचेज एग्रीमैंट किये। 1995-1996 में, वो क्या गलत सोर्स से किये? बिलकुल आनेस्टली किये गये। आपके चन्दन मलजी बैद साहब जो विपक्ष के नेता थे, विपक्ष के बहुत प्रमुख सदस्यों में थे, वो कह रहे थे कि भारी भ्रष्टाचार हुआ है पावर परचेज एग्रीमैंट में और एक एग्रीमैंट क्रियान्वित नहीं हुआ। वो इसलिये नहीं हुआ आज मैं कहना चाहता हूं कि माननीय शेखावत साहब ने जो उद्योगपति आया उसको जितना नीचे वालों ने तय किया उसके ऊपर 10 पैसे और कम करा लिये, किसी से 20 पैसे कम करा लिये। 10-20 पैसे का मार्जिन वो भैरोंसिंहजी शेखावत ने निकाल दिया। जब आप आ गये तो सारे उद्योगपतियों ने कहा कि आप तो पहले ही कह रहे थे कि इसमें भ्रष्टाचार है, सबके सब विमुख हो गये चले गये। आज भी एक उद्योगपति आप ला नहीं पाये। शेखावत साहब से कोई कहेगा नहीं, 20 पैसे इन्होंने कम करा दिये; मैं कह रहा हूं कि इन्होंने 20 पैसे, 10 पैसे, 15 पैसे.....

डा. चन्द्रभान : ये कैसे करा सकते थे? जब आई.सी.बी. के थ्रू आये तो ये 10-20 पैसे कैसे कम करा सकते हैं?

श्री मानिक चन्द सुराना : चीफ मिनिस्टर के कमरे में बड़ी ताकत होती है, आपको पता नहीं है। पता भी होगा।

डा. चन्द्रभान : इस ताकत का पता तो हमें आज ही लगा है। आई.सी.बी. के तो, साहब....

श्री मानिक चन्द सुराना : बड़ी ताकत होती है, वहां कम हो जाते हैं पैसे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप एक काम करना, आपकी ही पार्टी के एम.पी. हैं उन गोयनकाजी से पूछ लें कितने पैसे कम कराये।

श्री मानिक चन्द सुराना : और इसलिये धौलपुर में....

डा. चन्द्रभान : वो गोयनकाजी भी चले गये और मोदी जी भी चले गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चले इसलिये गये कि वो इधर कांग्रेस में आ गये इसलिये उधर चले गये।

डा. चन्द्रभान : वो उद्योगपति से नेता बन गये और अपन ने एम.पी. बना दिया।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने बना दिया एम.पी.?

डा. चन्द्रभान : सबने मिलकर।

श्री मानिक चन्द सुराना : खैर, यह बहुत अच्छी बात है, आज ढाई सौ मेगावाट एडमिट किया और छठी इकाई कोटा की भी एडमिट की तो यह बहस आगे सारगर्भित तरीके से चलेगी।

माननीय ऊर्जा मंत्री, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि ये जितनी भी अपने अलग-अलग इकाइयां हैं। पवन की इकाई पन विद्युत की इकाई, तापीय बिजली घर, इसकी जरा कभी कास्ट अलग-अलग निकलवाइये कि तापीय बिजली घर में क्या कास्ट आ रही है? प्रथम में क्या आयी, द्वितीय में क्या आयी, तृतीय में क्या आयी, पवन ऊर्जा में क्या कास्ट आ रही है। मथानिया में क्या कास्ट आयेगी? मथानिया में अभी आपने एग्रीमैंट किया है 140 मेगावाट का और वो जर्मन वाले के.एफ. डब्ल्यू. वाले आ गये हैं। उसमें 30 प्रतिशत शायद कुछ अनुदान है, बहुत कन्सेशनल रेट पर 30 सालों में रुपये देने हैं, बहुत अच्छा है। मथानिया की तरफ आपका ध्यान गया, मैं कहता हूं कि अब आप ध्यान करें बाड़मेर, नागौर, बीकानेर इन तीनों जगहों पर जहां राजस्थान का खुद का कोयला-लिग्नाइट पड़ा है। उसके आधार पर हमारी जो कमियां हैं हजार-15 सौ मेगावाट की, राजस्थान की उन कमियों की पूर्ति की जाये। इस ओर आप और आपकी सरकार ध्यान दें और इस बरसिंहसर के बारे में जो आपने कहा है उसको त्वरित गति से आप क्रियान्वित करने का कष्ट करें।

मैं इसके साथ अब यह जानना चाहूंगा कि आपके आज के सारे भाषण में आपने 8 घण्टे बिजली देंगे, यह बात तो पूरी गायब

(श्री मानिक चन्द सुराना)

ही कर दी। 672 लाख यूनिट रोज के आप आंकड़े बना रहे हैं कि 25 लाख ले रहे हैं दिल्ली से जो भी सेंट्रल पूल हैं, इस 25 लाख की क्या रेट है? 672 लाख अपन बना रहे हैं और 25 लाख उनसे ले रहे हैं। आज कृषि के कनैक्टेड लोड को देखें, इण्डस्ट्री के कनैक्टेड लोड को देखें और राजस्थान में जो घरेलू और व्यापारिक कनेक्शंस हैं उनके लोड को देखें तो राजस्थान में कृषि उपभोक्ताओं के लिये 31 प्रतिशत बिजली, साल भर के औसत से चाहिये पर डिमाण्ड और सप्लाई में जो गैप है, वह गैप थोड़ा नहीं है। टोटल 672 लाख यूनिट हम पैदा कर रहे हैं, वहां टोटल डिमाण्ड है 829 लाख यूनिट की। 25 लाख आप वहां से ले रहे हैं, 60 लाख का आपने आर.ए.पी.पी. से कह दिया कि हमारी कमी पूर्ति होगी। खैर, तापीय में पवन ऊर्जा में क्या कास्ट आ रही है और उसमें क्या कास्ट आ रही है, इसको आप देखें। मैं इसके साथ ही आपसे पूछना चाहूंगा कि....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय, मैं पांच मिनट आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि आप जो यह सुधार कार्यक्रमों की बात कह रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इनको टाइम दे दें, मैं नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अब और कोई नहीं बोलेगा?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और तो बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : जब आपके सुधार कार्यक्रमों में निजीकरण वाले कोई आ ही नहीं रहे हैं तो अपन ये वितरण कम्पनियां, प्रसारण कम्पनियां, उत्पादन कम्पनी जो बना रहे हैं ये किसके इंतजार में बना रहे हैं? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब कोई निजी आने वाला नहीं है, कोई बड़ा 10 हजार करोड़ का पूंजीपति राजस्थान की वितरण कम्पनियों को लेने वाला नहीं है तो यह अनबंडलिंग जो सुधार कार्यक्रमों में किया है जिसके कारण से विद्युत मण्डल की क्षमता अलग-अलग कम्पनियों में बंट कर कम हो गयी है, उसकी एफीशिएंसी कम हो गयी है, आप इसको अनबंडल करें। आपके खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन ने आपको इसको अनबंडल करने को कहा है। यह आप हमको संतोष दिलाये कि 5 हजार करोड़ वाले.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी मानक जी, एग्रीमैंट नहीं हुआ इन कम्पनियों के बीच में।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं कोई आने वाला है जिसके इंतजार में अपन ने ये कम्पनियां अलग-अलग बना रखी हैं। यदि कोई आने वाला नहीं है तो ताज्जुब है, आपकी जानकारी में है कि आज एक चेयरमैन डिस्कोम जो है वितरण कम्पनी का,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

किसी को बुलायेगा तो वह कोई सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर ही उपलब्ध होगा या कहीं एक्स.ई.एन. ही उपलब्ध होगा, चीफ इंजीनियर कैटेगरी के लोग पांचों कम्पनियों में नहीं है। आज यदि विद्युत मण्डल होता तो उसके पास ज्यादा टैक्नीकल नो हाऊ, ज्यादा एफीशिएंसी और ज्यादा कंट्रोल होता। यह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर जो पांच हाथियों को बना कर आपने चेयरमैन बना दिया है, इसको आप अनबंडल करने की करें क्योंकि यदि दो साल में कोई आने वाला नहीं है तो इन कम्पनियों की, वितरण कम्पनियों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी मूल राशि जो आयी है वह टैरिफ बढ़ाने से आयी है और टैरिफ तो आर.एस.ई.बी. रहती तो भी बढ़ सकती थी। आपको रैगुलेटरी कमीशन बनाने की जरूरत नहीं थी। आज तो शिवनाथ सिंहजी कह रहे हैं कि प्रार्थना पत्र दें नियामक आयोग को। आपने बनाया या पीछे की सरकार ने बनाया, क्यों बनाया नियामक आयोग को जहां जाना पड़े सरकार को प्रार्थी बन कर? आप इस सबको बाइंड अप करिये, इसके लिये वापस बिल लाकर इसको खतम करिये। राजस्थान का सुधार और राजस्थान की बिजली की आवश्यकता पूर्ति हमारे पांच हजार करोड़ वालों के इंतजार से नहीं होगी, इसलिये जो आपने यह सुधार कार्यक्रम नाम दे रखा है कम्पनी अलग-अलग बनाने का, इस सुधार कार्यक्रम को बाइंड-अप करिये।

यह जो आपने टैरिफ बना रखा है, सवाल यह है कि क्या आप इस टैरिफ को कुछ कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। राजस्थान का किसान आंदोलित है। राजस्थान का किसान चाहता है कि यह टैरिफ कम हो। 94 पैसे में बिजली आप दे रहे हैं, पर किसान को 37 पैसे में आपके घोषणा पत्र में आपको देना था और दूसरों को 169 पर दे रहे हैं। कृषि कनेक्शंस में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप मीटर की बात कर रहे हैं, मीटर लगायेंगे। आप मीटर क्यों लगायेंगे, फ्लैट रेट को क्यों खतम करेंगे? फ्लैट रेट में आज जिनके 25-20 हार्स पावर की मोटर है, उनके 6 हजार का बिल आ रहा है— 56 सौ, 58 सौ, 6 हजार रुपये आप ये मीटर लगाकर और क्या चाहते हैं? उस किसान को बरबाद करना चाहते हैं जिसके कि जैसे मेरे यहां ढाई सौ फीट नीचे पानी निकल रहा है, तीन सौ फीट नीचे पानी है। देखिये दूसरे स्टेट्स को जहां दो सौ फीट भी पानी नीचे निकल जाता है तो उसको कोई कनेक्शन दिया जाता है। इस रेगिस्तान में बीकानेर में जो 5-6 हजार कुएं बने हैं। यदि आपने मीटर लगाने की बात सोची तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये 5000 कुएं हमारे बरबाद होंगे। जहां भी डीप वैल्स हैं वे सारे के सारे बरबाद हो जायेंगे। आप मीटर के नाम पर 2-3 हज़ार रुपये की उनसे और वसूली करना चाहते हैं, यह बात पार नहीं पड़ेगी। इसका घोर विरोध भी होगा।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आपके रैगुलेटरी कमीशन ने कैसे फैसला कर लिया कि हम तीन साल में सारे मीटर लगा देंगे? तीन साल में सारे मीटर लगाने की बात, माननीय चन्द्रभानजी, यदि आपने दो साल में क्रियान्वित कर दी तो मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आपका घोषणा पत्र कितना ही सुन्दर बना लेना, कोई काम चलने वाला नहीं है। यदि तीन लाख लोगों के यहां गांवों में मीटर लगा दिये तो काम वैसे ही तमाम हो जायेगा। इस मीटर लगाने को रोको।

डा. चन्द्रभान : आजकल आप भाजपा में हैं और केन्द्र में भाजपा की सरकार है वह भी यह कहती है कि टोटल मीटरिंग कीजिये। 100 प्रतिशत मीटरिंग कीजिये, केन्द्र कह रहा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप अभी केन्द्र को भूल जाइये, अभी राजस्थान की बात कीजिये। केन्द्र में आपकी सोनिया गांधीजी बैठी हैं वह कर लेंगी बात। डीजल बढ़ा है, पैट्रोल बढ़ा है, वह बात वहां हो जायेगी और उसके जो नतीजे होंगे वे देश को मिल जायेंगे। मैं मीटर का विरोध कर रहा हूं कि किसानों के मीटर न लगे।

मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मेरे यहां एक गांव है अमरपुरा, 1996 से वे इंतजार कर रहे थे, कुएं बना रखे थे। तीन कनेक्शन रिलीज हुये। कनेक्शन लग गये उसके बाद कह रहे हैं कि मीटर के बिना कनेक्शन नहीं देंगे। काश्तकार परेशान है, जिसने तीन लाख रुपये का ट्यूबवैल बनाया कि यदि मीटर लग गया तो 8-9 हजार रुपये का बिल आयेगा। दूसरों का बिल 5600 का आ रहा है। इसलिये नया कनेक्शन होगा तो मीटर ही लगेगा, ये सब जो आदेश हैं नियामक आयोग के, इन आदेशों को आप खतम कीजिये।

मैं एक और बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आप उद्योग मंत्री भी हैं, आपने राजस्थान के ट्रांसफार्मर 133 करोड़ के खरीदे। राजस्थान के कितने उद्योगपति हैं जिनको आपने आर्डर दिया? आपके टेण्डर में लिखा है, 4 हजार और 5 हजार जिसका उत्पादन नहीं है और जिसने पिछले तीन सालों में एवरेज 4-5 हजार ट्रांसफार्मर की सप्लाई नहीं की है वह आदमी टेण्डर नहीं दे सकता। राजस्थान के छोटे ट्रांसफार्मर वाले जो 400 बनाते हैं, 500 बनाते हैं, 800 बनाते हैं दो-एक बच गये होंगे, आपने एक झाडू से ट्रांसफार्मर इण्डस्टरी का सत्यानाश कर दिया। आज राजस्थान का सारा ट्रांसफार्मर अन्य प्रांतों से आयेगा, जबकि हमारे ट्रांसफार्मर निर्माता अन्य प्रांतों को और 5-6 बड़े प्रान्तों को ट्रांसफार्मर सप्लाई करते थे। आपको क्या आवश्यकता थी? हर वर्ष पिछले तीन वर्षों से जिन्होंने सप्लाई की है, यह टेण्डर की शर्त लगाने की जरूरत क्या थी? कहा जाता है कि वर्ल्ड

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बैंक के दबाव में आपने यह शर्त लगाई। मैं नहीं जानता, आप पर कोई दबाव था, नहीं था। छोटा निर्माता अफसरों को बड़ी फ़ीस नहीं दे सकता— फीस समझिये, रिश्वत समझिये या सुविधा शुल्क, जो भी इसलिये चीफ इंजीनियर लेवल के लोग थे उन्होंने टेण्डर में शर्त डाल दी। अगर कोई दूसरा उद्योग मंत्री होता तो, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी, आपका हाथ रोकता, आपको टोकता भी कि आप इस शर्त को ढीला कीजिये। पर आप तो उद्योग मंत्री भी हैं और विद्युत मंत्री भी हैं। सारे ट्रांसफार्मर उद्योग का सत्यानाश हो गया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, 8 घंटे बिजली पर वापस आइये। 8 घंटे बिजली पर नहीं आयेंगे, शिवनाथ सिंहजी ने तो कह दिया, 8 घंटे देंगे, 10 घंटे देंगे, कोई पता नहीं है, जितनी होगी उतनी देंगे। जितनी होगी उतनी नहीं, आपको रबी की फसल में उपयुक्त बिजली 8 घंटे बिजली रबी के काश्तकारों को देनी पड़ेगी। आप नहीं देंगे तो जो आन्दोलन राजस्थान में हुये हैं, वे पुनः होंगे। उसी तरह ये रेटें भी आप रिवाइज कीजिये। ये रेटें अनइकोनोमिक हैं। आपका फर्ज यह भी देखना है कि ट्यूबवैल की रेट इतनी न हो जिससे कि खेती अलाभकारी हो जाये। आप और हम तो अलाभकारी खेती के खिलाफ काफी संघर्ष करते आये हैं, आपकी बिजली की रेटों से यदि राजस्थान की खेती अलाभकारी बनती है तो आप रेटें घटाइये ताकि खेती बरबाद नहीं हो जाये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि खेती को भी लाभकारी रखने के लिये आपकी टैरिफ़ की रेट को घटाइये। इसके साथ उद्योगों को चलने देने के लिये भी यह 5 रुपये की बिजली उद्योग नहीं पोसा सकता, उनकी रेटों को भी घटाइये 8 घंटे बिजली दीजिये। टैरिफ यदि आप घटा नहीं सकते और बिजली 8 घंटे दे नहीं सकते तो ऊर्जा मंत्री रहने का कोई औचित्य आपका भी नहीं रह जाता। मैं इसी निवेदन के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रांसफार्मर अभी भी राजस्थान के उद्योगपतियों से.....(व्यवधान) एक सैकण्ड, थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर दूं, बाद में समय नहीं रहता है। राजस्थान के ट्रांसफार्मर एसोशिएशन वाले मिले थे, उन्हीं से खरीदे जा रहे हैं। केवल वर्ल्ड बैंक के टेण्डर में जो कण्डीशन है उसमें भी रिलेक्सेशन दिलवा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरे पास डिटेल हैं, आप बाद में जवाब देना, उनके पास डिटेल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये प्लीज। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं। आप हाउस कितने बजे तक चलाना चाहते हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जब तक बिजली बन्द नहीं हो जाती तब तक हाउस चलाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिजली तो अभी बन्द करा दें आप कहो तो।

श्री रामनारायण चौधरी : कराओ, कराओ, साहब, क्या दिक्कत है? आपको असिस्ट करने के लिये हम हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपके मैम्बर साहबान फरमा रहे हैं, जल्दी करो। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : बात तो एक ही है।

श्री उपाध्यक्ष : एक ही है बात तो, दो बात क्या है? आप कह रहे हैं अच्छा है और यह कह रहे हैं खराब है, और क्या है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभी ने यही बात कही है बिजली में यह है, बिजली में वो है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जल्दी समाप्त हो सकती है अगर मंत्री महोदय यह कह दें कि उनके अधिकार में है कि वह 8 घंटे बिजली दे सकते हैं। अगर उनके अधिकार में है कि रेट के बारे में वह कुछ सोच सकते हैं और उनकी क्षमता में है तो बता दें, बाकी इस बहस का कोई अर्थ नहीं है। आप 4 घंटे छोड़कर 6 घंटे करो। आप इन दो बातों पर कुछ कर सकते हो तो कह दो, नहीं कर सकते हो तो बन्द करो।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष : यह जवाब देंगे तब कह देंगे, माननीय सदस्य, बिराजिये। सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है। माननीय गृह मंत्रीजी अपना स्टेटमैंट देना चाहते हैं, कहीं जा रहे हैं इसलिये पहले ले लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी नहीं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : वह जाना चाहते हैं, काम है उनके। (व्यवधान) क्यों, आपको उनकी याद आ रही है?

डा. चन्द्रभान : आप ही ने मांगा था।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपने ही तो मांग उठाई थी कि मैं स्टेटमैंट दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन बीच में कहने के लिये मैंने नहीं कहा था।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आपने तो यह फरमाया था कि मैं जल्दी आकर स्टेटमैंट दूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** आपने ही दबाव डाला था शाम तक कभी भी दे सकते हैं आप, आज ही दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन यहां से चले जाना स्टेटमैंट देकर।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप कहोगे तब दे दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अखबारों में जो फोटो आई उनमें तो कहीं लाठीचार्ज हुआ नहीं। फोटो आपकी भी आई है। खामखाह लाठीचार्ज करो, यह अलग बात है।

शासकीय वक्तव्य

अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के प्रदर्शनरत शिक्षकों पर पुलिस कार्यवाही

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 8.11.2001 को सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था शिक्षक एवं कर्मचारी संघ राजस्थान द्वारा अपनी 5 सूत्री मांगों के सम्बन्ध में स्टेच्यू सर्किल पर धरने की स्वीकृति के लिये उसी दिन आवेदन कर ए.डी.एम. (दक्षिण) से स्वीकृती प्राप्त की गयी। प्रदर्शन में शुरू में 200-300 प्रदर्शनकारी थे जिनकी संख्या 1.30 बजे करीब 1200-1500 के बीच हो गयी। स्टेच्यू सर्कल पर पूर्व से ही पुलिस का बन्दोबस्त था। इस धरने का नेतृत्व श्री पुष्कर लाल मिश्रा व श्री भवानी सिंह शेखावत कर रहे थे जिन्हें ए.डी.एम. (दक्षिण) ने स्वीकृति स्टेच्यू सर्किल पर ही धरना, प्रदर्शन के लिये दी थी परन्तु अपनी संख्या को बढ़ता देख अचानक उक्त प्रदर्शनकारी एकत्रित होकर सचिवालय के सामने वाले मार्ग पर जहां पर धारा 144 सी.आर.पी.सी. लगी हुई थी, की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें वहां मौजूद एस.एच.ओ. अशोक नगर ने उक्त क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू होने के कारण समझाइश कर उधर जाने से रोका तो उन्होंने विधान सभा भवन की तरफ इसी मार्ग से जाने का प्रयास किया।

इस बाबत पुलिस बल की काफी समझाइश के बाद प्रदर्शनकारी स्टेच्यु सर्कल से पृथ्वीराज मार्ग, तिलक मार्ग, युधिष्ठिर मार्ग होते हुये जहां निषेधाज्ञा लागू नहीं है, जाने के लिये तैयार हो गये। स्टेच्यू सर्कल से रवाना होकर प्रदर्शनकारी ज्यों ही सहदेव मार्ग के कोने पर पहुंचे वहां पुनः सचिवालय के पीछे के रास्ते पर जहां धारा 144 सी.आर.पी.सी. के तहत निषेधाज्ञा लागू थी, घुसने का प्रयास करने लगे और सरकार विरुद्ध नारे लगाने लगे। प्रदर्शनकारी काफी उग्र व जोश में थे तथा उन्होंने प्रतिबन्धित क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया। उन्होंने पुलिस बल पर चप्पल, गोबर, प्लेकार्ड के बनाये हुये डंडे फेंकने शुरू कर दिये। (व्यवधान)

(20.00 बजे)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गोबर कहां से आया? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं अकेला नहीं कहता, यह भास्कर कहता है कि गोबर फेंका। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गोबर कहां से आया? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह तो मैं नहीं जानता, यह अखबार भी कहता है। उसको भी पढ़कर सुनाउंगा। मैं उसकी पुष्टि भी इस अखबार से कराउंगा। (व्यवधान) यह तो मैं क्या जानूं कहां से आया, लेकिन मैं

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

जो कह रहा हूं उसकी पुष्टि यह दैनिक भास्कर भी कर रहा है, इसकी लाइनें पढ़कर सुना देता हूं। (व्यवधान) उन्होंने पुलिस बल पर प्लेकार्ड के बनाये डंडे फेंकने शुरू कर दिये व पुलिस बल के साथ काफी धक्का-मुक्की कर राज कार्य में बाधा पहुंचाई। अत्यन्त ही उग्र कर्मचारी बार-बार चिल्ला रहे थे कि उन पर लाठी चार्ज किया जाये, जिससे सरकार उनकी मांग मानने को मजबूर हो जाये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप अखबार के सहारे स्टेटमैंट दे रहे हैं या अपने विभाग की जानकारी के अनुसार दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : विभाग की जानकारी की पुष्टि इससे करवा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : विभाग की जानकारी के अनुसार दे रहे हैं या अखबार के अनुसार? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : विभाग की जानकारी के अनुसार दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमैंट समाप्त हो गया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : विभाग की जानकारी में यह है कि उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर डंडे बरसाओ? (व्यवधान) कमाल ही हो गया।

श्री अमराराम (धोद) **:** शक्तावत साहब, वीडियो कैसेट बनते हैं, आप दिखा दीजिये वीडियो कैसेट में अगर कर्मचारियों ने नारा लगाया हो कि हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया जाये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय गृह मंत्रीजी की, आप बड़ी उम्र के हो, शाम के वक्त बुजुर्ग लोग झूठ नहीं बोलते। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : परन्तु मौजूदा अधिकारियों के द्वारा अत्यन्त ही संयम, सूझबूझ और धैर्य का परिचय दिया गया और काफी कशमकश के बाद युधिष्ठिर मार्ग पर उन्हें अग्रसर किया। इस धक्का-मुक्की में कुछ प्रदर्शनकारी व पुलिसकर्मी गिर भी गये थे, फिर भी सम्बन्धित वृत्ताधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझा-बुझाकर विधान सभा के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में उन्हें रोककर उनके 15 सदस्य प्रतिनिधिमण्डल को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मिलवाया व ज्ञापन दिलाया।

प्रदर्शनकारियों पर किसी प्रकार का कोई बल प्रयोग नहीं किया गया। धक्का-मुक्की में कुछ प्रदर्शनकारियों व पुलिस जाप्ते में खरोंच लगना सम्भव है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इसमें यह भी उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों के आपस में भी खींचा-तानी हुई थी, जो मौके पर आमने-सामने कई बार देखने को मिली परन्तु मौजूदा अधिकारियों

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

ने बीच-बचाव कर उन्हें शांत करवाया। एस.एच.ओ. अशोक नगर की रिपोर्ट पर पुलिस बल के साथ धक्का-मुक्की, हाथापाई, मारपीट, राजकार्य में बाधा पहुंचाने सम्बन्धित अभियोग संख्या 286/2001 अन्तर्गत धारा 147, 150, 504, 332, 353, 283 आई.पी.सी. दर्ज किया गया, जिसका अनुसंधान जारी है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)**:** महिला पुलिस ने तो मारा और मुकदमा उनके आपस में लड़ने का बना दिया, बहुत कमाल है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने स्टेटमैंट दिया, वह हकीकत है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यानि लड़ने वाले भी साथ लाये कि अपन लड़ लें ताकि अपना मुकदमा बन जाये, कमाल है। (व्यवधान) आपके स्टेटमैंट को सुनकर लोग हंसेंगे। पहली बार ऐसा स्टेटमैंट सुनने को मिला है कि लड़ने वाले भी आपस में ग्रुप लायें कि अपन ही अपन लड़ लेते हैं। मैं सोचता हूं इससे ज्यादा और कोई हल्कापन नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वहां पर कितने ग्रुप थे, आप मौजूद होते तो आपको खुद को पता लग जाता। दैनिक भास्कर में जो खबर छपी है। उसमें पुलिस के हाथ में लाठी है, मारने की लाठी नहीं है, पकड़ करके चल रहा था। आपने चार्ज लगा दिया कि लाठीचार्ज हुआ, यह देख लीजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह तो एक सैकण्ड का फोटो है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : यह तो एक सैकण्ड का फोटो है, उसके अलावा भी घंटे-आधे घंटे तक कुछ तो हुआ ही होगा? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपके विभाग की ऐसे आंदोलनों में वीडियो फिल्म चलती है, लाइये और उस फिल्म को दिखाइये, वास्तव में यह लाठीचार्ज हुआ कि नहीं हुआ। सच का सच हो जायेगा और झूठ का झूठ हो जायेगा। पुलिस डिपार्टमैंट ऐसे आंदोलनों में हमेशा वीडियो कैसेट लगाकर रखता है, अगर आप में वास्तव में सच्चाई है तो अपने वीडियो कैसेट लाइये और दिखाइये कि वास्तव में लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ। (व्यवधान) एक तरफ उन शिक्षकों के साथ लाठीचार्ज और उसके बाद इस प्रकार का हल्का शब्द प्रयोग करके आपने उन शिक्षकों का घोर अपमान किया है। मैं समझता हूं कि यह कभी सम्भव नहीं है कि लड़ने वाले भी साथ लेकर आयेंगे। आप कैसी बात करते हैं? (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह फोटो इस बात का सबूत है कि महिला कांस्टेबल ने जो आगे बढ़ रहे हैं उनको रोकने का प्रयास किया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप यह कहते हैं कि छोटे से छोटे आंदोलन में आपका विभाग वीडियो कैमरे लगाकर चलता है। यहां पर भी वीडियो कैमरा लगा होगा क्योंकि घंटों तक यह आंदोलन चला है, आप लाकर दिखाइये लाठीचार्ज हुआ कि नहीं। अगर लाठीचार्ज हुआ तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या बात करते हो आप? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऐसा हास्यास्पद स्टेटमैंट कभी किसी मंत्री का नहीं आया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) **:** मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा...(व्यवधान) एक दूसरे अखबार में आपस में लड़ रहे हैं। (व्यवधान) केवल भास्कर ही नहीं दूसरे अखबार के कर्मचारी घायल हैं उसको महिला कर्मचारी देख रही हैं। वह अखबार आप नहीं पढ़ते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी खुद मांग कर रहे थे कि उनके ऊपर लाठीचार्ज हो। (व्यवधान)

श्री अमराराम धोद : जिसमें एक आदमी बुरी तरह से लाठीचार्ज से बेहोश होकर गिरा हुआ है, जिसको एक महिला देख रही है, वह अखबार आप नहीं पढ़ेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती ममता शर्मा। श्री बाबूलाल सिंगारिया।

श्री अमराराम (धोद) **:** जिसमें एक कर्मचारी लाठीचार्ज से बेहोश होकर गिरा हुआ है और महिला कर्मचारी उसको उठा रही है। वह अखबार आप नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ भास्कर पढ़ेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरी। (व्यवधान) बिराजिये, बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : वीडियो रील आपके पास है, जो लाठीचार्ज आपने किया है, आपके पास है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना अपमान शिक्षकों का कभी किसी ने नहीं किया कि शिक्षक यह कह रहे हैं कि हमारे सिर पर लाठी मारो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, नीचे बैठिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इससे ज्यादा सरकार के निकम्मेपन का सबूत और क्या हो सकता है कि शिक्षक कह रहे हैं कि हमारे लाठी मारो। उन्होंने इनसे मांग की और इन्होंने उनकी मांग लाठी मारकर मान ली। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हेमाराम चौधरीजी, शुरू करिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सच्चा सबूत तो आप स्वयं ही हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पारीक साहब, बिराजिये। (व्यवधान) श्री हेमाराम चौधरी।

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में बिजली की चर्चा हो रही है, सभी माननीय सदस्यों ने बिजली पर अपनी चिन्ता जाहिर की। बिजली एक ऐसी समस्या है जिससे 56 लाख उपभोक्ता पीड़ित हैं। यह बात सही है कि नई सरकार आने के बाद में बिजली के उत्पादन में बहुत अच्छा काम हुआ है, 900 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया और काफी संख्या में जी.एस.एस. भी बनवाये गये। पर, उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि आज की बिजली व्यवस्था से 56 लाख उपभोक्ता संतुष्ट हैं या नहीं? इसके बारे में जब तक आप और हम नहीं सोचेंगे, यह बिजली का कंजूमर हमसे दूर होता चला जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि कई कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको लागू करते समय उन पर ध्यान नहीं रखा जाता है तो उस कार्यक्रम से जो फायदा मिलना चाहिये वह फायदा न मिलकर उलटे लोगों में नाराजगी बढ़ती है। उपाध्यक्ष महोदय, परिवार नियोजन एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। मैं समझता हूं परिवार नियोजन से बढ़कर बढ़िया राष्ट्र में कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं हो सकता। पर इमरजेंसी के समय में उस कार्यक्रम को लागू करते वक्त जिस प्रकार की कमियां रहीं या ज्यादतियां हुईं, उसका परिणाम 1977 के चुनावों में देखने को मिला। आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन उपभोक्ता आपके इस काम से संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं समझता हूं फिर इसके परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे।

बहुत छोटी-छोटी बाते हैं जिनकी तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं जिसकी वजह से उपभोक्ता परेशान है। यह जो टैरिफ वाली बात है, टैरिफ की वजह से उपभोक्ता परेशान ज्यादा नहीं है। यूं तो ठीक है, टैरिफ का हर कोई विरोध करता है इसलिये मैं भी भले ही उसका विरोध करूं कि ज्यादा बढ़ा दी क्योंकि टैरिफ बढ़ाने के बाद में भी उपभोक्ता को समय पर बिजली मिलती नहीं है, पर्याप्त मात्रा में बिजली मिलती नहीं है, जब जरूरत होती है तब मिलती नहीं है। उसके बाद यह जो विभाग है इससे वह बहुत ज्यादा परेशान है। अब आपने निगम बना दिया, नियामक आयोग बना दिया जिस पर आपका नियंत्रण कितना है, नहीं है, मुझे नहीं मालूम। यह जैसा चाहता है, वैसा ही करता है।

मिनिमम चार्ज, पहले नहीं था, अब आपने मिनिमम चार्जेज लागू कर दिये। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता

(श्री हेमाराम चौधरी)

हूं, किस बात का मिनिमम चार्ज? बिजली आप दें नहीं और फिर भी आप कहो कि आपको एक हार्स पावर के पीछे 60 यूनिट के पैसे देने पड़ेंगे। 60 यूनिट आप बिजली तो दो। बिजली आप दो 30 यूनिट, पैसे हम से लो 60 यूनिट। यह कौनसा नियम, कौनसा कायदा? नियम तो आपने बनाया है। यह बात सही है कि नियम तो है। पर क्या यह नियम ठीक है? क्या यह नियम सही है? अगर यह नियम ठीक नहीं है, सही नहीं है तो आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं क्या? इसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं तो फिर आप क्या ठीक करेंगे? कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं तो फिर ठीक है, जैसा कर रहे हो वैसा करते जाओ। फिर बाद में आप देख लेना। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, इस मिनिमम चार्ज को तुरन्त बन्द करें। मैं आपसे निवेदन करूं कि मिनिमम 60 यूनिट हम से पैसे ले रहे हो, लेकिन हमने 30 यूनिट जलाई तो हमने क्या किया? हमने तो राष्ट्र में सहयोग दिया। 30 यूनिट आपके कम खर्च की। 60 की जगह हमने 30 यूनिट खर्च की तो आपके हमने सहयोग किया, बिजली कम जलाई। यही तो किया? हालांकि बिजली जलावें क्या, बिजली मिलती नहीं है। पर मान लो मिलती है....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आपने सहयोग किया, इन्होंने अपराध मान लिया।

श्री हेमाराम चौधरी : आप बिराजें ना। आप बोलते हैं तब मैं नहीं बोलता हूं। बीच में डिस्टर्ब मत करें आप।

60 यूनिट की जगह हमने 30 यूनिट जलाई या 40 यूनिट जलाई तो आप 30 यूनिट के लो, 40 यूनिट के पैसे लो। फिर मान लो आप तो पूरी दे रहे हो, 60 की जगह 120 दो, 200 यूनिट दो, पर हमने कम जलाई तो आपका तो फायदा किया, नुकसान कौनसा किया जिसकी वजह से आप हमसे मिनिमम चार्जेज ले रहे हो? आपको हमारे को उलटा इंसेंटिव देना चाहिये। कम बिजली जो जलाता है उसके कम चार्जेज होने चाहिये। जो ज्यादा बिजली जलाता है उससे ज्यादा चार्जेज लेने चाहिये, जैसा कि टेलिफोन में है। एक टेलीफोन पर डेढ़ सौ काल फ्री हैं। फिर ढाई सौ काल के 80 पैसे हैं। फिर उसके बाद में 600 तक एक रुपया है। फिर 600 काल के ऊपर आप काल करते हैं तो एक रुपया 20 पैसे चार्ज होगा पर-काल। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आपको करना तो ऐसे चाहिये। इसकी जगह आपने ऐसा नहीं करके मिनिमम चार्ज लगा दिया। मेरे एग्रीकल्चर कनेक्शन है कुएं का, मैंने 10 हजार रुपये बिना बिजली जलाये ही आपको मिनिमम चार्जेज के तौर पर जमा कराये हैं, दिये हैं। अब मैं भी उससे प्रभावित हूं। मैं तो सहन कर लूंगा क्योंकि मुझे तो एम.एल.ए. बनना है इसलिये 10 हजार रुपये कोई मायने नहीं रखता है। पर आम आदमी को तो एम.एल.ए. बनना नहीं है ना, वह

(श्री हेमाराम चौधरी)

आपके साथ क्यों चलेगा? उससे तो एक रुपया फालतू लेंगे तो वह आपका कभी साथ नहीं देगा। आज मेरी भी आत्मा दुःख पाती है फालतू पैसा एक रुपया देता हूं तो, लेकिन फिर भी मान लो, सहन कर लूं। इस तरह से आपका यह मिनिमम चार्ज है इसको मैं कतई उचित नहीं मानता।

दूसरा शिफ्टिंग वाला, क्या तकलीफ हो रही है आपको शिफ्टिंग में? शिफ्टिंग के चार्जेज किसान देगा। उसका कुआं फैल हो गया, उसका पानी चैंज हो गया, या खतम हो गया या खारा हो गया इसलिये वह दूसरी जगह जहां पास में कहीं मीठा पानी मिल सकता है, वहां कुआं खोद कर अपने खेत को पिलाना चाहता है। अचानक बीच में फसल बुवाई के समय एक पानी दिया, दो पानी दिया और कुआं फेल हो गया। अब वह क्या करें? दूसरा कुआं रातों रात तत्काल खोदकर उस पर कनेक्शन लेकर पानी देना चाहे, आप दे नहीं। दो पानी दिया हुआ, पूरी फसल उसकी जल जायेगी। कोई काम नहीं। आप कह रहे हो 5 साल पहले का आपका खरीदा हुआ होना चाहिये खेत। उसमें कुआं हो तो 5 साल पहले हमें क्या पता लगेगा कि हमारा कुआं कब फेल होगा? हमारे कुएं का पानी कब खतम होगा? हमारे कुएं का पानी कब खारा होगा जिससे दूसरा कुआं बनाने के लिये पहले से खेत खरीदकर रखें हम? यह 5 साल पहले हम सोचें और सोचकर यह करें। यह आपको किसने सुचवाया? मेरे तो समझ के बाहर की बात है। मैं तो मेरी समझ से कहता हूं, आपको अच्छी लगती है तो आपने तो की है लागू। और रखो भले ही लागू। लेकिन मेरे को यह अच्छी नहीं लगती। इसलिये मैं इसका हमेशा विरोध करता हूं और आगे भी करता रहूंगा, चाहे इससे कुछ भी हो। पहले नहीं था, यह अभी आपने किया है। सब अभी की है, अभी की है जो कह रहा हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो कुछ कहा ही नहीं; अभी शुरू ही किया है। मैं मेरे दिल की बात तो कहूं। मुझे आपने बोलने का मौका इतना लेट लास्ट में दिया। बड़ी मुश्किल से आज मौका मिला है, इसलिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कितना ही बोलो, आपके कब्जे में आने वाले तो हैं नहीं।

एक माननीय सदस्य : वैरी गुड, वैरी गुड, आप भी मानते हो ना, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बोलो, बोलो।

श्री हेमाराम चौधरी : आप बोलने देंगे तो बोलूंगा, नहीं तो मैं तो बीच में बोलता नहीं हूं।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, यह शिफ्टिंग वाला आप ठीक करें तो काश्तकार को राहत मिलेगी।

(श्री हेमाराम चौधरी)

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों से कैपेसीटर के पैसे लिये गये हैं 600 रुपये और कैपेसीटर दिया ही नहीं गया किसानों को। जब आपने कैपेसीटर दिये ही नहीं तो पैसे किस बात के लिये? और जिन किसानों से कैपेसीटर के पैसे नहीं लिये कैपेसीटर उन किसानों को लगाना था और किसानों ने नहीं लगाया, उनसे सरचार्ज के पैसे ले रहे हैं। अभी उनको अलग से बिल दिया है कि आपने कैपेसीटर क्यों नहीं लगाया इसलिये आपसे सरचार्ज लेंगे। क्योंकि उससे बिजली ज्यादा खर्च होती है। इन्होंने कैपेसीटर के पैसे ले लिये उसके ये कैपेसीटर भले ही मत दें, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये तो फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। किसान के ऊपर लागू है, जो कुछ भी है। यह ऐसा क्यों? इनको इसके बारे में सोचना चाहिये, मेरा इनसे यह निवेदन है।

दूसरा, आप कुछ जगह 24 घंटे बिजली की बात कह रहे हो 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में 15 हजार से अधिक आबादी वालों को बिजली तो 24 घंटे मिलेगी नहीं पर 24 घंटे की टैरिफ अलग है। यह जो आप को दूसरी बिजली मिलती है इसकी टैरिफ अलग है, उसकी रेट अलग है। मेरे को यह मालूम नहीं पर अभी हमारे वहां भाड़का से एक 11 के.वी. की लाइन जाती है 6-7 गांवों में और उस 11 के.वी. की लाइन के ऊपर एक मेरा भी कुआं आया हुआ है और फ्लैट रेट का उसका कनेक्शन है। फ्लैट रेट से जब भी बिल आता, बराबर टाइमली जमा होता रहा। अभी एकदम वहां कोई एक्स.ईएन. साहब गये, उन्होंने 20 हजार का एक्सट्रा बिल थमा दिया। मैंने कहा क्या चोरी की, क्या गुनाह किया, किस बात के? ये कह रहे हैं दुरुपयोग, मैंने कहा क्या दुरुपयोग किया, फ्लैट रेट है। अब फ्लैट में तो दुरुपयोग मैं समझता हूं कोई होता नहीं है। मीटर में तो गड़बड़ी कर सकते हैं, बात मान लें। लाइट आयी तो जलाई, हमारी जरूरत थी तो जलाई। नहीं जलाई तो नहीं जलाई। फ्लैट रेट का मतलब यही है। तो कहा कि 24 आवर्स आपने सप्लाई ली है इसलिये आपके टैरिफ वह लगाई है हमने। मैंने कहा 24 आवर्स कहां से आयी? कहां कोई पी.एच.ई.डी. का कनेक्शन है इसके ऊपर? मैंने कहा, लाइन तो पी.एच.ई.डी. की नहीं है, पूरी लाइन। कनेक्शन का पैसा पी.एच.ई.डी. ने देकर उनके भी ट्यूबवैल हैं उस लाइन पर और लाइन है 6-7 गांवों की। अब मान लो 24 आवर्स के आप यह टैरिफ लगाओगे तो फिर उसमें एक्स.ईएन. आया उसने 3 कुओं को चैक किया, 3 कुओं के ये चार्जेज 20-20 हजार रुपये लगाये। उसमें कुएं और भी हैं, डोमेस्टिक कनेक्शन भी हैं, इण्डस्ट्रियल कनेक्शन भी हैं। कामर्शियल कनेक्शन भी हैं, उनकी भी फिर तो टैरिफ आप 24 आवर्स वाली लगायेंगे या नहीं लगायेंगे? या सिर्फ हमारे 3 कुओं में लगायेंगे? फिर 3 की लगाओ, कोई बात नहीं, उनके मत लगाओ।

(श्री हेमाराम चौधरी)

मैं नहीं कहता कि उनके लगाओ। पर मेरे खयाल से हमारे लगाई तो उनके भी यह जूत लगने वाला है। हम तो उसको दे देंगे।

हमने पूछा कि यह कैसे लगाया। कहा, अब तो हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने कहा, क्यों इलाज नहीं है? गलती हो तो बताओ। मैंने कोई बेइमानी की हो, कोई चोरी की हो तो हम दण्ड भुगते, अनावश्यक किस बात का दण्ड भुगते? तो कहा, समझौता कमेटी में आप दरखास्त लगा दो, उसमें कुछ होगा तो होगा और उसमें भी होना मुश्किल है तो फिर क्या करें? फिर उपभोक्ता संरक्षण, उसमें आप लगाओ। वह तो लगायेंगे, हमारे तकलीफ होगी तो लगायेंगे, नहीं लगायेंगे तो देने पड़ेंगे पैसे। पर मान लो आज मेरे साथ हुआ, मैं तो कहूं अच्छा हुआ। मैं इससे परेशान नहीं हूं। यह हुआ तब मुझे भी मालूम पड़ा मेरे साथ बीती बात तो। मेरे साथ नहीं बीतती तो मुझे क्या पता, किसानों के साथ क्या बीतती? मुझे मिनिमम चार्जेज देने पड़े तब मुझे पता पड़ा कि हां, किसान इससे पीड़ित हैं। नहीं तो मुझे क्या पता? जिसके खुद के कुएं हैं, जो खुद कंजूमर है, पता है कि कितनी इसकी तकलीफ होती है, कितनी नहीं होती है। बाकी किसको क्या तकलीफ? इसलिये जिसके दु:खती है ना, साहब, जिसके पीड़ा होती है उसी को पता लगता है। किसी आदमी से पूछो जिसके पेट दु:खता है उससे पूछो तो वह यह कहता है कि पेट का दर्द ही सबसे खतरनाक दर्द होता है, और कोई दूसरा इससे खतरनाक दर्द होता ही नहीं है। जिसके आंख दु:खे उससे पूछो, कहेगा कि आंख का दर्द सबसे खतरनाक होता है, उससे खतरनाक कोई दर्द ही नहीं होता है। कान दु:खे पूछो उससे तो कहेगा कि कान का दर्द सबसे खतरनाक, उससे ज्यादा खतरनाक कोई दर्द ही नहीं होता है। इसलिये वह तो जिसके पीड़ है उसको रीयल महसूस होता है, मैं सोचता हूं यही सबसे खतरनाक है। मैं समझता हूं कि यही सबसे खतरनाक स्थिति है, यह खतरनाक दर्द बिजली वाला है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अच्छे काम कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, बिना उत्पादन के तो आप दोगे कहां से, उत्पादन करोगे जब ही तो दे पाओगे, पर उत्पादन के साथ-साथ आप इस तरह की जो छोटी-छोटी बातें हैं, उन पर भी ध्यान दो। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो काश्तकार जो कंजूमर हैं, वे आपसे दूर होते चले जायेंगे। इसलिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि आप इसमें सुधार करें।

अब आपने बिजली का यह इतना किया, यह उपभोग किया, इसको लोगों को समझाने के लिये आपने दो करोड़ में ठेका दे दिया। वे समझा देंगे, ठीक है। हम भी समझा रहे हैं। पता नहीं, मैंने अखबार में दो करोड़ का पढ़ा है। अब कितने में ठेका दिया और कितने में नहीं दिया, क्या किया, वह आप जानो। 33 के.वी. के सब स्टेशन हैं वे भी आपने ठेके पर दे दिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री हेमाराम चौधरी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौन चलायेगा? उनको ठेके पर दे रखा है और वहां पर 1200-1200 रुपयों के दो आदमी रख रखे हैं। 33 के.वी. सब स्टेशन है, 1200-1200 रुपये के दो आदमी, 2400 रुपये उसको देते हैं और ठेका 10 या 12 हजार में दिया। कितने में दिया, मंत्रीजी करैक्ट करें, यह मेरी जानकारी है कि 12 हजार में उसको चलाने का ठेका दिया। 1200-1200, 2400 रुपये में दो आदमियों को रख लिया। वे आदमी कुछ जानते हैं या नहीं, पता नहीं। एक वह थोड़ा-सा चालू करने वाला जानता है। एक मेरे वहां पर सिन्धास उचावन में 33 के.वी. का जी.एस.एस. था। टैक्निकल आदमी तो था नहीं, ऐसे ही गांव के किसी आदमी को 1200 रुपये में रख लिया। 1200 में तो ऐसा ही मिलेगा गांव का। तो उसको चलाना आया नहीं। और चलाया तो मर गया बिजली के करंट से। उसको एक पैसा भी नहीं दिया इन्होंने। वह रोता रहा, कुछ नहीं हुआ। जान गंवा दी उसने। इस तरह से आप ठेकों पर दो और ठेकेदार पैसे कमाए। पैसे तो ठेकेदार कमाए और जान हमारी जाये, उसका दण्ड हम भुगतें, किसान भुगते। यह नहीं होना चाहिये। इसलिये मैं आपके माध्यम से......(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक जनवरी को हमारे यहां मंत्रीजी आये। (व्यवधान) आप कहने दो तो कहूं। गलत हो तो जवाब दे देंगे मंत्रीजी।

एक जनवरी को मंत्रीजी मेरी कांस्टीन्युएंसी में आये और 33 के.वी. सब स्टेशन का उद्घाटन किया। नए वर्ष का शुभारम्भ, नये साल का तोहफा हमारे को देकर आये वहां पर। आज उस 33 के.वी. सब स्टेशन से सप्लाई नहीं मिल रही है। सिर्फ उद्घाटन हुआ है, पत्थर लगा है मंत्रीजी का। अब मंत्रीजी का पत्थर तो जी.एस.एस. पर लगना ही चाहिये, बिना लगे तो चालू हो ही नहीं सकता, मेरे खयाल से। हालांकि मेरे वहां धोलीमीणा में 132 के.वी. का सब स्टेशन बना बी.जे.पी. के शासन में, शेखावत साहब के समय उसका उद्घाटन हुआ ही नहीं, बिना उद्घाटन के आज भी वही बिजली मिल रही है। अब उद्घाटन वाली बिजली में ताकत कोई ज्यादा होती है और बिना उद्घाटन वाली बिजली में ताकत कोई कम होती है तो उद्घाटन जरूरी है। (व्यवधान) तो फिर उद्घाटन से कुछ फायदा ही मिले। उद्घाटन का पत्थर लगाओ, गुणगान करो, स्तुति करो, प्रशंसा करो तब तो राजी हो। कुछ तो मैटीरियल दें, कोई ट्रांसफार्मर दें, माल-मसाला दें। नहीं तो न कोई ट्रांसफार्मर मिलना, न कोई मैटीरियल मिलना, न कोई लाइन खींचनी और न कोई इंटर कनेक्शन होना, बस रोते रहो। अब यह अमरारामजी कह रहे थे, मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। मैं चूंकि

(श्री हेमाराम चौधरी)

कांग्रेस का एम.एल.ए. हूं। मैं किस पार्टी का एम.एल.ए. हूं? मैं कांग्रेस से कितने वोटों से जीता हूं? मेरे साथ भेद-भाव हो रहा है, क्या कर सकता हूं, बताओ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हेमाराम चौधरी : इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के साथ न्याय करो। हमारे को जनता ने चुनकर भेजा है। ये समझते हैं न कि हम खुदा हैं, खुदा हम नहीं, खुदा मेरा मालिक वह जानता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वैरी गुड, हम आपके साथ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री हेमाराम चौधरी : भावुक नहीं, जवाब देते हैं जब दुःख होता है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सवेरे से आपके हाथ जोड़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठो-बैठो, देंगे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपने सही फरमाया कि आप सबके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अपनी पार्टी वालों के साथ, बी.जे.पी. वालों के साथ और निर्दलीय लोगों के साथ, इसलिये मैं बहिर्गमन करता हूं यहां से।

(श्री नन्दलाल बंशीवाल, सदस्य का बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : जाना ही है आपको तो। माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री रामनारायण चौधरी : यह हटा दीजिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके लिये कहा है कि भेदभाव कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने कहा है कि सबके साथ कर रहे हैं, इसका मतलब सबके साथ न्याय हो रहा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पावर सैक्टर में....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गुढ़ामलानी से आने वाले माननीय सदस्य इतने भावुक हो गये कि इनके नयनों से आंसू निकल रहे हैं, इनको सांत्वना तो दीजिये आप।

डा. किरोड़ी लाल : कितनी पीड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। अभी मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ऊर्जा मंत्रीजी को कहिये तो सही जो राजस्थान में सर्वाधिक मतों से जीता, जो असली किसान का प्रतिनिधि बनकर आया है, आज उसकी हालत देखकर तरस आ रहा है हमें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तीसरी बार जीते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऊर्जा मंत्रीजी, थोड़ा तो उस दर्द को समझो, उस किसान के आंसू को समझो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सर्वाधिक मतों से जीते हैं और तीसरी बार जीते हैं। इतनी लोकप्रियता है गुढ़ामलानी से आने वाले माननीय सदस्य की, तीसरी बार जीते हैं, सर्वाधिक मतों से जीते हैं।

श्री अमराराम (पचपदरा) **:** चौथी बार है। हम भी देखते हैं इनको आंसू आये हुये। यह इतने भावुक हो जाते हैं किसानों के सामने किसानों की समस्या के लिये, यहां विधान सभा में तो अलग बात है लेकिन बाहर भी कई बार गये हैं तो हमने तो इनको उनकी समस्याओं के लिये आंसू बहाते देखा है।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिये सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सर्वाधिक वोटों से जीते हैं, हुआ क्या? अन्याय हो रहा है उनके साथ।

श्री मदन दिलावर : क्या सरकार इनको.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज।

डा. महेश जोशी : अगली बार फिर सर्वाधिक मतों से जीतेंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनके साथ अन्याय हो रहा है, सर्वाधिक मतों से जीते तो क्या हुआ?

श्री रामस्वरूप : 39,700 से।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पावर सैक्टर में....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो, बैठो।

डा. किरोड़ी लाल : इनको तो काउंट कर लो, इनके तो काम करो ऊर्जा मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अबके देखेंगे कि कितने से जीतते हो। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : हेमारामजी फिर सर्वाधिक मतों से जीतेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पावर सैक्टर में स्टेट गवर्नमेंट में और पब्लिक में एक डैडलाक खड़ा हो गया है, और डैडलाक किस बात का है? किसी प्राब्लम की बात करो सरकार के पास, तो पावर रिफार्म और वर्ल्ड-बैंक, ये दो जुमले इन्होंने रटे हुये हैं। पब्लिक, पावर टैरिफ और स्केअरसिटी। माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे इस बात की बहुत तकलीफ होती है जब यहां ये जिक्र करते हैं कि आपकी विद्युत की दरें कम की जाये। पावर रिफार्म अगर हम उसको टेक-अप नहीं करते हैं जो पावर रिफार्म इन्होंने बताया है, मतलब यह कहें कि पावर रिफार्म्स है जो अनबंडलिंग किया आर.एस.ई.बी. का। थोड़ा-सा इसको आप. सदन के माननीय

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सदस्यों से कहता हूं कि इसमें माइंड एप्लाई करें कि विद्युत दर बढ़ेगी या घटेगी, आने वाले समय के अन्दर। जनरेशन कम्पनी अलग है, ट्रांसमिशन कम्पनी अलग है और डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी अलग है। सबसे खराब और लास मेकिंग कम्पनी है डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी। प्रोफिट मेकिंग कम्पनी है तो जनरेशन कम्पनी है। जनरेशन कम्पनी अपना इस प्राफिट का शेयर रखेगी या नहीं रखेगी? जनरेशन कम्पनी पावर बेचेगी ट्रांसमिशन कम्पनी को, ट्रांसमिशन कम्पनी अपना शेयर रखेगी प्राफिट का। जब प्राइवेटाइज हो जायेगा तो अल्टीमेट आब्जेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का, वर्ल्ड-बैंक के नाम से मैं नहीं कह सकता हूं कि वर्ल्ड बैंक की कितनी शर्तें हैं क्योंकि मैं अभी इस पाइंट के ऊपर आउंगा। यहां पर गवर्नमेंट की सत्यता को उजागर करूंगा कि वर्ल्ड बैंक की शर्त का ये पालन करते हैं या खुद के नाम से करते हैं लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी को कोई प्राइवेट कम्पनी लेनें को तैयार नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, जब कम्पोजिट राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड था तो टोटेलिटी के अन्दर लास मेकिंग यूनिट थी यह। अब जब ये जनरेशन कम्पनियां अलग हो जायेंगी कोटा थर्मल पावर स्टेशन और आपके सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन, गवर्नमेंट कितना ही जोर से कहे कि हम इनको नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे लेकिन निश्चित रूप से ये प्राइवेटाइज होंगी और प्राइवेट आपकी सबसे पहले यह जायेगी क्योंकि प्राफिट मेकिंग कम्पनी यह है।

अब ये पांच कम्पनियां इन्होंने बनाई हैं, स्टाफ कितना मल्टीप्लाई किया है? एफिशिएंसी कितनी गिरी है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का रूट काज क्या था लोस का, वह अलग चीज है। बाकी जो इंजीनियरिंग ब्रांच थी यहां की, नेशनली एक्नोलेज्ड इंजीनियर्स थे यहां पर। इस टोटल अनबंडलिंग के अन्दर इंजीनियर्स को आलटुगैदर इग्नोर किया गया है। यहां पर यह भी कहा गया कि इंजीनियरों ने यह किया, इंजीनियरों ने कुछ भी नहीं किया। यह सब ब्यूरोक्रेटिक और पोलिटिकल ब्रेन ने काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आज रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन बैलेंस-शीट देखकर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी को लोन देने को तैयार नहीं है। ट्रांसमिशन कम्पनी की भी बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन के नाम से तो आपको तो पुलिस कस्टडी में जाकर भाषण देना पड़ता है, मुख्य मंत्रीजी को मोलासर से भागकर आना पड़ता है और प्राइवेट कम्पनी को आप कान्ट्रेक्ट दे रहे हैं कि आपकी छवि सुधार देंगे। दो करोड़ रुपये तो आपने पहले तय किये और अब पांच करोड़ रुपये दे रहे हैं आप उसके। कंसल्टेंसी के कितने पैसे दे रहे हैं आप? आपके बढ़िया से बढ़िया इंजीनियर रैगुलेटरी कमीशन के अन्दर मैमोरेंडम तैयार करने के लिये, ट्रांस्मिशन कम्पनी में जब

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

पी.एन. भण्डारी थे उन्होंने दो लाख रुपये के अन्दर जो ड्राफ्ट बनवाया, आपने उसी ड्राफ्ट के लिये दो करोड़ रुपये का पेमेंट किया। मंत्रीजी, आप टोटल फिगर्स रखो हाउस की टेबल के ऊपर कि किस-किस चीज की कंसल्टेंसी के कितने-कितने पैसे दिये आपने। प्राइस-वाटर कम्पनी को आपने बाकायदा आफिस एकोमोडेशन प्रोवाइट कर रखी है यहां पर, पचास करोड़ से ऊपर का पेमेंट आप कर चुके हैं और हर बात के अन्दर आप वर्ल्ड बैंक का नाम लेते हैं।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने ट्रांसमिशन इण्डस्टरी का यहां पर जिक्र किया, आप उस पर सफाई दे रहे हो खड़े होकर। उनके पास पूरे फैक्ट्स नहीं थे, मैं बताता हूं उपाध्यक्ष महोदय, 98 यूनिट्स इस प्रदेश के अन्दर हैं ट्रांसफार्मर्स की छोटे उद्योग हैं, आपकी वित्तीय संस्थाओं ने इनको लोन दिया है। सैकड़ों-करोड़ों रुपये उनको लोन मिला हुआ है। दस हजार आदमी एम्प्लायड हैं। 400 एंसीलरी कम्पनी हैं उनके अन्दर पन्द्रह हजार आदमी लगे हुये हैं। पच्चीस हजार आदमियों के एम्प्लायमेंट का सवाल है। बरसों से राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को ट्रांसफार्मर्स सप्लाई करते आ रहे हैं। कोई 15 करता है, कोई 25 करता है, कोई 30 करता है, कोई 40 करता है, कोई 45 करता है। अब आपने तय कर दिया, यह फरवरी के अन्दर टेण्डर दिये, कंडीशन डाल दी 3,450 या 4020, इसके दरम्यान जो लोट डिसाइड किया कि इतने ट्रांसफार्मर्स जो सप्लाई कर सकेगा उसको हम आर्डर देंगे। बहाना आपने क्या लगाया कि वर्ल्ड बैंक कहता है। उपाध्यक्षजी, आपकी अनुमति से पहले तो मैं राजस्थान सरकार का एक आदेश पढ़कर सुनाना चाहूंगा। यानि यह जो आपने प्राइवेट कम्पनी बना दी, उपाध्यक्ष महोदय, यह बात रह जायेगी।

मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। यह चाहे राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी कहे या चाहे ऊर्जा मंत्रीजी कहे, यह कहना निहायत गैर जिम्मेदाराना और असत्य है कि हम क्या करें, रैगुलेटरी कमीशन करता है, यह इलैक्ट्रिसिटी कम्पनी करती है। उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि राजस्थान स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड जिस वक्त फंक्शन करता था, चीफ सैक्रेटरी के लेवल का आफिसर वहां होता था, टैक्नोक्रेट होता था तब तो नहीं चलती थी आपकी, लेकिन अब तो आप शेयर करते हो को-आर्डिनेशन कमेटी को। आप मीनिट्स रखो यहां पर। ऐसा कभी नहीं हुआ करता है। को-आर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के अन्दर Senior-most Chairman is supposed to preside over. एक पत्ता आपकी मर्जी के बिना ही नहीं हिलता। यह फाइनेंस डिपार्टमेंट का है—

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

"Purchase of stores (Preference to Industries of Rajasthan) Rules, 1995 envisages according purchase preference to tendering industrial manufacturing units of Rajasthan State over the tendering units from outside the State in case tendered prices are, after grant of price preference as per rules, are found equal. In case the prices of the local industrial tenderers are not found competitive even after grant of price preference as per rules and the tendering units from outside the State is adjudged lowest, minimum 70% of the requirement of stores shall be met from the local valid tendering industrial manufacturing unit of the State at the rates as per the procedure described in enclosed circular."

उपाध्यक्ष महोदय, लोएस्ट अगर बाहर का हो तब भी गवर्नमेंट में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने in order to protect local interests, यह आर्डर निकाला है। 30.1.1999 को सर्कुलर निकाल दिया और उसमें इन्होंने डिटेल्स दिये हैं—

"...such orders are required to be placed with the local industrial tenderers... are not found competitive even after grant of price preference as per the rules and the tendering units from outside the State is adjudged lowest, the orders will be placed taking care of production capacity of local valid tendering industrial unit and quality of stores found satisfactory."

उपाध्यक्ष महोदय, आज इनकी वर्ल्ड बैंक की जो यस कहते हैं, जो वर्ल्ड बैंक ने यह लॉट निर्धारित किया है कि 3,450 या 4,020 मैन्यूफेक्चर करते होंगे, वे प्रोवाइड कर सकते हैं सप्लाई। उसके लिये मैं आपका एक पत्र पढ़कर सुनाता हूं। वर्ल्ड बैंक का एक पत्र है यह फरवरी 20, 2001—

"World Bank, International Bank for Reconstruction & Development. ......Using this criterion, the Bank accepted the original number of packages proposed by Rajasthan Power which was definitely on the larger side of the acceptable range but requested the Rajasthan Power to reduce the number of lots from 245 to 98."

लॉट आपने प्रपोज किया है और वर्ल्ड बैंक यह कह रहा है कि हमने लार्ज स्केल पर प्रपोज किया है, जो एक्सेप्टेबल था आपके रूल्स में और उन्होंने वापस सजेस्ट किया, काम करो। यह क्यों किया? उपाध्यक्ष महोदय, यह समझने की जरूरत है। लोकल

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

इकजाई सामान खरीदने बाजार में जाते हैं, कहीं पर आप जाओ, उसमें दो चीजें होती हैं। इकजाई सामान पर डिस्काउंट भी मिलता है और इकजाई सामान में मार्जिन भी होता है। लोकल यूनिट्स को निकालना है, टेण्डर हुये। राजस्थान का एक भी टेण्डर इसमें नहीं आया। इसकी सैकण्ड कंडीशन यह है कि ये जो 3,450 या 4020 ट्रांसफार्मर्स सप्लाई करेंगे, उसका 80 प्रतिशत within the preceding 5 years. उन्होंने सप्लाई किया होगा तो इसका करीब 2900 बैठता है और उसमें से कुछ दो साल से आपरेशन में हों, कुछ लॉट उसका 20 प्रतिशत जो सप्लाई किया है 80 प्रतिशत आया है 2900 का 20 प्रतिशत, उतना दो साल से आपरेशन में हो। यह एक नैक्सट कंडीशन है। अब इसके अन्दर कोई भी राजस्थान की यूनिट टेण्डर दे ही नहीं सकी। एक ए.टी.सी. है उसका लोएस्ट बिड आया है। उसकी एक यूनिट आगरा में है और एक जयपुर में है। उसका भी अब घपला पड़ गया, आब्जैक्शन हो गया क्योंकि आगरा की यूनिट अलग मानो या एक मानो। लेकिन इसमें विजय इलैक्ट्रिकल्स, हैदराबाद लगातार आ रही है और यह ग्लोबल टेण्डर है। उपाध्यक्ष महोदय, एक भी देश के बाहर का टेण्डर नहीं आया है यहां पर, किसी विदेशी फर्म ने आकर कम्पीट नहीं किया है। जो एस्टीमेटेड वैल्यू है और जो लोएस्ट बिड है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 लॉट के अन्दर तो लोएस्ट बिड एस्टीमेटेड वैल्यू से कम आई है। 48 हजार ट्रांसफार्मर्स खरीदने थे 140 करोड़ का सौदा है। कुछ फाइनल हो गया, कुछ फाइनल नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि वे इंडस्ट्रीज बंद हो जायेंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, आपका पैसा डूबेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ किया नहीं हो। वहां पर कंडेक्टर्स के लिये, वर्ल्ड बैंक की शर्त कंडेक्टर्स में नहीं थी क्या? कंडेक्टर्स के लिये थी यह। कंडेक्टर्स में आपने कंसोर्टियम बनाने की रेट दे दी। तीन-चार कम्पनी मिलकर, आपने परमिट नहीं दिया। किनको? ट्रांसफार्मर्स को, ट्रांसफार्मर्स वालों से आपकी बार्गेनिंग सैटल नहीं हुई होगी। इसके टैक्ट होंगे, अन-ओर्गेनाइज्ड होंगे कंडक्टर्स से। लोकल से आपका मामला फिट हो गया, अंडरस्टेंडिंग हो गयी, उनको आपने कंसोर्टियम अलाउ किया। कंसोर्टियम में अलाऊ किया और आपने वर्ल्ड बैंक...

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का बार्गेनिंग से क्या मतलब है, जरा इसको स्पष्ट कीजिये आप। (व्यवधान) ना-ना, आप यदि कोई चार्ज लगा रहे हैं तो नियमों के अन्तर्गत लगाइये अन्यथा ये वर्ल्ड बैंक के टेण्डर हैं, मैं जब मेरी रिप्लाई दूंगा तब स्पष्ट करूंगा। वर्ल्ड बैंक की अपनी कंडीशंस हैं। उनसे बात हो गयी, उनसे बार्गेनिंग हो गयी, इनका 70 प्रतिशत है, इस तरह की क्या बातें करते हैं, आप

(डा. चन्द्रभान)

स्पष्ट कीजिये। आप चार्ज लगाइये, आप में हिम्मत है तो एल-1 को मिलता है वर्ल्ड बैंक में, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। एल-1 के अलावा किसी के साथ कोई नेगोसिएशन नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): आप यह बता दीजिये कि आप वर्ल्ड बैंक की हुकूमत में चल रहे हैं या राजस्थान की जनता की सेवा के आधार पर काम कर रहे हैं?

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, 2000 करोड़ रुपये का इनवेस्टमैंट होता है पावर सैक्टर में साल भर में, आपके जमाने में 700-800 करोड़ रुपये का होता था। वर्ल्ड बैंक के सम्बन्ध में आपके खुद के शब्द मैं यहां पर दोहराता हूं कंसल्टेंसी के संबंध में....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोहराओ।

डा. चन्द्रभान : वर्ल्ड बैंक का जब हम लोन लेना चाहते हैं तो उनकी कुछ शर्तें तो हमको माननी पड़ेंगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कहीं लिखा हुआ बता दो।

डा. चन्द्रभान : आपके शब्द हैं, इसी हाउस में आपने कहे हैं। प्रोसीडिंग में हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, शब्द नहीं, शब्द तो कहीं नहीं मिलेंगे। एक मिनट सुन लेओ। वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट ने जब मेरे सामने राय रखी तो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के मैम्बर्स अब भी गवाह होंगे, मैंने वर्ल्ड बैंक की राय को नहीं माना। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह प्राइस वाटर हाउस किसके समय में कंसल्टेंट नियुक्त हुआ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह किसी के समय में हुआ हो.....

डा. चन्द्रभान : आपके समय में उस समय जो चार-पांच कंसल्टेंट थे, उसमें उसका भी एक नाम था। मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य हैं, मैं इनको स्पष्ट करना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक के जितने भी टेण्डर हैं उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी है, सर, जितनी किसी टेण्डर में नहीं है। उसमें जो एल-1 आयेगा उसी को टेण्डर मिलेगा और उसके साथ में कोई नेगोसिएशन नहीं हो सकता।

यह आपकी बात सही है कि ट्रांसफार्मर्स और कंडेक्टर्स....(व्यवधान) एक सैकण्ड सुनिये। आप जो बात कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरी बात खतम ही नहीं हुई। कंडेक्टर्स की मैंने बात खतम नहीं की, आप मर्जी आये जब कैसे बोलेंगे? (व्यवधान) कंडेक्टर्स की बात तो पूरी सुनिये आप।

डा. चन्द्रभान : ट्रांसफार्मर्स की बात है, जिस तरह के शब्दों का आप उपयोग

(डा. चन्द्रभान)

कर रहे हैं, मेरा इन पर आब्जेक्शन है। उपाध्यक्ष महोदय, कंडेक्टर्स के मामले में उनकी शर्त थी और वर्ल्ड बैंक से हमारे अधिकारियों ने उसके अन्दर कंसोर्टियम की इजाजत दी।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी उनको बोलने तो दीजिये, आप जवाब दे देना।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का जवाब प्रारम्भ हो गया क्या?

डा. चन्द्रभान : ट्रांसफार्मर्स के लिये भी हमने कहा। मैंने अभी आपके सवाल के जवाब में कहा है, ट्रांसफार्मर्स के लिये भी हमने छूट मांगी लेकिन उसमें छूट नहीं मिली। अब भी सरकार का प्रयास है कि ट्रांसफार्मर्स के लिये भी छूट मिलनी चाहिये जिससे कि राजस्थान की इण्डस्ट्रीज के ट्रांसफार्मर्स हैं उनको भी बिजली के निगम परचेज कर सकें। वर्ल्ड बैंक के अलावा हम जितने भी ट्रांसफार्मर्स परचेज कर रहे हैं उनमें 70 परसेंट से ज्यादा राजस्थान की फर्म्स के हैं आज की तारीख में भी। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बताओ कि इनका जवाब प्रारम्भ हो गया क्या? खड़े हो गये आपके बिना आदेश के।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, न तो मेरे में साहस की कमी है और न मैं गैरजिम्मेदार आदमी हूं। मेरे पास एविडेंस होगी तो चार्ज लगाउंगा और 273 का नोटिस दूंगा।

डा. चन्द्रभान : हां, दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : दूंगा होगा तो और अनर्गल चार्ज लगाउंगा नहीं। मैंने बात बड़ी संयत तरीके से कही है कि अंडरस्टेंडिंग हो गयी।

डा. चन्द्रभान : आपने अंडरस्टेंडिंग का नाम नहीं लिया, आपने कहा कि बोर्गेनिंग हो गयी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, बिलकुल ठीक है। हां, बार्गेनिंग हो गयी तो...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : किसकी बार्गेनिंग हो गयी, आप बताइये? आप किस आधार पर यह बात कह रहे हैं? नहीं, किस से हो गयी?....(व्यवधान) वर्ल्ड बैंक का टेण्डर है, वर्ल्ड बैंक के यहां से एप्रूव होता है, इसमें किसने बार्गेनिंग कर ली? वर्ल्ड बैंक ने कर ली या बिजली निगम के अधिकारियों ने कर ली? किस ने कर ली, आप स्पष्ट कीजिये। इस तरह से आप कहे जा रहे हैं, आपकी आदत पड़ गयी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिजली निगम के अधिकारियों को कौन पूछता है, चन्द्रभानजी? जो कुछ करता-धरता हैं, आप हो। वर्ल्ड बैंक यहां कौनसा...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : व्यासजी, आपकी आदत बन गयी है कि यहां पर जो चाहे सो बोल दें। आप जब कोई बात कहे किसी के सम्बन्ध में, सोच-समझकर कहिये। आप

(डा. चन्द्रभान)

बहुत विद्वान होंगे लेकिन दूसरे भी विद्वान हैं और आपसे ज्यादा ईमानदार भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही केवल ईमानदार हैं। इस तरह की बातें आप कह देते हैं चलते हीं।

श्री मदन दिलावर : मंत्रीजी क्या धमकाना चाह रहे हैं क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बहुत ईमानदार होंगे लेकिन इस ट्रांजेक्शन से, चन्द्रभानजी, बदबू आती है। यह मैं चार्ज लगता हूं, इस ट्रांजेक्शन से बदबू आती है। मैं यह नहीं कहता हूं कि आपने पैसा लिया है या नहीं लिया है...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर आब्जैक्ट कर रहा हूं इस पर। माननीय सदस्य को चार्ज लगाना है तो इस विधान सभा के रूल्स एण्ड रैगुलेशंस, प्रक्रिया और नियम हैं, उनके अन्दर यह चार्ज लगा सकते हैं, ऐसे यह चार्ज नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो ट्रांजेक्शन हुई है इससे बदबू आती है। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक)**:** उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को सदन की कार्यवाही से निकाला जाये।

डा. चन्द्रभान : कोई अधिकार नहीं है इनको चार्ज लगाने का। आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहे सो चार्ज किसी पर कभी भी लगा दें। पहले आप नोटिस दीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : चार्ज क्या लगाया? मैंने क्या चार्ज लगाया? चार्ज नहीं लगाया मैंने।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं।

डा. चन्द्रभान : बार्गेनिंग हो रही है, यह हो रही है, बातें हो रही हैं।

डा. के. सी. चौधरी : इन्होंने ही कहा, उपाध्यक्ष महोदय, चार्ज लगा रहा हूं। क्या चार्ज लगा रहे हैं? आपने खुद ने ही कहा था कि चार्ज लगा रहा हूं मैं और अब आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं क्या चार्ज लगा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : यह सदन की गरिमा के खिलाफ है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब यह कहता हूं टेलरमेड रिक्वायरमेंट जब किसी एड में पब्लिश किये जाते हैं और उपाध्यक्ष महोदय, आप समझते हैं, जिस स्पेसिफाई पार्टी को फेवर करना होता है वह उस स्पेसिफिकेशन के अन्दर फिट होती है, उसको टेलरमेड रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। अब टेलरमेड रिक्वायरमेंट्स से जो-जो कम्पनियां फिट हुई हैं, वह मैंने यहां पर

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

बताया। विशेषतया विजय इलैक्ट्रिकल, हैदराबाद, मैजोरिटी आफ द आर्डर में लोएस्ट बिड उनका आया है।

जो बात मैं आपको कंडक्टर की निवेदन कर रहा था, यानि जो बात ट्रांसफार्मर्स पर लागू है, वर्ल्ड बैंक के लोन से ट्रांसफार्मर परचेज किये जा रहे थे, वर्ल्ड बैंक के लोन से ही कंडेक्टर परचेज किय जा रहे थे तो there cannot be two yardsticks. उनकी नार्म्स एक है, वर्ल्ड बैंक की कंडीशंस एक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ट्रांसफार्मर्स के लिए भी लगाया यह कि बिजली की पहले टैस्ट रिपोर्ट होनी चाहिये। यह टैक्निकल मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाउंगा, लेकिन टेण्डर देने से पहले पूरी टैस्ट रिपोर्ट उस मैकेनिकल पार्ट की सब्मिट होनी चाहिये। यह कंडीशन ट्रांसफार्मर के लिए भी थी और कंडेक्टर के लिए भी थी। कंडेक्टर्स को इन्होंने एक तो कंसोर्टियम बनाने की इजाजत दी। राजस्थान की लोकल इंडस्ट्रीज के प्रति यदि आपकी सहानुभूति थी, कंडेक्टर्स मैन्यूफैक्चरर्स के लिए अगर सहानुभूति थी तो ट्रांसफार्मर्स मैन्यूफैक्चरर्स के लिए सहानुभूति क्यों नहीं थी? वे भी तो राजस्थान के ही थे। वहां भी आप ही के लोग बेरोजगार होंगे। वहां भी आप ही का नुकसान होगा। लेकिन आपने उनको कंसोर्टियम बनाने की इजाजत नहीं दी, वरना वे भी अपना चार-पांच का ग्रुप बना कर और टेण्डर दे सकते थे। खैर, आपने कंडेक्टर्स को दिया, कंडेक्टर्स के प्रति तो आप बड़े संवेदनशील हैं। मैं तो कहां कहता हूं? यहां तो बदबू नहीं बहुत खुशबू आ रही है। आप जरूरत से ज्यादा ईमानदार हैं कि आपने अगर कुछ बेइमानी की है तो बाहर वालों से की है, क्योंकि 16.3.2001 को एक आर्डर निकालते हैं और उस आर्डर के अन्दर जो टेण्डर भरने से पहले टैस्ट रिपोर्ट पेश होती है उससे कंडेक्टर्स को एग्जम्प्ट किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, 17 का शनिवार, 18 का इतवार और 19 को टेण्डर खोलने हैं, काम्पीटीटर्स को कैसे मालूम कि आपने क्या एग्जम्प्ट कर दिया? यह आपने स्पेशल फेवर वैस्टो किया है राजस्थान के मैन्यूफैक्चरर्स पर आई डोंट से उधर बदबू आती है इधर खुशबू आती है, कुछ भी मान लो। The whole matter smacks of some foul game and ulterior objectives.

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, आपने जो लाइफ गिनी है, बड़ी हाइपोथेटिकल गिनी है। 25 साल तो आपने ट्रांसफार्मर्स की लाइफ मानी है कि 8050 दिन, 365 दिन, 23 घंटे और 28 मिनट ट्रांसफार्मर काम करेगा। उन्होंने जो रेट बढ़ायी है, जोधपुर के अन्दर लोकल यूनिट का 14000 का आया, उसको दिया बाहर वाले को। यह है, साहब, दो-तीन साल के अन्दर ट्रांसफार्मर जल जाते हैं। अब यह आप ईमानदारी से जानते हैं, मंत्रीजी आप कितनी लम्बी-चौड़ी बात कर लो, 23 घंटे 28 मिनट तो कोई

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

एम.एल.ए. क्वार्टर्स में भी बिजली नहीं आती है। दिन में चार दफे तो हमारे यहां भी बिजली जाती है। आप किसानों को 23 घंटे और 28 मिनट बिजली देंगे और 365 दिन देंगे और फिर 25 साल ट्रांसफार्मर काम करेगा, यह आपने उसका कन्सैप्ट रखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब खतम कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। Now let me conclude, please. I got the signal form the hon'able chair.

श्री उपाध्यक्ष : 13 मिनट रहे हैं, मंत्रीजी को भी जवाब देना है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Now I will conclude, Sir. You don't have to ring the bell for the second time.

अब एक बात निवेदन करना चाहता था। बाद में आपने जो टेण्डर किये हैं वे लोकल बिड खुद के संशाधनों से किये हैं, जो अगस्त में किये हैं। इसमें 73 कापीटीटर्स हैं। तो यह जो मंत्रीजी का कहना है कि वर्ल्ड बैंक की शर्त है, वह इस हिसाब से तो सही है। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको वर्ल्ड बैंक का पत्र पढ़कर सुनाया है, उसके अन्दर स्पष्ट रूप से वर्ल्ड बैंक की तरफ से यह कहा गया है कि आपने यह प्रपोज किया है और लार्जर साइड पर प्रपोज किया है। इन्होंने खुद ने प्रपोज किया और खुद ही यहां के लोगों को एलिमिनेट किया टेलरमेड रिक्वायरमेंट रखकर विजय इलैक्ट्रिकल्स को और बाहर के लोगों को किया। ग्लोबल टेण्डर हुआ नहीं, किसी बाहर के आदमी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जहां फेवर करना था, इन्होंने कंडेक्टर्स को फेयर भी किया है। The entire transaction smells rat, Mr. Chandrabhan, I say it on record. And now I challenge you, the entire transaction smells rat, get a judicial inquiry instituted into it. You are the one who is responsible because nothing happens in any of these Boards without your indication and your clearance. This is my charge. I dare to allege that the entire transaction smells rat. उपाध्यक्ष महोदय, आप इसकी जांच कराएं यह प्रमाणित हो जायेगा। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, इनके आरोप एकदम निराधार हैं, असत्य है और मैं खण्डन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब माननीय मंत्रीजी का जवाब करा दें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसकी जांच करायें, ऐसे आपके खण्डन करने से क्या होता है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : दुनिया में किसी ने कहा है आज तक कि मैंने पैसे खाये हैं?

डा. चन्द्रभान : और मैं इस सदन में घोषणा करता हूं कि माननीय सदस्य की इस मांग पर कि यदि इसमें कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो उसकी निष्पक्ष जांच करायी जायेगी। आप जो कह रहे हो....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : जांच कराओगे जब गड़बड़ी मालूम पड़ेगी। आप जांच कराओ पहले। (व्यवधान)

डा. महेश जोशी : आप नियम और प्रक्रिया के साथ चार्ज लगाते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी का जवाब करा दें?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, अभी कई बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन के अन्दर बिजली की चर्चा में भाग लेते हुये....(व्यवधान) गुढ़ामलानी से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री रामस्वरूप : हमारा नम्बर नहीं आयेगा? किसान के बेटे का नम्बर ही नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो। आप बोल रहे हैं क्या?

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)**:** हां।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजो। नन्दलालजी आप बोलो।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर)**:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही है, यह सभी लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिजली का मुद्दा है, इससे सभी लोगों का वास्ता पड़ता है। मैं ऊर्जा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके कार्यकाल में हर तीसरे दिन एक जी.एस.एस. बनता है। सरकार बधाई की पात्र है, और विशेषकर ऊर्जा मंत्रीजी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इसलिये मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगे सुनो आगे, "लेकिन"।

डा. महेश जोशी : हमारे काम की बात है वह हम सुनेंगे और जो आपके काम की बात है वह आप सुनें।

श्री नन्दलाल पूनिया : लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं। आज मंत्रीजी का स्टेटमैंट सुना, उसको सुनकर यह महसूस होता है कि इनके कार्य करने की इच्छा है और कह रहे हैं। इसके अलावा फील्ड में कुछ समस्याएं आती हैं उन समस्याओं की ओर मैं ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक)**:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता

(डा. महेश जोशी)

हूं कि आज माननीय मंत्रीजी के जवाब आने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या समय बढ़ाया जाये।

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है।

राज्य में ऊर्जा की स्थिति पर विचार

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) **:** उपाध्यक्ष महोदय, आज घरेलू और कृषि कनेक्शन काफी समय से लम्बित पड़े हैं। 31 मार्च, 1994 तक के कुओं के कनेक्शन दे रहे हैं जबकि काफी लोगों ने कुएं बना रखे हैं। सात-आठ साल से जिन लोगों ने लाखों रुपये लगा रखे हैं उनका नम्बर नहीं आ रहा है। यह एक बहुत ही अहम मुद्दा है। समय पर कनेक्शन दिये जाने चाहियें। जिनको कनेक्शन मिलता है, जिन्होंने डिमाण्ड नोट के पैसे जमा करवा रखे हैं, नम्बर आ जाता है, वे लोग ए.ईएन. और एक्स.ईएन. दफ्तरों में जाते हैं और यह मांग करते हैं कि हमारा नम्बर आ गया हमें सामान दिया जाये, हमारा कनेक्शन किया जाये तो जवाब मिलता है कि हमारे पास सामान नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बिजली बोर्ड के अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि सामान क्यों नहीं है? जब काश्तकार ने डिमाण्ड नोट का एक-एक पैसा, जितना सामान लगता है उसका सारा पैसा विभाग को जमा करवा दिया तो यह जवाब सुनने के लिए काश्तकार तैयार नहीं है कि हमारे पास सामान नहीं है। सारा पैसा दे दिया निगम को या बिजली बोर्ड को, नट, बोल्ट, ट्रांसफार्मर और तार जिस हिसाब से एस्टीमेट बनाकर देते हैं सारा पैसा जमा करवा दिया, फिर यह कैसे कह दिया कि हमारे पास सामान नहीं है। यह बहुत अहम मुद्दा है। (व्यवधान) अच्छे की बात नहीं है, अच्छा किया तो मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूं। लेकिन फील्ड में जो समस्याएं आती हैं उनकी ओर भी ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दूसरी तरफ जो घरेलू कनेक्शन हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र के 1994 के डिमाण्ड नोट के पैसे जमा हैं लेकिन आज तक कनेक्शंस नहीं हुए। एक समयबद्ध कार्यक्रम आप बनाएं ताकि जो घरेलू कनेक्शन बकाया हैं, जिन लोगों ने पैसे जमा करवा रखे हैं उनके कनेक्शन हों और आप स्वयं उस कार्य की मानीटरिंग करें।

मैं आपका ध्यान एक समस्या की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जब ट्रांसफार्मर जल जाता है उदाहरण के तौर पर एक ट्रांसफार्मर पर तीन कुओं के कनेक्शन हैं, दो आदमी तो पैसे जमा करवा देते हैं और तीसरा नहीं कराता है, ट्रांसफार्मर जल जाता है तब यह कहा जाता है कि आपका ट्रांसफार्मर नहीं दिया जायेगा। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक आदमी के पैसे नहीं जमा कराने से जिन दो आदमियों ने पैसे जमा करवा दिये, उन लोगों को क्यों नुकसान हो? उनको ट्रांसफार्मर देना चाहिये। एक का चाहे कनेक्शन काट दो। उसका उतार दो जो पैसा जमा नहीं करता है लेकिन

(श्री नन्दलाल पूनिया)

जिन दो लोगों ने पैसे जमा करवा दिये, आप विभाग को यह आदेश दें कि जिन लोगों ने पैसा जमा करवा दिया उनको समय पर ट्रांसफार्मर दे दें ताकि वे लोग कुआं चला सकें।

यही हाल मंत्री महोदय, ग्रामों के कनेक्शंस का है। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं, गालर का 21.8.2001 को ट्रांसफार्मर विभाग वाले लेकर गये थे, जमा करवा दिया था स्टोर में सब स्टेशन पर। उसके बाद आज तक वह ट्रांसफार्मर वापस नहीं आया है। उनके बिल देते हैं। रिकार्ड पर है कि ट्रांसफार्मर वापस नहीं गया। रिकार्ड देखते हैं बिजली विभाग के अधिकारी कि ट्रांसफार्मर तो है नहीं, फिर हम बिल क्यों भेज रहे हैं। आज वही स्थित गांवों में है, आज वहां पर ट्रांसफार्मर नहीं दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि चालीस आदमियों ने पैसे जमा नहीं कराये, जबकि वे चालीस आदमियों के मीटर उतार कर लाये। मीटर सब डीवीजन में पड़े हैं, उनका सम्बन्ध विच्छेद कर दिया। जिन 128 लोगों ने पैसे भर रखे हैं उनको ट्रांसफार्मर नहीं दिया जा रहा है, वे अंधेरे में बैठे हैं। यह बहुत ही...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलने दो उनको।

श्री नन्दलाल पूनिया : चुपचाप नहीं कर रहा हूं, जो हकीकत है उसका बयान कर रहा हूं। चुपचाप की बात नहीं है।

मेरा आपसे निवेदन है कि शाम छह बजे से दस बजे तक गांवों में बिजली नहीं दी जाती। मंत्री महोदय, गांवों में शाम को ही घरेलू काम होते हैं, शाम को ही बिजली की ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को पढ़ाई के लिए जरूरत शाम को ही पड़ती है। छह बजे से दस बजे तक बिजली नहीं दी जाती है तो फिर उनको कनेक्शन से फायदा क्या है? गांव वाले रोते हैं कि हमें बिल तो दिया जाता है लेकिन बिजली नहीं दी जाती है। आप इस ओर भी व्यवस्था करें। आप शहरों में चौबीस घंटे बिजली का वायदा करते हैं और देहात में शाम को पढ़ने के लिए, घरेलू काम करने के लिए भी लाइट नहीं देते हैं। इस ओर भी आप ध्यान दें ताकि शहर और देहात की जो दूरी कर रहे हो, वह कम हो। उन लोगों को बिजली की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में बेवड़ गांव है जो मेरा खुद का गांव है, वहां 18 किलोमीटर दूर से बिजली आती है। वहां सब-स्टेशन के लिये कह दिया लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला। दो साल से पत्राचार हो रहा है। एस.ई. आफिस से चलकर एक्स.ईएन. आफिस तक एक कागज को पहुंचने में तीन महीने लगते हैं जबकि दूरी पचास फीट की है। मैं कहता हूं कि ऐसे अधिकारियों को आप दण्डित करिये जिनके कारण आपकी सरकार बदनाम हो रही है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कीजिये।

(श्री नन्दलाल पूनियां)

हमारे यहां एक गांव रावतसर कंजूला बास, यह रावतसर कूजला का एक हिस्सा है। रावतसर कूजला बहुत पहले से विद्युतीकृत है। उस समय उसी के साथ था, अब रावतसर कूजला बास अलग से राजस्व ग्राम घोषित हो गया है। मैं चाहता हूं कि ऐसे ग्राम जो वंचित रह गये हैं उनको भी आप बिजली दें। इसी तरह लुटानापुर है जो वाटर वर्क्स की लाइन से उस गांव को विद्युतिकृत कर दिया। आज उस गांव की यह स्थिति है कि आठ साल हो गये विद्युतिकृत किये हुये लेकिन उस गांव में एक भी कनेक्शन नहीं है।

श्री रामस्वरूप : आपको तो न्याय करने का अधिकार है। कोई जरूरी है क्या कि वह मेरा नाम दें? आप भी ले सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बैठो-बैठो।

श्री नन्दलाल पूनिया : उस गांव के बीच में रेलवे लाइन जाती है, गांव उत्तर की साइड में है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में मेरी बात समाप्त करता हूं। लुटानापुर गांव को विद्युतीकृत कर रखा है, उसमें आज तक एक कनेक्शन नहीं दिया गया है। बड़े खेद का विषय है आप इस मैटर को देखें और वह ग्राम जो सुविधाओं से वंचित रह गया है उसमें ट्रांसफार्मर लगाकर ग्रामवासियों को बिजली दी जाये। इसी के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

(21.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय इन्दौरिया साहब, आप बोलेंगे?

श्री रामस्वरूप : मैं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो, आप बहुत बोलते हो, वह कभी-कभी बोलते हैं।

श्री रामस्वरूप : बिजली पर तो बुलवाओ, साहब।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तमसो मा ज्योतिर्गमय: मुझे अन्धेरे से ऊर्जा मंत्रीजी के पास ले चलो। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किये, बहुत अच्छे सुझाव आये हैं और मैं समझता हूं कि इसके ऊपर कार्यवाही होगी। ऊर्जा मंत्रीजी, बिजली के उत्पादन और वितरण के अन्तर को आपने कम करने के लिए जो प्रयास किये हैं उसके लिये आपको बहुत-बहुत बधाई हो। नीति यह कहती है कि जो कुछ आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए कर रहे हैं वह उससे संतुष्ट है या नहीं। हमारे कार्य से यदि जनता संतुष्ट है तो उसके परिणाम सुखद आयेंगे। पर हम निष्ठा और समर्पण भाव से भी काम कर रहे हैं और हमारे कार्य यदि जनता के गले नहीं उतर रहे हैं तो उसके परिणाम सकारात्मक नहीं

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

आयेंगे। आपने अकाल के समय जलदाय विभाग को बिजली का जो सहयोग दिया उसके लिये आपको धन्यवाद। डाक्टर चन्द्रभान जी, मेरी तरफ देखो आप, उनको छोड़ो, यह तो दफ्तर में देखना।

श्री रामनारायण चौधरी : कान आपकी तरफ है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मुझे कान नहीं चाहिये, आंख चाहिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो काम करता है उसकी आलोचना भी होती है और प्रत्यालोचना भी होती है, लेकिन आप निष्ठा के साथ काम कर रहे हो, यह मैंने महसूस किया है। आपने बिजली के उत्पादन को बढ़ाया है और उसकी तरफ आपने कदम उठाये हैं। मैं इसके लिए आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप निर्भय होकर काम में जुटे रहो।

ये पांच जो कम्पनियां बनायी थीं, उस वक्त भी मैंने कहा था कि मेरे तो यह समझ में नहीं आ रहा है, आपको याद होगा। ये पांच बणियों की दुकान हैं। बनिया घाटे में दुकान नहीं चलाता, वह साल भर में तलपट देखता है। यदि उसके घाटा है तो वह दुकान बन्द कर देगा, दूसरा बिजनस कर लेगा। आज जो कर रहे हैं, आपके व्यवहार से, आपके काम से कोई असन्तुष्ट नहीं है लेकिन जो धरती पर हो रहे हैं उनसे लोग खुश नहीं है— और जिनके लिये हम काम कर रहे हैं वे सन्तुष्ट नहीं हैं इसलिये हमें थोड़ा विचारना पड़ेगा।

मैं दो-तीन सुझाव आपको देता हूं। एक तो चाहे जितनी भी आपको तकलीफ हो, कृषि कूप जो काश्तकार हैं। उसको आप पूर्ण बिजली दीजिये क्योंकि वह देश का उत्पादन बढ़ाता है। उसमें कभी कटौती मत करो। दूसरा यह कि पानी का और बिजली का एकदम धनिष्ठ सम्बन्ध है इसलिये जहां-जहां भी जल स्रोत हैं, एक गांव से दस-दस गांवों को जहां पानी जाता है उस स्रोत के ऊपर बिजली की कटौती मत करो। आप बिजली दे भी देते हो और जलदाय विभाग के आलस्य के कारण, उनके कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वे पानी नहीं पहुंचा सकते तो वे यह कहते हैं कि बिजली नहीं मिली, हम क्या करें। इसका भी आपको कोई हल देखना पड़ेगा।

अब चोरी और छीजत तो आप रोक ही रहे हो। आपको मालूम है जहां-जहां भी बिजली का अपव्यय होता है। मैं समय-समय पर आपको पच्चीस पैसे के पोस्ट कार्ड से सूचित करता हूं, कभी-कभी मैं आपको टेलीफोन से सूचित करता हूं कि मुरलीपुरा में बिजली जल रही है, सीकर में दस बजे बिजली जल रही है। यह हमारा जो अपव्यय हो रहा है उस अपव्यय को रोको।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, बस एक प्रार्थना के साथ अपना स्थान ग्रहण कर रहा हूं, घंटी मत बजाना। मैं आपको माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ रतनगढ़ पधारने का निमंत्रण देता हूं, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खेती एक जुआ है। कबूतर को कुआं दिखता है। किसान आखिर जाये कहां? किसान खुद चाहता है कि मैं खेती नहीं करूं, यह घाटे का सौदा है। यह कभी छोटी दुकान की तरफ जाता है तो दुनियां भर के टैक्स, कभी यह देखता है मेरा बच्चा एम.ए., बी.एड. हो जायेगा और वह नौकरी करके पैसा लायेगा। टांट मुंडाई और ओले पड़े, 1200 रुपये और वे भी तीन-तीन महीने से नहीं मिले। आखिर किसान करे क्या? अपने वहां रहकर के अपनी उपज के पैसे पूरे नहीं मिलें और इधर बिजली नहीं मिले। बड़ी खराब हालत है किसान की। Whearer knows where the shoe pinches.

फ्लैट रेट के बारे में कहा, कोई भी एग्रीमैंट में ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है कि फ्लैट रेट के लिये आप छह घंटे या पांच घंटे या आठ घंटे ही बिजली देंगे। अगर बिजली आती है 24 घंटे तो 24 घंटे ही देनी है। आज हमारे माननीय सदस्य के वहां बीस हजार रुपये अलग सरचार्ज लगाया कि आपने तो 24 घंटे बिजली ली। आप सबको दो ना 24 घंटे। लेकिन फ्लैट रेट के अन्दर जिनके हैं उनमें 24 घंटे मिले, 10 घंटे मिले, 12 घंटे मिले, उसमें कोई ऐसा एग्रीमैंट नहीं है। तो ये कई बातें ऐसी अव्यवहारिक हैं। जहां शिफ्टिंग का सवाल है, मैं आज लैण्ड खरीदता हूं, भौगोलिक कितने ही उथल-पुथल आते हैं, आज जमीन में मीठा पानी है, मैंने यहां से रजिस्ट्री करा दी। मैंने बीस हजार रुपया आधा बीघा का दे दिया क्योंकि मीठा पानी है। मैं पांच साल इंतजार करूं उसके ट्यूबवैल खोदने के लिए, क्या उसमें पानी की स्थिति वैसी की वैसी रहेगी? कितनी अव्यवहारिक बाते हैं जो आपके अधिकारी आपको दिलाते हैं। आप एक किसान परिवार से हैं, हम आपसे आशा करते हैं किसान कोई कुआं खोदना नहीं चाहता। कितना खर्च होता है एक ट्यूबवैल पर? पाइप लगाने पड़ते हैं। फिर कभी नदी नहीं आती, पानी नीचे चला जाता है। लाखों रुपये जब वह खर्च करता है, आखिर वह यह सोचता है कि मैं जाऊं कहां। खेती के सिवाय और कोई सहारा नहीं। नौकरी में सहारा नहीं और सारी ओर महंगाई। इसीलिये यह किसान अपना घर नहीं छोड़ना चाहता है। माननीय मंत्रीजी, यह शिफ्टिंग वाला मामला है, आम जनता, किसानों में यह बात फैली हुई है, आपको तो पता नहीं है। आप सोचते हैं किसान सो रहे हैं, पानी की व्यवस्था है। आज यहां ट्यूबवैल खोद कर कनेक्शन दे देंगे तो पानी बेचता है। ऐसा कहीं नहीं है, किसान ईमानदार है। भरोसा रखो आप, ऐसा नहीं है।

इसके अलावा खुद के खातेदारी के जो कनेक्शन हैं, मैंने अपना पांच साल पहले

(श्री अमराराम चौधरी)

यहां कुआं खोदा। मेरा पुराना कुआं है, अच्छा हो गया। वहां से मैंने शिफ्टिंग कराया, वापस मैं शिफ्टिंग कराना चाहता हूं। वह शिफ्टिंग भी बन्द है और नया कनेक्शन? मेरे यहां तो बारह-बारह हजार रुपये लोगों ने हरे चारे के जमा कराये, वे आज तक नहीं दिये। मेरे यहां जी.एस.एस. आपने स्वीकृत किया, काश्तकार आखिर क्या करें? खम्भे खड़े कर दिये हैं लेकिन सामान नहीं आ रहा है। एक गट्टा तार के अन्दर आज 10 किलोमीटर लाइन लगे और कल जिन खेतों में से निकाला है वे दूसरे गांव के हैं। वहां, रायड़े, सरसों की बुवाई होगी। जीरा बोयेंगे, गेहूं बोयेंगे। क्या उसके अन्दर लोग लाइन खींचने देंगे? ऐसे मामले में वे लोग जो बी.आर. के लिये कई दिनों से तड़प रहे हैं उनको यदि आप सामान नहीं उपलब्ध करायेंगे, जी.एस.एस. पर ट्रांसफार्मर नहीं लगायेंगे तो वे लोग भी काश्त से महरूम रह जायेंगे। यह खेती जुआ इसीलिये है। टाइम पर तो बेरा वालों की खेती होती है। तीन दिन बारिश होने के बाद में बुवाई करेंगे तो फसल नहीं उगेगी। इसीलिये टाइम पर जो भी जी.एस.एस. आप बना रहे हैं, युद्ध स्तर पर सामान भेजें। ट्रांसफार्मर वहां भेजें।

मेरा एक निवेदन है, आपको पता नहीं है, राज वालों का कोई पता नहीं लगता, बाहर जनता को पता है। यह टैरिफ जो बढ़ायी है, इस टैरिफ को आप कम कीजिये। आज जो विद्युत की स्थिति है, राज्य में प्रति दिन विद्युत उपभोग सात करोड़ यूनिट का हो रहा है और टोटल लोसेज हैं 46 प्रतिशत। प्रति दिन जो छीज़त होती है वह 3.22 करोड़ यूनिट है। इस प्रकार से प्रति वर्ष जो हानि है वह 2468 करोड़ की हो रही है। आपने अजमेर के लिये 28.44 करोड़ की टैरिफ प्रस्तावित की है, जयपुर के लिये 48.92 और जोधपुर के लिये 30.01 करोड़ रुपये। मैं आपको बताऊं, 1990 से 1998 के बीच में हमारी सरकार ने आठ और दस घंटे और कभी-कभी बारह घंटे भी बिजली दी है और बिजली का उत्पादन उस समय हुआ था 510.50 मेगावाट। कुओं का विद्युतीकरण है मैं मानता हूं, मैं उस समय कांग्रेस में था, चालू वर्षों के अन्दर 3,47,565 करोड़ का हुआ, लेकिन आठ वर्षों के अन्दर 2,07,203 विद्युतीकरण हुआ था। मैं आपको यह कह रहा हूं कि 40 साल में हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन आठ साल के अन्दर जो काम हुआ वह भी आप देख लीजिये। उन आंकड़ों से भी आप अनुमान लगा सकते हैं।

आपने 1200 रुपये 11 के.वी. की लाइन खींचने के और पोल में 9,000 से 11,000 रुपये कर दिये, जबकि बी.जे.पी. के समय घरेलू कनेक्शन के लिये 950 रुपये प्रति पोल, दूसरे पोल के 1450 रुपये, तीसरे और पांचवें पोल के लिये 1950 रुपये प्रति पोल के लिये जाते थे। यह भी है कि

(श्री अमराराम चौधरी)

उपभोक्ताओं को एक पोल फ्री भी दिया जाता था। लेकिन अब सरकार कितने कुओं का ऊर्जीकरण हुआ। घरेलू कनेक्शन की राशि बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति पोल और दूरी सौ मीटर की है। अगर सौ मीटर से दूरी बढ़ती है तो 120 रुपया प्रति तीन फेज की लाइन के लिये 80 रुपये, फिर सिंगल फेज़ में 80 रुपये...

श्री परसादी लाल : यह ऊर्जीकरण कितने कुओं का हुआ है, दुबारा बताइये एक बार आप बता रहे थे ना अभी, कितने, दुबारा पढ़ो इसमें।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : बताया ना मैंने दो लाख।

श्री परसादी लाल : आप बीस लाख बोले थे शायद। हां, ठीक है दो लाख। बीस लाख बोल गये आप।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : नहीं, नहीं। दो लाख बोला हूं मैं।

इसलिये मेरा निवेदन है कि आज घरेलू कनेक्शन लेना दूभर हो गया। अभी अभियान चल रहा था, राजस्व अभियान में मैं गया, जे.ईएन. कोई पचास बिल लेकर खड़ा था कि मैं डी.सी. कर रहा हूं, इनके पेमेंट जमा कराओ। हमने यह पूछा कि इनका मीटर रीडर कौन है? आपका कोई भी मीटर रीडर जिसने रीडिंग सही लिया है तो हम आज ही बिल उनसे भराने के लिये तैयार हैं। आप घर बैठे मर्जी आये दो हजार का बिल निकालो, चार हजार का, पांच हजार का निकालो। यह माननीय मंत्रीजी, इस राजस्व अभियान के दौरान लोगों की समस्या हमारे सामने आयी है कि गांव के अन्दर जिनके घरेलू कनेक्शन हैं, वहां आपका कोई मीटर रीडर नहीं जाता है, खाली बिल भेज देते हैं। बिल पटककर भी आ जाता है, कई दिन उनको मिलता भी नहीं है। यह जो हालत है इससे गांव वालों में बड़ा भारी रोष है।

आपको पता नहीं है, उस समय जब आप मंत्री बने थे, सारा बोर्ड आपके हाथ में था। अब तो कम्पनी बन गयीं, ये तो कहते हैं पैसे लेने हैं। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, जिस समय इनको पैसे इकट्ठे करने होते हैं तो मेरे चार गांवों में आते हैं, आसोतरा, कीटनोथ, बालोतरा और आकर आपका मीटर, आपकी तो मोटर अब बारह हार्स पावर की है या साढ़े बारह की है तो पन्द्रह की होगी दस की है तो साढ़े बारह की होगी, पन्द्रह की है तो बीस की होगी, यह करते है। अब जितने भी अपने आपके नियम बने हुये हैं, अभी शेरगढ़ का एक फैसला हुआ है, उपभोक्ता संघ, जोधपुर ने किया, उसके अन्दर आपके वोल्टेज कितने आने चाहिये? जब वोल्टेज कम आयेंगे तो एम्पीयर अपने आप ही ज्यादा आयेगा। तो जो आपके फार्मूले बने हुये हैं उन्हीं के अनुसार आपके साढ़े तीन सौ ही वोल्टेज थे, इसीलिये न्यायालय से यह फैसला हुआ कि यह जो दस हजार या पांच हजार रुपये

(श्री अमराराम चौधरी)

लिये हैं इनके बिलों में एडजस्ट हों। एक किसान के पास दस हजार रुपये ही नहीं हों, वह कहां से वहन करेगा? आपको पहले दस हजार दे और फिर कहने लगे कि अदालत में जाओ, उसी के बाद में जो कुछ निर्णय हो। विजिलेंस वाले मनमर्जी हर साल पैसे ले रहे हैं। टैक्सी में मोटर हम दस हार्स पावर की लाये हैं, साहब, यह हो गया। कारण यह है कि सारी बिजली के वोल्टेज कम आ रहे हैं और उस वोल्टेज कम आने के कारण एम्पीयर बढ़ता है। एम्पीयर बढ़ने के कारण से गलत रीडिंग लेकर उसका बिना सही नाप किये हुये हार्स पावर बढ़ा देते हैं। किसानों पर बाद में किसी के बीस हजार, किसी के दस हजार के बिल आते हैं। किसान की फसल तो अब कितनी आती है और उसकी रेट क्या होती है? इसलिये आप किसानों के दुःख दर्द को जानते हैं, इस बात पर भी आप ध्यान रखें। बाकी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) **:** एक निवेदन मेरा यह है कि 220 के.वी.ए. का आप जी.एस.एस. जालौर में बनाने जा रहे हैं, आपने घोषणा की है, आप भीनमाल पधारे थे। जो लोग मर गये उन लोगों को तो नोटिस तामील करवाया। एक परिवार के पास में जो 35 जने हैं, उनके पास में 80 बीघा जमीन है, 40 बीघा तो जी.एस.एस. में ले लेंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी जमीन है। मैंने आपके अध्यक्ष जी को भी निवेदन किया, इन्होंने भी काम रुकवाया। यह जो खसरा नम्बर है, वह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, जिसमें यह क्लीयर कट है कि सरकार की जमीन 32 बीघा पड़ी है, एक 28 बीघा पड़ी है। उसके अलावा हजारों बीघा जमीन है, उलेहटा गांव के पास पड़ी है। उसके ऊपर जी.एस.एस. बना लें। लेकिन नहीं, आपको जी.एस.एस. तो 132 के.वी. के पास ही बनाना चाहिये 220 का, ताकि आपका ज्यादा खर्चा नहीं हो, एक्सपेंडीचर नहीं हो, देखरेख आराम से हो। लेकिन उस किसान की जमीन के लिये आनन-फानन में बिना नोटिस दिये फैसला कर दिया। वह गरीब आदमी कहां लड़े? वह आत्महत्या कर लेगा। आपने भी लिखा कलक्टर को। मैं आपको कलक्टर की रिपोर्ट पढ़कर सुनाता हूं, यह कलक्टर की रिपोर्ट है। जालौर कलक्टर ने लिखा है, ''हालांकि भूमि की उपलब्धता के बारे में अंतिम निर्णय तो निगम स्तर से ही लिया जाना है फिर भी मौका मुआयना से उपयुक्त प्रतीत होता है कि आप एक बार पुनः दोनों विकल्पों के सम्बन्ध में आने वाली लागत व अन्य सुविधाओं पर विचार करें। वह बिलकुल पास में ही है और मैं स्वयं मिला था। आपने अध्यक्ष जी को लिखा, टेलीफोन किया। अध्यक्ष जी ने इस सम्बन्ध में किया, लेकिन

(श्री अमराराम चौधरी)

एक एक्स.ईएन. है उसकी जिद है। उसके पीछे राज यह है कि वह सरकारी जमीन में नाजायज किसी का कब्जा करा प्लाट काटना चाहता है। आपको पता नहीं है। हकीकत मैंने मालूम की है, मैं खुद मौके पर गया हूं। यह कलक्टर साहब को भी पता है। लेकिन वह कह रहे हैं कि एक्स.ईएन. तो यह कह रहा है, मैं क्या करूं मैं तो कह रहा हूं। मैं आज ही जमीन देने को तैयार हूं। इसलिये इस पर विचार करें। इस गरीब किसान की जो जमीन है, 35 लोग बेघरबार हो जायेंगे। उसने लीज पर अपना कुआं खोदा है नदी के अन्दर, दो किलोमीटर उसने पाइप लाइन लगायी है, फिर उसने बिजली का कनेक्शन लिया है। सिर्फ 13 हजार बीघे पर किसान की जमीन जायेगी जबकि सरकार की जमीन पास पड़ी है। इस बात पर आप विचार करें और सरकारी जमीन में बनायें या आपका जो 132 का बना हुआ है उसी के साथ ही 220 के.वी. का बनाये। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सुबह 10 बजे से बैठे हैं, रात के 10 बज रहे हैं। पूरा सदन खाली पड़ा है। जो लोग यहां बैठे हैं, मैं किसानों के लिये बैठा हुआ हूं। आप किसानों के लिये बोलने का अवसर नहीं देते हो।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप : इसका मतलब सदन खाली पड़ा रहे? हम सदन में बैठते हैं, 12 घण्टे की ड्यूटी देते हैं और बिजली की समस्या पर किसान को मौका नहीं दिया जाता है। (व्यवधान) सारा सदन खाली पड़ा है। रोज बैठे रहते हैं। सचेतक महोदय, मेरा नाम था, मेरा नाम कैसे कट गया? क्यों अन्याय हो गया मेरे साथ, बताइये? मैं किसान का बेटा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप : मैं बिजली की बात नहीं रख सकता अपने टोडाभीम, नादौती की, इससे बड़ी बात क्या होगी? सदन खाली रहे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री रामस्वरूप : मैं भी उन सदस्यों के साथ चला जाता। मैं किसान के हित के लिये बैठा हुआ हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हो गया किसान विरोधी, अब बैठ जाओ।

श्री रामस्वरूप : मैं मेरे क्षेत्र के लिये यहां बैठा हुआ हूं। मैं अपनी बात कहने के लिये यहां बैठा हुआ हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको कोई किसान नहीं मान रहा है। जबरदस्ती बन रहे हैं।

श्री रामस्वरूप : बताइये, मेरा नम्बर क्यों काटा गया? (व्यवधान) बात नहीं कहने दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप : हमारे लिये इससे बुरी बात और क्या होगी? हम हमारी समस्याएं नहीं कह सकते हैं?

डा. किरोड़ी लाल : आपका नाम तो हरिसिंहजी ने काटा है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : पूरा सदन खाली पड़ा है। माननीय सदस्य चले गये, उनका नाम आ रहा है और जो बैठे हुये हैं उसका नाम नहीं है यहां पर, इससे बुरी बात और क्या होगी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. किरोड़ी लाल : हरिसिंहजी ने काटा है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हो...(व्यवधान) आप न्याय करिये हमारे साथ...(व्यवधान) टोडाभीम और नादौती की समस्याएं हैं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : केवल एक क्वेश्चन...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : बिजली पर सुझाव, बड़े-बड़े सुझाव दूंगा...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री)**:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हमारी सरकार की साख बनेगी...(व्यवधान) हमारी सरकार की साख बनेगी...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सचेतक महोदय मजा ले रहे हैं...(व्यवधान) सचेतक महोदय मजा ले रहे हैं...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)**:** आज बड़ी महत्त्वपूर्ण चर्चा हो रही है और माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे। अच्छी बात है, लेकिन जवाब में हम यह जानना चाहते हैं कि आप रेट कम करेंगे कि नहीं करेंगे। बिजली पूरी देंगे कि नहीं देंगे? बाकी बहस बेकार है, यह उत्तर दे दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : मिनिमम आठ घंटे...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)**:** आठ घंटे बिजली देंगे कि नहीं देंगे? (व्यवधान) यह कह दीजिये आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हम यह कहना चाहते हैं।

श्री मदन दिलावर : बिजली की कीमत कम करेंगे कि नहीं करेंगे ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : यह माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं।

श्री रामस्वरूप : नर्सरी योजना ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : केवल तीन बातों का आप जवाब दे देवें...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आप इस बात का जवाब दें...(व्यवधान) करेंगे कि नहीं करेंगे? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मेरे क्षेत्र की समस्याएं ...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बिजली पूरी देंगे कि नहीं देंगे? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : किसान का बेटा होने के नाते...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बिजली के दाम कम करेंगे कि नहीं करेंगे? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप आठ घंटे बिजली देने की गारंटी दें...(व्यवधान) टैरिफ को कम करें...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि...(व्यवधान) हम आपसे दो-तीन बातें जानना चाहते हैं, लम्बा-चौड़ा भाषण की बात नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : जान लिया ना, अब और क्या जानना चाहते हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो हमें यह बता दें कि आपने जो राजस्थान के आम-अवाम से वादा किया आठ घंटे बिजली देने का, वह देंगे या नहीं देंगे? आज बिजली के दाम अव्यवहारिक रूप से नियामक आयोग ने बढ़ाये हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीजी, आप बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप नियामक आयोग के पास अपनी याचिका दायर करके उसको कम करायेंगे या नहीं करायेंगे? जो मिनिमम रेट है उसको समाप्त करेंगे कि नहीं करेंगे?

एक माननीय सदस्य : पूरी बिजली देंगे कि नहीं देंगे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जो मीटर में ले जाना चाहते हैं और राजस्थान के उपभोक्ता को मीटर लगाने वाली कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिये आप पूरे राजस्थान में मीटर लगाने का अभियान जो छेड़ रहे हैं उसको कम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप इन चार बातों का....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : लूट मचा रखी है उसको वापस समेटेंगे कि नहीं समेटेंगे? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपके मीटर की खरीद में जो घोटाले हैं उसकी जांच करायेंगे कि नहीं करायेंगे? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : निगमों में जो लूट मची हुई है उस लूट को समेटेंगे कि नहीं समेटेंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अगर विपक्ष शांति से सुने तो सब जवाब देंगे। आपके हर इश्यू का जवाब देंगे। लेकिन आप शांति से सुने तो सही इनको....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : मंत्री महोदय, आप बिजली के दाम कम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप मिनिमम चार्ज कम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बिजली के दाम कम करेंगे कि नहीं करेंगे? (व्यवधान) किस बात का जवाब जब बिजली के दाम कम करना नहीं चाहते, जब मिनिमम चार्ज को कम करना नहीं चाहते? आठ घंटे बिजली देना नहीं चाहते तो फिर आप क्या करना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी का जवाब सुनना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : किस बात के लिये खड़े हुये हैं? हमें इस बात का जवाब चाहिये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री हीरासिंह चौहान : इसका उत्तर उनके पास है...(व्यवधान) हमें जवाब दें, बिजली की रेट कम करेंगे कि नहीं करेंगे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिजली पूरी देंगे कि नहीं देंगे? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : ये जो मीटर लगा रखे हैं...(व्यवधान) ये चार बातें जो पूछी गयी हैं उनका उत्तर दिलवा दें। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आठ घंटे बिजली देंगे कि नहीं देंगे?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ट्रांसफार्मर, मीटर और कंडक्टर की खरीद में हुये घोटाले की जांच करायेंगे कि नहीं करायेंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पांच घंटे हो गये... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ट्रांसफार्मर, मीटर और कंडक्टर की खरीद में हुये घोटाले की जांच करायेंगे कि नहीं करायेंगे? मंत्री महोदय, आप जवाब दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल चुके ना। आपको मौका दिया है बोलने का, फिर क्या बात है?...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के धाराप्रवाह भाषण की आवश्यकता नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री मदन दिलावर : हमें तो केवल तीन बातों का जवाब चाहिये, तीन बातों का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आठ घंटे बिजली देंगे कि नहीं देंगे...(व्यवधान) हम यह जानना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आठ घंटे बिजली देंगे कि नहीं देंगे? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ये बहिष्कार करना चाहते हैं, बहिष्कार...(व्यवधान) ये गारंटी से जायेंगे, गारंटी से...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हम बहिष्कार नहीं करेंगे...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, उसके अन्दर यह बता दें...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब मैं अपनी रिप्लाई कम्पलीट करूंगा तो इनके सब सवालों का जवाब दूंगा... (व्यवधान) मैंने 18 माननीय सदस्यों के विचार सुने हैं। (व्यवधान)

श्री अमरांराम (धोद) : किसानों का और ग्रामीणों का...(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : आठ घंटे बिजली दी जायेगी या नहीं दी जायेगी?

डा. चन्द्रभान : किसानों को पूरी बिजली दी जायेगी...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : डीजल के भाव कम कराओ...(व्यवधान) तीन-तीन बार भाव बढ़ा दिये...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत की सप्लाई का जहां तक सवाल है, आज पूरे राजस्थान में ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं, सुधार हुआ है। (व्यवधान) किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली मिल रही है और राजस्थान का किसान संतुष्ट है। (व्यवधान) आज पूरे प्रदेश में कहीं कोई आंदोलन नहीं है। (व्यवधान) जहां तक बिजली की दरों का सवाल है, हम साढ़े सात प्रतिशत बिजली केन्द्र से खरीदते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : (व्यवधान) इन बातों का कोई अर्थ नहीं है।

डा. चन्द्रभान : (व्यवधान) आज भी राजस्थान में अन्य राज्यों की तुलना में बिजली की दरें कम हैं। (व्यवधान) किसानों को पर्याप्त मात्रा में सरकार बिजली देगी।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक 19 नवम्बर, 2001 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.31 बजे 19 नवम्बर, 2001 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-66 की सूची) परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद् में मनोनीत पदाधिकारियों/सदस्यों की सूची

1. अध्यक्ष — श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत
2. उपाध्यक्ष — श्री मोहम्मद यासीन
3. कोषाध्यक्ष — डा. (श्रीमती) परमनवदीप सिंह
4. सदस्य
   (1) श्री मूल चन्द चौहान
   (2) श्री कैलाश चन्द शर्मा (महन्त)
   (3) श्री डी.के. जोशी
   (4) श्री सुधीर बक्शी
   (5) श्री नीरज गुप्ता
   (6) श्री रमेश सी पुरोहित
   (7) डा. (सुश्री) अलका सिंह
   (8) श्री जयनारायण गहलोत
   (9) श्री राजकुमार जयपाल
   (10) श्री शिवचरण माली
   (11) श्रीमती शारदा मोरडिया
   (12) श्री अशोक पाटनी
5. पदेन सदस्य
   (1) विकास आयुक्त/शासन सचिव, पंचायत (या उनका प्रतिनिधि जो कि उप शासन सचिव स्तर से नीचे नहीं होना चाहिए)
   (2) प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग (या उनका प्रतिनिधि जो कि उप शासन सचिव स्तर से नीचे नहीं होना चाहिए)
   (3) शासन सचिव, युवा मामले एवं खेल विभाग (या उनका प्रतिनिधि जो कि उप शासन सचिव स्तर से नीचे नहीं होना चाहिए)
   (4) शासन सचिव, शिक्षा विभाग (या उनका प्रतिनिधि जो कि उप शासन सचिव स्तर से नीचे नहीं होना चाहिए)
   (5) आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण (या उनका प्रतिनिधित्व जो कि उपायुक्त स्तर से नीचे का अधिकारी न हो)
   (6) सचिव, राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद्, जयपुर

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद में मनोनीत पदाधिकारी/गैर सरकारी सदस्यों की योग्यता एवं खेल जगत को दिये गये उनके योगदान का विवरण

नाम पदाधिकारी/सदस्य	शैक्षणिक योग्यता	खेलों में प्रतिनिधित्व	खेल जगत को दिये गये योगदान का विवरण
1	2	3	4
1. श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत अध्यक्ष	एम.ए. (इतिहास डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट)	1. वर्ष 1966 से 81 तक रणजी ट्राफी क्रिकेट टीम में प्रतिनिधित्व	1. वर्ष 1993 में भारतीय क्रिकेट टीम में प्रशिक्षक के रूप में प्रतिनिधित्व
		2. 1971, 76 एवं 1979 में दिलीप ट्राफी में नार्थ जोन का प्रतिनिधित्व	2. बार्सिलोना ओलम्पिक खेल 1992 में भारतीय एथलेटिक टीम के प्रबन्धक
		3. 1975 से 1977 तक वायु सेवा की ओर से रणजी ट्राफी क्रिकेट टीम के कप्तान	3. एशियन गेम्स बीजिंग चाइना में 1990 में भारतीय खेल दल के सचिव एवं कोषाध्यक्ष भारतीय खेल दल के सचिव एवं कोषाध्यक्ष
		4. नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ स्पोर्टस से योग्यताधारक क्रिकेट प्रशिक्षक	4. भारतीय क्रास कंट्री टीम फुकोका जापान (1992) में प्रबन्धक
		5. राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता 1980 में कांस्य पदक प्राप्त किया	5. वर्ष 1993 में मनीला तथा 1994 में इण्डोनेशिया में आयोजित बाक्सिंग प्रतियोगता में भारतीय टीम के प्रबन्धक

1	2	3	4	5
			6. 10 वर्षों में गोल्फ से खिलाड़ी है	6. भारतीय ओलम्पिक संघ, भारतीय एथलेटिक फेडरेशन, राष्ट्रीय राईफल शूटिंग संघ, जिमनास्टिक फेडरेशन, इंडियन एमच्योर बाक्सिंग संघ तथा क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड में वरिष्ठ पदों पर रहे
			7. वर्ष 1985 से 1991 तक 9 मोटर कार रेलीज में भाग लिया तथा 4 बार टीम चैम्पियनशिप प्राप्त की	
			8. अलकनन्दा नदी तथा लद्दाख में स्थित जौशंकर नदी में रीवर राफ्टिंग अभियान में भाग लिया	
2.	मोहम्मद यासीन उपाध्यक्ष	बी.ए.एलएल.बी.	जयपुर जिला फुटबाल टीम में प्रतिनिधित्व	1. जयपुर फुटबाल लीग का आयोजन 2. विगत 3 दशकों से खेल समीक्षक 3. 1982, 1986 एशियाड़ दिल्ली के राष्ट्रीय खेल 1981-82 का विश्व कप हाकी का मुम्बई से कवरेज 4. भारतीय ओलम्पिक संघ की मीडिया कमेटी के सदस्य

1	2	3	4	5
3.	डा. श्रीमती परम नवदीप सिंह कोषाध्यक्ष	एम.बी.बी.एस. एम.डी. (जन. मेडी)	1975 से 80 तक होर्स राइडिंग में अच्छा प्रदर्शन	1. 1977 में राष्ट्रीय स्तर पर 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड एवं 27 जनवरी को प्रधानमंत्री रैली में महिलाओं की घुड़सवारी रैली में प्रतिनिधित्व 2. जयपुर गोल्फ प्रतियोगिताओं एवं सुरजीतसिंह हाकी प्रतियोगिताओं का पिछले कई वर्षों से आयोजन में सक्रिय योगदान
4.	श्री मूलचन्द चौहान सदस्य	बी.ए.	—	1. भारतीय ओलम्पिक संघ, अन्तरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन एवं एशियन टेबल टेनिस संघ के उपाध्यक्ष 2. कोमनवेल्थ टेबल टेनिस संघ के सचिव तथा साउथ ऐशियन टेबल टेनिस फेडरेशन एवं टेबल फेडरेशन आफ इण्डिया के महासचिव 3. अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जूरी के सदस्य के रूप में कार्य किया तथा विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन सचिव रहे हैं 4. सामाजिक क्षेत्र में भी इनका सक्रिय योगदान रहा है।

1	2	3	4	5
5.	श्री कैलाशचन्द शर्मा	बी.एससी. (कृषि)	1. 6 बार राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिताओं में भाग लिया 2. राष्ट्रीय स्कूल तैराकी एवं बालीवाल प्रतियोगिताओं में भाग लिया	1. तैराकी शूटिंग बाल तथा बालीवाल की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन 2. राष्ट्रीय महिला खेलों का आयोजन 3. राजस्थान शूटिंग बाल के मुख्य संरक्षक
6.	श्री डी. के. जोशी, सदस्य	बी.ए. बी.पी.ई.डी.	कबड्डी में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया	1. 21 वर्ष तक शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्य 2. खींचन कालेज में 10 वर्ष तक प्रशासक 3. 1994-99 तक फलौदी नगरपालिका के चेयरमैन रहते हुये खेलों का विकास
7.	श्री सुधीर बक्शी सदस्य	एम.एससी. जूलोजी	1. राज्य एवं रा ष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में भाग लिया	1. राष्ट्रीय बैडमिंटन, जिमनास्टिक एवं एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया
8.	श्री नीरज गुप्ता सदस्य	बी.एससी.	1. रणजी ट्राफी टीम में खिलाड़ी के रूप में चयन 2. सी.के. नायडू ट्राफी अखिल भारतीय क्रिकेट प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व	1. अन्तरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में स्थानीय प्रबन्धक 2. कोटा जिला क्रिकेट के महासचिव के रूप में तथा अखिल भारतीय आमंत्रण क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन
9.	श्री रमेश सी पुरोहित सदस्य	—	—	1. 3.1.89 से 1993 तक राजस्थान साइक्लिंग संघ के अध्यक्ष

1	2	3	4	5
				2. 1982-1992 तक राजस्थान बैडमिंटन संघ के सदस्य 3. 1982-1992 तक फ्रेन्ड्स क्लब, बीकानेर के संरक्षक 4. सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न समितियों में रह कर सामाजिक उत्थान के लिये कार्य किया
10.	डा. (सुश्री) अलका सिंह सदस्य	एम.फिल. मनोविज्ञान (पीएच.डी.)	1. पर्वतारोहण में बेसिक तथा एडवान्स माउन्टेरिंग कोर्स दार्जिलिंग पर्वतारोहण संस्थान से प्राप्त किया 2. दार्जिलिंग पर्वतारोहरण संस्थान में गेस्ट इन्सटक्टर के रूप में प्रशिक्षण दिया 3. उत्तरकाशी तथा मनाली से सर्च एवं रेश्क्यू तथा कलाइमिंग कोर्स किये 4. हिमाचल प्रदेश, लद्दाख सिक्किम, गढ़वाल क्षेत्रों में ट्रेनिंग अभियान में भाग लिया। 5. रोक क्लाइकिमें की वेस्ट जोन क्लाइमिंग प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा राष्ट्रीय क्लाइमिंग प्रतियोगिता में भाग लिया	—
11.	श्री जयनारायण गहलोत सदस्य	एम.ए. राजनीति विज्ञान	1. वर्ष 1980 में राज्य स्तरीय वरिष्ठ फुटबाल प्रतियोगता में टीम चैम्पियन	1. शारीरिक महाविद्यालय में 10 वर्ष में व्याख्याता

1	2	3	4	5
			2. तीन बार अन्तर्राष्ट्रीय फुटबाल प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व	2. राज्य स्कूली टीमों को पिछले 15 वर्षों में प्रशिक्षण का कार्य 3. अखिल भारतीय फुटबाल प्रतियोगिताओं का रेफरी
12.	श्री राजकुमार जयपाल सदस्य	एम.बी.बी.एस.	1. राज्य स्तरीय इन्टर मेडिकल कालेज खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया	1. जूनियर युवा विश्व हॉकी प्रतियोगिता 2001 में मैनेजर एवं डाक्टर 2. विभिन्न राज्य स्तरीय हाकी प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। 3. भारतीय जूनियर हाकी चयन समिति के सदस्य (1998) 4. वर्ष 2001 में भारतीय सीनियर हाकी टीम के चयन समिति के सदस्य
13.	श्रीमती शारदा पुर्डिया सदस्य	हांयर सैकण्डरी	राज्य स्तरीय खो-खो, थ्री बाल, कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लिया	महिला क्रिकेट के विकास में सक्रिय योगदान
14.	श्री शिवचरण माली सदस्य	एम.ए.	इन्टर कॉलेज हॉकी एवं क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लिया	जिला क्रिकेट संघ करौली के सचिव तथा जिला क्रीडा परिषद्, सवाईमाधोपुर के उपाध्यक्ष रहे हैं
15.	श्री अशोक पाटनी सदस्य	एम.कॉम.	—	प्रतियोगिताओं का आयोजन एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-67 का विवरण) परिशिष्ट-1

प्रशासन गांव के संग-2001 में

विभिन्न विभागों द्वारा शिविरों में सम्पादित किये जाने वाले मुख्य-मुख्य कार्यों का विवरण

1. राजस्व विभाग

1. नामान्तरण खोलना एवं तस्दीक करना।
2. आबंटित राजकीय भूमि पर नियमानुसार गैर खातेदार कृषकों को खातेदारी अधिकार प्रदान करना।
3. कृषि प्रयोजन हेतु राजकीय भूमि का आबंटन एवं राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमणों का नियमन।
4. कृषि प्रयोजनार्थ पूर्व में आबंटित भूमि के कब्जे देना एवं रिकार्ड में इन्द्राज करना।
5. कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण के लिए 1992 के नियमों के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्राप्त कर जांच व निस्तारण करना।
6. पास बुक का आदिनांक करना व शेष रहे कृषकों का विवरण करना।
7. राजस्व रिकार्ड की कृषकों को मौके पर प्रतिलिपि उपलब्ध करना।
8. ग्रामीण क्षेत्र में बसी पुरानी आबादियों का नियमितिकरण, बाड़े एवं मकानों का नियमितिकरण।
9. ग्राम पंचायतों को आबादी हेतु राजकीय भूमि के आबंटन हेतु पहचान कर आरक्षण करना।
10. जनपयोग प्रयोजनः—स्कूल, चिकित्सालय, धर्मशाला आदि के लिये राजकीय भूमि का वर्तमान आवश्यकतानुसार आबंटन एवं भविष्य के लिये आरक्षण।
11. रास्तों का रिकार्ड में इन्द्राज करना।
12. कृषि भूमि पर निर्मित कुएं का नियमितिकरण करना।
13. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, की धारा 53(2) के अन्तर्गत कृषि जोतों के विभाजन के मामलों का निपटारा।
14. पत्थरगढ़ी/सीमाज्ञान के प्रार्थना-पत्रों का पंजीयन।
15. जाति/मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करना।

16. विभिन्न संस्थाओं को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पूर्व में आबंटित भूमि के उपयोग का भौतिक सत्यापन कर यह ज्ञात करेंगे कि भूमि आबंटित किए जाने वाले उद्देश्य के उपयोग में आ रही है अथवा नहीं उपयोग में न आने की स्थिति में ऐसे आबंटन निरस्त करने के प्रस्ताव तैयार करना।

17. नवीन राजस्व ग्राम बनाने के प्रस्ताव तैयार करना।

18. अनुसूचित जाति/जनजाति की भूमि के अवैध हस्तान्तरण के प्रकरणों की पहचान करने एवं उन्हें वास्तविक कब्जा उनकी भूमि पर दिलाने की कार्यवाही करना।

19. राजस्व विभाग द्वारा जारी नागरिक अधिकार-पत्र पर हुए क्रियान्वयन के बारे में आम जनता को हुए लाभ के सम्बन्ध में जानकारी लेना तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का निपटारा करना।

2. ग्रामीण विकास विभाग

1. इंदिरा आवास योजना (नई)
2. इंदिरा आवास योजना (क्रमोन्नत)
3. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)
4. ऋण व अनुदान योजना (सीसीएस)
5. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना
   (अ) व्यक्तिगत स्वरोजगारी
   (ब) स्वयं सहायता समूल
   (स) निर्मित दुकानों का आबंटन
   (द) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संचालित एग्रावि/एस.जी.एस.वाई. के लाभान्वितों के लिये योजना।
6. काम के बदले अनाज योजना।

3. पंचायती राज विभाग

1. आवासीय भूखण्ड आबंटन।
2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना।
3. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना।
4. बालिका समृद्धि योजना।

5. जन्म-मृत्यु पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना।

6. भवन रहित विद्यालयों की सूचना संकलन।

7. छात्र संख्या अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों की सूचना संकलन कार्य।

4. समाज कल्याण विभाग

मुख्य कार्य बिन्दु

(1) पेंशन योजना

अ. वृद्धावस्था

ब. विधवा

स. नि:शक्त

(2) नि:शक्त कल्याण योजना

अ. परिचय पत्र उपलब्धता

ब. चिकित्सा प्रमाण-पत्र जारी करना

5. चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य कार्य बिन्दु

(1) स्वास्थ्य परीक्षण

(2) मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष हेतु वितरण

(3) मेडिकल रिलीफ कार्ड वितरण

(4) प्रसूति सहायता हेतु प्रार्थना पत्र वितरण

(5) आयर फोलिक एसिड गोलियों का वितरण

(6) निरोध का वितरण

(7) ओ.आर.एस. पैकेट्स का वितरण

6. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

मुख्य कार्य बिन्दु

(1) अन्त्योदय योजना

(2) अन्नपूर्णा योजना

(3) राशन कार्ड में यूनिट जोड़ना

7. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

मुख्य कार्य बिन्दु

(1) पाइप लाइन बदलने, टूट-फूट लीकेज शिकायत का निराकरण

(2) हैण्ड पम्प मरम्मत

8. शिक्षा विभाग

मुख्य कार्य बिन्दु

(1) भवन रहित विद्यालय की सूचना का संकलन

(2) छात्र संख्या अनुसार विद्यालयों में शिक्षकों की सूचना संकलन कार्य

9. सहकारिता विभाग

मुख्य कार्य बिन्दु

(1) सहकारिता विभाग को योजनाओं की ऋण पत्रावलियां तैयार करना

(2) महिला सहकारी समितियों/ग्राम सहकारी समितियों में सदस्यता वृद्धि हेतु आवेदन पत्र तैयार करना

(3) आगामी रबी फसल के लिए कृषि अनुदान प्रार्थना पत्र तैयार करना

(4) नए बनाए गए सदस्यों को क्रेडिट कार्य वितरण करना

10. महिला एवं बाल विकास विभाग

मुख्य कार्य बिन्दु

(1) आंगनबाड़ी एवं सहायिका का चयन

(2) शेष आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु स्थान का निर्धारण

(3) केन्द्र भवन हेतु स्थान का निर्धारण

(4) आंगनबाड़ी केन्द्र के पास हैण्ड पम्प हेतु स्थान का निर्धारण

(5) पीड़ित महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह एवं अन्य महिलाओं हेतु ऋण सहायता

11. पशुपालन व डेयरी विकास विभाग

मुख्य कार्य बिन्दु

(1) टीकाकरण

(2) चिकित्सा

(3) कृत्रिम गर्भाधान

(4) बंध्याकरण

12. सिंचाई विभाग

मुख्य कार्य बिन्दु

(1) अवाप्त भूमि के स्वीकृति मुआवजे के भुगतान करना

(2) अवाप्त भूमि के मुआवजे की स्वीकृति जारी करना

13. उद्योग विभाग

मुख्य कार्य बिन्दु

1. राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी एवं इच्छित व्यक्तियों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु मार्गदर्शन दिया जायेगा

14. ऊर्जा विभाग

मुख्य कार्य बिन्दु

(1) विद्युत सप्लाई में व्यवधान सम्बन्धी समस्याएं निपटाना

(2) मीटर बाक्स सम्बन्धी समस्याएं निपटाना

(3) त्रुटिपूर्ण मीटर सम्बन्धी समस्याएं निपटाना

(4) जले हुए ट्रांसफार्मर बदलने में विलम्ब का निराकरण

(5) मौके पर जमीन में रखे ट्रांसफार्मर को यथास्थान रखना

(6) ढीले तारों को ठीक करना

(7) विद्युत सम्बन्ध जारी होने व विच्छेद होने में विलम्ब से सम्बन्धित समस्याओं का निपटारा

(8) समझौता समिति द्वारा जारी किये गये निर्णयों में विलम्ब तथा निर्णयों को लागू करना

(9) लोड सम्बन्धी समस्याएं निपटाना

(10) नागरिक अधिकार पत्र की जानकारी देना

(11) त्रुटिपूर्ण विद्युत विपत्र जारी होने एवं देर से प्राप्त होने बाबत समस्याओं का निराकरण करना

15. सार्वजनिक निर्माण विभाग

मुख्य कार्य बिन्दु

(1) विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की मौके पर जानकारी उपलब्ध कराकर प्रचार-प्रसार सम्बन्धी कार्य किया जायेगा

16. सैनिक कल्याण विभाग

मुख्य कार्य बिन्दु

(1) भूतपूर्व सैनिकों के पहचान पत्र बनाना

(2) भूतपूर्व सैनिकों के भूमि विवादों के प्रकरण

(3) बकाया सम्मान भत्ता/मासिक सहायता का भुगतान

(4) कारगिल पैकेज से सम्बन्धित प्रकरण

(5) भूतपूर्व सैनिकों की अन्य समस्याएं

17. अल्प बचत विभाग

मुख्य कार्य बिन्दु

(1) शिविर दिवस पर राशि विनियोजन

(2) अल्प बचत अभिकर्त्ता बनाने सम्बन्धी कार्य

परिशिष्ट "2"

प्रशासन गांव के संग 2001 में विधान सभा क्षेत्र भिनाय के पंचायत शिविरों में 31.10.2001 तक सम्पादित किये गये कार्यों का विवरण

(1)	नामान्तरण कार्य कुल 1308 निस्तारण 1308		
	गैर खातेदारी से खातेदारी कुल 475 निस्तारण 475		
	कृषि प्रयोजन से राजकीय भूमि का आबंटन एवं अतिक्रमण का नियमन	आबंटन एस.सी., वर्ग	क्षेत्रफल
		79	35.43 हैक्टेयर
		एस.टी. वर्ग	क्षेत्रफल
		11	8.07 हैक्टेयर
		अन्य-247	क्षे. 120.90 हैक्टेयर
(2)	कृषि प्रयोजनार्थ पूर्व में आबंटित भूमि के कब्जे देना व रेकार्ड में इन्द्राज करना		शून्य
(3)	कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ से संपरिवर्तन	आवासीय	रकबा
		6	2731.46 मीटर
		वाणिज्यिक	
		4	0.16 मीटर
(4)	राजस्व रेकार्ड की नकले	107	
(5)	पंचायतों को आबादी विस्तार हेतु आरक्षण		4.79 हैक्टयर
(6)	जनोपयागी प्रयोजनो हेतु भूमि का आबंटन एवं आरक्षण		11
(7)	आर.टी.ए. की धारा 53(2) विभाजन के मामलों का निस्तारण		12
(8)	जाति प्रमाण पत्र		469
(9)	मूल निवास प्रमाण पत्र		843
(10)	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना		
	व्यक्तिगत स्वरोजगारी	57 राशि	16.35 लाख

(11) निर्मित दुकानों का आबंटन	निर्मित दुकानें	आबंटन	उपयोग में आ रही दुकानें
	70	63	53

(12) काम के बदले अनाज योजना, कार्यशील श्रमिकों की संख्या 30

पंचायती राज विभाग

आवासीय भूखण्ड आबंटन	95
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	04
राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	69
बालिका समृद्धि योजना	40
जन्म मृत्यु प्रमाण-पत्र	58

समाज कल्याण विभाग

पेंशन वृद्धावस्था	66
विधवा	59
निःशक्त	23
परिचय पत्र उपलब्ध कराना	13

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किए गए व्यक्तियों की संख्या	1073
वितरित किये गये मेडिकल रिलीफ कार्ड	15
प्रसूति सहायता हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्र	82
वितरित की गई आपर-को लिंक एसिड गोलियों की संख्या	10370
वितरित किये गये निरोध की संख्या	2365
वितरित किये गये ओ.आर.एस. पैकेट्स	142
अन्य	9

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

हैण्ड पम्प मरम्मत		पंचायत क्षेत्र 6		अन्य क्षेत्र 14

सहकारिता विभाग	**तैयार आवेदन**	**क्रेडिट कार्ड वितरण**
सहकारिता विभाग की योजनाओं की ऋण पत्रावलियां तैयार करना	113	10
महिला सहकारी समितियों/ग्राम सहकारी समितियों में सदस्यता में वृद्धि हेतु आवेदन पत्र	140	04
नये बनाये गये सदस्यों को क्रेडिट कार्ड वितरण करना	25	8

महिला एवं बाल विकास विभाग	**निस्तारण**	**शेष**
आंगनबाड़ी एवं सहायिका का चयन	38	—
शेष आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु स्थान का चयन	—	01
केन्द्र भवन हेतु स्थान का निर्माण	19	5
आंगनबाड़ी केन्द्र के पास हैण्ड पम्प हेतु स्थान का निर्धारण	19	4
पीड़ित महिलाओं एवं स्वयं सहाय समूह एवं अन्य महिलाओं हेतु ऋण सहायता	04	—

पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग		
पशुपालन विभाग		03
पशुओं को टीकाकरण	754	
चिकित्सा	524	
कृत्रिम गर्भाधान	07	
बन्धयाकरण	61	
अन्य	2448	

ऊर्जा विभाग	
विद्युत सप्लाई में व्यवधान सम्बन्धी समस्या	02

मीटर बाक्स सम्बन्धी समस्या	01
त्रुटिपूर्ण मीटर सम्बन्धी समस्या	01
ढीले तारों को ठीक करना	06
विद्युत सम्बन्ध जारी होने व विच्छेद वापस होने में विलम्ब तथा निर्णयों को लागू करना	06
समझौता समिति द्वारा जारी किये गये निर्णयों में विलम्ब तथा निर्णयों को लागू करना	01
लोड सम्बन्धी समस्या	02
त्रुटिपूर्ण विद्युत विपत्र जारी होने व देर से प्राप्त करना	02

इन मामलों में सूचित समय सीमा निर्धारित कर सूचित किया गया

अल्प बचत विभाग

शिविर दिवस पर विनियोजन	3.87 लाख
अल्प बचत अभिकर्ता हेतु आवेदन	10 निस्तारण 2 शेष 8

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

राजस्थान पर्यटन निगम के होटल व मिडवेज में आतिथ्य सत्कार पर व्यय

68. श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम और होटल निगम के होटल्स एवं मिडवेज पर राजकीय आतिथ्य प्रदान करने के लिए क्या कोई नियम बने हुये हैं? यदि हां, तो नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नियम के अन्तर्गत राजकीय आतिथ्य प्रदान करने के लिए किस स्तर तक के अधिकारी सक्षम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में किन-किन को किस-किस के आदेश से कहां-कहां राजकीय आतिथ्य प्रदान किया गया एवं उक्त पर कितना व्यय हुआ? विवरण नाम, तिथि, व्यय राशि तथा स्वीकृति प्रदानकर्त्ता के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम एवं होटल निगम के होटल्स एवं मिडवेज पर राजकीय आतिथ्य प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य अतिथि नियम, 1991 में प्रावधान है। उक्त नियमों के प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट ''क'')

(2) उक्त नियम के अन्तर्गत राजकीय आतिथ्य प्रदान करने के लिए स्थाई आदेश के अनुसार विभिन्न स्तर के अधिकारी सक्षम हैं? स्थाई आदेश की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट ''ख'')

(3) गत तीन वर्षों (दिनांक 01.04.1998 से 31.03.2001) में जिन-जिन व्यक्तियों को राजस्थान पर्यटन विकास निगम एवं होटल निगम के मिडवेज पर राजकीय आतिथ्य प्रदान किया गया है, उनकी सूची संलग्न हैं।

(प्रतियां व सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

कूंचोली (राजसमन्द) जलग्रहण क्षेत्र में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान

69. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप निदेशक जलग्रहण एवं भू-संरक्षण राजसमन्द द्वारा नाथद्वारा इकाई के अन्तर्गत कूंचौली जलग्रहण क्षेत्र में वाटरशैड का कार्य करवाया था? क्या वर्ष 1996 में कराये गये कार्य का भुगतान श्रमिकों को अब तक नहीं किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि यूजर्स कमेटियों द्वारा अनधिकृत रूप से कराये गये कार्यों की विभागीय स्तर पर जांच हो चुकी है तथा प्रथमदृष्ट्या दोषी पाये गये अधिकारी

(श्री मांगीलाल गरासिया)

कर्मचारियों के स्पष्टीकरण भी मांगे गये और उक्त दोषियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से अनधिकृत रूप से कराये गये वाटरशैड कार्य में श्रमिकों को उनकी किस गलती से मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है? क्या श्रमिक अपनी मजदूरी की राशि प्राप्त करने के लिए गम्भीर अकाल का सामना करते हुए चार वर्ष से भटक रहे हैं? क्या सरकार उक्त मजदूरों की वेदना को समझते हुए मजदूरों को मजदूरी भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि उप निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण राजसमन्द द्वारा नाथद्वारा इकाई के अन्तर्गत कूंचोली जलग्रहण क्षेत्र में वाटरशैड कार्य करवाया गया था। वर्ष 1996 में जारी कार्यादेशों के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों पर देय मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है।

(2) यूजर्स कमेटियों द्वारा अनधिकृत रूप से कराये गये कार्यों की विभागीय स्तर पर जांच हो चुकी है एवं दोषी कर्मियों के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम-16 के तहत कार्यवाही की जा रही है।

(3) श्रमिकों के भुगतान सम्बन्धी प्रकरण विचाराधीन है।

जिला सीकर में वार्ड बॉय के रिक्त पद

70. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में स्थाई वार्ड बॉय के कितने रिक्त हैं?

(2) क्या यह सही है कि निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं ने अपने पत्र क्रमांक 407 दिनांक 6.3.1997 के द्वारा सीकर के अधीन दिनांक 31.12.1992 को स्थाई वार्ड बॉय के 35 पद रिक्त होने की सूचना सरकार को भेजी थी? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग में स्थाई वार्ड बाय के 252 पद रिक्त हैं।

(2) अतारांकित प्रश्न संख्या 1185/ चिकित्सा/अता. द्वारा माननीय श्री महादेव सिंह, सदस्य राजस्थान विधान सभा के प्रश्न के भाग-3 के उत्तर में विभाग ने अपने पत्र क्रमांक : 407 दिनांक : 6.3.1997 के द्वारा सीकर के अधीन दिनांक : 31.12.1992 को स्थाई वार्ड बाय के 35 पद रिक्त होने की सूचना दर्शायी थी। प्रति संलग्न है।

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान-जयपुर

क्रमांक : योजना/विसशा/एफ.जी.2(2)/97/407 दिनांक : 6.3.1997

सहायक शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
(ग्रुप-3) राजस्थान, जयपुर।

विषय : अतारांकित प्रश्न संख्या 1185/चि.म./अता. द्वारा श्री महादेव सिंह, विधायक। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/स्थगन प्रस्ताव द्वारा श्री.................... बाबत्..

सन्दर्भ : आपका पृष्ठांकन संख्या प. 9(22)/चि.स्वा./ग्रुप-3/97/दिनांक : 5.3.97

महोदय,

उपरोक्त विषय में आपके द्वारा चाही गई वांछित सूचना इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
एस.डी./-
निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर।

अतारांकित प्रश्न संख्या 1185/चिकि/अता/द्वारा श्री महादेव सिंह, विधायक, राजस्थान विधान सभा

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह सही है कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक : प.10(21) चिस्वा./3/85 दिनांक : 22.1.1986 व निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांक : ई-12/एम/संघ/91/2088 दिनांक : 22.11.1991 एवं मा.राज. उच्च न्यायालय जयपुर खण्डपीठ अपील सं. 185/93 सरकार बनाम रामप्रताप व अन्य में दिये गये निर्णय दिनांक : 19.5.1993 के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में च.श्रे.क. (वार्डबॉय/स्वीपर) के पदों पर नियमित नियुक्ति करते समय पूर्व में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार नियुक्ति में प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश हैं?	1. जी नहीं। वर्णित दोनों परिपत्रों एवं निर्णयों के अनुसार अंशकालीन एवं दे.वे.मो. दोनों को ही समान रूप से प्राथमिकता देने के निर्देश हैं।
2. क्या किन्हीं नियमों/निर्देशों/निर्णयों के अनुसार च.श्रे.क. (वार्ड बॉय) के पदों पर नियमित नियुक्तियां करते समय अंशकालीन कर्मचारी से पहले दे.वे.भो. कर्मचारियों को नियुक्ति से प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त प्रावधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।	2. जी नहीं। अंशकालीन व दे.वे.भो. कर्मचारियों की नियुक्ति में समान रूप से प्राथमिकता देने का प्रावधान है।
3. दिनांक 31.12.1992 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सीकर में स्थाई वार्डबाय के कितने पद रिक्त हैं?	3. दिनांक 31.12.1992 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सीकर के अधीन स्थाई वार्डबॉय के 35 पद तथा स्वीपर्स के 10 पद रिक्त हैं।

4. दिनांक 31.12.1992 तक सीकर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कितने लोक अंशकालीन वार्डबॉय (च.श्रे.क.) के पद पर कार्य कर चुके थे उनके नामों की सूची मय कार्य अवधि (कब से कब तक) का विवरण सदन की मेज पर रखें।

4. दिनांक 31.12.1992 तक सीकर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सीकर में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर तैयार की गई अंशकालीन वार्डबॉय/स्वीपर्स की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

5. वर्ष 1994 में सीकर जिले में कितने स्थाई वार्डबॉय के रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गई और उनमें सीकर जिले में कितने अंशकालीन कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई?

5. यह है वर्ष 1994 में सीकर जिले में निदेशालय के पत्रांक : ई-12/एम/52/94/60 दिनांक: 18.1.1994 के द्वारा 47 स्थाई वार्डबॉय/स्वीपर्स की रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गई थी जिनमें से सीकर जिले से 6 वार्डबॉय तथा 2 स्वीपर्स नियुक्त किये गये हैं जो अंशकालीन कर्मचारी थे।

6. क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय जयपुर के परिपत्र क्रमांक : ई-12/लूज/96/369 दिनांक 13.2.1996 के द्वारा सीकर जिले में काफी समय से रिक्त पड़े वार्डबॉय के 50 पदों को अतिशीघ्र भरने के निर्देश दिये गये थे? यदि हां, तो क्या उक्त पद भरे जा चुके हैं? यदि नहीं तो उन्हें कब तक भर दिया जावेगा?

6. जी हां। यह पद भरे नहीं जा सके क्योंकि बीच में ही राज्य सरकार द्वारा भर्ती पर रोक लगा दी गई।

7. क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के उपरोक्त परिपत्र की पालना में अलवर, टोंक व अन्य जिलों में स्थाई वार्डबॉय व स्वीपर्स के रिक्त पद अंशकालीन कर्मचारियों के माध्यम से भरे जा चुके हैं?

7. अलवर, टोंक व अन्य जिलों में राज्य सरकार द्वारा एवं निदेशालय द्वारा जारी परिपत्रों तथा विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों की अनुपालना में गठित चयन समिति द्वारा नियमानुसार च.श्रे. पदों (वार्डबॉय/स्वीपर्स) के पदों पर भर्ती/नियुक्ति की गई है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-1185 द्वारा श्री महादेवसिंह, विधायक के प्रश्न में भाग (4) की सूची

क्र.सं.	नाम पात्रता	कब से	कार्य अवधि कब तक
1	2	3	4
1.	रामोवतार पुत्र श्री रामेश्वर लाल ब्राह्मण, पो. चला, जिला-सीकर	5.3.1991	से 7.7.1992 तक
2.	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री मनीराम बड़ा तालाब रोड, सीकर	5.6.1992	से 31.12.1992 तक
3.	श्री सागरमल गूजर पुत्र श्री प्रहलादराम नि. पांचूबरकड़ा, जिला सीकर	11.3.1992	से 31.3.1992 तक
4.	श्री गिरधारी लाल बलाई पुत्र साधू राम मु.पो. भादवासी जि. सीकर	14.6.1991	से 1.6.1992 तक
5.	श्री गणपतराम पुत्र श्री छोटूराम सैनी मु.पो. नर्सिंगपुरा वाया गुहाला, सीकर	4.2.1991	से 30.5.1992 तक
6.	श्री नरपतसिंह पुत्र श्री खेमसिंह पो. नर्सिंगपुरा वाया गुहाला, सीकर	10.9.1990	से 9/92 तक
7.	कैलाशचन्द पुत्र हरिप्रसाद म.पो. मलाकी ढाणी सीकर	2/91	5/92
8.	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री सेढूराम ग्रा.पो. पलथना सीकर	10/90	से 4/92
9.	श्री प्रहलाद पुत्र जगदीश प्रसाद योगी मु.पो. शाहपुरा, सीकर	1/92	से 31.12.1992
10.	श्री दशरथ सिंह पुत्र लादुसिंह	16.8.1990	से 11.8.1992
11.	श्री भगवानराम सैनी पुत्र मालीराम सैनी, मु. पो. ढाणी बावली पो. गुवाला सीकर	16.7.1991	से 14.2.1992
12.	श्री बरदीराम पुत्र छोटूराम बलाई, मु.पो. पलसाना, सीकर	30.6.1988	10/92
13.	श्री छोटूराम पुत्र शंकरलाल बलाई, मु.पो. कोलिड़ा, सीकर	8/90	से 7/92

1	2	3	4
14.	श्री कानाराम पुत्र छोटूराम बलाई, मु.पो. पलसाना, सीकर	6/92	से 11/92
15.	मामराज पुत्र सांवतराम बलाई, नि.पिपराली, सीकर	10/92	से 31.12.1992
16.	संतोषकुमार सैनी पुत्र श्री कजोड़मल, ढाणी-वाकली, पो. मुवाला, सीकर	4/91	से 5/92
17.	श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री सांवर सिंह शेखावत, मु.पो. नर्सिंगपुरा, जिला सीकर	6/90	से 4/92
18.	रामोतार पुत्र श्री शिवनाथसिंह, पुलिस का मौहल्ला, नीमकाथाना	22.6.1992	से 31.12.1992
19.	रामजीलाल पुत्र श्री नारायणलाल स्वीपर नि.चला, सीकर	23.12.1991	से 23.9.1992
20.	राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री ज्ञानसिंह, नि.हिरणा, तह.फतेहपुर, सीकर	16.9.1991	से 30.8.1992
21.	अशोक कु. शर्मा, श्री गन्नीराम शर्मा	5.6.1992	से 31.12.1992
22.	श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल नि. अजीतगढ़, सीकर	24.11.1992	से 31.12.1992
23.	श्रीमती मिश्रीदेवी हरिजन मु.पो. ढाबला, सीकर	10/89	से 31.12.1992
24.	श्री रामावतार पुत्र श्री रामेश्वरलाल नि. चौकड़ी तह. नीमकाथाना जिला सीकर	23.6.1991	से 22.5.1992

राजकीय विभागों/उपक्रमों में टेलीफोन व्यवस्था के सम्बन्ध में निदेश

71. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा दिनांक 23 जनवरी, 2001 को परिपत्र जारी कर राजकीय विभागों/उपक्रमों को निर्देश दिया गया था कि नया कनेक्शन लेते समय भारत संचार निगम लिमिटेड एवं प्राइवेट फर्म मै. श्याम टेलीलिंक लिमिटेड का समान रूप से उपयोग किया जावे। यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 11 जून, 2001 को भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार के सभी राजकीय विभागों के लिये विशेष छूट का पैकेज जारी किया गया था। यदि हां, तो किन परिस्थितियों में विभाग द्वारा दिनांक 21 जून, 2001 को एक अन्य परिपत्र जारी किया गया। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जारी परिपत्र में स्पष्ट निर्देश क्यों नहीं दिया गया कि राजकीय विभागों द्वारा नया कनेक्शन लेते समय अथवा दूर संचार विभाग के टेलीफोन को हटाने से पूर्व भारत संचार निगम लिमिटेड एवं मै. श्याम टेलीलिक दोनों से उनकी दरों और सुविधाओं के बारे में प्रस्ताव मांगे जावें। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि मुख्य महा प्रबन्धक भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा उपलब्ध करवाये गये टेलीफोन के बिलों पर 11 प्रतिशत छूट दिये जाने का पत्र प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो राज्य सरकार को वित्तीय लाभ का प्रस्ताव प्राप्त होने पर भी प्राइवेट फर्म मै. श्याम टेलीलिंक लिमिटेड के टेलीफोन क्यों लिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि शासन सचिवालय में दूर संचार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये टेलीफोन के स्थान पर प्राइवेट फर्म मै. श्याम टेलीलिंक लिमिटेड के टेलीफोन लगाने से पूर्व भारत संचार निगम लिमिटेड से वित्तीय प्रस्ताव नहीं मंगवाये गये। यदि हां, तो क्यों। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट ''क'' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। बोर्ड ओफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट (BIDI) की मीटिंग में हुए निर्णय के आधार पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21-6-2001 को परिपत्र जारी किया गया है। परिपत्र परिशिष्ट ''ख'' पर उपलब्ध है।

(3) परिपत्र दिनांक 21.6.2001 में ऐसे निर्देश दिये गये हैं।

(4) जी हां। मै. श्याम टेलीलिंक लिमिटेड द्वारा भी 11 प्रतिशत छूट दी जा रही है।

(5) जी नहीं, भारत संचार निगम लिमिटेड से प्रस्ताव मंगाये गये हैं।

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक-प. 5(3) साप्र/3/98 जयपुर, दिनांक 23 जनवरी, 2001

परिपत्र

इस विभाग द्वारा जारी पूर्व समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.8.2000 के क्रम में राजकीय विभागों/उपक्रमों आदि में दूर संचार विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये टेलीफोनों के उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं, जिनके अनुसार राजकीय विभागों/उपक्रमों आदि में दूर संचार विभाग के समान ही मै. श्याम टेलिलिंक लिमिटेड कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये टेलीफोनों का उपयोग भी समान रूप करवाया जा सकेगा। उक्त परिपत्र में दरों की सूचना पृथक से जारी करना भी अंकित किया गया था।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि राजकीय विभागों/निगमों/मण्डलों व राजकीय उपक्रमों आदि में यदि सरकारी विभागों अथवा निगम/मण्डल आदि जब भी नया टेलीफोन कनेक्शन लेवें, उस समय भारत संचार निगम लिमिटेड व मै. श्याम टेलिलिंक लिमिटेड की प्रचलित दरों व सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेवें, परन्तु मै. श्याम टेलीलिंक लिमिटेड को आदेश उसी स्थिति में देवें, यदि उनकी दरें व सुविधाएं भारत संचार निगम लिमिटेड की दरों से कम अथवा बराबर हो।

ह./-
(विनोद जुत्शी)
शासन सचिव

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : प.5(3) साप्र/3/98 जयपुर, दिनांक : 21-6-2000

परिपत्र

इस विभाग द्वारा जारी पूर्व समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.8.2000 एवं दिनांक 23.1.2001 के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के विभागों/निगमों/मण्डलों आदि में जब भी नया टेलीफोन कनेक्शन लिया जाये, उस समय भारत संचार निगम लिमिटेड व मैसर्स श्याम टेलिलिंक लिमिटेड की प्रचलित दरों व सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेवें, परन्तु मैसर्स श्याम टेलिलिंक लिमिटेड को आदेश उसी स्थिति में देवें, यदि उनकी दरें व सुविधाएं भारत संचार निगम लिमिटेड की दरों से कम अथवा बराबर हों।

उक्त निर्णय के साथ राज्य सरकार द्वारा अब यह भी निर्णय लिया गया है कि :—

1. मैसर्स श्याम टेलिलिंक लिमिटेड से राज्य सरकार के विभागों/निगमों द्वारा टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड के समान दर्जा दिया जावेगा। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार एवं इसके निगमों, मण्डलों, राजकीय उपक्रमों के वर्तमान में स्थापित कनेक्शन भी मैसर्स श्याम टेलिलिंक लिमिटेड के द्वारा बदले जा सकेंगे। इसके बदलने आदि का राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित निगम/मण्डल/राजकीय उपक्रम आदि द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
2. राजस्थान सचिवालय भवन के भारत संचार निगम लिमिटेड के सीधे कनेक्शन बदलने की स्वीकृति सामान्य प्रशासन विभाग जारी करेगा।
3. विभागों के मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों अथवा उनके तहत आने वाले राजकीय निगमों मण्डलों/राजकीय उपक्रमों आदि के सम्बन्ध में टेलीफोन कनेक्शन बदलने की स्वीकृति सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा की जावेगी।
4. जब भी पुराने टेलीफोन कनेक्शन बदले जाने की स्वीकृति दी जावे, उस समय स्वीकृति जारी करने हेतु सक्षम विभाग यह परीक्षण कर सुनिश्चित कर लेवें कि मैसर्स श्याम टेलिलिंक लिमिटेड के टेलीफोन सेवाओं की दरें भारत संचार निगम लिमिटेड से अधिक न हो और उनके द्वारा दी जा रही सुविधाएं भारत संचार निगम लिमिटेड के समकक्ष अथवा बेहतर हो।

ह./-
(विनोद जत्शी)
शासन सचिव

भेड़ प्रजनन फार्मों का मूल्यांकन

72. श्री कालूलाल खोईवाल (गंगरार) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में भेड़ प्रजनन फार्मों का अध्ययन, मूल्यांकन कराया गया था ?

(2) क्या उक्त अध्ययन में मूल्यांकन विभाग ने भेड़ प्रजनन कार्यों के कार्य परिणामों पर विपरीत टिप्पणी की थी? यदि हां, तो उक्त टिप्पणियों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई। यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त पर अब कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। सुझावात्मक टिप्पणी दी गई है। मूल्यांकन विभाग की टिप्पणी अनुसार एक ही फार्म पर पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से भेड़ प्रजनन फार्म, जयपुर एवं चित्तौड़गढ़ को बन्द कर जानवरों को फतेहपुर फार्म पर स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(3) सुझावानुसार कार्यवाही की जा रही है।

जिला झुंझुनूं व सीकर के राजस्व क्षेत्र में चैजा पत्थर व बजरी के विक्रय कर निर्धारण में अनियमितता

73. डा.किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यही सही है कि वाणिज्यिक कर विभाग बीकानेर द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2001 को जिला झुंझुनूं व सीकर के राजस्व क्षेत्र के अधिकार में चैजा पत्थर एवं बजरी पर विक्रय कर संग्रह करने का वर्ष 2000 से 2001 तक एक वर्ष की अवधि के लिए 354.46 लाख रुपये आरक्षित राशि पर निविदाएं आंमत्रित की गई थी। यदि हां, तो कितने निविदादाताओं ने निविदाएं दी ?

(2) क्या यह भी सही है कि बिना संशोधित निविदा की सूचनाएं समाचार पत्रों में जारी किये आपसी मिलीभगत से जिला झुंझुनूं व सीकर के राजस्व क्षेत्र में चैजा पत्थर व बजरी के विक्रय कर संग्रह आरक्षित राशि 354.46 लाख रुपये से घटाकर 285 लाख रुपये कर एक ठेकेदार को ठेका आबंटन किया गया है? यदि हां, तो किन नियमों के अनुसार ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस क्रम में केवल एक निविदादाता द्वारा निविदा दी गयी थी।

(2) जी नहीं। आरक्षित राशि रुपये 354.46 लाख से घटाकर रुपये 285.21 लाख में ठेका देने की प्रक्रिया में कोई आपसी मिलीभगत नहीं की गई है बल्कि राजस्व हित में विभागीय स्तर पर गठित कमेटी को अभिशंसा के अनुरूप ठेका आबंटित किया गया है। उक्त आबंटन निविदा की शर्त संख्या 5 व निविदा/संविदा की निबन्ध को शर्त संख्या 8 के अनुसार किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में महाविद्यालय की स्थापना

74. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने सरकारी व निजी क्षेत्र में नये महाविद्यालय खोले जाने के कोई मानदण्ड बना रखे हैं? क्या विधान सभा क्षेत्र बाड़ी का कस्बा बाड़ी महाविद्यालय खोले जाने के मानदण्ड पूरे करता हैं? यदि हां, तो क्या सरकार महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक।

(2) क्या सरकार बाड़ी के डांग क्षेत्र के पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुये मानदण्डों में शिथिलता देते हुये उक्त क्षेत्र में सरकारी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) राज्य में सरकारी व निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोले जाने के निर्धारित मानदण्ड परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध हैं। जी नहीं।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट "1"

नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु निर्धारित मानदण्ड

नये महाविद्यालय की स्थापना से पूर्व मास्टर प्लान के अनुसार निम्न निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने आवश्यक है :

1. प्रस्तावित स्थान से 20 किलोमीटर की परिधि में कम से कम पांच सीनियर सैकण्डरी विद्यालय संचालित हों, ताकि महाविद्यालय में प्रस्तावित विषयों में विद्यार्थी उपलब्ध हो सकें।
2. प्रस्तावित स्थान से 30 किलोमीटर की परिधि में अन्य कोई महाविद्यालय संचालित नहीं हो। यह शर्त सम्भागीय मुख्यालयों एवं औद्योगिक शहरों में लागू नहीं होगी।
3. प्रस्तावित स्थान अन्य सभी दृष्टियों से उपयुक्त हो।
4. महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु भवन आदि की उपयुक्त व्यवस्था उपलब्ध हो।
5. निजी महाविद्यालय के लिये महिला शिक्षा कालेज हेतु 10 लाख रुपये तथा सह शिक्षा के महाविद्यालय हेतु 25 लाख रुपये पांच वर्षीय सावधि खाते में जमा हों।

सैनिक विधवा की आबंटित भूमि का खरीद प्रकरण

75. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चेलाकी-चौपानकी तहसील, तिजारा (अलवर) में मिस्टी मिडोज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सड़क के साथ लगती हुई सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है? क्या सरकार ने उक्त फर्म द्वारा तामीर की हुई चारदीवार को तोड़ने की घोषणा की थी? क्या उक्त अतिक्रमण हटा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त फर्म ने श्रीमती सोमलता बेवा श्री महावीर प्रसाद ग्राम महशरा सैनिक की विधवा की भूमि को उसके नाम दाखिल खारिज होने से पहले ही जरिये इकरारनामा क्रय कर लिया? क्या उक्त बेचान से भू-आबंटन की शर्तों का उल्लंघन हुआ है? क्या उक्त विधवा को उक्त भूमि जीवनयापन के लिये दी हुई थी? क्या सरकार उक्त भू-आबंटन को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। मिस्टी मिडोज प्राइवेट लिमिटेड की खोतेदारी भूमि ग्राम चौपानकी में है। इस खातेदारी भूमि के मध्य में अलग-अलग स्थानों पर नाले के रूप में 18 बीघा 16 बिस्वा सिवाय चक भूमि गै.मु. नाला स्थित है, जो मौके पर पड़त के रूप में है। मिस्टी मिडोज़ द्वारा सड़क के सहारे-सहारे एक तरफ खातेदारी भूमि एवं बीच-बीच में पड़ने वाली सरकारी भूमि में होकर पक्की दीवार निर्माण कर रखी है। जो कि सड़क के लेवल में है तथा तारों द्वारा फैंसिंग कर रखी है, जो अतिक्रमण की तारीफ में आता है।

उक्त फर्म द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की गई थी। किन्तु इसी दौरान कार्यवाही प्रारम्भ करते ही न्यायालय मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट तिजारा द्वारा दिनांक 7.11.2000 को स्थगन आदेश देने के कारण कार्यवाही रोकनी पड़ी। स्थगन आदेश जारी है। जैसे ही स्थगन आदेश खारिज होगा अतिक्रमण हटा दिया जायेगा।

(2) श्रीमती सोमलता बेवा श्री महावीर प्रसाद ग्राम महेशरा द्वारा दिनांक 28.3.1998 को दो इकरारनामे श्री बसन्त कुमार पुत्र लालचंद बंसल तथा श्री रूप कुमार पुत्र लालचंद बंसल महाजन नि. तावडू (हरियाणा) के पक्ष में उप पंजीयक टपूकड़ा के कार्यालय में निष्पादित कराये गये, जो गैर खातेदारी नामान्तरकरण के पूर्व कराये गये श्रीमती सोमलता द्वारा उक्त बेचान से भू-आबंटन की शर्तो को उल्लघंन हुआ है। श्रीमती सोमलता बेवा श्री महावीर सिंह राजपूत नि.महेशरा को जिला कलक्टर अलवर के आदेश राजस्व/501-505 दि.17.3.1998 के द्वारा ग्राम हरचंदपुर तहसील तिजारा की आ.ख.नं. 160/291 रकबा 5 बीघा का आबंटन बतौर शहीद विधवा को राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आबंटन) नियम, 1970 के तहत कृषि प्रयोजनार्थ किया गया। भू-आबंटन नियमों का उल्लघंन होने पर तहसीलदार तिजारा द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आबंटन) नियम, 1970 के

(राजस्व मंत्री)

नियम 14(4) के तहत प्रार्थना पत्र अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के न्यायालय में दिनांक 22.10.1999 को प्रस्तुत किया गया है। जो न्यायालय में जैरकार है।

राजस्थान पर्यटन निगम/होटल निगम के सम्बन्ध अंकेक्षण आक्षेपों पर कार्यवाही

76. श्री यशवन्त सिंह (नदबई) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पर्यटन निगम एवं होटल निगम के वित्तीय एवं अन्य कार्यों के सम्बन्ध में महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण आक्षेपों में से कितने अंकेक्षण आक्षेपों पर कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है और कितनों पर कार्यवाही होना शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आक्षेप कब से विचाराधीन हैं और विलम्ब के क्या कारण है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वित्तीय एवं अन्य कार्यो के सम्बन्ध में महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण आक्षेपों की संख्या दिनांक 1.4.2001 को 185 थी। चालू वर्ष में 15 आक्षेप और प्राप्त हुए तथा 20 आक्षेप निरस्त कराये गये। इस प्रकार दिनांक 31.10.2001 को कुल 67 प्रतिवेदन तथा 180 पैराज बकाया है। बकाया आक्षेपों का वर्षवार विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	बकाया पैराज
1983-84	04
1985-86	04
1986-87	11
1987-88	02
1988-89	02
1989-90	11
1990-91	06
1991-92	01
1992-93	07
1993-94	03
1994-95	24
1995-96	02
1996-97	16
1997-98	26
1998-99	28
1999-2000	24
2000-01	09
कुल योग	**180**

राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड जयपुर के वित्तीय एवं अन्य कार्यों के सम्बन्ध में महालेखा परीक्षक के कुल 34 अंकेक्षण आक्षेपों में से 16 पर कार्यवाही पूर्ण कर महालेखा परीक्षक द्वारा निरस्त कर दिये गये है। अब मात्र 18 अंकेक्षण आक्षेपों पर कार्यवाही होनी शेष है। विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

उत्तर

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम के सन्दर्भ में लेख है कि आक्षेपों का गठन एवं निस्तारण एक नियमित प्रक्रिया है। आक्षेपों की अनुपालना यथासमय महालेखाकार को भेज दी जाती है, किन्तु अनेक कारणों से उन्हें निरस्त होने में समय लग जाता है। वर्तमान 180 आक्षेपों में से 8 आक्षेपों की अनुपालना महालेखाकार कार्यालय में विचाराधीन है। शेष आक्षेपों की अनुपालना भी यथासमय भिजवा दी गई थी, किन्तु महालेखाकार द्वारा कतिपय टिप्पणियों के साथ लौटा दी गई हैं, जिनकी अनुपालना की जा रही है।

राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड के उक्त आक्षेप वर्ष 1994-95 से बकाया है जिनके जवाब समय-समय पर महालेखा परीक्षक को भिजवाये जा चुके है अतः विलम्ब होने का कोई कारण नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड जयपुर के अंकेक्षण आक्षेपों का विवरण

क्र.सं.	कार्यालय	निरीक्षण प्रतिवेदन की अवधि	पैरा की कुल संख्या	निरस्त हुये पैरा की संख्या	शेष बकाया पैरा
1	2	3	4	5	6
1.	प्रधान कार्यालय, जयपुर	1995-96	5	3	2
		1996-97	2	1	2
		1997-99	2	-	2
		योग	**9**	**4**	**5**
2.	होटल, खासा कोठी, जयपुर	1997-99	5	-	5
		योग	**5**	**-**	**5**
3.	होटल आनन्द भवन, उदयपुर	1994-95	11	10	1
		1995-96	5	2	3
		1997-99	4	-	4
		योग	**20**	**12**	**8**
		महायोग(1 से 3)	**34**	**16**	**18**

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिणधरी (बाड़मेर) में रिक्त पद

77. श्री गोपाराम मेघवाल (सिवाना) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिणधरी जिला बाड़मेर में चिकित्सकों व मेल नर्स II के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं उक्त पदों में से कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिणधरी जिला-बाड़मेर में चिकित्सकों के एवं मेल नर्स-द्वितीय के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नप्रकार है :—

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	चिकित्सक	8	4
2.	मेल नर्स-द्वितीय	6	-

(2) जी हां। पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं एवं सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियुक्ति में आरक्षण में व्याप्त अनियमितता

78. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियुक्ति में आरक्षण दिये जाने के लिए क्रिमीलेयर लागू किया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जिन अधिकारियों पर क्रिमीलेयर लागू होता है उनके आश्रितों ने जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सरकारी नियुक्ति ले ली है? यदि हां, तो सरकार ने ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की? क्या सरकार उक्त प्रकरणों की जांच एवं रोक लगाने की दिशा में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो उसके बारे में जांच करवायी जाकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

अवैध शराब के कार्य में लिप्त वाहनों से वसूल जुर्माना राशि

79. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनवरी, 2001 से सितम्बर, 2001 तक विभाग ने कुल कितने वाहनों को शराब का अवैध संचालन करते हुये पकड़ा और उक्त में कौन-कौन से वाहन थे तथा उनमें कितनी-कितनी मात्रा शराब थी?

(2) उक्त पकड़ गये वाहनों पर कितना-कितना जुर्माना किया गया?

उत्तर

(1) जनवरी, 2001 से सितम्बर, 2001 तक राज्य में आबकारी विभाग द्वारा कार्यवाही कर 436 वाहनों को पकड़ा गया।

(आबकारी मंत्री)

वाहनों का विवरण परिशिष्ट-1 के अनुसार हैं, इन वाहनों से 3,38,827,160 बल्कि लीटर शराब पकड़ी गई।

(2) आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब का संचालन करते पकड़े गये वाहनों से उक्त अवधि में 84,87,867 रुपये का जुर्माना किया गया।

परिशिष्ट "1"

पकड़े गये वाहनों का प्रकार एवं संख्या

क्र.सं.	वाहनों का प्रकार	वाहनों की संख्या	बरामदगी (बल्क लीटर)
1-	बस	5	185.750
2-	ट्रक	66	243551.035
2-	जीप/कार	148	69954.272
3-	मारुति कार	24	7591.000
5-	मोटर साइकिल	41	863.080
6-	स्कूटर	34	850.230
7-	टेम्पो	13	1773.370
8-	ट्रैक्टर	15	9697.150
9-	ऊंटगाड़ी/बैलगाड़ी	1	24.000
10-	टाटा सूमो	9	2368.190
11-	मोपेड	37	704.910
12-	साइकल	40	388.180
13-	अन्य	3	870.000
	कुल	**436**	**332827.160**

प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय लखजी का बास के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का निस्तारण

80. श्री हरीश चन्द (नावां) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम हीराणी पंचायत समिति कुचामन के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लखजी का बास में कार्यरत प्रधानाध्यापक की शिकायत की जांच के सम्बन्ध में सम्भागीय आयुक्त, अजमेर द्वारा उप खण्ड अधिकारी, परबतसर को निर्देश प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो उप खण्ड अधिकारी द्वारा भिजवाई गई रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रधानाध्यापक के विरुद्ध गबन करने के सम्बन्ध में पुलिस में कोई प्रकरण दर्ज हुआ है? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा की जा रही है?

(3) क्या ग्राम पंचायत हीराणी द्वारा सम्भागीय आयुक्त को प्रधानाध्यापक को

(श्री हरीश चन्द)

हटाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा गया है? क्या सम्भागीय आयुक्त द्वारा उक्त का स्थानान्तरण कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त स्थानान्तरण कहां किया गया है व उसकी अनुपालना में इन्हें कब रिलीव किया गया? क्या स्थानान्तरण आदेश की अनुपालना हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जांच प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। थानाधिकारी, कुचामन सिटी द्वारा प्रकरण की तफतीश की जा चुकी है।

(3) जी हां। श्री हाफ़िज खान, प्रधानाध्यापक, रा.प्रा.वि., लखजी का बास, पं.सं. कुचामन का स्थानान्तरण टोंक जिले में किया जाकर, इन्हें दिनांक 20.10.2001 को जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) टोंक के लिए कार्य मुक्त किया जा चुका है तथा जिला शिक्षा अधिकारी, टोंक द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बोसरिया, पं.सं. अलीगढ़ (टोंक) में पदस्थापन किया जा चुका है।

लाडनूं (नागौर) में अनुसूचित जाति की भूमि पर जबरन काश्त

81. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी भूमि किसी सवर्ण के नाम से स्थानान्तरित नहीं होती है? क्या उक्त सम्बन्ध में राजस्व न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करके मामलों को उलझाया जा रहा है? यदि हां, तो उसके लिये सरकार ने क्या कदम उठाये है?

(2) क्या यह भी सही है कि कस्बा लाडनूं, जिला नागौर के एक सवर्ण द्वारा अनुसूचित जाति की भूमि पर जबरन काश्त करने के मामले में तहसीलदार द्वारा कानूनी बेदखली के आदेश के बावजूद वर्षों से उक्त आदेश की तामील नहीं हो रही है यदि हां, तो सरकार उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी?

(3) क्या सरकार राजस्व मण्डल को ऐसे आदेश पारित करेगी कि अनावश्यक रूप से न्यायालयों के बहाने हस्तक्षेप नहीं करें? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो, क्यों जब कि राजस्व न्यायालय खातेदारी परिवर्तन कर ही नहीं सकते?

उत्तर

(1) जी हां। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि किसी सवर्ण जाति के नाम हस्तान्तरित किये जाने पर राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम, 1955 की धारा 42(बी) के तहत प्रतिबन्ध है। इस प्रावधान के विपरीत हस्तान्तरित प्रकरणों में राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम, 1955 की धारा 175 व 183(बी) के अन्तर्गत राजस्व न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जाती है।

(2) मालूराम रैगर अनुसूचित जाति के सदस्य के प्रार्थना-पत्र गैर अनुसूचित जाति के सदस्य श्री गोमाराम माली के विरुद्ध मुकदमा संख्या 12/97 दिनांक 2.7.1997 को राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम, 1955 की धारा 183(बी) के तहत न्यायालय तहसीलदार लाडनूं के यहां दर्ज किया गया। तत्पश्चात् यह मुकदमा तहसीलदार डीडवाना के न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया दिनांक 3.11.1997 को तहसीलदार डीडवाना ने धारा 183(बी) के अन्तर्गत निर्णय पारित कर श्री गोमाराम माली को श्री मालूराम रैगर की भूमि से बेदखल कर दिया। उक्त निर्णय

(राजस्व मंत्री)

के विरुद्ध श्री गोमाराम माली ने अतिरिक्त कलक्टर, डीडवाना के यहां अपील प्रस्तुत की। इस अपील संख्या 107/97 में दिनांक 30.5.1998 को तहसीलदार का निर्णय दिनांक 3.11.1997 अतिरिक्त कलक्टर द्वारा निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार डीडवाना को रिमाण्ड किया गया। अतिरिक्त कलक्टर, डिडवाना के निर्णय दिनांक 30.5.1998 के विरुद्ध राजस्व मण्डल, अजमेर में श्री गोमाराम माली ने निगरानी प्रस्तुत की। यह निगरानी संख्या 165/98 राजस्व मण्डल में विचाराधीन है, जिसमें सुनवाई को आपकी तारीख 7.12.2001 निर्धारित है।

(3) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम एवं राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत अपील, रिविजन एवं रिव्यू के विभिन्न प्रावधान दिये हुए है। जिसके अन्तर्गत प्रभावित व्यक्ति राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राहत हेतु अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

जिला नागौर में खरीफ की फसलों में छेदक कीट प्रकोप से राहत हेतु छिड़काव

82. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में कुल कितने हैक्टेयर भूमि में वर्ष 2001-2002 के दौरान खरीफ की फसल की बुवाई की गई और कितनी-कितनी भूमि में कौन-कौनसी फसलें बोई गई? सूची विवरण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान खरीफ की फसल के दौरान पत्ती छेदक कीट का प्रकोप उक्त जिले में बहुतायत से हुआ? यदि हां, तो उक्त कीट को नष्ट करने हेतु विभाग द्वारा क्या उपाय किये गये और कितनी फसलों का कितना आर्थिक नुकसान किसानों को हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला नागौर में खरीफ 2001 में विभागीय अनुमान अनुसार 11,00,700 हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई की गई। विवरण निम्नप्रकार है :—

1.	बाजरा	3,70,430 हैक्टेयर
2.	ज्वार	45,000 हैक्टेयर
3.	दलहन	4,65,910 हैक्टेयर
4.	तिलहन	38,350 हैक्टेयर
5.	कपास	5,200 हैक्टेयर
6.	अन्य फसले	1,55,510 हैक्टेयर
कुल बोया गया क्षेत्र		**11,00,700 हैक्टेयर**

(2) खरीफ 2001 में नागौर जिले में कपास एवं मूंग की फसलों में फली छेदक कीट का प्रकोप हुआ। इस कीट का कपास की फसल में 5,200 हैक्टेयर एवं मूंग की फसल में 75,000 हैक्टेयर क्षेत्र में औसतन 2-5 प्रतिशत तक प्रकोप रहा। विभाग द्वारा इस कीट के नष्ट करने हेतु कृषक गोष्ठियां, समाचार पत्रों में अपील एवं कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क कर तकनीकी जानकारी दी गई। इस आधार पर सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्र में कीट नियंत्रण का कार्य कराया गया। इसके साथ ही लघु/सीमान्त कृषकों को 110 हैक्टेयर क्षेत्र में कीटनाशक रसायन पर 50 प्रतिशत अनुदान देकर भी कीट नियंत्रण कार्य कराया। इस कीट से इन फसलों के उत्पादन में मात्र 1.5 से 2 प्रतिशत कमी आने की अनुमान है।

विधान सभा क्षेत्र करौली के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

83. श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं सब सेन्टरों में चिकित्सकों/विशेषज्ञों/कम्पाउण्डरों एवं ए.एन.एम. के कितने कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं?

(2) उक्त रिक्त पदों से क्या ग्रामीण जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों का भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र करौली के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक संवर्ग एवं नर्सिंग संवर्ग के रिक्त पदों की सूची चिकित्सा संस्थानवार संलग्न है। (एनेक्चर "अ")

(2) चिकित्सा संस्थानों में जहां पद रिक्त है, वहां पदस्थापित अन्य चिकित्सा कर्मियों द्वारा तथा जहां एक ही पद स्वीकृत व रिक्त है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के यथासम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

पदौन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर एवं सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदो को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मासलपुर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1
	–	वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
		चिकित्सा अधिकारी	1
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कंचनपुर	प्रसाविका	1
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर	महिला स्वास्थ्य दार्शिका	–
4.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, ताली	प्रसाविका	1
5.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, जमूरा	प्रसाविका	1
6.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, नीमरीपुरा	प्रसाविका	1
7.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, पिपरानी	प्रसाविका	1
8.	उप स्वास्थ्य केन्द्र, डाडा	प्रसाविका	1

तारांकित प्रश्न संख्या-84 (स्थगित)

जिला सीकर में संचालित अवैध शराब दुकानों की रोकथाम

85. श्री अमराराम (धोद) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में शराब की दुकान स्वीकृत करने के क्या मानदण्ड हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सीकर में देशी एवं देश निर्मित विदेशी शराब की स्वीकृत दुकानें एवं उप दुकानें कितनी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री अमराराम)

(3) वर्तमान में एक दुकान स्वीकृति पर लाइसेंसदार से वर्णित क्या शुल्क वसूला जाता है?

(4) जिला सीकर में ठेकेदार कितनी अवैध दुकानें चला रहे हैं? सरकार उक्त की रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही कर रही है?

(5) उक्त जिले में गत एक वर्ष में कितने छापे मारे गए तथा कितने व्यक्तियों का चालान पेश किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में शराब की दुकानें स्वीकृत करने के सम्बन्ध में आबकारी बंदोबस्त वर्ष 2001-02 के अन्तर्गत राज्य को 29 समूह में विभक्त कर इनका ठेका प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अनुज्ञाधारियों के नाम स्वीकृत किया गया है। अनुज्ञाधारी अपने क्षेत्र में निर्दिष्ट संख्या में दुकानें परिशिष्ट-1 में दर्शाई शर्तों के अनुरूप प्रारम्भ कर सकते है। निर्धारित मानदण्ड की प्रति संलग्न है।

(2) सीकर जिले में स्वीकृत देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा की कुल 216 दुकानें स्वीकृत हैं। स्वीकृत दुकानों की सूची परिशिष्ट-2 के अनुसार संलग्न है।

(3) वर्तमान आबकारी नीति के अन्तर्गत अलग-अलग दुकानें स्वीकृत करने का प्रावधान नहीं है तथापि निविदा-प्रपत्र में अंकित संख्या तक दुकान स्वीकृति के लिए एकाकी विशेषाधिकार राशि के अलावा अन्य कोई शुल्क वसूल नहीं किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में देशी मदिरा की दुकानों पर भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर बेचने की अनुमति होती है तथा इस हेतु 15,000/- प्रति दुकान कम्पोजिट फीस वसूल की जाती है।

(4) सीकर जिले में ठेकेदार द्वारा वर्तमान में अवैध शराब की दुकान चलाने सम्बन्धी कोई सूचना नहीं है। मदिरा की अवैध बिक्री के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराकर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(5) सीकर जिले में वर्ष 2000-2001 में समय-समय पर 160 छापे मार कर इन सभी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किये गये है। सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

पंचायत समिति जवाजा (अजमेर) में कराये गये निर्माण कार्य

86. श्री के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दसवें वित्त आयोग की योजना अन्तर्गत पंचायत समिति जवाजा (अजमेर) में कहां-कहां कितने कार्य कराये गये और कुल कितनी राशि उक्त पर व्यय की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों में से अधिकतर कार्य ठेके पर कराये गये। यदि हां, तो कुल कितनी लागत के कार्य किन प्रावधानों के अन्तर्गत कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) टी.एफ.सी.(दसवां वित्त आयोग) योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति, जवाजा में कराये गये कार्यो एवं उन पर व्यय राशि की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति, जवाजा में ठेके पर कोई कार्य नहीं कराया गया।

कार्यालय पंचायत समिति जवाजा (जिला-अजमेर)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि टीएफसी/ एसएफसी	अकाल (राशि लाखों में)	योग	व्यय राशि टीएफसी/एसएफसी श्रम	सामग्री	अकाल श्रम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बस स्टेण्ड भवन बुजारेल	बराखन	1.00	—	1.00	52110	39208	—	91318
2.	सामुदायिक भवन मेड़िया	बराखन	1.17	—	1.17	48065	67071	—	115136
3.	ग्राम लबूरी में सीमेंट सड़क	बामनहेड़ा	1.50	—	1.50	35520	104400	—	137920
4.	रा.उ.प्रा. वि. बामनहेड़ा के गेट से बीरम की होटल तक खरंजा	बामनहेड़ा	0.50	—	0.50	25730	24250	—	49900
5.	प्रा.वि. बड़ाखेड़ा से पानी की टंकी तक सीमेंट सड़क	बड़ाखेड़ा	1.50	—	1.50	46810	103050	—	149860
6.	बीण गांव से मुख्य सड़क से खुमानजी के घर तक सीमेंट सड़क व खरंजा	बनजारी	1.00	—	1.00	53427	45488	—	98915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	समापा में खरंजा निर्माण	बनजारी	1.00	—	1.00	50585	49350	—	99935
8.	डाबा की खेजड़ी में एनीकट	बनजारी	2.00	—	2.00	97670	100583	—	198253
9.	रपट काजवे निर्माण शेरों का बाला	तारागढ़	2.00	—	2.00	77811	110100	—	187911
10.	रपट काजवे निर्माण रूढाणा बीण	तारागढ़	2.00	—	2.00	84852	107564	—	192410
11.	सीमेंट सड़क तारागढ़ से शेरों का बाला	तारागढ़	2.00	—	2.00	66478	132263	—	198741
12.	लस्सानी 11 के मोहल्ले में खरंजा व सीमेंट सड़क	रावतमाल	2.00	—	2.00	70685	128691	—	199376
13.	सीमेंट सड़क जालिया रूपावास	सूरजपुरा	2.00	—	2.00	57305	140695	—	198000
14.	सीमेंट सड़क बनारखेड़ा	सूरजपुरा	2.00	—	2.00	58500	141000	—	199500
15.	प्रभु के घर से चौराहा व मोहन सुबेदार के घर तक सीमेंट सड़क व खरंजा निर्माण	सूरजपुरा	1.00	—	1.00	56080	43755	—	99835
16.	सामुदायिक भवन भोपो का बाड़िया भूरियाखेड़ा खुर्द	बडकोचरा	2.00	—	2.00	77379	115397	—	192776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	धोली घाटी निर्माण	बडकोचरा	2.00	—	2.00	81317	117120	—	198437
18.	ओराया तालाब की नहर मोरी निर्माण	बडकोचरा	1.00	—	1.00	49807	50000	—	99807
19.	खातेला तालाब की मोरी नहर निर्माण	बडकोचरा	1.00	—	1.00	43832	56000	—	99832
20.	बगड़ेता से बिहार की माता तक सड़क	बडकोचरा	1.50	—	1.50	48800	100000	—	148800
21.	रूपाणा गांव से सीमेंट सड़क व नाली	जवाजा	2.00	—	2.00	49000	150400	—	199400
22.	पुनेरा माताजी के स्थान से पास भवन	जवाजा	1.00	—	1.00	32980	66820	—	99800
23.	बारह क्वार्टर के पास सेप्टिक टेंक व शौचालय निर्माण	जवाजा	1.00	—	1.00	31980	64894	—	96874
24.	चक्की से आवास सं. 4 तक सीमेंट खरंजा	जवाजा	0.80	—	0.80	29498	50000	—	79498
25.	सामुदायिक भवन बाड़िया नंगा	देवाता	1.17	—	1.17	52074	64926	—	117000
26.	शिक्षाकर्मी विद्यालय में एक कमरा बरा.	देवाता	1.37	—	1.37	61711	71446	—	133157
27.	मा.वि. नाईकलां में कमरा बरा सामुदायिक भवन	नाईकलां	1.70	—	1.70	63075	92925	—	156000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.	अमर बावड़ी धोरा नहर	नांइकलां	2.00	—	2.00	87270	112730	—	200000
29.	काबरा काजवे रपट	काबरा	2.00	—	2.00	66645	130280	—	196925
30.	ऊटा का बाड़िया टंकी निर्माण	काबरा	0.50	—	0.50	21684	27098	—	43782
31.	थूनी का थाकपाल वाली सीमेंट खरंजा	कोटड़ा	0.30	—	0.30	5280	23750	—	29030
32.	बाडिया अजबा तालाब की मुख्य वीयर वालकार्य	कोटड़ा	2.00	—	2.00	85074	111739	—	196813
33.	बीओबी कोटडा से धुगलिया तक सीमेंट सड़क निर्माण	कोटड़ा	1.00	—	1.00	40612	42237	—	82849
34.	आवधाकी नाडी पक्का डण्डा एनिकट बाडिया गेना	कोटड़ा	2,00	—	2.00	99885	100630	—	199855
35.	सामुदायिक भवन खेड़ापतीकुड़ा	दुर्गावास	1.37	—	1.37	4770	89054	—	136954
36.	सीमेंट सड़क खरंजा वाली निर्माण	दुगार्वास	2.00	—	2.00	46160	150100	—	196260
37.	प्रा.वि. धोलादांता 1 कमरा-1 बरा.	दुर्गावास	1.37	—	1.37	49160	86337	—	135497
38.	पानी की टंकी निर्माण खेड़ापटीकड़ा	दुर्गावास	0.50	—	0.50	17240	30978	—	48218
39.	भैसापा में मोरी धोरा निर्माण	किशनपुरा	2.00	—	2.00	77120	122880	—	200000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	बाडिया लम्बा एनिकट की खेली व प्लास्टर का कार्य	किशनपुरा	0.30	—	0.30	9840	18150	—	27990
41.	प्रा.वि. रोडिखेड़ा कमरा + बरामदा	किशनपुरा	1.37	—	1.37	43300	83041	—	126341
42.	नहारपुरा बस स्टेण्ड से गांव तक सी. सड़क	सरवीना	2.00	—	2.00	66897	133050	—	199947
43.	मुस्तार्क के घर से हनुमान मन्दिर तक	राजियावास	2.00	—	2.00	60550	138889	—	199439
44.	सार्व. पन. कालिंजर से प्रा.वि. कालिंजर तक जल वितरण टंकी निर्माण	राजियावास	1.50	—	1.50	49685	100000	—	149685
45.	श्मशान नाड़ी पर डण्डा निर्माण	राजियावास	2.00	—	2.00	49160	150840	—	200000
46.	नाथा बाबा की नाड़ी रामदेवजी के मन्दिर के पास, सामुदायिक भवन	अतीतमण्ड	1.00	—	1.00	34500	65500	—	100000
47.	सीमेंट सड़क सांगरबास से बोरडा की हथाई	सुरडिया	1.00	—	1.00	36500	63227	—	99927
48.	चणाकांकर एनिकट सांगरवास	सुरडिया	2.00	—	2.00	97662	102100	—	199762
49.	सीमेंट सड़क निर्माण भोजपुरा	नरबदखेड़ा	1.00	—	1.00	26008	73992	—	100000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	सीमेंट सड़क निर्माण सिवाड़िया	नरबदखेड़ा	1.00	—	1.00	35215	64460	—	99675
51.	सवासिंह के घर से भोजपुरा स्कूल तक सड़क	नरबदखेड़ा	1.50	—	1.50	49340	100650	—	150000
52.	ग्राम के विभिन्न मोहल्लों में सीमेंट सड़क मय नाली-मऊलीपुरा	जालिया-1	1.50	—	1.50	58690	91280	—	149970
53.	ग्राम के विभिन्न मोहल्लों में सीमेंट सड़क मय नाली निर्माण-सोवनिया	जालिया-1	1.00	—	1.00	58690	88150	—	146840
54.	जालिया नाड़ी में डीगा के कुएं के पास काजवे रपट निर्माण	जालिया-1	2.00	—	2.00	73385	126550	—	199935
55.	खारियोधो में एनीकट जालिया-1	जालिया-1	2.00	—	2.00	66770	132650	—	199420
56.	किसान सेवा केन्द्र रामसर बलाइयान	जालिया-1	2.00	—	2.00	55790	142178	—	199968
57.	सामुदायिक भवन मालपुरा	मालपुरा	1.50	—	1.50	46313	108961	—	155274
58.	बायला बस स्टेण्ड में सीमेंट सड़क डिस्पेंसरी तक	मालपुरा	2.00	—	2.00	55680	144220	—	199900
59.	काली माता के स्थान पर सामदायिक भवन	बलाड	1.50	—	1.50	43635	73365	—	117000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.	उर्दूभाषा स्कूल पर एक कमरा निर्माण	बलाड	1.50	—	1.50	43635	72991	—	116626
61.	ब्यावरखास में नाली निर्माण	बलाड	2.00	—	2.00	70495	129505	—	200000
62.	ब्यावरखास में सीमेंट सड़क	ब्यावरखास	2.00	—	2.00	76860	121677	—	198537
63.	सीमेंट सड़क व नाली निर्माण सराधना	ब्यावरखास	2.00	—	2.00	76595	121250	—	197845
64.	सायरीदेवी के मकान में खातियों की खंतोड़ होते हुए सराधना सीमेंट सड़क	ब्यावरखास	1.30	—	1.30	40000	89800	—	129800
65.	पुसाराम भांबी के मकान से मगना भाण्ड के मकान से होते हुए बाड़ों की पाल तक सीमेंट सड़क	ब्यावरखास	1.70	—	1.70	68330	101510	—	169840
66.	सामुदायिक भवन फतहगढ़सल्ला	रूपनगर	1.17	—	1.17	52710	64290	—	117000
67.	रा.प्रा.वि. जोहरखेड़ा मरम्मत कार्य	रूपनगर	0.10	—	0.10	7280	2720	—	10000
68.	रा.प्रा.वि. रूपनगर में रंगमंच	रूपनगर	0.50	—	0.50	9705	22485	—	32110
69.	बस स्टेण्ड फतहगढ़सल्ला में अजमाल के घर तक सीमेंट सड़क	रूपनगर	2.00	—	2.00	58345	116703	—	175048
70.	ऊपरेला वास लोखीना में सीमेंट सड़क	सुहावा	2.00	—	2.00	51485	148036	—	19953

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71.	निचलावास लाखीना में सीमेंट सड़क	सुहावा	2.00	—	2.00	51485	148528	—	200000
72.	बडला चौराहे से सापु. भवतनसी सड़क	सुहावा	1.50	—	1.50	29432	120568	—	150000
73.	ग्राम ठीकराना में नाली निर्माण कार्य	नू. मेन्द्रातान	0.50	—	.50	17310	32685	—	49995
74.	नेशनल हाईवे से सार्व. हथाई एवं केसरसिंह के मकान तक सीमेंट कंकरीट सड़क	नू. मेन्द्रातान	2.00	—	2.00	33500	166269	—	199769
75.	सीमेंट सड़क गणेशपुरा	नू. मालदेव	2.00	—	2.00	67885	104400	—	172285
76.	बाइपास से गोकुल सिंह के मकान तक सीमेंट सड़क गोविन्दपुरा	नू. मालदेव	2.00	—	2.00	72100	126537	—	198697
77.	कोयली के मकान से मंगल सिंह के मकान तक सीमेंट सड़क गणेशपुरा	नू. मालदेव	2.00	—	2.00	72160	122300	—	194460
78.	नाथूसिंह के मकान के पास से नारायण सिंह के मकान तक सीमेंट सड़क गणेशपुरा	नू. मालदेव	1.00	—	1.00	35490	64030	—	99520
79.	ग्राम मोतीनगर में नाली निर्माण	नू. मालदेव	1.00	—	1.00	38980	59224	—	98204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80.	बाइपास से अर्जुनराम के मकान तक सड़क	नू. मालदेव	1.00	—	1.00	38980	60020	—	99000
81.	पंचायत भवन से सोहन सिंह के मकान तक सड़क	नू. मालदेव	1.50	—	1.50	59700	90245	—	159945
82.	सार्व. कुएं से फतह सिंह के मकान तक सड़क	नू. मालदेव	1.50	—	1.50	60620	87521	—	148141
83.	रा.प्रा.वि. मकरेडा में कमरा, बरामदा मय कार्यालय	सरमालिया	2.00	—	2.00	51400	148420	—	199820
84.	सामुदायिक भवन बावड़ी बस्ती	सरमालिया	1.26	—	1.26	40200	85400	—	125600
85.	सामुदायिक भवन लस्सानी।	टेलवाड़ा	1.68	—	1.68	50047	112798	—	162845
86.	पेयजल पाइप लाइन	टाडगढ़	1.00	—	1.00	9580	89432	—	90012
87.	रा.प्रा.वि. मालपुरा में कमरा बरा.	देवाता	0.75	—	0.75	30000	45000	—	75000
88.	सीमेंट सड़क भोजपुरा	नरबदखेड़ा	0.80	—	0.80	29000	50000	—	79000
89.	रा. प्रा. वि., कण्डाल	आसनां	1.28	0.72	2.10	—	120970	71071	192041
90.	रा. प्रा. वि., जैतपुरा	अतीतमण्ड	1.32	0.78	2.10	—	131552	77893	209445

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91.	रा. प्रा. वि., मोडीमगरो	बडकोचरा	1.32	0.78	2.10	—	132295	77587	209882
92.	रा. प्रा. वि., लोधो का बाड़िया	बलाड	1.48	0.62	2.10	—	144489	61491	205980
93.	रा. प्रा. वि., तीकली	बामनहेड़ा	1.445	0.65	2.10	—	144212	64956	209168
94.	रा. प्रा. वि., पाड़ाभगड़	बनजारी	1.38	0.72	2.10	—	138152	71848	210000
95.	रा. प्रा. वि., गंगीया	बराखन	1.37	0.73	2.10	—	136599	73401	210000
96.	रा. प्रा. वि., तिकलीया	बड़ाखेड़ा	1.44	0.66	2.10	—	143963	66037	210000
97.	रा. प्रा. वि., रहमानखेड़ा	ब्यावरखास	1.31	0.79	2.10	—	131246	78754	210000
98.	रा. प्रा. वि., दौलतपुरा बलाइयान	देलवाड़ा	1.30	0.80	2.10	—	129896	80104	210000
99.	रा. प्रा. वि., किशनपुरा	देवाता	1.52	0.58	2.10	—	152085	57915	210000
100.	रा. प्रा. वि., भैरूखेड़ा	दुर्गावास	1.33	0.67	2.10	—	132937	660908	199848
101.	रा. प्रा. वि., बनेवड़ी	जालिया-1	1.35	0.75	2.10	—	133564	73779	207343
102.	रा. प्रा. वि., नयागांव	जवाजा	1.52	0.58	2.10	—	151494	52008	203502
103.	रा. प्रा. वि., खारलाखेड़ा	काबरा	1.48	0.62	2.10	—	147972	61927	209899
104.	रा. प्रा. वि., राजेन्द्रा	किशनपुरा	1.32	0.68	2.10	—	128724	65671	194395
105.	रा. प्रा. वि., चिमनपुरा	कोटड़ो	1.47	0.63	2.10	—	146620	62827	209447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106.	रा. प्रा. वि., बिच्छी का तालाब	लोटियाना	1.46	0.64	2.10	—	145865	64133	209998
107.	रा. प्रा. वि., नया घर	मालातों की बेर	1.57	0.53	2.10	—	156986	53014	210000
108.	रा. प्रा. वि., बरल	नाईकलां	1.36	0.74	2.10	—	135569	74431	210000
109.	रा. प्रा. वि., प्रतापपुरा	नरबदखेड़ा	1.50	0.60	2.10	—	150004	59996	210000
110.	रा. प्रा. वि., विलाती का बाडिया	न. मेन्द्रातान	1.35	0.75	2.10	—	134446	75554	210000
111.	रा. प्रा. वि., रतना पोपो का बाड़िया	नन्द्री मालदेव	1.35	0.75	2.10	—	131324	75006	206330
112.	रा. प्रा. वि., कालिंजर	रौजियावास	1.42	0.68	2.10	—	140877	66380	207237
113.	रा. प्रा. वि., ऊपर का बाड़िया खेडादांती	रावतमल	1.40	0.70	2.10	—	139703	68986	208689
114.	रा. प्रा. वि., छोटी रूपनगर	रूपनगर	1.35	0.75	2.10	—	134161	75190	209351
115.	रा. प्रा. वि., राजपुरा बोचान का बा.	सरवीना	1.43	0.67	2.10	—	142602	67398	210000
116.	रा. प्रा. वि., नयासैर	सरमालिया	1.45	0.65	2.10	—	144542	65458	210000
117.	रा. प्रा. वि., बाड़िया भाऊ	सुहावा	1.45	0.65	2.10	—	145433	64568	210000
118.	रा. प्रा. वि., जालिया दुर्गावास	सुरजपुरा	1.39	0.71	2.10	—	139114	70896	210000
119.	रा. प्रा. वि., खेरिया	तारागढ़	1.39	0.71	2.10	—	138834	70797	209631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120.	रा. प्रा. वि., सोधों का भाडिया	सरडिया	1.32	0.78	2.10	—	131835	76691	208526
121.	रा. प्रा. वि., माला का चौडा	टोंडगढ़	1.46	0.64	2.10	—	145729	62116	207845
122.	रा. प्रा. वि., रामसर	अतीतमण्ड	1.35	0.91	2.26	—	134873	87871	222744
123.	रा. प्रा. वि., धोलादांता	बराखन	1.37	0.89	2.26	—	136739	89061	225800
124.	रा. प्रा. वि., हरराजपुरा	ब्यावरखास	1.38	0.88	2.26	—	137424	75940	213364
125.	रा. प्रा. वि., कानपुरा	देवाता	1.46	0.80	2.26	—	145745	80255	226000
126.	रा. प्रा. वि., सील की टाकडी	मालातो की बेर	1.39	0.87	2.26	—	139139	86861	226000
127.	रा. प्रा. वि., कुम्हारों का बाड़िया	सूरजपुरा	1.47	0.79	2.26	—	146735	79265	226000
128.	पिलानी	सरमालिया	1.37	0.89	2.26	—	136580	88547	225127
	सर्व योग					**4468574**	**13589405**	**2812570**	**20870549**

ग्राम देवगांव (अजमेर) में अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर अतिक्रमण

87. श्री आदराम मेघवाल (टीब्बी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के ग्राम देवगांव, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर में खातेदार श्री पन्ना पुत्र श्री हुक्मा, जाति कोली के नाम खाता संख्या 684 खसरा नं. 2988/4255 रकबा साढ़े चार बीघा बारानी भूमि है? क्या उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति के हैं।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर वर्तमान में सवर्ण जाति एवं पिछड़ी जाति के व्यक्तियों का कब्जा है ? क्या सरकार राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 183 बी. के अन्तर्गत कार्यवाही करके भौतिक कब्जा उक्त अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सम्भलाना चाहती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि आधार भू-जमाबन्दी 2058 के अनुसार खं.नं. 2988/4255 रकबा 0.73 हैक्टेयर भूमि का खातेदार श्री पन्ना पुत्र हुक्मा कोली खातेदार दर्ज है तथा उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति का है।

(2) यह सही है कि ग्राम देवगांव की ख.नं. 2988/4255 रकबा 0.73 हैक्टेयर भूमि पर खातेदार श्री पन्ना पुत्र हुक्मा कोली का कब्जा काश्त नहीं है, मौके की जांच पर उक्त भूमि पर श्री रतन सिंह, राधेश्याम, बनवारी पिसरान हाथीराम दरोगा (पिछड़ी) जाति के व्यक्तियों का है। कब्जेधारियों के कब्जे हटाने के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183(बी) के तहत प्रकरण संख्या 2/2001 तहसीलदार द्वारा दर्ज किया जाकर पक्षकार को सुनवाई हेतु दिनांक 17.11.2000 रखी गई है।

तारांकित प्रश्न संख्या-88 (स्थगित)

पदावनति एवं अधिशेष घोषित करने के निर्धारित मानदण्डों में संशोधन

89. श्री अशोक (खण्डार) एवं **श्री बाबूलाल नागर** (दूदू) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पदों में कटौती के कारण होने वाली पदावनति एवं अधिशेष घोषित करते समय अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के निर्धारित केडर स्ट्रेंथ के अनुसार पद बनाये रखने के सम्बन्ध में दिनांक 15 मई, 2001 को परिपत्र जारी किया है? यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त परिपत्र में पदावनति से सम्बन्धित दिशा निर्देशों में संशोधन की कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। परिपत्र की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। संशोधित परिपत्रादेश दिनांक 4 अक्टूबर, 2001 को जारी किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है। विधि विभाग तथा महाधिवक्ता ने इस बारे में यह राय व्यक्त की थी कि पदावनति के मामले में कनिष्ठतम व्यक्ति को ही पदावनत किया जा सकता है। वरिष्ठ सामान्य वर्ग के व्यक्ति को पदावनत विधि सम्मत नहीं है। विधि विभाग तथा महाधिवक्ता की इस राय के परिपेक्ष्य में पूर्व में जारी परिपत्रादेश को संशोधित करने का निर्णय लिया गया।

राजस्थान सरकार

कार्मिक(क-2)विभाग

क्रमांक :—प 5(1)कार्मिक/क-2/2001 जयपुर, दिनांक 15 मई, 2001

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

2. समस्त सम्भागीय आयुक्त

3. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)

परिपत्रादेश

विषय : पदों की कटौती/समाप्ति होने पर राज्य कर्मियों को अधिशेष घोषित करते समय आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के लिए निर्धारित कोटा रोस्टर के अनुसार बनाये रखने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि पदों की कटौती/समाप्ति होने के फलस्वरूप उस संवर्ग के कनिष्ठतम राज्य कर्मियों को अधिशेष घोषित कर दिया जाता है। कर्मियों को अधिशेष घोषित करते समय यह नहीं देखा जा रहा है कि पदों की कटौती/समाप्ति के फलस्वरूप उस संवर्ग में शेष रहे पदों की संख्यानुसार अनुसूचित जाति/जनजाति को प्रदत्ता आरक्षण के अनुरूप रोस्टर के अनुसार उनका कोटा परिपूर्ण है अथवा नहीं।

इस सम्बन्ध में विधि विभाग के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में किसी भी विभाग में किसी भी संवर्ग के पदों की कटौती/समाप्ति होने पर उस संवर्ग में कार्मियों को अधिशेष घोषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि पदों की समाप्ति अथवा कटौती के फलस्वरूप उस संवर्ग के शेष रहे पदों की संख्या के लिए निर्धारित रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित कोटा विधिवत रूप से परिपूर्ण है अथवा नहीं। यदि रोस्टर के अनुसार आरक्षित वर्ग के कोटे के पदों के विरुद्ध रिक्तियां हैं तो आरक्षित वर्ग के कर्मियों को अधिशेष घोषित नहीं किया जावेगा वरन सामान्य वर्ग के कनिष्ठतम कार्मिकों को अधिशेष घोषित किया जावेगा जिनका उस संवर्ग में निर्धारित कोटे से आधिक्य हो गया है। लेकिन यदि आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित कोटे के विरुद्ध आरक्षित वर्ग के कर्मियों का आधिक्य बनता है तो ऐसी स्थिति में आरक्षित वर्ग के उतने कनिष्ठतम कर्मियों को जो कि उनके लिए निर्धारित आरक्षण कोटे से अधिक है, अधिशेष घोषित किया जावेगा एवं शेष सामान्य वर्ग के कर्मियों को अधिशेष घोषित किया जावेगा।

अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि :—

1. उनके विभागों में पदों की कटौती/समाप्ति होने पर वे उस संवर्ग के शेष रहे पदों की संख्या के अनुसार आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित रोस्टर का ध्यान में रखते हुए, उन कनिष्ठतम कर्मियों को, जिनका निर्धारित अनुपात से आधिक्य बन रहा है, अधिशेष घोषित किया जावे।

2. उपरोक्त वर्णित नीति समान रूप से पदों की कटौती के परिणामस्वरूप कनिष्ठतम कर्मियों की पदावनति करते समय भी अपनाई जानी है।

समस्त नियुक्ति प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित रोस्टर की पूर्ण पालना कर ली गई है।

ह0/-

(अशोक सम्पतराम)

शासन सचिव

राजस्थान सरकार

कार्मिक(क-2)विभाग

क्रमांक प. 5(1)कार्मिक/क-2/2001 जयपुर, दिनांक : 4 अक्टूबर, 2001

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

2. समस्त सम्भागीय आयुक्त

3. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)

परिपत्रादेश

विषय : पदों की कटौती/समाप्ति होने पर राज्य कर्मियों को अधिशेष घोषित करते समय आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) के लिये निर्धारित कोटा रोस्टर के अनुसार बनाये रखने के सम्बन्ध में।

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्रादेश दिनांक 15 मई, 2001 के द्वारा समस्त नियुक्ति प्रधाकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये गये थे कि विभागों में पदों की कटौती/समाप्ति होने पर वे उस संवर्ग के शेष रहे पदों की संख्या के अनुसार आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित रोस्टर को ध्यान में रखते हुए उन कनिष्ठतम कर्मियों को जिनका निर्धारित अनुपात से आधिक्य बन रहा है, अधिशेष घोषित किया जावेगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया था कि यही प्रक्रिया पदावनति करते समय अपनाई जावेगी।

इस सम्बन्ध में विधि विभाग के परामर्श के अब यह निर्णय लिया गया है कि पदों में कटौती के परिणामस्वरूप पदावनति करते समय वरिष्ठता सूची के अनुसार कनिष्ठतम कर्मचारी/अधिकारी को अधिशेष घोषित किया जावेगा न कि उस संवर्ग में निर्धारित कोटे से आधिक्य के अनुसार।

ह0/-

(अशोक सम्पतराम)

शासन सचिव

तारांकित प्रश्न संख्या-90
(स्थगित)

विश्व विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व

91. डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विश्वविद्यालय में कार्यरत अस्थाई शिक्षकों को अध्यादेश द्वारा स्थाई करने की सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो आरक्षण प्रावधानों को कैसे पूरा किया जायेगा?

(2) अब तक आरक्षित वर्ग के बैकलाग को क्यों पूरा नहीं किया गया।

(3) क्या विश्वविद्यालय में शिक्षकों/अधिकारियों की चयन समिति में आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या चयन समिति में उक्त वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोई योजना है।

उत्तर

(1) विश्वविद्यालयों के अस्थाई शिक्षकों का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) राजस्थान विश्विद्यालय जयपुर में वर्ष 1987-88 के पश्चात् शिक्षकों का नियमित चयन नहीं हुआ है। शिक्षकों के नियमित चयन करते समय विश्वविद्यालय द्वारा अब तक आरक्षित वर्ग के बैकलाग को पूरा किया जायेगा।

(3) जी नहीं। चयन समिति का प्रावधान राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक एवं अधिकारी (नियुक्ति हेतु चयन) अधिनियम 1974 की धारा 5 के तहत किया हुआ है, उसी अनुसार चयन समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(4) अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जसोल बाड़मेर के बाढ़ पीड़ितों के भवनों का नियमन

92. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1979 में बाढ़ पीड़ित जसोल (बाड़मेर) ग्राम के निवासियों को जसोल की भाखरी (पहाड़) के समीप ओरण में करीब तीन सौ से चार सौ लोगों को तत्कालीन जिला कलक्टर द्वारा बसाया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि जसोल ग्राम से लगती पहाड़ी के समीप ओरण भूमि में वर्ष 1979 के बाद बाढ़ पीड़ितों के मकान बने हुए? यदि हां, तो उक्त मकानों को नियमित करने हेतु ग्राम पंचायत जसोल ने और राजस्व अभियान दिनांक 2 अक्टूबर को जिला कलक्टर बाड़मेर, प्रभारी जिला बाड़मेर एवं अन्य राजस्व अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में उक्त भूमि ओरण व जिला कब्जा में बसे लोगों के भूखण्डों का नियमन करने हेतु एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने हेतु निर्णय लिया गया। यदि हां, तो राज्य सरकार उक्त भूमि का नियमन करने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत जसोल द्वारा पूर्व में भी राज्य सरकार को उक्त भूमि में बसे हुए जसोल निवासियों के मकानों का नियमन करने और भूमि की किस्म ओरण

(श्री अमराराम चौधरी)

से आबादी में बदलने हेतु लिखा गया था?

(4) क्या भी सही है कि उक्त भूमि को आबादी में परिवर्तित करने हेतु राज्य सरकार के पास राजस्व अभियान के दौरान लिया गया प्रस्ताव प्राप्त हो गया है? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर कब तक कार्यवाही कर ली जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उक्त भूमि पर वर्ष 1979 की बाढ़ के बाद भी लोगों द्वारा लगातार आवासीय प्रयोजनार्थ अतिक्रमण किये जा रहे हैं। प्रशासन गांव के संग अभियान से सम्बन्धित दिनांक 2.10.2001 को जसोल मुख्यालय पर आयोजित शिविर में ग्राम पंचायत जसोल द्वारा ग्राम जसोल की आबादी भूमि विस्तार हेतु भूमि आबंटन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ग्राम पंचायत के उपरोक्त प्रस्ताव पर तहसीलदार पचपदरा एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा के माध्यम से ग्राम जसोल के 11 खसरों में 418.19 बीघा भूमि को आबादी भूमि विस्तार प्रयोजनार्थ आबंटन के प्रस्ताव दिनांक 29.10.2001 को जिला कलक्टर कार्यालय में प्राप्त हुए हैं। जिसका परीक्षण जिला कलक्टर कार्यालय पर विचाराधीन है।

(3) जी हां।

(4) प्रस्ताव जिला कलक्टर स्तर पर प्राप्त हो चुका है। प्रस्तावित भूमि नगरपालिका, बालोतरा के मास्टर प्लान से प्रभावित है। प्रस्ताव पर ज़िला कलक्टर द्वारा कार्यवाही विचाराधीन है।

मलेरिया प्रकोप की रोकथाम

93. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश के किन-किन जिलों में मलेरिया का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है?

(2) राज्य के कौनसे जिले मलेरिया रोग से अधिक प्रभावित हैं?

(3) राज्य सरकार ने उक्त बीमारी को बढ़ने से रोकने और उपचार के लिये विभिन्न जिलों में अब तक क्या कदम उठाये हैं और उठाने जा रही हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश के किसी जिले विशेष में मलेरिया का प्रकोप तेजी से नहीं बढ़ रहा है।

(2) राज्य के 20 जिले मलेरिया रोग से अधिक प्रभावित है, सूची संलग्न है।

(3) मलेरिया रोग की रोकथाम हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाये :—

— मलेरिया कार्यकारी योजना वर्ष 2001 जिसके अन्तर्गत राज्य के विभिन्न स्तरों पर मलेरिया रोधी गतिविधियों का निर्धारण किया गया है, की क्रियान्विति की जा रही है।

— वर्ष 2001 में गत 3 वर्षों के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में मलेरिया रोगियों के आंकड़ों के आधार पर राज्य की 60.94 लाख की जनसंख्या की अति-संवेदनशील मानते हुये मलेरियावाही मच्छरों की रोकथाम

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

हेतु डी.डी.टी. के दो चक्रों (प्रथम चक्र 15 मई से 31 जुलाई, 2001 एवं द्वितीय चक्र 1 अगस्त से 15 अक्टूबर, 2001 तक) में छिड़काव कराया गया है।

— राज्य में मलेरिया क्रेश कार्यक्रम दिनांक 1.4.2001 से 14.5.2001 तक 18 जिलों में चलाया गया, जिसके अन्तर्गत 5 लाख रुपये की धनराशि मलेरिया रोधी गतिविधियों हेतु आबंटित की गई तथा द्वितीय चरण में दिनांक 15.10.2001 से 30.11.2001 तक 20 जिलों (अजमेर, भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, बून्दी, बारां, कोटा, बीकानेर, बांसवाड़ा, चित्तौडगढ़, डूगरपुर, उदयपुर, बाडमेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली) में चलाया जा रहा है? इस चरण हेतु 8.06 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

— माह जून, 2001 को एन्टी-मलेरिया माह के रूप में मानने हेतु आवश्यक रणनीति की योजना बनाई गई तथा जिलों की आई.ई.सी. गतिविधियों को सुदृढ़ करने हेतु 4,40,000 रुपये की धनराशि आबंटित की गई। इसके अतिरिक्त प्रोजेक्ट जिलों को भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप इस हेतु राशि का प्रावधान किया।

— मलेरिया रोग के सर्वेक्षण, निदान एवं उपचार की गतिविधियां सुदृढ़ की गई, जिसके अन्तर्गत बुखार/मलेरिया के रोगियों का निःशुल्क उपचार की व्यवस्था प्रत्येक जिले पर सुदृढ़ की गई।

— प्रत्येक जिले को आवश्यक मात्रा में मलेरिया रोधी औषधियों की आपूर्ति की गई।

— जुलाई माह में राज्य के जिलों में मानसून की स्थिति को देखते हुए मलेरिया फोरकास्ट बुलेटिन निकाला गया तथा जिलों में मलेरिया रोग की स्थिति को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश व कार्यकारी योजना बनाकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।

— इसी क्रम में सितम्बर माह में मलेरिया ट्रेण्ड के अध्ययन व मानसून के साथ सह-सम्बन्ध दर्शाते हुए मलेरिया रोग की रोकथाम की कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये।

— मानसून के पश्चात् राज्य में मलेरिया रोग की रोकथाम की गतिविधियों को बढ़ाने हेतु समस्त जिलों को विस्तृत निर्देश प्रदान किये गये, जिसके अन्तर्गत जिलों विशेष से अधिकारियों/कर्मचारियों को अति-संवेदनशील क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति कर मलेरिया रोग की रोकथाम को सुदृढ़ करने हेतु निर्देशित किया गया।

— जिलों विशेष के मलेरिया रोग की रोकथाम हेतु निदेशक स्तर से उप निदेशक स्तर के प्रभारी अधिकारियों को जिले आबंटित कर मलेरिया रोग की रोकथाम की गतिविधियां गतिशील की जा रही हैं।

— राज्य के 10 जिलों (बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालवाड़ राजसमन्द, सिरोही, उदयपुर) की 34 ब्लॉक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों

(राज्य मंत्री, चिकित्सा)

की 49.50 लाख जनसंख्या में भारत सरकार के द्वारा विश्व बैंक की सहायता से एंहास्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मलेरिया रोधी गतिविधियां सुदृढ़ की जा रही है।

— राज्य स्तर पर सचिव/विशिष्ट शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में नियमित रूप से प्रत्येक गुरुवार को मलेरिया की समीक्षात्मक बैठक आयोजित कर मलेरिया रोग की स्थिति का आकलन करते हुये जिलों विशेष में आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश दिये जाते हैं, इसी क्रम में जिला स्तर पर प्रति सप्ताह मलेरिया रोग की समीक्षात्मक बैठक जिला कलक्टर की अध्यक्षता में की जाती है।

राज्य में मलेरिया रोग से अधिक प्रभावित जिलों के नाम निम्नप्रकार है :-

1. अजमेर
2. बांसवाड़ा
3. बारां
4. बाड़मेर
5. बीकानेर
6. चित्तौड़गढ़
7. डूंगरपुर
8. जयपुर
9. जैसलमेर
10. जालौर
11. जोधपुर
12. झुंझुनूं
13. कोटा
14. नागौर
15. पाली
16. राजसमन्द
17. सीकर
18. सिरोही
19. उदयपुर
20. भीलवाड़ा

धरनावदा बांध कोटा के निर्माण कार्यों में अनियमितता

94. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला कोटा में धरनावदा डैम की खुदाई एवं प्लांटेशन का कार्य स्वीकृत हुआ था? यदि हां, तो कब व कितनी राशि स्वीकृत हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य में भारी अनियमितताएं एवं गबन की शिकायतें प्राप्त होने पर गवर्निंग कौंसिल कोटा की समिति के द्वारा जांच करवाई गई थी? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त समिति की जांच रिपोर्ट में 7-8 लाख रुपये के गबन की रिपोर्ट की गई? क्या उक्त रिपोर्ट के बाद उक्त प्रकरण जांच हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दिया गया है? यदि हां, तो उक्त द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(श्री रामगोपाल बैरवा)

(4) क्या यह भी सही है की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उक्त प्रकरण को इंटेलीजेंस ब्यूरो को जांच हेतु लिखा गया? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में अभी तक क्या कार्यवाही की गई?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने एवं गबन की राशि वसूल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत जिला कोटा में धरनावद तालाब की खुदाई के कार्य की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकस अभिकरण, कोटा के आदेश दिनांक 5.2.1997 के द्वारा राशि रुपये 9.558 लाख की जारी की गई थी। परन्तु प्लांटेशन का कार्य स्वीकृत नहीं किया गया था।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र दानपुर की माही परियोजना के माइनरों का रख-रखाव

95. **श्री भाणजी** (दानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में माही परियोजना की बायीं मुख्य नहर परियोजना में 0 किलोमीटर से 27 किलोमीटर तक कितनी माइनरों की सफाई का कार्य हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उक्त नहर की सफाई करवाने का विचार रखती है। यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में माही परियोजना की बायीं मुख्य नहर 0 कि.मी. से 27 किलोमीटर में सम्वत् 2057 के अकाल राहत कार्य के दौरान मुख्य नहर, वितरिका व 56 माइनरों के सफाई का कार्य हुआ है, तथा 21 माइनरों में आंशिक सफाई का कार्य हुआ है।

(2) जी हां। शेष नहर व माइनरों की सफाई का कार्य काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत दिनांक 20.10.2001 से प्रारम्भ करा दिये गये है।

राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालातालाब (कोटा) के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति

96. **श्रीमती पूनम गोयल** (लाडपुरा) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कालातालाब (कोटा) के भवन निर्माण हेतु पूर्व में कितनी राशि स्वीकृत की गई थी? उक्त राशि की स्वीकृति कब दी गई थी?

(2) क्या उक्त डिस्पेंसरी के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि निरस्त कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(श्रीमती पूनम गोयल)

(3) उक्त भवन के निर्माण हेतु अब कब वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालातालाब (कोटा) के भवन निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राज्य सरकार के पत्र क्रमांक : एफ 13(22) चिस्वा./2/97 दिनांक : 11.8.1997 के द्वारा एवं स्थान के नाम की राज्य स्वीकृति राज्य सरकार के पत्र क्रमांक : पं. 13(22) चिस्वा./2/97 दिनांक : 7.3.1998 के द्वारा जारी की गई। जिसका भवन निर्माण 30.00 लाख रुपये की लागत से सार्वजनिक निर्माण विभाग माध्यम से चरणबद्ध रूप से करवाया जाना था।

(2) जी हां। चिकित्सा विभाग द्वारा प्राथमिक स्वाथ्य केन्द्र कालातालाब के भवन निर्माण की स्वीकृति निरस्त नहीं की गई है।

(3) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-125 की सूची)

परिशिष्ट ''अ''

गत तीन वर्षो में (वर्ष 1998-99, से 2001) जयपुर शहर में स्थित छविगृह- मानप्रकाश/मिनर्वा, प्रेम प्रकाश (दी गोलेछा), मयंक, पोलोविक्ट्री, जैम, राजमंदिर, अंकुर, लक्ष्मीमंदिर, सम्राट, लता, मोतीमहल, सरोज, पारस व पिंकसिटी तथा कस्बा सांगानेर व चाकसू में कोहिनूर, संगम तथा राजटाकीज के निरीक्षण अपर जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर शहर-प्रथम व द्वितीय (उत्तर/दक्षिण), उपखण्ड मजिस्ट्रेड, जयपुर-प्रथम, द्वितीय, पूर्व व दक्षिण से तथा अन्य विभागों सार्वजनिक निर्माण विभाग, वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्य विभाग, जयपुर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जयपुर से कराये गये है।

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-127 की सूची) परिशिष्ट "क"

नामकरण हेतु स्वीकृत प्रस्तावों की सूची

1. नारायणी देवी वर्मा जलाशय, पाचानपुरा।
2. विजय सिंह पथिक सागर, मण्डोल।
3. आचार्य श्रीराम शर्मा जलाशय, डामरी कोटरा।
4. तेजाजी के चौक से वाया बाईपास होकर गंगा बांध तक का साधु सीताराम दास मार्ग।
5. सलावरिया से चांदनी की खेड़ी तिलस्वा तक मोतीचन्द धाकड़ मार्ग।
6. भगवती देवी शर्मा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छोटी बिजोलिया।
7. कन्हैयालाल सुकवाड़िया माध्यमिक विद्यालय बिजोलिया।
8. श्री गोकुल भाई भट्ट स्मृति भवन राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड।
9. रेलवे स्टेशन से चांदपोल दरवाजे तक नामकरण हीरालाल शास्त्री रोड।
10. नानक भील चौराहा, बूंदी।
11. कुम्हेर से ग्राम पपरेरा तक के मार्ग का नाम श्री गिर्राज प्रसाद शर्मा मार्ग।
12. स्व.श्री घनश्याम शर्मा सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय, उच्चेन।
13. स्व.श्री सुखराम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कटारा।
14. कुशलगढ़ बांसवाड़ा- उदयपुर रोड नाका नं. 1 चौराहे का नाम स्व. श्री पन्नालाल त्रिवेदी रखा गया।

परिशिष्ट "ख"

जिला धौलपुर के स्वतंत्रता सैनानियों की सूची

1. स्व. श्री पंचम सिंह, नि.तसीमा, जिला धौलपुर
2. स्व. श्री नानकराम, मु.आरी, उप तह. सेपी, जिला धौलपुर
3. स्व. श्री छुट्टनिया, नि. तसीमो, जिला धौलपुर
4. श्री जगदीश प्रसाद, नि. हलवाई खाना, जिला धौलपुर
5. स्व. श्री पातीराम, नि. तसीमो, जिला धौलपुर

6. स्व. श्री यादराम पुत्र भोलाराम, नि.समीमो, जिला धौलपुर
7. स्व. श्री पन्नालाल पुत्र भथारीला, नि.तसीमो, जिला धौलपुर
8. स्व. श्री गौरे, नि.तसीमो, जिला धौलपुर
9. स्व. श्री गेंदा, जिला धौलपुर
10. स्व. श्री कन्हैया लाल, पुराना शहर, जिला धौलपुर
11. स्व. श्री नरेन्द्र सिंह उर्फ अचल सिंह, नि.मढ़ा, उप तह. सेपऊ, धौलपुर
12. स्व. श्री लाजाराम, जिला धौलपुर
13. स्व. श्री चमन सिंह पुत्र बेला सिंह, जिला धौलपुर
14. श्री युगलदास पुत्र वृन्दावन दास, हवाई खाना कोठी, धौलपुर
15. स्व. श्री डा. विरेन्द्र किशोर, धौलपुर
16. स्व. श्री टुण्डाराम पुत्र जगराम, नि.रहल कचनपुरा बड़ी, धौलपुर
17. स्व. श्री मजबूत सिंह पुत्र पर्वत सिंह, नि. बाड़ी, धौलपुर
18. श्री केदार नाथ पुत्र रामदयाल, मौहल्ला शेखपाड़ा, पुराना शहर, धौलपुर
19. स्व. श्री रामदयाल मार्फत सत्यदेव गुप्ता, शेखपाड़ा, धौलपुर
20. स्व. श्री केशव, धोबी वाड़ा, मु.पो. बाड़ी, धौलपुर
21. स्व. श्री ओमप्रकाश वर्मा, धौलपुर

परिशिष्ट ''ग''

युद्ध में शहीद सैनिकों की सूची

क्र.सं.	नम्बर, रेंक व नाम	पता
1.	7128766 हव. गोकल सिंह	गांव लज्जा की चरेई, पो. सैपऊ, धौलपुर
2.	2887118 रा.मैन कमल सिंह परमार	गांव खोरपुरा, पो. ताजपुर, धौलपुर
3.	2990417 सिपाही कमोद सिंह	गांव धारपुरा, पो. खुरीला, धौलपुर

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 128 की प्रति)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF PERSONEAL

(A-Gr.II)

No.F. 15(24) DOP/A-11/75 Jaipur, Dated : 9.10.2000

CIRCULAR-ORDER

Sub : Treatment of backlog vacanies reserved for SCs and STs as a distinct group and non-applleability of 50% ceiling thereon.

Attention is invited to this Department Circular-Order of even number dated 20-11-1997 where under revised posts based roster to fill up the posts of direct recruitment as well as of promotion was circulated to all Appointing Authorities for operation.

Thereafter a Circular-Order of even number dated 16-09-1998 was further issued wherein it was made clear that until and unless the total cadre position is reached, vacancies arising during a particular year shall be so determined for each category such that reservation of vacancies including backlog vacancies, for SC/ST/OBC does not exceed 50% of the total number of vacancies in that particular year.

As the Article 16(4B) has been incorporated in the Constitution of India by the Constitution (Eighty-First Amendment) Act, 2000 which provides as under :—

> Nothing in this article shall prevent the State from considering any unfilled vacancies of a year which are reserved for being filled up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause (4) or clause (4A) as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years and such class of vacancies shall not be considered together with the vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year."

In pursuance of the provision of Article 16(4B) of the Constitution of India, the State Government has decided to revise the applicability of 50% ceiling on reservation as under :—

The reserved vacancies for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all cases of direct recruitment and promotion, wherever applicable, which have

remained unfilled in the earlier year(s) i.e. backlog and / or carried forward vacancies would be treated as a separate and distinct group and will not be considered together with the Reserved Vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year, In other words, the ceiling of 50% of filling up of reserved vacancies would apply only on the reserved vacancies which arise in the current year and the backlog/carried forward reserved vacancies for SCs/STs of earlier years would be treated as a separate and distinct group and would not be subject to any ceiling.

All the jointing authorities are requested to carry out a review for early assessment of the backlog vacancies in respect of SCs and STs both by way of direct recruitment and promotion and make concerted efforts to fill up backlog vacancies as we as current vacancies as per Rules.

Sd./-

(B.P. ARYA)

Secretary to the Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNEL

No.F.15(24)DOP/A-II/75 Jaipur, dated December 14,2000

1. All Principal Secertaries/Secretaries to Government
2. All Divisional Commissioners
3. All Heads of Departments (including Collectors)
4. All the Departments/Groups/Cells in the Secretariat

SUBJECT : Treatment of backlog vacancies reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes as a distinct group and non applicability of 50% ceiling lereon-review of early assessment of the backlog vacancies and filling up of the backlog vacancies.

Dear Madam/Sir,

With reference to the above-mentioned subject I would like to invite your attention to this department's Circular order of even number dated October 9,2000 whereby it had been clarified that after the coming into force of the Constitution (81st Amendment) Act, 2000 the reserved vacancies for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes both in direct recruitment and promotions which have remained unfilled in the earlier year(s) i.e. backlog and/ or carried-forward vacancies would be treated as a separate and distinct group and will not be considered together with the reserved vacancies of the year in which they are being filled up for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancies of that year. In other words, the ceiling of 50% of filling up of reserved vacancies would apply only on the reserved vacancies which arise in the current year and the backlog/carried for and reserved vacancies for Scheduled Castes/Scheduled Tribes of earlier years would be treated as a separate and disting group and would not be subject to any ceiling.

Vide the above mentioned Circular order all the Appointing Authorities had been directed to carry out a review for early assessment of the backlog vacancies in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes both by way

of direct recruitment and promotion and to make concerted efforts to fill up the backlog vacancies as well as the current vacancies as per the Rules.

It is hoped that you would have completed the exercise for determination of the backlog vacancies for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes both in respect of the direct recruitment quota as well as the promotion quota. Action may be taken immediately for filling up of the identified backlog vacancies for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes. In case the exercise for determination of the backlog vacancies has still not been completed, you are requested to ensure that this exercise is got completed on a TOP PRIORITY basis and, thereafter, action should be taken for filling up of these vacancies through direct recruitment/promotions, as the case may be.

The factual position in this regard may kindly be intimated to this Department at the earliest so that the consolidated position may be submitted for the personal of the Chief Minister.

Yours faithfully,

Sd./-

(Ashok Sampatram)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF PERSONNAL (A-2)

No.F. 15(24) DOP/A-II/75 dated : October 23,2001

To,

All Principal Secretaries to Government
All Secretaries to Government

SUBJECT : Filling up of the backlog vacancies for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes.

Dear Madam/Sir,

Vide Department of Personnel's Circular No.F. 15(24)DOP/A-II/75 dated October 09,2000 it had been clarified that after the 81st amendment in the Constitution of India the restriction of 50 percent in the matter of filling up of the vacancies reserved for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes has been done away with and that after this amendment all the backlog vacancies for these categories are to be treated as a separate block to which this restriction of 50 percent shall not be applicable. All the Principal Secretaries/Secretaries to Government had been requested to identify the backlog vacancies available in the Department under their administrative control and to take action for filling up the backlog vacancies.

Thereafter, several reminders have been issued to all the Principal Secretaries/Secretaries to Government for identification and filling up of the backlog vacancies. This matter had also been discussed in one of the Meeting of Secretaries held under the chairmanship of the Chief Secretary and all the Principal Secretaries to Government/Secretaries to Government had been requested to take early action for the identification and filling up of the backlog vacancies in accordance with the instructions issued by the Department of Personnel. However, it appears that there are a large number of Departments which have still not carried out of the excises for determination of the backlog vacancies and have, therefore, not been able to take action for filling up of the backlog vacancies. The Committees of the Vidhan Sabha for the welfare of Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes have viewed this very seriously.

A request had also been made to all the Principal Secretaries/Secretaries to Government for sending detailed information regarding backlog vacancies in the Department under their administrative control to the Department of Personnel. However, information has not been received in the Department of Personnel from most of the Departments. This information is urgently required for furnishing the same to the above-mentioned Committees of the Vidhan Sabha. This information is also required for furnishing replies to the assembly questions which are being raised by several MLAs.

All the Principal Secretaries/Secretaries to Government are once again requested to identify the backlog vacancies in the various Departments under their administrative control and, thereafter, to take action for filling up the backlog vacancies in accordance with the instructions which have been issued by the Department of personnel.

All the principal Secretaries/Secretaries to Government are further requested to furnish information regarding the backlog vacancies in the Departments under their administrative control to this Department in the format enclose with this letter.

This matter may kindly be accorded **TOP PRIORITY**.

Yours faithfully,

Sd./-

(ASHOK SAMPATRAM)

Secretary to Government

Enclosed : Format for furnishing information as mentioned above.

प्रपत्र-1 सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद

दिनांक 14.12.2000 की स्थिति के अनुसार विभिन्न सेवा संवर्गों में चल रहे आरक्षण अवशेष/रिक्त पद एवं भरे गये आरक्षित पदों की संख्या सम्बन्धी विवरण

विभाग का नाम..

पद नाम	दिनांक 14.12.2000 को आरक्षण अवशेष		दि. 14.12.00 को रिक्त पदों की संख्या	वर्ष 2001-2002 में सम्भावित रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पदों की संख्या जो दिनांक 14.12.2000 के बाद भरे गये		आयोग की परिधि के पद						
							विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग को भेजी गयी रिक्तियों की सूचना		विभाग द्वारा कार्मिक अथवा प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से लो.सं. आयोग को भेजी जाने वाली रिक्तियों की सूचना		आरक्षण अवशेष जो अभी भी पूर्ण नहीं किया जा सका		विशेष विवरण
अ.जा.		ज.जा			अ.जा.	ज.जा	अ.जा.	ज.जा	अ.जा.	ज.जा	अ.जा.	ज.जा	
1	2	3	4	5	6	7	7	9	10	11	12	13	14

समक्ष अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र-11 पदोन्नति से भरे जाने वाले पद

दिनांक 14.12.2000 को स्थिति के अनुसार विभिन्न सेवा संवर्गों में चल रहे आरक्षण अवशेष रिक्त पद एवं भरे गये आरक्षित पदों की संख्या संबंधी विवरण

विभाग का नाम..

पद नाम	दिनांक 14.12.2000 को आरक्षण अवशेष		वर्ष 2001-2002 में सम्भावित रिक्तियों की संख्या	आरक्षित पदों की संख्या जो दिनांक 14.12.2000 के बाद भरे गये।		आरक्षण अवशेष जो अभी भी पूर्ण नहीं किया जा सका।		विशेष विवरण
	अजा.	ज.जा		अजा.	ज.जा	अजा.	ज.जा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के हस्ताक्षर मय मोहर

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-129 का विवरण) परिशिष्ट ''क''

राजस्थान के खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अर्जित पदकों का विवरण

	वर्ष	स्वर्ण	रजत	कास्य
1.	1990-91	27	22	17
2.	1991-92	44	41	25
3.	1992-93	19	14	11
4.	1993-94	12	08	29
5.	1994-95	38	21	07
6.	1995-96	14	22	22
7.	1996-97	25	20	24
8.	1997-98	22	23	27
9.	1998-99	35	40	33
10.	1999-2000	37	19	21
11.	2000-2001	20	18	23

परिशिष्ट "ख"

राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद

सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर।

गत पांच वर्षों में विभिन्न खेलों/गतिविधियों में व्यय की गई राशि का विवरण

लाखों में

क्र.सं.	खेल एवं प्रतियोगिता	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ग्रामीण खेल योजना/केन्द्रीय/प्रशिक्षण शिविर**	29.97	3.08	5.34	0.53	0.34	30.26
2.	जूनियर प्लेयर होस्टल	0.45	8.50	2.62	2.02	4.73	18.32
3.	खेल उपकरण क्रय	21.85	7.21	21.41	18.39	14.41	83.27
4.	शहरी खेल योजना	3.69	0.01	—	—	—	3.70
5.	केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर*	5.00	5.09	5.88	5.00	4.73	25.70
6.	विभिन्न खेलों में प्रशिक्षण शिविर	0.87	1.34	2.62	5.92	2.21	12.96
7.	महिला खेल गतिविधियां***	6.35	4.37	2.69	1.30	1.29	16.00
8.	राष्ट्रीय/जोनल प्रतियोगिता में	2.45	2.27	2.47	2.79	6.03	16.01

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जिला एवं राज्य प्रतियोगिता	12.80	11.57	16.02	20.71	13.73	74.83
10.	आकस्मिक गतिविधियां	0.13	0.61	0.54	0.53	0.67	2.48
11.	व्यायामशाला एवं क्लबों को अनुदान	0.46	0.32	0.35	0.43	0.15	1.71
12.	खेल संघों एवं खिलाड़ियों को अनुदान	—	—	6.38	—	—	6.38
13.	राज्य खेल संघों को प्रोत्साहन राशि	0.04	0.47	0.61	0.22	0.09	1.43
14.	खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं खुराक भत्ता	1.07	0.47	0.07	0.73	0.25	2.59
15.	ग्रामीण खेलें गतिविधियां**	1.80	2.78	2.16	0.85	1.49	9.08
16.	जनजाति क्षेत्र में खेलें एवं खेलकूद गतिविधियां****	23.93	0.90	5.40	3.11	0.56	33.90
17.	प्रशिक्षण एवं प्रतिस्पर्धाएं (टी.ए.डी.)*****	0.75	—	0.20	—	—	0.95
18.	प्रतिभा खोज प्रशिक्षण शिविर	—	—	6.99	2.02	10.57	19.58
19.	महाराणा प्रताप पुरस्कार	0.25	—	—	1.15	0.13	1.53
20.	मुख्य मंत्री पुरस्कार	—	—	—	—	0.05	0.05
	कुल	102.86	48.99	81.75	65.70	61.43	360.73

* गत पांच वर्षों में केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविरों में एथेलेटिक्स, बास्केटबाल, क्रिकेट, हैण्डबाल, बालीबाल, हाकी, कबड्डी, जूडो, तीरन्दाजी, फुटबाल, जिमनास्टिक, टेबल टेनिस, बैडमिंटन एवं बाक्सिंग खेलों में प्रशिक्षण दिया गया।

** गत पांच वर्षों में ग्रामीण खेलों के अन्तर्गत एथेलेटिक्स, बालीबाल, हाकी, कबड्डी, तीरन्दाजी, खो-खो, कुश्ती, फुटबाल एवं भारोत्तोलन एवं टंग आफ वार में आयोजित की गई।

*** गत पांच वर्षों में महिला खेलकूद प्रतियोगिता, एथेलेटिक्स, बालीबाल, कबड्डी, खो-खो, बास्केटबाल, लान-टेनिस, हैण्डबाल, टेबल टेनिस, तैराकी, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक एवं हाकी खेलों में आयोजित की गई।

**** गत पांच वर्षों में जनजाति खेल एथेलेटिक्स बालीबाल, कबड्डी, खो-खो, फुटबाल, तीरन्दाजी, हैण्डबाल में आयोजित की गई।

***** गत पांच वर्षों में एथेलेटिक्स, बास्केटबाल, क्रिक्रेट, हैण्डबाल, बालीवाल, हाकी, कबड्डी, जूडो, तीरन्दाजी, फुटबाल, जिमनास्टिक, टेबल टेनिस, बैडमिंटन एवं बाक्सिंग भारोत्तोलन, बालीबाल, कुश्ती, तैराकी, खो-खो, टायक्वांडो, लान टेनिस, पर्वतारोहरण एवं साइक्लिंग खेलों में प्रशिक्षण दिया गया।

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-136 की प्रति)

परिवाद सं. 188/अ अ/सवि.2001

कार्यालय जिला कलक्कर (सर्तकता) सवाइमाधोपुर

क्रमांक : अअ/सर्त.2001/2290 दिनांक 21.9.2001

तहसीलदार,
बामनवास।

विषय : परिवाद समस्त आम जनता ग्राम पंचायत रिवाली व ग्राम पंचायत कुआगांव बिचपुरी तहसील बामनवास बाबत न्यायालय के निर्णय की पालना न कर अवरुद्ध रास्ते से अतिक्रमण न हटाने से जनता परेशान।

विषयान्तर्गत उप सचिव (एस) मुख्य मंत्री, सचिवालय राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक मुम 2 प. 13(2) स. माधोपुर/2001/20 दिनांक 20.9.2001 के साथ संलग्न परिवार की छाया प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न आपको भिजवाई जा रही है। नियमानुसार यदि कोई न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो तत्काल माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना कराई जावे एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट इस कार्यालय को सात दिवस में भिजवाई जावें।

ह0/-
जिला कलक्टर (सर्तकता)
सवाइमाधोपुर.

संलग्न : छाया प्रतियां

जिला कलक्टर सवाइमाधोपुर

कृपया यह प्रकरण पूर्व में भी आपको प्रेषित किया गया है। इसमें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करवाने का कष्ट करें।

ह0/-
उप सचिव (एस)
मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।

माननीय मुख्य मंत्रीजी,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

विषय : न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाइमाधोपुर के निर्णय दिनांक 10 अगस्त 2000 की पालना न कर अवरुद्ध रास्ते से अतिक्रमण न हटाने से जनता का आवागमन अवरुद्ध होने से हो रही कठिनाई के संदभ में।

महोदय,

उपरोक्त न्यायालय ने ग्राम रिवाली तहसील बामनवास जिला सवाइमाधोपुर की भूमि ख.नं. 2166 से 2169 तक रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट की व अवरोध पैदा नहीं करने और रास्ते में यदि कोई कोटे की बाढ़ लगाकर अन्य किसी तरह से अवरोध डालकर रास्ता बंद कर दिया है तो हटाने के निर्देश दिये तथा उक्त रास्ते में रुकावट पैदा कर दी है तो पुलिस को इमदाद लेकर रास्ते में हो रहे अवरोधक को हटाने के निर्देश दिये।

इस निर्णय की पालना एक वर्ष बीत जाने पर भी नहीं की गई। आपने भी कलक्टर सवाइमाधोपुर को निर्देश दिये थे, पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। लेकिन उसके बाद भी जनता के लिए रास्ता नहीं खोला गया। इससे अतिक्रमण प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है तथा जनता परेशान है।

कृपया इस संदर्भ में जिलाधीश सवाइमाधोपुर को आवश्यक निर्देश प्रदान कर न्यायालय के आदेश की पालना करवाने का कष्ट करें ताकिं जनता के आवागमन में जो अवरोध है वह दूर हो सके।

मौके पर उस डी.एम. व तहसीलदार बामनवास पुलिस इमदाद लेकर ही रास्ते पर जो रुकावट (अवरोध) कर दी है उसे दूर की जा सकती है। बिना पुलिस इमदाद के रास्ते से अतिक्रमण हटाना सम्भव नहीं हैं।

आशा है जनता के लिए रास्ता खुलवाकर न्यायालय के निर्देश की पालना के संदर्भ में जिलाधीश सवाइमाधोपुर को आवश्यक निर्देश प्रदान कर अनुग्रहीत करेंगे।

प्रार्थी
समस्त आम जनता ग्राम पंचायत रिवाली व ग्राम
पंचायत कुआगांव बिचपुरी
तह.बामनवास जिला-सवाइमाधोपुर

हस्ताक्षर-सीताराम शर्मा, धनश्याम शर्मा, गोपाल शर्मा, ओम प्रकाश गुप्ता, प्रमोद कुमार शर्मा, शिव प्रसाद, प्रहलाद शर्मा, कजोड, देव्या बलाई।
अगूंठा निशानी-जगदीश शर्मा, कल्याण मीणा, गंगा सहाय मीणा, श्रवण मीणा

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-143 की प्रति)

परिशिष्ट ''क''

मक्का फसल पर फड़का प्रकोप प्रभावित क्षेत्र नियंत्रण प्रगति-क्षेत्रफल हैक्टेयर्स में कृषि क्षेत्र उप जिला सलुम्बर जिला उदयपुर

नाम तहसील	खरीफ में बोया गया कुल क्षेत्रफल	मक्का फसल का कुल क्षेत्रफल	बोई गई मक्के की फसल में फड़के के प्रभाव की स्थिति					
			फड़का प्रभावित क्षेत्र हैक्टेयर में	उपचारित क्षेत्र हैक्टेयर में	प्रभावित क्षेत्र में नुकसान का प्रतिशत			
					10 प्र.से कम	10 से 50 प्र.	50 से 80 प्र.	100 प्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सलुम्बर	23310	17550	2320	1195.0	446	1260	421	183
सराड़ा	20620	15000	2438.5	1502.8	1200	616.5	397	225
योग	**43930**	**32550**	**4758.5**	**2697.3**	**1656**	**1876.5**	**818**	**408**

ह0/-

जिला कलक्टर

जयपुर (राजस्थान)

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-146 की सूची)

गत दो वर्षों में खाद्य पदार्थों के लिए गये एवम् मिलावटी पाये गये नमूनों का विवरण

वर्ष 1999

क्रम सं.	खाद्य पदार्थों के नाम	लिये गये नमूनो की संख्या	मिलावटी पाये गये नमूनों की संख्या
1.	नोन ऐलकोहलिक विवरेज	41	06
2.	दूध	466	151
3.	दूध उत्पादक पदार्थ	211	62
4.	आईसक्रीम	34	15
5.	घी	255	58
6.	खाद्य तेल	527	62
7.	वनस्पति	22	-
8.	खाद्यान व दालें	37	05
9.	खाद्यान्न उत्पादक	42	03
10.	चाय काफी/चिकोरी	132	07
11.	स्वीटिंग एजेन्ट	53	09
12.	मिर्च मसाले	152	34
13.	फल उत्पादक	04	00
14.	आईसकेन्डी	43	11
15.	आयोडाईज्ड नमक	26	02
16.	मिनरल वाटर	03	01
17.	इन्फेन्ट फूड	01	01
18.	अन्य खाद्य पदार्थ	108	10
	योग	**2157**	**437**

वर्ष 2000

क्रम सं.	खाद्य पदार्थों के नाम	लिये गये नमूनो की संख्या	मिलावटी पाये गये नमूनों की संख्या
1.	नोन एलेकोहिक विवरेज	61	11
2.	दूध	659	260
3.	दूध उत्पादक	248	72
4.	आईसक्रीम	54	37
5.	घी	473	138
6.	खाद्य तेल	643	85
7.	वनस्पति	46	11
8.	खाद्यान्न दालें	36	03
9.	खाद्यान्न उत्पादक	106	11
10.	चाय, काफी, चिकोरी	214	07
11.	स्वीटिंग एजेन्ट	7667	12
12.	मिर्च मसाले	256	53
13.	फल उत्पादक	10	01
14.	आईसकेन्डी	104	35
15.	आयोडाइज्ड नमक	79	13
16.	मिनरल वाटर	23	06
17.	अन्य खाद्य पदार्थ	68	07
	योग	**3147**	**762**

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-148 का विवरण) **परिशिष्ट "अ"**

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	क्रम संख्या	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	रिक्त दिनांक
1.	बाली	1.	भाटून्द	8/01
		2.	सौकेडा	6/01
		3.	रमणिस्या	9/01
2.	रानी	4.	वरकाना	10/01
3.	देसूरी	5.	कोटसालकियान	5/2000
		6.	कोलर	2/01
		7.	बड़ौद	1/01
4.	रायपुर	8.	कोटकिराना	9/01
		9.	रेलडा	9/01
		10.	भैरूकानाका	2/01
		11.	रावणिया	1/99
		12.	पचानपुरा	12/2000
		13.	सोडपुरा	5/99
		14.	कालबखुर्द	5/98
5.	खारची	15.	भगौडा	5/01
		16.	बभाण	5/01
6.	सोजत	17.	रामराकला	7/97
		18.	खोडिया	0/01
		19.	रामासनीसादवान	8/01
7.	पाली	20.	एनदलावास	9/01
		21.	पैणावा	10/01
8.	जैतारण	22.	सिनला	9/01

परिशिष्ट ''ब''

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	उप स्वास्थ्य का नाम	रिक्ति दिनांक
1.	रायपुर	कोटकिराना	9/01
	(पिपलियां कलां)	रेलड़ा	9/01
		भैरू का नाका	2/01
		रावणिया	7/99
		पंचानपुरा	12/2000
		सोडपुरा	5/99
		कालबखुर्द	5/98

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-150 की सूची)

संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों का जिलेवार संस्था सूची का विवरण

परिशिष्ट ''क''

क्र.सं.	जिले का नाम	चिकित्सक	नर्स श्रेणी-द्वितीय	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता	लैब टैक्नीशियन	संयुक्त निदेशक (जोन) को लैब टैक्नीशियन के पदों का आबंटन
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	20	45	6	—	4
2.	अलवर	31	9	8	—	
3.	बांसवाड़ा	10	7	10	10	
4.	बाड़मेर	22	8	154	10	
5.	भरतपुर	15	5	20	—	
6.	भीलवाड़ा	41	10	33	—	
7.	बीकानेर	10	36	44	1	4
8.	बून्दी	7	10	—	—	
9.	बारां	3	27	34	5	
10.	चित्तौड़गढ़	41	14	30	10	
11.	चूरू	23	19	13	3	
12.	डूंगरपुर	18	9	—	10	
13.	धौलपुर	3	5	6	—	
14.	दौसा	—	8	58	—	
15.	श्रीगंगानगर	19	10	41	—	
16.	जयपुर	11	149	28	—	7

1	2	3	4	5	6	7
17.	जैसलमेर	3	11	33	2	
18.	जालौर	40	11	75	39	
19.	झालावाड़	19	18	1	6	
20.	झुंझुनूं	24	7	—	—	
21.	जोधपुर	25	23	—	17	6
22.	कोटा	2	14	—	—	6
23.	नागौर	19	10	94	17	
24.	पाली	19	12	34	—	
25.	राजसमन्द	21	3	6	10	
26.	सवाइमाधोपुर	—	5	20	—	
27.	करौली	25	—	25	—	
28.	सीकर	13	—	23	—	
29.	सिरोही	09	10	10	15	
30.	टोंक	13	10	32	—	
31.	उदयपुर	67	42	19	20	5
32.	हनुमानगढ़	22	11	62	—	
	योग	**595**	**568**	**919**	**175**	**32**

परिशिष्ट "ख"

चिकित्सालयों का नाम सफाई कार्य ठेके की पद्धति पर करवाए जाते हैं, की सूची

चिकित्सालय का नाम

1. ए. के. अस्पताल, ब्यावर
2. सामान्य चिकित्सालय, अलवर
3. महात्मा गांधी चिकित्सालय, बांसवाड़ा
4. सामान्य चिकित्सालय, भरतपुर
5. एम.जी. अस्पताल, भीलवाड़ा
6. राजकीय अस्पताल श्रीगंगानगर
7. बांगड़ अस्पताल, पाली
8. एस.के. अस्पताल, सीकर
9. राजकीय चिकित्सालय, बारां
10. सामान्य चिकित्सालय, बाड़मेर
11. सामान्य चिकित्सालय, बून्दी
12. राजकीय चिकित्सालय, चित्तौड़गढ़
13. राजकीय चिकित्सालय, प्रतापगढ़
14. टी.बी. अस्पताल, चूरू
15. सदर अस्पताल, धौलपुर
16. सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर
17. राजकीय चिकित्सालय, हनुमानगढ़
18. राजकीय कांवटिया जिला अस्पताल, जयपुर
19. राजकीय बी.डी.एम. चिकित्सालय, कोटपूतली
20. राजकीय जवाहर अस्पताल, जैसलमेर
21. सामान्य चिकित्सालय, जालौर
22. एस.आर. अस्पताल, झालावाड़
23. राजकीय अस्पताल, नागौर
24. बी.डी.के. अस्पताल, झुंझुनूं
25. सामान्य चिकत्सालय, सवाइमाधोपुर
26. सामान्य चिकित्यालय, करौली
27. मेल अस्पताल, सिरौही
28. सादर अस्पताल, टोंक
29. राजकीय चिकित्सालय, नसीराबाद
30. वाय.एन. चिकित्सालय, किशनगढ़
31. सामान्य अस्पताल, बालोतरा
32. सैटेलाइट अस्पताल, बीकानेर
33. एस.एम.जे. अस्ताल रतनगढ़
34. एस.वी. अस्पताल सुजानगढ़
35. उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सागवाड़ा
36. जिला चिकित्सालय, दौसा
37. रुकमणी देवी जयपुरिया अस्पताल, जयपुर
38. राजकीय अस्पताल, सोजतसिटी
39. जिला अस्पताल, राजसमन्द
40. राजकीय अस्पताल, डीडवाना

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-152 की सूची) परिशिष्ट "अ"

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर चिकित्सा संस्थान पर चिकित्सकों के रिक्त पदों का विवरण

जिला		चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	बाड़मेर	सामान्य चिकित्सालय, बाड़मेर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी)	1
			वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2
			चिकित्सा अधिकारी	7
		सामान्य चिकित्सालय, बालोतरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुढ़ामलानी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग, नेत्र)	2
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिव	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिन्धरी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी, शिशु)	2
			वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1 (पद विरुद्ध चि.अधिकारी का पद स्थापन दिनांक 26.9.2001 को किया)
			चिकित्सा अधिकारी	1
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धोरीमन्ना	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
			चिकित्सा अधिकारी	1
		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चौहटन (प्रसवोत्तर केन्द्र)	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	1

1	2	3	4	5
		सिटी डिस्पेंसरी, बाड़मेर	चिकित्सा अधिकारी	1
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पाटोदी	चिकित्सा अधिकारी	1
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरखासर	चिकित्सा अधिकारी	1
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राखी	चिकित्सा अधिकारी	1
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भूनिया	चिकित्सा अधिकारी	1
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भाडका	चिकित्सा अधिकारी	1
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भाखरपुरा	चिकित्सा अधिकारी	1
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गूंगा	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिवाना	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
2.	जैसलमेर	सामान्य चिकित्सालय, जैसलमेर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1
			वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
			चिकित्सा अधिकारी	1
		मोबाइल	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बनियाना	चिकित्सा अधिकारी	1
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लाठी	चिकित्सा अधिकारी	1
		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुहाड़ी	चिकित्सा अधिकारी	1

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-155 का विवरण)

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम		स्थान का नाम
1.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	-2	1. झाड़ोल(स) 2. सराड़ा
2.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	-8	1. पलोदडा 2. चावण्ड, 3. जावद 4. देवपुरा, 5. सेमारी, 6. सगतंड़ा 7. परसाद, 8. बड़गांव
3.	उप स्वास्थ्य केन्द्र	-54	1. थाणा, 2. अजबरा, 3. टोकर, 4. बलुआ, 5. बीरपुरा, 6. केवड़ा, 7. बड़ावली, 8. रठोड़, 9. नावड़ा, 10. बठुका, 11. अमरपुरा, 12. कुण्डा 13. खड 14. देवपुरा, 15. सिघटवाड़ा, 16. अदवास, 17. सरसिया, 18. गातोड, 19. पीलादर, 20. कातनवाड़ा, 21. नठारा, 22. लिम्बोदा, 23. खरबड, 24. केजड 25. सल्लाड़ा, 26. सदकडी 27. सुरखनखेड़ा 28. माडलिया, 29. पाडला 30. सेपुर, 31. अम्बासा, 32. डलबास, 33. पालनिमडी, 34. नालहलकार, 35. पालसराड़ा, 36. थनकावाड़ा, 37. घोड़ासर, 38. पारई, 39. डिगरी, 40. शक्तावतों का गुड़ा, 41. बाबरमाल, 42. सेमाल, 43. कन्तोड़ा, 44. भोराई, 45. ओड़ा, 46. गामडी, 47. नेंवातलाई, 48. नइझर, 49. घामपुरा, 50. मल्लाडा, 51. इण्टाली(स), 52. वामणिया, 53. मण्डास, 54. बाणाकलां

एनेक्चर- 'ब'

विधानसभा क्षेत्र सराड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मातृ शिशु कल्याण सेवाएं एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पद की तिथि
1.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, झाड़ोल	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	3/2001
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1.8.2001
		मेल नर्स-II	1	5/2000
		स्टाफ नर्स	5	6/95से
		कनिष्ठ लेखाकार	1	सृजन से, 95 से
		संगणक	1	11/95
		सेक्टर सुपरवाइजर	3	11/99 एवं 5/2000 से
2.	उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सराड़ा	स्टाफ नर्स	4	6/95
		लैब टेक्नीशियन	1	7/95 से
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चावण्ड	मेल नर्स-II	1	4/93 से
		लैब टेक्नीशियन	1	11/200 से
4.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, देवपुरा	मेल नर्स-II	2	5/98 एवं 1/2001 से
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेमारी	मेल नर्स-II	1	11/98 से
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सगतड़ा	मेल नर्स-II	1	4/93 से
		लैब टेक्नीशियन	1	5/98 से
		स्वीपर	1	11/2000 से
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बड़गांव(स)	मेल नर्स-II	1	4/92 से 4/93
		लैब टेक्नीशियन	1	4/93 से

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-156 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र, घाटोल में भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	उप केन्द्र का नाम
1.	पडोली गोर्धन
2.	हिम्मत सिंह का गढ़ा
3.	छोटी पडाल
4.	सवनिया
5.	रूपजी का खेड़ा
6.	रोहनिया मार्नेग
7.	वरणा मडवई
8.	बडेला
9.	सरोदिया
10.	ठिकरिया चन्द्रावत
11.	जामली
12.	देवला
13.	रिछोंड
14.	झरी

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-164 की प्रति)

6. With reference to its Resolution No.7. dated the 8th September, 1962, the Board considered the question of laying down a minimum age for admission to the Secondary School and Higher Secondary Examination of the Board in the light of the opinions received from the heads of the recognised institutions.

Resolved that the following minimum age be prescribed for the candidates appearing at the Secondary School and Higher Secondary Examination of the Board, and it be made applicable with effect from the Secondary School Examination of 1965 and the Higher Secondary Examination of 1966 :—

(i) A candidate appearing at the Secondary School Examination be required to attain the age of 15 years on the Ist October of the year in which he would appear at the Secondary School Examination.

(ii) A candidate appearing at the Higher Secondary Examination of the Board be required to attain the age of 16 years on the 1st October of the year in which he would appear at the Higher Secondary (Final) Examination. No minimum age limit be Prescribed for the candidates appearing at the Higher Secondary (part-1) Examination of the Board.

Consequncial a changes in Regulations :

(i) Add the following new Regulation 10 in Chapter XVIII :—

Notwithstanding anything contained in these Regulations, no candidate shall be allowed to appear at the Secondary School Examination unless he would complete the age of 15 years in the 1st October of the year in which he intends to take the examination.

(ii) Add the following new Regulation 11 in Chapter XIX :—

Notwithstanding anything contained in these Regulation, no candidate shall be allowed to appear at the Higher Secondary Examination unless he would complete the age of 16 years on the 1st October of the year in which he intends to take the examination.l

दिनांक 11 मार्च, 1976 को बोर्ड कार्यालय, जयपुर रोड, अजमेर में हुई बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित

1.	श्री सत्य प्रसन्न सिंह भण्डारी	(अध्यक्ष)
2.	श्री इन्द्रजीत खन्ना	(निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा)
3.	श्री एस. एन. गोयल	(निदेशक, प्रावैधिक शिक्षा)
4.	श्री कल्याण सहाय	(निदेशक, संस्कृत शिक्षा)
5.	श्री ए. एस. दहिया	(प्रतिनिधि, एन. पी. सी.)
6.	डा. राजकुमार	
7.	डा वी. एस. अग्रवाल	
8.	श्री शिव किशोर सनाढ्य	
9.	श्री विशनसिंह शेखावत	
10.	डा. एस. दिवाकरण	
11.	डा. आर. पी. चतुर्वेदी	
12.	श्रीमती शांति मेहता	
13.	श्री कस्तूर चन्द शर्मा	
14.	श्री सार्दुल सिंह कविया	
15.	श्रीमती कमला भटनागर	
16.	श्री रामचन्द्र देवपुरा	
17.	श्री चिरंजीलाल जोशी	
18.	श्री सूरज प्रसाद शर्मा	
19.	श्री उपेन्द्र नाथ सोरल	
20.	(श्रीमती) सुशीला गुप्ता	
21.	श्री केदारनाथ श्रीवास्तव	
22.	श्री पी. एन. माथुर	
23.	श्री विष्णुदत्त शर्मा	
24.	श्री पी. एन. दलाल	
25.	श्री शिव रतन थानवी	(सम्पादक शिविरा)
26.	श्री बी. पी. जोशी	(विशेष रूप से आमन्त्रित)

27. श्री भगवानलाल व्यास (विशेष रूप से आमन्त्रित)
28. श्री एस. एल. टाक (विशेष रूप से आमन्त्रित)
29. डा. शिव कुमार शर्मा (सचिव)

3. बोर्ड ने दिनांक 12 नवम्बर, 1975 को हुई बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णयों के फलस्वरूप बोर्ड के विनियमों व सेवा नियमों में हुए परिवर्तन के प्रारूप (परिशिष्ट 1 व 2) पर विचार किया तथा निर्णय लिया कि इन्हें स्वीकार कर लिया जाय। 10+2 वर्षीय नवीन योजना के सम्बन्ध में बनाये नियमों का इस योजना की क्रियान्विति के साथ लागू किया जाय।

4. बोर्ड ने दिनांक 30 अक्टूबर, 1975, 4 सितम्बर, 1975 व 21 जनवरी, 1976 को आयोजित परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों (परिशिष्ट 3, 4, व 5) पर वचार किया तथा निर्णय किया गया कि दिनांक 30 अक्टूबर, 1975, 4 दिसम्बर, 1975 व 21 जनवरी, 1976 के कार्यवृत्तों (परिशिष्ट 3,4 व 5) को निम्न परिशोधनों के साथ स्वीकार किया जाय :–

(i) दिनांक 30 अक्टूबर, 1975 की बैठक के प्रस्ताव संख्या 4 :—
इस प्रस्ताव को स्वीकारते हुए यह सुझाव दिया गया कि सम्बन्ध समिति को परीक्षकों का चुनाव करते समय इस सिद्धान्त को ध्यान में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति विषय से सम्पर्क रखते हो उनको परीक्षक नियुक्त किया जाए।

(ii) प्रस्ताव संख्या 4 दिनांक 21.1.1976 के संदर्भ में संशोधन :—
बोर्ड की सभी परीक्षाओं के लिये न्यूनतम आयु सीमा सम्बन्धी नियम 1977 की परीक्षाओं से हटा दिया जाय तथा विनियमों में तद्नुसार संशोधन कर लिया जाय।

5. बोर्ड ने दिनांक 27 फरवरी, 1976 को हुई वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त (परिशिष्ट-6) पर विचार किया तथा निर्णय किया कि इसे स्वीकार कर लिया जाय।

इसी सम्बन्ध में अन्य निम्न निर्णय भी लिये गये :—

(i) बोर्ड कार्यालय भवन में स्थापित किये जाने वाले एज्यूकेशन म्यूजियम का नाम "शैक्षणिक संग्रहालय" रखा जाय।

(ii) बोर्ड के बजट में aid to schools (विद्यालयों को सहायता) मद का प्रावधान किया जाय तथा इस मद से कमी वाले विद्यालयों को फर्नीचर, प्रयोगशाला व पुस्तकालय के लिये अनुदान दिया जाय। इस मद से किस प्रकार के विद्यालयों को कितनी सुविधा दी जानी चाहिए ऐसे पक्षों पर विचार करने के लिये यह प्रश्न वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। इस विषय में एक उप समिति जांच कर अपनी सिफारिश वित्त समिति के द्वारा प्रस्तुत करे।

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-169 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

बस्सी विधान सभा क्षेत्र की मा.वि./उप वि. की सूची

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी
2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बस्सी
3. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तुंगा
4. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जटवाड़ा
5. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बांसखोह
6. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, झोटखावता
7. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, सुजानपुरा
8. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, कानोता
9. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, लालगढ़
10. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, देवगांव
11. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, साम्भरिया
12. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रोजवाड़ी
13. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजपुरा पातलवास
14. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, माधोगढ़
15. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, झर
16. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, बड़वा
17. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, पाटन
18. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, देवपुरा
19. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रूप हेडीकलां
20. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गरूड़वासी
21. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, रामनगर

परिशिष्ट 'ख'

विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का वर्षवार विवरण

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद	कब से रिक्त
1.	प्राचार्य	06	01	31.8.2001 से
2.	उप प्राचार्य	02	—	—
3.	प्रधानाध्यापक	15	—	—
4.	व्याख्याता	64	05	दो पद-7/01, दो पद-9/01 एवं एक पद 08/01 से
5.	वरिष्ठ अध्यापक	144	13	1/02 से 03 पद, 7/2 के-तीन पद,
6.	अध्यापक	69	—	9/2 के दो पद,12/02 के दो पद
7.	व.शि.शिक्षक	06	—	2/01-एकपद,7/01-दो पद
8.	शा. शिक्षक	15	—	—
9.	व. पुस्तकालयाध्यक्ष	06	—	
10.	पुस्तकालयाध्यक्ष	15	—	
11.	व. प्रयोगशाला सहायक	—	—	
12.	प्रयोगशाला सहायक	06	—	
13.	कार्यालय सहायक	03	—	
14.	वरिष्ठ लिपिक	21	—	
15.	कनिष्ठ लिपिक	23	—	
16.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	77	—	
17.	जमादार	—	—	
18.	प्रयोगशाला सेवक	07	03	1997-98 से

परिशिष्ट 'ग'

डा. कन्हैया लाल मीणा
सदस्य
राजस्थान विधान सभा

फोन - 0141-741539
2/7, विधायक निवास
ज्योति नगर (पश्चिम)
जयपुर-302005
ग्राम-लुणियांवास
फोन - 0104-680509

श्रीमान् शिक्षा मंत्री महोदय
राजस्थान सरकार, जयपुर

क्रमांक : विद्या/002/बस्सी
12.7.2000

विषय : श्रीमती नर्बदा देवी डंगायच रा.बा.उ.मा. विद्यालय बस्सी (जयपुर) में कला वर्ग में अन्य विषय खोले जाने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में श्रीमती नर्बदा देवी डंगायच, रा.बा.सी. विद्यालय को कक्षा 11वीं एवं 12वीं में कला वर्ग के अनतर्गत केवल तीन विषय पढ़ाये जाते हैं क्रमशः (1) विशेष हिन्दी (2) राजनैतिक विज्ञान (3) गृह विज्ञान बालिकाओं को बाध्य होकर इन तीन विषयों में से ही विषय चयन करना पड़ता है या इच्छित विषय न मिलने के कारण अधिकांश छात्राएँ पढ़ाई छोड़ देने से उच्च शिक्षा प्राप्ति से वंचित रह जाती हैं।

यद्यपि दूसरे इच्छित विषय राज.सी.सैकण्डरी विद्यालय बस्सी (लड़कों का विद्यालय) में पढ़ाये जाते हैं लेकिन सभी बालिकाओं के अभिभावक पृथक बालिका विद्यालय के रास्ते एवं अपरिहार्य कारणों से अपनी बच्चियों को लड़कों के स्कूल में नहीं भेजते हैं।

अत: उक्त विषय में बालिकाओं का मांग एवं रुचि को देखते हुए इस बालिका विद्यालय में कला वर्ग के अन्य विषय (1) संस्कृत (2) अर्थशास्त्र (3) इतिहास पढ़ाये जाने की व्यवस्था कर मुझे व्यक्तिश: अनुग्रहीत करें।

भवदीय,
ह0/-
(कन्हैया लाल मीणा)
विधायक-बस्सी

परिशिष्ठ-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-174 की प्रति)

SPECIAL SCHEMES & IRD DEPARTMENT

No.F. 3(1) Agri/SS/Gr. VII/82   Jaipur, dated the 1st Oct.,1984

ORDER

I am directed to convey sanction of the Governor for the trans for of Bull mother Farm, Chandan in the district of Jaisalmer with the tubewells located at Chandan, Bhojka Bhorwa, Dhaisar.II and Bhadrva UNDP with attached farm, land and buildings to the Sukhadia University, Udaipur alongwith moveable and immoveable assets and the current stock of animals. This transfer will take affect from 1.10.1984. The terms and conditions for the transfer would be as follow :—

1. Agricultural land will be leased to the University which will pay land revenue as pur rules.
2. All lands (other than agricultural lands), buildings etc. will be leased to the University for a period of 30 years on an annual rent of Rs. 1/-. The University will be responsible for paying rent on the building. A lease deed to this affect is to be executed by the university.
3. An exhaustive list of all movable assets will be prepared and those assets will be transferred on book value to the University.
4. With the transfer of the said farms, the University would now be responsible for proper maintenance, repair and upkeep etc. of the land, buildings and equipments from the date of transfer.
5. The University would ensure that the farm, land-buildings and equipment alongwith the livestock transferred to them would be unloosed in accordance with the objectives of B.M.F. Project as well as for the production of heifors as per the project proposals submitted by the university to the SS and IRD Department.
6. In case the University cases to carry out the above activities, than the said farms alongwith tubewells with land buildings and farm and all other moveable and immoveable assets would be reverted to the State Govt. in the same condition subject to the normal wear and teur.

7. Staff engaged in the Lathi serious project is to be transferred to University as per list enclosed at Annexure-I. The gazetted staff will be given the option of other going back to their department or of being absorbed by the University as per their rules. If they are absorbed by the University, they will be subject to the rules and regulations of the university thereafter.

8. The ministerial and other staff would be transferred to the university. Temporary government servants who have not been regularly recruited or appointed to posts under government in accordance with the service rules shall be governed by the rules relation to absorbation of surplus employees, unless the University agrees to take over their services.

9. While transferring the farm and the assets to the University other responsibilities like water facilities to the villagers being looked after by the DRDA, Jaisalmer through BMF would also bo looked after by the University.

10. The University while undertaking the work of production of bulls, heifurs and bullocks of Tharparkar brought it the farm would provide the same to the DRDA, Jaisalmer for distribution to the IRD beneficiaries of the area on first priority.

11. During current financial year, allotment of the funds to the farm under Lathi Series Project is as under :—

Rs. in lacs

	B.M.F.	Engg. Div.	Fodder cultivation Division	Forestry Division	Total
Allotment of funds	5.59	2.77	7-98	1.91	18.25
Expenditure upto					
June, 84	—	—	—	—	4.04
Balance					**14.29**

Thus a sum of Rs. 14.21 lacs would be transferred to the University for the current financial year.

Sd./-

(RAJENDRA JAIN)

Sacretary to Government

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-175 की सूची)

पंचायत समिति, गढ़ी (बांसवाडा) के पशु चिकित्सा संस्थाओं में ट्रेवीस (अरगड़ा) की उपलब्ध/अनुपलब्धता सम्बन्धी सूचना

जिन पशु चिकित्सा संस्थाओं में ट्रेवीस उपलब्ध है :

1. पशु चिकित्सालय, गढ़ी
2. पशु चिकित्सालय, डडूका
3. पशु चिकित्सालय, जौलाना
4. पशु चिकित्सालय, अरथूना
5. पशु चिकित्सालय, खोड़न
6. पशु चिकित्सालय, लौहारिया
7. पशु चिकित्सालय, भीमपुर
8. पशु चिकित्सालय, खेड़ा
9. पशु चिकित्सालय, पादेड़ी
10. पशु औषधालय, बजवाना
11. पशु औषधालय, सरेड़ी बड़ी
12. पशु औषधालय, गोपीनाथ का गढ़ा
13. पशु औषधालय, आसोपा
14. पशु औषधालय, मोर
15. पशु औषधालय, पालोदा
16. पशु औषधालय, रोहिडा
17. पशु औषधालय, रेयाना
18. पशु औषधालय, बोरी
19. पशु औषधालय, बिलोदा
20. पशु औषधालय, मोटी बस्सी

21. पशु औषधालय, परतापुर

22. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, मेतवाला

जिन पशु चिकित्सा संस्थाओं में ट्रेवीस उपलब्ध नहीं है :

1. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, आंजना
2. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, मादलदा
3. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, उम्बाला
4. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, बोड़दा
5. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, सागवाड़िया
6. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, क्वाडिया
7. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, नालपाडा
8. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, नवातला
9. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, भगौरा
10. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, कोटड़ा पालोदा
11. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, कोटड़ा वास
12. पशु चिकित्सा उप केन्द्र, धाती धबाड़

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या-176 का विवरण)

EXPENDITURES INCURRED BY JAIPAUR DAIRY ON CIVIL WORKS

(In '000 Rs.)

S.No.	PARTICULARS	1998-99	1999-2000	2000-2001	Total
1	2	3	4	5	6
1.	CIVIL :				
1.	Construction of boundary wall at Jaipur Dairy*	187.68	—	—	187.68
2.	Construction of boundary wall at Kotputli CC	538.06	—	—	538.06
3.	Construction of record room at Jaipur Dairy	308.55	—	—	308.55
4.	Construction of boundary wall at Dausa CC	302.61	—	—	302.61
5.	Construction of CF Godown at Dausa CC	612.41	—	—	612.41
6.	Construction of mazanine floor at Jaipur Dairy	563.39	—	272.00	835.39
7.	Conctruction of refrigeration condensor tank at Jaipur Dairy	—	229.00	—	229.00
8.	Construction of Hard pad at Jaipur Dairy	—	—	80.00	80.00

1	2	3	4	5	6
9.	Construction of treated water pump at Dausa CC	—	—	138.00	138.00
10.	Construction of boundary wall at Kaladera CC	—	—	296.00	296.00
11.	Construction of road at Jaipur Dairy	—	—	110.00	110.00
12.	Construction of boundary wall at Dudu CC	—	—	251.00	251.00
13.	Construction of work shop at Jaipur Dairy	—	—	248.00	248.00
14.	Construction of lad. Pdt. Section at Jaipur Dairy	—	—	328.00	328.00
15.	Construction of yard at Jaipur Dairy	92.00			92.00
16.	Miscellaneous	186.00	—	—	186.00
	Total	**2,790.70**	**229.00**	**1,723.00**	**4,742.70**

* Work order was given during previous years.

Sd./-

परिशिष्ट-21

(अतारांकित प्रश्न संख्या-179 का विवरण) परिशिष्ट "क"

राज्य सरकार के आदेश से कोटा जिले में अन्तर जिला स्थानान्तरित अध्यापकों का विवरण

क्र.सं.	अध्यापक का नाम	पंचायत समिति व जिले का नाम जहां से स्थानान्तरण हुआ
1.	श्रीमती सुमन शर्मा	बकानी (झालावाड़)
2.	श्री सीताराम शर्मा	परबतसर (नागौर)
3.	श्री रामस्वरूप बैरवा	रानी (पाली)
4.	श्रीमती रश्मि सिन्हा	नागौर
5.	श्री हेमराज	पाली
6.	श्री गिर्राज सिंह हाडा	डग (झालावाड़)
7.	श्री दिनेश कुमार	जैसलमेर
8.	श्री मांगीलाल बैरवा	नैनवां (बूंदी)
9.	श्रीमती कल्पना यादव	पिड़ावा (झालावाड़)

परिशिष्ट-22

(अतारांकित प्रश्न संख्या-186 की सूचना)

पंचायती राज विभाग में पंचायत समितियों में प्रगति प्रसार अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु भेजे गये कर्मचारियों की नामों सहित सूचना

क्र सं.	नाम	पद	प्रगाते प्रसार अधिकारी के विषय पर कार्यरत की दिनांक
1	2	3	4
1.	श्री लक्ष्मण जाट	सांख्यिकी सहायक	21.6.93
2.	श्री राम रतन विजय	सांख्यिकी निरीक्षक	26.7.86
3.	श्री दिनेश कुमार शर्मा	सांख्यिकी सहायक	12.7.85
4.	श्री प्रेम प्रकाश शर्मा	सांख्यिकी सहायक	20.10.82
5.	श्री शेर सिंह यादव	सांख्यिकी सहायक	18.9.92
6.	श्री गोपी चन्द	सांख्यिकी सहायक	7.12.92
7.	श्री उमराव सिंह गुर्जर	सांख्यिकी सहायक	19.8.88
8.	श्री राम प्रसाद गोयल	सांख्यिकी सहायक	25.10.89
9.	श्री सेडूराम शर्मा	सांख्यिकी सहायक	15.6.85
10.	श्री मनमोहन शर्मा	सांख्यिकी सहायक	8.1.88
11.	श्री रामस्वरूप जाट	सांख्यिकी सहायक	22.8.92
12.	श्री हरिसिंह जाटव	सांख्यिकी सहायक	3.9.92
13.	श्री रामप्रकाश	सांख्यिकी सहायक	9.9.92
14.	श्री कृष्ण गोपाल शर्मा	सांख्यिकी सहायक	11.11.92
15.	श्री रमेश चन्द गुलाटी	सांख्यिकी सहायक	19.7.89
16.	श्री विशम्बर दयाल बैरवा	सांख्यिकी सहायक	14.9.92
17.	श्री मान सिंह	सांख्यिकी सहायक	30.9.92
18.	श्री राधेश्याम मूंदड़ा	सांख्यिकी सहायक	3.8.84

1	2	3	4
19.	श्री प्रकाश सिंह चन्डालिया	सांख्यिकी सहायक	21.5.87
20.	श्री गोविन्द राम	सांख्यिकी सहायक	9.10.87
21.	श्री रूपचन्द सुवालका	सांख्यिकी सहायक	6.1.91
22.	श्री बुद्धाराम विश्नोई	सांख्यिकी सहायक	1.9.93
23.	श्री सुशील कुमार गुप्ता	सांख्यिकी सहायक	18.6.86
24.	श्री विद्याधर शर्मा	सांख्यिकी सहायक	14.2.94
25.	श्री अशोक कुमार जैन	सांख्यिकी सहायक	3.8.89
26.	श्री रविन्द्र कुमार सिंह	सांख्यिकी सहायक	3.9.84
27.	श्री यादव चन्द पाण्ड्या	सांख्यिकी सहायक	24.2.94
28.	श्री मगन लाल अहारी	सांख्यिकी सहायक	13.12.89
29.	श्री सोहन लाल जाटव	सांख्यिकी सहायक	20.10.92
30.	श्री जगदीश प्रसाद गोयल	सांख्यिकी सहायक	1.9.98
31.	श्री ताराचन्द पूनिया	सांख्यिकी सहायक	5.3.87
32.	श्री सोनाराम सैनी	सांख्यिकी सहायक	27.4.88
33.	श्री अमर सिंह चान्दौलिया	सांख्यिकी सहायक	7.2.92
34.	श्री रतन लाल रैगर	सांख्यिकी सहायक	19.8.91
35.	श्री सूरज मल स्वामी	सांख्यिकी सहायक	19.1.91
36.	श्री अमी लाल दिलेन्द्र	सांख्यिकी सहायक	22.8.88
37.	श्री राधेवेन्द्र अग्रवाल	सांख्यिकी सहायक	13.4.89
38.	श्री बाबू लाल रैगर	सांख्यिकी सहायक	7.9.92
39.	श्री मोहन राम पंवार	सांख्यिकी सहायक	3.9.92
40.	श्री मेधराज शर्मा	सांख्यिकी सहायक	28.10.91
41.	श्री धनपाल मीणा	सांख्यिकी सहायक	9.9.92
42.	श्री रामदयाल राठौड़	सांख्यिकी सहायक	15.5.92
43.	श्री नरेन्द्र सिंह	सांख्यिकी सहायक	25.8.94

1	2	3	4
44.	श्री सत्येन्द्र कुमार भट्ट	सांख्यिकी सहायक	7.9.88
45.	श्री फूलसिंह	सांख्यिकी सहायक	4.9.82
46.	श्री रामराज मीणा	सांख्यिकी सहायक	1.9.92
47.	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	सांख्यिकी सहायक	12/89
48.	श्री दिनेश चन्द गुप्ता	सांख्यिकी सहायक	22.5.90
49.	श्री सुशील कुमार भारद्वाज	सांख्यिकी सहायक	6.1.90
50.	श्री भागीरथ मल बलाई	सांख्यिकी सहायक	3.10.91
51.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	सांख्यिकी सहायक	28.1.85
52.	श्री मूलचन्द जाट-1	सांख्यिकी सहायक	27.7.87
53.	श्री घासी लाल बागड़ा	सांख्यिकी सहायक	16.10.87
54.	श्री चन्द्र प्रकाश आमेटा	सांख्यिकी सहायक	25.6.93
55.	श्री चन्द्र प्रकाश मेहता	सांख्यिकी सहायक	9.12.83
56.	श्री गिरधारी लाल रैगर	सांख्यिकी सहायक	5.9.92
57.	श्री चन्द्र रैगर	सांख्यिकी सहायक	25.9.92
58.	श्री नरपत सिंह	सांख्यिकी सहायक	23.8.94
59.	श्री ब्रम्हानन्द गर्ग	सांख्यिकी सहायक	1.9.92
60.	श्री रामधन तेली	सांख्यिकी सहायक	24.6.97
61.	श्री लालचन्द सैनी	सांख्यिकी सहायक	15.12.95
62.	श्री अशोक कुमार शर्मा	सांख्यिकी सहायक	23.6.97
63.	श्री ख्यालीराम	सांख्यिकी सहायक	27.8.94
64.	श्री राम सिंह जाटव	सांख्यिकी सहायक	5.11.98
65.	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	सांख्यिकी सहायक	6.6.98
66.	श्री जितेन्द्र माथुर	सांख्यिकी सहायक	7/96
67.	श्री गणेश सिंह	सांख्यिकी निरीक्षक	15.12.94
68.	श्री दिलीप सिंह बारेठ	सांख्यिकी सहायक	26.3.99

1	2	3	4
69.	श्री देवेन्द्र कुमार वर्मा	सांख्यिकी सहायक	24.3.99
70.	श्री हरि प्रसाद शर्मा	सांख्यिकी सहायक	18.9.99
71.	श्री मूल चन्द जाट	सांख्यिकी सहायक	19.8.99
72.	श्री मुकेश कुमार वर्मा	सांख्यिकी सहायक	7.7.97
73.	श्री अमी लाल	सांख्यिकी सहायक	25.8.94
74.	श्री रणधीर सिंह शूरा	सांख्यिकी सहायक	27.8.84
75.	श्री रण सिंह	सांख्यिकी सहायक	22.12.95
76.	श्री मोहर सिंह शेर्खो	सांख्यिकी सहायक	9/91
77.	श्री गुरु दर्शन सिंह रमाणा	सांख्यिकी सहायक	18.7.96
78.	श्री कैलाश चन्द शर्मा	सांख्यिकी सहायक	7/86
79.	श्री कैलाश चन्द बियाणी	सांख्यिकी सहायक	12/82
80.	श्री महेश चन्द्र शर्मा-1	सांख्यिकी सहायक	16.12.95
81.	श्री पूरण मल बैरवा	सांख्यिकी सहायक	18.12.95
82.	श्री सुरेश कुमार शर्मा	सांख्यिकी सहायक	26.6.94
83.	श्री राजकुमार द्विवेदी	सांख्यिकी सहायक	10.10.97
84.	श्री रामफूल कुम्हार	सांख्यिकी सहायक	21.6.97
85.	श्री ओमप्रकाश मीणा	सांख्यिकी सहायक	2.12.98
86.	श्री नाथूलाल गुप्ता	सांख्यिकी सहायक	6/97
87.	श्री ओमप्रकाश विजय	सांख्यिकी सहायक	10/97
88.	श्री अचलाराम फूलवारिया	सांख्यिकी सहायक	1.10.92
89.	महेश कुमार व्यास	सांख्यिकी सहायक	30.8.84
90.	श्री मनोहर लाल मीणा	सांख्यिकी सहायक	7/95
91.	श्री नीरज कुमार साहू	सांख्यिकी सहायक	1.9.97
92.	श्री ओमप्रकाश जाट	सांख्यिकी सहायक	10.11.82
93.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री नाथू लाल शर्मा	सांख्यिकी सहायक	16.7.87

परिशिष्ट-23

(अतारांकित प्रश्न संख्या-189 का विवरण) परिशिष्ट-1

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना स्वीकृत कार्य

बारां जिले के अटरू विधान सभा क्षेत्र

(राशि लाख रु.)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	निर्माण कार्य ग्रेवल सड़क मोठपुर से रामपुरिया खाल व सी.डी. कार्य	99-2000	1.50	1.50	पूर्ण
2.	सरजा निर्माण पशु चिकित्सालय से बंटी शर्मा के मकान तक ग्राम अटरू	99-2000	0.68	0.68	पूर्ण
3.	सूण्डा सारन ग्राम रतनपुरा ग्रा.पं. खेडलीगंज में एनीकट	99-2000	4.00	4.95	पूर्ण
4.	कुन्जेड से हाट मण्डी से दीवाली की तरफ खरंजा	99-2000	3.00	2.974	पूर्ण
5.	चरडाना से बहादुरगंज ग्रेवल सड़क	99-2000	4.00	4.00	पूर्ण
6.	खरंजा निर्माण कलर ठेकेदार से सहरिया बस्ती खेड़लीगंज	99-2000	2.00	1.88	पूर्ण
7.	छेलाबेल में ग्राम से सड़क की ओर खरंजा	99-2000	0.50	0.50	पूर्ण
8.	खरंजा निर्माण शिवमंदिर से बस स्टेण्ड मोठपुर	99-2000	0.50	0.50	पूर्ण
9.	खरंजा निर्माण पारीक के मकान से विक्रम सिंह के मकान तक	99-2000	0.37	0.37	पूर्ण
10.	खेडली नाहरिया से डडवाना रोड तक सम्पर्क सड़क 1.5 कि.मी.	99-2000	1.97	1.95	पूर्ण
11.	खरंजा निर्माण कुम्हारों का मोहल्ला व गूजारा का मोहल्ला में ग्राम फूंसरा	99-2000	0.50	0.494	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
12.	ग्राम केरवालिया में कुम्हारों की बस्ती में हैण्ड पम्प	99-2000	0.50	0.25	पूर्ण
13.	गायत्री नगर खेड़लीगंज अटरू में हैण्ड पम्प	99-2000	0.50	0.41	पूर्ण
14.	खुरी एवं कराडिया गुलजी में एक-एक हैण्ड पम्प	99-2000	1.00	0.89	पूर्ण
15.	बावन माताजी की झोपड़ियां तहसील बारां में हैण्ड पम्प	99-2000	0.50	0.27	पूर्ण
16.	देवलाल गूजर के पास खरंखड़ा रागलोथान में हैण्ड पम्प	99-2000	0.50	0.37	पूर्ण
17.	ग्राम ढोटी में ग्राम गोरधनपुरा रोड पर हनुमान जी कटिया के पास हैण्ड पम्प	99-2000	0.50	0.46	पूर्ण
18.	ग्राम सहरोद में धाकड़ों में मन्दिर के पास हैण्ड पम्प	99-2000	0.50	0.42	पूर्ण
19.	ग्राम कुन्जेड में निचला पाडा मालियो के मौहल्ले में एक हैण्ड पम्प	99-2000	0.50	0.49	पूर्ण
20.	ग्राम हीकड तहसील बारां में एक हैण्ड पम्प	99-2000	0.50	—	पूर्ण
21.	ग्राम अटरू वार्ड नं. 6 में बलदेव जी रैगर के मकान के पास हैण्ड पम्प	99-2000	0.50	0.50	पूर्ण
22.	ग्राम बमोरी तहसील अटरू में ओमप्रकाश जी धाकड़ के मकान के सामने	99-2000	0.50	0.38	पूर्ण
23.	सहरोद में मेघवाल बस्ती में एक हैण्ड पम्प	99-2000	0.50	0.42	पूर्ण
24.	ग्राम नृसिंहपुर (ग्रा.प. सहरोद) से सहरोद व ढोटी रोड से सड़क निर्माण	99-2000	1.00	0.80	पूर्ण
25.	खरंजा निर्माण देवीशंकर मीणा के बाहर वाले मकान से स्कूल कोने तक ग्राम खड़ीला	2000-01	0.50	0.50	पूर्ण
26.	गाम मोतीपुरा वाला ग्रा.पं. मुसई गुजरान पं.सं. अटरू में सिंगल फेस की मोटर लगाने हेतु	2000-01	0.103	0.103	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
27.	ग्राम बामला में खरंजा निर्माण मुख्य सड़क गोरीशंकर की तरफ	2000-01	1.00	0.993	पूर्ण
28.	ग्राम तलावड़ा में मोठपुर रोड पर 3 पुलियाओं का निर्माण	2000-01	0.75	0.75	पूर्ण
29.	ग्राम नावेड़ा में तेजमलजी माली की बाड़ी से गजेशपुर तक रांजा व नाली निर्माण	2000-01	0.90	0.90	पूर्ण
30.	खरंजा निर्माण (मांगीलाल मेहर के मकान से कन्हैयालाल नागर के मकान तक) गाम कोटड़ी ग्रा.पं. पाठेडा	2000-01	1.50	1.494	पूर्ण
31.	खरंजा निर्माण गायत्री नगर खेड़लीगंज अटरू बृजमोहन गुर्जर के पास	2000-01	0.40	0.38	पूर्ण
32.	खरंजा निर्माण गायत्री नगर अटरू नंदलाल धोबी के पास	2000-01	0.40	0.46	पूर्ण
33.	खरंजा निर्माण अटरू पशु चिकित्सालय के पास	2000-01	0.60	0.68	पूर्ण
34.	अटरू गजानंद पाण्डे के पास	2000-01	0.40	0.37	पूर्ण
35.	खरंजा निर्माण अटरू वार्ड नं. 2 श्री कृष्णजी माली के पास	2000-01	0.40	0.38	पूर्ण
36.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य अटरू सालपुरा	2000-01	0.40	0.48	पूर्ण
37.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य ग्राम हानीहेड़ा बैरवा	2000-01	0.40	0.36	पूर्ण
38.	हैण्ड पम्प निर्माण के कार्य ग्राम चौसिया व बहलावन के बीच हनुमान मन्दिर	2000-01	0.40	0.45	पूर्ण
39.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य वार्ड नं. 1 पप्पू राठी के पास	2000-01	0.40	0.40	पूर्ण
40.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य (भारतीय स्टेट बैंक) रोड की ओर	2000-01	0.40	0.45	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
41.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य ग्राम लोलाहेडी	2000-01	0.40	0.42	पूर्ण
42.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य ग्राम नीमोद दयाराम जाट के पास	2000-01	0.40	0.42	पूर्ण
43.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य सहरोद महेन्द्र शर्मा के पास	2000-01	0.40	0.43	पूर्ण
44.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य अटरू गणेश मन्दिर	2000-01	0.40	0.48	पूर्ण
45.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य सहरोद जोधराज के पास	2000-01	0.50	0.45	पूर्ण
46.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य अटरू बेक तलाई के पास प्रेमचन्द सुमन के पास	2000-01	0.40	0.49	पूर्ण
47.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य अटरू बृज मोहन सोनी के पास	2000-01	0.40	0.47	पूर्ण
48.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य अटरू अन्ताना रामनारायण हरिजन के पास	2000-01	0.40	0.41	पूर्ण
49.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य बलदेवपुरा नंदजी मीणा के पास	2000-01	0.40	0.50	पूर्ण
50.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य ग्राम झारखंड रामसिंह मीणा के पास	2000-01	0.40	0.36	पूर्ण
51.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य बहलावन रामकरण नागर के पास	2000-01	0.40	0.36	पूर्ण
52.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य गायत्री नगर अटरू बेयरहाउस के पास	2000-01	0.40	0.49	पूर्ण
53.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य फत्तुखेड़ी जोरवर सिंह के पास	2000-01	0.40	0.38	पूर्ण
54.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य अटरू अदालत परिसर	2000-01	0.40	0.38	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
55.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य अटरू में वार्ड पंच गोयल के पास	2000-01	0.40	0.30	पूर्ण
56.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य कवाई में सालपुरा स्टेशन की पटरीपार	2000-01	0.50	0.41	पूर्ण
57.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य कवाई बंजारसटापरा	2000-01	0.50	0.44	पूर्ण
58.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य मोहनजी जी कुड़ी वालों के पास	2000-01	0.40	0.36	पूर्ण
59.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य कवाई राधेश्याम सिरोया के पास	2000-01	0.40	0.26	पूर्ण
60.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य कवरपुरा अटरू क्षेत्र एस.सी. बस्ती	2000-01	0.40	0.38	पूर्ण
61.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य गायत्री नगर खेड़लीगंज रामचन्द्र कुम्हार की दुकान के पास	2000-01	0.40	0.44	पूर्ण
62.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य किशनपुर मशालदारान	2000-01	0.60	0.52	पूर्ण
63.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य फुसरा शिव धुनी आश्रम	2000-01	0.40	0.38	पूर्ण
64.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य खेड़लीगंज गायत्री नगर रमेश खाती के पास	2000-01	0.40	0.46	पूर्ण
65.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य निमोदा जगदीश प्रसाद के पास	2000-01	0.40	0.42	पूर्ण
66.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य ग्राम नृसिंहपुरा	2000-01	0.40	0.48	पूर्ण
67.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य कुन्जेड नाइयों का चौक	2000-01	0.40	0.36	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
68.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य बटावदा गोपालजी के पास	2000-01	0.40	0.42	पूर्ण
69.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य मण्डोला छापोल जी के पास	2000-01	0.40	0.38	पूर्ण
70.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य मंडोला गोलिया चबूतरा	2000-01	0.40	0.37	पूर्ण
71.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य अटरू ढोकतलाई मन्दिर के पास	2000-01	0.40	0.38	पूर्ण
72.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य अटरू ढोकतलाई मन्दिर के पास	2000-01	0.40	0.35	पूर्ण
73.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य चैनपुरिया तहसील अटरू	2000-01	0.50	0.49	पूर्ण
74.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य गायत्री नगर खेड़लीगंज भैरूसिंह तह. कर्म के पास	2000-01	0.50	0.50	पूर्ण
75.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य महेशपुरा मोडिया महादेव के पास	2000-01	0.50	0.52	पूर्ण
76.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य रतनपुरा	2000-01	0.50	0.63	पूर्ण
77.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य शशीकांत शर्मा के पास	2000-01	0.50	0.56	पूर्ण
78.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य तुलसा धोलकुआं	2000-01	0.50	0.45	पूर्ण
79.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य सहरोद मूलचंद बैरवा के पास	2000-01	0.50	0.54	पूर्ण
80.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य सहरोद उदयचंद नागर के पास	2000-01	0.50	0.53	पूर्ण
81.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य जिरोद रामचन्द्र मीणा के पास	2000-01	0.50	0.57	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
82.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य ग्राम बिद्वालस भीमराज नागर के पास	2000-01	0.50	0.55	पूर्ण
83.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य नृसिंहपुर बद्रीलाल नागर के पास	2000-01	0.50	0.53	पूर्ण
84.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य खेडलीगंज अटरू पंचमुखी हनुमान मन्दिर के पास	2000-01	0.50	0.56	पूर्ण
85.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य जिरोद हनुमान मन्दिर तालाब की पाल	2000-01	0.50	0.58	पूर्ण
86.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य हाथी दिलोद गुर्जरों की बस्ती	2000-01	0.50	0.57	पूर्ण
87.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य मालियों का मोहल्ला	2000-01	0.50	0.49	पूर्ण
88.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य उम्मेद गंज/ नयागांव महादेव मन्दिर	2000-01	0.50	0.53	पूर्ण
89.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य अर्डान्द नयी कालोनी रोड के पास	2000-01	0.50	0.56	पूर्ण
90.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य बद्वालय हनुमान जी की छतरी	2000-01	0.50	0.52	पूर्ण
91.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य नृसिंहपुरा रामलाल मीणा के पास	2000-01	0.50	0.55	पूर्ण
92.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य दीवाली स्कूल के पास	2000-01	0.50	0.56	पूर्ण
93.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य छेलाबैल एस.सी. बस्ती	2000-01	0.50	0.57	पूर्ण
94.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्यग्राम खेड़ी खेल के पास	2000-01	0.50	0.45	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
95.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य कार्यग्राम हरनियाखेड़ा हनुमान मन्दिर के पास	2000-01	0.50	0.46	पूर्ण
96.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य महुआखेड़ा राधाकृष्णा मन्दिर के पास	2000-01	0.50	0.54	पूर्ण
97.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य अन्ताना	2000-01	0.50	0.48	पूर्ण
98.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य ग्राम अटरू नागादेव बावड़ी के पास	2000-01	0.50	0.53	पूर्ण
99.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य मोठपुर जमादार के कुएं के पास	2000-01	0.50	0.54	पूर्ण
100.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य मोठपुर सत्यानारायण मन्दिर के पास	2000-01	0.50	0.47	पूर्ण
101.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य मोठपुर रूपनारायण सोनी के पास	2000-01	0.50	0.43	पूर्ण
102.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य मोठपुर नाका के पास	2000-01	0.50	0.50	पूर्ण
103.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य अटरू रेल लाइन सिंगल के पास	2000-01	0.50	0.48	पूर्ण
104.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य अटरू सिंधणी के सामने कवाई रोड	2000-01	0.50	0.54	पूर्ण
105.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य मेरमाचाह भोजराज के पास	2000-01	0.50	0.47	पूर्ण
106.	अटरू बंधारोड बेतसिंह के पीछे	2000-01	0.50	0.56	पूर्ण
कोटा जिले के अटरू विधान सभा क्षेत्र					
1.	तालाब की पाल की मरम्मत एवं ऊंचा कराना	99-2000	0.40	0.40	पूर्ण

1	2	3	4	5	6
2.	नगली नाला पर एनीकट का निर्माण	99-2000	0.50	0.50	पूर्ण
3.	हीरालाल किराड़ के घर के पास खरंजा निर्माण	99-2000	0.50	0.50	पूर्ण
4.	पशु पेयजल हेतु बिजली कनेक्शन सहित पम्प एवं ट्यूबवैल स्थापना	99-2000	0.65	0.65	पूर्ण
5.	ग्राम लटूरी से मूला हेडा तक ग्रेवल सड़क	99-2000	1.00	0.98	पूर्ण
6.	ग्राम हीरापुरा से सांगोद रोड तक ग्रेवल सड़क का निर्माण	99-2000	3.00	2.31	पूर्ण

परिशिष्ट-2

स्वीकृत अपूर्ण कार्य

बारां जिले के अटरू विधान सभा क्षेत्र

(राशि लाख रुपये)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति	अपूर्ण रहने/विलम्ब का कारण
1.	ग्राम बामनहेड़ से (बारां) बैरपुर का खुरा तक ग्रेवल सड़क	2000-01	2.00	0.80	अपूर्ण	संवेदक द्वारा धीमी प्रगति के कारण
2.	नलकूप निर्माण कार्य ग्राम कुड़ी	2000-01	2.00	1.45	अपूर्ण	अधिक लागत के कारण संशोधित स्वीकृति हेतु विधायक महोदय की अभिशंसा अपेक्षित है
3.	नलकूप निर्माण कार्य ग्राम कनोटिया	2000-01	2.00	1.24	अपूर्ण	—''—
4.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य भौरा लालचन्द मीणा के पास	2000-01	0.50	0.00	अपूर्ण	मशीन न पहुंचना
5.	हैण्ड पम्प निर्माण कार्य मूण्डला बिसैंती सहकारी गोदाम के पास	2000-01	0.50	0.00	अपूर्ण	मशीन न पहुंचना
6.	कार्य ग्राम बोरदा नलकूप निर्माण	2000-01	1.25	0.00	अपूर्ण	विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना है
7.	निर्माण बराना नाहरगढ़ रोड से ग्राम हरनावदा तक ग्रेवल रोड	2000-01	1.50	0.00	अपूर्ण	बरसात के कारण
	कोटा जिले के अटरू विधान सभा क्षेत्र					
1.	रा.उ.प्रा.वि. अमृत कुआं की चारदीवारी निर्माण	2000-01	1.00	0.80	प्रगति पर	प्रगति पर है
2.	नयी बस्ती में पुलिया से सुतलिया के बीच खरंजा निर्माण	2000-01	1.00	0.60	प्रगति पर	प्रगति पर है

परिशिष्ट-3

प्रारम्भ नहीं कार्य

बारां जिले के अटरू विधान सभा क्षेत्र

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य की स्थिति	प्रारम्भ नहीं होने के कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	निर्माण कार्य अदालत परिसर अटरू	2000-01	0.60	—	प्रारम्भ नहीं	बरसात के कारण
2.	ग्राम बडोदिया ग्रा.पं. ननावता में ग्राम के सरकारी कुएं से नीचे गांव के बाहर की ओर तेजाजी महाराज की ओर खरंजा	2000-01	1.00	—	प्रारम्भ नहीं	बरसात के कारण
3.	ग्राम जिरोद पं.सं. अटरू तालाब खुदाई	2000-01	2.50	—	प्रारम्भ नहीं	निविदा प्रक्रिया पूर्ण न होना
4.	सा.ट्यूबवैल पर विद्युत मोटर लगाने एवं विद्युत कनेक्शन हेतु ग्रा.पं. इकलेरा	2000-01	0.30	—	प्रारम्भ नहीं	निविदा प्रक्रिया पूर्ण न होना
5.	ग्राम खेराली में पं.सं. बारां में महादेवजी के चबूतरे के पीछे नीचे बाड़ियों में हैण्ड पम्प	2000-01	0.50	—	प्रारम्भ नहीं	स्थान परिवर्तन होना है
6.	ग्राम खेराली में तालाब की खुदाई	2000-01	0.50	—	प्रारम्भ नहीं	बरसात के कारण

1	2	3	4	5	6	7
7.	बावन माताजी की झोपड़ियां पं.सं. बारां नहर पर रास्ता बनाने हेतु	2000-01	0.10	—	प्रारम्भ नहीं	तक. स्वीकृति अधिक राशि की है विधायक महोदय से अभिशंषा अपेक्षित है
8.	ग्राम मूंडला बिसेंती नहर भीलपुरा बस्ती से बराना नाहरगढ़ तक ग्रेवल सड़क	2000-01	1.68	—	प्रारम्भ नहीं	बरसात के कारण
9.	ग्राम अटरू वार्ड नं. 4 खल ढिनारे दस शीट वाला शौचालय	2000-01	0.25	—	प्रारम्भ नहीं	तक स्वीकृति अधिक होने के कारण
10.	ग्राम अटरू झाड़ोता टंकी निर्माण	2000-01	4.00	—	प्रारम्भ नहीं	विभाग द्वारा तक स्वीकृति नहीं भेजने के कारण
11.	ग्राम अटरू में पाइप लाइन बिछाना	2000-01	0.50	—	प्रारम्भ नहीं	निविदा प्रक्रिया पूर्ण न होना
	कोटा जिले के अटरू विधान सभा क्षेत्र					
1.	ग्राम मोइकलां में रैगर मोहल्ले में सामु. भवन निर्माण	99-2000	2.00	—	प्रारम्भ नहीं	भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण
2.	मालियों के मन्दिर के पास हैण्ड पम्प स्थापना	99-2000	0.40	—	प्रारम्भ नहीं	हाइड्रोलोजिस्ट की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होना।

1	2	3	4	5	6	7
3.	ग्राम विजयपुर में गांव की नदी के कटाव को रोकने हेतु सुरक्षा दीवार का निर्माण	2000-01	0.50	—	प्रारम्भ नहीं	वर्षा काल में सामग्री नहीं पहुंचने के कारण प्रारम्भ नहीं हुये हैं
4.	माताजी के चबूतरे के आगे बोरानीकलां की ओर जाने वाले रास्त पर मिट्टी भाराई एवं खरंजा निर्माण	2000-01	0.50	—	प्रारम्भ नहीं	वर्षा काल में सामग्री नहीं पहुंचने के कारण प्रारम्भ नहीं हुये हैं
5.	ग्राम के पास मु.पं. रास्ते के बीच नाले में सीमेंट पाइप डालने का कार्य	2000-01	0.10	—	प्रारम्भ नहीं	वर्षा काल में सामग्री नहीं पहुंचने के कारण प्रारम्भ नहीं हुये
6.	पूराने खरंजे से चौथमलजी अध्यापक एवं छीतर लाल जी नायक तक खरंजा निर्माण	2000-01	0.30	—	प्रारम्भ नहीं	वर्षा काल में सामग्री नहीं पहुंचने के कारण प्रारम्भ नहीं हुये हैं
7.	ग्राम कुदेत से बडी नहर तक अपूर्ण सड़क को पूर्ण कराने हेतु ग्रेवल सड़क	2000-01	0.50	—	प्रारम्भ नहीं	वर्षाकाल में सामग्री नहीं पहुंचने के कारण प्रारम्भ नहीं हुये हैं

परिशिष्ट-24

(अतारांकित प्रश्न संख्या-190 की सूची)

UNIVERSITY OF RAJASTHAN, JAIPUR

Statement of sanctioned post of Asso. Professor (as per budget) & vacancy position

S.No.	Deptt.	No. of Sanctioned Post	Post Filled in		Vacancy
			Selected	Ex-cadre	
1	2	3	4	5	6
1.	English	5	1	—	4
2.	Hindi	4	—	—	4
3.	Philosophy	4	—	—	4
4.	M.E.L.	2	—	1	1
5.	Sanskrit	3	—	—	3
6.	Urdu & Persian	1	1	—	—
7.	Jain Studies	—	—	—	—
8.	SAP in Philosophy	3	—	—	3
9.	Pol. Science	7	2	—	5
10.	Pub. Admn.	3	1	—	2
11.	Economics	6	3	—	3
12.	History	9	—	—	9
13.	Sociology	2	1	—	1
14.	S.A.S.C.	6	1	—	5
15.	Anthropology	—	—	—	—
16.	SAP in Pol. Sc.	2	—	—	2
17.	Botany	8	2	1	5
18.	Chemistry	13	9	—	4
19.	Geology	2	—	—	2
20.	Maths.	5	—	—	5
21.	Physics	9	6	—	3

1	2	3	4	5	6
22.	Statistics	3	—	—	3
23.	Zoology	8	4	—	4
24.	Home Science	1	1	—	—
25.	Psychology	2	2	—	—
26.	Geography	3	—	1	2
27.	I.G.C. for HEEPS	—	—	—	—
28.	Computer Centre	—	—	—	—
29.	Music	1	—	—	1
30.	Drawing & Ptg.	1	—	1	—
31.	Dramatics	1	1	—	1
32.	B.F.A.	—	—	—	—
33.	A.B.S.T.	2	1	—	1
34.	Bus. Admn.	3	—	—	3
35.	E.A.F.M.	2	—	—	2
36.	Management	1	1	—	—
37.	Adult Education	—	—	—	—
38.	Lib. Science	1	—	—	1
39.	Education (M.Ed./B.Ed.)	—	—	—	—
40.	Law	5	2	—	3
41.	General Edu.	1	—	—	1
42.	SAP in Chemistry	4	—	—	4
43.	C.D.P.E.	2	—	—	2
		135	**79**	**4**	**93**

UNIVERSTIY OF RAJASTHAN, JAIPUR

Statement of sanctioned post of Professor (as per budget) & vacancy position on 30.9.01

S.No. 1	Deptt. 2	No. of sanctioned post 3	Posts filled in 4	Vacancy 5
1.	English	2	—	2
2.	Hindi	2	—	2
3.	Philosophy	1	—	1
4.	M.E.L.	—	—	—
5.	Sanskrit	1	—	1
6.	Jain Studies	1	—	1
7.	S.A.P. in Philosophy	2	—	2
8.	Subramaniyam Bharti Chair	1	—	1
9.	Mushi Prem Chand Chair	1	—	1
10.	Pol. Science	3	—	3
11.	Pub. Admn.	2	—	2
12.	Economics	3	—	3
13.	History	2	1	1
14.	Sociology	3	1	2
15.	S.A.S.C.	2	—	2
16.	Anthropology	1	—	1
17.	SAP in Pol. Sc.	1	—	1
18.	Botany	2	—	2
19.	Chemistry	4	—	4
20.	Maths.	3	—	3
21.	Physics	3	1	2
22.	Stats.	2	—	2
23.	Zoology	3	—	3

1	2	3	4	5
24.	Home Science	2	—	2
25.	C.D.P.E.	1	—	1
26.	Phychology	1	—	1
27.	Geography	1	—	1
28.	U.S.I.C.	1	1	—
29.	SAP in Zoology	1	—	1
30.	Music	1	—	1
31.	Drawing & Prg.	1	—	1
32.	A.B.S.T.	1	—	1
33.	Bus. Admn.	1	—	1
34.	E.A.F.M.	1	—	1
35.	Management	1	—	1
36.	Law	3	2	1
		61	6	55

UNIVERSITY OF RAJASTHAN, JAIPUR

Statement of sanctioned post of Asstt. Professor (as per budget) & vacancy position

S.No.	Deptt.	No. of Sanctioned Post	Post filled in: Selected post	Excarde Reader	CAS Reader	Vacancy	No. of Adhoc Asstt. Prof. Under Sec.3(3)	by Court
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	English	17	3	2	2	10	3	6
2.	Hindi	20	—	—	4	16	—	6
3.	Philosophy	9	—	—	4	5	1	2
4.	M.E.L.	3	2	—	—	1	—	—
5.	Sanskrit	11	—	—	4	7	2	7
6.	Urdu & Persian	11	—	—	3	8	6	4
7.	Jain Studies	1	—	—	1	—	—	—
8.	SAP in Philosophy	1	—	—	—	2	—	—
9.	Pol. Science	28	2	—	15	11	9	4
10.	Pub. Admn.	16	—	2	10	4	2	4
11.	Economics	17	1	—	5	11	6	5
12.	History	30	3	5	12	10	1	5
13.	Sociology	19	—	1	8	10	5	2
14.	S.A.S.C.	6	1	—	3	2	—	—
15.	Anthropology	3	—	—	—	3	1	3
16.	SAP in Pol. Sc.	—	—	—	—	—	—	—
17.	Botany	42	3	5	19	15	5	8
18.	Chemistry	64	—	5	11	48	17	12
19.	Geology	16	1	—	4	11	2	—
20.	Maths.	23	1	2	11	9	4	3
21.	Physics	40	3	4	10	23	8	5
22.	Statistics	16	1	1	5	9	4	1
23.	Zoology	42	6	5	17	14	6	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Home Science	22	4	1	3	14	7	4
25.	Psychology	14	3	—	5	6	4	7
26.	Geography	15	—	—	7	8	5	9
27.	I.G.S. for HEEPS	2	—	—	—	2	1	—
28.	Computer Centre	2	—	—	—	2	—	—
29.	Music	13	—	—	7	6	5	6
30.	Drawing & Ptg.	9	—	—	3	6	3	2
31.	Dramatics	2	1	—	1	—	—	1
32.	B.F.A.	2	—	—	—	2	4	2
33.	A.B.S.T.	47	1	3	19	24	22	—
34.	Bus. Admn.	29	1	2	15	11	6	9
35.	E.A.F.M.	36	2	—	21	13	10	4
36.	Management	6	1	—	1	2	1	—
37.	Adult Education	1	—	—	—	1	—	—
38.	Lib. Science	7	—	—	2	2	2	—
39.	Eduction	—	—	—	5	—	—	—
40.	Journalism	—	—	—	1	—	—	—
41.	Law	32	—	2	12	18	8	—
42.	Gen. Education	—	—	—	—	—	—	—
43.	Pool Posts	29	—	—	—	29	—	—
		703					**160**	**129**

परिशिष्ट-25

(अतारांकित प्रश्न संख्या-191 की सूची)		परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र घाटोल में संचालित उन विभागीय आयुर्वेद औषधालयों की सूची जहां वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सक के पद रिक्त हैं

क्र.सं.	स्थान औषधालय जहां आयुर्वेद चिकित्सक का पद रिक्त है
1.	जगपुरा
2.	पडौली राठौड़
3.	मुन्डासेल
4.	देलवाड़ा
5.	देवदा
6.	डूंगलावानी
7.	सेमलिया
8.	लाम्बा डाबरा
9.	बडली खेड़ा